



# आत्म-संयम

ब्रह्मचर्यके लाभ तथा भोगकी हानियों पर  
महात्मा गांधीके लेखोंका संग्रह



१९५४

सस्ता साहित्य मंडल-प्रकाशन

प्रकाशक  
मार्टण्ड उपाध्याय  
मन्त्री, सस्ता साहित्य मण्डल  
नई दिल्ली

‘नवजीवन ट्रस्ट’, अहमदाबादकी सहमतिसे

---

पहली बार : १९५४

मूल्य

तीन रुपये

---

मुद्रक  
जै० के० शर्मा  
इलाहाबाद लॉ जर्नल प्रेस  
इलाहाबाद

## प्रकाशककी ओरसे

इस पुस्तकमें गाधीजीके उन लेखोंका संग्रह किया गया है, जिनमें उन्होंने ब्रह्मचर्यके लाभ और भोगकी हानियोंपर प्रकाश डाला है। इसमें ३ पुस्तकों सम्मिलित हैं, जो पाठकोंके लिए उपयोगिताकी दृष्टिसे अलग-अलग भी छापी गई हैं : १. अनीतिकी राहपर २. ब्रह्मचर्य—१ ३. ब्रह्मचर्य—२. सन् १९३५ तकके लेख पहलीमें आ गये हैं, १९३६से १९३८ तकके द्वासरीमें और १९३८के बादसे अंतिम समय तकके तीसरीमें। इस प्रकार इस समूची पुस्तकमें ब्रह्मचर्य-विषयक गाधीजीके लगभग सभी लेख आ गये हैं।

विषय और सामग्रीके विचारसे पुस्तक स्थायी महत्वकी है। आशा है, पाठक उसके अध्ययन तथा तदनुसार आचरणसे लाभ उठावेगे।

—मंत्री



## विषय-सूची

१. अनोत्तिकी राहपर	९—१७३
१. नीतिनाशकी और	११
२. एकान्तकी बात	५४
३. ब्रह्मचर्य	६०
४. नैषिक ब्रह्मचर्य	६५
५. सत्य बनाम ब्रह्मचर्य	७०
६. ब्रह्मचर्य-पालनके उपाय	७४
७. जनन-नियमन	७७
८. कुछ दलीलोपर विचार	८०
९. गुह्यप्रकरण	८३
१०. सुधार या बिगाड़	१०२
११. वीर्य-रक्षा	१०८
१२. मनोवृत्तियोका प्रभाव	११२
१३. धर्म-स्कट	११८
१४. मेरा व्रत	१२२
१५. विकारका बिच्छू	१२७
१६. सयमको किसकी आवश्यकता है ?	१२९
१७. मां-बापकी जिम्मेदारी	१३१
१८. कामको कैसे जीते	१३४
१९. काम-रोगका निवारण	१३८
२०. परिशिष्ट	
१. सब रोगोका मूल	१४१
२. जनन और पुनर्जनन	१५५

२. ब्रह्मचर्य—१

१७५—३३२

१. ब्रह्मचर्य	१७७
२ ब्रह्मचर्यकी व्याख्या	१८१
३. एक अस्वाभाविक पिता	१८६
४ विद्यार्थियोंकी दशा	१८८
५. बढ़ता हुआ दुराचार	१९०
६ नम्रताकी आवश्यकता	१९२
७ एक परित्याग	१९६
८ सुधारकोंका कर्तव्य	१९६
९. उसकी कृपा विना कुछ नहीं	२०२
१०. सतति-निग्रह—१	२०६
११ सतति-निग्रह—२	२१०
१२ नवयुवकोंसे ।	२१३
१३ कृत्रिम साधनोंसे सतति-निग्रह	२१७
१४. सुधारक वहनोंसे	२२३
१५ फिर वहीं सयमका विषय	२२६
१६ सयम द्वारा सतति-निग्रह	२३३
१७ अष्टत्ताकी ओर	२३५
१८. कैसी नाशकारी चीज़ है ।	२४०
१९ अश्लील विज्ञापन	२४२
२० कामशास्त्र	२४६
२१. अश्लील विज्ञापनोंको कैसे रोका जाय ?	२५०
२२ ब्रह्मचर्यका अर्थ	२५२
२३ अरण्य-रोदन	२५५
२४ ब्रह्मचर्यपर नया प्रकाश	२५६
२५ आश्चर्यजनक, अगर सच है ।	२६१
२६ नतति-निरोध	२६४

२७. विवाहकी मर्यादा	
२८. एक युवककी कठिनाई	२७१
२९. विद्यार्थियोंके लिए	२७४
३०. विवाह-संस्कार	२७६
३१. धर्म-संकट	२८४
३२. अप्राकृतिक व्यभिचार	२८६
३३. सभोगकी मर्यादा	२८८
३४. अहिंसा और ब्रह्मचर्य	२९२
३५. विद्यार्थियोंके लिए लज्जाजनक	२९६
३६. आजकलकी लड़किया	३०५
३७. परिशिष्ट	
१. सतति-निरोधकी हिमायतन	३०८
२. पाप और सतति-निग्रह	३१३
३. श्रीमती सेगर और सतति-निरोध	३१८
४. श्रीमती सेगरका पत्र	३२७
५. स्त्रियोंको स्वर्गकी देविया न बनाइए	३३०
<b>३ ब्रह्मचर्य—२</b>	<b>३३३—४०५</b>
१. ब्रह्मचर्य	३३५
२. ब्रह्मचर्यका स्पष्टीकरण	३३८
३. लड़कीको क्या चाहिए	३४०
४. चरित्र-बल आवश्यक है	३४२
५. एक ही शत्रु	३४५
६. दृश्य तथा अदृश्य दोष	३४७
७. एक युवककी दुविधा	३४९
८. साहित्यमें गदगी	३५१
९. आर्यसमाज और गदा साहित्य	३५४

१०.	मेरा जीवन	३५५
११.	स्त्री-धर्म क्या है ?	३६०
१२.	पुरुष और स्त्रिया	३६८
१३.	एक विधवाकी कठिनाई	३६९
१४.	गृहस्थ आश्रम	३७१
१५.	भरोसेकी सहायता	३७३
१६.	व्याह और ब्रह्मचर्य	३७५
१७.	वहनोंकी दुविधा	३७८
१८.	मैंने कैसे शुरू किया	३८०
१९.	ब्रह्मचर्यकी रक्षा	३८२
२०.	ईश्वर कहा है और कौन है ?	३८५
२१.	नाम-साधनाकी निशानिया	३८७
२२.	एक उलझन	३९०
२३.	पुराने विचारोंका वचाव	३९२
२४.	मुश्किलको समझना	३९५
२५.	एक विद्यार्थीकी उलझन	३९९
२६.	शकाओंके जवाब	४०२
२७.	ब्रह्मचर्य द्वारा मातृभावनाका साक्षात्कार	४०५

# अनीतिकी राहपर



# अनीतिकी राहपर

: १ :

## नीतिनाशकी और

कृपालु मित्र मुझे भारतीय पत्रोंके ऐसे लेखोंकी कतरने भेजा करते हैं जिनमें गर्भ-निरोधके कृत्रिम साधनोंसे काम लेकर सन्तति-नियमनके विचारका समर्थन होता है। युवकोंके साथ उनके वैयक्तिक जीवनके विषयमें मेरा पत्र-ब्यवहार दिन-दिन बढ़ता जा रहा है। मुझे पत्र लिखनेवाले भाई जो सवाल उठाते हैं उनके बहुत ही छोटे भागकी चर्चा मैं इन पृष्ठोंमें कर सकता हूँ। अमरीकावासी मित्र भी इस विषयके लेख, पुस्तकोंमें भेरे पास भेजते हैं। और कुछ तो गर्भ-निरोधके कृत्रिम साधनोंके उपयोगका विरोध करनेके कारण मुझपर खफा भी है। उन्हें यह देखकर दुख होता है कि अन्य अनेक विषयोंमें तो मैं बहुत आगे बढ़ा हुआ सुधारक हूँ, पर सन्तति-नियमनके विषयमें भेरे विचार मध्य युगके हैं। मैं यह भी देखता हूँ कि गर्भ-निरोधके कृत्रिम साधनोंसे काम लेनेके हिमायतियोंमें कुछ ऐसे स्त्रीपुरुष भी हैं जिनकी गणना दुनियाके बड़े-से-बड़े विचारशील जनोंमें है।

जत. मैंने सोचा कि कृत्रिम साधनोंसे काम लेनेके पक्षमें कोई बहुत ही पवकी दलील होनी चाहिए, और यह भी सोचा कि अवतक इस विषयपर जो-कछ मैंने लिखा है उसमें मुझे कुछ अधिक कहना चाहिए। मैं इस प्रश्नपर और इन विषयका नाहित्य पढ़नेके बारेमें विचार कर ही रहा था कि 'नीतिनाशकी ओर' ('दुर्बल भौतिकी') नामकी पुस्तक मुझे पढ़नेदो दी गई। इस पुस्तकमें इनी विषयका विवेचन है और मेरी नम्रतामें

वह शुद्ध शास्त्रीय रीतिसे किया गया है। मूल पुस्तक फरासीसी भाषामें श्रीपाल व्यूरोने लिखी है, जिसके नामका शाब्दिक अर्थ ‘नैतिक अराजकता’ होता है। अग्रेजी उलशा कान्स्टेवल एड कपनीने प्रकाशित किया है और उसकी प्रस्तावना डाक्टर मेरी स्कारली सी० वी० ई०, एम० डी० ने लिखी है। उसमे ५३८ पृष्ठ और १५ अध्याय हैं।

पुस्तक पढ़ जानेके बाद मैंने सोचा कि लेखकके विचारोंका सारांश करनेसे पहले विषयके प्रति न्याय करनेकी खातिर कृत्रिम साधनोंसे काम लेनेके पक्षका पोषण करनेवाली प्रमाणभूत पुस्तके मुझे अवश्य पढ़ लेनी चाहिए। अत मैंने भारतसेवक-समितिसे अनुरोध किया कि इस विषयका जो साहित्य उसके पास हो वह मुझे थोड़े दिनोंके लिए मँगनी देनेकी कृपा करे। समितिने कृपा कर अपने सग्रहकी कुछ पुस्तके भेज दी। काका कालेलकरने, जो इस विषयका अध्ययन कर रहे हैं, हैवलॉक एलिसके ग्रथके इस विषयका विवेचन करनेवाले खड़ दिये, और एक मित्रने ‘प्रैक्टिशनर’ पत्रका विशेषाक भेजा जिसमे कुछ सुप्रसिद्ध चिकित्सकोंकी बहुमूल्य सम्मतिया सगृहीत है।

इस साहित्य-सग्रहका उद्देश्य यह था कि श्री व्यूरोके निष्कर्षोंकी परख, जहा तक एक चिकित्साशास्त्रका ज्ञान न रखनेवाला साधारण मनुष्य कर सकता है, कर ले। यह बात अक्सर देखनेमे आती है कि जब शास्त्र-विशेषके पडित किसी प्रश्नपर वहस करते हैं तब भी उसके दो पक्ष होते हैं और दोनोंके पोषणमे बहुत-कुछ कहा जा सकता है। अत मैं चाहता था कि श्री व्यूरोकी पुस्तक पाठकोंके सामने रखनेके पहले गर्भ-निरोधके कृत्रिम साधनोंके समर्थकोंका दृष्टिकोण समझ लूँ। अब मेरी पक्की राय है कि कम-से-कम हिन्दुस्तानमे तो कृत्रिम भावनोंके उपयोगकी आवश्यकता सिद्ध नहीं की जा सकती। जो लोग भारतमे उनके उपयोगका समर्थन करते हैं वे या नो यहाकी हालत नहीं जानते या जान-बूझकर उसकी ओरसे आखे मूद लेते हैं। पर अगर यह बात सावित कर दी जाय कि उपदिष्ट उपाय पञ्चममे भी हानिकर मिद्द हो रहे हैं तो भारतकी विशेष परिस्थितिकी छान-बीन करनेकी आवश्यकता ही नहीं रहती।

## अनीतिकी राहपर : नीतिनाशकी ओर

अत. अब हम यह देखें कि श्री व्यूरो कहते क्या हैं। उन्होने केवल फ्रासकी स्थिति पर विचार किया है। पर फ्रास कोई छोटी चीज़ नहीं। दुनियाके जो देश सबसे आगे बढ़े हुए हैं उनमें उसकी गणना है। ऊपर बताए हुए साधन जब वहाँ विफल हो गये तब अन्यत्र उनके सफल होनेकी आशा नहीं रखी जा सकती।

विफलताके अर्थके विषयमें मतभेद हो सकता है। अतः यहाँ मैं किस अर्थमें उसका व्यवहार कर रहा हूँ यह मुझे बता देना चाहिए। अगर हम यह दिखा सकें कि इन साधनोके व्यवहारसे नीतिके बधन ढीले हुए हैं, व्यभिचार बढ़ा है और जहाँ केवल स्वास्थ्य-रक्षा तथा आर्थिक दृष्टिसे कुटुम्बका अति विस्तार न होने देनेके उद्देश्यसे स्त्री-पुरुषोंको उनसे काम लेना चाहिए था वहाँ मुख्यतः भोग-वासनाकी तृप्तिके लिए उनका व्यवहार हो रहा है, तो मानना होगा कि उनका विफल होना सावित कर दिया गया। यही मध्यमा वृत्ति है। चरम नैतिक दृष्टि तो प्रत्येक परिस्थितिमें गर्भ-निरोधके साधनोके उपयोगका निषेध करती है। उस पक्षकी दुलील तो यह है कि स्त्री-पुरुषका सयोग तभी जायज है जब उसका प्रयोजन सन्तानो-त्पादन हो, उस हेतुके बिना उनका काम-वासनाकी तृप्ति करना सर्वथा अनावश्यक है, वैसे ही जैसे शरीर-रक्षाको छोड़कर और किसी उद्देश्यसे उनका भोजन करना आवश्यक नहीं होता। एक तीसरा पक्ष भी है। यह ऐसे लोगोंका वर्ग है जिनका कहना है कि दुनियामें नीति नामकी कोई चीज़ है ही नहीं, और है तो उसका अर्थ विषय-वासनाका सयम नहीं बल्कि हर तरहकी भोग-वासनाकी पूर्ण तृप्ति है, हा, इतना ध्यान रहे कि उससे हमारा स्वास्थ्य इतना न विगड़ जाय कि हम वासनाओंकी तृप्तिके, जो हमारे जीवनका उद्देश्य है, काबिल ही न रह जाय। मैं समझता हूँ कि श्री व्यूरोने ऐसे अतिवादियोंके लिए अपनी पुस्तक नहीं लिखी है। कारण यह कि उन्होने उसकी समाप्ति टाममानके इस वचनसे की है—

“भविष्यका मैदान उन्हीं जातियोंके हाथ है जो सदाचारिणी है।”

## २ : अविवाहितोंमें नीतिभ्रष्टता

अपनी पुस्तकके पहले भागमे श्री व्यूरोने ऐसे तथ्य इकट्ठे किये हैं जिन्हे पढ़कर चित्तको अतिशय खेद होता है। उनसे प्रकट होता है कि फ्रासमे कैसे विशाल सघटन खड़े हों गये हैं जिनका काम केवल मनुष्यकी अधम वासनाओंकी तृप्तिके साधन जुटा देना है। गर्भ-निरोधके कृत्रिम उपायोंके समर्थकोंका सबसे बड़ा दावा यह है कि उनके इस्तेमालसे गर्भपात-का पाप बद हो जायगा। पर यह भी टिक नहीं सकता। श्री व्यूरो कहते हैं—“फ्रासमे इधर २५ बरससे गर्भ-निरोधके उपायोंका विशेष रूपसे प्रचार रहा है। पर अपराधरूप गर्भपातोंकी सख्त्या कम न हुई।” श्री व्यूरोकी रायमे उनकी तादाद उलटे और बढ़ी है। उनका अदाजा है कि वहाँ हर साल २॥। से ३। लाख तक गर्भपात होते हैं। कुछ बरस पहले लोकमत उनके समाचार सुनकर काप उठता था, अब यह बात भी नहीं रही।

श्री व्यूरो लिखते हैं—“गर्भपातके पीछे-पीछे वाल-हत्या, कुल-कुटुम्बके भीतर व्यभिचार और प्रकृति-विरुद्ध पापोंकी पात पहुचती है। वाल-हत्याके बारेमे तो इतना ही कहना है कि अविवाहिता माताओंके लिए सब तरहके सुभीते कर दिये गए हैं, और गर्भ-निरोधके साधनोंका उपयोग और गर्भपात बढ़ गया है, फिर भी यह पाप बटनेके बदले और बढ़ा ही है। सभ्य प्रतिष्ठित कहलानेवाले लोग अब उसे बैसी नफरतकी निगाहें भी नहीं देखते, और मुकदमोंमें जूरी आम तौरसे अभियुक्तको ‘निरपराध’ ही ठहराया करते हैं।”

गदे, अश्लील साहित्यकी वृद्धिपर श्री व्यूरोने एक पूरा अध्याय लिख डाला है। उसकी व्याख्या वह इस प्रकार करते हैं—“साहित्य, नाटक और चलचित्र मनुष्यके थके मनको विश्राति देने और फिर तरो-ताजा कर देनेके जो साधन उसे दे रहे हैं उनका काम-वासनाको जगाने, भड़काने या दूम्हरे गन्दे उद्देश्यकी पूर्तिके लिए दुरुपयोग करना।” वह कहते हैं—“इस साहित्यकी हरएक शाखाकी जितनी खपत हो रही है उसका कुछ अदाजा इस बातसे किया जा सकता है कि इस घघेको चलानेवाले कैसे चतुर-

## अनीतिकी राहपर : नीतिनाशकी ओर

चूड़ामणि है, उनका सघटन कितना बढ़िया है, कितनी विशाल पूजो इस कारबारमे लगा दी गई है और उसे चलानेके तरीके सर्वांगपूर्णतामे कैसे बेजोड़ है।” “इस साहित्यका मनुष्योके मनपर इतना जबर्दस्त और ऐसा विलक्षण प्रभाव पूड़ा है कि व्यक्तिका सारा मानस जीवन उसके रगसे रग गया है और एक प्रकारके गौण काम जीवनका निर्माण हो गया है जिसका अस्तित्व सर्वांशमे उसकी कल्पनामे ही होता है।”

अनन्तर श्री व्यूरो श्री रुहसाका यह करुणा-जनक पैराग्राफ उद्धृत करते हैं—

“यह सारा अश्लील और कामज कूरतासे भरा साहित्य अगणित मनुष्योके लिए अति प्रबल प्रलोभनकी वस्तु बन रहा है, और इस साहित्य-की जबर्दस्त खपत असदिग्धरूपमे बताती है कि कल्पनामे दूसरे काम-जीवनका निर्माण कर लेनेवालोकी सख्या लाखो तक पहुँचती है। जो लोग इसकी बदौलत पागलखानोमे पहुँच गये हैं उनका तो जिक्र ही क्या; खासकर आजके-से समयमे जब अखबारो और पुस्तकोका दुरुपयोग सब और उन अन्त करणोकी सृष्टि कर रहे हैं, जिन्हे डब्लू जेम्स ‘अन्तर्जगतकी अनेकता’ कहते हैं और जिसमे विचरण कर हर आदमी वर्तमान जीवनके कर्तव्योको भूल सकता है।”

याद रहे, ये सारे धातक परिणाम एक ही मूलगत भ्रमके कुफल हैं। वह यह है कि विषय-भोग, सन्तानकी इच्छाके बिना भी मानव-प्रकृतिके लिए आवश्यक है और उसके बिना पुरुष हो या स्त्री किसीका भी पूर्ण विकास नहीं हो सकता। ज्यो ही यह भ्रम दिमागमे घुसा और मनुष्य जिसे बुराई समझता था उसे भलाईके रूपमे देखने लगा कि फिर वह विषय-वासनाको जगाने और उसकी तृप्तिमे सहायक होनेके नित नये उपाय ढूँढने लगता है।

इसके बाद श्री व्यूरीने प्रमाण देकर दिखाया है कि आजके दैनिकपत्र, मासिक, परचे, उपन्यास, चित्र और नाटक-सिनेमा किस तरह इस हीन रुचिको दिन-दिन अधिकाधिक भड़का और उसकी तृप्तिकी सामग्री जुटा रहे हैं।

### ३ : विवाहितोंमें नीति-भ्रष्टता

अबतक तो अविवाहित जनोंके नीति-नाशकी कथा कही गई है । इसके बाद श्री व्यूरो यह दिखाते हैं कि विवाहित जनोंकी नीति-भ्रष्टता किस हद तक पहुँच रही है । वह कहते हैं—“अमीर, मध्यवित्त और कृपक वर्गोंमें वहुसख्यक विवाह वडप्पन दिखाने या धन-सपत्ति पानेके लिए किये जाते हैं ।” वहुतसे व्याह अच्छा ओहदा पाने, दो जायदादो, खासकर जमीदारियोंके मालिक बनने, नाजायज सम्बन्धको जायज बनाने, अवैध सन्तानको वैध बनवाने, बुढ़ापे और गठियेंकी बीमारीके समय कोई मनसे सेवा-टहल करनेवाला हो इसका उपाय करने और सेनामें अनिवार्य भरतीके समय कौन-सी छावनी पसन्द करे यह तै कर सकनेके लिए भी किये जाते हैं । कुछ व्याह व्यभिचारके जीवनसे ऊवकर दूसरे प्रकारका थोड़ा सयमवाला भोग-जीवन प्राप्त करनेके उद्देश्यसे भी किये जाते हैं ।

इसके बाद श्री व्यूरोने उदाहरण और आकड़े देकर सिद्ध किया है कि इन व्याहोंसे व्यभिचार घटनेके बदले वस्तुत और बढ़ता है । पत्नीके उन तथोक्त वैज्ञानिक साधनोंने, जो सयोगमें वाधक न होते हुए उसके फलसे वचनेके लिए बनाये गये हैं, इस पतनको जर्वर्दस्त मदद पहुँचाई है । पुस्तकके उस दु खद भागको तो मैं छोड़ देता हूँ जिसमें व्यभिचार-वृद्धिका विवरण और अदालतकी डिगरीसे होनेवाले पतिपत्नी-विलगाव और तलाकोंके चौंकानेवाले आँकड़े दिए गये हैं । इन विलगावों और तलाकोंकी स्थ्या पिछले बीस वरसके अदर दूनीसे अधिक हो गई है । “स्त्री-पुरुष दोनोंके लिए समान नैतिक मानदण्ड होना चाहिए” इस सिद्धातके नामपर स्त्रीको जो भोग-वासनाकीमनमानी तृप्तिकी स्वतत्रता दे दी गई है उसकी भी मैं चलती चर्चा भर कर सकता हूँ । गर्भाधान न होने देनेकी क्रियाओं और गर्भपात करानेके उपायोंके पूर्णता प्राप्त कर लेनेसे स्त्री-पुरुष दोनोंको नैतिक वधनोंमें पूर्ण मुक्ति मिल गई है । ऐसी दशामें अगर खुद व्याहका ही मजाक उड़ाया जा रहा है तो इसमें किसीको अचरज-अच्छभा न होना चाहिए । व्यूरोने एक लोकप्रिय लेखकके कुछ वाक्य उद्वृत् किये हैं । उनका आशय

## अनीतिकी राहपर : नीतिनाशकी ओर

यह है—“मेरे विचारसे व्याह उन बड़े-से-बड़े जगली रिवाजोंसे से एक है जिन्हे आदमीका दिमाग अबतक सोच सका है। मुझे इस बातमे तनिक शक-शुब्दहा नहीं कि मानव-समाज अगर न्याय और विवेककी ओर कुछ भी बढ़ा तो यह प्रथा दफना दी जायगी।.... पर पुरुष इतना मट्ठर और स्त्री इतनी कायर है कि जो कानून उनका शासन कर रहा है उससे अच्छे ऊचे कानूनकी माँग करनेकी हिम्मत वे नहीं कर सकते।”

श्री व्यूरोने जिन क्रियाओंकी चर्चा की हैं उनके नतीजो और जिन सिद्धातोंसे उन क्रियाओंका समर्थन किया जाता है उनकी उन्होंने बड़ी बारीकीसे समीक्षा की है। वह कहते हैं—“यह नीति-बधन तोड़ फैकनेका आदोलन हमे नई भवितव्यताओंकी ओर खीचे लिये जा रहा है। पर वे हैं क्या ? जो भविष्य हमारे आगे आ रहा है वह क्या प्रगति, प्रकागन-सौन्दर्य और उत्तरोत्तर बढ़नेवाले अध्यात्म-भावका होगा ? या पीछे लोटने, अधकार, कुरुपता और पशुभावका होगा जिसकी भूख दिन-दिन बढ़ती जा रही है ? यह नैतिक स्वच्छदता जिसकी स्थापना की गई है क्या दकियानूसी नियमोंके विरुद्ध किये जानेवाले उन फलजनक विद्रोहों, हितकर विष्वासोंसे हैं जिन्हे आनेवाली पीढ़िया कृतज्ञताके साथ याद किया करती है, इसलिए, कि उनकी प्रगति उनके उत्थानके लिए विशेष कालोंमे अनिवार्य हो जाती है ? अथवा वह मानव-मनकी वही आदिम वृत्ति है, जिसकी विरासत उसे अपने आदि पुरुष वादा आदम्से मिली है—जो उन नियमोंके विरुद्ध विद्रोह किया करती है जिनकी कठोरता ही उसे इस योग्य बनाती है कि वह अपनी पाणव प्रेरणाओंके हमलोंके सामने टिक सके ?

---

‘आदम और हौवाको ईश्वरने अदनके लागमे रखा और मालीका काम सौंपा था। उन्हे बगीचेके सब पेड़ोंके फल खानेकी इजाजत थी; पर एक ज्ञान-वृक्षका फल खानेकी मनाही थी। आदमने इस निपेधका उल्लंघन कर ज्ञान-वृक्षका फल चख लिया और इस पापके दंड-स्वरूप अदनके उद्यानसे निकाल दिये गए और देवत्व तथा अमरत्वसे बचित होकर मृत्युधर्मा हुए।—अनु०

समाजकी रक्षा और जीवनके लिए आवश्यक नियम-वधनके विरुद्ध यह विनाशकारी विद्रोह तो नहीं है ?” इसके बाद वह यह सावित करनेके लिए जर्वर्दस्त सबूत पेश करते हैं कि इस विद्रोहका फल हर लिहाजसे सत्यानासी हुआ है। वह खुद जीवनकी ही जड़ काट रहा है।

विग्रहित स्त्री-पुरुषोंका अपनी वासनाओंको अकुशमे रखकर जरूरतसे ज्यादा बच्चे न पैदा करनेका यथासभव यत्न करना एक बात है और मनमाना भोग करते हुए उसके फलसे बचनेके उपायोंकी मदद लेकर सन्तति-नियमन करना बिलकुल दूसरी बात है। पहली सूरतमे मनुष्यको सभी प्रकारसे लाभ है और दूसरीमे हानिके सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। श्री व्यूरोने आकड़े और नक्शे देकर दिखाया है कि काम-वासनाकी मनमानी तृप्ति करते हुए भी उसके स्वाभाविक फलोंसे बचनेकी गरजसे गर्भ-निरोधक साधनोंका उपयोग दिन-दिन बढ़ रहा है। उसका फल यह हुआ है कि अकेले पेरिसमे ही नहीं, समूचे फ्रासमे जन्म-सख्या मृत्यु-सख्याकी तुलनामे बहुत घट गई है। फ्रास जिन ८७ प्रदेशोंमे बढ़ा हुआ है उनमें से ६८मे जन्मकी सख्या मृत्युकी सख्यासे नीची है। लोते-गारोमे १६२ मौतोंके मुकावलेमे १०० जन्म होते हैं। इसके बाद ताने-गारोका नवर है। वहा १५६ मौतोंपर १०० जन्मोंका औसत रहता है। जिन १६ प्रदेशोंमे जन्म-सख्या मृत्यु-सख्या-से ऊची है उनमें से भी कईमें तो यह अन्तर महज नामका है। केवल दस ही रकवे ऐसे हैं जहा मृत्यु-सख्यासे जन्म-सख्याकी अधिकता कहने लायक हो। मोरब्बा और पास-दे-कैलेमे मृत्यु-सख्या सबसे कम है—१०० जन्म पीछे ७२। श्री व्यूरो हमे बताते हैं कि आवादी घटनेका यह क्रम जिसे वह ‘मागी हुई मौत’ कहते हैं। अभी तक चल ही रहा है।

अनन्तर श्री व्यूरो फ्रासके सूबोंकी हालतकी तफसीलसे जाच-पड़ताल करते हैं और १६१४मे नारमडीके बारेमें लिखी हुई श्री जीदकी पुस्तकसे नीचे लिखा पैराग्राफ उद्धृत करते हैं—“५० वरसके अदर नारमडीकी आवादी ३ लाखमे अधिक घट चुकी है। यानी उसकी जन-सख्यामे उत्तनेकी कमी हो चुकी जितनी समूचे बोर्न जिलेकी आवादी है। हर २० सालमे वह एक जिलेकी जिननी आवादी गवा देता है और चूकि उसमें कुल पाच

## अनीतिकी राहपर : नीतिनाशकी और

जिले हैं इसलिए सौ सालमें ही उसके हरे भरे मैदान फ्रेच जनोंसे बिलकुल खाली हो जायगे । 'फ्रेच जन' शब्दका व्यवहार मैं जान-बूझकर कर रहा हूँ, क्योंकि निश्चय ही दूसरे लोग आकर उनपर कब्जा जमा लेगे । और ऐसा न हुआ तो यह बड़े दुखकी बात होगी । जर्मन आस-पासकी खानोंको खोद रहे हैं और अभी कल ही पहली बार चीनी मजदूरोंका अग्रगामी दस्ता उस जगह उतरा है जहासे विजयी विलियम<sup>9</sup>का जहाज इंग्लैण्ड-विजयके लिए रवाना हुआ था ।" इस पैराग्राफकी आलोचनामें श्री व्यूरो कहते हैं— "अन्य अनेक प्रात हैं जिनकी दशा इससे कुछ अच्छी नहीं ।"

इसके बाद श्री व्यूरो यह लिखते हैं कि जनसत्याके इस हाससे राष्ट्रकी शक्ति भी घटती जा रही है । उनका विश्वास है कि फ्राससे जो दूसरे देशोंमें जाकर लोगोंका वसना बद हो गया है उसका कारण भी यही है । फ्रासके औपनिवेशिक साम्राज्य, व्यापार, फ्रेच भाषा और सस्कृति इन सबके हासका कारण भी वह इसीको मानते हैं ।"

अनन्तर वह पूछते हैं— "क्या सयत सहवासके पुराने रास्तेको छोड़ देनेवाले फ्रेचजन सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और मन सस्कारमें आज अधिक आगे है ?" इस प्रश्नका उत्तर वह यो देते हैं— "स्वास्थ्यकी उन्नतिके विषयमें तो दो-चार शब्द कह देना ही काफी होगा । हम कितना ही चाहते हो कि सब एतराजोंका एक सिरेसे जवाब दे दे, इस दलीलपर सजीदगीके साथ विचार करना कठिन है कि भोगकी धूटसे किसीका शरीर अधिक सबल और स्वास्थ्य अधिक अच्छा हो सकता है । हर तरफसे यही रोना सुनाई दे रहा है कि नौजवान और प्रौढ़ सभी पहलेसे निर्वल हो रहे हैं । (प्रथम) महायुद्धसे पहले सैनिक अधिकारियोंको रगड़ोंकी शारीरिक योग्यताका मानदण्ड बार बार नीचा करना पड़ता था, और सारे देशमें लोगोंकी कष्ट-सहनकी शक्ति काफी घट गई है । अवश्य यह कहना अन्याय होगा कि केवल सयमका अभाव ही इस सारी गिरावटका कारण है ।

---

<sup>9</sup>नामंडीका ड्यूक—१०६६ से १०८७ ई० तक इंग्लैण्डपर राज्य किया । (जन्म १०२७, मृत्यु १०८७ ई०)

पर वह और उसके साथ-साथ शरावखोरी, और घर-द्वारकी गदगी आदि मिलकर इसका बहुत बड़ा कारण बन रहे हैं। और हम जरा वारीक निगाह से काम ले तो सहज ही देख सकते हैं कि असंयम और उसके पोषक मनोभाव इन दूसरी वुराइयोंके सबसे बड़े सहायक हैं। . जननेन्द्रियके रोगो—गरमी, सूजाक आदिकी भयानक वाढने जन-स्वास्थ्यकी जो हानि की है उसका तो अदाजा ही नहीं लगाया जा सकता ।”

श्री व्यूरो नव्य मालथ्यसियन सिद्धात—कृत्रिम साधनोंसे गर्भ-निरोधके समर्थकोंकी इस दलीलको भी अस्वीकार करते हैं कि जन्म-सख्या अथवा सन्तानोत्पादनका नियमन करनेवाले समाजमें व्यक्तियोंका धन उसके नियमनकी मात्राके हिसाबसे बढ़ता जाता है। अपने उत्तरकी, पुष्टि वह फ्रासकी स्थितिकी जर्मनीके साथ तुलना करके देते हैं। जर्मनीमें बच्चोंकी पैदाइश बढ़ रही है, और साथ-साथ राष्ट्रकी समृद्धि भी दिन-दिन बढ़ती जा रही है। पर फ्रासमें जन्म-सख्याके साथ-साथ देशकी धन-सम्पत्ति भी वरावर घटती जा रही है। उनका कहना है कि जर्मनीके व्यापारका आश्चर्य-जनक वृद्धि-विस्तार भी इसलिए नहीं हो रहा है कि वहां श्रमिक वर्गका और देशोंकी अपेक्षा अधिक शोषण हो रहा है। वह ऐसिनोलका यह कथन प्रमाणमें पेश करते हैं—“जर्मनीमें जब केवल ४ करोड़ १० लाख आदमी वसते थे तब सैकड़ों आदमी भूखों मर गए, पर जबसे उसकी आवादी बढ़कर ६ करोड़ ८० लाख हो गई है तबसे वह दिन-दिन अधिक धनवान होता जा रहा है।” इसके बाद वह कहते हैं कि “ये लोग (जर्मन) जो कोई योगी-विरागी नहीं हैं, साल-व-साल सेविंग बैंकमें इतनी रकमें जमा करनेमें समर्थ हुए हैं कि १९११ ई० में उनका जोड़ २२ अरब फ्रांक (फ्रासका सिक्का) हो गया था। १९४५में उनके कुल द अरबही उक्त खातेमें जमा थे। इसके भानी यह हुए कि उन्होंने हर साल ८५ करोड़ अधिक बचाए।”

जर्मनीकी कला-शिल्प-संवर्धनी उन्नतिका विवरण देनेके बाद श्री व्यूरोने उसकी सामान्य स्थितिके विषयमें जो पैराग्राफ लिखा है—वह-वही दिलचस्पीके माथ पढ़ा जायगा। उसका आशय यह है—

“समाजशास्त्रकी गहराईमें उत्तरे विना यह वात निश्चक होकर कही

जा सकती है—इसलिए कि वह बिलकुल स्पष्ट है—कि जर्मन मजदूर अगर अधिक सस्कृत न होते, फोरमैन अधिक पढ़े-लिखे न होते, वहां पूर्ण शिक्षाप्राप्त इजीनियर उपलब्ध न होते, तो शिल्प-कलाकी इतनी उन्नति वहां कदापि न हुई होती । . . जर्मनीके उच्चोग-धधे सिखानेवाले विद्यालय तीन तरहके हैं—१. पेशे (डाक्टरी आदि) सिखानेवाले, जिनकी सख्त्या ५०० से ऊपर और जिनमें शिक्षा प्राप्त करनेवालोंकी सख्त्या ७० हजार है, २. शिल्प-कलाकी शिक्षा देनेवाले, जिनकी सख्त्या और वडी है और जिनमेंसे कुछमें १ हजारसे अधिक विद्यार्थी हैं, ३ कालिज, जिनमें ऊचे दर्जेकी शिक्षा दी जाती है और जिनकी शिष्य-सख्त्या १५ हजार है । ये कालिज विद्यार्थियोंकी तरह डाक्टर (आचार्य)की स्फूरणीय उपाधि प्रदान करते हैं । . . ३६५ विद्यालय वाणिज्य-व्यवसायकी शिक्षा देते हैं, जिनमें कुल ३१ हजार विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं । खेती-बारीकी शिक्षाका प्रबंध तो अनगिनत विद्यालयोंमें है और यह विद्या सीखनेवालोंकी सख्त्या ६० हजारसे ऊपरहै । विविध धनोत्पादक धधोंकी शिक्षा पानेवाले इन ४ लाख विद्यार्थियोंके सामने हमारे व्यावसायिक विद्यालयोंके कुल ३५ हजार विद्यार्थियोंकी क्या विसात है । और जब हमारे १७ लाख ७० हजार जन, जिनमेंसे ७,७६,७६८ अठारह सालसे कमके हैं, खेतीसे ही जीविका चला रहे हैं तब हमारे कृषि-विद्यालयोंमें कुल जमा ३२५५ ही विद्यार्थी क्यों दिखाई देते हैं ? ”

श्री व्यूरो यह स्वीकार करते हैं कि जर्मनीकी यह सारी आश्चर्य-जनक उन्नति अकेले मृत्यु-सख्त्यासे जन्म-सख्त्याके अधिक होनेका ही फल नहीं है । पर कहते हैं, और ठीक कहते हैं, कि और अनुकूलताओंके साथ-साथ मरनेवालोंसे जन्म लेनेवालोंकी तादाद अधिक होना भी राष्ट्रके बढ़ने-पनपनेके लिए लाजिमी होता है । वस्तुतः वह जिस बातको सावित करता चाहते हैं वह यह है कि आवादीका बढ़ना देशके सभूद्धिलाभ और नैतिक प्रगतिका विरोधी नहीं है । जहा तक जन्म-सख्त्याका सवाल है, हिन्दुस्तानमें हमारी स्थिति फासकी जैसी नहीं है । पर यह कह सकते हैं कि यह जन्मकी अधिकता हमारे यहा राष्ट्रकी बाढ़में सहायक नहीं है, जैसा कि जर्मनीमें है । पर श्री व्यूरोके तथ्यों, अको और निष्कर्षोंकी दृष्टिसे भारतकी परि-

स्थिति पर हमे अलग अध्यायमें विचार करना होगा । इसलिए यहा इस विषयकी चर्चा अकर्तव्य है ।

जर्मनीकी परिस्थितिकी, जहा मृत्युसे जन्मकी सख्त्या बढ़ी हुई है, समीक्षा करनेके बाद श्री व्यूरो कहते हैं—“क्या हमे यह मालूम नहीं है कि राष्ट्रीय सपत्तिमें फ्रासका स्थान दुनियाके देशोमें चौथा है और तीसरे नवरवाले देशसे बहुत पीछे ? फ्रासने वाणिज्य-व्यवसायमें जो पूजी लगा रखी है उससे उसे सालाना २५ अरब फ्राककी आमदनी होती है, जर्मनी को ५० अरब-की होती है । हमारी जमीनकी मालियत ३५ बरस के अन्दर—१८७६ से १८१४ के बीच—४० अरब फ्राक घट गई—६२ अरबसे ५२ अरबकी हो गई । देशके सभी जिलोमें खेती-किसानीका धधा करनेवालों-की कमी है और कुछ जिलोकी दशा तो यह है कि जहा देखो वहा बूढ़े-ही-बूढ़े दिखाई देते हैं ।” वह और कहते हैं—“नैतिक उच्छृंखलता और व्यवस्थित प्रयत्नसे प्राप्त व्यवस्थाका अर्थ यह होता है कि समाजकी स्वाभाविक शक्तिया क्षीण हो जाय और सामाजिक जीवनमें बूढ़ोंका पक्का प्राधान्य स्थापित हो जाय । फ्रासमें हजार आदमी पीछे केवल १७० बच्चों-का औसत आता है, जब कि जर्मनीमें वह २२० और इंग्लैडमें २१० है । . . बूढ़ोंकी सख्त्याका अनुपात जितना होना चाहिए उससे अधिक है, और दूसरे लोग, जिन्होने नीति-रहित जीवन और प्रयत्न-प्राप्त-व्यवस्था-के फल-स्वरूप जवानीमें ही बुढ़ापेको बुला लिया है, गतवल राष्ट्रके सारे वृद्धजनोंचित् कायरपनमें हिस्सेदार हो रहे हैं ।

इसके बाद श्री व्यूरो कहते हैं—“हम जानते हैं कि फ्रासकी जनता-का ७०-८० प्रतिशत भाग अपने शासकोकी इस ‘धरेलू बात’ (ढोली-ढाली नीति) की ओरसे उदासीन है, क्योंकि किसीकी खानगी जिन्दगीके बारे-में पूछ-ताछ करना ठीक नहीं समझा जाता ।” और श्री लियो पोल्डमोनो-का निम्नलिखित उक्तिको बड़े खेदके साथ उद्धृत करते हैं—

“निन्दित बुराइयोंके निष्कासनके लिए युद्ध करना और उनसे पीछित जनोंना उद्वार करना प्रगसनीय कार्य है । पर उन लोगोंका क्या उपाय है जिनकी भीखता यह नहीं जान पाई है कि प्रलोभनोंसे अपनी अन्तरात्मा,

अपनी विवेकवृत्तिकी रक्षा किस तरह करनी चाहिए, जिनका साहस एक प्यार या छठनेकी एक भावभगीके सामने घुटने टेक देता है, . जो लज्जाको निलाजलि देकर, बल्कि शायद अपने इस कारनामेपर गर्व करते हुए, उस प्रतिज्ञाको भग करते हैं जो उन्होने अपनी युवा-कालकी जीवन-सगिनीके साथ बड़े उल्लाससे और विधि-विधानके साथ की थी, जो अपनी अति-रजित और स्वार्थमयी अहन्ताके अत्याचारसे अपने कुटुम्बियोंको त्रस्त किये रहते हैं ? ऐसे आदमी दूसरोंका उद्धार किस तरह कर सकते हैं ?”

श्री व्यूरो अपने कथनका उपसहार यो करते हैं—

“इस प्रकार हम चाहे जिधर निगाह डाले, हम सदा यही देखते हैं कि हमारे नीति-सदाचारके बन्धन तोड़ देनेका फल व्यक्ति, कुटुम्ब और समाज सबके लिए बहुत बुरा हुआ है, उससे हमारी इतनी हानि हुई है कि वह सचमुच अवर्णनीय है। हमारे युवा जनोंका कामुक आचरण, वेश्यावृत्ति, गन्दी पुस्तकों, चित्रोंके प्रचार और पैसे, बड़प्पन या भोग-विलासके लिए व्याह करना, व्यभिचार और तलाक, अपनेसे बुलाया हुआ वाभपन और गर्भपात—इन सबने मिलकर राष्ट्रका तेजवल नष्ट कर दिया और उसकी बाढ़ मार दी है। व्यक्तिमे शक्ति-सचयकी योग्यता नहीं रह गई और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वे सख्त्यामे कम होनेके साथ-साथ शारीरिक एवं मानसिक शक्तिमे भी पिछली पीढ़ियोंसे हीन होने लगे। ‘श्रीढ बच्चे और अधिक अच्छे स्त्री-पुरुष’का नारा उन लोगोंको मोह लेता है जो वैयक्तिक और सामाजिक जीवनके विषयमे अपनी जड़वादी दृष्टिके कैदखानेमे पड़े रहकर यह सोचा करते हैं कि हम आदमियोंकी नस्ल भी भेड़-वकरियों और घोड़ोंकी तरह पैदा की जा सकती है। आगस्त काम्तेने इन लोगोंपर तीखा व्यग्य करते हुए कहा था—‘अच्छा होता कि हमारे सामाजिक रोगोंका डलाज करनेके ये दावेदार पशु-वैद्य बने होते, क्योंकि व्यक्ति और समाज दोनोंकी जटिल मनोरचनाका समझ लेना तो उनके वशकी बात नहीं।’

“सच यह है कि मनुष्य जीवनमे जितनी भी दृष्टियोंको ग्रहण करता है, जितने भी निर्गच्छ करता है, जितनी भी आदतें लगाता है उन सबमे एक भी ऐसी नहीं, जो उसके वैयक्तिक और सामाजिक जीवनपर वैसा असर डाले

जैसा काम-वासनाकी तृप्तिके विषयमें उसकी दृष्टि, उसके निश्चयों और उसकी आदतोंका पड़ा करता है। चाहे वह उसको वशमें रखे या खुद उसके इगारे पर नाचता रहे, सामाजिक जीवनके दूर-से-दूर कोनेमें भी उसकी प्रतिघ्वनि सुनाई देगी, क्योंकि प्रकृतिका यह विधान है कि हमारे गुप्त-से-गुप्त और निजी-से-निजी कामकी प्रतिक्रिया भी अति व्यापक हो।

“इसी गुप्त विधानकी कृपासे जब हम नीति-नियमका किसी रूपमें उल्लंघन करने लगते हैं तो अपने-आपको यह भुलावा देनेकी कोशिश करते हैं कि हमारे कुर्कमका कोई अधिक बुरा फर्ज न होगा। खुद अपने वारेमें तो पहले हम उससे सन्तुष्ट होते हैं, क्योंकि अपनी रुचि या सुख ही हमारे उस कार्यका हेतु होता है। समाजके विषयमें हम सोचते हैं कि हमारी तुच्छ हस्तीसे वह डतना ऊचा है कि वह हमारे दुष्कर्मकी ओर आख उठाकर देखनेका कष्ट भी न करेगा। सर्वोपरि, हम मन-ही-मन यह आशा रखते हैं कि दूसरे सब लोग सच्चे और सदाचारी बने रहेंगे। सबसे बुरी बात यह है कि जबतक हमारा आचरण असाधारण और अपवाद-रूप कार्य होता है तबतक यह कापुरुषोचित आगा प्राय सफल होती रहती है। फिर इस सफलतासे फलकर हम बार-बार वही आचरण करने लगते हैं और जब उसे करना होता है उसे जायज मान लेते हैं। यही हमारे कर्मका सबसे बड़ा दण्ड है।

“पर एक वक्त आता है जब इस आचरणके द्वारा उपस्थित किया हुआ उदाहरण हमें और तरहसे धर्म-च्युत करनेका भी कारण होता है। हमारा हर एक दुष्कर्म ‘हूमरो’ में जिस धर्मनिष्ठताका हम विच्वास रखते आये हैं उसको अपनेमें पैदा करना अधिक कठिन, अधिक वीरोचित कार्य बना देता है। हमारा पडोसी भी बार-बार ठंगे जानेसे खीभकर हमारी नकल करनेको अधीर हो जाता है। बस उसी दिनसे हमारा अध पात प्रारम्भ होता है और हर आदमी यह सोच सकता है कि उसके दुष्कर्मोंके स्या-स्या दुष्परिणाम हो सकते हैं और उसकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है।

“अपने गुप्त कर्मको हम जिस तहखानेमें छिपा हुआ मानते थे उससे वह निकल आता है। उसमें अत प्रवेशकी शक्ति होती है जिससे वह समाजके

अगोमे व्याप्त हो जाता है। सभी सबके रोपका फल भुगतते हैं, क्योंकि हमारे कर्मोंका प्रभाव भवरसे उठनेवाली नहीं लहरोंकी तरह समाज-जीवनके दूर-से-दूरके कोनों तक पहुचता है।

“नीति-नाश जातिके रस-स्रोतोंको तुरत सुखा देता है और जवानोंको झटपट बुढ़ापेंकी ओर ढकेलकर शरीर और मन दोनोंसे निर्वल बना देता है।”

## ४ : इलाज—संयम और ब्रह्मचर्य

नीति-नाश और गर्भनिरोधके कृत्रिम साधनोंके उपयोगसे उसकी वृद्धि तथा उसके भयावह परिणामोंकी चर्चा करनेके बाद श्री व्यूरोने इस बुराईको दूर करनेके उपायोंपर विचार किया है। उन्होंने पहले कानून-कायदोंकी मदद-में इसे रोकनेके प्रश्न और उनकी आवश्यकतापर विचार किया है और उन्हें नितात व्यर्थ बताया है। पुस्तकके इस अशकी चर्चा मुझे छोड़ देनी होगी। उसके बाद उन्होंने अविवाहितके लिए ब्रह्मचर्यकी, मानव जातिका जो बहुत बड़ा भाग सदाके लिए अपनी काम-वासनाको जीत नहीं सकता उसके लिए व्याहकी, विवाहित स्त्री-पुरुषके लिए एक-दूसरेके प्रति सच्चा, वफादार रहने तथा विवाहित जीवनमें सयमकी और इनके पक्षमें लोकमत तैयार करनेकी आवश्यकतापर विचार किया है। “ब्रह्मचर्य स्त्री-पुरुषकी प्रकृतिके विरुद्ध है और उनके स्वास्थ्यके लिए हानिकारक है। वह व्यक्तिकी स्वतंत्रता और उसके सुखपूर्वक जीने तथा जिस जगह चाहे रहने-सहनेके अधिकार-पर असह्य आघात है।” इस तर्ककी उन्होंने समीक्षा की है। वह इस मिटातको सही माननेसे इन्कार करते हैं कि ‘जननेद्विय भी और इद्रियों पैसी हैं और उन्हें भी काम मिलना ही चाहिए।’ वह पूछते हैं—“ऐसा है तो हमारी नकल्प-शक्तिको जो काम-वासनाको पूरी तरह रोक रखनेकी अग्निप्राप्त है, उसने या इस तथ्यसे हम इसका मेल किस तरह बैठायगे कि जामदामनाश जगना उन अग्नित उत्तेजनाओंका फल होता है जिन्हे हमारी सत्त्वता वय प्राप्तिके कर्त्त दरस पहले ही हमारे नवयुवको और नवपूर्तियोंपर रिए जुटा देती है?”

स यमसे स्वास्थ्यकी हानि नहीं होती, बल्कि वह स्वास्थ्यके लिए आवश्यक है और सर्वथा साध्य है। इस दावेकी पुष्टिमे, पुस्तकमे जो बहुमूल्य डाक्टरी शहादते इकट्ठी की गई है, उन्हे उद्धृत करनेका लोभ मैं रोक नहीं सकता।

टर्विंगन विद्यापीठ (जर्मनी) के प्रोफेसर ओस्टरलेन लिखते हैं—“काम-वासना इतनी प्रवल नहीं होती कि नीति-बल और विवेकसे वह दवाई, बल्कि पूरी तरह वशमे न लाई जा सके। युवतियोकी तरह युवकोको भी योग्य वय प्राप्त होने तक उसे कावृमे रखना सीखना चाहिए। उन्हे जानना चाहिए कि इस इच्छाकृत त्यागका फल तगड़ा शरीर और हमेशा ताजादम बना रहनेवाला बल-उत्साह होता है।”

“इस बातको चाहे जितनी बार दुहराइये, अधिक न होगा कि भोग-विलास और पूर्ण पवित्र-जीवनका शरीरशास्त्र (फिजियालोजी) और नीतिशास्त्रके नियमोके साथ पूरा मेल है, और असयत विषय-भोगका शरीरशास्त्र तथा मानसशास्त्र भी उतना ही विरोध करते हैं जितना धर्म और नीति।”

लदनके रायल कालिजके प्रोफेसर सर लायोनल बील कहते हैं—“श्रेष्ठ पुरुषोके उदाहरणोसे यह बात सदा सिद्ध हुई है कि हमारी सबसे दुर्दम वासनाए दृढ़ और पक्के सकल्पसे और रहने-सहनेके तरीके तथा काम-धर्वेके बारेमे काफी सावधानी रखकर कावृमे लाई जा सकती है। ब्रह्मचर्यसे कभी किसीको हानि नहीं हुई वगतोंकि वह किसी तरहकी लाचारीसे नहीं बल्कि खुबीसे अपनाई हुई जीवन-विधिके रूपमे धारण किया गया हो। सार यह है कि कीमार्य इतना कठिन नहीं है कि चल न सके, पर शर्त यह है कि वह मनकी अवस्था-निशेषकी वाह्य अभिव्यक्ति हो। ब्रह्मचर्यका अर्थ केवल इन्द्रिय-सयम नहीं होता, मनके भावोका निर्मल होना और वह शक्ति भी होती है जो पक्के विश्वाससे मिला करती है।”

स्विट्जरलैंडके मानसशास्त्री फारल कामसवधी अनियमितताओकी चर्चा कैसे सौम्य भावमे करता है—जो उसके पाण्डित्यके सर्वथा अनुरूप है। वह कहता है—“व्यायामसे नाड़ी-स्थानकी हर एक क्रिया तेज और सशक्त होती है। इनके विपरीत अगविशेषकी निष्क्रियता उस उत्तेजित करनेवाली

वातोका असर घटा देती है। काम-प्रवृत्तिको छेडनेवाली सभी वाते भोगकी इच्छाको भड़काती है। इन उत्तेजनाओंसे वचते रहे तो वह कुछ मन्द हो जाती है और धीरे-धीरे बहुत घट जाती है। युवक-युवतियोंमें यह खयाल फैला हुआ है कि सब्यम प्रकृतिविरुद्ध और अनहोनी वात है। पर बहुसख्यक जन, जो उसका पालन कर रहे हैं, इस वातको सिद्ध कर रहे हैं कि स्वास्थ्य-की किसी तरह हानि किये विना ब्रह्मचर्यका पालन किया जा सकता है।”

रिविंगका कहना है—“२५, ३० या इससे भी ऊची उम्रके कितने ही व्यक्तियोंको मैं जानता हूँ, जिन्होंने पूर्ण ब्रह्मचर्यका पालन किया या जिन्होंने व्याह होने तक उस नियमको निवाहा। ऐसे लोग इन-गिने नहीं हैं, हाँ वे अपना ढिढोरा नहीं पीटते फिरते। मुझे तन-मन दोनोंसे स्वस्थ कितने ही विद्यार्थियोंके गोपनीय पत्र मिले हैं, जिन्होंने मुझे इसलिए कोसा है कि विषय-वासनाओं वशमें लाना कितना सहज है, इसपर मैंने उतना जोर नहीं दिया जितना देना चाहिए था।”

डाक्टर एवटन कहते हैं कि “व्याहके पहले युवकोंको पूर्ण ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहिए।”

ब्रिटिश राज-दरबारके चिकित्सक सर जेम्स पेजेटका कहना है कि “ब्रह्मचर्यसे जिस तरह आत्माकी हानि नहीं होती, उसी तरह शरीरकी भी नहीं होती। सब्यम सर्वश्रेष्ठ आचार है।”

डाक्टर ई० पेरिये लिखते हैं—“पूर्ण ब्रह्मचर्यको तन्दुरस्तीके लिए सतरनाक मानना एक विचित्र भ्रम है। इस भ्रमकी जड़ खोद डालनी चाहिए, क्योंकि यह वच्चोंके ही नहीं वापोंके मनको भी विगाड़ रहा है। ब्रह्मचर्य युवकोंके लिए शारीरिक, माननिक और नैतिक तीनों दृष्टियोंसे क्वच-स्वय है।”

गर एंड्रू कर्गर्क कहते हैं—“नयमसे कोई हानि नहीं होती, शरीरकी दार्दमें वापा नहीं होती। वह शक्तिको बढ़ाता और मन-इन्द्रियोंको सतेज प्रदाता है। बन्धम मन-इद्रियोंको दनमें रखनेकी शक्ति घटाता, हिन्दूईकी धारा गाता, जीवनकी भारी क्रियाओंको मद करता और विगाज्ता और ऐसे दोगोंसे निम्नदण देता है जिनकी विरासत कई पीटियों तक चली जाय।

कामवासनाकी असयत तृप्ति युवकोके स्वास्थ्यके लिए आवश्यक है, यह कहना भूल ही नहीं उनके प्रति अत्याचार भी है। यह कथन असत्य और हानिकर दोनों है।”

डाक्टर सर ब्लेड लिखते हैं—“असयत विषयभोगकी वुराइया निर्विवाद है, पर सयमकी वुराइया कपोलकल्पना मात्र है। पहलीके विवेचनमें बड़े-बड़े पोये लिखे गए हैं, पर दूसरीको अभी तक अपना इतिहास लिखनेवाले-का इन्तजार है। सयर्से होनेवाली हानिके बारेमें जो कुछ कहा जाता है, वह कुछ गोल-मटोल बातें हैं जिन्हे वातचीतके दायरेके बाहर आने और समीक्षाकी कसीटीपर चढ़नेकी हिम्मत नहीं होती।”

डाक्टर मोते गाजा ‘लाजिफियालोजी देलामूर’ (कामका शरीरशास्त्र) नामकी पुस्तकमें लिखते हैं—“ब्रह्मचर्यसे किसीको कोई रोग हुआ हो यह अवतक मैंने नहीं देखा। सभी लोग, खासकर युवा पुरुष, उसके तुरत होनेवाले लाभोंका अनुभव कर सकते हैं।”

वर्न (स्विट्जरलैंड) के नाडीसस्थानके रोगोंकी चिकित्साके यशस्वी अध्यापक डाक्टर दुबाँय लिखते हैं—“नाडीसस्थानकी दुर्बलता—दिल-दिमागकी कमजोरीके मरीज जितने उन लोगोंमें मिलते हैं, जो अपनी कामवासनाकी लगाम विलकुल ढीली किये रहते हैं, उतने उन लोगोंमें नहीं जो जानते हैं कि अपनी पाशव-प्रवृत्तियोंकी गुलामीसे कैसे बचा जा सकता है। विसेन्ट अस्पतालके चिकित्सक डाक्टर फेरे उनकी इस शहादतकी पूरी तरह पुष्ट करते हैं। वह कहते हैं कि जो लोग अपने मनको निर्मल रख सकते हैं वे अपने स्वास्थ्यकी ओरसे निर्भय रहकर ब्रह्मचर्यका पालन कर सकते हैं। स्वास्थ्य कामवासनाकी तृप्तिपर अवलवित नहीं होता।

प्रोफेसर आलफ्रेद फ्रॉन्ये लिखते हैं—“ब्रह्मचर्य रखनेसे युवकोके स्वास्थ्यके लिए खतरा होनेके बारेमें कुछ अयुक्त और गम्भीरतारहित बातें कही जाती हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये खतरे अगर मचमुच हैं तो मैं उनके बारेमें विलकुल ही अनजान हूँ और एक चिकित्सककी हैसियतमें मुझे अवतक उनके अस्तित्वका प्रमाण नहीं मिला है, यद्यपि अपने धर्मेके सिलसिलेमें मुझे उनकी जानकारी होनेका पूरा मौका हासिल

था । इसके सिवा शरीर-शास्त्रका अध्ययन करनेवालेकी हैसियतसे मैं यह भी कहूगा कि मोटे हिसाब २१की उम्रके पहले सच्चा वीर्य या पुरुषत्व नहीं प्राप्त होता, और दूषित उत्तेजनाए कामवासनाको समयसे पहले जगा न दे तो तबतक सहवासकी आवश्यकता भी नहीं पैदा होती । कामवासनाका समयसे पहले जगना अस्वाभाविक बात है और आम तौरसे बच्चोंका लालन-पालन गलत तरीकेसे किये जानेका फल होता है ।

“कुछ भी हो इतना तो पक्का समझिये कि काम-वासनाको समयसे पहले जगाने और तृप्त करनेमें जितना खतरा होता है उसे रोकने-दबानेमें उससे कही कम होता है ।”

ये अति प्रामाणिक शहादतें, जो आसानीसे बढ़ाई जा सकती हैं, पेश करनेके बाद श्री व्यूरो अन्तमे वह प्रस्ताव उद्धृत करते हैं जिसे १६०२ ई० मेरे ब्रसेल्स (बेल्जियम) मेरुए रोगोंसे बचनेके उपायोपर विचार करनेवाले दूसरे सार्वदेशिक सम्मेलनमें उपस्थित १०२ चिकित्सा-पडितोंने एक मतसे स्वीकार किया था । इस सम्मेलनके प्रतिनिधि अपने विषयके दुनियामे सबसे अधिक प्रामाणिक पडित थे । प्रस्तावका भाव यह है— “युवकोंको यह बता देना और सब शिक्षाओंसे अधिक आवश्यक है कि सयम और ब्रह्मचर्यसे उनके स्वास्थ्यकी कोई हानि नहीं हो सकती; बल्कि शुद्ध चिकित्सा-शास्त्र और स्वास्थ्य-विज्ञानकी दृष्टिसे भी इन गुणोंको अपनानेकी उनसे पूरे जोरके साथ सिफारिश की जानी चाहिए ।”

अनन्तर श्री व्यूरो लिखते हैं—“क्रिस्टियानिया (नारवे) विद्यापीठ के चिकित्सा-विभागके अध्यापकोंने कुछ वरस पहले सर्वसम्मतिसे यह घोषणा की थी कि ‘सयमका जीवन स्वास्थ्यकी हानि करनेवाला है’ यह कथन हमारे सर्वस्वीकृत अनुभवके अनुसार निराधार है । पवित्र और सदाचारयुक्त जीवनसे कोई हानि होनेकी बात हमें मालूम नहीं ।”

“इस प्रकार सारा मुकदमा सुन लिया गया और समाजशास्त्री तथा नीतिशास्त्री अव श्री रूइसाके स्वरमे स्वर मिलाकर इस बुनियादी और शरीरशास्त्र द्वारा अनुमोदित सत्यकी घोषणा कर सकते हैं कि ‘काम-वासना आहार और अगोसे काम लेनेकी आवश्यकताओं जैसी वस्तु नहीं है जिसका

एक खास हृद तक तृप्ति होना आवश्यक हो। यह सत्य है कि कुछ असाधारण कोटिके, किसी तरहकी विकृतिसे पीड़ित जनोंको छोड़कर, और सभी स्त्री-पुरुष संयम, पवित्रताका जीवन विता सकते हैं, इससे न उनके जीवनमें कोई बड़ा उपद्रव उपस्थित होगा और न कोई क्लेश ही होगा। इस बातको जितनी बार भी दुहराए अधिक न होगा, क्योंकि ऐसी वुनियादी सचाइयोंकी उपेक्षा होना सामान्य बात है, कि ब्रह्मचर्यके पालनसे साधारण स्त्री-पुरुषोंको, जिनके तन-मनकी बनावटमें कोई खास खराबी नहीं है—और १०० में ६८-६६ ऐसे ही लोग होते हैं—कभी कोई रोग कष्ट नहीं होता, पर अनेक भयानक और सर्वविदित बीमारिया अस्यत विषय-भेगका ही प्रसाद होती है। शुक्र-शोणितके अतिरेकका अति सरल और अचूक उपाय प्रकृतिने स्वप्नदोष और रजोधर्मके रूपमें कर ही दिया है।

“अत डाक्टर बीरीका यह कहना बिलकुल सही है कि यह प्रश्न किसी सच्ची प्राकृतिक प्रेरणा या आवश्यकताकी तृप्ति-पूर्तिका नहीं है। हर आदमी जानता है कि क्षुधा की तृप्ति न करने या सास लेना बन्द कर देनेका दण्ड उसे क्या मिलेगा। पर कोई किसी तात्कालिक या लम्बी बीमारीका नाम नहीं बता सकता जो थोड़े दिनों तक या यावज्जीवन ब्रह्मचर्य-पालनसे पैदा होती हो। साधारण जीवनमें हम ऐसे ब्रह्मचर्यधारियोंको देखते हैं जिनका चरित्र किसीसे कम बलबान् नहीं है, जिनका शरीर भी दूसरोंसे कम तगड़ा नहीं और व्याह करे तो सन्तानोत्पादनके सामर्थ्यमें भी किसीसे पीछे नहीं है। जिस आवश्यकतामें इतना उतार-चढ़ाव हो सकता है, जो नैसर्गिक प्रेरणा-तृप्तिके अभावको इतनी आसानीसे सह लेती है, वह न आवश्यकता हो सकती है न प्रकृतिसे प्राप्त प्रेरणा।”

“कामवासनाकी तृप्ति बढ़नेवाली वयके बालककी किसी शारीरिक आवश्यकताकी पूर्ति नहीं करती, बल्कि उलटे पूर्ण ब्रह्मचर्य ही उसकी साधारण बाढ़-विकासके लिए अत्यावश्यक है, और जो लोग उसको भग करते हैं वे अपने स्वास्थ्यकी कभी पूरी न हो सकनेवाली हानि करते हैं। कोई बालक या बालिका जब जवान होने लगती है तो उसके तन-मनमें बहुतमें गहरे उलट-फेर होते हैं, अनेक शारीरिक क्रियाओंमें सच्ची गड़बड़

पैदा हो जाती है। सारा शरीर बढ़ता, पुष्ट होता है। किशोर अवस्थावाले बालकको अपनी सारी शक्ति बटोर रखनेकी जरूरत होती है, क्योंकि इस उम्रमें अक्सर रोगोंका आक्रमण रोकनेकी शक्ति घट जाती है और इस उम्रवाले और छोटी उम्रवालोंकी तुलनामें अधिक बीमार होते तथा मरते हैं। शरीरकी सामान्य बाढ़का लम्बा काम, विभिन्न अगो, इन्द्रियोंका विकास, देह और मनमें लगातार होनेवाले वे बहु-सत्यक परिवर्तन जिनके अन्तमें बालक पुरुष बनता है, ये सब ऐसे काम हैं जिनके लिए प्रकृतिको गहरी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नाजुक वक्तमें हर तरहका अतिरेक, किसी भी अग-इन्द्रिय-से अधिक काम लेना, खतरनाक है, जननेन्द्रियका समयसे पहले उपयोग तो खास तौरसे खतरनाक है।”

#### ५ : व्यक्ति-स्वातन्त्र्यको दलील

ब्रह्मचर्यके शारीरिक लाभोंकी चर्चा करनेके बाद श्री व्यूरो उसके नैतिक और मानसिक लाभ बतानेके लिए प्रोफेसर मोतेगाजाकी पुस्तकका निम्नलिखित अश उद्धृत करते हैं—

“सभी लोग, खासकर युवक, ब्रह्मचर्यके तत्काल होनेवाले लाभोंका अनुभव कर सकते हैं। स्मृति स्थिर और धारक, मस्तिष्क सजीव और उद्भावनाक्षम हो जाता है। सकल्प-शक्ति सबल-सतेज हो जाती है। सारे चरित्रमें वह बल आ जाता है कामुक जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्यका तिनपहला शीशा हमारे आसपासकी सारी चीजोंको, हमारी दुनियाको जैसे स्वर्गीय रगोंसे रजित कर देता है वैसा और कोई कलम नहीं कर सकती। विश्वकी छोटी-से-छोटी चीजें भी वह अपनी किरणोंसे आलोकित कर देता है, हमें उस नित्य सुखके शुद्धतम आनन्दमें पहुंचा देता है जो न घटना जानता है और न छीजना। ब्रह्मचारीका आनन्द, हार्दिक उल्लास और प्रसन्नतासे भरा आत्मविश्वास और उसके विषयवासनाके गुलाम साधियोंके वेचैन किये रहनेवाले बद्धमूल विचार और बौखलाहटमें कैसा दिन-रातका-सा अन्तर है !”

सथमके लाभोंकी कामुकता और ऐयाशीके कुपरिणामोंसे तुलना करते

हुए लेखक कहता है—“संयमसे पैदा होनेवाले किसी रोगका नाम कोई नहीं बता सकता, पर असंयम विषयभोगसे होनेवाली डरावनी बीमारियोंको कौन नहीं जानता ? देह तो सड़ी-गली चीज बनती ही जाती है, कल्पना-विक्ति, हृदय और बुद्धिकी दशा और भी बुरी हो जाती है। हर तरफसे चरित्रके पतन, युवकोंकी उदाम कामुकता और स्वार्थपरताकी बाढ़का रोना सुनाई देता है।”

यह तो हुई वीर्य-व्ययकी तथोक्त आवश्यकता और उसके कारण व्याहूके पहले युवकोंके नीतिकी लगाम कुछ ढीली रखनेके औचित्यकी बात। इस आजादीके हिमायती यह भी कहते हैं कि कामवासनाका नियत्रण मनुष्यके अपने गरीरसे चाहे जिस तरह काम लेनेकी स्वतंत्रताका हरण है। लेखक सबल दलीलोंसे यह सिद्ध करता है कि समाजगास्त्र और मानसशास्त्रकी दृष्टिसे यह रोक आवश्यक है। वह कहता है—

“सामाजिक जीवन केवल वहुविध सबधोका एक जाल, क्रियाओं और प्रतिक्रियाओंका ताना-वाना है। उसके बीच कोई ऐसा काम हो ही नहीं सकता जिसे हम दूसरोंसे विलकुल अलग, असम्बद्ध कह सके। हम जो कुछ भी करनेका निश्चय या यत्न करे, हमारी अखण्डता, हमारा एक-दूसरेसे लगा-जुड़ा होना हमारे निश्चय और कार्यका सबध हमारे भाइयोंके विचारों और कार्योंसे जोड़ देगा। हमारे छिपे विचार और छन भरके लिए मनमे उठनेवाली कामवासनाकी प्रतिघटनि भी इतनी दूर तक पहुंचती है कि हमारा मन उस दूरीका अदाज़ा नहीं कर सकता। सामाजिकता मनुष्यका ऐसा गुण नहीं है जो बाहरसे लिया गया हो या जिसका काम किसी और गुप्त वृत्तिका पोषण मात्र हो। वह तो उसका सहज गुण है, उसकी मनुष्यताका ही अग है। वह सामाजिक इसीलिए है कि वह मनुष्य है। हमारे कामोंका दूसरा कोई भी मैदान इसके जितना सच्चे अर्थमें हमारा अपना नहीं। शरीरशास्त्र और नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति, बुद्धि और सीन्द्र्य-भावनाके कार्य-क्षेत्र, हमारे धार्मिक और सामाजिक कार्य—मभी एक विश्वव्यापी विवानके साथ रहस्यभरे सूत्रोंसे बधे और अनिर्दिष्ट नववोंसे जुड़े हुए हैं। यह बधन इतना दृढ़ है, जाल इतना गठकर

वुना हुआ है कि वेचारा समाजशास्त्री सम्पूर्ण देश और कालको अतिक्रमण करके उसके सामने खड़ी इस विराट्‌सत्ताको देखकर कभी-कभी चक्करमे आ जाता है। वह एक ही निगाहमे इसका अदाजा कर लेता है कि कुछ विशेष अवस्थाओंमे व्यक्तिकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है, और कुछ सामाजिक हल्के उसे जो आजादी देनेके इच्छुक हो सकते हैं उसे स्वीकार कर वह किस तरह ध्युद्र बन जानेकी जोखिम उठाता है।”

लेखक और कहता है—“अगर हम कह सकते हैं कि कुछ खास हालतोंमे हमे सड़कपर थकनेकी आजादी नहीं है. .तो अपनी कामशक्ति, अपने वीर्यको जिस तरह चाहे खर्च करनेका अधिकार, जो उससे अधिक महत्त्वकी वस्तु है, हमे केसे मिल सकता है? क्या यह अवित अखण्डताके विश्वव्यापी विधानके बाहर है? उलटा हर आदमी यह देख सकता है कि उक्त क्रियाके आत्यन्तिक महत्त्वके कारण वैयक्तिक कार्यकी समाजपर होनेवाली प्रतिक्रिया और बढ़ जाती है। इस नवयुवक और नवयुवतीको देखिये जिन्होंने अभी-अभी वह नाजायज सबध जोड़ा है जिसका रूप पाठक को जात है। उन्होंने मान लिया है कि इस समझौतेका सबध केवल उन्हींसे है, और किसीसे नहीं। अपनी स्वाधीनताके भ्रममे वे यह मान लेते हैं कि हमारे निजी और गुप्त कार्योंसे समाजको कोई वास्ता-सरोकार नहीं, और वे उसके नियन्त्रणसे विलकुल बाहर हैं। ऐसा सोचना उनकी निरी खामखयाली है। समाजकी जो अखण्डता एक राष्ट्रके लोगोंको और उससे भी आगे जाकर सम्पूर्ण मानव-जातिको एक लड़ीमे पिरोती है उसे सभी तरहकी दीवारो—यथनागारोंकी दीवारोंका भेदन करनेमे भी कोई कठिनाई नहीं होती। परत्त्पर-संबंधकी एक जवर्दस्त जजीर हमारे निजी माने जानेवाले कार्योंको जिसे समाज-जीवनके विघटनमे वे सहायक हो रहे हैं उसके हजारों कोस दूरके गर्भ-कलगपोंके जाय भी जोड़ देती है। हर आदमी जो यह कहता है कि—किनीके साथ कुछ दिनोंके लिए या गर्भ-वारणका वचाव करते हुए पति-पत्नी नंदप स्वापित करनेका अधिकार है, उसे इसकी आजादी है कि प्रकृतिने प्राप्त अपनी जनन-गवित—अपने वीर्यका—केवल अपने बानदके लिए उपयोग नहीं, वर चाहे या न चाहे पर वह नमाजके बदर भेद-विलगाव और

विश्रृखलताके बीज वो रहा है । हमारी सभी सामाजिक स्थिति हमारी स्वार्थपरता और उनके प्रति अपने कर्तव्यके अपालनसे विकृत तो हो ही रही है, वे यह मान लेती हैं कि कामवासनाकी तुष्टिके साथ जो जिम्मेदारी आती है हर आदमी उसे खुशीसे उठा लेगा । इस स्वीकृतिको मानकर ही समाजने श्रम और सपत्ति, मजदूरी और वरासत, कर और सैनिक रूपमें राष्ट्रकी सेवा आदि अगणित व्यवस्थाएं बनाई हैं । पार्लमेटके चुनावमें मत देनेका अधिकार और नागरिक स्वतंत्रताके इस बोझको उठानेमें अपना कदम लगानेसे इनकार करके व्यक्ति सामाजिक समझौतेके मूल तत्वपर ही हरताल फेरता है, और चूंकि वह ऐसा करके दूसरोका बोझ और बढ़ा देता है इसलिए वह दूसरोका शोषण करनेवाले, दूसरोकी कमाईपर जीनेवाले चोर और ठगसे अच्छा कहलानेका अधिकारी नहीं है । हम अपनी और सभी शक्तियोके समान अपनी शारीरिक शक्तिके सदृपयोगके लिए भी समाजके सामने जवाबदेह हैं, और चूंकि वह निहत्था और वाहरी दबावके साधनोसे लगभग विलकुल ही रहित होनेके कारण उस शक्तिको समझदारीके साथ और समाजके भलेका ध्यान रखते हुए काममें लानेका भार हमारे सद्भावको ही सीप देनेको लाचार है, इसलिए हमारी यह जिम्मेदारी और बड़ी मानी जा सकती है ।

लेखक मानसशास्त्रके आधारपर भी अपनी वात उतनी ही जोरसे कहता है । उसका कहना है—“स्वाधीनता ऊपरसे देखनेमें तो राहत या कट्टसे छुटकारा है, पर वास्तवमें वह एक भारी बोझ है । यही उसकी महत्ता भी है । वह हमें वाधती और विवश करती है । जितनी कोशिश करना हर आदमी पर फर्ज है, वह उससे अधिक करनेका आदेश देती है । व्यक्ति स्वाधीन होना चाहता है, अपनी स्वतंत्रताका विकास करके अपने आपको व्यक्त करने, अपनी आकाक्षाओंको कार्यरूप देनेकी इच्छा उसके अतरमें प्रज्वलित है । यह काम देखनेमें तो बहुत सहल और बहुत सीधा जान पड़ता है । पर पहला ही अनुभव उसे बता देता है कि वह कितना टेटा और पेचीदा है । एकता हमारी प्रकृति और हमारे नैतिक जीवनकी प्रवान विशेषता है । हम अपने अतरमें वहविध और परस्पर-विरोधिनी

प्रेरणाओं का अनुभव करते हैं; उनमें से हर एकमें हमें अपने-आपका पता होता है। फिर भी हर बात हमें बताती है कि हमें उनमें कुछ का ग्रहण और कुछ का त्याग करना होगा। युवा पुरुष, तुम कहोगे कि मैं अपनी इच्छाओं, विचारों का जीवन बिताना चाहता हूँ, अपने-आपको व्यक्त करना चाहता हूँ। पर महान् शिक्षक फारेस्टर के शब्दों में हम तुमसे पूछते हैं कि तुम अपने व्यक्तित्व के किस भाग को कार्यरूप देना चाहते हो? उसका कौन-सा अश अच्छा है—जो तुम्हारी मानसशक्ति का केन्द्र है वह या वह जो तुम्हारी प्रकृतिमें सबसे नीचे रहता है, उसका वासनामय भाग? अगर यह बात सच है कि व्यक्ति और समाज दोनों की प्रगति का आधार अध्यात्मभाव की उत्तरोत्तर वृद्धि और जड़ प्रकृतिपर आत्माका पूर्ण प्रभुत्व है तो हमारा चुनाव क्या होगा, यह निश्चित है। पर हर हालमें हममें कर्म-शक्ति तो होनी ही चाहिए, और यह काम आसान नहीं है। इसके जवाबमें शायद तुम कहो कि मुझे चुनाव नहीं करना है—एकको अपनाने दूसरेको छोड़नेके पचड़ेमें नहीं पड़ना है। मुझे तो अपने जीवनको अखण्ड सत्ताके रूपमें ही उपलब्ध करना है। ठीक है, पर याद रखो, यह निश्चय खुद ही एक चुनाव है। क्योंकि यह मेल विघ्नहें बाद बना है। अमर जर्मन कवि गेटेने कहा था ‘मरकर जन्मो’ और यह शब्द ११०० साल पहले कहे हुए हजरत ईसाके इस वजनकी प्रतिध्वनि मात्र है—‘तथास्तु, मैं तुमसे कहता हूँ कि धरतीपर गिरनेवाला गेहूँका दाना जवतक मरता नहीं वह अकेला रहता है। पर वह मरता है तो वहुतसे नए दाने पैदा कर देता है।’

श्री जब्रील सीले लिखते हैं—“हम मर्द बनना चाहते हैं” यह कहना तो बहुत आसान है। पर यह अधिकार कर्तव्य, कठोर कर्तव्य बन जाता है जिसके पालनमें कमोवेश सभी विफल होते हैं। हम आजाद होना चाहते हैं, इसकी घोषणा हम धमकीके लहजेमें करते हैं। आजादीका मतलब अगर यह हो कि हम जो जीमें आये वह करें, अपनी पशु-प्रवृत्तियोंके गुलाम हो जाय, तो यह स्वाधीनता हमारे गर्वकी वस्तु न होनी चाहिए। हा, अगर हम सच्ची स्वाधीनताकी बात कह रहे हों तो हमें कभी समाप्त न होनेवाले नियामके लिए कमर कस लेनी चाहिए। हम अपनी एकता, भीतर-वाहरसे

विलकुल एक होने और स्वाधीनताकी वाते करते हैं और गर्वके साथ मान लेते हैं कि हम ईश्वरके अमर पुत्र हैं। पर दुख है कि इस आत्माको अगर हम पकड़ना चाहते हैं तो वह हमारी पकड़के बाहर हो जाती है। वह ऐसी असम्भव वस्तुओंका समूह वन जाती है जो एक-दूसरेके अस्तित्वको अस्वीकार करती है, वह परस्परविरोधी इच्छाओंकी खीचातानीका भूला भूलती रहती है। वह जिस स्वाधीनताके उपभोगका दावा करती है वह गुलामीके सिवा और कुछ नहीं। पर वह उसे गुलामी लगती नहीं, इसलिए वह उसका विरोध नहीं करती।”

स्टडसॉ कहते हैं—“संयम शातिसे भरा हुआ गुण और असंयम दुर्जय दोषोंको निम्रण देनेवाला दुर्गुण। काम-वासनाका जगना यो तो हर समय कष्टका कारण होता है, पर युवावस्थामें तो वह एक मूलगत विकृति, इच्छाग्वित और इन्द्रियोंके सन्तुलनके सदाके लिए विगड़ जानेका सकेत हो सकता है। किसी नवयुवकका किसी स्त्रीके साथ प्रथम सम्पर्क उसे जीवनका एक क्षणिक अनुभव-सा जान पड़ता है, पर वह नहीं जानता कि वह वास्तवमें अपने शारीरिक, मानसिक और नैतिक तीनों जीवनोंके साथ खिलवाड़ कर रहा है। वह नहीं जानता कि यह वासना अब प्रेतकी तरह उसका पीछा करेगी—घर, दफ्तर, जलसा, दावत हर जगह उसको परेशान करेगी, यह दूसरेके मनपर उसकी विजय उसके लिए इन्द्रियोंकी जन्मभरकी गुलामी वन जायगी। हम जानते हैं कि कितने खिलते जीवन, कितने ‘हीनहार विरवे’ इस भक्तामें भुलस गये, जिसका आरम्भ उनके पहले नैतिक पतन, ब्रह्मचर्यके प्रथम भग्से हुआ।”

एक यशस्वी कविकी ये प्रकृतिया इस दार्शनिकके इस वचनकी प्रतिध्वनि है—

“मनुप्यकी आत्मा एक गहरा वरतन है। उसमें पड़नेवाली बूदे नमल हो तो सारे समुद्रका पानी भी उस धब्बेको धो नहीं सकता।” (भावार्थ)

ग्नामगो विद्यापीठके शरीरशास्त्रके अध्यापक जान जी० एम० कड़िक की, जो अपने विषयके प्रस्त्यात पठित हैं, यह सलाह भी उसकी बैसी ही प्रतिध्वनि है—“उगती हुई कामवासनाकी तृप्ति अविहित नीति-दोष ही नहीं

है, शरीरकी भयानक क्षति भी है। इस वासनाके आदेशका तुमने एक बार पालन किया कि फिर उसका निरक्षु शासन तुम्हारे ऊपर स्थापित हुआ। अपनेको दोषी समझनेवाला तुम्हारा मन उसका हुक्म बजानेमें सुख भोगेगा और उसे और बेकही बना देगा। उसकी आज्ञाका प्रत्येक पालन आदतकी जजीरमें एक नई, कड़ी बनता जायगा। वहुतोमें इस वेडीको तोड़नेका बल नहीं होता और वे अपने तन-मनका बुरी-तरह नाश कर डालते हैं। वे अपनी आदतके गुलाम हो जाते हैं, जो आमतौरसे मनकी किसी विकृतिके कारण नहीं बल्कि ज्ञानवश ही लग जाती है।”

इस मतकी पुस्टिमें श्री व्यूरो डाक्टर एस्कादे की यह उक्ति उच्छृत करते हैं—

“कामवासनाके बारेमें हम जोर देकर कहते हैं कि बुद्धि और सकल्पशक्ति उसे पूरी तरह बसमें रख सकती है। यहा वासना शब्दका ही व्यवहार उचित है, शारीरिक आवश्यकता या हाजतका नहीं, क्योंकि वह शरीरकी ऐसी मांग नहीं है जिसकी पूर्ति किये बिना हम जिदा न रह सके। सच तो यह है कि वह हाजत है ही नहीं। पर वहुतेरे उसे हाजत मानते हैं। इस वासना या इच्छाका जो अर्थ वे करते हैं वह उन्हे सहवासको जीवनकी अनिवार्य आवश्यकता माननेको मजबूर करता है। यहाँ हम कामवासनाकी उस तृप्तिका विचार नहीं कर रहे हैं जो प्रकृतिके नियमके सामने सिर झुका देनेका फल होती है, जो हम स्वभावके वश होकर करते हैं। हमारा मतलब तो उस अपनी इच्छासे किये जानेवाले कामसे है जो हमारे सकल्प या मनकी मौन सम्मतिसे किया जाता है, जिसे हम अकसर पहलेसे सोचे हुए होते हैं और उसकी तैयारी भी कर रखते हैं।”

## ६ : आजीवन ब्रह्मचर्य

व्याहके पहले और पीछे भी ब्रह्मचर्य-पालनकी आवश्यकतापर जोर देने और वह न हो सकनेवाला या किसी तरहकी हानि करनेवाला नहीं बल्कि सर्वथा साध्य और मन-देह दोनोंके लिए सोलहो आने हितकर कार्य है, इसकी सिद्धिमें सवूतोंका ढेर लगा देनेके बाद श्री व्यूरोने एक अध्यायमें नैठिक

या आजीवन ब्रह्मचर्यके मूल्य, महत्व और साध्यतापर विचार किया है। उसका पहला पैराग्राफ उद्धृत करने योग्य है—

“इन उद्धारको, काम-वासनाकी गुलामीसे सच्चा छुटकारा दिलानेवाले इन वीरोकी पहली श्रेणीमें उन युवा पुरुषों और स्त्रियोके नाम लिये जाने चाहिए जो अपना जीवन किसी महत्कार्यमें लगानेके विचारसे आजीवन ब्रह्मचारी रहनेका निश्चय करते और गृहस्थ-जीवनके सुखोका लाभ त्याग देते हैं। उनके निश्चयके कारण परिस्थितिके अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं। कोई वूढ़े अशक्त माता-पिताकी सेवाके लिए यह व्रत लेता है, कोई अपने मातृ-पितृ-हीन भाई-बहनोके लिए मा-वाप वनना चाहता है, किसीको अपने-आपको किसी कला-विज्ञानकी आराधनामें, दीन-दुखियोकी सेवामें अथवा नीति-शिक्षा या धर्म-प्रचारके कार्यमें अपना सारा समय और शक्ति लगानेकी लगत है। इसी तरह इस इच्छाकृत त्यागका मूल्य भी न्यूनाधिक हो सकता है। सुशिक्षा और सदाचारके अभ्यासकी कृपासे कुछका मन ऐसा होता है कि विषय-भोग उसे एक तरहसे ललचा ही नहीं सकते। दूसरोको अपनी वासनाओपर विजय पानेमें अपनी पाशविक प्रवृत्तियोके साथ घोर युद्ध करना पड़ता है, जिसकी कठोरताका पता केवल उन्हींको होता है। पर अन्तिम निश्चयका स्वरूप सबके लिए एक ही होता है। ये स्त्री और पुरुष यह सोचते हैं कि व्याह न करना ही उनके लिए सबसे अच्छा रास्ता है, और चाहे अपनी अतरात्माके, चाहे ईश्वरके सामने यह प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हम आजन्म अविवाहित रहकर पवित्रताका जीवन वितायेगे। विवाह हमारा कितना ही पक्का असदिग्ध कर्तव्य क्यों न हो, हम यह देख सकते हैं कि विशेष परिस्थितियोमें अविवाह-न्रत जायज होता है, क्योंकि वह एक ऊचे, उदात्त उद्देश्यके लिए लिया जाता है। माइकेल एजेलो<sup>१</sup>को जव व्याहकी सलाह दी गई तो उसने जवाब दिया—‘चित्र-कला ऐसी प्रेमिका है जो किमीकी सीत वनना नहीं सह सकती।’

<sup>१</sup>इटालियन चित्रकार और भूतिकार, जिसकी गणना दुनियाके प्रमुख कलाकारोंमें है। (१४७५-१५६४ ई०)।

श्री व्यूरोने आजीवन ब्रह्मचर्यका व्रत लेनेवालोके जितने वर्ग गिनाये हैं, अपने यूरोपीय मित्रोमेसे लगभग उन सभी प्रकारके लोगोके अनुभवोसे मैं इस शहादतकी पुष्टि कर सकता हूँ। यह तो केवल हमारे हिंदुस्तानकी ही विशेषता है कि हमे बचपनसे ही अपने व्याहकी वाते सुननी पड़ती है। मा-वापके मनमे इसके सिवा न कोई दूसरा विचार है न हौसला कि उनके वच्चोकी भावरे फिर जायँ और वे उनके लिए काफी पैसा या जायदाद छोड़ जायँ। पहली वात उन्हे समयसे पहले ही तन-मनसे बढ़ा बना देती है, और दूसरी आलसी और अक्सर परोपजीवी—दूसरेकी मेहनतपर पलनेवाला होनेको प्रेरित करती है। ब्रह्मचर्य और स्वेच्छासे लिये हुए दारिद्र्य-व्रतकी कठिनाइयोको हम बढ़ा-चढ़ाकर दिखाते और उन्हे साधारण-जनकी शक्तिके परेकी वात बताते हैं। कहते हैं कि केवल 'महात्मा' और योगी ही इन व्रतोको निभा सकते हैं और हम ससारियोमे उनके दर्शन कहा। वे यह भूल जाते हैं कि जिस समाजका साधारण जीवन गिरकर बहुत नीचे आ जाता है उसमे सच्चे महात्मा और योगीकी पहचान नहीं की जा सकती। बुराईकी चाल खरहेकी और भलाईकी कछुएकी होती है। इस न्यायसे पश्चिमकी विलासिता विद्युत्-वेगसे हमारे पास पहुँचती है और अपनी बहुरगी छटासे हमारी आखोमे ऐसी चकाचौध पैदा कर देती है कि हम जीवनकी सचाइया देखनेमे असमर्थ हो जाते हैं। पश्चिमकी शान-शौकितकी जगमगाहट तारोसे प्रतिक्षण, और पश्चिमके मालसे हमारे देशको पाठनेवाले जहाजोसे प्रतिदिन हमारे पास पहुँच रही है। उसे देखकर हम सयम-सदाचारसे लज्जित-से होने लगे हैं, और अपनेसे लिये हुए दारिद्र्य-व्रतको अपराध मान लेनेको तैयार हो गए हैं। पर पच्छिमको हम हिंदुस्तानमे जिस रूपमे देखते हैं वह बिलकुल वही चीज नहीं है। दक्षिण अफ्रीकाके गोरे जैसे मुट्ठी-भर प्रवासी भारतीयोको देखकर सपूर्ण भारतीयोके रहन-सहन और चरित्रका अदाजा लगाते हैं तो हमारे साथ अन्याय करते हैं; वैसे ही पश्चिमसे जो मानव (मनुष्य-रूप) और दूसरी तरहका माल रोज-ब-रोज हमारे यहा पहुँच रहा है उसे हम सारे पाश्चात्य जगत्को नापनेका पैमाना बना ले तो हम भी उसके साथ वैसा ही अन्याय करनेके अपराधी होगे। पश्चिम मे भी पवित्रता

और नीति-वलका एक नन्हा-सा पर कभी न सूखनेवाला सोता है और जिनकी आखे परदेके पार जा सकती है, वे धोखा देनेवाले ऊपरी सतहके नीचे उसके दर्शन कर सकते हैं। यूरोपके रेगिस्तानमे हर जगह ऐसे नखलिस्तान, ऐसे हरे-भरे टुकडे मौजूद हैं जहा जाकर जो चाहे जीवनके स्वच्छतम जलसे अपनी प्यास बुझा सकता है। सैकड़ों स्त्री और पुरुष विना ढोल पीटे, विना किसी शेखी-शानके पूरी न भ्रताके साथ आजीवन ब्रह्मचर्य और गरीबी-की जिन्दगी वितानेका व्रत लेते हैं। वहुतेरे किसी प्रियजन या स्वदेशकी सेवाके लिए ही उसे ग्रहण करते हैं।

आध्यात्मिकताके वारेमे हम अक्सर इस तरहकी वाते किया करते हैं जैसे साधारण व्यावहारिक जीवनसे उसका कुछ लगाव ही न हो और वह हिमालयके बनोमे वसने या उसकी किसी अगम्य गुफामे समाधि लगानेवाले योगियोके लिए ही सुरक्षित हो। जिस आध्यात्मिक साधनाका हमारी रोजकी जिदगीसे लगाव न हो, जिसका उसपर कुछ असर न पड़ता हो, वह महज हवाई चीज है। जिन युवको और युवतियोके लिए 'यग इडिया'मे हर हफ्ते लिखा जाता है उन्हे जान लेना चाहिए कि अगर उन्हे अपने आस-पासके वायु-मडलको शुद्ध और अपनी कमजोरीको दूर करना हो तो ब्रह्म-चर्यका पालन करना उनका कर्तव्य है और वह यह भी जान ले कि वह उतना कठिन नहीं है जितना उन्हे बताया गया है।

श्री व्यूरोकी राय थोड़ी और सुन लीजिए—“समाज-शास्त्र हमारी जीवन-प्रणालीके विकासको ज्यो-ज्यो समझता जा रहा है त्यो-त्यो आजीवन ब्रह्मचर्यसे इद्रिय-संयमके महान् कार्यमे मिलनेवाली सहायताके मूल्यका उसे अविकाधिक ज्ञान होता जाता है।” विवाह अगर समाजके बहुत बड़े भागके लिए जीवनकी स्वाभाविक स्थिति है तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि नभी व्याह कर सकते हैं या सबको करना ही चाहिए। जिन असाधारण जीवन-व्यवसायोकी वात हमने अभी-अभी कही है उनको अलग रखिए तो भी अविवाहित रहनेवालोके कम-से-कम तीन वर्ग तो ऐसे हैं जिन्हे व्याह न करनेके लिए कोई दोप नहीं दे सकता—(१) जो लोग—स्त्री-पुरुष—दोनों—अपने पेजेकी वाधा या पैसेकी कमीके कारण व्याहको आगेके लिए

टाल रखना जरूरी समझते हैं। (२) जो लोग अपने मनका वर-वधू न पा सकनेके कारण न चाहते हुए भी अविवाहित रहनेको मजबूर है। (३) जिन लोगोमें कोई ऐसा शारीरिक दोष या रोग होता है जिसके बच्चोंको भी होनेका डर हो, और फलतः जिन्हे अविवाहित रहना ही चाहिए बल्कि उसका खयाल भी दिलसे निकाल देना चाहिए।

इन लोगोंका यह त्याग उनका अपना सुख और समाजका हित दोनोंकी दृष्टिसे आवश्यक है। क्या यह देखकर वह कम क्लेशकर और प्रसन्नताजनक न हो जायगा कि ऐसे लोगोंने भी, जो तन-मनसे पूर्ण स्वस्थ सशक्त हैं और जिनके पास पैसा भी काफी या काफीसे ज्यादा है, आजीवन ब्रह्मचर्यधारणका व्रत ले लिया है। ये अपनी इच्छा और पसदसे अविवाहित रहनेवाले, जिन्होंने अपना जीवन भगवान्, भगवत्-भजन और आत्माकी साधनाको समर्पित करनेका सकल्प किया है, कहते हैं कि ब्रह्मचारीका जीवन हमारी निगाहमें जीवनकी हीन नहीं बल्कि अधिक ऊची अवस्था है, जिसमें मनुष्य अपनी पशु-प्रवृत्ति या सहज प्रेरणापर सकल्पके पूर्ण प्रभुत्वकी घोषणा करता है।

वे और लिखते हैं—“उन नवयुवकों और नवयुवतियोंको, जो अभी व्याहकी उम्रको नहीं पहुचे हैं, आजीवन ब्रह्मचर्य यह दिखाता है कि अपनी जवानीको पवित्रतापूर्वक विता देना उनके बूतेके बाहरकी बात नहीं है; विवाहितोंको वह इसकी याद दिलाता है कि उनको दाम्पत्य जीवनके नियमोंके अधीन होना चाहिए, और नैतिक उदारता या एक-दूसरेके प्रति सच्चे रहनेके धर्मके आदेशोंकी अवहेलना कर किसी स्वार्थ-भावनाकी तृप्तिका यत्न, वह कितनी ही न्याय-सगत क्यों न हो, कदापि न करना चाहिए।”

फोस्टर लिखता है—“ब्रह्मचर्यका व्रत व्याहका दरजा गिराता नहीं उलटे वह दाम्पत्य सम्बन्धकी पवित्रताका सबसे बड़ा सहारा है, क्योंकि अपनी प्रकृति या पशु-वृत्तिकी अधीनतासे मनुष्यकी मुक्तिकी वह ठोस शक्ल है। वासनाओं और विकारोंके हमलेके सामने वह कवचका काम करता है। वह व्याहकी भी इस अर्थमें रक्षा करता है कि विवाहित स्त्री-पुरुषोंको वह यह माननेसे रोकता है कि पति-पत्नीके रूपमें हम

दुर्ज्ञेय प्राकृतिक प्रेरणाओंके गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम स्वाधीन मनुष्यकी तरह उनसे लोहा ले और उनपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग आजीवन ब्रह्मचर्यको अस्वाभाविक या अनहोनी बात बताकर उसकी खिल्ली उड़ाते हैं वे जानते नहीं कि वे वास्तवमें क्या कर रहे हैं। वह यह नहीं देख पाते कि जो विचार-धारा उन्हें ब्रह्मचर्यका मजाक उड़ानेको प्रेरित कर रही है वह उन्हें व्यभिचार और बहुपत्नीत्व या बहुपतित्वके गढ़में गिराकर रहेगी। प्रकृतिके आदेशका पालन अगर अनिवार्य है, उसकी उपेक्षा मनुष्यके बूतेके बाहरकी बात है, तो विवाहित स्त्री-पुरुषोंसे सदाचारयुक्त जीवनकी आवा कैसे रखी जा सकती है? वे यह भी भूल जाते हैं कि वैसे व्याहोकी सस्या कितनी बड़ी होती है जिनमें पति-पत्नीमेंसे किसी एकको दूसरेके रोग या दूसरे प्रकारकी असमर्थताके कारण महीनों, वरसों या आजीवन सच्चे ब्रह्मचर्यका पालन करना पड़ता है। अकेले एक इसी कारणसे सच्चे एक-पत्नी-व्रत या एक-पति-व्रतको हम ब्रह्मचर्यके बराबर ही दर्जा देते हैं।”

## ७ : विवाह धार्मिक संस्कार है

आजीवन ब्रह्मचर्यके अध्यायके बाद कई अध्यायोंमें विवाहके धर्मरूप और अविच्छेद्य होनेपर विचार किया गया है। श्री व्यूरो यद्यपि नैष्ठिक ब्रह्मचर्यको सर्वश्रेष्ठ जीवन मानते हैं, पर साधारण जनके लिए उसका पालन शक्य नहीं, अत ऐसे लोगोंके लिए विवाहको धर्मरूप मानना होगा। उन्होंने दिखाया है कि व्याहका उद्देश्य और मर्यादा ठीक तौरसे समझ ली जाय तो गर्भ-निरोधके सावनोंका समर्थन किया ही नहीं जा सकता। आज जो समाजमें सर्वत्र नैतिक अराजकताका राज दिखाई दे रहा है वह दूषित नीति-गिक्षाकी ही देन है। व्याहका मजाक उड़ानेवाले ‘प्रगतिशील’ लेखकोंके विचारोंकी समीक्षा करनेके बाद वह लिखते हैं—“इन नीति-शिक्षक बननेवालों और लेखकोंमें वहुतेरे नीति-ज्ञानसे विलकुल कोरे और कुछ साहित्य-सेवाकी सच्ची भावनासे भी रहित हैं। इसे आनेवाली पीढ़ियोंका सौभाग्य समझना चाहिए कि इनकी यह राय हमारे समयके सच्चे मानस-शास्त्रियों

## अनीतिकी राहपर : नीतिनाशकी और

और समाज-शास्त्रियोंका मत नहीं है। अखबार, कहानी, उपन्यास और नाटक-सिनेमाकी शोर-शराबे वाली दुनिया और उस जगत्‌का, जहाँ विचारोंका उत्पादन और हमारे मानस और सामाजिक जीवनके गूढ़ तत्त्वोंका सूक्ष्म अध्ययन होता है, विलगाव जितना पक्का और पूरा यहा दिखाई देता है उतना और कहीं नहीं है।”

श्री व्यूरो स्वच्छन्द प्रेमकी दलीलको अस्वीकार करते हैं। मोदेस्तोंकी तरह वह भी मानते हैं कि “विवाह स्त्री और पुरुषका मिलकर एक हो जाना, सारी जिन्दगीका साथ, और दिव्य तथा मानव न्याय्य अधिकारोंकी साझेदारी है। वह ‘महज कानूनी इकरार’ नहीं बल्कि एक ‘सस्कार’, एक धार्मिक कर्तव्य है। उसने “गोरिल्लाको सीधा खड़ा होना सिखाया है—बन-मानसको मनुष्य बनाया है।” यह सोचना भारी भ्रम है कि विधिवत् विवाहित स्त्री-पुरुषके लिए सबकुछ जायज है। और पति-पत्नी सन्तानों-त्पादन-विषयक नैतिक स्यमका पालन करते हो तो भी उनका मैथुनके अपनेको रुचनेवाले अन्य उपायोंको अपनाना नाजायज है। यह रोक खुद उनके हितके लिए भी उतनी ही आवश्यक है जितनी समाजके हितके लिए, जिसका पोषण और वर्धन ही उनके पति-पत्नी बननेका उद्देश्य होना चाहिए। उनका कहना है कि व्याह काम-वासनाको जिस कड़े बधनमें बाधता है उसको व्यर्थ करनेके जो नित नये रास्ते निकल रहे हैं वे शुद्ध प्रेमके लिए भारी खतरा हैं। इस खतरेको दूर करनेका उपाय केवल यही है कि हम काम-वासनाकी तृप्ति उस हृदके अदर ही रहकर करनेकी सावधानी रखें, जो खुद व्याहके उद्देश्यने ही बाध दी है।

सन्त फासिस कहते हैं—“उग्र औषधका व्यवहार हमेशा खतरनाक होता है, क्योंकि अगर वह जरूरतसे ज्यादा खा ली गई या ठीक तौरसे न बनी तो उससे भारी अपकार होता है। व्याह कामुकताकी दवा बताया जाता है और निस्सन्देह वह उसकी बहुत बढ़िया दवा है, पर साथ ही बहुत तेज काम करनेवाली दवा है, इसलिए सम्हालकर काममें न लाई गई तो बहुत खतरनाक भी होती है।”

श्री व्यूरो इस मतका खण्डन करते हैं कि व्यक्तिको इसकी स्वतन्त्रता

है कि जब चाहे विवाह-वन्धनमें बधे या उसे तोड़ फेके, या उसकी जिम्मे-दारिया न उठाते हुए मनमाना विषय-सुख भोगे । वह एक-पत्नी-त्रतपर जोर देते हैं और कहते हैं—

“यह कहना गलत है कि व्यक्ति व्याह करने या उसकी स्वार्थबुद्धि कहे तो अविवाहित रहनेको स्वतन्त्र है । यह बात तो और भी गलत है कि यथाविधि-विवाहित स्त्री-पुरुष, आपसकी रजामन्दीसे, जब चाहे अपना विवाह-वन्धन तोड़ सकते हैं । एक-दूसरेको चुनते समय वे स्वतन्त्र थे और उनपर फर्ज है कि पूरी जानकारी और अच्छी तरह सोच-विचार कर लेनेके बाद ही यह चुनाव करे, तथा उसी आदमीको अपना जीवन-सगी बनाये जिसके विषयमें उन्हे विच्वास हो कि जिस नये जीवनमें वे प्रवेश करने जा रहे हैं उसकी जिम्मेदारियोंका बोझ वे उसके साथ उठा सकेंगे । पर ज्यो ही सस्कार और व्यवहार-रूपमें विवाह सम्पन्न हुआ, पति-पत्नी शारीरिक अर्थमें पति-पत्नी बने कि उनका काम उन दो आदमियोंकी बीचकी ही बात नहीं रह जाता, उसका असर सब और बहुत दूर-दूर तक पड़ने लगता है, और उससे ऐसे परिणाम होने लगते हैं जिनका पहलेसे अनुमान करना कठिन है । हो सकता है कि ये नतीजे इस अराजक व्यक्तिवादके युगमें खुद पति-पत्नीके ध्यानमें न आये, पर ज्यो ही गार्हस्थ्य-जीवनकी स्थिरताको धन्का लगा, ज्यो ही व्याह एकनिष्ठ दाम्पत्य जीवनके हितकर संयमके बदले चचल काम-वासनाकी तृप्तिका साधन बना, त्यो ही सारे समाजको जो धोर कष्ट मिलने लगता है वह उन परिणामोंके महत्त्वका यथेष्ट प्रमाण है । जो आदमी इन व्यापक परिणामों और इस सूक्ष्म सम्बन्ध-जालको समझता है उसके लिए इस ज्ञानका कुछ अधिक महत्त्व नहीं कि चूँकि मनुष्यके बनाये सारे धर्म-विधान विकासके विश्व-व्यापी नियमके अधीन हैं इसलिए औरोंकी तरह विवाह-व्यवस्थामें भी आवश्यक परिवर्तन होना ही चाहिए । पारण, यह कि यह बात शका, सन्देहसे परे है कि इस दिशामें हमारा प्रगतिका रूप केवल यही हो सकता है कि व्याहका वन्धन और कड़ा हो जाय । आज विवाहके जन्मभरका वन्धन होने, कभी तोड़े न जा सकनेपर जो हमले किये जा रहे हैं और पति-पत्नीको आपसका रजामन्दीसे चाहे जब तलाक देनेका

अधिकार मिलनेकी मागकी जा रही है उससे इस बन्धनका समाजके हितके लिए आवश्यक होना और अधिक स्पष्ट हो जायगा । और ज्यो-ज्यो दिन वीतेगे यह स्पष्ट होता जायगा कि यह नियम जो सदियों तक, जब समाज उसके सामाजिक मूल्यको पहचान न सकता था, धर्मका एक अनुशासन-मात्र बना रहा, व्यक्तिके लिए भी उतना ही हितकर है जितना समाजके लिए ।

“विवाह-बन्धनके अटूट होनेका नियम हमारा शृंगार, बड़प्पनका दिखावामात्र, नहीं है, वह वैयक्तिक और सामाजिक जीवनके सबसे नाजुक पुरजोके साथ जुड़ा हुआ है । और चूंकि लोग ऋम-विकासकी बातें किया करते हैं, उन्हें यह सोचना चाहिए कि मानव-जातिकी यह अनन्त प्रगति, जिसे सभी इष्ट मानते हैं, किस बातपर अवलबित है ।

“फोर्स्टर लिखता है—अपनी जिम्मेदारियोंका ख्याल बढ़ना, व्यक्तिको अपनेसे नियम-बधनमें बधनेकी शिक्षा मिलना, धैर्य और उदारताकी वृद्धि, स्वार्थ-भावनाका अकुशमे रहना, क्षणिक विकारो-वासनाओंके उपद्रवसे रागात्मक जीवनकी रक्षा होना—ये सभी ऐसी बातें हैं जिन्हे हम उच्च सामाजिक स्तरके लिए सदा अनिवार्य और इस कारण आर्थिक परिस्थितिमें भारी उलट-फेर होनेसे होनेवाली गडवडोंका असर उनपर न पड़ने देना अपना कर्तव्य मान सकते हैं । सच तो यह है कि आर्थिक प्रगति समाजकी सामान्य प्रगतिकी अनुगमिनी होती है, इसलिए कि आर्थिक सुरक्षा और सफलता अन्तमे हमारे सामाजिक सहयोगकी सचाई पर ही अवलबित होती है । जो आर्थिक परिवर्तन इन बुनियादी शर्तोंकी उपेक्षा करता है वह अपनी जड़ अपने ही हाथों काट देता है । अतः अगर हमें काम-सम्बन्धकी विभिन्न रीतियोंके गुण-दोषका नैतिक और सामाजिक दोनों दृष्टियोंसे विचार करना है, तो हमें यह देखना होगा कि उसकीं कौन-सी रीति, इस प्रकार सम्पूर्ण सामाजिक जीवनके पोषण और दृढ़ीकरणके लिए सर्वोत्तम है । कौन जीवनकी भिन्न-भिन्न मजिलोंमें व्यक्तिके अन्दर अपने दायित्व-का अधिक-से-अधिक ज्ञान और आत्म-त्यागका भाव उत्पन्न कर सकता है, उसकी अस्यत स्वार्थ-परता और चचल भोग-वासनापर कड़ा-से-कड़ा अकुश रख सकता है? इन प्रश्नोंका उत्तर ही इस विचारमें निर्णयिक होगा ।

प्रश्नपर इस दृष्टिसे विचार किया जाय तो इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि एकनिष्ठ विवाह, एक ही स्त्रीको पत्नी और एक ही पुरुषको पति-रूपमें स्वीकार करनेका नियम हर अधिक उन्नत सम्यताका स्थायी अग होना ही चाहिए, क्योंकि समाजके हित और व्यक्तिको सम्यमकी शिक्षा देनेकी दृष्टिसे वह बहुत ही मूल्यवान् है। सच्ची प्रगति विवाह-वधनकी गाठको ढीलीं करनेके बजाय और कड़ी कर देगी। . कुटुम्ब मनुष्यके अपने-आपमें सामाजिक जीवनकी योग्यता उत्पन्न करनेके सारे प्रयत्नका, अर्थात् जिम्मेदारी, सहानुभूति, मनोनिग्रह, एक-दूसरेके प्रति सहिष्णुता रखने और एक-दूसरेको शिक्षा देनेकी सारी तैयारीका केन्द्र है। वह इस आसनपर इसलिए विराज रहा है कि वह हमारे जीवनमें सदा वना रहता है, उसके साथ हमारा सम्बन्ध अविच्छेद्य है, अटूट है और इस स्थायित्वके कारण साधारण कुटुम्ब-जीवन और व्यवस्थाओंकी वनिस्वत अधिक गहराई वाला, अधिक स्थिर और मनुष्य-मनुष्यके परस्पर व्यवहारके लिए अधिक उपयुक्त है। एकनिष्ठ विवाहको हम मनुष्यके सारे सामाजिक जीवनका हृदयरूप कहे तो अनुचित न होगा।”

आगस्त कातेके कथनानुसार—“हमारा चित्त इतना चचल है कि हमारी छन-छनमें बदलनेवाली वासनाओंको अकुशमे रखनेके लिए समाजको हस्तक्षेप करना ही होगा। नहीं तो वे मनुष्यके जीवनको निकम्मे और निरर्थक अनुभवोंकी शृखला-मात्र बना देगी।”

डाक्टर त्र्लूज लिखते हैं—“यह भ्रम वहुतेरे स्त्री-पुरुषोंके दाम्पत्य जीवनको दुखमय बना देता है कि काम-वासना दुर्दम प्रवृत्ति है जिसकी तृप्ति जैसे भी बने करनी ही होगी। पर मनुष्य-स्वभावकी विशेषता यही है और उसके विकासका प्रकट उद्देश्य भी यही मालूम होता है कि अपनी प्रकृतिकी मागों, अपनी हाजिरोंकी हुकूमतसे दिन-दिन अधिक स्वतन्त्र होता जाय। वच्चा अपनी स्थूल आवश्यकताओंको रोकना, दबाना सीखता है, वय प्राप्त स्त्री-पुरुष अपने मनोविकारोंपर विजय प्राप्त करना। सुशिक्षाकी यह योजना कोरी कल्पनाकी उडान या व्यावहारिक जीवनके बाहरकी बात नहीं है। हमारी प्रकृतिकी बनावट यही कहती है कि हम अपने सकल्प

या इच्छा-शक्तिके ही अधीन रहे—जो करना चाहे वही करे । जिसे हम ‘मिजाज’ या स्वभाव कहा करते हैं वह आम तौरसे महज हमारी कमजोरी होता है । जो आदमी सचमुच बलवान है वह जानता है कि क्या और कैसे अपनी शक्तियोसे काम लेना होता है ।”

## ८ : उपरांहार

बव इस लेख-मालाको समाप्त करना चाहिए । श्री व्यूरोने मालथस<sup>१</sup>के सिद्धान्तकी जो समीक्षा की है उसका अनुसरण हमारे लिए आवश्यक नहीं है । मालथसने इस सिद्धातका प्रतिपादन कर अपने जमानेके लोगोको चाका दिया था कि दुनियाकी आवादी हृदसे ज्यादा हो रही है और मानव-वर्गको लुप्त होनेसे बचाना हो तो हमे जरूरतसे ज्यादा बच्चे पैदा करना बद करना होगा । फिर भी उसने इद्रिय-स्यमका समर्थन किया था । पर उसके सिद्धातके नए अनुयायी कहते हैं कि अपनी वासनाओसे लड़ना बेकार चलिक हानिकारक है । हमे ऐसे रासायनिक द्रव्यों और आलोसे काम लेना चाहिए जिससे हम उनकी तृप्ति तो करते रहे पर उसके नतीजोसे बच जाय । श्री व्यूरो आवश्यकतासे अधिक बच्चे पैदा न करनेके सिद्धातको स्वीकार करते हैं, पर वह कहते हैं कि यह काम इद्रिय-स्यमके सहारे किया जाय, और जैना कि हम देख चुके हैं, दवाओ, यन्त्रो, आलोके उपयोगका जोरोसे विरोध करते हैं । इस समीक्षाके बाद उन्होने श्रमिक वर्गों, मेहनत-मजदूरी करने-पालनेजी दशा और उनमें बच्चोके जन्मके अनुपात पर विचार किया है और जन्ममें उन साधनोकी समीक्षा की है जिनसे व्यवित-स्वातन्त्र्य और भनुप्यताके नामपर आज जो भयानक अनीति फैल रही है उनकी रोक-भाग हो सकती है । उन्होने लोकननकां ठीक रास्ता दिखाने और उत्तपर जन्मके लिए नष्टिट्य प्रयत्न होने और इन्हमें राज्यके दखल देने—वानृनसे ज्ञानात्मा ऐसेलोगी भी न गहरी है । पर अन्तमें यही कहा है कि जन-नमाजमें पांड-भावका लगना ही इन रोगका नज्जा इलाज है । नीतिनाशकी बढ़

मामूली उपायोंसे नहीं रोकी जा सकती, खासकर उस दशामें जब व्यभिचार, सद्गुण और सदाचार हमारे मनकी दुर्बलता, अध-विश्वास या असदाचार भी बनाया जाने लगा हो। कृत्रिम साधनोंसे गर्भ-निरोधके कितने ही समर्थक नि स्सदेह संयमको अनावश्यक बल्कि हानिकारक भी बताते हैं। ऐसी अवस्थागे धर्मकी सहायता ही जायज मान लिये गए पापको रोकनेमें समर्थ हो सकती है। धर्मको यहा सकीर्ण साम्प्रदायिक अर्थमें न लेना चाहिए। सच्चा धर्म व्यष्टि और समष्टि दोनोंके जीवनमें जितनी उथल-पुथल मचाता है उतना और कोई चीज नहीं मचा सकता। धर्म भावके जागनेका अर्थ व्यक्तिके जीवनमें क्रान्ति होना, उसका रूप बदल जाना, उसे नया जीवन मिलना होता है। और कोई ऐसी महाशक्ति ही फ्रासको विनाशके उस गढ़में गिरनेसे बचा सकती है जिसकी ओर श्री ब्यूरोकी रायमें वह अग्रसर हो रहा है।

पर अब हमें श्री ब्यूरो और उनकी पुस्तकसे छुट्टी लेनी ही होगी। फ्रासकी स्थिति हिंदुस्तानकी तरह नहीं है, हमारी समस्या बहुत कुछ भिन्न है। गर्भ-निरोधके साधनोंका उपयोग अभी यहा देश-व्यापी नहीं बना है। यह बुराई अभी अकेले शिक्षित-वर्गमें प्रविष्ट हुई है और उसे भी छू भर पाई है। भारतमें उनका व्यवहार होनेके लिए मेरी समझसे एक भी कारण नहीं बताया जा सकता। मध्यम-वर्गके दम्पति क्या सचमुच वच्चोंकी बाढ़से परेगान हैं? कुछ व्यक्तियोंके उदाहरण यह सावित करनेके लिए काफी नहीं हो सकते कि मध्यवित्त वर्गमें जरूरतसे बहुत ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। यहा तो मैं देखता हूँ कि विधवाओं और वालवधुओंके लिए ही इन साधनोंके उपयोगकी आवश्यकता बताई जाती है। इस प्रकार विधवाओंके विषयमें तो उनका गुप्त सहवास नहीं, बल्कि अवैध सन्तानकी उत्पत्ति रोकना हमें अभीष्ट है और वालवधुओंके मामलेमें कोमल वयकी यालिकापर बलात्कार होना नहीं, बल्कि उसे गर्भ रह जाना ही वह चीज है जिससे हम डरते हैं। इसके बाद रह जाते हैं रोगी, दुर्बल, पुरुषोचित गुणोंसे रहित युवक, जो चाहते हैं कि अपनी पत्नी या पराई स्त्रीके साथ शक्ति-भर विषय-भोग करते रहें, पर इन पाप-कर्मके परिणाम उन्हें न भुगतने पड़े।

उनसे मैं यह कहनेका साहस कर सकता हूँ कि भारतीय जनताके इस महासम्ब्रहमें ऐसे स्त्री-पुरुष डने-गिने ही निकलेगे, जो वल-वीर्य सम्पन्न होते हुए भी चाहते हैं कि हम सहवासका मुख तो ले पर वच्चोका बोझ उठानेसे बच जाय। अपने उदाहरणोका ढिढोरा पीटकर उन्हें इस क्रियाकी आवश्यकता सिद्ध करनेका यत्न और उसकी वकालत न करनी चाहिए, जिसका व्यापक प्रचार इस देशमें हुआ तो यहां के युवक वर्गका सर्वनाश होना निश्चित है। अति कृत्रिम शिक्षा-प्रणालीने हमारे युवकोको शरीर और मनके बलसे यो ही वच्चित कर रखा है, हममेंसे वहुतेरे वच्चपनमें व्याहे हुए मा-बापकी सतान हैं। स्वास्थ्य और शोचके नियमोकी उपेक्षाने हमारे शरीरको घुन लगा दिया है। हमारी गतत, पोषक तत्त्वोंसे रहित और उत्तेजक मसालोंसे भरी खूराकने हमारी पाचन-शक्तिका दिवाला निकाल दिया है। अत हमे गर्भ-निरोधके नायनोंसे काम लेनेकी शिक्षा और अपनी पशु-वृत्तिकी तृप्तिमें सहायताकी आवश्यकता नहीं है। वल्कि उस वासनाको वशमें करने और कुछ लोगोंको जिन्दगी-भरके लिए ब्रह्मचर्य-व्रत के लेनेकी शिक्षा लगातार मिलते रहनेकी आवश्यकता है। उपदेश और उदाहरण दोनोंसे हमे यह शिक्षा मिलनी चाहिए कि ब्रह्मचर्य सर्वेषा बनने लायक, और अगर हमे तन-मनसे अबमरा दनकर नहीं जीना है तो अत्यावश्यक ब्रत है। यह बात पुकार-पुकारकर हमारे कानोंमें डाली जानी चाहिए कि अगर हमे बाँनोंकी जाति नहीं बनना है तो जो प्राण-निष्ठि हमारे पास बच रही है और जिसे हम नित्य नाश कर रहे हैं उनका नज़्य करना और उसे बढ़ानेका यत्न करना होगा। हमारी युवनी विधवाजोंगे गुप्त व्यभिचारकी शिक्षाकी नहीं, वल्कि इन उपदेशकी व्यापर्यगत है कि शास्त्रके नाय सामने आकर नमाजमें पुनर्विवाहकी भाग करे, जिनमें उन्हें भी इनका ही अधिकार है जितना विवृत युवकोंमें। ऐसे ऐसा लोकरत बनाना है जिनमें अदोघ, अवय-प्राप्त वच्छोत्ता व्याह वार-निष्ठि हो जाय। हमारे विचार-निष्ठपकी वन्ध्यरता, हमाग बड़ी निष्ठारूपीरक्षा रखने जल्देमें भगवाना, हमारे शरीरका बड़ी और नग्नातार रूपों रखोरप तोता, बड़ी जानें शून्य गिरे गए हमारे जामोंग बैठ रहाता, गई जाए जोरनें जलिना ज्ञानद वह नव हमारे यह जर्म हो

रहा है, और इनका प्रधान कारण अत्यधिक वीर्य-नाश ही है। मैं आशा करता हूँ कि नवयुवक अपने मनको यह भुलावा न देंगे कि वच्चे न जनमे तो सभोगसे कोई हानि नहीं होती, कोई कमजोरी नहीं आती। सच यह है कि गर्भ-स्थिति पर अस्वाभाविक रोक लगाकर किया जानेवाला सभोग उस सभोगसे कहीं अधिक शक्तिका क्षय करता है, जो उस कामकी जिम्मेदारी पूरी तरह समझते हुए किया जाय।

### **“मन एव मनुष्याणां कारण बंधसोक्षयोः”**

हमारा मन यह मान ले कि काम-वासनाकी तृप्ति करनेमें कोई हानि और पाप नहीं है तो हम उसकी लगाम ढीली कर देना पसन्द करेंगे और फिर उसको रोकनेकी शक्ति ही हममें न रह जायगी। पर अगर हम अपने-आपको यह समझते हैं कि इस प्रकारका विषय-भोग हानिकर, पापमय और अनावश्यक है और उसकी इच्छा दबाई जा सकती है, तो हमें मालूम होगा कि अपने मन-इन्द्रियोंको कावृमें रखना सर्वथा शक्य बात है। नई सचाई और तथोक्त मानव स्वाधीनताके बहाने मदमत्त पश्चिमी स्वच्छन्द कामुकताकी जो कड़ी शरावके करावे हमारे सामने लाकर धर रहा है उससे हमें होशियार रहना चाहिए। उलटा अपने पुरखोंका प्राचीन ज्ञान अब हमारे लिए बेकार हो गया हो तो पश्चिमकी उस शात-गम्भीर वाणीको ही सुने जो वहाके ज्ञानीजनोंके वहुमूल्य अनुभवोंसे छनकर जब-तब हमतक पहुँच जाया करती है।

चार्ली<sup>१</sup> एड्चर्जने श्री विलियम लाफ्ट्स हेयरका एक ज्ञान-गर्भ लेख मेरे पास भेजा है जो ‘ओपेन कोर्ट’ नामक मासिक पत्रके मार्च १९२६ के अक्तमे प्रकाशित हुआ था। लेखका विषय ‘जनन और पुनर्जनन’ है और वह तर्क-युक्तियोंसे पूर्णपोषित शास्त्रीय लेख है। लेखकने दिखाया है कि सभी सप्राण पिण्डों, सभी प्राणियोंकी देहोंमें दो तरहकी क्रियाएं सदा होती रहती हैं—शरीरको बनानेके लिए भीतरी उत्पादन और वश-रक्षाके लिए वाह्य उत्पादन। पहली

<sup>१</sup>स्वर्गीय श्री सौ.० एफ० एड्ज

क्रियाको वह पुनर्जनन (रीजेनरेशन) और पिछलीको जनन (जेन-रेशन) कहता है। “पुनर्जननकी क्रिया—भीतरी उत्पादन व्यक्ति-जीवनका आधार है, इसलिए आत्यावश्यक और मुख्य कार्य है। जनन-क्रिया कोषोके आविक्यका परिणाम है, इसलिए गोण कार्य है। .. जीवनका नियम है कि पहले पुनर्जननके लिए बीज-कोषोका पोषण किया जाय, फिर जननके लिए। पोषणकी कमी हो तो पुनर्जननकी क्रिया पहले होगी और जननका काम बन्द रखा जायगा। इससे हम जान सकते हैं कि जनन क्रियाके विरामकी जड़ कहा है और वह कहासे चलकर हमारे ब्रह्मचर्य और तपस्याके जीवन तक पहुची है। आन्तरिक उत्पादनकी क्रिया कभी बन्द रह ही नहीं सकती, उसके बन्द रहनेका अर्थ मृत्यु होगा। यह सूत्र हमें बताता है कि “मृत्यु अपने स्वाभाविक रूपमें क्या चीज है।” पुनर्जनन क्रियाकी शास्त्रीय विवेचना-के बाद श्री हेयर कहते हैं—“सभ्य समाजमें स्त्री-पुरुषका सयोग अगली पीढ़ीको पैदा करनेकी आवश्यकतासे कही अधिक होता है। इससे आन्तरिक पुनर्जनन-शरीरके पोषणकी क्रियामें वाधा पड़ती है और इसका फल रोग, मृत्यु और दूसरी खराकिया होती है।”

जिस आदमीको हिन्दू दर्शनका थोड़ा भी परिचय होगा उसे श्री हेयरके निवन्द्यके इस पैराग्राफका भाव समझानेमें कठिनाई न होगी—

“पुनर्जनन यात्रिक क्रिया—बेजान कलके पुरजोका हिलना न है और न हो सकता है। वह तो जीव-सृष्टिमें कोपके प्रथम विभाजनकी तरह प्राण या जीवनका अस्तित्व बतानेवाला व्यापार है। अर्थात् वह कर्तमें वुद्ध और सकल्पकी शक्ति होनेकी सूचना देता है। प्राण-तत्त्वका विभाजन और विलगाव—उसका विशिष्ट कार्योंकी योग्यता प्राप्त करना—शुद्ध यात्रिक क्रिया है, यह बात तो सोची भी नहीं जा सकती। इसमें सन्देह नहीं कि जीवनकी ये मूलभूत क्रियाएं हमारी वर्तमान चेतनासे इतनी दूर जा पड़ी हैं कि कोई वुद्धिकृत या सहज सकल्प उनका नियमन करता है, यह नहीं जान पाता। पर क्षण भरके विचारसे ही यह बात स्पष्ट हो जायगी कि पूरी वाटगो पहुचे हुए मनुष्यका सकल्प जिस तरह उसकी वाह्य चेष्टाओं और क्रियाओंला सचालन, वुद्धिके निर्देशानुसार करता है, वैने ही यह भी गानना

होगा कि आरभमे होनेवाली शरीरके क्रमिक संघटनकी क्रियाए भी, अपनी परिस्थितिकी सीमाओंके अदर, एक प्रकारकी वुद्धिकी रहनुमाईमे काम करने-वाली एक प्रकारकी इच्छा-शक्ति या सकल्पके द्वारा परिचालित होती है। इस वुद्धिको मानस शास्त्रके पड़ित अचेतन मन या अन्तर-चेतना कहने लगे हैं। यह हमारी व्यष्टि-सत्ता, हमारे आत्माका ही एक अग है जो हमारे साधारण चिन्तनसे लगाव न रखते हुए भी अपने निजके कर्तव्योंके विषयमे अतिशय जागरूक और सावधान रहता है। हमारी वाह्य चेतना सुपुष्टि, वेहोगी आदिमे सो जाती है, पर यह कभी एक क्षणके लिए भी आखे नहीं मूदती।”

केवल वासना-तृप्तिके लिए किये जानेवाले सभोगसे हमारी सत्ताके अचेतन और अधिक स्थायी अगकी जो लगभग अपूरणीय हानि हो रही हैं उसकी माप-तौल कौन कर सकता है? पुनर्जननका फल मरण है। “मैथुन पुरुषके लिए मूलत ध्ययकी क्रिया—मृत्युकी ओर प्रगति है, और प्रसव स्त्रीके लिए।” इसीलिए लेखकका कहना है कि “पूर्ण ब्रह्मचर्य या ब्रह्मचर्य-सदृश सयमके पालनका पुरस्कार वलवीर्य और आरोग्य होता है।” “छीजकोपोंको गरीर-पोषणके कार्यसे हटाकर सन्तानोत्पादन या केवल वासना-तृप्तिके लिए व्यय करना शरीरके अवयवोंको उस पूजीसे वचित कर देता है जिसमे वे अपनी रोजकी छीजन पूरी कर सकते हैं। फलत कुछ दिनोंमे वे अशक्त हो जाते हैं।” “ये शारीरिक तथ्य ही व्यक्तिके काम-सयमका आधार है, जो हमे वासनाके पूर्ण दमनकी नहीं तो उसकी सयत तृप्तिकी शिक्षा अवश्य देते हैं—कम-से-कम इतना तो बता ही देते हैं कि सयमका मूल कहा है।

लेखक यत्रों और दवाओंकी सहायतासे गर्भ-निरोधका विरोधी है यह तो हम समझ ही सकते हैं। उसका कहना है—“इससे अपनी वासनाको दवानेके लिए कोई वुद्धिसंगत हेतु नहीं रह जाता, और यह पति-पत्नीके निए जवानक भोगेच्छा निर्बल नहीं हो जाती या वुढ़ापा नहीं आ जाता, तबतक वीर्य-नाश करते रहनेका दरवाजा खोल देता है। इसके सिवा इनका बुरा अन्तर वैवाहिक भववके बाहर भी पड़े विना नहीं रहता। यह

अनियमित, अवैध और अफलजनक सतानरहित सम्बन्धका रास्ता खोल देता है, जो आधुनिक उद्योग-नीति, समाजशास्त्र और राजनीतिकी दृष्टिसे सतरेसे भरी हुई वात है। पर यहा में उन हानियोंकी चर्चा नहीं कर सकता। इतना ही कहना काफी होगा कि गर्भ-निरोधके साधनोंके उपभोगसे विवाहित या अविवाहित दोनों दशाओंमें काम-वासनाकी असयत् तृप्तिका सुभीता हो जाता है और गरीर-शास्त्रकी जो दलीले मैने ऊपर दी हैं वे ठीक हो तो इससे व्यक्ति और समाज दोनोंकी हानि होनी ही चाहिए।

श्री व्यूरोने जिस वाक्यसे अपनी पुस्तक समाप्त की है, वह इस योग्य है कि हर एक भारतीय युवक उसे अपने हृदयकी पटियापर लिख ले—

“भविष्य उन्हीं राष्ट्रोंका है जो सदाचारी हैं।”

## एकान्तकी बात

ब्रह्मचर्य-पालनके विषयमें तरह-तरहके प्रश्न करनेवाले इतने पत्र मेरे पास आते हैं और इस विषयमें मेरे विचार इतने पक्के हैं कि अपने अनुभवके फल पाठकोके सामने न रखना उचित न होगा, खासकर राष्ट्रके जीवनकी इस अति नाजुक घड़ीमें।

ब्रह्मचर्य स्स्कृत भाषाका शब्द है जिसका अर्थ उसके अग्रेजी पर्याय 'सेलिवेसी' (अविवाह-न्रत)से अधिक व्यापक है। ब्रह्मचर्यके मानी है सम्पूर्ण इन्द्रियोपर पूर्ण अधिकार। पूर्ण ब्रह्मचारीके लिए कुछ भी अशक्य नहीं। पर यह आदर्श स्थिति है जिस तक विरले ही पहुँच पाते हैं। इसे ज्यामितिकी रेखा कह सकते हैं, जिसका अस्तित्व केवल कल्पनामें होता है, दृश्य रूपमें कभी खीची ही नहीं जा सकती। फिर भी रेखा-गणितकी यह एक महत्त्वपूर्ण परिभाषा है जिससे वडे-वडे नतीजे निकलते हैं। इसी तरह, हो सकता है, पूर्ण ब्रह्मचारी भी केवल कल्पना-जगत्‌में ही मिल सकता हो। फिर भी अगर हम इस आदर्शको सदा अपने मानस-नेत्रोके सामने न रखें तो हमारी दशा विना पतवारकी नाव-जैसी हो जायगी। ज्यो-ज्यो हम इस काल्पनिक स्थितिके पास पहुँचेगे, त्यो-त्यो अधिकाधिक पूर्णता प्राप्त करते जायगे।

पर तत्काल मैं वीर्य-रक्षाके सकुचित अर्थमें ही ब्रह्मचर्यपर विचार करना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि आध्यात्मिक पूर्णताकी प्राप्तिके लिए मन, वाणी और कर्म सबमें पूर्ण सम्यमका पालन आवश्यक है और जिस राष्ट्रमें ऐसे स्त्री-पुरुष न हो वह रक है, पर तत्काल मेरा प्रयोजन इतना ही है कि हमारा राष्ट्र इस समय विकासकी जिस मजिलसे गुजर रहा है उसमें ब्रह्मचर्यको एक अल्पकालिक आवश्यकता सिद्ध करूँ।

रोग, अकाल और कगालीमे हमारा हित्सा औरेसे बड़ा है। हमारे लाखों भाइयोंको तो रोज भूखे पेट ही सोना पड़ता है। गुलामोंको चक्रीमे हम ऐसे कौशलके साथ पीसे जा रहे हैं कि वहुतोंको तो पिसनेका पता तक नहीं चलता। यद्यपि आर्थिक, मानसिक और नैतिक शोषणका तिहरा क्षय हमें खा रहा है, फिर भी हम यही भानते हैं कि हम आजादीकी राहमे बराबर आगे बढ़ते जा रहे हैं। दिन-दिन बढ़नेवाला फौजी खर्च, लकाशायरके कारखानों ओर दूसरे त्रिटिश-व्यवसायोंके लाभकी दृष्टिसे निर्वाचित करनीति और राज्यके विविध-विभागोंके सचालनमे वरती जानेवाली शाहाना फिजूलखर्ची—यह सब भारतका ऐसा भार बन रहा है जो उसकी गरीबी बढ़ाता और रोगोंसे लड़नेकी शक्ति घटाता जा रहा है। श्रीगोखलेके गद्वोमे गासनके इस ढगने राष्ट्रकी बाढ़ इतनी मार दी है कि हमारे बड़े-से-बड़े आदमी भी कमर सीधी रखकर खड़े नहीं हो सकते। अमृतसरमे तो हिन्दुस्तानियोंको पेटके बल रेगना भी पड़ा। पजावका जान-वृक्षकर किया हुआ अपमान—और हिन्दुस्तानके मुसलमानोंको दिये हुए बचनको उद्धतपन-के साथ तोड़नेके लिए माफी मागनेसे इन्कार हमारे नैतिक दारिद्र्यकी ताजा मिनाले हैं। ये घटनाएँ सीधे हमारी आत्मापर आधात कर रही हैं। इन दोनों जन्यायोंको हमने सह लिया तो राष्ट्रको नपुसक बना देनेकी क्रियाकी पूर्ति हो जायगी।

यथा हम लोगोंके लिए जो स्थितिको जानते, समझते हैं, ऐसे चरित्र-नानक बाबुनन्दरमे बच्चे पैदा करना मुनासिव है? जबतक हम दीन-प्रभाव, रोगी और धुधा-पीड़ित हैं तबतक हम बच्चे पैदा करके केवल गृग्रनों और नग्निलोगोंही तादाद बढ़ायेंगे। भारत जबतक स्वाधीन और ऐसा राष्ट्र नहीं हो जाता, जो साधारण ही नहीं अक्षलके नमय भी अपना पेट भर नेमें नहीं हो और जो मरेसिया, हैंग, इनफलुएंजा और दूनगी बनेह दीमारियोंने अपना त्याद करना जानता है, तबतक हमें दच्चे बैरास्तेता तरीका है। इस देनामे किनीके घर बच्चे पैदा होनेकी व्यवस्था भूल भूले जाए जो हुस्त होता है उने नै पठानेमे चिरा नहीं ज्ञाता। देशास्त नहरने तार मन्दानोत्पादन रोगोंकी नभावनार भैने दरमां

विचार किया है और इस सभावनासे मुझे सन्तोष हुआ है। हिन्दुस्तान आज अपनी मौजूदा आवादीका बोझ उठानेके काविल भी नहीं है, इसलिए नहीं कि उसकी आवादी बहुत ज़ज़ादा बढ़ गई है बल्कि इसलिए कि उसकी गरदन ऐसे विदेशी राजके जुएके नीचे है जिसने उसके जीवन-रसको अधिकाधिक चूसते जाना ही अपना धर्म मान रखा है।

सन्तानोत्पादन किस तरह रोका जा सकता है? यह होगा यूरोपमे काममे लाये जानेवाले नीति-नाशक बनावटी प्रतिबधोसे नहीं, बल्कि नियम-बद्ध जीवन और मन-इन्द्रियोको काबूमे रखनेके अभ्याससे। मा-नापका फर्ज है कि अपने बच्चोको ब्रह्मचर्य-पालनकी शिक्षा दे। हिन्दू शास्त्रोके अनुसार लडकेका व्याह कम-से-कम २५ सालकी उम्रमे होना चाहिए। अपने देशकी माताओसे अगर हम यह मनवा सके कि बालक-वालिकाओको विवाहित जीवनके लिए तैयार करना पाप है तो इस देशमे होनेवाले आधे व्याह अपने-आप बद हो जायगे। हमे इस वहमको भी दिलसे निकाल देना चाहिए कि इस देशकी गरम जलवायुके कारण लडकिया जल्दी ऋतुमती हो जाती है। इससे बड़ा अधिविश्वास मैंने दूसरा नहीं देखा। मैं यह कहनेको तैयार हूँ कि जल्दी या देरसे जवान होनेपर जलवायुका कुछ भी असर नहीं होता। जो चीज हमारे बालक-वालिकाओको वक्तसे पहले जवान बना देती है वह है हमारे कीटम्बिक जीवनके आस-पास रहनेवाला मानसिक और नैतिक वातावरण। माताए और घरकी दूसरी स्त्रिया अबोध बच्चोको यह सिखा देना अपना धर्म समझती है कि इतने वरसके होनेपर तुम दूल्हा बनोगे या तुम्हे ससुराल जाना होगा। वे निरे बच्चे, बल्कि माकी गोदमे, होते हैं तभी उनकी सगाई कर दी जाती है। उन्हे जो खाना खिलाया और कपड़े पहनाये जाते हैं वे भी वासनाओको जगानेमे सहायक होते हैं। हम उन्हे गुडियोकी तरह सजाते हैं, उनके नहीं बल्कि अपने सुखके लिए और अपना बड़प्पन दियानेके लिए। मैं वीसो लड़कोका पालन-पोपण कर चुना हूँ। उन्हे जो कपड़े भी दिये गए उन्होने बिना किसी कठिनाईके पहन लिये और उन्हीसे खुश रहे। हम उन्हे हर तरहकी गर्म और उत्तेजना पेंदा करनेवाली चीजे भी खिलाते रहते हैं। हमारा अधा प्रेम यह नहीं देखता

कि वे क्या और कितना पचा सकते हैं। इन सबका परिणाम निश्चय ही यह होता है कि हम समयसे पहले जवान होते, समयसे पहले माँ-वाप बनते और समयसे पहले ही परलोकको पयान कर देते हैं। माँ-वाप अपने व्यवहारसे जो वस्तु-पाठ बच्चोंके सामने रखते हैं उसे वे आसानीसे सीख लेते हैं। अपनी वासनाओंकी लगाम ढीली छोड़कर वे अपने बच्चोंके सामने सयम-रहित भोगका नमूना बनाते हैं। हर नये बच्चेके जन्मपर उछाव-वधाव होता है। अचरजकी बात तो यह है कि ऐसे बातावरणमें रहकर भी हम और अधिक असयमी नहीं हुए।

मुझे इस बातमें लेश-मात्र भी शका नहीं कि हमारे देशके स्त्री-पुरुष सभी देशका भला चाहते हैं और यह चाहते हैं कि हिन्दुस्तान सबल, सुन्दर और सुगठित गरीरवाले स्त्री-पुरुषोंका राष्ट्र बने, तो उन्हे पूर्ण सयमका पालन करना और फिलहाल तो बच्चे पैदा करना बद कर ही देना चाहिए। मैं नवविवाहित पति-पत्नियोंको भी यही सलाह देता हूँ। कोई काम करके छोड़ देनेसे उसे विलकुल ही न करना आसान होता है। वैसे ही जैसे एक पियककड़ या थोड़ी शराब पीनेवालेके लिए उसका त्याग कठिन और जिसने कभी उसे मुह न लगाया हो उसके लिए आजन्म उससे दूर रहना आसान होता है। गिरकर उठनेसे सीधा खड़ा रहना हजार दरजे आसान होता है। यह कहना गलत है कि सयमके उपदेशके अधिकारी केवल वही हैं जिनकी वासनाएं परितृप्त हो चुकी हैं। वैसे ही जिसका तन-मन शियिल हो गया है उसको भोग-त्यागका उपदेश देनेका कोई अर्थ नहीं। मेरा कहना तो यह है कि चाहे हम जवान हो या बढ़े, भोगसे अघा चुके हो या न अघाये हो, तत्काल हमपर फर्ज है कि अपनी गुलामीके उत्तराधिकारी पैदा करना बदकर दे।

देशके दमपत्तियोंको मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि वे साथीके हक्की दलीलके भुलावेमें न पड़े। रजामंदी भोगके लिए दरकार होती है, सयमके लिए नहीं। वह दिलकुल सुला सत्य है।

हम एक नविताली तरकारके साथ जीवन-मरणके सग्राममें संलग्न हैं। उम्मे हमें अपना सारा नारीरिक, भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक

बल लगाना होगा । यह बल हमे तबतक मिल नहीं सकता जबतक कि हम उस चीजको बहुत किफायतसे न खर्च करे, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती होनी चाहिए । हमारे व्यक्तिगत जीवनमें यह पवित्रता न आई तो हम सदा गुलामोंका राष्ट्र बने रहेंगे । हम यह सोचकर अपने-आपको धोखा न दे कि चूंकि अग्रेजोंकी शासन-पद्धतिको हम पापमय मानते हैं इसलिए वैयक्तिक सद्गुण सदाचारमें भी हमे उनको अपनेसे हीन, तिरस्करणीय समझना चाहिए । चरित्रके मूलभूत सद्गुणोंको वे आध्यात्मिक साधनाका नाम देकर उनका ढिढोरा नहीं पीटते, पर कम-से-कम शरीरसे तो वे उनका भरपूर पालन करते हैं । अपने देशके राजनीतिक कार्योंमें लगे हुए अग्रेजोंमें जितने ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणिया हैं उतने हमारे यहा नहीं हैं । ब्रह्मचर्य-व्रत लेनेवाली स्त्रिया तो हममें एक तरहसे हैं ही नहीं । श्रोडी-सी जोगिने-वैरागिने अवश्य हैं, पर देशके जीवनपर उनका कोई असर नहीं । यूरोपमें हजारों स्त्रिया एक साधारण सदाचारकी भाँति ब्रह्मचर्यका जीवन विताती हैं ।

अब मैं पाठकोंके सामने थोड़ेसे सीधे-सादे नियम रखता हूँ जो अकेले मेरे ही नहीं मेरे अनेक साथियोंके भी अनुभवके आधारपर बनाये गये हैं :

१. लड़के-लड़कियोंका पालन-पोषण सरल और प्राकृतिक ढगसे तथा मनमें इस बातका पक्का विश्वास रखकर करना चाहिए कि वे निष्पाप हैं और सदा बने रह सकते हैं ।

२. मिर्च-भसाले जैसी गरमी और उत्तेजना पैदा करनेवाले और मिठाइया, तली, भुनी चीजों, जैसे पाचनमें भारी पड़नेवाले पदार्थोंसे परहेज करना चाहिए ।

३. पति और पत्नीको अलग-अलग कमरोंमें रहना और एकान्तसे बचना चाहिए ।

४. देह और मन दोनोंको सदा अच्छे, स्वास्थ्य-जनक कामों, विचारोंमें लगाये रखना चाहिए ।

५. जल्दी सोने और जल्दी उठनेके नियमका कडाईके साथ पालन किया जाय ।

६. हर तरहके गन्दे साहित्यसे परहेज किया जाय। मलिन विचारोंका इलाज पवित्र विचार है।

७. वासनाओंको जगानेवाले थियेटर, सिनेमा और नाच-तमाशोंसे बचना चाहिए।

८. स्वप्न-दोषसे घबरानेकी जरूरत नहीं; तन्दुरुस्त आदमीके लिए उसके बाद ठड़े जलसे नहा लेना इस रोगका अच्छेसे-अच्छा इलाज है। यह कहना गलत है कि कभी-कभी सभोग कर लेनेसे स्वप्नमें बीर्य-पातृ बद हो जाता है।

९. सबसे बड़ी बात यह है कि पति-पत्नीके बीच भी ब्रह्मचर्यका पालन असाध्य या अति कठिन न माना जाय; उल्टा सर्यमको जीवनकी साधारण और स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए।

१०. प्रतिदिन पवित्रताके लिए सच्चे दिलसे प्रभुसे प्रार्थना की जाय-तो आदमी दिन-दिन अधिकाधिक पवित्र होता जायगा।

३

## ब्रह्मचर्य

इस विषयपर कुछ लिखना आसान नहीं है। पर इस विषयमें मेरा अपना अनुभव इतना विशाल है कि उसकी कुछ बँदे पाठकोंके सामने रखनेकी इच्छा सदा बनी रहती है। मुझे मिली हुई कुछ चिट्ठियोंने इस इच्छाको और भी बढ़ा दिया है।

एक भाई पूछते हैं—“ब्रह्मचर्यके मानी क्या है? क्या उसका पूर्ण पालन शक्य है? और है तो क्या आप उसका पालन करते हैं?”

ब्रह्मचर्यका पूरा और—सच्चा अर्थ है ब्रह्मकी खोज। ब्रह्म सबमें बसता है इसलिए यह खोज अन्तर्धानी और उससे उपजनेवाले अन्तर्ज्ञानिके सहारे होती है। अन्तर्ज्ञानि इन्द्रियोंके सपूर्ण संयमके बिना अशक्य है। अत मन, वाणी और कायासे सपूर्ण इन्द्रियोंका सदा सब विषयोंमें संयम ब्रह्मचर्य है।

ऐसे ब्रह्मचर्यका सपूर्ण पालन करनेवाली स्त्री या पुरुष नितान्त निर्विकार होता है। अत ऐसे स्त्री-पुरुष ईश्वरके पास रहते हैं। वे ईश्वर-तुल्य होते हैं।

ऐसे ब्रह्मचर्यका कायमनोवाक्यसे अखण्ड पालन हो सकनेवाली वात है, इस विषयमें मुझे तिल-भरभी शका नहीं, पर मुझे कहते दुख होता है कि इस सपूर्ण ब्रह्मचर्यकी स्थितिको मैं अभी नहीं पहुच सका हूँ। पहुचनेका प्रयत्न सदा चल रहा है। और इस देहमें ही वह स्थिति प्राप्त कर लेनेकी आशा भी मैंने नहीं छोड़ी है। कायापर मैंने काबू पा लिया है, जाग्रत अवस्थामें मैं सावधान रह सकता हूँ। वाणीके संयमका यथायोग्य पालन करना भी सीख लिया है। पर विचारोंपर अभी बहुत काबू पाना बाकी है। जिस समय जो वात सोचनी हो उस क्षण वही वात मनमें रहनी चाहिए। पर ऐसा न होकर और वाते भी मनमें आ जाती है इससे विचारोंका द्वन्द्व मचा ही रहता है।

फिर भी जाग्रत अवस्थामे मैं विचारोका एक-दूसरेसे टकराना रोक सकता हूँ। मैं उस स्थितिको पहुँचा हुआ माना जा सकता हूँ जब गन्दे विचार मनमे आ ही न सके। पर निद्रावस्थामे विचारके ऊपर मेरा काबू कम रहता है। नीदमे अनेक प्रकारके विचार मनमे आते हैं, अनसोचे सपने भी दिखाई देते हैं। कभी-कभी इसी देहसे की हुई बातोकी वासना भी जग उठती है। ये विचार अगर गन्दे हो तो स्वप्नदोष होता है। यह स्थिति विकारयुक्त जीवनकी ही हो सकती है।

मेरे विकारोके विचार क्षीण होते जा रहे हैं। पर अभी उनका नाश नहीं हो पाया है। अपने विचारोपर मैं पूरा काबू पा सका होता तो पिछले दस बरसके बीच जो तीन कठिन बीमारिया मुझे हुई, फेफड़ेकी फिल्लीका शोथ (प्लूरिसी), अतिसार और आँतका फोड़ा (अपेडिसाइटिस), वे न हुई होती। मैं मानता हूँ कि निरोग आत्माका शरीर भी निरोग ही होता है। अर्थात् ज्यो-ज्यो आत्मा निरोग-निर्विकार होती जाती है त्यो-त्यो शरीर भी निरोग होता जाता है। पर निरोग शरीरके मानी बलवान शरीर नहीं होते। बलवान आत्मा क्षीण देह से ही बसती है। आत्म-बल ज्यो-ज्यो बढ़ता है, शरीर त्यो-त्यो क्षीण होता जाता है। पूर्णतया निरोग शरीर भी बहुत दुबला-पतला हो सकता है। बलवान शरीरमे अक्सर रोग तो रहता ही है। ऐसा न भी हो तो वैसे शरीरके लोगोकी छूत तुरन्त लग जाती है। पर, पूरी तरह निरोग देहको छूत लग ही नहीं सकती। शुद्ध रक्तमे ऐसे कीड़ोको दूर रखनेका गुण होता है।

यह अद्भुत दशा तो दुर्लभ ही है। नहीं तो मैं अबतक उसको पहुँच चुका होता, क्योंकि मेरी आत्मा गवाही देती है कि इस स्थितिको प्राप्त करनेके लिए जो उपाय करने चाहिए उनके करनेमे मैं पीछे रहनेवाला नहीं हूँ। ऐसी एक भी बाहरी वस्तु नहीं है जो मुझे उससे दूर रखनेमे समर्थ हो। पर पिछले सस्कारोको घोड़ालना सबके लिए सहज नहीं होता। इस तरह लक्ष्यतक पहुँचनेमे देर लग रही है, पर इससे मैंने तनिक भी हिम्मत नहीं हारी है। कारण यह है कि निर्विकार दशाकी कल्पना मैं कर सकता हूँ। उसकी धुँधली झलक भी जब-तब पा जाता हूँ। और इस रास्तेमे मैं अवतक

जितना आगे बढ़ सकता हूँ वह मुझे निराश करनेके बदले आशावान ही बनाता है। फिर भी अगर मेरी आशा फलीभूत हुए बिना मेरा शरीरपात हो जाय तो मैं यह न मानूगा कि मैं विफल हो गया। मुझे जितना विश्वास अपनी इस देहके अस्तित्वका है उतना ही दूसरी देह मिलनेका भी है। इसलिए जानता हूँ कि छोटेसे-छोटा प्रयत्न भी व्यर्थ नहीं जाता।

स्वानुभवकी इस चर्चाकी गरज इतनी ही है कि जिन लोगोंने मुझे पत्र लिखे हैं उनके और उन जैसे दूसरे भाइयोंके मनमे धीरज रहे और आत्म-विश्वास उत्पन्न हो। सबकी आत्मा एक ही है। सबकी आत्माकी शक्ति भी समान है। अन्तर इतना ही है कि कुछकी शक्ति प्रकट हो चुकी है, दूसरोंकी शक्तिका प्रकट होना अभी वाकी है। प्रयत्न करनेसे उन्हे भी वही अनुभव होगा।

अबतक मैंने व्यापक अर्थवाले ब्रह्मचर्यकी बात कही है। ब्रह्मचर्यका लौकिक अथवा प्रचलित अर्थ तो मन, वचन और कायासे विषयेन्द्रियका सयम-मात्र माना जाता है। यह अर्थ सही है क्योंकि इस सयमका पालन बहुत कठिन माना गया है। स्वादेन्द्रियके सयमपर इतना ही जोर नहीं दिया गया। इससे विषयेन्द्रियका सयम अधिक कठिन हो गया है—लगभग अशक्य हो गया है। इसके सिवा वैद्योका अनुभव है कि जो शरीर रोगसे अशक्त हो गया है उसमे विषय-वासना अधिक उद्दीप्त रहती है। इससे भी इस रोगग्रस्त राप्टूको ब्रह्मचर्यका पालन कठिन लगता है।

मैंने ऊपर दुवले, पर निरोग शरीरकी बात कही है। इसका अर्थ कोई यह न लगाये कि हमे शरीर-बल बढ़ानेका यत्न ही न करना चाहिए। मैंने तो सूक्ष्मतम ब्रह्मचर्यकी बात अपनी अति प्राकृत भाषामे लिखी है, उससे कुछ गलतफहमी हो सकती है। जिसे सब इद्रियोंके सपूर्ण सयमका पालन करना है उसे अन्तमे शरीरकी क्षीणताका अभिनन्दन करना ही होगा। शरीरका मोह और ममता जब क्षीण हो जायगी तब शरीर-बलकी इच्छा ही न रहेगी।

पर विषयेन्द्रियको जीतनेवाले ब्रह्मचारीका शरीर अति तेजस्वी और बलवान होना ही चाहिए। यह ब्रह्मचर्य भी अलौकिक वस्तु है। जिसकी

विषय-वासना स्वप्नमें भी नहीं जागती वह जगद्वद्य है। उसके लिए दूसरे सब सयम सहज है, इसमें तनिक भी शका नहीं।

इसी विषयको लेकर एक दूसरे भाई लिखते हैं—

“मेरी दशा दयनीय है। दफ्तरमें, रास्तेमें, रातमें पढ़ते समय काम करते हुए, और ईश्वरका नाम लेते समय भी वही विचार मनमें आते रहते हैं। विचारोंको किस तरह काबूमें रखूँ? स्त्री-मात्रके प्रति मातृभाव कैसे पैदा हो? आखोंसे शुद्ध वात्सल्यकी किरणें किस तरह निकलें? दूषित विचारोंकी जड़ कैसे उखड़े? ब्रह्मचर्य विषयपर आपका लेख अपने पास रख छोड़ा है। पर इस जगह मुझे उससे जरा भी मदद नहीं मिल रही है।”

यह स्थिति हृदय-द्रावक है। यही स्थिति बहुतोंकी होती है। पर जबतक मन उन विचारोंसे लड़ता रहे तबतक डरनेका कोई कारण नहीं। आखे दोष करती हो तो उन्हे बद कर लेना चाहिए। कान दोष करे तो उनमें रई भर लेनी चाहिए। आखोंको सदा नीची रखकर चलनेकी रीति अच्छी है। इससे उन्हे और कुछ देखनेका अवकाश ही नहीं रहता। जहाँ गदी बाते होती हो या गन्दे गीत गाये जा रहे हो वहासे तुरन्त रास्ता लेना चाहिए। जीभपर पूरा काबू हासिल करना चाहिए।

मेरा अपना अनुभव तो यह है कि जिसने जीभको नहीं जीता वह विषय-वासनाको नहीं जीत सकता। जीभको जीतना बहुत ही कठिन है। पर इस विजयके साथ ही दूसरी विजय मिलती है। जीभको जीतनेका एक उपाय तो यह है कि मिर्च-मसालेका बिलकुल या जितना हो सके त्याग कर दिया जाय। दूसरा उससे अधिक बलवान उपाय यह है कि मनमें सदा यह भाव रखें कि हम केवल शरीरके पोषणके लिए ही खाते हैं, स्वादके लिए कभी नहीं खाते। हम हवा स्वादके लिए नहीं पीते, बल्कि सास लेनेके लिए पीते हैं। पानी जैसे महज प्यास बुझानेके लिए पीते हैं वैसे ही अन्न केवल भूख मिटानेके लिए खाना चाहिए। हमारे मा-वाप वचपनसे ही हमें इसकी उल्टी आदत लगाते हैं, हमारे पोषणके लिए नहीं बल्कि अपना प्यार दिखानेके लिए हमें तरह-तरहके स्वाद चखाकर हमें बिगड़ते हैं। इस वातावरणका हमें सामना करना होगा।

पर विषय-वासनाको जीतनेका रामबाण उपाय तो रामनाम या ऐसा कोई और मन्त्र है। द्वादशाक्षर मन्त्र भी इस कामके लिए अच्छा है जिसकी जैसी भावना हो वैसे ही मन्त्रका जप वह करे। मुझे वचनपत्रसे रामनाम जपना सिखाया गया था और उसका सहारा मुझे मिलता ही रहता है, इसलिए मैंने उसे सुझाया है। हम जो मन्त्र अपने लिए चुने उसमें हमें तल्लीन हो जाना चाहिए। जप करते समय भले ही हमारे मनमें दूसरे विचार आया करते हों फिर भी जो श्रद्धा रखकर मन्त्रका जप करता ही जायगा उसे अन्तमें विघ्नोपर विजय मिलेगी। इसमें मुझे तनिक भी सदेह नहीं कि यह मन्त्र उसका जीवन-डोर बनेगा और उसे सभी सकटोंसे उबारेगा। ऐसे पवित्र मन्त्रका उपयोग किसीको आर्थिक लाभके लिए कदापि न करना चाहिए। इन मन्त्रोंका चमत्कार हमारी नीतिकी रक्षा करनेमें है और ऐसा अनुभव हरएक प्रयत्न करनेवालेको थोड़े ही दिनोंमें हो जायगा। हा, इतना याद रहे कि यह मन्त्र तोतेकी तरह न रटा जाय। उसमें अपने आत्माको पिरो देना चाहिए। तोता यत्रकी तरह मन्त्रको रटता रहता है। हमें उसे जानपूर्वक जपना चाहिए अवाञ्छित विचारोंके निवारणकी भावना और मन्त्रमें इसकी शक्ति है यह विश्वास रखकर।

## नैषिक ब्रह्मचर्य

मुझसे ब्रह्मचर्यके विषयपर कुछ कहनेको कहा गया है। कुछ विषय ऐसे हैं जिनपर प्रसग आनेपर 'नवजीवन'में मैं कुछ लिखा तो करता हूँ पर भाषणोमें उनकी चर्चा शायद ही करता हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि ये बातें कहकर नहीं समझाई जा सकती और अति कठिन हैं। ब्रह्मचर्य भी वैसा ही विषय है। आप तो जिस ब्रह्मचर्यके बारेमें मुझसे कुछ सुनना चाहते हैं वह सामान्य ब्रह्मचर्य है, जिस ब्रह्मचर्यकी विस्तृत व्याख्या सब इन्द्रियोका सयम है उसके विषयमें नहीं। पर यह सामान्य ब्रह्मचर्य भी शास्त्रोमें अतिशय कठिन बताया गया है। यह कथन ६६ प्रतिशत सत्य है, सिर्फ एक फीसदीकी कमी रह गई है। ब्रह्मचर्यका पालन इसलिए कठिन लगता है कि हम उसके साथ-साथ दूसरी इन्द्रियोका सयम नहीं करते। इन दूसरी इन्द्रियोमें मुख्य जीभ है। जो जीभको बसमें रखेगा, ब्रह्मचर्य उसके लिए आसान-से-आसान चीज हो जायगा।

प्राण-शास्त्रका अध्ययन करनेवाले कहते हैं कि पशु ब्रह्मचर्यका जितना पालन करता है मनुष्य उतना नहीं करता और यह सच है। हम इसके कारणकी खोज करे तो देखेंगे कि पशु अपनी जीभपर पूरा-पूरा कावू रखता है, इरादा और कोशिश करके नहीं बल्कि स्वभावसे ही। वह केवल धास-चारेपर गुजर करता है और वह भी इतना ही कि पेट भर जाय। वह जीनेके लिए खाता है, खानेके लिए जीता नहीं। पर हमारा रास्ता तो इसका उलटा ही है। मा वच्चेको तरह-तरहके स्वाद चखाती है, वह मानती है कि अधिक-से-अधिक चीजें खिलाना ही उसे प्यार करनेका तरीका है। ऐसा करके हम चीजोका जायका बढ़ाते नहीं बल्कि घटाते हैं। स्वाद तो भूखमें रहता है। भूखवालेको सूखी रोटीमें जो स्वाद मिलता है वह विना

भूखवालेको लड्हुमे नही मिलता । हम तो पेटको ठूस-ठूसकर भरनेके लिए तरह-तरहके मसाले काममे लाते और विविध व्यजन बनाते हैं । फिर भी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य चलता नही ।

जो आखे ईश्वरने हमे देखनेके लिए दी है उन्हे हम मलिन करते हैं और जो देखनेकी चीजे हैं उन्हे देखना नही सीखते । माता क्यो गायत्री न सीखे और वच्चेको न सिखाये ? उसके गहरे अर्थमे पैठना उसके लिए जरूरी नही । उसका तत्त्व सूर्यकी उपासना है । इतना ही समझकर वह वच्चेसे सूर्यकी उपासना कराये तो काफी है । सूर्यकी उपासना तो सनातनी, आर्य-समाजी सभी करते हैं । सूर्यकी उपासना तो उस महामन्त्रका स्थूलतम अर्थ है । यह उपासना क्या है ? यही कि हम सिर ऊचा रखकर सूर्यनारायणके दर्शन और उससे अपनी आखोकी शुद्धि करे । गायत्री-मन्त्रके रचयिता ऋषि थे, द्रष्टा थे । उन्होने हमे बताया है कि सूर्योदयमे जो नाटक है, जो सौन्दर्य है, जो लीला है उसके दर्शन हमे अन्यत्र नही होनेके । ईश्वर-जैसा कुशल सूत्रधार दूसरा नही मिल सकता और न आकाशसे अच्छी दूसरी रगगाला मिल सकती है, पर कौन माता वच्चेकी आखे धोकर उसे आकाशके दर्शन कराती है ? माताके भावोमे तो अनेक प्रपञ्च ही रहते हैं । बड़े घरोमे जो शिक्षा मिलती है उसके फलस्वरूप लड़का शायद बड़ा अफसर हो जाय । पर घरमे जाने-बेजाने वच्चेको जो शिक्षा मिलती है उसमेसे कितना वह ग्रहण कर लेता है इसका विचार कौन करता है ?

मा-न्नाप हमारे शरीरको ढकते हैं । कपड़ोसे हमे लाद देते हैं, हमे सजाते, सवारते हैं; पर इससे कही हम अधिक सुदर बन सकते हैं । कपड़े बदनको ढकनेके लिए हैं, उसे सरदी-गरमीसे बचानेके लिए हैं, उसे सजानेके लिए नही । वच्चा सरदीसे ठिठुर रहा है तो हमे चाहिए कि उसे अगीठीके पास ढकेल दे, मैदानमे दण्ड लगानेके लिए छोट दे या खेतमे काम करनेको भेज दे । तभी उसकी देह लोहेकी लाट बनेगी । ब्रह्मचर्यके पालनसे तो वह वज्ज-जैसी हो ही जानी चाहिए । हम तो उसके शरीरका नाश कर डालते हैं । घरमे वद रखकर जो गरमी हम उसे पहुचाना चाहते हैं उससे तो उनकी त्वचामे ऐसी गरमी पैदा होती है जिसकी उपमा खुजलीसे ही दी

जा सकती है। अपने शरीरको वहुत लाड़-प्यारकर हम उसे विगड़ डालते हैं।

यह तो हुई कपड़ोकी वात। घरमें होनेवाली वातचीतसे भी हम वच्चेके मनपर वुरा असर डालते हैं। उसके व्याहकी वाते किया करते हैं। जो चीजे उसे देखनेको मिलती हैं उनमें भी वहुतेरी ऐसा ही असर डालनेवाली होती है। मुझे तो अचरज इस वातका होता है कि यह सब होते हुए भी हम दुनियामें सबसे बड़े जगली क्यों न हो गए? मर्यादाके टूटनेमें सहायक होनेवाली इतनी वातोके होते हुए भी वह ज्यो-त्यो निवाही जा रही है। ईश्वरने मनुष्यको कुछ ऐसा बनाया है कि विगड़नेके लिए अनेक अवसर आते रहनेपर भी वह बच जाता है। यह ईश्वरकी अलोकिक कला है। ब्रह्मचर्यके रास्तेके ये विच्छ हम दूर कर दे तो उसका पालन शक्य ही नहीं बल्कि आसान हो जाता है।

इस दशामें भी हम शरीर-बलमें दुनियाका मुकाबला करनेकी इच्छा रखते हैं। इसके दो रास्ते हैं—आसुरी और दैवी। आसुरी मार्ग है—शरीर-बल बढ़ानेके लिए चाहे जैसे उपाय करना, चाहे जैसे पदार्थोंका सेवन करना, शारीरिक प्रतियोगिता करना, गो-मास खाना इत्यादि। मेरा एक दोस्त बचपनमें मुझे कहा करता था कि हमें मास खाना ही होगा, नहीं तो हम अगेजोंके जैसे तगड़े न हो सकेंगे। गुजरातीके प्रसिद्ध कवि नर्मदाशकरने भी अपनी एक कवितामें ऐसी ही सलाह दी है। जापानको भी जब दूसरे देशोंका मुकाबला करना पड़ा तब गो-मास उसके आहारमें शामिल हो गया। यो आनुरी-रीतिमें हमें देह बनानी हो तो ऐसे पदार्थोंका सेवन करना ही होगा।

पर दैवी रीतिसे शरीरका विकास करना हो तो ब्रह्मचर्य उसका एक-ग्रन्थ उपाय है, मुझे जब कोई नैछिक ब्रह्मचारी कहते हैं तब मुझे अपने-आप पर दया धाती है। यहा मुझे यो मान-पत्र दिया गया है उसमें मैं नैछिक ब्रह्मचारी रहा गया हूँ। मुझे कहना होगा कि जिन्हें मान-पत्र लिज्जा है

ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है ? नैष्ठिक ब्रह्मचारीको तो न कभी बुखार आता है न कभी सिर-दर्द होता है, न कभी खासी सताती है और न कभी 'अपेंडिसाइटिस' (आतका फोड़ा) होता है । डाक्टर कहते हैं कि आतोमे नारगीके बीज रह जानेसे भी 'अपेंडिसाइटिस' होता है । पर जिसका शरीर स्वस्थ और निरोग है उसकी आतोमे बीज अटक ही नहीं सकते । जब आते शिथिल हो जाती है तभी इन चीजोंको अपने बलसे बाहर नहीं निकाल सकती । मेरी आते भी शिथिल हो गई होगी इसीसे मैं ऐसी कोई चीज न पचा सका हूँगा । बच्चे क्या-क्या चीजें खा जाते हैं माता इसका ध्यान कहा रख सकती है, पर उनकी आतोमे उन्हे पचा लेनेकी स्वाभाविक शक्ति होती है ।

इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझपर नैष्ठिक ब्रह्मचर्यके पालनका आरोप करके कोई मिथ्याचारी न बने । नैष्ठिक ब्रह्मचर्यका तेज तो मुझमे जितना है उससे सौ गुना अधिक होना चाहिए । मैं आदर्श ब्रह्मचारी नहीं हूँ । हा, होनेकी इच्छा अवश्य है । मैंने तो अपने अनुभवकी कुछ वूदे आपके सामने रखी हैं जो ब्रह्मचर्यकी मर्यादा बताती हैं ।

ब्रह्मचर्यका अर्थ यह नहीं है कि मैं स्त्री-मात्रका, अपनी वहनका भी, स्पर्श न करूँ । ब्रह्मचारी होनेका अर्थ यह है कि जैसे कागजको छूनेसे मेरे मनमे कोई विकार नहीं उत्पन्न होता वैसे ही स्त्रीका स्पर्श करनेसे भी नहीं । मेरी वहन बीमार हो और ब्रह्मचर्यके कारण मुझे उसकी सेवा करनेसे हिचकना पड़े तो वह ब्रह्मचर्य कौड़ी कामका नहीं । मुर्देको छूकर हम जिस अविकार दशाका अनुभव कर सकते हैं उसी अविकार दशाका अनुभव जब किसी परम सुन्दरी युवतीको छूकर भी कर सके तभी हम सच्चे ब्रह्मचारी हैं । अगर आप यह चाहते हैं कि आपके लड़के ऐसे ब्रह्मचर्यको प्राप्त करे तो इसका अभ्यास-क्रम आप नहीं बना सकते । कोई ब्रह्मचारी ही—चाहे वह मुझ जैसा अधूरा ही क्यों न हो—उसे बना सकता है ।

ब्रह्मचारी स्वाभाविक सन्यासी होता है । ब्रह्मचर्याश्रम सन्याससे अधिक ऊचा आथ्रम है । पर हमने उसे गिरा दिया है इसीसे हमारा गृहस्थाश्रम विगड़ा और बानप्रस्थ आश्रम भी विगड़ा और सन्यासका तो नाम भी नहीं रहा । आज हमारी दग्गा ऐसी दीन है ।

जो आसुरी मार्ग ऊपर हमने बताया है उसका अनुसरण करके तो पांच सौ सालमें भी हम पठानोका मुकावला न कर सकेंगे। हाँ, दैवी मार्गका अनुसरण किया जाय तो आज ही उनका मुकावला किया जा सकता है। कारण यह कि दैवी मार्गके लिए आवश्यक मानसिक परिवर्तन छनभरमें हो सकता है। पर शरीरके बदलनेमें युग लग जाते हैं। इस दैवी मार्गका अनुसरण हम तभी कर सकेंगे जब हमारे पास पूर्वजन्मका पुण्य-बल होगा और हमारे मा-बाप हमारे लिए जरूरी साधन जुटा देंगे।

## सत्य बनास ब्रह्मचर्य

एक मित्र श्री महादेव देसाईको लिखते हैं :

“आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ‘नवजीवन’ मे ब्रह्मचर्य विषयपर एक लेख प्रकाशित हुआ था जिसका आपने ‘यग इडिया’मे उल्था किया। उस लेखमे गाधीजीने स्वीकार किया है कि उन्हे अब भी जव-तव स्वप्न-दोप हो जाया करता है। उसे पढ़ते ही मेरे दिलमे यह बात आई कि ऐसे इकवालोका असर अच्छा नहीं हो सकता। पीछे मुझे मालूम हुआ कि मेरी शका निराधार न थी।

“विलायतमे प्रवासके समय प्रलोभनोके रहते मैंने और मेरे मित्रोने अपने चरित्रपर ध्वा नहीं आने दिया। हम माँस, मद्य और स्त्रीसे विलकुल दूर रहे। पर गाधीजीका लेख पढ़नेके बाद एक मित्रने हिम्मत हार दी और मुझसे कहा—‘ऐसे भगीरथ प्रयासके बाद भी जव गाधीजीका यह हाल है तो हमारी क्या विसात ? ब्रह्मचर्य-पालनकी कोशिश करना बेकार है। गाधीजीकी स्वीकारोक्तिने मेरी दृष्टि विलकुल ही बदल दी। आजसे मुझे डूवा समझो।’ थोड़ी हिचकके साथ मैंने उन्हे समझानेकी कोशिश की। वही दलील उनके सामने रखी जो आप या गाधीजी देते, ‘अगर यह रास्ता गाधीजी जैसे पुरुषोके लिए भी इतना कठिन है तो हम जैसोके लिए तो कहीं ज्यादा कठिन होना चाहिए। इसलिए हमें दुगनी कोशिश करनी चाहिए।’ पर सारी दलील बेकार गई। जिस चरित्रपर अवतक कलुषका छीटा भी न पड़ा था वह कीचड़से सन गया। अगर कोई आदमी गाधीजीको उनके इस पतनके लिए जिम्मेदार ठहराये तो वह या आप उसे क्या जवाब देंगे ?

“जवतक मेरे सामने ऐसा एक ही उदाहरण था तवतक मैंने आपको

नहीं लिखा। मुमकिन है, आप यह कहकर मुझे टाल देते कि यह दृष्टान्त तो अपवाद-रूप है। पर इधर मुझे इस तरहके और भी उदाहरण मिले हैं और मेरी आशका सर्वथा साधार सिद्ध हुई हैं।

“मैं जानता हूँ, कुछ बाते ऐसी हैं जो गाधीजीके लिए तो बहुत आसान हैं, मगर मेरे लिए विलकुल नामुमकिन हैं। पर ईश्वरके अनुग्रहसे मैं यह भी कह सकता हूँ कि कुछ बाते जो गाधीजीके लिए भी अशक्य हो मेरे लिए शक्य हो सकती हैं। इस ज्ञान या गर्वने ही मुझे अबतक गिरनेसे बचाया है, नहीं तो गाधीजीके उक्त इकवालने मेरे खतरेसे बाहर होनेके विश्वासकी जड़ पूरी तरह हिला दी है।

“क्या आप कृपाकर गाधीजीका ध्यान इस ओर खीचेगे, खासकर जब वह अपनी आत्म-कथा लिखनेमें लग रहे हैं? सत्य और नग्न सत्यको कहना बेशक बहादुरीकी बात है, पर दुनिया और ‘नवजीवन’ तथा ‘यग-इंडिया’के पाठक इससे उनके बारेमें गलत राय कायम करेगे। मुझे डर है कि एकके लिए जो अमृत है वह दूसरेके लिए विष न हो जाय।”

यह शिकायत पाकर मुझे अचरज नहीं हुआ। असहयोग-आन्दोलन जब पूरे जोरपर था और उसके दरमियान जब मैंने अपनेसे ‘समझकी एक भूल’हो जानेकी बात स्वीकार की तब एक मित्रने निर्दोष भावसे मुझे लिखा— “अगर यह भूल थी तो आपको उसे कबूल नहीं करना चाहिए था। लोगोको यह माननेके लिए उत्साहित करना चाहिए कि दुनियामें कम-से-कम एक आदमी तो है जो भूल-भ्रमसे परे है। लोग आपको ऐसा ही मानते थे। आपके भूल-स्वीकारसे वे हिम्मत हार देंगे।” यह आलोचना पढ़कर मुझे हँसी आई और रोना भी। हँसी आई लिखनेवालेके भोलेपनपर। पर लोगोको एक पतनशील प्राणीके भूल-भ्रमसे परे होनेका विश्वास दिलाया जाय, यह विचार ही मेरे लिए अस्त्वा था। जो आदमी जैसा है उसे वैसा जाननेमें सदा सवका हित है इससे कभी कोई हानि नहीं होती। मेरा दृढ़ विश्वास है कि मेरे झट अपनी भूले स्वीकार कर लेनेसे लोगोका हर तरह हित ही हुआ है। कम-से-कम मेरा तो इससे उपकार ही हुआ है।

यही बात मैं बुरे सपनोका होना स्वीकार करनेके बारेमें भी कह सकता

हूँ। पूर्ण ब्रह्मचारी न होते हुए भी मैं होनेका दावा करूँ तो इससे दुनियाकी बड़ी हानि होगी। यह ब्रह्मचर्यकी उज्ज्वलताको मलिन और सत्यके तेजको धूमिल कर देगा। भूठे दावे करके ब्रह्मचर्यका मूल्य घटानेका साहस मैं कैसे कर सकता हूँ? आज मैं यह देख सकता हूँ कि ब्रह्मचर्य-पालनके लिए जो उपाय मैं बताता हूँ वे काफी नहीं सावित होते, वे हर जगह कारगर नहीं होते, और केवल इसलिए कि मैं पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं हूँ। मैं दुनियाको ब्रह्मचर्य-का सीधा रास्ता न दिखा सकूँ और वह मुझे पूर्ण ब्रह्मचारी माने, यह बात उसके लिए बड़ी भयानक होगी।

मैं सच्चा खोजी हूँ, मैं पूर्ण जाग्रत हूँ, मेरा प्रयत्न अथक और अडिग है—इतना ही जान लेना दुनियाके लिए क्यों काफी न हो? इतना ही जानना औरोको उत्साहित करनेके लिए क्यों पर्याप्त न हो? भृठी प्रतिज्ञाओंसे सिद्धात स्थिर करना गलत है। सिद्धियोंको उनका आधार बनाना ही बुद्धिमानी है। यह दलील क्यों दी जाय कि जब मुझ-जैसा आदमी मलिन विचारोंसे न बच सका तब औरोके लिए क्या आशा हो सकती है? उसके बजाय यह क्यों न सोचा जाय कि अगर गाढ़ी, जो एक दिन काम-वासनाका गुलाम या आज अपनी पत्नीका मित्र और भाई बनकर रह सकता है और सुन्दर-से-सुन्दर युवतीको अपनी वहन या बेटीके रूपमें देख सकता है तब अदने-से-अदना और पापके गढ़में गिरा हुआ आदमी भी ऊपर उठनेकी आशा रख सकता है। ईश्वर अगर ऐसे कामुक-जनपर दया कर सकता है तो निश्चय ही दूसरे सब लोग भी उसकी दयाके अधिकारी होंगे।

पत्र लिखनेवाले भाईके जो मित्र मेरी कमियोंको जानकर पीछे हट गए वे कभी आगे बढ़े ही न थे। वह उनकी भृठी साधुता थी जो पहले ही भोक्तेमें उड़ गई। सत्य, ब्रह्मचर्य और दूसरे सनातन नियम मुझ-जैसे अधकचरे जनोंकी साधनापर आश्रित नहीं होते। वे तो उन वहुसख्यक जनोंकी तपश्चर्यकी अटल आधारपर खड़े होते हैं जिन्होंने उनकी साधनाका यत्न किया और उनका सपूर्ण पालन कर रहे हैं। जब मुझमें उन पूर्ण पुरुषोंकी बगलमें खड़े होनेकी योग्यता आ जायगी तब मेरे शब्दोंमें आगेसे कहीं अधिक निश्चय और बल होगा। जिसके विचार इश्वर-उधर भटकते नहीं रहते,

जिसका मन बुरी बातोंको सोचता नहीं, जिसकी नीद सपनोसे रहित होती है और जो सोते हुए भी पूरी तरह जागता रह सकता है वही सच्चे अर्थमें स्वस्थ है। उसे कुनैन खानेकी जरूरत नहीं होती। उसके शुद्ध रक्तमें हर तरहके छूट-विकारसे लड़ लेनेका बल होता है। तन-मन और आत्माकी पूर्ण स्वस्थ दशाकी प्राप्तिका प्रयत्न मैं कर रहा हूँ। पत्र-लेखक तथा उनके अल्प श्रद्धावाले मित्रों और दूसरोंको मेरा निमन्त्रण है कि इस कोशिशमें मेरा साथ दे और मेरी कामना है कि पत्र-लेखककी ही तरह उनके कदम भी आगे बढ़नेमें मुझसे ज्यादा तेज हो। मुझे जो-कुछ भी सफलता मिली है वह मुझमें कमियों और जब-तब वासनाके अधीन हो जानेकी दुबलताके होते हुए मिली है और मिली है केवल मेरे अथक प्रयत्न और भगवान्‌की दयामें मेरी असीम श्रद्धाकी बदौलत ।

अतः किसीके लिए भी निराश होनेका कारण नहीं। महात्मापन कौड़ी कामका नहीं। यह तो मेरी बाह्य प्रवृत्तियों, मेरे राजनीतिक कामोंका प्रसाद है, जो मेरे जीवनका सबसे छोटा अंग है, फलतः चद रोजा चीज है। जो वस्तु स्थायी मूल्यवाली है वह है मेरा सत्य-अहिंसा और ब्रह्मचर्य-आग्रह। यही मेरे जीवनका सच्चा अग है। मेरे जीवनका स्थायी अग कितना ही छोटा क्यों न हो, वह हैय माननेकी चीज नहीं है। वही मेरा सर्वस्व है। इस मार्गमें होनेवाली विफलताएं और भूल-भ्रमका ज्ञान भी मेरे लिए मूल्यवान् है, क्योंकि वे सफलताके मंदिरपर पहुँचनेकी सीढियां हैं।

## ब्रह्मचर्य-पालनके उपाय

ब्रह्मचर्य और उसके साधनोंके विषयमें मेरे पास पत्रोंका ताँता लग रहा है। अत दूसरे मौकोपर जो-कुछ कह या लिख चुका हूँ उसे ही दूसरे शब्दोंमें यहा दोहरा देता हूँ। ब्रह्मचर्यका अर्थ शारीरिक संयम-मात्र नहीं है, वल्कि उसका अर्थ है संपूर्ण इन्द्रियोपर पूर्ण अधिकार और मन-वचन-कर्मसे काम-वासनाका त्याग। इस रूपमें वह आत्म-साक्षात्कार या ब्रह्म-प्राप्तिका सीधा और सच्चा रास्ता है।

आदर्श ब्रह्मचारीको भोगकी वासना या सन्तानकी कामनासे जूझना नहीं पड़ता, वह कभी उसे कष्ट नहीं देती, उसके लिए सारा ससार एक विशाल परिवार होगा, मानव-जातिके कष्ट दूर करना ही उसकी सारी महत्वाकाक्षा होगी और सन्तानकी कामना उसके लिए विष-सी कडवी होगी। मानव-जातिके दुख-दैन्यका जिसे पूरा पता मिल गया है काम-वासना उसके चित्तको चलायमान कर ही नहीं सकती। अपने अदर वहने-वाले शक्ति-स्रोतका पता उसे अपने-आप लग जायगा और वह सदा उसे स्वच्छ, निर्मल बनाये रखनेका यत्न करेगा। उसकी छोटी-सी शक्तिके सामने सारा ससार श्रद्धासे सिर भुकायेगा और उसका प्रभाव राज-दण्डधारी सम्राट्‌के प्रभावसे बढ़ा-चढ़ा होगा।

पर मुझसे कहा जाता है कि यह आदर्श अशक्य है और 'तुम स्त्री-पुरुषमें जो एक दूसरेके प्रति सहज आकर्षण है उसका खयाल नहीं करते।' पर यहा जिस काम-प्रेरित आकर्षणकी ओर सकेत है मैं उसे स्वाभाविक माननेसे इनकार करता हूँ। वह प्रकृति-प्रेरित हो तो हमे जान लेना चाहिए कि प्रलय होनेमें अधिक देर नहीं है। स्त्री और पुरुषके बीचका सहज आकर्षण वह है जो भाई और वहन, माँ और बेटे, बाप और बेटीके बीच होता है। ससार

इसी स्वाभाविक आकर्षण पर टिका है । मैं सपूर्ण नारी-जातिको अपनी बहन, बेटी और माँ न मानूँ तो काम करना तो दूर रहे, मेरे लिए जीना भी कठिन हो जायगा । मैं उन्हे वासनाभरी दृष्टिसे देखूँ तो यह नरकका सीधा रास्ता होगा ।

सन्तानोत्पादन स्वाभाविक क्रिया अवश्य है, पर बैधी हृदके भीतर हीं । उस सीमाको लॉघना स्त्री-जातिके लिए खतरा पैदा करता, जातिको हृत-बीर्य बनाता, बीमारियोको बुलाता, पापको प्रोत्साहन देता और दुनियाको धर्म तथा ईश्वरसे विमुख करता है । जो आदमी सदा काम-वासनाके बसमे है वह बिना लगरकी नाव है । ऐसा आदमी समाजका पथ-प्रदर्शक हो, अपने लेखोसे उसे पाट रहा हो और लोग उनसे प्रभावित हो रहे हो तो फिर समाजका कहा ठिकाना लगेगा? फिर भी आज यही हो रहा है । मान लीजिए, दीपशिखाके गिर्द चक्कर काटनेवाला पतगा अपने क्षणिक सुखका वर्णन करे और हम उसे आदर्श मान उसका अनुकरण करे तो हमारी गति क्या होगी? नहीं मुझे अपनी सारी शक्तिके साथ कहना होगा कि कामका आकर्षण पति-पत्नीके बीच भी अस्वाभाविक है । विवाहका उद्देश्य पति-पत्नीके हृदयको हीन-वासनाओसे शुद्ध करके उन्हे भगवान्‌के निकट ले जाना है । पति-पत्नीके बीच भी कामना-रहित प्रेम होना नामुम-किन नहीं है । मनुष्य पशु नहीं है । पशुयोनिमे अगणित जन्म लेनेके बाद वह कही इस ऊँची दशाको पहुंच सका है । उसका जन्म तनकर खड़ा होनेके लिए हुआ है, घुटनोके बल चलने या रेगनेके लिए नहीं । पशुता मनुष्यतासे उतनी ही दूर है जितना चेतनसे जड़ ।

अन्तमें संक्षेपमें ब्रह्मचर्य-पालनके उपाय बताता हूँ—

पहला काम है ब्रह्मचर्यकी आवश्यकताको समझ लेना ।

दूसरा काम है इन्द्रियोको क्रमशः बशमे लाना । ब्रह्मचारीको अपनी जीभको तो बसमे करना ही होगा । उसे जीनेके लिए खाना चाहिए, रसना-सुखके लिए नहीं । आँखसे वही चीजे देखनी चाहिए जो शुद्ध, निष्पाप हों, गन्दी चीजोकी ओरसे उसे अपनी आँखे बन्द कर लेनी चाहिए । निगाह नीची करके चलना—उसे इधर-उधर नचाते न रहना, शिष्ट संस्कारवान

होनेकी पहचान है। इसी तरह ब्रह्मचारीको गन्दी अश्लील वाते सुनने और नाकसे तीव्र, उत्तेजक गध सूधनेसे भी परहेज रखना होगा। साफ-सुथरी मिट्टीकी सुगध वनावटी इत्रो, एससोकी खुशबूझे कही मधुर होती है। ब्रह्मचर्य-पालनके अभिलाषीके लिए यह भी आवश्यक है कि जबतक वह जागता रहे अपने हाथ-पैरोको किसी-न-किसी अच्छे काममे लगाये रखे। वह कभी-कभी उपवास भी कर लिया करे।

तीसरा काम है शुद्ध, स्वच्छ आचरणवालोका ही सग-साथ करना, उन्हीसे मित्रता जोड़ना और पवित्र पुस्तके ही पढ़ना।

आखिरी पर वैसे ही महत्वका काम है प्रार्थना। ब्रह्मचारीको नित्य नियमपूर्वक सपूर्ण अन्त करणसे राम नामका जप करना और भगवान्‌के प्रसादकी प्रार्थना करनी चाहिए।

इनमेसे एक भी वात ऐसी नहीं है जो साधारण स्त्री-पुरुषके लिए कठिन हो। वे अति सरल हैं, पर उनकी सरलता ही कठिनाई वनी रही है। जिसके दिलमे चाह है उसके लिए राह निहायत आसान है। लोगोमे ब्रह्मचर्य-पालनकी सच्ची इच्छा नहीं होती, इसीसे वे वेकार भटका करते हैं। दुनिया ब्रह्मचर्यके कमोवेश पालनपर ही टिक रही है, यही इस वातका प्रमाण है कि वह आवश्यक और हो सकनेवाला काम है।

## जनन-नियमन

वहुत झिखक और अनिच्छाके साथ मैं इस विषयपर कलम उठा रहा हूँ। मैं जबसे दक्षिण अफ्रीकासे लौटा तभीसे मुझे कितने ही पत्र मिलते रहे हैं, जिनमें जनन-नियमनके कृत्रिम साधनोंसे काम लेनेके बारेमें मेरी राय पूछी जाती है। उन पत्रोंके उत्तर निजी तौरपर तो मैंने दे दिये हैं; पर सार्व-जनिक रूपमें अबतक इस विषयकी चर्चा नहीं की थी। इस विषयने आजसे ३५ साल पहले, जब मैं विलायतमें पढ़ता था, अपनी ओर मेरा ध्यान खीचा था। उन दिनों वहां एक संयमवादी और एक डाक्टरके बीच गहरी बहस चल रही थी। संयमवादी प्राकृतिक उपायो—इन्द्रिय-संयमके सिवा और किसी उपायको जायज़ न मानता था और डाक्टर बनावटी साधनोंका प्रबल समर्थक था। उस कच्ची उम्रमें कृत्रिम उपायोंकी ओर थोड़े दिन भुक्तनेके बाद मैं उनका कटूर विरोधी हो गया। अब मैं देखता हूँ कि कुछ हिन्दी-पत्रोंमें इन उपायोंका वर्णन इतने नग्नरूपमें हो रहा है कि उसे देखकर हमारी शिष्टताकी भावनाको गहरा धक्का लगता है। मैं यह भी देख रहा हूँ कि एक लेखकको कृत्रिम उपायोंके समर्थकोंमें मेरा नाम लेते हुए भी संकोच नहीं हो रहा है। मुझे एक भी अवसर याद नहीं आता जब मैंने इन उपायोंके समर्थनमें कुछ कहा या लिखा हो। उनके समर्थकोंमें दो प्रतिष्ठित पुस्तपोंके नाम लिये जाते भी मैंने देखा है। पर उनकी इजाजतके बिना उनके नाम प्रकट करते मुझे हिचक होती है।

जनन-नियमनकी आवश्यकताके विषयमें तो दो मत हो ही नहीं सकते। पर युगोंसे इसका एक ही उपाय हमें बताया गया है और वह है इन्द्रिय-नियन्त्रण या ब्रह्मचर्य। यह अचूक, रामवाण उपाय है, जिससे काम लेनेवालेकी हर तरह भलाई होती है। चिकित्सा-शास्त्रके जानकार गर्भ-निरोधके

अप्राकृतिक साधन ढूँढनेके बदले अगर मन-इन्द्रियोको कावूमे रखनेके उपाय ढूँढे तो मानवजाति उनकी चिर-कृष्णी होगी । स्त्री-पुरुषके समागमका उद्देश्य इन्द्रिय-सुख नहीं वल्कि सन्तानोत्पादन है और जहाँ सन्तानकी इच्छा न हो वहाँ सभोग पाप है ।

बनावटी साधनोका उपयोग तो बुराइयोको बढ़ावा देना है । वे स्त्री और पुरुषको नतीजेकी ओरसे बिलकुल लापरवाह बना देते हैं । और इन उपायोको जो प्रतिष्ठा दी जा रही है उसका फल यह होगा कि लोकमत व्यक्तिपर अभी जो थोड़ा दाव-अकुश रखता है वह जल्दी ही गायब हो जायगा । अप्राकृतिक उपायोसे काम लेनेका निश्चित परिणाम मानसिक दुर्बलता और नाड़ी-मण्डलका शिथिल हो जाना है । दवा मर्जसे महगी पड़ेगी । अपने कर्मके फलसे बचनेकी कोशिश नासमझी और पाप है । जरूरतसे ज्यादा खा लेनेवालेके लिए यही अच्छा है कि उसके पेटमे दर्द हो और उसे उपवास करना पड़े । ठूँस-ठूँसकर खाना और फिर चूरन खाकर उसके स्वाभाविक फलसे बच जाना उसके लिए बुरा है । काम-वासनाकी मनमानी तृप्ति करना और उसके नतीजोसे बचना तो और भी बुरा है । प्रकृतिके हृदयमे दया माया नहीं है, जो कोई उसके नियमोको तोड़ेगा उससे वह पूरा बदला लेगी । नीति-सगत फल तो नीति-सगत सथमसे ही प्राप्त हो सकते हैं, और तरहके प्रतिवध तो जिस बुराईसे बचनेके लिए लगाये जाते हैं उसको उलटा और बढ़ा देते हैं ।

कृत्रिम उपायोके उपयोगके समर्थकोकी बुनियादी दलील यह है कि सभोग जीवनकी एक आवश्यक क्रिया है । इससे बड़ा भ्रम और कोई हो नहीं सकता । जो लोग चाहते हैं कि जितने बच्चोकी हमे जरूरत है उससे ज्यादा बच्चे पैदा न हो, उन्हे चाहिए कि उन नीतिसगत उपायोकी खोज करे जो हमारे पूर्व पुरुषोने ढूँढ निकाले थे, और उनका चलन फिर कैसे चल सकता है इसका उपाय मालूम करे । उनके सामने वहुत-सा आरभिक कार्य करनेको पड़ा है । वाल-विवाह जन-सत्याकी वृद्धिका एक प्रवान कारण है । रहन-सहनका वर्तमान ढगभी बच्चोकी वेरोक बाढ़मे वहुत सहायक होता है । इन कारणोकी खोज करके इन्हे दूर करनेका उपाय किया जाय तो समाज

सदाचारकी एक-दो सीढ़ियाँ और चढ़ जायगा । और अगर जनन-निरोधके उत्साही समर्थकोंने उनकी उपेक्षा की, प्राकृतिक साधनोंका चलन आम हो गया तो नतीजा नैतिक पतनके सिवा और कुछ नहीं हो सकता ।

जो समाज विविध कारणोंसे पहले बलवीर्य-रहित हो चुका है वह जन्म-निरोधके कृत्रिम उपायोंको अपनाकर अपने-आपको और निर्वल ही बनायेगा । अत. जो लोग बिना सोचे-विचारे कृत्रिम साधनोंसे काम लेनेका समर्थन कर रहे हैं उनके लिए इससे अच्छी वात दूसरी नहीं हो सकती कि इस विषयका नये सिरेसे अध्ययन करे, अपने हानिकर प्रचारको रोके और विवाहित-अविवाहित दोनोंको ब्रह्मचर्यके रास्तेपर चलानेकी कोशिश करें ।

१८

## कुछ दलीलोंपर विचार

जनन-नियमन विषय पर मेरे लेखको पढ़कर बनावटी साधनोंके समर्थकोंने मेरे साथ जोरोंसे पत्र-व्यवहार आरम्भ कर दिया है। मुझे इसीकी आशा भी रखनी चाहिए थी। उनकी चिट्ठ्योंमेंसे मैं तीनको, जो नमूनेका काम दे सकती हैं, चुन लेता हूँ। एक पत्र और भी देने लायक था, पर उसमें अधिकतर धर्म-शास्त्रोंकी दलीलें दी गई हैं, इसलिए उसे छोड़े देता हूँ। उन तीन पत्रोंमेंसे एकका उल्या यह है—

“जनन-नियमन विषयपर आपका लेख मैंने बड़ी रुचिके साथ पढ़ा। इन दिनों इस विषयने बहुतेरे शिक्षित पुरुषोंका ध्यान अपनी ओर खीच रखा है। पिछले साल हम लोगोंमें इस विषयपर लम्बे और गरम मुबाहसे हुए। उनसे कम-से-कम इतना तो सावित हो गया कि युवक वर्गको इस मसलेसे गहरी दिलचस्पी पैदा हो गई है, इसके बारेमें लोगोंमें बहुत-सी गलत धारणाएं हैं और इसकी चर्चामें बनावटी शालीनता बहुत बरती जाती है, और इसकी बहस खुलकर की जाय तो वह सभ्यताकी सीमाका उल्लंघन क्वचित् ही करती है। आपका लेख पढ़कर मैं इस बारेमें फिरसे सोचने लगा हूँ। मेरी प्रार्थना है कि आप इस विषयमें मेरी थोड़ी रहनुमाई करें, जिससे मेरे मनमें उठनेवाली बहुत-सी शकाएं दूर हो जाय।

“मैं इस बातको मानता हूँ कि ‘सन्तति-नियमनकी आवश्यकताके बारेमें दो मत नहीं हो सकते।’ मैं यह भी मानता हूँ कि ब्रह्मचर्य इसका अचूक और रामवाण उपाय है और जो उसे काममें लाता है वह उसका भला ही करता है। पर मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह प्रश्न आत्म-संयमसे अधिक जनन-निरोधका नहीं है? यदि है तो हमें देखना चाहिए कि संयम या इद्रिय-निग्रह सावारण मनव्यके लिए सन्तति-नियमनका सुलभ मार्ग है।

## अनीतिकी राहपर : कुछ दलीलोंपर विचार

“मैं मानता हूँ कि इस प्रश्नपर दो दृष्टियोंसे विचार किया जैसे सकता है—व्यक्तिकी दृष्टिसे और समाजकी दृष्टिसे। हर आदमीका कर्तव्य है कि अपनी विषय-भोगकी वासनाओंको दबाकर अपने आत्मवलकी बृद्धि करे। हर जमानेमें थोड़ेसे ऐसे महान् पुरुष पैदा होते हैं जो यह उच्च आदर्श अपने सामने रखते और आजीवन केवल उसीका अनुगमन करते हैं। पर अनावश्यक बच्चोंकी बाढ़ रोकनेके मसलेको, जिसे हल करनेपर हम तुल रहे हैं, वे समझते हैं, इसमें मुझे शक है। सन्यासी भोक्ष-प्राप्तिका प्रयासी होता है, सन्तति-नियमनका नहीं।

“पर क्या यह उपाय उस आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नको समयकी उचित सीमाके अदर हल कर सकता है जो जन-समाजके बहुत बड़े भागके लिए अतिशय महत्वका है? हर एक समझदार और आगेकी बात सोच सकनेवाले गृहस्थके सामने यह समस्या आज भी रास्ता रोककर खड़ी है। एक आदमी कितने बच्चोंको खिला-पिला, पहना, पढ़ा और उनकी रोजी-रोजगारका उपाय कर सकता है,—यह ऐसा प्रश्न है जिसे हमें तुरन्त हल करना होगा। मनुष्य-स्वभाव कैसा है यह आप जानते ही हैं। उसका ख्याल रखते हुए क्या आप हजारो-लाखो आदमियोंसे यह आशा रख सकते हैं कि सन्तानकी आवश्यकता पूरी हो जानेके बाद वे सभोगका सुख लेना बिलकुल ही बद कर देंगे? मैं समझता हूँ कि आप काम-वासनाकी बुद्धि-संगत, सयत तृप्तिकी इजाजत देंगे, जैसी कि हमारे स्मृतिकारोंकी सलाह है। अधिकाश जनोंसे न तो अपनी वासनाकी लगाम बिलकुल ढीली कर देनेको कहा जा सकता है, और न उसे पूरी तरह दबा देनेको। उनसे तो वस यही कहा जा सकता है कि उसे नियमके अदर रखें, बीचके रास्तेपर चलाए। पर यह मुमकिन हो तो भी क्या जरूरतसे ज्यादा बच्चोंका पैदा होना बन्द होगा? मैं मानता हूँ कि इससे अधिक अच्छे आदमी पैदा होंगे, पर दुनियाकी आवादी घटेगी नहीं बल्कि जन-सख्याकी बृद्धिकी समस्या इससे और विषम हो जायगी, क्योंकि स्वस्थ-सबल समाज निकम्मे लोगोंकी वनिस्वत ज्यादा तेजीसे बढ़ता है। जानवरोंकी अच्छी नस्ल पैदा करनेकी कला हमें अच्छे गाय-बैल और घोड़े देते हैं। पर पांचके बदले चार नहीं देती।

“मैं मानता हूँ कि ‘स्त्री-पुरुषके समागमका उद्देश्य सभोग-सुख नहीं, किन्तु सन्तानकी प्राप्ति है।’ पर आपको भी यह स्वीकार करना होगा कि एकमात्र सुखकी चाह ही मनुष्यको सभोगके लिए भले ही प्रेरित न करती हो; फिर भी अधिकतर वही इसके लिए उकसाती है। प्रकृति अपना काम निकालनेके लिए हमारे सामने यह चारा फेकती है। सुख न मिले तो कितने उसके प्रयोजनकी पूर्ति करेगे या करते हैं? ऐसे आदमी कितने होंगे जो सुखके लिए सभोग करते हों और सन्तानका प्रसाद पा जाते हों? और ऐसे कितने हैं जो सन्तानकी कामनासे सभोग करते हों और उसके घालमे सुखभी भोग लेते हों? आप कहते हैं—‘जहा सन्तानकी इच्छा न हो वहा सभोग पाप है, आप जैसे सन्यासीको यह कहना जरूर फवता है। आपने यह भी तो कहा ही है कि जो अपने पास जरूरतसे ज्यादा पैसा या चीजे रखता है वह ‘चोर’ और ‘डाकू’ है। और जो दूसरोंको अपनेसे अधिक प्यार नहीं करता वह अपने-आपको कम प्यार करता है। पर बेचारे दीन-दुर्वल मनुष्योंके प्रति आप इतने कठोर क्यों हो रहे हैं? सन्तानकी इच्छाके बिना उन्हें थोड़ा-सा सुख मिल जाय तो उनके तन-मनमे होनेवाले उलट-फेरोंसे पैदा होनेवाली बेचैनी मिट जाय। वच्चे पैदा होनेका डर कुछ लोगोंके मानसमे अशाति उत्पन्न कर देगा, कुछ लोग इस डरसे व्याह करनेमें देर करेंगे। सावारण्त व्याहके कुछ वरस वाद सतानकी चाह समाप्त हो जाती है। तो उसके बाद क्या पति-पत्नीका समागम अपराध माना जायगा? क्या आप समझते हैं कि जो आदमी इस ‘अपराध’के डरसे अपनी बेचैन वासनाओं-को दबा रखता है वह नीतिमे दूसरोंसे ऊचा है? आखिर जब जरूरतसे ज्यादा पैसा या माल-जायदाद बटोर रखनेवाले ‘चोरों’को आप सहन कर सकते हैं तो इन अपराधियोंको क्यों सहन नहीं कर सकते? इसलिए कि चोरोंकी सख्ता और वल इतना अधिक है कि उनको सुधारना सभव नहीं?

“अन्तमे आप यह फरमाते हैं कि ‘वनावटी साधनोंका उपयोग बुराईको बढ़ावा देना है। वे स्त्री और पुरुषको नतीजेकी ओरसे विलकुल लापरवाह बना देते हैं।’ यह इल्जाम सही हो तो सगीन है। मैं जानना चाहता हूँ कि ‘लोकमत’में क्या कभी इतना वल रहा है कि वह सभोगके अतिरेकको

## अनीतिकी राहपर : कुछ दलीलोंपर 'विचार'\*

रोक सके ? मैं जानता हूँ कि पियकड़ लोकनिन्दाके डरसे कुछ कम शरोब पीता है । पर मैं इन उन्नितयोसे भी अवगत हूँ कि 'जो मुहूचीरुत्तम है वह आहार भी देता है ।' और 'बच्चे तो भगवान्‌की देन है ।' मुझे इस वहमका भी पता है कि बच्चोंकी बहुलता पुरुषत्वका प्रमाण है । मैं ऐसे उदाहरण जानता हूँ जहा इस धारणाने पतिको पत्नीकी देहके उपभोगका अवाध अधिकार प्रदान कर दिया है और काम-वासनाकी तृप्तिको ही पति-पत्नीके नातेका मुख्य अर्थ मान लिया है । इसके सिवा क्या यह तय है कि अप्राकृतिक साधनोसे काम लेनेका निश्चित परिणाम मानसिक दुर्बलता और नाड़ी-मण्डलका शिथिल हो जाना है ? तरीके और तरीकेमें बहुत अन्तर करता है और मेरा विश्वास है कि विज्ञान इस कामकी अ-हानिकर विधिया ढूढ़ चुका है या जल्दी ही ढूढ़ लेगा । यह कुछ मनुष्यकी बुद्धिके बाहरकी बात नहीं है ।

"पर जान पड़ता है, आप किसी भी अवस्थामें उनसे काम लेनेकी इजाजत न देगे, क्योंकि कर्मके फलसे बचनेकी कोशिश अधर्म है, इसमें एतराजकी बात इतनी ही है कि आप यह मान लेते हैं कि सन्तानकी इच्छा न होनेपर अपनी वासनाकी सयत तृप्ति भी पाप है । इसके सिवा मैं पूछता हूँ, बच्चा पैदा होनेका डर क्या कभी किसीको अपनी भोगेच्छा तृप्ति करनेसे रोक सका है ? कितने ही स्त्री-पुरुष अपने सुख-स्वास्थ्यकी हानिकी परवाह न कर अताइयो, नीम-हकीमोके बताये उपाय करते हैं ? अपने कर्मके फलसे बचनेके लिए कितने गर्भ गिराये जाते हैं ? पर गर्भ-स्थिति या बच्चा पैदा होनेका डर कारगर रोक सावित हो भी जाय तो इसका नैतिक परिणाम नगण्य-सा ही होगा । फिर बच्चा मा-बापके पापका फल भोगे—व्यक्तिकी नासमझी समाजकी हानि करे—यह कहाका न्याय है ? यह सही है कि 'प्रकृति दया माया रहित है और अपने नियमका उल्लंघन करनेवालेको पूरा दड़ देती है ।' पर कृत्रिम साधनोसे काम लेना प्रकृतिके नियमको तोड़ना है यह कैसे मान लिया जाय ? बनावटी दात, आख, हाथ, पावकों कोई अप्राकृतिक नहीं कहता । अप्राकृतिक वही है जिससे हमारी भलाई नहीं होती । मैं यह नहीं मानता कि मनुष्य स्वभावसे बुरा है और इन उपायोका

उपयोग उसे और बुरा बना देगा। स्वाधीनताका दुरुपयोग आज भी कुछ कम नहीं होता। हमारा हिन्दुस्तान भी इस विषयमें दूसरोपर हँसने लायक नहीं है। इस नई शक्तिका उपयोग समझदारीके साथ किया जायगा, यह सावित करना भी उतना ही आसान है जितना यह सावित करना कि उसका दुरुपयोग किया जायगा। हमें जान लेना चाहिए कि मनुष्य प्रकृतिपर यह बड़ी विजय प्राप्त करना ही चाहता है और उसकी उपेक्षा करके हम अपनी ही हानि करेंगे। बुद्धिमानी इसमें है कि हम इस अशक्तिको कावूमें रखें, उससे भागनेमें नहीं है। लोक-हितके लिए काम करनेवाले कुछ अच्छे-से-अच्छे लोग भी, जो इन उपायोंके प्रचारक बन रहे हैं, इसलिए नहीं कि लोगोंको मनमाना इन्द्रिय-नुख भोगनेका सुभीता हो जाय, वल्कि इसलिए कि लोग अपनी वासनाको कावूमें लाना सीखे।

हमें यह बात भी याद रखनी होगी कि नारी-जाति और उसकी आवश्यकताओंकी हम बहुत उपेक्षा कर चुके। वह चाहता है कि इस वारेमें उसे भी जवान खोलनेका भौका दिया जाय, क्योंकि वह पुरुषको इसकी इजाजत देनेको तैयार नहीं है कि वह उसकी देहको बच्चे पैदा करनेका खेत समझे। सम्यताका बोझ उसके लिए इतना भारी पड़ रहा है कि वडे कुटुंबके पालनका बोझ उससे नहीं चल सकता। डाक्टर मेरी स्टोप्स और कुमारी ऐलन स्त्रीके 'नाड़ी-स्थानके शिथिल हो जाने'का उपाय कभी न करेगी। उनके बताये हुए उपाय ऐसे हैं जो स्त्रियोंद्वारा काममें लाये जानेसे ही कारण हो सकते हैं और उनके उपयोगसे असयत विषय-भोगको प्रोत्साहन मिलनेकी बनिस्वत् स्त्रीके मातृकर्तव्यका अधिक अच्छी तरह पालन कर सकनेकी आशा रखी जानी चाहिए। जो हो, कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं जब छोटी बुराईको स्वीकार कर लेना बड़ी बुराईसे बचा देता है। कुछ वीमारिया इतनी खतरनाक हैं कि नाड़ी-मण्डलकी शिथिलताकी जोखिम उठाकर भी उनसे बचना ही होगा। बच्चेको दूध पिलानेके कालके बीच ऐसे 'तटस्य काल' आते हैं जब समागम अनिवार्य होता है, पर उस समय गर्भ रह जाय तो स्त्रीके स्वास्थ्यके लिए हानिकर होता है। कितनी ही स्त्रियोंके लिए प्रसवमें जानकी जोखिम रहती है, यद्यपि और सब तरह वे स्वस्थ होती हैं।

“मैं यह नहीं चाहता कि आप जनन-नियन्त्रणके प्रचारक हो जायें, मैं आपसे इसकी आशा भी नहीं रख सकता। आपके दिव्यतम रूपके दर्शन तो तभी होते हैं जब आप सत्य और ब्रह्मचर्यकी पवित्र ज्योति जगाते और उसके खोजियोके सामने रखते हो। पर नासमझकी अपेक्षा समझदार मा-वापको इस ज्योतिकी तलाश अधिक होगी। जो जन्म-निरोधकी आवश्यकताको समझता है वह वासनाके निरोधका सामर्थ्य सहजमे प्राप्त कर लेगा। स्वच्छन्दता, बिना सोचे-विचारे काम करनेकी प्रवृत्ति और अज्ञान आज इतना बढ़ रहा है कि आपकी आवाज भी जगलमे रोने-जैसी हो रही है। आपके सकोचभरे और अनिच्छासे लिखे हुए लेखमे इसके लिए जितना अवकाश है इस विषय पर उससे अधिक खुली और आलोकजनक चर्चा होनेकी आवश्यकता है। आप उसमे शामिल न हो सके तो कम-से-कम उसकी आवश्यकता तो आपको स्वीकार कर लेनी चाहिए और जरूरी हो तो समय रहते उसकी रहनुमाई भी करनी चाहिए, क्योंकि हमारे रास्तेमे अनेक खड़-खाइया हैं और उन खतरोकी ओरसे आखे मूद लेने तथा इस विषयपर कलम उठानेमे हिचकनेसे कोई लाभ न होगा।”

मैं आरम्भमे ही यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह लेख न मैंने सन्यासियोके लिए लिखा है और न सन्यासीकी हैसियत से लिखा है। सन्यासी-का जो अर्थ समझा जाता है उस अर्थमे मैं अपने-आपको सन्यासी कह भी नहीं सकता। मैंने जो-कुछ लिखा है, उसका आधार मेरा २५ बरसका अपना अखड़ अनुभव ही है, जिसमे यदा-कदा, व्रतभग हुआ है और उन मित्रोका अनुभव है जिन्होने इस आजमाइशमे इतने दिनोतक मेरा साथ दिया कि उनके अनुभवसे मैं कुछ नतीजे निकाल सकता हूँ। इस प्रयोगमे युवा और वृद्ध, पुरुष और स्त्री सभी शामिल हैं। उसमे किसी हृदतक वैज्ञानिक ग्रामाणिकता होनेका दावा भी मैं कर सकता हूँ। उसका आधार निस्सन्देह शुद्ध नैतिक था; पर उसका आरम्भ सन्तति-नियमनकी इच्छासे ही हुआ। मेरी अपनी स्थिति खास तौरसे ऐसी ही थी। वादके सोच-विचारसे उससे जवदेंस्त नैतिक परिणाम उत्पन्न हुए; पर सब सर्वथा स्वाभाविक ऋसे ही उपजे। मैं यह कहनेका साहस भी कर सकता हूँ कि समझदारी और सावधानी-

से काम किया जाय तो विना अधिक कठिनाईके ब्रह्मचर्यका पालन किया जा सकता है। यह दावा अकेला मेरा ही नहीं है, जर्मनी और दूसरे देशोंके प्रकृति-चिकित्सक भी यही कहते हैं। ये लोग वताते हैं कि जलका उपचार, मिट्टीका लेप और विना मिर्च-मसालेका भोजन, खासकर फलाहार नाड़ी भड़लको शात करते हैं, और काम-क्रोधादिको जीतना आसान बना देते हैं तथा साथ-साथ नाड़ी-जालको सबल-सतेज भी बनाते हैं। राजयोगीको योग-क्रियाओंमें से अकेले प्राणायामके नियमित अभ्याससे भी यही लाभ होता है। न पश्चिमी उपचार-विधि सन्यासियोंके लिए है और न प्राचीन भारतीय साधन-प्रणाली ही, बल्कि दोनों खास तौरसे गृहस्थोंके लिए ही है।

कहा जाता है कि जनन-निरोधकी आवश्यकता हमारे राष्ट्रके लिए है, क्योंकि उसकी आवादी बहुत बढ़ती जा रही है। मुझे इसे माननेसे इनकार है। जनसख्याकी अतिवृद्धि अभीतक असिद्ध है। मेरी रायमें तो जमीनका वन्दोवस्त और बँटवारा ठीक तौरपर हो जाय, खेतीका ढग सुधर जाय और कोई सहायक धधा उसके साथ जोड़ दिया जाय तो यह देश आज भी दूनी आवादीके भरण-पोषणका भार उठा सकता है। इस देशमें जनन-निरोधका प्रचार करनेवालोंका साथ जो मैं दे रहा हूँ वह महज उसकी वर्तमान राजनीतिक स्थितिके ख्यालसे।

मैं यह जरूर कहता हूँ कि सन्तानकी आवश्यकता न रह जानेपर लोगोंको अपनी काम-वासनाकी तृप्ति बद कर देनी चाहिए। स्यमका उपाय लोक-प्रिय और प्रभावकर बनाया जा सकता है। शिक्षित वर्गने कभी उसे ठीक तौरसे आजमाया नहीं। सयुक्त परिवारकी प्रथाकी बदौलत इस वर्ग कुटुम्ब-वृद्धिका बोझ अभी महसूस ही नहीं किया। जो कर रहे हैं उन्होंने प्रश्नके नैतिक पहलुओंपर कभी विचार नहीं किया। ब्रह्मचर्यपर जहान्तहा दो-चार व्याख्यान हो जानेके सिवा, खासकर वच्चोकी अनिष्ट वाढ रोकनेके ही उद्देश्यसे, लोगोंको स्यमकी शिक्षा देनेके लिए कोई व्यवस्थित प्रचार नहीं किया गया। उलटे यह वहम अब भी बहुतोंमें बना हुआ है कि अधिक बाल-वच्चोंका होना सीभाग्यका चिह्न है। धर्मका उपदेश करनेवाले आम तौरपर यह उपदेश नहीं देते कि कुछ विशेष अवस्थाओंमें सन्तानोत्पत्ति

रोकना भी वैसा ही धर्म होता है जैसा दूसरी अवस्थाओंमें सतान उत्पन्न करना ।

मुझे ऐसी शका होती है कि जनन-निरोधके हिमायती इस बातको पक्की मान लेते हैं कि काम-वासनाकी तृप्ति जीवन-धारणके लिए आवश्यक और इष्ट कार्य है । उन्हे स्त्रियोके लिए चिन्ता प्रकट करते देखकर तो बड़ी दया आती है । मेरी रायमें वनावटी साधनोंसे गर्भ-निरोधके समर्थनमें स्त्रीके हितकी दलील देना उसका अपमान करना है । पुरुषकी कामुकता उसे यो ही काफी नीचे घसीट लाई है, अब कृत्रिम साधनोंका प्रचार—प्रचारकोकी नीयत कितनी ही अच्छी क्यों न हो—उसे और नीचे गिराये विना न रहेगा । मैं जानता हूँ कि कुछ नई रोशनीवाली स्त्रिया भी इन साधनोंका समर्थन कर रही है । पर मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि नारी-जातिका बहुत बड़ा भाग उन्हे अपने गौरवकी हानि करनेवाला मानकर ठुकरा देगा । पुरुषको सचमुच नारी-जातिके भलेकी चिन्ता है तो उसे चाहिए कि अपनी वासनाको वशमें करे । स्त्री उसे ललचाती नहीं । पुरुष आक्रान्ता होता है, इसलिए वस्तुतः वही, सच्चा मुजरिम और ललचानेवाला है ।

कृत्रिम साधनोंके समर्थकोंसे मेरा साग्रह अनुरोध है कि वे अपने प्रचारके नतीजोंपर गौर करे । इन उपायोंके अधिक उपयोगका फल होगा विवाहके वंधनका टूट जाना और स्वच्छन्द प्रेमकी बाढ़ । अगर पुरुषके लिए केवल वासनाकी तृप्तिके लिए ही सभोग करना जायज हो सकता है तो वह उस दशा-में क्या करेगा जब उसे लवे अरसे तक घरसे दूर रहना पड़े, या वह लवी लड़ाईमें सैनिकके रूपमें काम कर रहा हो, या विघुर हो गया हो, या पली इतनी बीमार हो कि अगर उसे सभोगकी इजाजत दे तो कृत्रिम साधनोंसे काम लेते हुए भी उसके स्वास्थ्यकी हानि हुए विना न रहे ?

पर एक दूसरे सज्जन लिखते हैं—

“जनन-नियंत्रणके विषयमें ‘यग इंडिया’के हालके अंकमें आपका जो लेख निकला है उसके संवन्धमें मेरा नम्र निवेदन है कि कृत्रिम साधनोंको हानिकर बताकर आप दावेको सबूत मान लेते हैं । पिछले सार्वभौम जनन-नियन्त्रण सम्मेलन (लद्दन, १९३२) की गर्भ-निरोध-परिषद्ने नीचे लिखे

आशयका प्रस्ताव स्वीकार किया था । इस प्रस्तावके विरोधमें उपस्थित १६४ डाक्टरोमेसे केवल तीनने हाथ उठाये थे—

“पाचवे सार्वभौम जनन-नियन्त्रण-सम्मेलनके चिकित्सक सदस्योंकी इस बैठककी रायमें गर्भ-निरोधके स्वास्थ्य-नियमोंके अविरोधी उपायोंके द्वारा जनन-निरोध शारीरशास्त्र, कानून और नीति-शास्त्र तीनोंकी ढृष्टिसे गर्भ-पातसे सर्वथा भिन्न वस्तु है । उसका यह भी कहना है कि गर्भ-निरोधके उत्तम उपाय और साधन स्वास्थ्यकी हानि करनेवाले हैं या वाभपन पैदा करते हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है ।”

“चिकित्सा-शास्त्रके पडित इतने स्त्री-पुरुषोंकी, जिनमें से कुछ दुनियाके सबसे बड़े डाक्टरोमेसे हैं, राय मेरी समझसे कलमके एक फर्राइट्से नहीं काटी जा सकती । आप कहते हैं ‘कृत्रिम साधनोंके उपयोगका अनिवार्य परिणाम मानसिक दुर्बलता और नाड़ी-मण्डलका शिथिल हो जाना है’—” वह ‘अनिवार्य’ क्यों है ? मैं यह कहनेका साहस करता हूँ कि अज्ञानवश हानिकर साधनोंके इस्तेमालसे भले ही ऐसा होता हो, पर आधुनिक वैज्ञानिक साधनोंके व्यवहारसे इस तरहकी कोई हानि कदापि नहीं होती । यह तो इस बातकी एक और दलील है कि गर्भ-निरोधकी समुचित विधि उन सब लोगोंको, जिन्हें उनकी जरूरत हो सकती है, अर्थात् सभी वय प्राप्त स्त्री-पुरुषोंको सिखा दी जानी चाहिए । आप इन विधियोंको बनावटी कहकर उनकी निन्दा करते हैं, फिर भी कहते हैं कि डाक्टर-वैद्य इन्द्रिय-स्यमके उपाय ढूढ़े । मैं आपका मतलब ठीक तरहसे समझ नहीं पाता, पर चूँकि आप डाक्टर-वैद्योंकी बात कहते हैं, इसलिए पूछता हूँ कि उनके ढूढ़े हुए उपाय भी तो उतने ही बनावटी, अप्राकृतिक होंगे ? आप फर्माते हैं, ‘समागमका उद्देश्य सुख-प्राप्ति नहीं, सन्तानोत्पादन है । यह उद्देश्य किसका है ?’ ईश्वरका ? ऐसा है तो उसने काम-वासनाकी सृष्टि किसलिए की ? आप यह भी कहते हैं कि ‘प्रकृति दया-माया-रहित है और अपना कानून तोड़नेवालेसे पूरा बदला लेती है ।’ पर प्रकृति अन्तत व्यक्ति नहीं है, जैसा कि ईश्वरके विषयमें माना जाता है; और किसीके नाम फरमान नहीं निकालती । प्रकृतिके राजमें कर्मका फल अवश्य मिलता है । कुछ कर्मोंको हम अच्छा कहते

है, कुछको बुरा । बनावटी साधनोंको वरतनेवाले भी उसी तरह अपने कर्मका फल भुगतते हैं जिस तरह उनसे काम न लेनेवाले अपने कर्मोंका भोगते हैं । अतः जबतक आप यह सावित न कर दे कि वाह्य साधन और विधिया हानिकारक हैं तबतक आपकी दलीलका कुछ अर्थ नहीं होता । अपने अनुभवके बलपर मैं कह सकता हूँ कि ये चीजे बुरी नहीं हैं, बशर्ते कि ठीक तौरसे काममें लाई जाय । किसीका काम भला या बुरा होनेका फैसला उसके फल देखकर ही किया जा सकता है, अनुमान-परम्पराके सहारे नहीं ।

“सन्तति-नियमका जो रास्ता आप बताते हैं मालथसने भी उसपर चलनेकी सलाह दी थी, पर आप जैसे दस-वीस विशिष्ट पुरुषोंको छोड़कर उसपर चलना और किसीके वसकी बात नहीं । ऐसे उपाय बतानेसे क्या लाभ जो काममें लाये ही न जा सके ? ब्रह्मचर्यकी महिमा बहुत बढ़ाकर गाई जाती है । वर्तमान युगके चिकित्सा-शास्त्रके प्रामाणिक पडित (मेरा मतलब उन लोगोंसे हैं जो इस मसलेको धर्मकी ऐनकसे नहीं देखते) मानते हैं कि २२-२३ की उम्रके बाद सभोग न करनेसे निश्चित रूपसे हानि होती है । सन्तानकी कामनाको छोड़कर और किसी उद्देश्यसे किये गए समागमको आप जो पाप मानते हैं इसका कारण धर्मकी ओर आपका अनुचित भुकाव है । फलकी गारटी पहलेसे तो कोई दे नहीं सकेगा, इसलिए आप हर आदमी-को या तो पूर्ण ब्रह्मचर्य-धारणका आदेश देते हैं या पापकी जोखिम उठानेका । शरीर-शास्त्र हमे यह शिक्षा नहीं देता, और लोगोंसे यह कहनेके दिन लद चुके कि वे विज्ञानकी उपेक्षा करके किसी सन्त-महात्माके आदेशका अधानु-सरण करें ।”

इस पत्रके लेखकको अपने मतका अटल आग्रह है । मैं समझता हूँ, यह दिखानेके लिए मैंने काफी मिसाले सामने रख दी कि अगर हमें विवाहको धर्म-व्यवहार मानना और उस व्यवहारकी पवित्रताको बनाये रखना है, तो हमे भोगको नहीं बल्कि सयमको जीवनका नियम मानना होगा । मैंने दावेको सबूत—विवादग्रस्त बातको सिद्ध—नहीं मान लिया हूँ, क्योंकि मैं तो बहुता हूँ कि उनन-निरोधके बाहरी उपाय कितने ही लच्छे क्यों न हो, पर हैं वे हानिकर ही । ही स्वता है, वे स्वयं निर्दोष हो और केवल इनलिए

हानिकारक हो कि वे सोई हुई काम-वासनाको जगाते हैं, जिसकी भूख भोजनसे ग्रात होनेके बदले और भड़कती जाती है। जिस मनको यह माननेकी आदत लग गई हो कि अपनी काम-वासनाकी तृप्ति केवल जायज ही नहीं, इष्ट भी है। वह जी भरकर विषय-सुख भोगेगा और अन्तमे मनसे इतना निर्वल हो जायगा कि वासनाओंको रोकनेकी उसमे शक्ति ही न रह जायगी। मैं मानता हूँ कि एक वारके सभोगका अर्थ भी उस अनमोल शक्तिका क्षय हैं जो स्त्री-पुरुष सबके तन-मन और आत्माका बल-तेज बनाये रखनेके लिए परमावश्यक है। इस प्रसगमे मैं आत्माका नाम ले रहा हूँ। पर अवतक मैंने इस चर्चासे उसको जान-वूँभकर बाहर रखा था, क्योंकि इसकी गरज महज अपने पत्र-लेखकोंकी दलीलोंका जवाब देना है, जिन्हे आत्माके होनेन होनेका कोई खयाल ही नहीं दिखाई देता। विवाहके अतिरेकमे पीडित और बल-तेज गँवाये हुए भारतको बनावटी साधनोंकी 'सहायतासे काम-वासनाकी परितृप्तिकी नहीं, बल्कि पूर्ण संयमकी शिक्षाकी आवश्यकता है, और किसी विचारसे न सही तो केवल इसलिए कि उसका गया हुआ बल-तेज उसे फिर प्राप्त हो जाय। नीति-नाशक दवाओंके विज्ञापन, जो हमारे पत्र-पत्रिकाओंके लिए कलकरूप हो रहे हैं, जनन-निरोधके हिमायतियोंके लिए चेतावनी होने चाहिए। दिखाऊ लज्जा या शालीनता मुझे इस विषयकी विस्तृत चर्चा करनेसे नहीं रोक रही है, बल्कि इस बातका निश्चित ज्ञान उससे रोक रहा है कि हमारे देशके तन-मनसे वे-दम नौजवान उन देखनेमे सही-सी लगनेवाली दलीलोंके सहजमे गिकार हो जाते हैं जो अस्यत विषय-भोगके पक्षमे दी जाती है।

दूसरे पत्र-लेखकने अपने पक्षकी पुष्टिमे जो डाक्टरी सर्टफिकेट पेग किया है उसका जवाब देना अब मुझे जरूरी नहीं मालूम होता। मैं न यह कहता हूँ और न इससे इन्कार ही करता हूँ कि कृत्रिम साधनोंके व्यवहारसे जननेन्द्रियोंकी हानि होती या वाभ्यपन पैदा होता है। पर अपनी ही स्त्रीके साथ अति विषय-भोगके फलसे जो सैकड़ों युवकोंके जीवनका नाश होते मैंने अपनी आखो देखा है, वडे-से-वडे डाक्टरोंकी पलटन भी उसे काट नहीं सकती।

पहले लेखकने जो बनावटी दातकी दलील दी है वह मेरी रायमें यहा नहीं लगती। बनाये हुए दात निस्सन्देह बनावटी और अप्राकृतिक चीज हैं, पर उनसे एक आवश्यकताकी पूर्ति हो सकती है। मगर जनन-निरोधके कृत्रिम साधन तो उस आदमीका चूरन फाकना है जो अपनी भूख मिटानेके लिए नहीं बल्कि जीभको तृप्त करनेके लिए खाना चाहता हो। स्वादके लिए भोजन भी वैसा ही पाप है जैसा केवल भोग-मुखके लिए सभोग करना।

तीसरे पत्रसे हमे एक जानने लायक वात मालूम होती है—“जनन-नियन्त्रणका प्रश्न दुनियाकी सभी सरकारोंको परेशान कर रहा है। यह तो आप जानते ही होगे कि अमरीकाकी सरकार इसके प्रचारकी विरोधिनी है। निश्चय ही आपने यह भी सुन रखा होगा कि एक पूर्वीय साम्राज्य जापानने इन साधनोंके प्रचार-व्यवहारकी आम इजाजत दे रखी है। एक हर हालतमें गर्भ-निरोधका निषेध करता है, चाहे वह कृत्रिम साधनोंसे किया जाय या प्राकृतिक साधनोंसे, दूसरा उसका पोषक प्रचारक है। दोनोंकी वृत्तियोंके कारण सर्वविदित है। मेरी समझसे अमरीकाके स्थानें कोई ऐसी वात नहीं जिसकी सराहना की जाय। पर जापानका कार्य क्या अधिक निदनीय है? उसे कम-से-कम वस्तुस्थितिका सामना करनेका यश तो मिलना ही चाहिए। वह अपनी आदादीका बढ़ना रोकनेके लिए लाचार है। मनुष्य-स्वभावको भी उसे, वह आज जैसा है वैसा, मानना ही होगा। ऐसी दशामें क्या जनन-निरोध उस अर्थमें, जिसमें पश्चिममें उसका ग्रहण होता है, उसके लिए एक-मात्र मार्ग नहीं? आप कहेगे, ‘हर्मिज़ नहीं।’ पर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप जो रास्ता चलाते हैं वह व्यवहार्य है? वह आदर्श भले ही हो, पर क्या उसपर चला जा सकता है? क्या जनन-समाजसे सभोग-मुखके कहने लायक त्यागकी आवश्यकता रखी जा सकती है? घोड़ेसे गौरवशाली पुरुषोंके लिए जो स्थान और व्रह्मचर्यका पालन करते हैं वह आसान हो सकता है? पर क्या यह रास्ता इस योग्य है कि इसके प्रचारके लिए सार्वजनिक आन्दोलन किया जाय? और हिन्दुस्तानकी हालत ऐसी है कि यहाँ देवव्यापी आम आन्दोलन होनेसे ही काम हो सकता है।”

अमरीका और जापानकी स्थितिसे अपनी अनभिज्ञता मुझे स्वीकार करनी ही होगी। जापान जनन-निरोधका प्रचार क्यों कर रहा है इसका मुझे पता नहीं। लेखककी वताई हुई बाते अगर सही हैं और अप्राकृतिक उपायोंसे जनन-निरोध जापानमें आम हैं तो मैं यह कहनेका साहस करता हूँ कि यह श्रेष्ठ राष्ट्र अपने नैतिक नाशकी ओर बहुत तेजीसे बढ़ रहा है।

हो सकता है, मेरी राय विलकुल गलत हो, मेरे सिद्धान्त गलत तथ्योंके आधारपर स्थिर किये गए हो। पर बनावटी उपायोंके समर्थक थोड़ा धीरज रखें। हालकी मिसालोंके सिवा उनके पास और कोई तथ्य-सामग्री नहीं है। निश्चय ही जो प्रणाली देखनेमें मनुष्यकी नीतिवृत्तिकी इतनी विरोधिनी जान पड़ती है उसके बारेमें निश्चयपूर्वक कुछ कहना अभी अति असामयिक है। अपनी जवानीके साथ खिलवाड़ करना आसान है, पर इस खिलवाड़के कुपरिणामोंसे बचना कठिन है।

## गुह्य प्रकरण

जिन पाठकोने आरोग्यके प्रकरण ध्यानपूर्वक पढ़े हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि इस प्रकरणको और भी ध्यानसे पढ़े, उसपर खूब विचार करें। अभी दूसरे प्रकरण लिखनेको वाकी है और मुझे आशा है कि वे उपयोगी भी होंगे। पर इस विषयपर दूसरा कोई भी प्रकरण इतने महत्त्वका न होगा। मैं पहलेसे बतला चुका हूँ कि इन प्रकरणोमें मैंने एक भी वात ऐसी नहीं लिखी है जिसको मैंने खुद अनुभव न किया हो और जिसपर मेरा दृढ़ विश्वास न हो।

आरोग्यकी बहुत-सी कुजिया है और सभी बहुत जरूरी हैं, पर उसकी मुख्य कुजी ब्रह्मचर्य है। अच्छी हवा, अच्छा पानी, अच्छी खूराकसे हम आरोग्य पा सकते हैं। पर हम जितना पैसा कमाये उतना सब उड़ा दे तो हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। वैसे ही हम जितनी तदुरुस्ती कमाये उतनी सब खर्च कर डाले तो हमारे पास पूजी क्या होगी? स्त्री-पुरुष दोनोंको आरोग्य-रूपी धनका सचय करनेके लिए ब्रह्मचर्य-धारणकी पूरी आवश्यकता है। इसमें किसीको भी शक-शुवहा न होना चाहिए। जिसने अपने वीर्यका सचय किया है वही वीर्यवान्, बलवान् कहा और माना जा सकता है।

पूछा जायगा, ब्रह्मचर्य है क्या चीज? पुरुष स्त्रीका और स्त्री पुरुषका भोग न करे, यही ब्रह्मचर्य है। भोग न करनेका अर्थ इतना ही नहीं है कि एक दूसरेको भोगकी इच्छासे स्पर्श न करे बल्कि मन इसका विचार भी न करे। इसका सपना भी नहीं होना चाहिए। पुरुष स्त्रीको देखकर पागल न हो, स्त्री पुरुषको देखकर। प्रकृतिने जो गुह्य शक्ति हमे दे रखी है, हमे उचित है कि उसको अपने शरीरमें ही बनाये रखे और उसका उपयोग केवल तनको ही नहीं, मन, बुद्धि और धारणा-शक्तिको भी अधिक स्वस्थ-सबल बनानेमें करें।

पर अब देखिये, हमारे आस-पास कौन-सा दृश्य दिखाई दे रहा है ? छोटे-वडे स्त्री-पुरुष सभी इस मोहमे डूब रहे हैं। ऐसे समय हम पागल-से हो जाते हैं। हमारी अकल ठिकाने नहीं रहती। काम हमे अधा बना देता है। कामके वशमे हुए स्त्री-पुरुषों और लड़के-लड़कियोंको मैंने बिलकुल पागल बन जाते देखा है। मेरा अपना अनुभव अभी इससे भिन्न नहीं है। जब-जब मेरी वह दशा हुई है मैं अपनी सुध-बुध खो बैठा हूँ। यह चीज है ही ऐसी। रत्ती-भर रति-सुखके लिए हम मन भरसे अधिक शक्ति पल भरमे गँवा बैठते हैं। जब हमारा नशा उत्तरता है तो हम रक बन जाते हैं। अगले दिन सबेरे हमारा शरीर भारी रहता है। हमे सच्चा चैन नहीं मिलता। हमारा तन शिथिल होता है और मन बेठौर-ठिकाने हो जाता है। इन सबको ठिकाने लगानेके लिए हम सेरो दूध चढ़ाते, रस-भस्म फाकते, 'याकूती' गोलिया खाते और बैद्योंके पास जा-जाकर 'पुष्टई' मागा करते हैं। क्या खानेसे काम बढ़ेगा, इसकी खोजमे लगे रहते हैं। यो दिन जाते हैं और ज्यो-ज्यो वरस बीतते हैं हमारा शरीर और बुद्धि शिथिल होती जाती है और बुढ़ापेमे अकल सठियाई हुई दिखाई देती है।

पर वस्तुत ऐसा होना ही न चाहिए। बुढ़ापेमे बुद्धि मद होनेके बदले और तीक्ष्ण होनी चाहिए। हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि इस देहमे मिले हुए अनुभव हमारे और दूसरेके लिए लाभदायक हो सके और जो ब्रह्मचर्यका पालन करता है उसकी ऐसी स्थिति रहती भी है। उसे मृत्युका भय नहीं रहता और मरते समय भी वह भगवान्‌को नहीं भूलता और न वेकारकी हाय-हाय करता है। मरणकालके उपद्रव भी उसे नहीं सताते और वह हँसते-हँसते यह देह छोड़कर मालिकको अपना हिसाब देने जाता है। जो इस तरह मरे वही पुरुष और वही स्त्री है। उसीने सच्चे स्वास्थ्यका सम्पादन किया, यह माना जायगा।

हम सावारणत यह नहीं सोचते कि दुनियामे जो इतना भोग-विलास, डाह, बैर, वडप्पनका गर्व, आडवर, क्रोध, अधीरता आदि है उसकी जड हमारे ब्रह्मचर्य भग करनेमे ही है। यो हमारा मन हाथमे न रहे और हम रोज एक या अनेक बार बच्चेसे भी अधिक नासमझ हो जाय तो फिर

जानकर या अनजानमे कौन-कौनसे पाप हम नहीं करेगे, कौन-सा घोर कर्म है जिसे करनेमे हमे अटक होगी ?

पर ऐसे लोग भी हैं जो पूछेगे—ऐसा ब्रह्मचर्य पालन करनेवालेको किसने देखा है ? सभी ऐसे ब्रह्मचारी हों जाय तो यह दुनिया कितने दिन टिकेगी ? इस प्रश्नपर विचार करनेमे धर्मकी चर्चा भी उठ सकती है। अतः उसके उस अगको छोड़कर मैं केवल लौकिक दृष्टिसे उसपर विचार करूँगा। मेरी रायमे यह दोनों सवाल हमारे कायरपन और डरपोकपनसे पैदा होते हैं। हम ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहते नहीं, इसलिए उससे भागनेके लिए बहानेदूढ़ते रहते हैं। ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाले इस दुनियामे वहुतेरे पड़े हैं। पर वे गली-गली मारे-मारे फिरे तो उनका मूल्य ही क्या होगा ? हीरा पानेके लिए हजारों मजदूरोंको धरतीके पेटमे समा जाना पड़ता है। इसके बाद भी जब धूल-ककड़ोका पहाड़ धो डाला जाता है तब कही मुट्ठीभर हीरा हाथ लगता है। तब सच्चे ब्रह्मचर्यरूपी हीरेकी तलाशमे कितनी मेहनत करनी होगी, इसका जवाब हर आदमी त्रैराशिक करके निकाल सकता है। ब्रह्मचर्यके पालनसे सृष्टिकी समाप्ति हो जाय तो इससे अपने रामको क्या लेना-देना है ? हम कुछ ईश्वर नहीं हैं। जिसने सृष्टि रखी है वह खुद उसकी फिक्र कर लेगा। दूसरे भी उसका पालन करेंगे या नहीं यह सवाल तो हमे करना ही न चाहिए। हम जब वाणिज्य-व्यापार, वकालत आदि करने लगते हैं तब तो यह नहीं पूछते कि अगर सभी वकील-व्यापारी हो जायगे तो क्या होगा ? जो ब्रह्मचर्यका पालन करेंगा उस पुरुष या स्त्रीको कुछ दिन बाद इस सवालका जवाब अपने-आप मिल जायगा। उसे अपने-जैसे दूसरे मिल जायगे और सभी ब्रह्मचारी हो जाय तो सृष्टि कैसे चलेगी यह भी दिनके उजालेकी तरह स्पष्ट हो जायगा।

ससारी मनुष्य इन विचारोंको किस तरह अमलमे ला सकता है ? विवाहित स्त्री-पुरुष क्या करे ? बाल-बच्चे वाले क्या करे ? जो कामको वशमे न रख सके वे क्या करे ?

हमारे लिए अच्छी-से-अच्छी स्थिति क्या हो सकती है, यह हमने देख लिया। इस आदर्शको हम अपने सामने रखे तो उसकी हूँवहूँ या उससे

कुछ उत्तरती नकल उतार सकेगे । हम वच्चेको अक्षर लिखना सिखाने लगते हैं तो सुन्दर-से-सुन्दर अक्षरके नमूने उसके सामने रखते हैं । वच्चा अपनी शक्तिके अनुसार उनकी पूरी-अधूरी नकल उतारता है । इसी तरह अखड़ ब्रह्मचर्यका आदर्श अपने सामने रखकर हम उसके अनुकरणका यत्न कर सकते हैं । व्याहकर लिया है तो क्या हुआ । प्रकृतिका नियम यही है कि स्त्री-पुरुषको जब सन्तानकी चाह हो तभी वे ब्रह्मचर्यका भग करे । जो दम्पत्ती इसका ध्यान रखते हुए दो-तीन या चार-पाच वरसमे एक बार ब्रह्मचर्यको तोड़ेगे वे विलकुल पागल नहीं बन जायगे और उनके पास वीर्यरूपी पूजी भी काफी जमा रहेगी । ऐसे स्त्री-पुरुष तो मुश्किलसे ही दिखाई देते हैं जो केवल सन्तानकी कामनासे ही सम्भोग करते हों । हजारों-लाखों जन तो अपनी काम-वासनाकी तृप्ति चाहते हैं और उसके लिए ही सम्भोग करते हैं । फल यह होता है कि उन्हे अपनी इच्छाके विरुद्ध सन्तानकी प्राप्ति होती है । विषय-सुख भोगनेमे हम इन्हे अन्धे हो जाते हैं कि आगे-पीछे कुछ सुझाई ही नहीं देता । इस विषयमे स्त्रीकी बनिस्वत पुरुष अधिक अपराधी होता है । वह इतना कामाध होता है कि स्त्रीमे गर्भ-धारण और वच्चेके पालन-पोषणका बोझ उठानेकी शक्ति है या नहीं, इसका उसे खयाल तक नहीं रहता ।

पश्चिमके लोग तो इस विषयमे सीमाका अतिक्रमण कर गये हैं । वे इसके लिए अनेक उपाय करते हैं कि वे विषय-सुख तो जी भरकर भोगते रहे पर वच्चोंका बोझ उन्हे न उठाना पड़े । इन उपायोंपर पुस्तके लिखी गई हैं और गर्भ-निरोधके साधन जुटाना एक रोजगार बन गया है । हम इस पापसे अभी तो मुक्त हैं, पर अपनी पत्नियोंपर गर्भ-धारणका बोझ लादते हमें तनिक भी आगा-पीछा नहीं होता, न इसकी ही परवाह होती है कि हमारी सन्तान निर्वल, निर्वुद्धि, वीर्यहीन और नपुसक होगी । उलटे घरमे वच्चा पैदा होता है तो इसे भगवानकी दया मानते और उसे धन्यवाद देते हैं । निर्वल, निर्जीव, विपर्यी अपग सन्तान हो इसे हम ईश्वरका कोप क्यों न माने ? वारह् वरसका वालक वाप बने इसमे किस बातकी खुशी मनाये, किस बातका उछाव-वधाव करे ? वारह् वर्पकी वन्चीका माता बनना ईश्वरका महाकोप क्यों न माना जाय ? साल दो-सालके लगाये

हुए पेड़मे फल आये तो उसकी बाढ़ मारी जायगी, यह हम जानते हैं और वह इतनी जल्दी न फले इसका उपाय करते हैं। पर बालबधके बालक वरसे सन्तान उत्पन्न हो तो हम गाते-बजाते और दावते देते हैं? क्या यह सामने खड़ी दीवारको न देखना नहीं है?

हिन्दुस्तानमे या दुनियामे और कही निर्विर्य-निकम्मे आदमी कीडो-मकोटोकी तरह पैदा हो तो इससे हिन्दुस्तान या दुनियाका उद्धार होगा? एक दृष्टिसे तो पशु ही हमसे अच्छे हैं। हमे जब उनसे बच्चा पैदा कराना होता है तभी हम नर-मादाका सयोग कराते हैं। सयोगके बाद गर्भ-काल और प्रसवके बाद जबतक बच्चेका दूध नहीं छूटता और वह बड़ा नहीं हो जाता तबतकका काल अति पवित्र माना जाना चाहिए। इस कालमे स्त्री-पुरुष दोनोंको व्रह्मचर्यका पालन करना चाहिए। पर इसके बदले हम क्षण-भर भी सोचे-विचारे विना अपना काम किये जाते हैं। इतना रोगी हो गया है हमारा मन! इसको कहते हैं असाध्य रोग। यह रोग हमे मीतके पास पहुँचा देता है, और मीत नहीं आती तबतक हम पागलकी तरह भरमते रहते हैं।

अत विवाहित स्त्री-पुरुषोका फर्ज है कि अपने विवाहका गलत अर्थ न लगाकर भी अर्थ लगाये और जब उन्हे सचमुच सन्तानकी इच्छा और आवश्यकता हो तभी उत्तराधिकारीकी प्राप्तिके उद्देश्यसे समागम करे। हमारी आजकी दयनीय दयामे यह होना बहुत ही कठिन है। हमारी खराक, हमारी रक्तनहन, हमारी बातचीत, हमारे आसपासके दृश्य सभी हमारी विषय-वाननाओं जगानेवाले हैं। अफीमके नदोंकी तरह विषय-वासना हमारे निर्गत नयार रक्ती है। ऐसी स्थितिमे विचार करके पीछे हटना चाहे तो भांगा? पर जो होना चाहिए वह कैसे होगा, यह प्रश्नेदारोंकी

ऊपर जो-कुछ लिखा गया है उससे हम यह नतीजा निकाल सकते हैं कि जो लोग अवतक अविवाहित हैं उन्हें इस कठिन कालमे व्याह करना ही न चाहिए। और अगर व्याह किये बिना चले ही नहीं तो जितनी देरसे कर सके, करे। २५-३० वर्ष तक व्याह न करनेकी तो युवकोंको प्रतिज्ञा ही कर लेनी चाहिए। इस व्रतसे स्वास्थ्यके अतिरिक्त जो अन्य अनेक लाभ होंगे उनका विचार हम यहा नहीं कर सकते। पर हर आदमी वे लाभ ले सकता है।

जो मा-वाप इस लेखको पढ़े उनसे मेरा कहना है कि जो लोग वचपन ही मेरे अपने बेटे-बेटियोंका व्याह या सगाई करके उन्हें बेच देते हैं वे उनका धोर अहित करते हैं। ऐसा करके वे अपने बच्चोंका हित करनेके बदले अपने ही अन्धे स्वार्थका साधन करते हैं। उन्हें अपना बड़प्पन दिखाना है, जाति-विरादरीमे नाम पैदा करना है, बेटेका व्याह करके हौसला निकालना है। उन्हें बेटेका हित देखना हो तो उसकी पढाई-लिखाईपर निगाह रखें, उसकी सेवा-जतन करें, उसकी देहको दृढ़-पुष्ट बनानेका उपाय करें। इस कठिन कालमे वचपनमे ही उनके गलेमे गृहस्थीका जुआ डाल देनेसे बढ़कर उनका अहित और क्या हो सकता है?

अन्तमे स्वास्थ्यका नियम यह भी है कि पति-पत्नीमेसे किसी एककी मृत्यु हो जाय तो दूसरा इसके बाद विधुरत्व या वैधव्य-ब्रतका पालन करे। कितने ही डाक्टर कहते हैं कि जवान स्त्री-पुरुषको वीर्यपातका मौका मिलना ही चाहिए। दूसरे कितने ही डाक्टर कहते हैं कि किसी भी हालतमे वीर्य-पात आवश्यक नहीं। जब डाक्टर आपसमे यो लड़ रहे हो तब यह मानकर कि डाक्टर हमारे मतका समर्थन करते हैं हम विषय-भोगमे लीन रहे, यह कदापि न होना चाहिए। मेरे अपने और जिन दूसरोंके अनुभव मैं जानता हूँ उनके आधारपर मैं निस्सकोच कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य-रक्षाके लिए सभोगकी आवश्यकता नहीं है, यही नहीं, उससे—वीर्य-व्ययसे—स्वास्थ्यकी भारी हानि होती है। अनेक वरमोंमे कमाई हुई तन-मनकी शक्ति एक बार-के वीर्य-पातसे भी इतना सर्च हो जाती है कि उस छोजको भरनेके लिए बहुत नमय चाहिए। और इतना बक्त लगाकर भी हम थपनी पहली

स्थितिको तो पहुँच ही नहीं सकते । टूटे हुए शीशेको मसालेसे जोडकर आप उमरो काम भले ही ले ले, पर वह होगा तो टूटा हुआ ही ।

वीर्यकी रक्षाके लिए स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, स्वच्छ आहार और स्वच्छ विचारकी पूरी आवश्यकता है । इस प्रकार सदाचारका स्वास्थ्यके साथ बहुत नजदीकका नाता है । पूर्ण सदाचारी पुरुष ही पूर्ण स्वास्थ्यका सुख भोग सकता है । ‘जगे तवसे सवेरा’ मानकर जो लोग ऊपर लिखी वातांपर भरपूर विचार करके उनमे दी हुई सलाहोपर अमल करेगे उन्हे सुर उनकी सचाईवा अनुभव हो जायगा । जिसने थोड़े दिन ब्रह्मचर्यका पालन किया होगा वह भी अपने तन और मन दोनोंका वल बढ़ा हुआ पायेगा । और यह पारस-मणि एक बार उसके हाथ लगी तो वह यावज्जीवन उसको बहुत सभालकर रखेगा । जरा भी चूकेगा तो तुरत उसे पता चल जायगा कि उसने भारी भूल की । मैंने तो ब्रह्मचर्यके अगणित लाभ जान और समझ लेनेके बाद भी भूले की ओर उनके कडवे फल भी चख लिये हैं । खूबके पहले अपने मनकी जो भव्य ददा थी और उसके बाद जो दीन ददा हो गई, दोनोंकी तानवीरे अब भी मेरी आँखोंके सामने आया करती है । पर अपनी चूकोने ही मैं इस पारस-मणिका मृत्यु जान सका । अब भी ब्रह्मचर्यका स्पर्श पालन कर नहूगा कि नहीं यह तो नहीं जानता, पर भगवान्‌की ददा ही मैंने पाल भानेकी आगा रखता हूँ । उसने मेरे तन-मनका जो उपकार है वह दर में देता भवता है । मैं बचपनमें व्याहा गया । बचपनमें ही कामसे

भोग-रत रहनेके बाद मैं जाग पाया । तब अगर वे २० साल भी मैं बचा सका होता तो आज मैं कहा होता ? मैं मानता हूँ कि वैसा हुआ होता तो आज मेरे उत्साहका पार न होता और जनताकी सेवामे या अपने स्वार्थके कामोमे ही मैं इतना उत्साह दिखलाता कि मेरी बराबरी करनेवालेकी पूरी परीक्षा हो जाती । इतना सार मेरे खडित ब्रह्मचर्यके उदाहरणमेसे खीचा जा सकता है । तब जो अखड ब्रह्मचर्यका पालन कर सकता है उसके शारीरिक, मानसिक और नैतिक बलको तो जिसने देखा है वही जान सकता है । उसका वर्णन नहीं हो सकता ।

इस प्रकरणको पढनेवालोने यह तो समझ ही लिया होगा कि जब मैंने विवाहितोंको ब्रह्मचर्य-धारणकी ओर जिनका घर उजड गया है उन्हें विधुर या विधवा बने रहकर ही जिदगी बितानेकी सलाह दी है तब विवाहित या अविवाहित स्त्री या पुरुषको और कहीं अपनी काम-वासना तृप्त करनेका अवकाश तो हो ही नहीं सकता । परन्तु परस्त्री या वेश्यापर कुदृष्ट डालनेके जो घोर परिणाम होते हैं उनपर विचार करनेके लिए हम यहा नहीं स्क सकते । यह धर्म और नीति-तत्त्वका गम्भीर प्रश्न है । यहा तो इतना ही कहा जा सकता है कि परस्त्री-गमन और वेश्या-गमनसे आदमी गरमी-सूजाक जैसे रोगोसे पीडित होता और सड़ता दिखाई देता है । प्रकृति इतनी दया करती है कि ऐसे स्त्री-पुरुषोंको अपने पापका फल तुरत मिल जाता है । फिर भी वे सोये ही रहते हैं और अपने रोगोंकी दवाकी खोजमे वैद्य-डाक्टरोंके यहा भटकते रहते हैं । परस्त्री-गमन न होतो ५० फीसदी वैद्य-डाक्टर बेरोज-गार हो जायगे । इन रोगोंने मनुष्य-जातिको इस तरह जकड लिया है कि विचारशील डाक्टर भी कहते हैं कि परस्त्री-गमनकी बुराई समाजसे न गई तो हमारे लाख खोज करते रहनेपर भी मानव-जातिका नाश निश्चित है । इससे होनेवाले रोगोंकी दवाए भी इतनी जहरीली है कि उनसे एक रोग जाता दिखाई देता है तो दूसरे देहमे डेरा डालते हैं और पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलते हैं ।

यह प्रकरण जितना नीचा था उससे अधिक लवा हो गया । अत अब विवाहित जनोंको ब्रह्मचर्य-पालनके उपाय बताकर इसे समाप्त करता

हूँ। महज खूराक, हवा-पानीके नियमोका पालन करके ही कोई विवाहित पुरुष ब्रह्मचर्य नहीं निभा सकता। उसे अपनी स्त्रीके साथ एकान्तमें मिलना-जुलना बद करना होगा। थोड़ा विचार करनेसे हर आदमी देख सकता है कि सभोगके सिवा और किसी बातके लिए अपनी स्त्रीसे एकान्तमें मिलनेकी जरूरत नहीं होती। रातमें पति-पत्नीको अलग-अलग कमरोमें सोना चाहिए। दिनमें दोनोंको अच्छे कामों और अच्छे विचारोमें सदा लगे रहना चाहिए। जिनसे अपने सद्-विचारको उत्तेजन मिले ऐसी पुस्तके पढ़े। ऐसे स्त्री-पुरुषोंके चरित्रोंका मनन करे और विषय-भोगमें दुख-ही-दुख है इसे सदा स्मरण रखें। संभोगकी इच्छा जव-जव हो तब-तब ठड़े पानीसे नहा लिया करे। शरीरमें रहनेवाली महाग्नि इससे और अच्छा रूप प्राप्त करेगी और स्त्री-पुरुष दोनोंके लिए उपकारक होकर उनके सच्चे सुखकी वृद्धि करेगी। यह बात है तो कठिन, पर कठिनाईयोंको जीतनेके लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। जिसे सच्चा स्वास्थ्य भोगना हो उसे इस कठिनाईपर विजय प्राप्त करनी ही होगी।

## सुधार या बिगाड़

एक भाई जिन्हे मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लिखते हैं

“क्या प्रचलित नीति प्राकृतिक है? यह प्रश्न मनमें वारवार उठा करता है। आपने ‘नीति-धर्म’ लिखकर आजकी प्रचलित नीतिका समर्थन किया है। पर क्या यह नीति प्रकृति-प्रेरित है? मुझे तो ऐसा लगता है कि यह अप्राकृतिक है। आजकी नीतिकी बदौलत ही तो मनुष्य विषय-भोगमें पशुसे भी अधिक अधम बन गया है। आजकी नीति-मर्यादामें विवाह-सम्बन्ध सन्तोषजनक शायद ही होता हो, होता ही नहीं कहूँ तो भी गलत न होगा। जब व्याहका नियम न था तब प्रकृतिके अनुसार स्त्री-पुरुषका समागम होता था और वह सुखदायी होता था। जबसे नीतिके बधन लगे तबसे तो यह समागम एक तरहकी व्याधि बन गया है जिसमें आज सारा जगत् ग्रस्त है और होता जा रहा है।

“फिर नीति कहे किसको? एककी नीति दूसरेके लिए अनीति है। एक एक ही स्त्रीके साथ व्याह करना स्वीकार करता है, दूसरा अनेक पत्निया करनेकी छूट देता है। कोई चाचा-मामाके बेटे-बेटीके साथ विवाह-सम्बन्ध त्याज्य मानता है, कोई इसकी इजाजत देता है। तब किसे नीति माने? मेरा तो कहना है कि व्याह एक सामाजिक विधान है, धर्मके साथ इसका कोई लगाव नहीं। अगले जमाने के महापुरुषोंने देश-कालके अनुसार नीति बना ली।

“अब आप देखें कि इस नीतिने दुनियाका किस तरह नाश किया है—

१. गरमी-सूजाक-जैसे रोग पैदा हुए। पशुओंमें इन वीमारियोंका पता नहीं है, इसलिए कि उनमें समागम प्रकृतिके नियमानुसार होता है।

२. भ्रूण-हत्या और बाल-हत्याएँ हुईं, यह लिखते तो कलेजा काम

## अनीतिकी राहपर : सुधार या बिगड़ी

उठता है। इस नीति-नियमके कारण ही कोमलहृदया माताँ कूर्चिनकर्र अपने ही हाथो, गर्भमें ही या गर्भसे बाहर आनेपर, अपने बच्चोका वध करती है।

३. बाल-विवाह, बेमेल विवाह इत्यादि इच्छा-विस्त्र समागम। इसी समागमकी बदौलत आज दुनिया, खासकर हिन्दुस्तान बल-वीर्यमें इतना रक्खे रहा है।

४ जन-जमीन-जरके भगडोमें 'जन' (स्त्री) के लिए होनेवाले भगडेका स्थान पहला है। यह भी आज चलनेवाली नीतिकी ही देन है।

"इन चारके सिवा और बाते भी होगी। तब मेरी दलील सही हो। तो क्या प्रचलित नीतिमें सुधार न होना चाहिए।

"आप ब्रह्मचर्यको मानते हैं सो तो ठीक है। पर ब्रह्मचर्य अपनी खुशीका होना चाहिए, जोर-जबर्दस्तीका नहीं। मगर हिन्दू तो लाखो विधवाओंसे जबर्दस्ती ब्रह्मचर्य रखवाते हैं। इन विधवाओंका दुख तो आप जानते हैं। इसकी बदौलत बाल-हत्याएँ होती हैं, यह बात भी आपसे छिपी नहीं है। ऐसी दशामें उनके पुनर्विवाहके पक्षमें आप जबर्दस्त आन्दोलन चलाये तो क्या यह कम महत्वका कार्य होगा? फिर इस ओर जितना चाहिए उतना ध्यान आप क्यों नहीं देते?"

मैं समझता हूँ, लेखकने इस लेखमें जो प्रश्न उठाये हैं वे केवल इसीलिए उठाये गये हैं कि मैं इस विषयपर कुछ लिखूँ। कारण यह कि इसमें जिस पक्षका समर्थन किया गया है उस पक्षका समर्थन लेखक खुद करता होगा यह मैं नहीं जानता। पर इतना जानता हूँ कि इस लेखमें जो प्रश्न आये हैं वे अब हिन्दुस्तानमें भी उठने लगे हैं। इन विचारोंकी पैदाइश पश्चिममें हुई है। व्याह दक्षियानूसी, जगली, अनीति बढ़ानेवाली प्रथा है—यह माननेवालोंकी सख्ता पश्चिममें पहले भी कुछ छोटी नहीं थी। अब तो शायद वह बढ़ती भी जा रही है। व्याहको जगली रिवाज माननेके लिए पश्चिममें जो दलीले दी जाती है उन सभीको मैंने नहीं पढ़ा है। पर प्रस्तुत लेखकने जो दलीले दी है वैसी ही वे हो तो मुझ-जैसे पुराण-पथी (या मेरा यह दावा टिक सकता हो तो सनातनी) को उनका खड़न करनेमें कोई कठिनाई या परेशानी न होगी।

मनुष्यकी पशुके साथ तुलना करना ही भ्रमकी जड़ है। मनुष्यके लिए जो नीति और मानदण्ड व्यवहृत होता है वह पशु-नीतिसे अनेक विषयोंमें भिन्न और श्रेष्ठ है। और इस भेदमें ही मनुष्यकी विशेषता है। इसलिए प्रकृतिके नियमोंका जो अर्थं पशु-योनिके लिए किया जाता है वह मनुष्य-योनिपर सदा घटित नहीं होता। मनुष्यको ईश्वरने विवेककी शक्ति दे रखी है। पशु पूर्णतया पराधीन हैं। पशुके लिए स्वतन्त्रता अर्थात् पसन्द, चुनाव जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। पर मनुष्यकी अपनी पसन्द होती है—दो चीजोंमेंसे एकको वह चुन सकता है, भले-बुरेका विचार कर सकता है, और स्वतन्त्र होकर काम करता है इससे उसके लिए पाप-पुण्य भी होता है। पर जहा उसके लिए पसन्द-चुनावका अवकाश है वहा पशुसे हीन बन जानेका अवकाश भी है। वह अगर अपने दिव्य स्वभावका अनुसरण करे तो वह पशुसे ऊपर भी उठ सकता है। जगली-से-जगली जान पड़ती हुई जातिमें भी थोड़ा-बहुत विवाहका वधन होता ही है। अगर कहिए कि इस वधनमेंही उसका जगलीपन है, क्योंकि पशु इस वधनमें वधता ही नहीं तो इसका अर्थ यह निकला कि स्वच्छन्दता ही मनुष्यका नियम है। पर सारे मनुष्य चौबीस घटे भी पूर्ण स्वेच्छाचारी बने रहे तो दुनियाका खातमा ही हो जाय। कोई किसीकी न सुने, न माने, स्त्री-पुरुषके बीच किसी मर्यादाका होना अधर्म माना जाय। मनुष्यके वासना-विकार तो पशुसे प्रवल होते ही हैं। इन विकारोंकी लगाम ढीली कर दी जाय तो इनके वेगमेंसे पैदा होनेवाली आग ज्वालामुखीका विस्फोट बनकर क्षण-भरमें दुनियाको भस्म कर डालेगी। थोड़ा-सा विचार करनेसे यह बात हमारे लिए स्पष्ट हो जायगी कि मनुष्यने जो इस जगत्‌के दूसरे अनेक प्राणियोंपर स्वामित्व प्राप्त कर लिया है वह केवल अपने संयम, त्याग, आत्म-बलिदान, यश और कुरवानीके बलसे ही किया है।

गरमी-सूजाकका उपद्रव व्याहकी बदौलत नहीं है। उनकी उत्पत्तिका कारण है विवाहके नियमोंका भग किया जाना और मनुष्यका पशु न होते हुए भी पशुका अनुकरण करते जाकर दूषित हो जाना। विवाहके नियमोंका पालन करनेवाले एक भी आदमीको मैं नहीं जानता जिसे कभी ऐसी भयानक वीमारिया हुई हो। चिकित्सा-शास्त्रने इस घातको सिद्ध कर-

दिया है कि जहा-जहा रोग हुए हैं वहां-वहा मुख्यतः विवाह-नीतिका भग करने या इस नीतिका भग करनेवालोके स्पर्शसे ही हुए हैं। बाल-विवाह और बाल-हत्याकी निर्दय प्रथा भी विवाह-नीतिसे नहीं बल्कि उस नीतिका भग करनेसे पैदा हुई है। विवाह-नीति तो यह कहती है कि जब पुरुष या स्त्री पूरी उम्रको पहुँच जाय, उसे सन्तानकी चाह हो, वह तन-मनसे स्वस्थ हो, तभी कुछ मर्यादाओके अदर रहते हुए वह अपने लिए योग्य साथी ढूँढ़ ले या उसके मा-बाप ढूँढ़ दे। उस साथीमे भी आरोग्य आदि गुण होने ही चाहिए। इस विवाह-नीतिका अनुसरण करनेवाले आदमी दुनियामे कही भी जाकर देखिए, सुखी ही दिखाई देगे। जो बात बाल-विवाहकी है वही वैधव्यकी भी है। दुखरूप वैधव्य विवाह-नीतिके भगसे ही उत्पन्न होता है। जहां शुद्ध सच्चा व्याह हुआ हो वहा वैधव्य या विधुरत्व सहज सुखरूप और शोभारूप होते हैं। विवाह-सम्बन्ध जहा ज्ञानपूर्वक जोड़ा जाता है वहा यह सम्बन्ध केवल देहका ही नहीं बल्कि आत्माका भी होता है। और आत्माका सम्बन्ध देह छूट जानेपर भी बना रहता है, वह तो कभी भुलाया ही नहीं जा सकता। जिसे इस सम्बन्धका ज्ञान है उसके लिए पुनर्विवाह अनहोनी बात है, अनुचित है, अधर्म है। जिस व्याहमे ऊपर बताये हुए नियमोका पालन न हो उस सम्बन्धको व्याह कहना ही न चाहिए। और जहा विवाह नहीं वहा वैधव्य या विधुरत्व-जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती। ऐसे आदर्श विवाह अगर हमें अधिक होते हुए नहीं दिखाई देते तो यह उस विवाहकी प्रथाका नाश करनेका नहीं बल्कि उसे दृढ़ नीवपर स्थापित करनेकी दलील होनी चाहिए।

सत्यके नामसे असत्य चलानेवालोकी सख्या देखकर कोई सत्यमें ही दोष निकाले या उसकी अपूर्णता सिद्ध करनेका यत्न करे तो हम उसे अज्ञान मानेंगे। वैसे ही विवाह-नीतिके भगके उदाहरणोसे उस नीतिकी निदा करनेका यत्न भी अज्ञान और अविचारका ही लक्षण है।

लेखकका कहना है कि विवाह धर्म या नीतिका विपय नहीं है, यह तो महज एक रूढ़ि या रिवाज है, और वह भी धर्म और नीतिके विरुद्ध है, इस-लिए इस लायक है कि उठा दिया जाय। पर मेरी अल्प भतिके अनुसार तो विवाह धर्मकी रक्षा करनेवाली वाड़ है और वह न रही तो दुनिया मे धर्म

नामकी कोई वस्तु भी न रहेगी। धर्मकी नीव ही संयम या मर्यादा है। जो आदमी संयमी, परहेजगार नहीं है वह धर्मको क्या समझेगा? पशुकी बनिस्वत मनुष्यमे वासना-विकार बहुत अधिक है। दोनोंके विकारोंकी तुलना हो ही नहीं सकती। जो आदमी अपनी वासनाओं, विकारोंको वशमे नहीं रख सकता वह ईश्वरकी पहचान कर ही नहीं सकता। इस सिद्धान्तका समर्थन करनेकी आवश्यकता ही नहीं। कारण यह कि जो ईश्वरका अस्तित्व अथवा आत्मा और देहकी भिन्नताको स्वीकार नहीं करता उसके लिए विवाह-वधनकी आवश्यकता सिद्ध करना कठिन होगा, यह मैं मानता हूँ। और जो आत्माका अस्तित्व स्वीकार करता और उसका विकास करना चाहता है उसे यह समझानेकी जरूरत होती ही नहीं कि देहका दमन किये विना आत्माकी पहचान या उसका विकास होना अनहोनी बात है। देह या तो स्वच्छद आचरणका साधन होगी या आत्माको पहचाननेका तीर्थक्षेत्र। अगर वह आत्माकी पहचान करनेवाला तीर्थस्थान है तो उसमे स्वेच्छाचारके लिए स्थान हो ही नहीं सकता। देहको आत्माके अधीन करनेका प्रयत्न प्रतिक्षण कर्त्तव्य है।

‘जन-ज्ञमीन-ज्ञर’ ‘भगडेके घर’ वही होते हैं, जहा संयम-धर्मका पालन नहीं होता। व्याहकी प्रथाको मनुष्य जितना ही आदर-मान देगा स्त्री ‘भगडेका घर’ बननेसे उतना ही बचेगी। अगर हरएक स्त्री-पुरुष पशुकी तरह जब जैसा चाहे आचरण कर सके तो सब मनुष्य आपसमें लडकर एक-दूसरेका नाश ही कर डाले। इसलिए मेरी तो यह पक्की राय है कि जिन दोष-दुराचारोंका उल्लेख लेखकने किया है उनकी दवा विवाह-धर्मका छेदन नहीं बल्कि उसका सूक्ष्म निरीक्षण और पालन है।

कहीं स्वजनो और निकट सम्बन्धियोंमे व्याहका सम्बन्ध जोडनेकी इजाजत है, कहीं नहीं, और यह निस्सदेह नीतिकी भिन्नता है। कहीं एक-पत्नी-त्रतका पालन धर्म माना जाता है, कहीं एक साथ कई पत्नियोंका पति बननेमें प्रतिवध नहीं होता। नीतिमे यह भिन्नता न होना इष्ट है। पर यह भेद हमारी अपूर्णताकी सूचना देता है, नीतिकी अनावश्यकताका नहीं। हमारा अनुभव ज्यो-ज्यो बटता जायगा त्यो-त्यो सब जातियो और सब

धर्मोंके माननेवालोमे नीतिकी एकता पैदा होती जायगी । नीतिकी सत्ता स्वीकार करनेवाला जगत् तो आज भी एकपत्नी-व्रतको ही आदरकी दृष्टिसे देखता है । कोई भी धर्म यह तो कहता ही नहीं कि अनेक स्त्रियोको पत्नी बनाना पुरुषपर फर्ज है, वह इसकी छूट भर देता है । देश-काल देखकर किसी वातकी इजाजत दे दी जाय तो इससे आदर्श गलत नहीं हो जाता और न आदर्शकी भिन्नता ही सिद्ध होती है ।

विधवाओंके विषयमे अपने विचार मैं अनेक बार प्रकट कर चुका हूँ । वाल-विधवाका पुनर्विवाह मैं इष्ट मानता हूँ । इतना ही नहीं, यह भी मानता हूँ कि उसका व्याह कर देना मा-वापका फर्ज है ।

: ११ :

## वीर्य-रक्षा

कुछ नाजुक मसलोकी निजी तौरपर चर्चा करना पसन्द करते हुए भी मुझे प्रकाश्य रूपमें उनकी चर्चा करनी पड़ती है। 'यग इडिया' के पाठक मुझे इसके लिए माफ करेंगे। पर जिस साहित्यको मुझे मजबूरन सरसरी तौरपर पढ़ लेना पड़ा है और श्री व्यूरोकी पुस्तकपर मेरी आलोचना-को लेकर मेरे पास जो पचासों पत्र आये हैं उनके कारण समाजके लिए अति महत्वपूर्ण एक प्रश्नकी सार्वजनिक रूपमें चर्चा करना जरूरी हो गया है। एक मलावारी भाई लिखते हैं—

"श्री व्यूरोकी पुस्तककी आलोचनामें आपने लिखा है कि ब्रह्मचर्य अथवा लबे अरसेतक सयम रखनेसे किसीकी हानि हुई हो, इसकी एक भी मिसाल हमें नहीं मिलती। मुझे खुद अपने लिए तो अधिक-से-अधिक तीन सप्ताह तक सयम रखना ही लाभजनक मालूम होता है। इसके बाद आम तौरसे मुझे वदन भारी और मन-शरीर दोनोंमें बेचैनी मालूम होने लगती है, जिससे मिजाजमें भी चिढ़चिड़ापन पैदा हो जाता है। तभी तबीयत ठिकाने आती है जब स्वाभाविक सयोग द्वारा वीर्यपात हो जाय या प्रकृति खुद ही स्वप्नदोषके रूपमें उसका उपाय कर दे। इससे देह या दिमागमें कमजोरी महसूस करनेके बदले सबैरे उठनेपर मैं अपना दिमाग ठड़ा और हल्का पाता हूँ और अपना काम अधिक उत्साहसे कर सकता हूँ।

"मेरे एक मित्रके लिए तो सयम स्पष्ट रूपसे हानिकर सिद्ध हुआ। उनकी उम्र ३२के लगभग होगी। पक्के शाकाहारी और धर्मनिष्ठ पुरुष है। न कोई तनका दुर्घटन है, न मनका। फिर भी दो साल पहले तक, जब उन्होंने व्याह किया, रातमें स्वप्नदोष होकर, बहुत अधिक वीर्यपात हो जाया करता था, जिससे सबैरे तन, मन दोनों बहुत सुस्त, कमजोर मालूम

होते थे । कुछ दिन बाद उन्हे पेड़मे असह्य पीड़ा होने लगी । गावमे एक वैद्यकी सलाहसे उन्होने व्याह कर लिया और अब भले-चगे हैं ।

“मैं बुद्धिसे तो ब्रह्मचर्यकी श्रेष्ठताका कायल हूँ, जिसके विषयमे हमारे सभी प्राचीन शास्त्र एकमत हैं । पर जो अनुभव मैंने ऊपर लिखा है उससे स्पष्ट है कि हमारी शुक्र-ग्रथियोंसे जो वीर्य निकलता है उस सबको पचा लेनेकी शक्ति हममे नहीं है और वह फाजिल वीर्य विष हो जाता है । अतः आपसे सविनय प्रार्थना है कि मुझ-जैसे लोगोंके लिए, जिन्हे सयम और ब्रह्मचर्यके महत्वमे पूर्ण विश्वास है, ‘यग इण्डिया’ मे हठयोगके आसन जैसा कोई साधन या क्रिया बतानेकी कृपा करे जिससे हम अपने शरीरमे पैदा होनेवाले वीर्यको पचा लेनेमे समर्थ हो सके ।”

पत्र-लेखकने जो मिसाले पेश की है वे सामान्य अनुभव हैं । ऐसे अनेक उदाहरणोंमे मैंने देखा है कि लोग दो-चार अनुभवोंको ही लेकर सामान्य नियम बना लेते हैं । वीर्यको पचा लेनेका सामर्थ्य लबे अभ्याससे प्राप्त होता है । यह अनिवार्य भी है, क्योंकि इससे हमे तन-मनका जो बल मिलता है वह और किसी साधनासे नहीं मिल सकता । दवाएं और ऊपरी उपाय शरीरको मामूली तौरसे ठीक रख सकते हैं । पर मनसे वे इतना निर्वल कर देते हैं कि वासनाएं और विकार घातक शत्रुकी तरह हर आदमीको सदा धेरे रहते हैं । उनका सामना करनेकी शक्ति उसमे नहीं रह जाती ।

हम अक्सर जो फल चाहते हैं उनसे उलटे फल देनेवाले नहीं तो उनकी प्राप्तिमे वाधक होनेवाले कर्म करते हैं । हमारा जीवन-क्रम वासनाओंकी तृप्तिको लक्ष्य मानकर ही बनाया गया है । हमारा भोजन, हमारा साहित्य, हमारा मन-वहलाव, हमारा काम करनेका समय, सभी इस ढगसे रखे गये हैं कि हमारी पागव वासनाओंको उभारे और पोसे । हममेंसे सैकड़े ६०-६५ लोगोंकी इच्छा होती है कि व्याह करे, बाल-वच्चे हो और जीवनका मुख—भयादित रूपमे ही सही—भोगे । जीवनके अन्ततक यही ढर्ढा चलता रहता है ।

पर नियमके अपवाद सदा हुए हैं, आज भी हैं । ऐसे लोग भी हुए हैं और हैं जो अपना सपूर्ण जीवन मानव-जातिकी सेवामे लगा देना चाहते थे । मानव-जातिकी सेवा भगवान्‌की भक्तिका समानार्थक है । वे अपने विशेष

कुटुम्बके पालन-पोषण और विश्वकुटुम्बकी सेवामे अपने समयका बटवारा करना नहीं चाहते। निश्चय ही ऐसे स्त्री-पुरुषोंके लिए वह साधारण जीवन-क्रम रखना सभव नहीं जो विशेष, वैयक्तिक स्वार्थोंकी पूर्तिको उद्देश्य मानकर बनाया गया है। जो भगवान्‌को पानेके लिए ब्रह्मचर्य-व्रत लेगा उसे जीवनकी लगाम ढीली कर देनेसे मिलनेवाले सुखोंका मोह छोड़ना ही होगा और इस व्रतके कडे बधनोंमें ही सुख मानना होगा। वह दुनियामें रहे भले ही, पर उसका होकर नहीं रहेगा। उसका भोजन, उसका काम-धधा, उसके काम करनेका समय, उसके मन-वहलावके साधन, उसका साहित्य, जीवनके प्रति उसकी दृष्टि, सभी साधारण जन-समुदायसे भिन्न होगे।

अब हम यह पूछ सकते हैं कि पत्र-लेखक और उनके मित्रने दया पूर्ण ब्रह्मचारी बननेका सकल्प किया था और किया था तो अपने जीवनके ढगको उस साचेमें ढाल लिया था? अगर यह नहीं किया था तो यह समझना कठिन नहीं कि क्यों एकको वीर्यपातसे आराम मिलता था और दूसरेको उससे सुस्ती-कमजोरी पैदा होती थी। व्याह निस्सदेह-दूसरेके लिए दवा था। उन लाखों-करोडों आदमियोंके लिए भी वह परम स्वाभाविक और इष्ट अवस्था है जिनका मन उनके न चाहनेपर भी सदा व्याह और विवाहित जीवनकी बाते सोचा करता है। न दवाये हुएपर अमूर्त विचारकी शक्ति उस विचारसे कहीं अधिक होती है जो मूर्तिमान हो चुका हो, अर्थात् कार्य-रूप प्राप्त कर चुका हो। और जब कर्मपर समुचित अकुश रखा जाता है तब वह खुद विचारपर ही असर डालने और उसे ठीक रास्तेपर लगाने लगता है। इस रीतिसे कार्य-रूप प्राप्त करनेवाला विचार बन्दी बनकर हमारे वशमें आ जाता है। इस दृष्टिसे देखिए तो व्याह भी संयमका एक प्रकार ही है।

जो लोग संयमका जीवन विताना चाहते हैं, उन्हे व्यारेवार हिदायते एक छोटें-से अखबारी लेखमें नहीं दी जा सकती। ऐसे लोगोंको तो मैं अपनी छोटी-सी पुस्तक 'आरोग्यविषयक सामान्य ज्ञान' पढ़ जानेकी सलाह दूंगा, जो इसी उद्देश्यको लेकर कुछ वरस पहले लिखी गई थी। नये अनुभवोंकी दृष्टिसे उसके कुछ अशोकों दौहरानेकी जरूरत जरूर हो गई है, पर उसके

एक भी शब्दको मैं वाग्स लेनेके लिए तैयार नहीं हूँ। फिर भी सयम-पालनके सामान्य नियम यहां बताये जा सकते हैं—

१. मिताहारी बनिए, सदा थोड़ी भूख वाकी रहते ही चौकेपरसे उठ जाइए।

२. अधिक मिर्च-मसालेवाली और अधिक धी-तेलमे तली-पकी साग-भाजियोंसे परहेज रखिए। जब दूध काफी मिलता हो तो अलगसे धी-तेल खानेकी जरूरत बिलकुल नहीं होती। और जब वीर्यका व्यय बहुत थोड़ा होता है तब थोड़ा भोजन भी काफी होता है।

३. तन-मन दोनोंको सदा सुथरे कामोंमे लगाये रखिए।

४. जल्दी सोने और जल्दी उठनेका नियम जरूरी चीज है।

५. सबसे बड़ी बात यह है कि सयमका जीवन बितानेके लिए भगवान्‌के पाने, उनसे सायुज्य-लाभकी उत्कट जीती-जागती इच्छा होना पहली गर्त है। हृदय जब इस बुनियादी बातका अनुभव करने लगेगा तब यह विश्वास दिन-दिन बढ़ता जायगा कि भगवान् अपने इस औजारको खुद साफ-सुथरा और काम देने लायक बनाये रखेगे। गीता कहती है—

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः ।

रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥

और यह अक्षरण सत्य है।

पत्र-लेखक आसन और प्राणायामकी बाते करते हैं। मैं मानता हूँ कि सयमके पालनमे आसन-प्राणायामका स्थान महत्वपूर्ण है। पर मुझे खेदके साथ कहना पड़ता है कि इस विषयमे मेरा अनुभव इस लायक नहीं कि लिखा जाय। जहातक मैं जानता हूँ, इस विषयपर ऐसा साहित्य नहींके बराबर ही है जिसका आधार इस जमानेका अनुभव हो। पर यह क्षेत्र अन्वेषण करने योग्य है। मगर मैं अनुभवहीन पाठकोंको यह चेतावनी दूगा कि वे इसके प्रयोग न करे और न जो कोई हठयोगी उन्हें मिल जाय उसको गुरु बना ले। उन्हें यह विश्वास रखना चाहिए कि सयमयुक्त और धर्म-निष्ठ जीवन ब्रह्मचर्यके अति अभीष्ट लक्ष्यकी सिद्धिके लिए पर्याप्त है।

## मनोवृत्तियोंका प्रभाव

एक भाई लिखते हैं—

“जनन-निरोधके विषयपर ‘यग इडिया’मे आपने जो लेख लिखे हैं उन्हे मैं बड़े चावसे पढ़ता रहा हूँ। आशा है, आपने जे० ए० हैडफील्डकी पुस्तक ‘साइकालोजी एड मॉर्ल्स (मानस-शास्त्र और नीति) पढ़ी होगी। मैं उसके इन वाक्योंकी ओर आपका ध्यान खीचना चाहता हूँ—‘काम-वासना की अभिव्यक्ति जब हमारी नीति-भावनाके प्रतिकूल होती है तो हम उसे रति-सुख कहते हैं और जब वह हमारी प्रेम-भावनाके अनुकूल होता है तब हम उसे कामजनित आनन्द कहते हैं। काम-वासनाकी यह अभिव्यक्ति या तृप्ति पति-पत्नीके परस्पर प्रेमको नष्ट न करके उसको और गाढ़ा करती है। पर सयमरहित सभोग और काम-वासनाकी तृप्ति हेय सुख है, इस भ्रमसे किया जानेवाला इन्द्रिय-दमन दोनों अक्सर मिजाजमे चिड़चिड़ापन पैदा करते और प्रेमको शिथिल कर देते हैं।’ अर्थात्, लेखक यह मानता है कि सभोग सन्तानोत्पादनके अतिरिक्त पति-पत्नीके परस्पर प्रेमको भी अधिक पुष्ट और दृढ़ करता है, इसलिए वह एक धार्मिक सस्कार या क्रिया जैसा है और लेखककी वात ठीक हो तो केवल सन्तानोत्पादनके लिए किया जानेवाला ही सभोग जायज है—अपने इस सिद्धान्तका समर्थन आप किस तरह करेगे, यह जाननेकी मुझमे उत्सुकता है। मैं खुद तो लेखककी रायको ठीक ही मानना चाहता हूँ, क्योंकि वह मानस-शास्त्रके एक प्रमुख पड़ितकी राय तो है ही, मैं खुद भी ऐसे लोगोंको जानता हूँ जिनका दाम्पत्य-जीवन प्रेम-भावनाकी शरीर-सगके ऊपरे व्यक्त करनेकी स्वाभाविक इच्छाके दमनकी कोशिशसे विकृत और नष्ट हो गया है। एक मिसाल लीजिये। एक युवक और एक युवती एक दूसरेको प्यार करते हैं। पर उनके पास इतना पैसा

नहीं कि बच्चेके पालन पोषण-और पढाने-लिखानेका बोझ उठा सके । यह तो आप भी जानते ही होगे कि इस सामर्थ्यके बिना बच्चा पैदा करना पाप है । आप चाहे तो यह भी कह सकते हैं कि बच्चा पैदा करना स्त्रीकी तन्दुरुस्तीके लिए खराब होगा या उसके पास यो ही जरूरतसे ज्यादा बच्चे हैं । अब आपके मतानुसार इस जोड़ेके लिए दो ही रास्ते हैं—या तो वे व्याह करे और अविवाहितकी तरह अलग-अलग रहे या अविवाहित रहे । पहली हालतमे हैंडफील्डकी बात सही हो तो वासनाके दमनके कारण उनमे चिड़-चिड़ापन पैदा होगा और उनका प्रेम नष्ट होगा । दूसरी सूरतमे भी वह नष्ट होगा, क्योंकि प्रकृति हमारी मानव-व्यवस्थाओंका कर्तव्य लिहाज नहीं करती । यह बेशक हो सकता है कि वे एक-दूसरेसे जुदा हो जाय । पर इस बिलगावमे भी मन तो अपना काम करता रहेगा । अत. वासनाके दमनसे मानस विकृतिया उत्पन्न होगी । और अगर समाज-व्यवस्थाको बदलकर ऐसी कर दे कि हर आदमी अधिक-से-अधिक बच्चोंका बोझ उठानेमे समर्थ हो जाय तो भी जातिके लिए अति वश-वृद्धि और स्त्रीके लिए अति प्रसवका खतरा तो बना ही रहेगा । कारण यह कि पुरुष अतिशय सयम करते हुए भी साल-भरमे एक बच्चेका बाप तो बन ही जायगा । अत. आप या तो ब्रह्मचर्यका समर्थन करे या जनन-निरोधका । क्योंकि यदा-कदाके समागमका अर्थ भी प्रतिवर्ष एक सन्तानकी प्राप्ति हो सकती है और जैसा कि कभी-कभी अग्रेज पादरियोंके यहा होता है, यह पतिके लिए तो भगवान्‌का प्रसाद होगा; पर बेचारी पत्नीके लिए मौतके मुहमे पैठना हो सकता है ।

“आप जिसे सयम कहते हैं वह भी प्रकृतिके काममे उतना ही हस्तक्षेप है जितना गर्भ-निरोधके कृत्रिम साधन; बल्कि उससे बड़ा हस्तक्षेप है । गर्भ-निरोधके साधनोंकी बदौलत मनुष्य विषय-भोगमे अति कर सकता है और यह वह करेगा नि शक चित्तसे । और अगर वह अपने-आपको बच्चोंकी पैदाइशका कारण नहीं बनने देता तो उस पापका फल वह खुद ही भुगतेगा, और किसीको वह न भुगतना होगा । याद रखिये, खानोंके मज़बूरों और मालिकोंमे आज जो सघर्ष हो रहा है उसमे अन्तमे मालिक ही जीतेगे,

क्योंकि मजदूरोंकी सख्ती बहुत बड़ी है। बहुत अधिक बच्चे पैदा करनेवाले बच्चोंका ही अहित नहीं करते, मानव-जातिका भी करते हैं।”

यह पत्र मेरे लिए मनोवृत्तिया और उनके प्रभावका अध्ययन है। एक आदमीका मन रस्सीको साप मान लेता है। वह भयसे सुन्न हो जाता और बदहवास होकर भागता है, या फिर मन कल्पित सापको मारनेके लिए लाठी उठाता है। दूसरा बहनको पत्नी मान लेता है और उसकी काम-वासना जाग जाती है। पर ज्योंही उसे अपना भ्रम मालूम हो जाता है, त्यों ही वासना शान्त हो जाती है।

यही बात लेखकके दिये हुए उदाहरणके भी विषयमें है। बेगङ, काम-वासनाकी तृप्ति हेय सुख है—इस भ्रमसे किया जानेवाला इन्द्रिय-दमन मिजाजमें चिडचिढ़ापन पैदा होने और प्रेमके शिथिल होनेका कारण हो सकता है। पर अगर इन्द्रिय-संयम प्रेमको विशुद्ध बनाने, प्रेम-वन्धनको अधिक दृढ़ करने और वीर्यको अधिक अच्छे प्रयोजनके लिए वचा रखनेके उद्देश्यसे किया जाय तो वह प्रेमकी गाठको ढीली करनेके बदले उसे और दृढ़ करेगा। जिस प्रेमका आधार विषय-वासनाकी तृप्ति हो वह कितना ही उत्कट हो, फिर भी होगा स्वार्थका सौदा ही और हल्के-से-हल्के झटकेको भी वर्दित न कर सकेगा। और समागम जब पशुओंके लिए सस्कार या धार्मिक विधान नहीं है तब मानव जगत्‌में ही उसे यह पद क्यों दिया जाय? हम उसे वही क्यों न माने जो वह वास्तवमें है—वश-रक्षाके उद्देश्यसे किया जानेवाला प्रजोत्पादन, जो हमसे वरखस कराया जाता है? मनुष्यको ईश्वरने सकल्प या इच्छाकी थोड़ी-सी स्वतन्त्रता दे रखी है, इसलिए केवल वही पशु-पक्षियोंके जीवनकी अपेक्षा जिस अधिक ऊचे प्रयोजनके लिए उसका जन्म हुआ है, उसकी सिद्धिके लिए अपनी भोगेच्छाको रोकने, दबानेमें अपने मानव-अधिकारको काममें ला सकता है। सभोग प्रेमको न बढ़ाता है और न उसे बनाये रखने या उसके पोषण-वर्द्धनके लिए किसी तरह आवश्यक है। इसके अगणित अनुभव होते रहनेपर भी जो उसे प्रेम-वन्धनको अधिक दृढ़ करनेके लिए आवश्यक और इष्ट मानते हैं वह महज इसलिए कि ऐसा सोचने-माननेकी हमें आदत लग गई है। ऐसे कितने ही

उदाहरण बताये जा सकते हैं जिनमें सबसे प्रेमका बन्धन और दृढ़ हुआ है। हा, इतना जरूर है कि सबसे अपनी इच्छासे किया जाय, किसी वाहरी दबाव-से नहीं, और पति-पत्नी दोनोंको नीतिके अधिक ऊचे स्तरपर ले जानेके लिए किया जाय।

मानव-समाज सदा बढ़ती रहनेवाली वस्तु है, आध्यात्मिक दृष्टिसे उसका सतत विकास हो रहा है। यह बात सच है तो पशु-वासनाका दिन-दिन अधिक निग्रह ही उसका आधार होना चाहिए। इस दृष्टिसे विवाहको एक धार्मिक संस्कार मानना होगा, जो पति-पत्नी दोनोंको अनु-जासनके बन्धनमें बांधता है, और उनपर यह फर्ज कर देता है कि वे तीसरेके साथ शरीर-संग न करें। परस्पर शरीर-संगकी इजाजत भी, केवल सतानकी कामनासे हो तथा पति-पत्नी दोनों उसे चाहते हो और उसके लिए तैयार हो, तभी देता है। पत्र-लेखकने जो दो स्थितिया बताई हैं उन दोनोंमें सन्तान-की कामनाके बिना सभोगका सवाल नहीं उठता।

अगर हम यह मान लें, जैसा कि पत्र लिखनेवाले भाईने किया है कि सन्तति-प्राप्तिके उद्देश्यके बिना भी सभोग आवश्यक कार्य है तो वह स-दलीलकी गुजाइश ही नहीं रहती। पर यह दावा टिक नहीं सकता, क्योंकि दुनियाके हर हिस्सेमें कुछ सर्वश्रेष्ठ पुरुषोंके पूर्ण ब्रह्मचर्य-पालनकी पक्की नजीरे पेश की जा सकती है। ब्रह्मचर्यका पालन करना अधिकाश मनुष्योंके लिए कठिन है तो यह बात उसके शक्य या इष्ट न माननेकी दलील नहीं हो सकती। सौ साल पहले अधिकाश जनोंके लिए जो बात शक्य न थी आज उसकी शक्यता सिद्ध हो रही है और सीमा-रहित प्रगतिके लिए जो कालका बिना ओर-छोरवाला मैदान हमारे सामने खुला है, उसमें १०० सालकी भुगत ही क्या है? वैज्ञानिकोंका कहना अगर सही है तो हमें आदमीका चौला मिलना अभी कलकी ही बात तो है? उसकी शक्तिकी सीमाएँ कौन जानता है, कौन वाध सकता है? सोच तो यह है कि उसमें भला-वुरा करनेकी असीम शक्ति है इसके नित नये प्रमाण हमें मिलते जा रहे हैं।

सबसे प्रेमका शक्य और इष्ट होना मान लिया जाय तो उसके पालनके उपाय हमें ढूँढने और निकालने ही होंगे। और जैसा कि मैं किसी पिछले

लेखमे कह चुका हूँ अगर हमे संयम और नीति-वधनके अदर रहना है तो हमे अपना जीवन-क्रम बदलना ही होगा । लड़ू हमारे पेटमे पहुच जाय और हाथपर भी बना रहे, यह असम्भव प्रयत्न हमें न करना चाहिए । हम जनने-द्वियका नियमन करना चाहते हैं तो हमे और सभी इन्द्रियोपर अकुश रखना होगा । आख, कान, नाक, जीभ, हाथ और पावकी लगाम ढीली कर दी जाय तो जननेन्द्रियको काबूमे रखना असभव होगा । चिडचिडापन, हिस्टी-रिया या मूर्छा-रोग और पागलपनको भी ब्रह्मचर्य-पालनके प्रयत्नका परिणाम बताना गलत है । पता लगाया जाय तो ये रोग अधिकाशमे इद्रियोके असंयमके ही फल होते हैं । किसी भी पाप—प्रकृतिके नियमके किसी भी उल्लंघन—का दण्ड हमे न मिले यह हो नहीं सकता ।

मुझे शब्दोके लिए भगडा नहीं करना है । इद्रिय-संयम भी अगर गर्भ-निरोधके साधनोके समान ही प्रकृतिके काममे हस्तक्षेप है तो हुआ करे । मैं तब भी कहूँगा कि एक हस्तक्षेप जायज और इष्ट है, क्योंकि वह व्यक्ति और समाज दोनोंका हित करता है और दूसरा हस्तक्षेप दोनोंके पतनका कारण होता है इसलिए नाजायज्ञ है । संयम सन्तति-नियमनका एक-मात्र उपाय है, गर्भाधान-निरोधक साधनोंकी सहायतासे बच्चोंका पैदा होना रोकना जातिका आत्मघात है ।

खान-मालिक अगर अन्यायके रास्तेपर चलते हुए भी विजयी होगे तो इसलिए नहीं कि मजदूरोंके घर जरूरतसे ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, बल्कि इसलिए कि मजदूरोंने संयमका पाठ पूरे तौरपर नहीं पढ़ा है । बच्चे न हो तो खान-मजदूरोंके जीवनमे कोई वात ही न रहेगी जो उन्हे अपनी दशा सुधारनेकी प्रेरणा करे, और न मजदूरी बढ़ानेकी मागके लिए कोई उचित कारण रहेगा । क्या उन्हे शराब पीना, तवाक् पीना, जुआ खेलना चाहिए ? क्या यह कहना इसका कोई जवाब होगा कि खानोंके मालिक ये सभी वाते करते हैं और फिर भी उनपर हावी रहते हैं ? मजदूर अगर पूजीपतियोंसे अच्छे होनेका दावा नहीं कर सकते तो उन्हे दुनियाकी हमदर्दी मागनेका बया हक है ? इसीलिए कि पूजीपतियोंकी सख्त्या बढ़े और पूजीवादकी जड़ और मजवूत हो ? हमें यह आशा दिलाकर लोकतन्त्रकी पूजा करनेको

यह जाना है कि दुनियामें उसका राज होनेपर हमें अच्छे दिन देनेको मिलेगे। अब जिन वृश्चिकों हम पूजीपति और पूजीदादी देन बताते हैं उन्हें वे प्रमानेपर वरनेका दोषी हमें नहीं बनना चाहिए।

मैं जानता हूँ और यह मेरे क्लिक दुखकी बात भी है कि इत्रिय-निश्चिह्नान काम नहीं है। पर इस माध्यनाली धीमी प्रगतिसे हमें पदराना न चाहिए। 'उत्तापन नो दावला'। अग्रीरत्नाने मञ्जदूरी-पेंगा बर्गमें बहुत लघिल बरने पैश होनेकी बुराई नहीं दूर होने की। इस बर्गमें काम करनेवाले उन्नेकामों नामने एक विद्याल तार्य करनेको पड़ा है। उन्हें चाहिए कि भानु-जातियों नवमें दूँ निधनगोने अपने अनुभवकी अमृत्यु निधिमें हमें भी समझका पाठ पढ़ाया है, उसे अपने जीवन-प्रमरो बाहर न कर दें। यीरक्षणकी जिन मुमुक्षुत राजाट्यांकी विद्यामत उन्होंने हमें सौंपी है उनकी पर्याप्ति। जिस प्रयोगशालामें हूँ हूँ है वह आपकी नयेन्नेन्ये नामनों, उपराणोंमें स्थान प्रयोगशालांग लिखक बन्डी थी। संयमको उन नमीने एकारं गिए लगरी बताया है।

१३ :

## धर्म-संकट

“मैं विवाहित हूँ। ३० सालका हो चुका हूँ। पत्नीकी उच्च भी लगभग यही होगी। हमे पाच बच्चे हुए थे जिनमें से दो सौभाग्यवश परलोक सिधार चुके हैं। बाकी बच्चों के बारेमें मेरी क्या जिम्मेदारी है इसे मैं समझता हूँ। पर उस फर्ज को पूरा करना मुझे नामुमकिन नहीं तो अति कठिन अवश्य दिखाई देता है। आपने सयमकी सलाह दी है। पिछले तीन साल से मैं उसका पालन कर रहा हूँ, पर अपनी सहर्षमिणी की इच्छाके विरुद्ध ऐसा कर रहा हूँ। साधारण मनुष्य जिसे जीवन का सुख कहते हैं वह उसे भौगनेका आग्रह करती है। आप अपने ऊचे आसन से उसे पाप कह सकते हैं, पर मेरी जीवन-सगिनी उसे इस दृष्टिसे नहीं देखती। अधिक बच्चे पैदा करनेसे भी वह नहीं डरती। अपने दायित्वके जिस ज्ञान का मुझे गर्व है वह उसको नहीं है। मेरे मानव अधिकतर पत्नीका ही पक्ष करते हैं, और रोज ही घरमें झगड़ा होता रहता है। काम-वासनाकी तृप्ति न होनेसे पत्नीका मिजाज इतना चिड़चिड़ा और बिगड़ल हो गया है कि जरा-जरासी बातपर भड़क उठती है। अब मेरे सामने यह सवाल है कि इस मुश्किल को कैसे हल करूँ। जितने बच्चे अभी हैं वही मेरे लिए अधिक हैं। मैं इतना गरीब हूँ कि उनका ही पालन-पोषण ठीक तीरसे नहीं कर सकता। पत्नीको समझाना नामुमकिन दिखाई देता है। जो तृप्ति वह चाहती है वह न मिली तो मुमकिन है वह बुरा रास्ता पकड़ ले, पागल हो जाय या आत्मघात कर ले। सच कहता हूँ, कभी-कभी जीमें आता है कि देशका कानून डिजाज्ञ देता तो सभी अनचाहे बच्चों को गोली मार देता, जैसा आप लावारिस कुत्तों के साथ करेंगे। डघर तीन महीनेसे किसी दिन मुझे दूसरे जून रोटी न मिली, तीसरे पहरका नाश्ता भी न सीव नहीं हुआ। काम-धर्वेकी जिम्मेदारिया ऐसी है कि लगातार

कई दिन उपवास भी नहीं चल सकता। पत्नीको मेरे कष्टसे हमदर्दी नहीं, क्योंकि वह मुझे ढोगी समझती है। जनन-निरोध-विषयक साहित्यसे मेरा परिचय है। वह लुभानेवाली भाषामें लिखा गया है। ब्रह्मचर्य विषयपर लिखित आपकी पुस्तक भी पढ़ी है। मेरे लिए 'एक ओर कुछा है तो दूसरी ओर खाई' ।"

यह एक युवकके लिखे हुए हृदय-विदारक पत्रका अविकल भावार्थ है। लेखकने अपना पूरा नाम-पता दिया है। मैं उसे कई वरससे जानता हूँ। वह अपना नाम देते हुए डरते थे इसलिए इनके पहले दो बार मुझे गुमनाम पत्र लिखा। उन्हे आशा थी कि मैं 'यग इडिया'में उनकी चर्चा करूँगा। इस तरहके गुमनाम पत्र मेरे पास इतने आते हैं कि उनकी चर्चा करनेमें मुझे नकोच होता है। मुझे तो इस पत्रपर कुछ लिखनेमें भी झिझक हो रही है, गोकि मैं जानता हूँ कि उसकी बातें सोलह आने सही हैं, और वह ऐसे आदमीका लिखा हुआ है जो सयमके रास्तेपर चलनेकी सच्चे दिलसे कोशिश कर रहा है। विषय बहुत ही नाजुक है, पर मेरा दावा है कि मुझे ऐसे मामलोंका काफी अनुभव है और मैंने यह भी देखा है कि ऐसी कठिनाइयोंमें पड़े हुए लोगोंको मेरे बताये हुए उपायसे राहत मिली है, इसलिए मैं इस स्पष्ट कर्तव्यके पालनसे मुँह नहीं मोड़ सकता।

जहातक अंग्रेजी पढ़े हुए भारतीयोंका सबाल है भारतकी स्थिति हमारे गिरे दुहरी कठिनाई पैदा करती है। सामाजिक योग्यताकी दृष्टिसे पति और पत्नीमें इतना अन्तर होता है जिसे मिटाना एक तरहसे असभव ही है। पुछ युवक नभवतः यह सोचते हैं कि पत्नीको उसके मनपर छोड़ देनेसे ही हमारा मसला हल हो गया, हालांकि वे जानते हैं कि उनकी विरादरीमें तगड़ा नहीं दिया जाता, इसलिए उनकी पत्नीके लिए दूसरा व्याह कर लेना शर्य नहीं। दूनरे लोग—और वही वर्ग सबसे बड़ा है—अपनी पत्नियोंको अपने मानस-जीवनमा राखी न बनाऊ र केवल विषय-मुख भोगनेवा साधन मानता है। यकृत ही योद्ये लोग ऐसे हैं—अवश्य ही उनकी जूत्या दिन-दिन दर रही है—जिनकी अन्तरात्मा जाग चकी है और जो उन्हीं धर्म-दर्शन पढ़े हैं जो पार शिरनेवाले भाईके ज्ञानते दरमास्थित हैं।

मेरी रायमें स्त्री-पुरुषका समागम तभी जायज माना जायगा जब दोनों उसे चाहते हों। मैं नहीं मानता कि पति या पत्नी किसीको भी यह हवाहासिल है कि दूसरेको अपनी इच्छाकी पूर्तिके लिए मजबूर करे। और जिस दम्पतीका प्रश्न तत्काल हमारे विचारका विषय है उसके बारेमें मेरी स्थिरिठीक हो तो पत्नीके आग्रहके सामने भुक्ना किसी तरह पतिका नैतिक कर्तव्य नहीं है। पर यह इनकार पतिके सिरपर ज्यादा बड़ी और ऊची जिम्मेदारी लाद देता है। वह अपने आपको बड़ा साधक-संयमी समझकर पत्नीका हेय दृष्टिसे न देखे, बल्कि नम्रताके साथ यह स्वीकार करे कि जो बात उसके लिए अनावश्यक है वह पत्नीके लिए प्रकृतिका आदेश है, इसलिए वह उसके साथ बहुत ही स्नेह और मृदुताका व्यवहार करे और मनमें यह विश्वास रखे कि उसकी अपनी पवित्रता पत्नीकी काम-वासनाको उच्चतम प्रकारके शक्तिमें बदल देगी। अत उसे अपनी पत्नीका सच्चा मित्र, पथ-प्रदर्शक और उसका दुख-दर्द दूर करनेवाला होना होगा। अपनी पत्नीमें उसे पूरा विश्वास रखना होगा और अटूट धैर्यके साथ उसे यह समझाना होगा कि नीतिका कौन-सा तत्त्व उसके आचरणका आधार है, पति-पत्नीके परस्पर सम्बन्धका सच्चा रूप और विवाहका सच्चा अर्थ क्या है। यह करते हुए वह देखेगा कि बहुत-न्सी वाते जो पहले उसके लिए स्पष्ट नहीं थी अब स्पष्ट हो गईं और उसका संयम सच्चा होगा तो पत्नीके हृदयको वह अपने और भी निक्खीच लेगा।

प्रस्तुत मामलेमें मुझे कहना ही होगा कि केवल अधिक बच्चे पैद होनेका डर पत्नीकी सभोगेच्छा तृप्त करनेसे इनकार करनेका यथेष्ट कारण नहीं हो सकता। केवल बच्चोका भार उठानेके डरसे पत्नीके सभोगे प्रस्तावको अस्वीकार करना मुझे तो कायरपन-सा लगता है। कुटुम्बका बेहिसाब बाढ़ रोकना पति-पत्नीके अलग-अलग और संयुक्त स्वप्से अपर्नकाम-वासनापर अकुश रखनेके लिए अच्छा कारण है, पर वह अपने जीवन संगीके साथ सोनेका अधिकार छीननेके लिए यथेष्ट कारण नहीं हो सकता।

और फिर वच्चोसे इतनी घवराहट किसलिए? ईमानदार, मेहनती और समझदार आदमी निश्चय ही इतना पैसा कमा सकता है कि तीन

चार बच्चोंके भरण-पोषणका बोझ उठा ले । मैं यह मानता हूँ कि प्रस्तुत पत्र-लेखक-जैसे पुस्तकें लिए जो अपना सारा समय देशकी सेवामें लगा सकने-की सच्चे दिलसे कोशिश कर रहा है, यह कठिन होगा कि एक बड़े और बढ़ते हुए कृदुम्बका भरण-पोषण करे और साथ-साथ स्वदेशकी सेवा भी करता चले जिसकी करोड़ों सत्तानोंको आधे पेट खाकर रहना पड़ता है । इन पृष्ठोंमें अक्सर मैंने यह बात लिखी है कि हिन्दुस्तान जवतक गुलाम है तबतक बच्चे पैदा करना उचित नहीं । पर यह युवकों और युवतियोंके अविवाहित रहनेके लिए तो बहुत अच्छा कारण है, किन्तु विवाहित स्त्री-पुस्तके लिए एक-दूसरेके साथ दाम्पत्य असहयोग करनेका निश्चयात्मक हेतु नहीं हो सकता । हा, जब गुद्ध धर्मभावसे, अन्तरसे ब्रह्मचर्य-पालनकी ऐसी पुकार उठे कि उसे अनसुनी करना नामुमकिन हो तब यह असहयोग जायज होता है, बल्कि फर्ज हो जाता है । और यह पुकार जब सच्ची होगी तो दूसरे साथी पर भी इसका बहुत अच्छा असर होगा । वह समयसे उसपर वैसा असर न डाल सके तो भी ब्रह्मचर्य-पालन कर्तव्य होगा, भले ही इसमें अपने साथीका दिमाग खराब हो जाने या उसके मर जानेका भी खतरा हो । सत्यकी साधना और स्वदेशकी सेवाके लिए जैसे बलिदान अपेक्षित है, ब्रह्मचर्यकी साधना भी वैसे ही वीरोचित बलिदान मागती है । इतना कह चुकनेके बाद यह कहनेकी आवश्यकता शायद ही वाकी रहती हो कि कृत्रिम उपायोंसे सत्तानोत्पादन रोकना नीति-नाशक आचरण है और जीवनका जो आदर्श मेरे तर्कका आधार है उसमें इसके लिए स्थान नहीं है ।

१४

## मेरा व्रत

भलीभाति चर्चा कर लेने और गहरे सोच-विचारके अनन्तर १६०६ ई० मेरे मैंने ब्रह्मचर्य-व्रत लिया। व्रत लेनेके समयतक मैंने धर्मपत्नीकी राय इस विषयमे नहीं ली थी। व्रत लेते समय ली। उसकी ओरसे कुछ भी विरोध नहीं हुआ।

यह व्रत लेते हुए मुझे बहुत कठिन जान पड़ा। मेरी शक्ति अल्प थी। वासनाओंको दबाना कैसे हो सकेगा? अपनी पत्नीके साथ भी सविकार सम्बन्ध न रखना कुछ विचित्र-सी वात लग रही थी। फिर भी यही मेरा कर्त्तव्य है, यह मैं साफ देख सकता था। मेरी नीयत शुद्ध थी। अत भगवान् वल देगा यो सोचकर मैं कृद पड़ा।

आज बीस वरस बाद उस व्रतको याद करके मुझे आनन्दजनक आश्चर्य होता है। सथमके पालनेकी भावना तो १६०१ से प्रवल हो रही थी और मेरे उसका पालन कर भी रहा था। पर जो स्वतन्त्रता और आनन्द मुझे अब मिलने लगा वह १६०६ के पहले कभी मिला हो यह मुझे याद नहीं आता। कारण यह कि उस समय मैं वासनासे बधा था। किसी भी क्षण उसके बश हो जा सकता था। अब वासना मुझपर सवारी गाठनेमे असमर्थ हो गई।

इसके सिवा अब ब्रह्मचर्यकी महिमा मैं अधिकाधिक समझने लगा। व्रत मैंने फिनिक्समे लिया। धायलोकी सेवाके कामसे छुट्टी पाकर मैं फिनिक्स गया था। वहासे मुझे तुरत जोहान्सवर्ग जाना था। मैं वहा गया और एक महीनेके अदरही सत्याग्रह-समाजकी नीव पढ़ी। मानो यह ब्रह्मचर्य-व्रत मुझे उसके लिए तैयार करनेको ही आया हो! सत्याग्रहकी योजना मैंने पहलेसे नहीं बना रखी थी। उसकी उत्पत्ति तो अनायास और विना हमारे चाहे हुई। पर मैंने देखा कि उसके पहलेके मेरे सभी काम—फिनिक्स जाना,

जोसान्सवर्गका भारी घर-खर्च घटा डालना, और अन्तमे ब्रह्मचर्य-व्रत लेना मानो उसकी तैयारी थे ।

ब्रह्मचर्यके सम्पूर्ण पालनका अर्थ है ब्रह्मका साक्षात्कार । यह ज्ञान मुझे शास्त्रसे नहीं मिला था । यह अर्थ मेरे लिए धीरे-धीरे अनुभव-सिद्ध होता गया । इससे सम्बद्ध शास्त्र-वचन तो मैंने पीछे पढ़े । ब्रह्मचर्यमे शरीरकी रक्षा, बुद्धिकी रक्षा, आत्माकी रक्षा है, व्रत लेनेके बाद मैं इस बातका दिन-दिन अधिकाधिक अनुभव करने लगा । कारण यह कि अब ब्रह्मचर्यको घोर तपश्चर्या-रूप न रहने देकर रसमय बनाना था, इसीके सहारे चलना था । अत अब उसमे मुझे नित-नई खूबियोंके दर्शन होने लगे ।

पर मैं जो यो ब्रह्मचर्यसे रस लूट रहा था उससे कोई यह न समझ ले कि उसकी कठिनताका अनुभव मुझे नहीं हो रहा था । आज मेरे ५६ साल पूरे हो चुके हैं, फिर भी उसकी कठिनताका अनुभव तो होता ही है । यह असिधारा-व्रत है, इस बातको दिन-दिन अधिकाधिक समझ रहा हूँ । निरन्तर जाग्रत रहनेकी आवश्यकता देख रहा हूँ ।

ब्रह्मचर्यका पालन करना हो तो स्वादेन्द्रिय 'जीभ'को वशमे करना ही होगा । मैंने खुद अनुभव करके देखा कि जीभको जीत ले तो ब्रह्मचर्यका पालन बहुत आसान हो जाता है । इसलिए मेरे इसके बादके भोजन-विषयक प्रयोग केवल अन्नाहारकी दृष्टिसे नहीं बल्कि ब्रह्मचर्यकी दृष्टिसे भी होने लगे । मैंने प्रयोग करके देख लिया कि हमारी खुराक थोड़ी सादी और विना मिर्च-मसालेकी होनी चाहिए ओर प्राकृतिक अवस्थामे खाई जानी चाहिए । अपने विषयमे तो मैंने छ वर्षतक प्रयोग करके देख लिया है कि ब्रह्मचारीका आहार बनपकव फल है । जिन दिनों मैं सूखे या रसदार बनपकव फल खाकर रहता था उन दिनों मैं अपने आपमे जो निर्विकारता पाता था उस खुराकको बदल देनेके बाद उसका अनुभव न हो सका । फलाहारके समय ब्रह्मचर्य सहज था । दुरधाहारसे वह कष्ट-साध्य हो गया है । फलाहारसे दुरधाहारपर मुझे क्यों जाना पड़ा—इसकी चर्चा उचित स्थानपर की जायगी । यहा तो इतना कहना काफी है कि दूधका आहार ब्रह्मचर्यके लिए विधकारक है, इस विषयमे मुझे तनिक भी शका नहीं । इस कथनसे कोई यह अर्थ न निकाल

ले कि हर ब्रह्मचारीके लिए दूधका त्याग आवश्यक है। आहारका असर ब्रह्मचर्यपर कितना होता है इस विषयमें बहुत प्रयोग करनेकी आवश्यकता है। मुझे अबतक कोई ऐसा फलाहार नहीं मिला जो स्नायुओंको पुष्ट करने और आसानीसे पचनेमें दूधकी वरावरी कर सके, कोई वैद्य, हकीम या डाक्टर भी नहीं बता सका। इसलिए दूध विकार पैदा करनेवाली चीज है यह जानते हुए भी फिलहाल मैं किसीको उसके त्यागकी सलाह नहीं दे सकता।

वाह्य उपचारोंमें जैसे आहारके प्रकार और परिमाणकी मर्यादा आवश्यक है वैसे ही उपवासको भी समझना चाहिए। इद्रिया इतनी बलवान है कि उनपर चारों ओरसे, ऊपर और नीचेसे, दशों दिशाओंसे घेरा डाला जाय, तभी कावृमें रहती है। यह तो सभी जानते हैं कि आहारके बिना वे अपना काम नहीं कर सकतो। इसलिए इन्द्रिय-दमनके उद्देश्यसे इच्छापूर्वक किये हुए उपवाससे इन्द्रियोंको कावृमें लानेमें बहुत मदद मिलती है, इस विषयमें मेरे मनमें तनिक भी शका नहीं। कितने ही लोग उपवास करते हुए भी विफल होते हैं। इसका कारण यह है कि वे यह मान लेते हैं कि उपवाससे ही सबकुछ हो जायगा और शरीरसे स्थूल उपवास-मात्र करते हैं, पर मनसे छप्पन भोग भोगते रहते हैं। उपवासके दरमियान, उपवास समाप्त होनेपर कथा-कथा खायेंगे, इस कल्पनाका स्वाद हम लिया करते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि उससे न जीभ वशमें आई न जननेन्द्रिय। उपवासका सच्चा उपयोग वही है जहा मन भी देह-दमनमें साथ देता है, अर्थात् मनमें विषय-भोगके प्रति विरक्ति हो जानी चाहिए। विषय-वासनाकी जड़े तो मनमें ही होती है। उपवासादि साधनोंसे बहुत सहायता मिलती है, फिर भी वह मात्रामें थोड़ी ही होती है। कह सकते हैं कि उपवास करते हुए भी मनुष्य विषयोंमें आसक्त रह सकता है। पर उपवासके बिना विषयासक्तिका जड़-मूलसे जाना सभव नहीं। जत उपवास ब्रह्मचर्य-पालनका अनिवार्य अग है।

ब्रह्मचर्य-पालनका प्रयत्न करनेवाले बहुतेरे निष्फल होते हैं। इसका कारण यह है कि खाने-पीने, देखने-मुननेमें वे अब्रह्मचारीके जैसे रहते हुए भी ब्रह्मचर्य निभाना चाहते हैं। यह प्रयत्न वैसा ही है जैसी गरमीके मौसिममें

शीतकालका अनुभव करनेकी कोशिश। सयमी और स्वच्छद, त्यागी और भोगीके जीवनमें भेद होना ही चाहिए। साम्य केवल ऊपर-ऊपरसे दिखाई देता है। दोनोंका भेद स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। आंखका उपयोग दोनों करते हैं। पर ब्रह्मचारी देव-दर्शन करता है। भोगी नाटक-सिनेमामें लीन रहता है। कानसे दोनों काम लेते हैं। पर एक भगवद्-भजन सुनता है, दूसरेको विलासी गाने मुननेमें आनन्द आता है। जागरण दोनों करते हैं, पर एक जाग्रत अवस्थामें हृदय-मंदिरमें विराजनेवाले रामको भजता है, दूसरेको नाच-रंगकी धुनमें सोनेका ख्याल ही नहीं रहता। खाते दोनों हैं, पर एक शरीर-रूपी तीर्थक्षेत्रके रक्षार्थ देहको भोजन-रूपी भाड़ा देता है, दूसरा जवानके मजेकी खातिर देहमें वहुत-न्सी चीजोंको ढूंसकर उसे दुर्गंधमय बना देता है। यो दोनोंके आचार-विचारमें भेद रहा ही करता है और यह अतर दिन-दिन बढ़ता जाता है, घटता नहीं।

ब्रह्मचर्यके मानी हैं, मन-वचन-कायासे सम्पूर्ण इन्द्रियोंका सयम। इस सयमके लिए ऊपर बतायें हुए त्यागोंकी आवश्यकता है, यह मुझे दिन-दिन दिखाई देता गया। आज भी दिखाई दे रहा है। त्यागके क्षेत्रकी सीमा ही नहीं है, जैसे ब्रह्मचर्यकी महिमा भी नहीं है। ऐसा ब्रह्मचर्य अल्प प्रयत्नसे सधनेवाली वस्तु नहीं। करोड़ोंके लिए तो वह सदा केवल आदर्श स्वप रहेगा, इसलिए कि प्रयत्नशील ब्रह्मचारी तो अपनी कमियोंको हर ब्रह्म देखता रहेगा। अपने-मनके कोने-अतरेमें छिपे हुए विकारोंको पहचान लेगा और उन्हें निकाल बाहर करनेकी कोशिश सदा करता रहेगा। जबतक विचारोंपर यह कावृ न मिल जाय कि अपनी इच्छाके बिना एक भी विचार मनमें न आये तबतक ब्रह्मचर्य सपूर्ण नहीं। विचार-मात्र विकार है। उन्हें बगमें करनेके मानी हैं मनको बशमें करना। और मनको बशमें करना तो वायुको बगमें करनेसे भी कठिन है। फिर भी अगर आत्माका अस्तित्व सच्चा है तो वह वस्तु साध्य होनी ही चाहिए। हमारे रास्तेमें कठिनाइयां आती हैं, इनसे कोई यह न मान ले कि वह कार्य असाध्य है। यह परम अर्थ है और परम अर्थके लिए परम प्रयत्नकी आवश्यकता हो नो इनमें अचरज क्या।

पर स्वदेश जानेपर मैंने देखा जि ऐसा ब्रह्मचर्य केवल प्रयत्न-नाश्य

नहीं है। कह सकता हूँ कि तब तो मैं मूछामे था। मैंने मान लिया था कि फलाहारसे विकार जड़-मूलसे नष्ट हो जाता है, और अभिमानके साथ समझता था कि अब मुझे कुछ करना नहीं रहा।

पर इस विचारके प्रकरण तक पहुँचनेमे अभी देर है। तबतक इतना कह देना जरूरी है कि जो लोग ईश्वर-साक्षात्कारके उद्देश्यसे, जिस ब्रह्मचर्यकी व्याख्या मैंने ऊपर की है वैसे ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहते हो, वे अपने प्रयत्नके साथ-साथ ईश्वरपर श्रद्धा रखनेवाले होगे तो उनके निराश होनेका कोई कारण नहीं।

विषया विनिवर्तन्ते निराहरस्य देहिन ।

रसवर्ज्ञ रसोऽप्यस्य पर दृष्ट्वा निवर्तते ॥१

अत रामनाम और रामकृपा यही आत्मार्थीका अतिम साधन है, इस मत्यका साक्षात्कार मैंने हिन्दुस्तान आनेपर ही किया ।<sup>३</sup>

‘निराहर रहनेतालेके विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस-राग द्वना रहता है। ईश्वरके दर्शनमे वह भी चला जाता है।

(गीता अ० २ इलो० ५९ ।)

‘आत्म-क्या खण्ड ३ का आठवा अध्याय ।

## विकारका विच्छू

कलकर्तोंके एक विद्यार्थी पूछते हैं —

‘कोई अपनी पत्नीके साथ शुद्ध व्यवहार रखें, अर्थात् ब्रह्मचर्यका पालन करें तो क्या उसका दास्पत्य जीवन सुखमय होगा ? अपढ़ पत्नीको ब्रह्मचर्य-की महिमा वह किस तरह समझा सकता है ? उसे सधम-धर्म कैसे सिखा सकता है ? ऐसा करनेमें उसे कहातक सफलता मिलेगी ? समाजके आजके दूषित वातावरणमें पत्नीको भ्रष्ट होनेसे कहातक बचाया जा सकता है ?’

मेरा और मेरे साथियोंका अनुभव तो यह है कि पति-पत्नी अगर स्वेच्छा-से ब्रह्मचर्यका पालन करें तो आत्यन्तिक सुख पा सकते हैं। अपना सुख उन्हे नित्य बढ़ता हुआ जान पड़ेगा। अशिक्षित पत्नीको ब्रह्मचर्यकी महिमा समझानेमें कोई अड़चन नहीं होती, या यो कहिये कि ब्रह्मचर्य शिक्षित-अशिक्षितका भेद नहीं जानता। ब्रह्मचर्य तो केवल हृदयके बलकी बात है। मैं ऐसी अपढ़ स्त्रियोंको जानता हूँ जो विवाहिता होते हुए भी ब्रह्मचर्यका पालन कर रही हैं। समाजके चित्तको चबल कर देनेवाले वातावरणमें भी जो पति ब्रह्मचर्यका पालन करता है वह अपनी पत्नीके शीलकी रक्षा करनेमें अधिक समर्थ हो जाता है। ब्रह्मचर्यका अभाव पत्नीको भ्रष्ट होनेसे बचा तो नहीं सकता, पर उसके भ्रष्टाचारका पर्दा बन जाता है। इसकी मिसाले दी जा सकती है।

ब्रह्मचर्यकी शक्ति अमित है। बहुतेरे उदाहरणोंमें मुझे यह अनुभव हुआ है कि ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाला स्वयं विकारसे मुक्त नहीं होता, इस कारण उसके प्रयत्नका प्रभाव पत्नीके ऊपर नहीं पड़ सकता। विकार वज्र चालाक होता है। अतः अपने भाई-बदोको पहचाननेमें उसे देर नहीं

लगती। जो पत्ती अभी विकार-रहित नहीं हुई है, जो विकारोंके त्यागके लिए अभी तैयार भी नहीं है, वह पतिके हृदयमें छिपे हुए विकारको तुरत पहचान लेती है और उसके ढीले और निष्फल प्रयत्नपर मन-ही-मन हँसती हुई स्वयं निर्भय रहती है। जो ब्रह्मचर्य अविचल है और जिसमें शुद्ध प्रेम भरा हुआ है, वह ब्रह्मचर्य अपने सामनेवालेके विकारको जलाकर भस्म कर देता है, इसमें किसीको शका न करनी चाहिए।

बेलूर-मठमें वहुत-सी सुन्दर मूर्तियोंका संग्रह है। उसमें एक ऐसी मूर्ति मैने देखी है जिसके शिल्पीने कामको बिच्छू बनाया है। उसने एक कामिनीको डक मारा है जो उसके कष्टसे बिह्वल होकर बिलकुल नगी हो गई है। बिच्छू अपनी इस विजय पर इतराता हुआ कामिनीके पैरके पास खड़ा है और उसकी ओर देखकर हँस रहा है। जिस पतिने इस बिच्छूपर विजय पा ली उसकी आखोमे, उसके स्पर्शमे, उसकी वाणीमे ब्रह्मचर्यकी शीतलता होती है। वह अपने निकट रहनेवालेके विकारोंको क्षेण-मात्रमें ठड़ा करके शात कर देता है।

१६

## संयमको किसकी आवश्यकता है ?

एक व्याहके उम्मीदवार भाई लिखते हैं—

“आप लिखते हैं—‘सयमके पालनमें एकको दूसरेकी रजामन्दीकी जरूरत नहीं है।’ क्या यह औचित्यकी सीमाके आगे जाना नहीं है ? पत्नीको जबतक अपने ज्ञानमें साझी न बना सके तबतक तो राह देखनी चाहिए। हिन्दुस्तानमें अज्ञानका राज सर्वत्र फैला हुआ है और उसमें भी स्त्रियोके लिए तो पढ़ाईका दरवाजा ही बन्द है। ऐसे देशमें यह माननेसे कैसे काम चलेगा कि सब लोग सच्चे रास्तेको पहचानकर तुरन्त उसपर चलने लगें ? ‘पतिका कर्तव्य’ बार-बार पढ़नेपर अभी खुलासेकी जरूरत बनी है। मैं अभी अविवाहित हूँ, पर थोड़े ही दिनोमें ब्याह होनेवाला है। अत आपसे खुलासा कर लेना जरूरी मालूम हो रहा है। इसी गरजसे यह पत्र लिख रहा हूँ।”

जिस सयमको दूसरेकी सहमतिकी आवश्यकता होती है वह सयम टिक नहीं सकता, यह मेरा अनुभव है। सयमको तो केवल अन्तर्नादिकी आवश्यकता होती है। सयमका बल मनके बलपर अवलवित होता है और संयम ज्ञानमय और प्रेममय हो तो उसकी छाप आस-पासके वातावरणपर पड़े बिना न रहेगी। अन्तमें विरोध करनेवाला भी अनुकूल बन जाता है। पति-पत्नीके बारेमें भी यही बात है। पत्नी तैयार न हो तबतक पतिको और पति तैयार न हो तबतक पत्नीको रुकना पड़े तब तो बहुत करके दोनों भोग-वधनसे कभी छूट ही न सकेंगे। बहुतेरी मिसालोमें हम देख चुके हैं कि जहा एकका सयम दूसरेपर अवलवित होता है वहा वह अन्तमें टूट ही जाता है। और यह ढिलाई या कमजोरी ही इसका कारण है। हम कुछ अधिक गहराईमें उत्तरकर देखे तो मालूम होगा कि जहा एकको दूसरेकी

रजामदीकी जरूरत होती है वहा संयमकी सच्ची तैयारी या उसकी सच्ची लगन होती ही नहीं। इसीसे तो निष्कुलानन्दने लिखा है कि 'त्याग न टके रे वैराग विना'। वैराग्यको अगर रागके साथ ही जरूरत हो सकती हो तो संयम-पालनकी इच्छा करनेवालेको इच्छा न करनेवालेकी सहमतिकी आवश्यकता हो सकती है।

ऊपर दिये हुए पत्रके लेखकका रास्ता तो सीधा है। वह अभी अविवाहित है और उन्होने ब्रह्मचर्य-पालनका सचमुच निश्चय कर लिया हो तो फिर वह व्याहके वधनमें वधे ही क्यों? मा-वाप और दूसरे सगे-सम्बन्धी तो अपने अनुभवके बलपर यह कहेगे ही कि एक युवकका ब्रह्मचर्य-धारणकी वात करना समुद्र-मथन करके तैरना है। यो कहकर, धमकी देकर, विगड़कर और दण्ड देकर भी उसे ब्रह्मचर्यके शुभ सकल्पसे डिगानेकी कोशिश करेगे। पर जिसके लिए ब्रह्मचर्यका भग ही सबसे बड़ा दण्ड हो, साम्राज्य पानेका प्रलोभन भी जिसे ब्रह्मचर्यका भग करनेके लिए तैयार नहीं कर सकता, वह किसी भी धमकीसे डरकर क्यों व्याह करेगा? जिसका आग्रह इतना तीव्र नहीं, जिसने ब्रह्मचर्य आदि संयमका इतना बड़ा मूल्य न आका हो उसके लिए मैंने वह वाक्य नहीं लिखा है जिसे लेखकने उद्धृत किया है।

: १७ :

## मां-बापको जिम्मेदारी

एक शिक्षक लिखते हैं :

“आपने युवकोंके दोषके बारेमें लिखा है। उसके लिए मुझे तो मां-बाप ही जिम्मेदार मालूम होते हैं। बड़ी उम्रवाले वच्चोंके मां-बा जो वच्चे पैदा करते चले जाते हैं, इसका नतीजा क्या होगा? ऐसे व्य व्यभिचार कहना दया अनुचित होगा? एक वच्चा माकी मृत्युवे पिताके पास सोया करता था। कुछ दिन बाद पिताने दूसरा विवाह कर और नई पत्नीके साथ भीतरसे किवाड बन्द कर सोने लगे। व कुतूहल हुआ कि पिताजी अब मेरे साथ क्यों नहीं सोते? मेर जब जीती थी तब तो हम तीनों जने एक साथ सोते थे, अ माके आनेपर पिताजी मुझे साथ क्यों नहीं सुलाते? वच्चेका व बढ़ता गया। उसने किवाड़की दरारमेंसे भाककर देखनेकी स दरारमेंसे जो दृश्य उसने देखा उसका उसके मनपर क्या हुआ होगा?

“पर समाजमें यह बात सदा होती रहती है। यह मिसाल मेरे दिम उपज नहीं है। यह तो एक १३-१४ वरसके बालकसे सुना हुआ वृ जो जन-सनाज वच्चपनमें ही यो आत्मनाशके रास्तेपर लगेगा वह स्व केसे ले सकेगा? या मिल जानेपर उसकी रक्षा कर सकेगा? हर ए बाप, गिक्षक, गृहपति, बालचर-मण्डलका नायक ऐसा न होने सावधानता रखें तो कैसा हो? छोटी उम्रमें ब्रह्मचर्यका अर्थ स अक्सर कठिन होता है। वहुतसे लड़कोंको बटोरकर ब्रह्मचर्यपर व्य देनेसे वह बात कहीं अच्छी जान पड़ती है कि हर एक बालकका विभाजन और सच्चा मित्र बनकर इसका यत्न किया जाय कि वच्चपन

उसका मन सदाचारकी ओर झुक जाय। वच्चेके मनमें कुविचारका प्रवेग ही न हो इसका कोई उपाय तो होगा ही ?

“अब वडी उम्रवालोकी बात सुनिए। जो समाज, जो जाति, गैर-विरादीकी स्त्रीके हाथका भोजन करनेवालेको जातिसे बाहर कर देती है, वही जाति पर-स्त्रीका सग करनेवालेका वहिष्कार क्यों नहीं करती ? जो जाति राजनीतिक सभा-सम्मेलनमें अछूतोंके साथ बैठ आनेवालेको दण्ड देती है वही व्यभिचारियोंको दण्ड क्यों नहीं देती ? इसका कारण मुझे तो यहीं जान पड़ता है कि आत्मशुद्धि करने वैठे तो हर एक जातिकी देह बहुत दुबली हो जाय। दुबली-पतली देहमें भी बलवान् आत्मा रह सकती है, इसका ज्ञान उसे कहा है ? बहुत-सी जातियोंके मुखिया, चौधरीतक शराव या व्यभिचारके व्यसनमें फँसे होते हैं। इसलिए अपने ही पावोपर कुल्हाड़ी मारनेके डरसे वे उस ओरसे तो आखे बन्द किये रहते हैं और दूसरोंको विरादीसे बाहर करनेके लिए हर बक्त कमर कसे तैयार रहते हैं। यह समाज कब सुधरेगा ? जिस देशको राजनीतिक उन्नति करनी हो वह पहले अपनी सामाजिक उन्नति न कर ले तो राजनीतिक उन्नति आकाश-कुसुम-जैसी ही है।”

इस लेखमें बहुत तथ्य है यह तो सभी स्वीकार करेगे। वच्चोंके बड़े हो जानेपर उसी पत्नीसे या वह मर जाय तो नया घर बसाकर वच्चे पेंदा करनेसे वच्चोंकी हानि होती है। इसे मनवानेके लिए दलील देनेकी जरूरत नहीं। पर इतना संयम न हो सके तो भी पिताको इतना तो करना ही चाहिए कि वच्चोंको अलग कमरेमें रखे या खुद ऐसी जगह सोये, जहासे वच्चे न कुछ सुन सके, न देख सके। इसमें कुछ सम्यता तो रहेगी ही। वच्चपन सर्वथा निर्दोष, निर्विकार होना चाहिए, पर मा-वाप विलासिताके वश होकर उसे दोषमय बना देते हैं। वानप्रस्थाश्रमकी प्रथा वालकोंको नीतिमान, स्वतंत्र और स्वावलम्बी बनानेमें बहुत उपयोगी हो सकती है।

शिक्षकोंके लिए लेखकने जो सूचना दी है वह उचित तो है ही, पर जहा ५०-६० लड़कोंका एक दरजा हो वहा शिष्योंके साथ शिक्षकका सम्बन्ध अक्षर-ज्ञान देने-भरका ही होता है। वहा शिक्षक चाहे तो भी शिक्षार्थियोंके

साथ आध्यात्मिक सम्बन्ध कैसे जोड़ सकता है ? फिर जहा पाच-सात शिक्षक पाच-सात विषय सिखाते हो वहा बालकोंके सदाचारकी जिम्मेदारी कौन उठायेगा, और फिर ऐसे शिक्षक ही कितने भिलेगे जो बालकोंको सदाचार-पथपर लाने या उनका विश्वास-भाजन बननेकी योग्यता रखते हो ? इसमें तो शिक्षाका सारा प्रश्न उपस्थित हो जाता है । पर उसकी चर्चाका यह स्थान नहीं ।

समाज भेड़ोंके झुड़की भाति बिना सोचे, बिना इधर-उधर देखे आगे बढ़ता जा रहा है, और कुछ लोग इसीको प्रगति मान रहे हैं । वे इस बातको जानते हैं कि स्थिति ऐसी भयानक है तो भी हमारा वैयक्तिक रास्ता आसान है । उन्हे अपने क्षेत्रमें जितना बन पड़े उतना नीतिका प्रचार करना चाहिए । सबसे पहले तो वे अपनेमें ही प्रचार करे । दूसरोंके दोष देखते समय हम खुद बहुत भलेसे लगने लगते हैं । पर अपने दोषोंको देखे तो हम खुद हमीको कुटिल और कामी दिखाई देगे । दुनियाका काजी बननेकी बनिस्वत खुद अपना काजी बनना अधिक लाभदायक होता है और वैसा करते हुए हमें दूसरोंके लिए भी रास्ता मिल जाता है । ‘आप भले तो जग भला’ का एक अर्थ यह भी है । तुलसीदास ने सन्तपुरुषको जो पारस-मणि कहा है वह गलत नहीं है । सन्त-पद प्राप्त करनेका प्रयत्न करना हम सबका फर्ज है । सन्त होना किसी अलौकिक पुरुषके लिए आकाशसे उतरा हुआ प्रसाद नहीं है, बल्कि हर आदमीका कर्तव्य है । यही जीवनका रहस्य है ।

: १८ :

## कामको कैसे जीतें ?

काम-विकारको जीतनेका प्रयत्न करनेवाले एक भाई लिखते हैं

“आपकी ‘आत्म-कथा’का पहला खण्ड पढ़नेसे बहुत-सी कामकी बातें मालूम हुई हैं। आपने कोई बात छिपा नहीं रखी है, इसलिए मैं भी आजसे कोई बात छिपा रखना नहीं चाहता।’ ‘नीति-नाशकी और’ पुस्तक भी पढ़ी। इससे यह मालूम हुआ कि विषय-वासनाको जीतना खासतौरसे क्यों जरूरी है। पर यह वासना इतनी बुरी है कि योगवासिष्ठ और स्वामी रामतीर्थ तथा स्वामी विवेकानन्दकी पुस्तके पढ़ते समय तो सबकुछ निस्सार जान पड़ता है, पर उन्हे बन्द किया नहीं कि विषय-वासनाएं आ घेरती हैं। आख, नाक, कान, जीभको तो किसी तरह जीत भी सकते हैं, क्योंकि आख बद करते ही उसके विषयोंका अभाव हो जाता है। दूसरी इन्द्रियोंके साथ भी ऐसा कर सकते हैं। पर जननेन्द्रियका तो रास्ता ही जुदा दिखाई देता है। जब वह सताती है तब जान पड़ता है—मैंने जो-कुछ पढ़ा उसका जसे कुछ भी मूल्य न हो। मेरा आहार सात्त्विक है। एक ही समय खाता हूँ, रातमें केवल दूधपर रहता हूँ। फिर भी काम-वासना किसी तरह नहीं जाती। इसका कारण समझमें नहीं आता। गीतामें भगवान् श्रीकृष्णने एक जगह कहा है—“आहार न करनेवाला देहधारी आदमी इन्द्रियोंके विषयोंसे तो मुक्त हो जाता है, पर विषयोंकी आसक्तिसे मुक्त नहीं होता। उससे निवृत्ति तो परमात्माके दर्जन होनेसे ही होती है।”<sup>१</sup>

“इस प्रकार जब ईश्वरके दर्जन हो तभी विषयोंकी आसक्तिसे छुटकारा

<sup>१</sup> विषया विनिवर्त्तने निराहारस्य देहिन ।  
रसवर्ज्यं रमोऽप्यस्य पर दृष्ट्वा निवर्तते ।

## अनीतिकी राहपर कामको कैसे जीतें?

मिल सकता है, और चूंकि ईश्वरके दर्शन हो नहीं सकते, इसलिए विषयोंसे निवृत्ति भी नहीं हो सकती। यह है मेरी परेशानी। ऐसी दशामे क्या किया जाय? क्या आप मुझ-जैसे विषय-जालमे फँस जानेवालेको कोई रास्ता नहीं बतायेगे?

“ऐसे साधु-सन्त अवश्य होंगे जो ऐसे जनोंको रास्ता बता सके। पर वे मुझे मिलेंगे कैसे? क्योंकि आजकल तो यह जानना ही कठिन है कि सच्चा साधु कौन है।

“इस जिज्ञासाका उत्तर कृपाकर ‘नवजीवन’ द्वारा दे। जिससे कोई सही रास्ता पकड़ा और प्रभुको पानेमे विघ्न-रूप विषयोंको जीता जा सके।

“अरसेसे यह बात आपसे पूछनेको जी चाहता था, पर हिम्मत न होती थी। मगर जब आपकी ‘आत्म-कथा’ पढ़ी तो जान पड़ा कि ऐसी बाते आपसे पूछना अनुचित न होगा। यह भी समझमे आया कि प्रभुकी प्राप्तिकी राहमे जो कठिनाइया दिखाई दे, उनका उपाय पूछनेमे शर्म न करनी चाहिए।”

जो दशा इस भाईकी है वही वहुतोकी है। कामको जीतना कठिन अवश्य है पर अशक्य नहीं है। परन्तु जो कामको जीत लेता है वह समारको जीत लेता है और ससार-सागरको तर जाता है। यह भगवान्‌का वचन है। इससे हम जान सकते हैं कि कामको जीतना दुनियामे सबसे कठिन बात है। ऐसी वस्तुको पानेके लिए धीरजकी वहुत आवश्यकता है। इसे काम-जयका प्रयत्न करनेवाले सभी लोग स्वीकार नहीं करते। अक्षर-ज्ञानके अभ्यासमे अध्यवसाय, धीरज और ध्यानकी कितनी जरूरत है, इसे हम जानते हैं। उसपरसे त्रिराशिका हिसाब लगाये तो हमे मालूम हो जाय कि अक्षर-ज्ञानकी प्राप्तिमे धीरज आदिकी जितनी आवश्यकता होती है कामको जीतनेमे उससे अगणित गुना अधिक धीरज अपेक्षित है।

यह तो हुई धीरजकी बात। पर कामके जीतनेके उपायके विषयमे भी तो हम इतने ही उदासीन रहते हैं। मामूली वीमारीको हटानेके लिए तो हम सारी दुनिया छान डालते हैं, डाक्टरोंके यहा दौड़नेमे एडिया घिस डालते हैं, जन्तर-मन्तर भी नहीं छोड़ते। पर कामरूपी महाव्याघिसे छूटनेके लिए हम सब उपाय नहीं करते। थोड़ा उपचार किया कि थककर बैठ

जाते हैं और उलटा ईश्वर या इलाज वतानेवालेके साथ यह शर्त करने लगते हैं कि इतनी चीजें तो हमसे नहीं छूटने की, फिर भी आप हमारा काम-विकार मिटा दे । इसका फल यह हुआ है कि काम-विकारसे छूटनेके लिए हमारे भीतर सच्ची व्याकुलता नहीं है । उसके लिए सर्वस्व-त्याग करनेको हम तैयार नहीं । यह शिथिलता विजय-प्राप्तिके मार्गमें सबसे बड़ी वाधा है । यह सही है कि निराहार रहनेवालेके विकार दब जाते हैं, पर आत्म-दर्शनके बिना आसक्ति नहीं जाती । पर उक्त श्लोकका अर्थ यह नहीं है कि कामको जीतनेमें निराहार-ब्रतसे कोई सहायता नहीं मिलती । उसका मतलब तो यह है कि निराहार रहते हुए कभी थको ही नहीं और ऐसी दृढ़ता तथा लगनसे ही आत्म-दर्शन हो सकता है । वह हो जानेपर आसक्ति भी चली जायगी । ऐसा अनशन किसीके कहनेसे नहीं किया जा सकता । दिखावेके लिए भी नहीं किया जा सकता । इसमें तो मन, वचन और काया तीनोंका सहयोग होना चाहिए । यह होनेपर प्रभुका प्रसाद अवश्य प्राप्त होगा और वह मिल गया तो अन्तमें विकार-शान्ति होकर ही रहेगी ।

पर निराहारसे पहले और वहुत-से उपाय करने होते हैं । उनसे विकार शात न हुए तो ढीले जरूर पड़ जायगे । भोग-विलासके प्रसग-मात्रका त्याग कर देना चाहिए । उनकी ओर मनमें अरुचि उत्पन्न करनी चाहिए । इसलिए कि अरुचि या विरागके बिना त्याग केवल ऊपरी त्याग होगा और इस कारण टिक न सकेगा । भोग-विलास किसे कहे यह वतानेकी जरूरत न होनी चाहिए । जिस-जिस चीजसे विकार उत्पन्न हो, वे सभी त्याज्य हैं ।

आहारका प्रश्न इस विषयमें वहुत विचारणीय है । मेरी अपनी राय यह है कि जो अपने विकारोंको शान्त करना चाहता हो उसे धी-दूधका इस्तेमाल थोड़ा ही करना चाहिए । बनपक्व अन्न खाकर निर्वाह किया जा सके तो आग पर पकाई हुई चीजें न खाये या थोड़ी खाये । फल और वहुत-सी साग-सब्जियाँ कच्ची, बिना पकाये खाई जा सकती हैं और खानी चाहिए । हा, कच्ची सब्जीकी मात्रा थोड़ी रहे । दो-तीन तोला कच्ची सब्जी आवश्यक पोषणके लिए काफी है । मिठाइया और मिर्च-मसाले विलकुल ही छोड़

देने चाहिए । आहारके विषयमे इतनी सूचनाए दे रहा हू, पर जानता हूं कि केवल आहारसे ही ब्रह्मचर्यका पूर्ण पालन नहीं हो सकता । परन्तु विकारोत्तेजक वस्तुए खाने-पीनेवालेको तो ब्रह्मचर्य निभा सकनेकी आशा ही न रखनी चाहिए ।

१६ :

## काम-रोगका निवारण

विलियम आर० थर्स्टन नामके लेखकने विवाह-विषयपर जो पुस्तक लिखी है वह इस योग्य है कि हर स्त्री-पुरुष उसको ध्यानपूर्वक पढे, समझे । (उसका सारांश परिशिष्टमे दिया गया है ।) हमारे देशमे १५ वरसके लडकेसे लगाकर ५० तकके पुरुष और इसी या इससे भी कम उम्रकी लडकीसे लगाकर ५० तककी स्त्रीकी भी यह धारणा रहती है कि सभोग अनिवार्य है । उसके बिना रहा ही नहीं जा सकता । इससे दोनों विह्वल रहते हैं, एक-दूसरेका विश्वास नहीं करते । स्त्रीको देखकर पुरुषका दिल हाथमे नहीं रहता और पुरुषको देखकर स्त्रीकी भी वही दशा होती है । इससे कितने ही ऐसे रिवाज पैदा हो गये हैं जिनकी कृपासे स्त्री-पुरुष सभी निर्वल, निरुत्साही और रोगी हो रहे हैं । हमारा जीवन इतना हीन हो गया है जितना हीन मनुष्यका जीवन न होना चाहिए ।

इस बातावरणमे रचे हुए शास्त्रोमे भी ऐसे आदेश और विश्वास देखनेमे आते हैं जिनके फलस्वरूप स्त्री-पुरुषको परस्पर ऐसा व्यवहार रखना पड़ता है, जैसे वे एक-दूसरेके दुश्मन हो । कारण यह कि एकको देखकर दूसरेका मन विगड़ जाता है या विगड़ जानेका डर रहता है ।

इस धारणा और उसके आधारपर बने रिवाजोकी बदौलत जीवन या तो विषय-भोगमे या उसके सपने देखनेमे चला जाता है और दुनिया हमारे लिए जहरसे कड़वी हो जाती है ।

होना तो यह चाहिए था कि मनुष्यमे भला-बुरा सोचने-समझनेकी शक्ति होती है इसलिए पशुकी तुलनामे उसमे अधिक त्याग-शक्ति और सयम हो । पर हम रोज ही देखते हैं कि नर-मादाके सयोगकी मर्यादाका पशु जितना पालन करता है मनुष्य उतना नहीं करता । सामान्य रीतिसे

स्त्री-पुरुषके बीच मा-वेटे, भाई-वहन या वाप-वेटीका संबंध होना चाहिए। यह तो खुली वात है कि पति-पत्नीका सबंध अपवाद-रूपमे ही हो सकता है और अगर भाईसे वहनके या वहनसे भाईके डरनेका कारण हो सकता हो तो पुरुष दूसरी स्त्रीसे या स्त्री दूसरे पुरुषसे डर सकती है। पर इसके विपरीत स्थिति यह है कि भाई-वहनको भी आपसमे सकोच रखना पड़ता है और रखना उन्हे सिखाया जाता है।

इस दयनीय दशा अर्थात् विषय-वासनाकी सङ्गाधसे भरी हुई हवासे निकल जाना हमारे लिए निहायत जरूरी है। हमारे अन्दर इस वहमने जड़ जमा ली है कि इस वासनासे निकलना नामुमकिन वात है। उसकी जड़ उखाड़ देना ही पुरुषार्थ है और वह हमसे हो सकनेवाली वात है, यह दृढ़ विश्वास हमारे हृदयमे उत्पन्न होना चाहिए।

यह पुरुषार्थ करनेमे श्री थर्स्टनकी नन्ही-सी पुस्तकसे बड़ी मदद मिलेगी। लेखककी यह खोज मुझे तो ठीक जान पड़ती है कि अस्वाभाविक काम-वासनाकी जड़ विवाह-विपर्यक वर्तमान धारणा और उसके आधारपर रचित प्रथाए हैं जो पूर्व-पच्छिम सर्वत्र व्याप रही है। स्त्री-पुरुषका रातमे एकान्तमे एक कमरेमे और एक विस्तरपर सोना दोनोंके लिए धातक और काम-वासनाको व्यापक तथा सार्वजनिक वस्तु बना देनेका जर्दस्त साधन है। एक तरफ तो सारी विवाहित दुनिया इसी नियमका अनुसरण करे और दूसरी ओर धर्मोपदेशक और सुधारक समयका उपदेश करे। यह आतमानमे धिगली लगाना नहीं तो क्या है? ऐसे विषय-वासनासे भरे हुए वातावरणमे नयमके उपाय व्यर्थ जाय तो इसमे कोई अचरजकी वात नहीं। शास्त्र पुकार-पुकारकर कहते हैं कि समागम केवल नन्तानकी कामनासे ही होना चाहिए। इस आज्ञाका उल्लंघन हम प्रतिक्षण किया करते हैं। फिर भी जब रोग हमे सताते हैं तो उनके कारण दूसरी जगह ढूँढे जाते हैं। दसीपो वहते हैं—‘गोदमे रहका और घरमे टिंडोरा’। इत्त सूर्यके प्रकाश-जैसी स्पष्ट दातको हमने समझ लिया हो तो—

जब सभव हो तब दोनों अलग-अलग कमरेमें सोयें, गरीबीके कारण यह मुमकिन न हो तो पति-पत्नी दूर-दूर और अलग-अलग खाटोपर सोये और बीचमें किसी मित्र या कुटुम्बीको सुला ले ।

२ समझदार मा-वाप अपनी लड़की ऐसे घरमें देनेसे साफ इनकार कर दे जहा उसे अलग कमरा और अलग खाट न मिल सके । व्याह एक प्रकारकी मित्रता है । स्त्री-पुरुष एक-दूसरेके दुख-सुखके साथी बनते हैं, पर व्याह हो जानेके मानी यह नहीं है कि पति-पत्नी पहली ही रातको विषय-भोगमें आकठ निमग्न होकर अपनी जिन्दगीकी बरवादीकी नीव खोद ले । यह शिक्षा लड़के-लड़कियोंको मिलनी चाहिए ।

थर्स्टनकी खोज स्वीकार करनेका अर्थ यह है कि उसके मनमें जो नई, आश्चर्यजनक, कल्याणकर और शातिदायिनी कल्पना निहित है उसपर मनन किया जाय और व्याहके विषयमें प्रचलित विचारोंमें जो परिवर्तन आवश्यक है उसे हम समझ ले । तभी इस खोजका लाभ हमें मिल सकेगा । जो लोग इस खोजको हजम कर सके हों वे बाल-बच्चेवाले हों तो अपने बच्चोंकी तालीम और घरका वातावरण बदल दे ।

यह समझनेके लिए हमें थर्स्टनकी शहादतकी जरूरत न होनी चाहिए कि हम विषय-सुख भोगते हुए भी बच्चोंके बोझसे बचे रहें, इसके लिए जिन बनावटी उपायोंका जोर-शोरसे प्रचार किया जा रहा है वे अति हानिकर हैं । ये उपाय हिन्दुस्तान-जैसे देशमें चल कैसे सकते हैं, यहीं समझना कठिन है । पढ़े-लिखे लोग हिन्दुस्तानके दुर्बलता भरे वातावरणमें इन उपायोंसे काम लेनेकी सलाह कैसे देते हैं, मेरी समझमें यह बात आती ही नहीं ।



# परिशिष्ट

: १ :

## सब रोगोंका मूल

विलियम राबर्टथर्स्टन नामके अमरीकन लेखकने 'फिलासफी ऑव मैरेज' (विवाहका तत्त्व-ज्ञान) नामकी छोटी-सी पुस्तक लिखी है जिसे न्यूयार्कके स्टिफानी प्रेस और मद्रासकी गणेशन कम्पनीने भी प्रकाशित किया है। प्रकाशकके कथनानुसार श्री थर्स्टन, सयुक्त राष्ट्रकी सेनामे मेजर थे और लगभग दस बरसतक काम करके १६१६ मे अवकाश ग्रहण किया तबसे न्यूयार्क नगरमे रहते हैं। १८ बरसतक उन्होने जर्मनी-फ्रास, फिलिपाइन द्वीपपुज, चीन और अमरीकामे विवाहित स्त्री-पुरुषोंकी स्थिति और विवाहके नियमो, प्रथाओंके प्रभावका गहरा अध्ययन किया। अपने निजके अवलोकनके अतिरिक्त वह प्रसूति-शास्त्र और स्त्री-रोगोंके विशेषज्ञ सैकडो डाक्टरोंसे मिले और पत्र-व्यवहार करते रहे। इसके सिवा उन्होने फौजमे भरती होनेके उम्मीदवारोंकी शारीरिक योग्यताकी जाचके परचो और सामाजिक आरोग्य-रक्षक मण्डलोंके इकट्ठे आकडोंका भी समुचित उपयोग किया है। लेखकने सैकडो डाक्टरोंसे कैसे प्रश्न किये और उनके कैसे जवाब उसे मिले, यह उसने बताया है—

प्रश्न—आजकल विवाहित स्त्री-पुरुषोंमे सगर्भावस्थामे भी सभोगका रिवाज है या नहीं ?

इस प्रश्नका उत्तर लगभग सभी डाक्टरोंसे यही मिला कि यह रिवाज है।

प्र०—ऐसे सभोगसे गर्भपात या असामयिक प्रसव और प्रसूताके रक्तमे विष-प्रवेश (ब्लड पॉयजनिंग) की सभावना है या नहीं ?

उ०—अवश्य है ।

प्र०—इस सभोगके फलस्वरूप वच्चोका विकलाग होना सभव है या नहो ?

उ०—वहुतसे डाक्टर तो गर्भावस्थामें भी कुछ महीनोतक सभोगकी इजाजत देते ही हैं । वे इसके खिलाफ राय कैसे देते । सैकड़े पर २५ने लिखा है कि इससे विकलाग वच्चे पैदा होते हैं ।

प्र०—विकृत अगवाले वच्चे पैदा होनेका कारण गर्भावस्थाका समागम न हो तो दूसरा क्या हो सकता है ?

इसके उत्तरोमे वहुत मत-भेद हैं । बहुतेरे तो लिखते हैं कि हम इसका कारण नहीं बता सकते ।

प्र०—आजकलकी पढी-लिखी स्त्रिया क्या गर्भाधान रोकनेके साधनोका व्यवहार सचमुच करती है ?

उ०—हा ।

प्र०—इन साधनोसे और कुछ नहीं तो स्त्रीकी जननेन्द्रियकी अपार हानि होनेकी सभावना तो है ही ?

सैकड़े ७५ डाक्टरोकी रायमे यह सभावना है ।

इसके अतिरिक्त लेखकने कितने ही चौकानेवाले आकड़े दिये हैं जो जानने लायक हैं । सन् १९२० ई० मे अमरीकाकी सरकारने सेनामे भरती होनेवालोके शारीरिक दोषोके विषयमे एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसमे बताया गया है कि—

२५ लाख १० हजार आदमियोकी फौजमे भरती होनेकी योग्यताकी जाच की गई ।

उनमेंसे १२ लाख ८६ हजारमे कोई-न-कोई शारीरिक या मानसिक दोष निकला ।

५ लाख ८६ हजार आदमी सेना-सम्बन्धी सभी कामोके लिए अयोग्य पाये गए ।

इन उम्मीदवारोकी उम्र १८ से ४५ सालके बीच थी ।

इतनी जाच और अनेक देशोकी स्थितिके अवलोकनके फलस्वरूप

लेखकने जो महत्वपूर्ण नतीजे निकाले हैं, वे सिद्धात उसीके शब्दोमें नीचे दिये जा रहे हैं :—

१. पुरुष स्त्रीको रोटी-कपड़े और रहनेको घर देता है इसलिए वह उसकी दासी बनकर रहे और चूंकि वह उसकी व्याहता कहलाती है इसलिए एक ही कमरेमें रहकर या एक ही विस्तरपर सोकर नित्य उसकी काम-वासनाकी तृप्तिका साधन बनती रहे, प्रकृति हर्गिज ऐसा नहीं चाहती ।

२. विवाह-बधनमें बधनेसे ही पुरुषकी विषय-वासनाकी तृप्ति स्त्रीपर फर्ज हो जाती है, यह माननेका रिवाज दुनियामें सब कहीं पड़ गया है । इस प्रथाके फलस्वरूप स्त्रीको रात-दिन अमर्यादित विषय-भोगका साधन बने रहना और विवाहित स्त्रियोमेंसे सौ पीछे ६०को अर्थत् वेश्या बन जाना पड़ता है । यह स्थिति पैदा होनेका कारण यह है कि वेश्यावृत्ति स्वाभाविक और उचित मान ली गई है, क्योंकि व्याहका कानून यहीं माननेको कहता है । पतिका प्रेम बनाये रखनेके लिए भी यह वृत्ति स्वीकार करना स्त्रीपर फर्ज माना जाता है ।

इस अकुशरहित विषय-भोगके अनेक भयावह परिणाम होते हैं—

१. स्त्रीका नाड़ी-स्थान—उसके दिल-दिमाग बहुत ही कमजोर हो जाते हैं, वह जवानीमें बुढ़िया बन जाती है, उसका शरीर रोगोका घर और स्वभाव चिड़चिड़ा, अस्थिर, अशान्त हो जाता है और वह बच्चोंकी सम्हाल भी ठीकसे नहीं कर सकती ।

२. गरीबोंके घर इतने बच्चे पैदा होते हैं कि उनकी पूरी परवरिश और सम्हाल नामुमकिन होती है । ऐसे बच्चोंको रोग लग जाते और बड़े होनेपर वे चोर-उच्चके बनते हैं ।

३. ऊँचे वर्गवालोमें निरकुश विषयभोगकी खातिर गर्भाधान न होने देने और गर्भपातके साधन काममें लाये जाते हैं । इन साधनोंसे काम लेना साधारण-वर्गकी स्त्रियोंको सिखा दिया गया तो राष्ट्र रोगी, अनीतिमान और ब्रह्म हो जायगा और अन्तमें उसका विनाश होगा ।

४. अति सभोगसे पुरुषका पुरुषत्व नष्ट होता है, वह इस लायक

भी नहीं रह जाता कि मेहनत-मजदूरी करके अपना निर्वाह कर सके और अनेक रोगोंके फलस्वरूप उसे समयसे पहले ही परलोकका रास्ता लेना पड़ता है। अमरीकामें आज विधुरोंसे विधवाओंकी सख्त्या २० लाख अधिक है। उसमें उनकी सख्त्या थोड़ी ही है जो युद्धके कारण विधवा बनी है। विवाहित पुरुषोंका बड़ा भाग ५०की उम्रतक पहुचनेके पहले ही जर्जर हो जाता है।

५. अति सभोगके फलस्वरूप स्त्री-पुरुष दोनोंके भीतर एक प्रकारकी हताशता, अपने-आपको व्यर्थ समझनेका भाव उत्पन्न हो जाता है। दुनियामें जो आज इतनी गरीबी दिखाई देती है, वडे शहरोंमें जो गरीबोंके मुहल्ले, गदी अधेरी गलियां हैं, उनका कारण पैसा मिलनेवाले कामका अभाव नहीं है वल्कि वर्तमान विवाह-नियमोंके फलरूप निरकृश सभोग है।

६. गर्भावस्थामें जो स्त्रीको पुरुषकी वासना-तृप्तिका साधन बनना पड़ता है यह मानव-जातिके भविष्यके लिए अति भयावह है।

इस अवस्थाका सभोग मनुष्यको पशुसे भी हीन बना देता है। गाभिन गाय साड़को अपने पास कभी आने ही न देगी। फिर भी अगर साड़ बलात्कार करे तो वह गाय जो बछड़ा जनेगी उसके तीन या पाच पाव होंगे अथवा दो पूछे या दो सिर होंगे। समस्त प्राणि-सृष्टिमें अकेला मनुष्य ही यह मानता दिखाई देता है कि इस प्रकारके अत्याचारसे पशुओंमें जो परिणाम होते हैं वे मनुष्योंको न भुगतने होंगे। इस धारणाके मूलमें एक भ्रम है। वह यह कि पुरुषसे बहुत दिनोंतक अपनी विषय-वासना तृप्ति किये बिना रहा ही नहीं जा सकता। इस भ्रमकी जड़ भी साफ दिखाई देती है। जब वासनाओंको जगानेवाला साथी सदा अपनी बगलमें मौजूद हो तब पुरुषसे भोगकी भूख बुझाये बिना कैसे रहा जायगा?

पर डाक्टरोंकी रायों और अपने निजके अनुभव-अवलोकनसे भी जान लिया गया है कि गर्भाधानसे पहले अति सभोग अगर अनिष्ट-मूलक है तो गर्भावस्थाका सभोग तो सीधा नरकका द्वार है। इसके परिणाम-स्वरूप बच्चोंमें पागलपनतकी खराकी पैदा हो जानेका डर रहता है और खुद स्त्रीको तो अपार कष्ट होता है, क्योंकि गर्भ-धारणकी दग्धमें किसी स्त्रीको सभोगकी इच्छा नहीं होती।

लेखकने इसके बाद चीन, हिन्दुस्तान और अमरीकामें एक ही कमरेमें अनेक स्त्री-पुरुषोंके सोनेसे जो अनीति और निर्विर्यता फैल रही है उसकी चर्चा की है और इस बुराईका इलाज बताया है ।

उसके बताये हुए कुछ उपाय तो व्याहके कानूनमें सुधार करनेके हैं, पर उसने ऐसे उपाय भी बताये हैं जिनका करना मनुष्यके हाथमें है । कानून तो जब सुधरना होगा सुधरेगा । पर कुछ सुधार तो आदमीके अस्तियारकी बात है ही । जैसे—

१. सन्तानकी कामनाके बिना स्त्री-पुरुषका सभोग न होना चाहिए, इस प्राकृतिक ज्ञानका ख्रूव प्रचार करना ।

२. स्त्रीको सन्तानकी इच्छा न हो तो पुरुषको केवल उसका पति होनेके नाते ही उसका स्पर्श करनेका अधिकार नहीं मिलता, इस सिद्धान्तका प्रचार करना ।

३. विवाह-वधनमें बधी होनेके कारण ही पतिके साथ एक ही कोठरी और एक ही विस्तरपर सोना स्त्रीपर फर्ज नहीं है, बल्कि सन्तानोत्पादनके हेतुके बिना उसका इस तरह सोना अपराध है—इस ज्ञानका प्रचार करना ।

लेखकका कहना है कि इन नियमोंका पालन किया जाय तो दुनियाके आधे रोग चले जाय—गरीबी चली जाय, रोगी-विकलाग बच्चोंका पैदा होना बद हो जाय, और स्त्री-पुरुषके जन-कल्याणके लिए पुरुषार्थ करनेका मार्ग उन्मुक्त हो जाय ।

### एक महिलाके प्रश्न

‘विवाहका तत्त्व-ज्ञान’के लेखकने अपनी कृति अपने मित्रोंके पास प्रेमोपहारके रूपमें भेजा होगा । उनमेंसे एक वहनने उसे पत्र लिखा । उसके उत्तरमें लेखकने एक दूसरी पुस्तिका लिख डाली, जिसमें उसके विचार अधिक स्पष्ट कर दिये गये हैं और अपने मतकी पुष्टि अकाट्य दलीलोंसे, अधिक सबल रूपमें की गई है । यह पुस्तक पहलीसे भी अधिक महत्ववाली और मननीय है ।

उक्त वहनके पत्रका आशय, थोड़ेमें, इस प्रकार है—

“आपकी पुस्तकके लिए अनेक धन्यवाद । अतिशय विषय-भोग ही हमारे रोगोंका मुख्य कारण है, इसे अचूक रूपमें बतानेवाली आपकी पुस्तक पहली ही कही जा सकती है । काम-वासना महापुरुषोंमें भी होती है । कुछ महापुरुष उससे मुक्त भी होते हैं और कितने ही साधारण-जनोंमें वह अति प्रबल होती है । पर सभोगकी शारीरिक आवश्यकता कितनी है, मान ली हुई मानस आवश्यकता कितनी है और महज आदतसे पैदा होनेवाली आवश्यकता कितनी है, इसकी छान-बीन कर लेना जरूरी है । मिसालके तौर पर, यह जान लेना जरूरी है कि ह्वेलके शिकारके लिए समुद्रमें सुदूर गये हुए या ऐसे ही किसी अन्य कारणवश लम्बे अरसे तक स्त्रीसे जुदा रहनेवाले पुरुषके स्वास्थ्यपर इस विवशताके ब्रह्मचर्यका क्या असर होता है ।

“दूसरी बात यह है कि अतिशय विषय-भोगसे होनेवाली हानिको तो मैं स्वीकार करती हूँ, पर क्या गमधान रोकनेके कृत्रिम साधन भी अनावश्यक हैं? गर्भपात या अवैध सन्तानका जन्म देनेके पापसे क्या यह अच्छा नहीं है कि बाह्य साधनोंसे काम लेकर सन्तानोत्पत्ति होने ही न दी जाय । प्रकृतिके नियमके विरुद्ध चलनेवाला मनुष्य जनन-निरोधके उपायोंको काम लेनेके फलस्वरूप दुनियामें अपना नामलेवा छोड़े विनामर जाय तो इसमें समाजका क्या विगड़ता है?

“तीसरी बात, मान लीजिये, हम सभी सयमी बन गये । तो भी भोटे हिसाब हर एक दम्पतीके तीनसे अधिक बच्चे न हो तभी दुनियाकी आवादी हृदके अन्दर रह सकती है । और इसका अर्थ यह होता है कि सारी जिन्दगीमें उन्हे दो-चार बार ही सभोग-सुख भोगनेका अवसर मिल सकता है । इतना सयम क्या साधारण आदमीके वसकी बात है? क्या स्वस्थ और बल-पौरुष-सम्पन्न पुरुष लम्बे अरसेतक सयम रख सकता है?

### दो कामनाएं

इस पत्रके उत्तरमें लेखकने जो पुस्तिका ('द ग्रट सीक्रेट') लिखी उसका सार नीचे दिया जाता है—

“साधारण पुरुषमें आहारकी इच्छाके अतिरिक्त दो कामनाएं और

होती हैं—एक सती-मुन्द्री स्त्रीके साथ सभोगकी, दूसरी पुरुषार्थकी, अर्थात् धर्म, अर्थ और मोक्षकी । पहलीको तृप्त करनेकी इच्छा दूसरेकी प्रेरणा करती है । वहुतोकी पुरुषार्थकी कामना व्याहके पहले ही, सहज-प्राप्त स्त्रीके साथ, काम-वासनाकी परितृप्ति कर लेनेसे मर जाती है । अधिकाशकी व्याहके बाद दो-चार बरसो ही मे सभोगके अतिरेकसे मर जाती या मन्द हो जाती है । स्वस्थ और वीर्यवान् पुरुषमे सभोगकी इच्छा प्रायः सदा बनी रहती है, पर पुरुषार्थकी कामना बलवती हो जाय तो काफी लबे अरसेतक वह दब भी जाती है । आवश्यकता है किसी महान् लक्ष्यकी । ऐसे लक्ष्यकी जिसकी सिद्धिमे मनुष्य अपनी सारी शक्ति लगा देनेका सकल्प कर ले ।

ऐसे लक्ष्य अनेक हैं । एक सामान्य लक्ष्य तो उत्तम सन्तान पैदा करना ही है । अपनी सहर्घमिणीकी स्वाभाविक सन्तानेच्छाको तृप्त करके उसे प्रसन्न रखकर स्वस्थ सन्तान उत्पन्न करना और उसके पालन-पोषण, पढाने-लिखाने, उसे योग्य नागरिक बनानेमे लग जानेसे विषय-वासना अपने आप विदा हो जानी चाहिए । पर इन कर्तव्योका पालन कर सकनेके लिए जरूरी होगा कि उसका शरीर भरा हुआ हो, वह शरीरसे काफी मेहनत-मशक्कत करे । इसके सिवा उसे स्त्रीके साथ एक खाटपर सोना भी बद करना होगा ।

दूसरा लक्ष्य है कीर्तिका—लोक-कल्याण करके या कोई बडा पराक्रम करके नाम कमाना । हो सकता है कि नाम कमा लेनेके बाद मनुष्य यह भी चाहे कि उसे विषय-सुख अधिक अच्छी तरह भोगनेका भौका मिले, पर कीर्तिकी लालसा उस वक्त तो मूल वासनाको दबा ही देती है ।

स्त्री ही जातिके आदर्शोंकी जननी है । ये आदर्श स्त्रीसे ही पुरुषके मानसमे पहुचते हैं, इनके परिपाककी प्रेरणा भी स्त्रीसे ही मिलती है । अत मैं तो कहूगा कि जिस समाजमे स्त्रीका मूल्य अधिक है—जिस समाजमे स्त्री उर्वशीके समान विक्रमके वशमे है, वह समाज अधिक उत्कर्षशाली है । जिस देशमे स्त्रीकी कीमत कम है, अर्थात् जहां स्त्रीकी प्राप्तिमे पुरुषको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती उस देशमे गरीबी और गन्दगीकी वहुतायत

होती है। अत जहा स्त्रीका मूल्य अधिक हो वहाके लोगोको अधिक समृद्ध होना चाहिए।

आप जानना चाहती है कि ह्वेलके शिकारको गये हुए और पत्नीसे लवे अरसे तक जुदा रहनेवाले पुरुषके स्वास्थ्यपर इस विवशताके ब्रह्मचर्यका असर क्या होता है। इन लोगोको सख्त मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए काम-वासनाकी अतृप्तिका उनके स्वास्थ्यपर तो कोई बुरा असर नहीं पड़ता। हाँ, जब उनके पास काफी काम नहीं रहता तब इस वासनाको अप्राकृतिक रूपमे तृत करनेके द्वुर्व्यसन उन्हे लग जाते हैं। शिकारसे लौटकर ये लोग अपनी सारी कमाई गराव और ऐयाशीमे उडा देते हैं, क्योंकि यही लक्ष्य लेकर ये शिकारके लिये जाते हैं।

### कृत्रिम साधन

कृत्रिम साधनोसे सन्तानोत्पादन रोकनेका प्रश्न जो आपने उठाया है वह गभीर है। उसका उत्तर जरा विस्तारसे देना होगा। अपनी खोजो और अवलोकनके बलपर इतना तो मैं जोर देकर कह सकता हूँ कि इन साधनोसे हानि नहीं होती इसका सबूत नहीं ही मिलता। हा, सफल और ज्ञानवान् स्त्री रोग-चिकित्सको और मानस-रोग-चिकित्सकोके पास इसे सावित करनेके लिए जर्वदस्त मसाला मौजद है कि इन साधनोसे काम लेना शरीर-स्वास्थ्य और नीति दोनोंके लिए अति हानिकर है। और यह खुली बात है कि इस विषयमे एक-दो बाते ध्यान देने योग्य है। सन्तानकी कामना न हो तो पति-पत्नीमेसे किसीको भी संयमके लिए प्रेरित करनेवाली कोई गक्कित नहीं रहती। पुरुषका जी उस स्त्रीसे भर जाता है, उसकी पुरुषार्थकी कामना मद पड़ जाती है। स्त्री उसे दूसरी स्त्रियोके पास जानेसे रोकनेके लिए उसे अपना ही गुलाम बना रखना चाहती है। अरसे तक गर्भाधान न होने देनेसे उसकी अपनी भोगेच्छा भी भड़कती जाती है। नतीजा यह होता है कि पुरुष कुछ ही वरसोमे निर्विर्य हो जाता है और किसी भी रोगका सामना कर सकनेका बल उसमे नहीं रहता। इस निर्विर्यतासे बचनेके लिए अकसर कृत्स्त भावनोसे काम लिया जाता है, जिसमे स्त्री-पुरुषके मनमे

एक-दूसरेके लिए तिरस्कार उत्पन्न होता है और अन्तमे सम्बन्ध-विच्छेद या तलाककी नीवत आती है।

कंसरके विशेषज्ञोंका कहना है कि इन कृतिम साधनोंका व्यवहार कंसर रोगका भी कारण होता है। नारी-देहकी एक कोमलतम भिल्लीपर इन साधनोंगा बहुत बुरा असर होता है—और उससे कितने ही रोग पैदा होते हैं। कितने ही प्रतिष्ठिन डाक्टरोंका यह भी कहना है कि इन साधनोंको काममे लानेके कारण बहुत-सी स्त्रियाँ बाल बन जाती हैं। उनका जीवन नीच्च हो जाता है और मसार उनके लिए विपरूप हो जाता है।

## जज लिंडसेका भ्रम

हमारे जज लिंडसेने इन कृतिम साधनोंकी खोजको व्यापक स्पष्ट देंदिया है, पर उन्ने होनेवाले सर्वनाशका उन्हे पता नहीं है। 'वैज्ञानिक गर्भ-निरोध' को वह नई नोड मानते हैं—पर वह बहुत पुरानी चीज है। फारमे कम-से-कम एक नीं सालमे इस साधनका चलन है। उसकी दवा आज क्या है यह देखिये। उसकी राजधानी पेरिसमे ७० हजार तो ऐसी बेश्याए है जिनके नाम बेश्याओंके रजिस्टरमें दर्ज हैं। 'अन रजिस्टर्ड' जानगी बेश्याओंकी नग्या उन्ने कर्द गुनी है। उसके और नगरोंमें भी यह बुराई बुरी तरह फैल रही है। जननेन्द्रियके रोगोंका भी कोई हृद-हिमाव नहीं है और लाज्जो स्त्रिया—विदाहिन-अविवाहित दोनों—उनसे पीड़ित हो डाक्टरोंके दरकी ताक छान रही है। तितने ही बरसोंमें जन्म-सत्याकी औसत मत्य-सत्याके

और विवाहिता दोनों तरहकी अभागी स्त्रियोंके यौवन और चरित्रकी हाट लग रही है।

जज लिंडसे अपने देश (अमरीका) के युवा अपराधियोंका विचार करनेवाली अदालतमें अरसेतक न्यायाधीश रह चुके हैं। इन युवक अपराधियोंके बयानोंमें उन्हें जो तथ्य मिले उनका उन्होंने उलटा उपयोग किया, और अपनी पुस्तकमें उलटे साधनोंकी सलाह देकर सारी जनताको उलटे रास्तेपर लगा दिया।

पर अपनी ही पुस्तकमें उन्होंने जो तथ्य-प्रमाण दिये हैं उनका रहस्य उनकी समझमें क्यों न आया? वर्जीनिया एलिस नामका युवतीका पत्र उन्होंने अपनी पुस्तकमें उछृत किया है। वह बेचारी लिखती है कि मैं चार हौशियार डाक्टरोंसे मिल चुकी और मेरे पति दूसरे दो डाक्टरोंकी सलाह ले चुके। इन छहों डाक्टरोंका कहना है कि गर्भ-निरोधके साधनोंको काममें लानेसे थोड़े दिनोंतक स्त्री-पुरुषके स्वास्थ्यपर कोई असर पड़ता भले ही न दिखाई दे, पर कुछ ही दिनमें दोनों हाथ मलने लगते हैं, और इस अनिष्टसे ऐसी व्याधिकी उत्पत्ति होती है, जिसका आपरेशन 'एर्पिंडिसाइटिस' (आतका फोड़ा) और 'गालस्टोन' (पित्ताशयकी पथरी)के नामसे किया जाता है। पर असलमें तो कुछ और ही होता है। क्या ये डाक्टर झूठे हैं? ऐसी राय देनेमें तो उनका कोई लाभ नहीं। उलटा, कृत्रिम साधन काममें लाये जाय तो रोग बढ़े और उनका रोजगार ज्यादा चले। पर ये डाक्टर अनुभवी, प्रतिष्ठित और लोकहितको समझनेवाले हैं।

जज लिंडसे और उनके पीछे चलनेवाले अब पूरी लगनके साथ इन साधनोंके प्रचारमें लग रहे हैं। यह प्रचार बढ़ता गया तो देशमें हजारों नीम हड्डीम इन साधनोंके लिए फिरते दिखाई देगे और इससे राष्ट्रकी अपार हानि होगी।

लिंडसे महोदयने जनन-निरोधके साधनोंका प्रचार करनेके लिए एक मण्डल स्थापित कर लिया है और कहते हैं कि यह सस्था स्वर्गको धरती-पर उतार लायेगी। पर मैं तो मानता हूँ कि वह दुनियाको नरक बना देगी। जन-साधारणमें इन साधनोंका प्रचार हुआ तो लोग वेमीत मरेंगे। घुल-

बुलकर, सिसक-सिसककर मरेगे और शायद यह सत्यानाश देखकर ही आने-वाली पीढ़िया इन साधनोंसे प्लेकी तरह भागना सीखेगी ।

जज लिडसेकी नीयत बुरी नहीं है । वह वेचारे तो यही चाहते हैं कि हर एक कुटुम्बमें उतने ही बच्चे पैदा हो जितने स्त्री चाहती हो और जितनेके पालन-पोषणका बोझ पुरुष उठा सके । उनका दूसरा उद्देश्य है कि स्त्रीमें सभोग-सुखकी स्वाभाविक इच्छा होती है, उसकी तृप्तिका समुचित साधन उसे मिल जाय । इस भावनाका भूत उनकी अदालतमें भग्न-वाहिनी निर्लज्ज छोकरियोंने उनके मानसमें घुसाया है । मैं तो यह मानता हूँ कि उनकी अदालतमें आनेवाली लड़कियो-जैसी शहादते देनेवाली लड़कियाँ अपवादरूप ही होगी । मैं दूसरी बहुत-सी लड़कियोंसे मिला हूँ । वे काम-वासनाकी बातोंको जज लिडसेके इजलासपर शहादत देनेवाली लड़कियोंकी तरह कवित्व और तत्त्व-ज्ञानका पालिश चढ़ाकर तो कह ही नहीं सकती । वहसत्यक समझदार लड़किया और माताएं जानती हैं कि यह वासना शुद्ध भ्रम है । पर जज लिडसेके सामने कितने ही वर्षोंसे ऐसी कच्ची अकलकी लड़किया लगातार आ रही हैं । इससे उनके जैसा विवाहित अघेड उम्रका विद्वान् पुरुष भी रास्तेसे वहक गया और अनचाहे बच्चोंकी पैदाइश रोकनेकी पुस्तक लिख डाली, नहीं तो ऐसा कौन होगा जो इतना ज्ञान रखते हुए कालिजमें पढ़नेवाले लड़के-लड़कियोंको निर्भय होकर सहवास-सुख भोगनेकी सलाह देगा और इसके लिए कानून बनवानेका आदोलन करेगा ? उनका ज्ञान काम कर रहा होता तो उन्हे यह मालूम होता कि कितने सुन्दर, तेजस्वी युवक इस पापसे आत्मधातकी शिक्षा प्राप्त करते हैं, इसलिए कि उनका पुरुषार्थ विदा हो जाता है और उसके साथ-साथ जीनेकी इच्छा भी चली जाती है । उन्हे इसका पता न हो तो मानस रोगोंका इलाज करनेवाले उन्हे बता सकते हैं कि कच्ची उम्रमें जननेन्द्रियको बहक जाने देना अच्छे भले युवकको नरावी, चोर, उच्चका और अफगा बना देता है । उनकी अकल मारी न गई होती तो क्या वह लिखते थे पुरुषकी विषय-वासना तृप्त करना और उसकी वेद्या बनना स्त्रीका धर्म है ?

इन अकलके दुश्मनोंको कौन समझाये कि प्रजामे अगर जन्म-मरण वहुत बढ़ जाय तो उसे रोकनेका वस एक ही उपाय है—विषय-भोगसे निवृत्ति । इनकी आखे यह क्यो नहीं देख सकती कि पशुओंमे यही उपाय अमोघ है ? इनकी अकलमे यह बात क्यो नहीं आती कि इन ऊपरी उपायोंका अवलवन स्त्रियोंको वेश्या और विपथगामिनी और पुरुषोंको निर्जीव-नपुसक बना देता है ।

स्वास्थ्यरक्षाके लिए सभोग आवश्यक है, इस भ्रमको दूर कर देना हरएक डाक्टर और अनुभवी सलाहकारपर फर्ज है । मैं तो अपने अनुभव और विद्वान् अनुभवी चिकित्सकोंके साथ बातचीत करके जो-कुछ जान सका हूँ, उसके आधारपर यह कहनेको तैयार हूँ कि लबे अरसेतक सभोग न करनेसे कुछ भी हानि नहीं होती, बल्कि वेहद लाभ होता है । कितन ही युवकोंमे जो उछलता हुआ उत्साह और कौधता हुआ तेज दिखाई देता है वह उनके जी भरकर विषय-भोग करनेका फल नहीं बल्कि संयमका प्रसाद होता है । हरएक पुरुषार्थी 'पुरुष' जाने-अनजाने इस सूत्रका पालन करता है—

विषय-वासनाकी त्रुप्तिमे खर्च होनेवाली शक्ति सहज ही पुरुषार्थ सिद्धिमे लगाई जा सकती है । शक्तिका संयम जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक सिद्धि मिलेगी ।

'इन्सान कितनी ही सदियोंसे कीमियाकी तलाशमे भटक रहा है । इस सूत्रमे जैसी शक्तियाँ भरी हैं वैसी कहा मिलेगी ?

### स्त्रीका कर्तव्य

स्त्रियोंको अब जागना, सावधान हो जाना चाहिए । उन्हे यह दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि हम पुरुषकी विषय-वासना तृप्त करनेके साधन नहीं हैं । इस रूपमे व्यवहार किये जानेका उन्हे तीव्र विरोध करना चाहिए । पुरुष कमाकर स्त्रीको खिलाता है तो इसके लिए इतना उपद्रव क्यो ? वह घर चलाये, बच्चोंको पाले-पोसे, पढाये-लिखाये, घरके वायु-मडलमे प्रसन्नता

भरे, पति और बच्चोंको ऊचे आदर्शोंसे अनुप्राणित करे, अपने उगते-खिलते हुए बेटे-बेटियोंको सन्मार्गपर चलाती रहे, इससे अधिक स्त्रीका कर्तव्य और क्या हो सकता है ? इतने कर्तव्योंका बोझ उठानेके लिए तो उसे इनाम मिलना चाहिए, उसके लिए खास सुभीते कर दिये जाने चाहिए ।

## ब्रह्मचारिणी जोन

पुरुष जैसे विषय-भोगकी कामनाको पुरुषार्थमे बदल सकता है वैसे ही स्त्री भी कर सकती है । ऊचे आदर्शको सामने रखकर अपने यौवन-धन, अपने सौन्दर्य और अपने सारे आकर्षणको लेकर वह बड़े-से-बड़ा पुरुषार्थ कर सकती है, इतिहासमे इसका सबसे ऊचा उदाहरण जॉ दार्क (जोन आँव आर्क)का है । उसके पास अपने निष्कलक कौमार्य और पारदर्शक ब्रह्मचर्यके सिवा और कौन-सा बल था । १५ वीं सदीमे फ्रासमे कैसी भयावह स्थिति थी ! सब ओर दारिद्र्य, दुख और दुष्टताका साम्राज्य था । फ्रेच सेना अनेक वर्षोंसे अग्रेजी सेनासे हारपर हार खाती जा रही थी, सैनिक निस्सत्त्व, निर्वार्य हो गये थे । उत्तरके सभी बड़े नगर दृश्मनके कब्जेमे थे । पेरिसकी सड़कोपर लाशोंके ढेर पड़े सड़ रहे थे । राजा भाग गया था । स्त्रियोंमे शील-जैसी वस्तु रह ही नहीं गई थी, ऐसे कठिन कालमे जाँ दार्क नामकी अपढ़ पर महा श्रवीर और बुद्धिमती कुमारी आगे आई । लोग उसकी पवित्रता स्वीकार न करते थे । सोचते थे कि वह भी फ्रासकी दूसरी हजारो छोकरियो-जैसी होगी । सोलह सालकी लड़कीका कौमार्य क्या अखड़ित हो सकता है ?

उसके कौमार्यकी जाच करनेके लिए एक कमीशन बिठाया गया । उसका दावा सही साबित हुआ । तब बुद्धिमान पुरुषोंने उसे चादीका बक्तर पहनाया और फौजके आगे रखा, और वह इस तरह मौतका डर छोड़कर लड़ी मानो उसके अन्दर किसीने विजली भर दी हो । उसके ब्रह्मचर्यका लोगोंके ऊपर अद्भुत प्रभाव पड़ा । नामदं मर्द वन गये और कितने ही वर्षोंसे चलनेवाली लड़ाई गिने-गुथे दिनोंमे ही समाप्त हो गई । अग्रेजोंके कदम

फ्राससे उखड़ गये। इतिहासमें इस घटनाका जवाब नहीं मिला। पर आज जो प्रवाह वह रहा है वह चलता रहे—स्त्री विषय-वासनाकी तृप्ति-मात्रका साधन वन जाय। पुरुष उसे भ्रष्ट करता रहे, जनन-निरोधके साधनोका चलन आम हो जाय, तो इससे समाजमें सत्यानाशका जो चक्र चलेगा उसे रोकनेके लिए ब्रह्मचारिणी तपस्विनी जॉ दार्क-जैसों की ही आवश्यकता होगी, जो १५ वीं सदीकी उस वीरागनाका जोड़ होगा।

सब स्त्रियाँ भले ही जॉ दार्क न बने, भले ही वे पवित्र विवाह-बधन-में बधे, पर इस बधनमें बधकर भी वे अपने सम्बन्धकी पवित्रता कायम रखे, उसे वेश्या-वृत्ति न बना दे। माताका धर्म समझे और पुरुषोंका पुरुषार्थ जगानेवाली शक्ति बने।

### उपसंहार

यह इस सुन्दर पुस्तकका सार है। पहली पुस्तकका सार लगभग शब्दशा उल्था है। पर यह खुलासा उल्था नहीं बल्कि लेखकके भावोंका निचोड़ है। सारी पुस्तकमें जो-कुछ कहा गया है वह मानो अपने इस महामन्त्रमें आ जाता है—

### मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दु-धारणात्

और जीन द आर्क-जैसे ज्वलन्त दृप्तान्त अपने वैधव्यके अखड़ ब्रह्मचर्यसे चमकनेवाली मीरावाई, भासीकी महारानी लक्ष्मीवाई और अहल्यावाई होलकरके तथा सपूर्ण जीवनको कौमार्य—ब्रह्मचर्यसे शोभा-सम्पन्न कर देनेवाली दक्षिण भारतकी दो साधियों अवै और आडालके चरित्रोंमें मिलते हैं।<sup>१</sup>

---

<sup>१</sup> स्वर्गीय श्री महादेव देसाई द्वारा किये हुए और 'नवजीवन' में प्रकाशित सारांशका उल्था।

: २ :

## जनन और पुनर्जनन

(श्री विलियम लॉपट्स हेयरके लेखका भावानुवाद<sup>1</sup>)

जिन जीवोंका शरीर केवल एक कोषका बना होता है उन्हे खुदबीनसे देखनेपर प्रकट होता है कि अतिनिम्न कोटिकी जीवश्रेणियोंमें जनन या वश-वृद्धिकी क्रिया विभाजनके द्वारा होती है। जीव-शरीरके टुकडे होकर एकसे दो जीव बन जाते हैं। जीव पोषण पाकर पुष्ट होता है और उसकी जातिके जीवके देहकी अधिक-से-अधिक जितनी बाढ़ हो सकती है उस बाढ़को जब वह पहुँच जाता है तब वह अपने प्राण-केन्द्र (न्यूक्लियस) और कुछ क्षण बाद शरीरके भी दो टुकडे कर लेता है। स्थिति साधारण हो—जल और आहार सुलभ हो—तो जान पड़ता है, उसके जीवनका कार्य यही समाप्त हो जाता है। पर ये दोनों वस्तुएँ सुलभ न हो तो कभी-कभी यह देखनेमें आता है कि दोनों कोष फिर जुड़ जाते हैं। इससे नये जीवकी उत्पत्ति तो नहीं होती, पर उस जीवकी जवानी लौट आ सकती है।

वहकोषी जीवोंमें भी पोषण और वृद्धिकी क्रियाएँ वैसे ही होती हैं जैसे नीचेकी श्रेणीवाले प्राणियोंमें, पर एक नई बात देखनेमें आती है। जिस कोप-समूहसे शरीरका निर्माण होता है वह कई वर्गोंमें बटकर भिन्न-भिन्न कार्य करने लगता है। कुछ आहार या पोषण प्राप्त करते हैं, कुछ उसका वितरण करते हैं, कुछ शरीर या उसके विभिन्न अंगोंको हिलने-हुलनेमें समर्थ बनाते हैं तो कुछ उसकी रक्षाका भार उठाते हैं, जैसे खाल। जिन कोषोंको नये काम सौंपे जाते हैं वे विभाजनकी प्राथमिक क्रिया त्याग देते हैं। पर जिनका स्थान पिडके अधिक भीतरी भागमें होता है वे उसे

<sup>1</sup> शिकागो अमरीकाके 'ओपेन कौट' नामक मासिकके मार्च १९२६ के अंकमें प्रकाशित।

किये जाते हैं। जिन कोषोका रूप-कार्य बदल गया वे उनकी सेवा-रक्षा करते हैं। पर वे खुद जैसे-केन्तैसे बने रहते हैं। वे पहलेकी तरह फटते, विभक्त होते रहते हैं, पर वहुकोषी शरीरके अदर ही आगे चलकर कुछ उससे बाहर भी कर दिये जाते हैं। परन्तु उन्हे एक नई शक्ति मिल जाती है। अपने पुरखोकी तरह फटकर एकसे दो हो जानेके बदले वे अपने प्राण-केन्द्र-के टुकडे किये बिना ही उससे नये पिढ़ पैदा कर लेते हैं। यह क्रिया तबतक चलती रहती है जबतक प्राणी अपनी जातिकी पूरी वाढ नहीं प्राप्त कर लेता। तब उसकी देहमे एक नई बात दिखाई देती है। बीज-कोषोके मूल समुदाय वाह्य जननके कामसे छुट्टी पा ही जाते हैं। देहके भीतर विभिन्न क्रियाओके लिए वे नये कोष भी लगातार प्रस्तुत करते रहते हैं। अपने मूल रूपमे बने रहनेवाले कोष इस प्रकार एक साथ दो काम करते हैं—शरीरके विकासके लिए भीतरी जनन या उत्पादन और वश-रक्षाके लिए बाहरी जनन। यहा इन दोनो क्रियाओमे हम स्पष्टत भेद कर सकते हैं। इनमेसे एकको हम पुनर्जनन और दूसरेको जनन कहेगे। एक बात और भी ध्यान देने योग्य है। पुनर्जननकी क्रिया—भीतरी उत्पादन—व्यक्तिकी जीवन-रक्षाके लिए अनिवार्य है, इसलिए आवश्यक और प्रधान है। जननकी क्रिया कोषोके आवश्यकतासे अधिक हो जानेका परिणाम है, इसलिए कम जरूरी, गौण है। सभवत दोनो शरीरको पूरा पोषण मिलनेपर अवलवित है, क्योंकि उसमे कभी हुई तो शरीरके भीतरी निर्माणकी क्रिया ठीक तौरसे न हो सकेगी और फिर वाह्य जनन-वश-वृद्धिकी आवश्यकता न होगी, होना शक्य न होगा। अत इस स्थितिमे जीवनका नियम यह है कि बीज-कोषोका पोषण पहले पुनर्जननके लिए किया जाय, फिर जनन-क्रियाके लिए। शरीरको पूरा पोषण न मिलनेकी दबामे पुनर्जनन प्रथम कर्तव्य होगा और जननकी क्रिया बद रहेगी। इस प्रकार हम जान सकते हैं कि सन्तानोत्पादन कुछ समय तक रोक रखनेकी प्रेरणाका उद्गम कहा है और किस तरह विकसित होकर उसने ब्रह्मचर्य और तपश्चर्याका रूप प्राप्त किया। आन्तरिक पुनर्जननकी क्रिया बद हो जानेका अर्थ मृत्यु होगा, और यह बात हमे स्वाभाविक मृत्युके मूलका भी पता दे देती है।

## जीवन-शास्त्रमें जनन

मनुष्यों और पशु-जातियोंमें लिंग-भेद चरम विकासको पहुंच चुका है और साधारण नियम बन गया है। इनकी स्थितिपर विचार करनेके पहले हमें जनन या वश-वृद्धिके मध्यवर्ती प्रकारपर एक निगाह डाल लेनी होगी। यह प्रकार है—उभयलिंग प्रकारके पहले और अलिंग प्रकारके बादका। पौराणिक गाथाओंमें इस जीवश्रेणीको उभयलिंगकी सज्जा दी गई है, इसलिए कि वह नर-नारी दोनोंके काम करता है। कुछ जीवोंमें अब भी यह बात देखनेमें आती है। उनमें बीज-कोषोंकी आन्तरिक वृद्धि तो ऊपर बताई हुई रीतिसे ही होती है, पर जनन-क्रियाके लिए विलकुल अलग कर दिये जानेके बदले वे कुछ कालके लिए ही अलग किये जाते हैं और देहके दूसरे भागमें दाखिल हो जाते हैं, और जबतक स्वतत्र जीवनकी योग्यता नहीं प्राप्त कर लेते तबतक वही उनका, पोषण होता रहता है।

जीवनके विकासका नियम यह मालूम होता है कि प्राणी एक-कोषी हो, वहुकोषी हो या उभयलिंग, उसके शरीरकी बाढ़ उस हृदतक हो सकती है जिस हृदतक उसके जननी-जनक उसके जन्म-कालमें पहुंच चुके थे। इस प्रकार प्रगति व्यष्टि-प्राणीकी ही होती है। जब-जब वह बच्चा पैदा करता है, शरीर-सघटनकी दृष्टिसे वह खुद पहलेसे अच्छी स्थितिमें होता है या हो सकता है। फलत् उसकी सन्तान अपने मान्वापकी साधारण बाढ़को पहुंचनेमें समर्थ होगी। सन्तानोत्पादनमें समर्थ होनेका काल प्रत्येक व्यक्ति और जातिके लिए भिन्न-भिन्न होता है। पर आदर्श रूपमें वह जवानीसे बढ़ापेके आरभतक होता है। जवान होनेके पहले या शक्तियोंका ह्रास आरम्भ हो जानेके बाद सन्तान उत्पन्न की जाय तो वह मान्वापसे बल-वृद्धिमें हीन होगी। यहाँ भी शरीर-शास्त्रके नियम हमें सभोग-नीतिका एक नियम बताते हैं—वश-वृद्धि और गरीरकी आतरिक पुष्टिकी दृष्टिसे पूर्ण योवन-फान ही सन्तानोत्पादनके लिए सर्वोत्तम काल है।

उभयलिंग प्राणीने लिंग-भेदकी उत्पत्तिका इतिहास हम छोड़ देते हैं, क्योंकि यह दिवान-क्रम निर्दिवाद तथ्य है। पर उभय-लिंग प्राणीकी

उत्पत्तिके साथ एक नई वात पैदा हो जाती है जिसकी चर्चा आवश्यक है। उभयलिंग प्राणीके दोनो अर्द्धभाग—‘नर’ और ‘मादा’—दो पिड तो हो ही जाते हैं, हर एक अलगसे बीज-कोष भी पैदा करने लगता है। नर-भाग बीज-कोष या शुक्र-कीट बनाकर आतंरिक जननका पुराना बुनियादी काम बदस्तूर किये जाता है, पर उन्हें पृथक् करनेके बजाय इस उद्देश्यसे बटोर रखता है कि शुक्र-कीट उनमें प्रविष्ट होकर गर्भाधान करे। दोनो अवस्थाओंमें पुनर्जननकी क्रिया व्यक्तिके लिए अनिवार्य आवश्यक है। गर्भ-स्थितिके बादसे भीतरी पुनर्जननकी क्रिया प्रतिक्षण बढ़ती जाती है। मानव-प्राणीके पूरी वाढ़को पहुच जानेपर सन्तानोत्पादन हो सकता है, पर वह केवल जातिके हितार्थ होता है, व्यक्तिका हित उससे होना जरूरी नहीं है। निम्नकोटिके जीवोंकी तरह यहा भी आतंरिक जनन रुक जानेका अर्थ रोग या मृत्यु होता है। यहा भी व्यक्ति और जातिके हित एक-दूसरेके विरोधी होते हैं। व्यक्तिके पास बीज-कोषोंकी फाजिल पूजी न हो तो सन्तानोत्पादनमें उसे खर्च करनेसे पुनर्जनन या आतर उत्पादनकी क्रियाको कुछ आवश्यक सामग्रीकी कमी पड़ जायगी। सच तो यह है कि सभ्य मानव-समाजमें सभोग वश-रक्षाकी आवश्यकतासे कही अधिक और भीतरी पुनर्जननकी क्रियामें अडचन डालते हुए किया जाता है, जिसका फल रोग, मृत्यु और दूसरे कष्ट होते हैं।

मानव-शरीरकी कल किस तरह चलती है इसपर यहा हम थोड़ी अधिक सूक्ष्म दृष्टि डालना चाहते हैं। हम पुरुष-शरीरको लेते हैं, पर स्त्री-शरीरमें भी, व्यौरेके थोड़े अन्तरके साथ, वही क्रियाए होती है।

शुक्र-कोपोका केन्द्रीय भडार प्राणका आदिम और मूलभूत अधिष्ठान है। भ्रूण या गर्भ आरभसे ही, माताकी देहमें बननेवाले रसोंसे पुष्ट होकर, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। शुक्र-कोषोका पोषण ही यहा भी जीवनका नियम दिखाई देता है। गर्भके शुक्र-कोषोंकी सख्या ज्यो-ज्यो बढ़ती है और उनमें कुछ भिन्नता पैदा होने लगती है, वे आवश्यकतानुसार नये रूप और नये कार्य ग्रहण करने लगते हैं। स्थूल अर्थमें जन्म-ग्रहण-माके पेटसे बाहर आनेसे इस क्रियामें थोड़ा ही अन्तर पड़ता है, पहले शुक्र-कोषके पोषणकी सामग्री नालके द्वारा मिलती थी, अब होठो और मुहके रास्ते मिलती है। कोषोंकी

वृद्धि अब तेजीसे होती है और सारे शरीरमें जहा कही निकम्मे तन्तुओंकी जगह नये तन्तु बनानेकी आवश्यकता होती है वहा पहुच जाते हैं। रक्त-वाहिनी नाड़िया इन कोषोंको अपने आदि अधिष्ठानसे लेकर देहके हर हिस्सेमें पहुचाती है। बड़े-बड़े समूहोंमें वे खास-खास काम अपने जिम्मे लेते हैं और देहके भिन्न-भिन्न अगोका निर्माण और मरम्मत करते हैं। जिस कोष-समुदायकी वे व्यष्टि हैं वह जीता रहे इसके लिए वे हजार बार मौतको गले लगाते हैं। ये सारे 'मुद्दे' शरीरकी ऊपरी सतहपर आ जाते हैं और खासकर हड्डियों, दातों, खाल और वालोंमें कडाई पैदा करके सारे शरीरका बल बढ़ाते और उसकी रक्षा करते हैं। उनकी मृत्यु देहके उच्चतर जीवन और उसपर आश्रित सारी वातोंका मूल्य है। वे आहार-ग्रहण, नये कोषोंका उत्पादन, विभाजन, भिन्न-भिन्न वर्गोंमें बटकर भिन्न-भिन्न कार्योंका सपादन, और यह सब करके अन्तमें मर जाना बद कर दे तो शरीर जी नहीं सकता।

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, वीज-कोषों या शुक्र-कोषोंसे दा तरहके जीवनकी प्राप्ति होती है—१. आन्तरिक या प्रजनन-रूप और २. बाह्य या जननरूप। पुनर्जनन देहके जीवनका आधार है और उसको भी उत्ती त्रोतसे जीवन मिलता है जिससे जनन-क्रियाको। इससे हम यह अनुमान कर सकते हैं कि विशेष अवस्थाओंमें दोनों क्रियाएं एक-दूसरेकी विरोधिनी, एक-दूसरेमें वाधक हो सकती हैं।

### पुनर्जनन और अचेतन मन

पुनर्जनन यात्रिक क्रिया—वेजान कलके पुरजोंका हिलना—न है और न हो सकता है। वह तो जीव-मृष्टिमें कोषके प्रथम विभाजनकी तरह प्राज या जीवका अस्तित्व बतानेवाला व्यापार है। अर्थात्, वह कर्तमिं वृद्धि और सकल्पकी दक्षित होनेकी सूचना देता है। प्राण-तत्त्वका विभाजन और दिलगाव—उसका विद्यिष्ट कार्योंकी योग्यता प्राप्त करना युद्ध यांत्रिक द्विज है, यह बात तो नोची भी नहीं जा सकती। इनमें सन्देह नहीं कि योजनाएँ ये मूलभूत नियाएं हमारी वर्तमान चेतनासे छतनी दूर जा पड़ी हैं।

कि कोई बुद्धिकृत या सहज सकल्प उनका नियमन करता है, यह नहीं जान पड़ता। पर क्षण-भरके विचारसे ही यह वात स्पष्ट हो जायगी कि पूरी वाढ़को पहुचे हुए मनुष्यका सकल्प जिस तरह उसकी वाह्य चेष्टाओं और क्रियाओंका सचालन, बुद्धिके निर्देशानुसार करता है, वैसे ही यह भी मानना होगा कि आरभमे होनेवाली शरीरके क्रमिक सघटनकी क्रियाएं भी, अपनी परिस्थितिकी सीमाओंके अदर, एक प्रकारकी बुद्धिकी रहनुमाईमे काम करनेवाली एक प्रकारकी इच्छा-शक्ति या सकल्पके द्वारा परिचालित होती है। इस बुद्धिको मानस-शास्त्रके पडित अब अचेतन मन या अन्तश्चेतना कहने लगे हैं। यह हमारी व्यष्टि सत्ता, हमारी आत्माका ही एक अग है, जो हमारे साधारण चिन्तनसे लगाव न रखते हुए अपने निजके कर्तव्योंके विषयमे अतिशय जागरूक और सावधान रहता है। हमारी वाह्य चेतना सुषुप्ति वेहेशी आदिमे सो जाती है, पर अन्तश्चेतना कभी एक क्षणके लिए आख नहीं मूदती।

इस प्रकार हमारी अन्तश्चेतना ही वह प्राण-शक्ति है जो शरीरके भीतरी निर्माण और विकासकी पेचीदा क्रियाओंका नियमन करती है। उसका पहला काम है—गर्भयुक्त डिम्बको अलग करना और इसके बाद प्राणीकी मृत्यु होनेतक मूल वीज-कोषोंको जज्ब कर और उन्हे भिन्न-भिन्न अगोंको भेजकर, अपने पिढ़ या शरीरकी रक्षा करते रहना। इस विषयमे मेरा मत अनेक नामी मानस-शास्त्रियोंके मतका विरोध करता हुआ मालूम हो सकता है, पर मेरा कहना है कि अचेतन मनको केवल व्यक्तिकी चिन्ता होती है, जातिके जीने-मरनेकी परवाह उसे नहीं होती। अत पहले वह पुनर्जननकी गाड़ी चलानेका उपाय करता है। केवल एक ही दृष्टिसे कह सकते हैं कि अचेतनको भावी पोढ़ीकी, जातिकी, चिन्ता होती है—शरीर-सघटनकी दृष्टिसे व्यक्तिको अपने पुरुषार्थसे वह, जिस स्तरपर पहुचा चुका है उसको वह बनाये रखना चाहता है। पर जो वात असभव है वह उसके किये नहीं हो सकती। चेतन या ज्ञात सकल्पकी सहायतासे भी वह जीवनको अनन्त कालतक बनाये नहीं रह सकता। अत काम-प्रवृत्ति या सभोगके आवेगके जरिये अपने-आपको फिरसे पैदा करता है। कह सकते हैं कि इन

व्यापारमें अचेतन और चेतन मन—अन्तश्चेतना और वहिश्चेतना—मिल-कर काम करती है। सभोगमें मिलनेवाला सुख साधारणत। इस बातकी सूचना माना जा सकता है कि उससे व्यक्तिको सुख मिलनेके सिवा किसी औरके प्रयोजनकी भी पूर्ति होती है। व्यक्तिको इस सुखकी कीमत भी, जितनी वह जानता है, उससे बहुत ज्यादा चुकानी पड़ती है।

### जन्म और मृत्यु

इस लेखको विज्ञानके विशेषणोंसे भरकर ओफिल बना देना इष्ट नहीं है पर विषय इतने महत्वका है और जन-समाजमें इस विषय-में इतना अज्ञान फैल रहा है कि कुछ प्रामाणिक वचन हमें देने ही होंगे। रेलेकेस्टर लिखते हैं—

“आदि जीव (प्रोटोजोआँन) का गरीर केवल एक कोषका होता है, और अपना वश वह अपने गरीरके टुकडे करके बढ़ाता है। इससे इस प्रकारके जीवोंमें मृत्यु कोई स्वाभाविक और साधारण घटना नहीं है।”

वीसमानका कहना है—“स्वाभाविक मृत्यु केवल वहुकोषी जीवोंमें ही होती है, एक कोषवाले जीव उससे बच जाते हैं। उनके विकासका कभी वैमा अन्त नहीं होता जिसकी तुलना मृत्युसे की जा सके, और यह भी जरूरी नहीं कि नये प्राणीके पैदा होनेके लिए पुरानेको मरना पड़े। विभाजनमें दोनों अग समान होते हैं, न कोई बूढ़ा होता है न कोई जवान। इस प्रकार व्यष्टि जीवोंकी अनन्त श्रेणी चलती रहती है, जिसमें हर एककी वय उतनी ही होती है जितनी जातिकी। हर एकमें अनन्त कालतक जीते रहनेकी नामर्थ्य होती है, उसके टुकडे सदा होते रहते हैं, पर मरता कभी नहीं।”

पैट्रिक गेडेस ‘द इवोल्यूशन आव सेक्स’ (लिंग-भेदका विकास) पुस्तकमें लिखते हैं—“इस तरह हम कह सकते हैं कि मृत्यु देह-धारणका मूल्य है। यह कीमत हमें कभी-न-कभी चुकानी ही पड़ती है। देहमें हमारा मतलब कोषोंके उस जटिल सवातसे है जिसमें थोड़ा-बहुत अग-भेद और कार्य-भेद विद्यमान हो।”

श्री बीनमानके अर्थमें शब्दोंमें “देह एक तरहने जीवनके सच्चे

अधिष्ठान-उत्पादन-कार्य करनेवाले कोष-समूहका अतिरिक्त विस्तार उनसे जोड़ी हुई चीज़-सी जान पड़ती है।”

श्री रे लैकेस्टर भी यही बात कहते हैं—“वहुकोषी प्राणियोके शरीरमें कुछ कोष देहके और घटकोसे अलग कर दिये जाते हैं। ऊची श्रेणीके जीवोकी देह, जो मरणशील होती है, इस दृष्टिसे क्षणिक और गौण वस्तु मानी जा सकती है, जिसकी रचनाका प्रयोजन अधिक महत्ववाली और अमर वस्तु-विभाजनसे उत्पन्न कोष-सघात—का कुछ दिनोतक धारण-पोषण करते रहना-भर है।”

“पर इस विषयमें सबसे अधिक मार्केंकी और सभवत सर्वाधिक विस्मय-जनक बात वह गहरा लगाव है जो ऊचे प्रकारकी बनावट वाली देहों या पिंडोमें जनन-क्रिया और मृत्युके बीच पाया जाता है। अनेक विज्ञानविद् इस विषयपर स्पष्ट और निश्चयात्मक शब्दोमें अपने विचार प्रकट कर चुके हैं। जननका दण्ड मरण है। वहुतेरी जीव-योनियोमें यह बात विलकुल स्पष्ट है। वश-रक्षाका उपाय करनेमें उनमें नर या मादामेसे एकको अक्सर जानसे हाथ धोना पड़ता है। सन्तानोत्पादनके बाद जीते रहना प्राणकी विजय है, जो सदा नहीं होती। कुछ जीव-जातियोमें तो कभी नहीं होती। गेटेने मृत्युपर लिखे हुए अपने निवधमें भली-भाति दिखाया है कि जनन और मरणमें कितना निकटका और अनिवार्य सम्बन्ध है। ये दोनों क्रियाएं क्षय क्रियाकी वे मजिले कहीं जा सकती हैं जब स्थिति कोई पक्की करवट लेती है।”

श्री पैट्रिक गेडेस पुन कहते हैं—“सन्तानोत्पादन और मृत्युका सम्बन्ध निस्सदेह स्पष्ट है। पर आम बोल-चालमें इस लगावको गलत रूप दे दिया जाता है। हम लोगोंको यह कहते सुनते हैं कि प्राणीकी मृत्यु अटल है इसलिए उसे बच्चे पैदा करने ही होंगे, नहीं तो जातिका नाश हो जायगा। पर पीछेके उपयोगकी यह दलील आमतौरसे हमारे दिमागकी बादमें होनेवाली उपज होती है। इतिहास हमें बताता है कि प्राणी इसलिए बच्चे नहीं पैदा करता कि उसे एक दिन मरना है, बल्कि वह बच्चे पैदा करता है इसीलिए मरता है।”

गेटेने इस तत्त्वको यो सूत्र-रूपमें बताया है—“मरण जननको आवश्यक नहीं बनाता, बल्कि वह खुद जननका अनिवार्य परिणाम है।”

बहुत-सी मिसाले देनेके बाद गेडेसने इन ध्यान देने योग्य शब्दोमें इस विषयका उपसहार किया है—“ऊची श्रेणीके जीवोमें वश-वृद्धिके लिए होनेवाला बलिदान बहुत कम हो गया है, फिर भी काम-वासनाकी तृप्तिके फल-रूपमें मौत होनेका खतरा मनुष्यके लिए रहता ही है। सयत मात्रामें सभोगसे भी तन-मनमें सुस्ती, थकावट आ जाती है और शारीरिक शक्तिके इस ह्रास-कालमें हर तरहके रोग होनेकी सभावना बढ़ जाती है, यह तो सभीको मालूम है।”

इस विवेचनाका निचोड़ यह हो सकता है कि सभोग पुरुषके लिए शरीरके क्षयकी किया या मौतकी ओर बढ़ना है और प्रसव-क्रियामें स्त्रीके लिए भी उसका वही अर्थ होता है। और यह बात विलकुल पक्की है।

अस्यत सभोगका शरीरके स्वास्थ्यपर जो अनिष्टकर प्रभाव पड़ता है उसपर एक पूरा अध्याय लिखा जा सकता है। अखड़ ब्रह्मचर्य या पूर्ण सयमका पालन करनेवालेको भी बल-वीर्य, दीर्घायु और आरोग्यकी प्राप्ति होना साधारण नियम है। इसका एक सबूत, यद्यपि वह जरा भद्दा है, यह हो सकता है कि दुर्वल जनोंके गरीरमें इजेक्शनके जरिये वाहरसे थोड़ा वीर्य पहुंचा देनेसे उनकी बहुत-सी व्याधिया दूर हो जाती है।”

प्रस्तुत निवधके इस भागमें जो मत या निष्कर्ष पाठकोंके सामने रखे गये हैं उनका मन उन्हे माननेसे इनकार कर सकता है। कितने ही लोग बहुतेरे बढ़े और देखनेमें तन्दुरुस्त लगनेवाले स्त्री-पुरुषोंके नाम लेंगे जिनके बहुतसे वालबच्चे हैं, आकड़ देकर दिखायगे कि विवाहित स्त्री-पुरुष अविवाहितोंसे अधिक जीते हैं। पर इनमेंसे कोई भी दलील इस तथ्यके सामने टिक नहीं सकती कि विज्ञानकी दृष्टिने मृत्यु जीवनके अन्तमें घटित होनेवाली घटना नहीं है, बल्कि एक क्रिया है जो जीवनके साथ ही आरम होती और प्रतिश्वसन उसके साथ-साथ चलती रहती है। गरीरकी छींजकी पूर्ति अथवा पोषण और उसका क्षय जीवन और मरणकी शक्तिया है जो एक-दूसरेके पदमन्द-रदम चला करती है। दबपन और चड़ती जवानीके दिनोंमें

जीवनकी क्रिया दौड़मे आगे रहती है। प्रौढावस्थामे दोनों कदम-ब-कदम चलती है, पर जब उम्र ढलने लगती है तो मृत्युकी क्रिया आगे निकल जाती है और अन्तमे निधनके क्षणमे जीवनकी शक्तिको पक्के तौरसे पछाड़ देती है। इस जय-लाभमे सहायक होनेवाली हर बात, हर बात जो उस घडीको एक दिन, एक वरस या एक दशक आगे खीच लाती है, मृत्युकी क्रिया है। और सभोग निस्सन्देह ऐसा ही कार्य है, खासकर जब वह अति मात्रामे किया जाय।

अपने उपर्युक्त कथनकी प्रामाणिकतापर सन्देह करनेवालोको मै एक बहुत ही रोचक और ज्ञानगर्भ पुस्तक पढनेकी सलाह दूगा। वह चार्ल्स एस माइनट लिखित 'द प्राब्लम आव एज ग्रोथ ऐड डेथ' (वय विकास और मृत्युकी समस्या) १<sup>१</sup> विद्वान लेखकने इस पुस्तकमे क्षय और मृत्युका अर्थ और स्वरूप शरीर-शास्त्रकीं दृष्टिसे बताया है। उसकी इस बातको मै पक्के तौरसे मानता हू कि स्वाभाविक मृत्यु जीवनकी कोई अलग, असवद्ध घटना नही है, बल्कि एक निरन्तर चलती रहनेवाली क्रिया है। पर कामुकता-के विषयपर जो पुस्तक मुझे सबसे अधिक महत्वकी जान पड़ी वह है डाक्टर केनेथ सिलवा गुथरीकी 'रिजेनरेशन द गेट ऑव हेवेन' (पुनर्जनन-स्वर्ग-द्वार<sup>२</sup>)। उसका नाम तो बताता है कि वह आध्यात्मिक दृष्टिसे लिखी गई है, पर उसमे शरीरशास्त्र और नीति-शास्त्रकी दृष्टिसे भी विषयका पूर्ण विवेचन किया गया है और अपने मतकी पुष्टिमे विज्ञानके प्रमुख पण्डितो तथा ईसाई धर्माचार्योंके मत पेश किये गए हैं।

### मनकी इन्द्रिय

शरीरके उच्चतर कार्यों, खासकर मनकी भौतिक इद्रिय-नाडी-स्थान

<sup>१</sup> 'The Problem of Age, Growth and Death, by Charles S. Minot (1908. Johan Murray)

<sup>२</sup> Regeneration, the Gate of Heaven, by Dr. Kenneth Sylvan Guthrie (Boston, the Barta, Press)

और मस्तिष्कका विचार करनेसे जनन और पुनर्जनन क्रियाके स्थिर विरोधका कुछ अदाजा हमें लग सकता है। हमारा सम्पूर्ण नाड़ी-संस्थान भी ऐसे कोषोंसे ही बना है जो कभी बीज-कोष रह चुके हैं और जो प्राणके आदि अधिष्ठानसे खिचकर आये हैं। विभिन्न संस्थानोंके नाड़ी-जाल केन्द्रोंको उनकी धारा सदा सीचती रहती है, दिमागको तो प्रचुर मात्रामें उसकी पाप्ति होती है। इन कोषोंका ऊपरकी ओर जाकर शरीरके पोषणमें लगाना रोककर वे सन्तानोत्पादन या केवल भोग-सुखके लिए खर्च किये जाय तो वह खजाना खाली हो जाता है जिससे उक्त अग रोज होनेवाली छीजकी पूर्ति किया करते हैं? यही शारीरिक सचाइया हमारी वैयक्तिक सभोग-नीतिका आधार है, जो अखड़ ब्रह्मचर्य नहीं तो सयमकी सलाह जरूर देती है—सयमकी प्रेरणाका मूल स्रोत कहा है यह तो बताती ही है।

कुछ दर्शन मानते हैं कि ब्रह्मचर्य-धारणसे मन और आत्माकी शक्तिया बढ़ती है। भारतका योग-दर्शन उनमें प्रधान है। पाठक पातजल योग-दर्शनके किसी भी प्रामाणिक उल्थाको देखकर मेरे कथनकी सचाईकी जाच कर सकते हैं। ('हारवर्द ओरियटल सिरीज'में प्रकाशित जेम्स एच० वुड कृत उल्था मेरी समझसे अयोजीमें उसका सर्वश्रेष्ठ अनुवाद है।)

भारतके धार्मिक और सामाजिक जीवनसे परिचित जनोंको मालूम होगा कि हिन्दू लोग पहले तपस्या किया करते थे और वहुतेरे अब भी करते हैं। उसके दो उद्देश्य होते हैं—शरीरकी शक्तियोंको बनाये रखना और बढ़ाना और मनकी अतीन्द्रिय शक्तिया या सिद्धिया प्राप्त करना। पहलेको हठयोग कहते हैं। शारीरिक पूर्णता—आदर्श स्वास्थ्यको ही उसने अपना उद्देश्य मान लिया है। उसके अन्दर वहुतसे करामाती काम किये जाते हैं। दूसरेका नाम राजयोग है, जिसका उद्देश्य मन, बुद्धि और आत्माकी शक्तियोंका विज्ञास है। पर नारीरिक सदाचारका अग दोनोंमें समान है। यह पतञ्जलिके योगनून और प्राचीन भारतके इस महान मानस-शास्त्रीके सिन्हान्तोंके नहारे रचित अन्य कितने ही गन्योंमें वर्णित है।

पंच क्लेशोंमें 'राग'का स्थान तीसरा है। पतञ्जलिके कथनानुनार उसका अर्थ है भूत या मुत्त-प्राप्तिके साधनोंकी कामना या तुष्णा। मुन्नमें

दुख मिला हुआ है। सुखानुशायी रागः (२-७) इसलिए वह योगीके लिए त्याज्य है।

योगके आठ अग हैं। उनमें पहला और दूसरा यम-नियम है, जिनका पालन योगके अभ्यासीको सबसे पहले करना होता है। यह देखकर अचरण होता है कि योगके रहस्योंके अनेक उद्घाटनकर्ता या तो इस बातसे अनभिज्ञ हैं या जानते हुए भी इस विषयमें चुप्पी साध लेते हैं कि चौथा यम आठ प्रकारके मैथुनका त्याग है, और ब्रह्मचर्य जननेन्द्रियका निग्रह है।

पर पतजलिके कथनानुसार ब्रह्मचर्यके लाभ महान् हैं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभं (३८-२) — ब्रह्मचर्यमें प्रतिष्ठित होनेवालेको वीर्य-लाभ होता है। वीर्यके मानी हैं बल, पौरुष। उसके लाभसे अणिमादि अष्ट सिद्धियोंकी प्राप्ति होती है।

श्री मणिलाल नां द्विवेदी अपनी योग-सूत्रकी टीकामें लिखते हैं। “शरीर-शास्त्रका यह सर्वविदित नियम है कि वीर्यका बुद्धिके साथ वहुत गहरा लगाव है, और हम कह सकते हैं कि आध्यात्म-भावके साथ भी है। जीवनके इस अमूल्य तत्त्वका अपव्यय रोकनेसे मनुष्य को मन-इन्द्रियोंकी अभीष्ट अतीन्द्रिय शक्ति प्राप्त होती है। इस यमका पालन किये विना किसीकी योग-सिद्धि होनेकी वात हमें नहीं मालूम।”

योग-सूत्रोंके कितने ही भाष्योंमें योगका प्रयोजन और प्रक्रिया रहस्य-वादकी शब्दावलीमें वर्णित है। शक्तिके विषयमें कहा जाता है कि वह सर्पके समान सबसे नीचेके चक्रसे सबसे ऊपरके चक्र अड़-कोषसे ब्रह्माकोण जाती है।

### वैयक्तिक काम-नीति

सदाचारके नियम सामान्यत जीवनके अनुभवोंसे बनते हैं, चाहे वे व्यक्तियोंके जीवनके हों या समाजोंके अथवा जातिके। इतिहासके कथनानुसार उनकी रचना प्राय कोई महापुरुष करता है। कभी-कभी उसे ईश्वरके अवतार या दूतका पद प्राप्त होता है। मूसा, बुद्ध, कनफ्यूशियस, सुकरात, अरस्तू, इसा और उनके बाद हर देशमें हुए महान् धर्मोपदेष्टा और तत्त्व-

ज्ञानी सबने अपने-अपने देश और कालमे मनुष्यके आचारको परखनेकी कोई-न-कोई कसौटी पेश की। अत सामान्य, सर्वोपयोगी नीति-शास्त्र दर्शन-शास्त्र, मानस-शास्त्र, शरीर-शास्त्र और समाज-शास्त्रके सिद्धान्तोपर आश्रित होगा। ये सब मिलकर अनेक तथ्य या माने हुए तथ्य प्रस्तुत करते हैं जो स्वत प्रमाण होते हैं। अत. किसी भी युग या सम्यतामे वैयक्तिक काम-नीति या सभोग-नीतिके नियम उन्ही तथ्योके आधार बनेगे जो लोगोके अपने अनुभवमे उनपर सबसे ज्यादा असर डालते हैं। सामाजिक काम-नीति-की तरह वैयक्तिक काम-नीति भी युग-युगमे भिन्न होती है। पर उसकी बाते स्थायी और अल्पाधिक सार्वकालिक होती हैं।

इस युगके लिए वैयक्तिक काम-नीति निर्धारित करनेमे हमे सभी ज्ञात तथ्यो और सम्भावनाओंका विचार करना होगा, खासकर जब विश्वस-नीय समीक्षकोके अनुभव उसकी पुष्टि कर देते हों। यह कहना अपनी 'बड़ाई' करना नही है कि प्रस्तुत लेखके पहले और पाचवे प्रकरणोमे जो तथ्य दिये गए हैं वे निर्विकार चित्तके समझदार पाठकको तत्क्षण कुछ युक्ति-सगत अनिवार्य परिणामोपर पहुचाते हैं। व्यक्तिके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक हितकी दृष्टिसे वे तथ्य यहीं बताते हैं कि ब्रह्मचर्यं जीवनका अकांट नियम है। पर इस नियमको चुनौती देनेके लिए तुरत ही दूसरा नियम हमारे सामने आकर ताल ठोकता है। एक नियम दूसरेका खड़न करता है, पहला नियम प्रकृतिका है, कामकी वासना या वेग उसकी देन है। पिछला नियम है अपरोक्षज्ञान (इड्यूशन) का, विज्ञानका, अनुभव-का, विश्वासका, आदर्शका। पुराने नियमके अनुसरणका फल है जल्दी बूढ़ा होना और जल्दी परलोक सिधारना। नये नियमके रास्तेमे ऐसीं विकट वाधाए खड़ी हैं कि उनपर चलनेकी हिम्मत बिरले हीं करते हैं। वस्तु-स्थिति पर विश्वास करना लोगोके लिए कठिन होता है, वे तुरत किन्तु-परन्तु करने लगते हैं। पर यह यह बात उल्लेखनीय है कि योगियो, सन्यासियो और भिक्षुओके लिए जो आचारके कड़े-से-कड़े नियम रखे गए हैं वे पौराणिक आख्यानो या अध-विश्वासोपर आश्रित नही हैं, बल्कि इस निबध्नमे वर्णित शारीरिक सचाइयो द्वारा आदिष्ट हैं।

काम-वासनाकी तृप्तिमें सदाचार-पालनका पक्ष, जहातक मेरी जानकारी है, किसी आधुनिक लेखकने काउट टॉल्स्टॉयसे ज्यादा जोरदार या स्पष्ट शब्दोमें उपस्थित नहीं किया है। रूसके इस आदर्श-वादी तत्त्वज्ञानीके विचारोंकी एक वानगी में यहा देता हूँ—

“१०२ वश-रक्षाकी प्रवृत्ति—काम-वासना—मनुष्यमें स्वभावजन्य है। पशु-दशामें वह इस सहज वासनाकी तृप्ति कर अपने जीवनके प्रकृति-निर्दिष्ट उद्देश्यकी पूर्ति करता है। इसीमें उसका हित है।

१०३ पर चेतनाके जगनेपर उसका मन यह कहने लगता है कि इस वासनाकी तृप्तिसे व्यष्टिरूपमें उसकी कुछ अधिक भलाई होगी और वह उसकी तृप्ति जातिकी रक्षाके उद्देश्यसे नहीं बल्कि अपने निजके भलेके लिए करने लगता है। यही कामगत पाप है।

१०७ पहलीं हालतमें जब मनुष्य पवित्रता अर्थात् ब्रह्मचर्यका जीवन विताना और अपनीं सारीं शक्ति भगवान्‌कीं आराधनामें लगाना चाहता हो, सभोग-मात्र—उसका उद्देश्य बच्चे पैदा करना और उन्हे पालना-पोसना हो तो भी—कामगत पाप होगा। जिस आदमीने ब्रह्मचर्यका रास्ता अपने लिए चुना हो शुद्धतम वैवाहिक जीवन भी उसके लिए एक स्वभाव-कृत पाप होगा।

११३ जिसने सेवा और पवित्रता या ब्रह्मचर्यका रास्ता अपने लिए चुना हो उसके लिए विवाह इस कारण पाप या गलती है कि वह इस बधनमें न बधता तो सभव है सबसे ऊचा धवा अपने लिए चुनता और अपनी सारी शक्तिया भगवान्‌की सेवामें—फलत प्रेमके प्रचार और व्यक्तिके परम श्रेयकी प्राप्तिमें—लगाता। इसके बदले वह जीवनके नीचेके स्तरपर उतर आता है और अपने परम श्रेयसे वचित रहता है।

११४ जो आदमी वश-रक्षाके रास्तेपर चलना चाहता हो उसके लिए

‘टालस्टायकी परिभाषामें पाप धर्म-शास्त्रके किसी विधि-निषेधका उल्लंघन नहीं है। जो-कुछ प्रेम अर्थात् सम्पूर्ण प्राणियोके प्रति मैत्रीकी अभिव्यक्तिमें बाधक है, वही पाप है।

विवाह न करना पाप होगा । इसलिए कि बाल-बच्चों, अन्तत कुटुम्बके नेह-नातेसे बचित रहकर वह अपने-आपको दाम्पत्य-जीवनके सबसे बड़े प्रेमसे बचित रखता है ।

११५. इसके सिवा जो लोग सभोग-सुखको बढ़ानेका यत्न करते हैं उनका स्वाभाविक सुख, ज्यों-ज्यो उन्हे कामुकताकी लत लगती है, घटता जाता है । सभी शारीरिक वासनाओंकी तृप्तिमें ऐसा होता है ।”

इन पंक्तियोंसे प्रकट होता है कि टॉल्स्टॉयका सिद्धान्त नैतिक सापेक्ष्य-वाद है । मनुष्यके लिए परमेश्वर, परब्रह्म किसी अवतारी धर्मचार्यने नियत नहीं कर दिया है, हर एकको खुद उसे चुनना पड़ता है । हा, यह जरूरी है कि वह जो नियम, जो रास्ता अपने लिए चुने उसका अनुसरण करे ।

यह आचार-नीति ऊपरसे नीचेकी ओर आनेवाला एक निषेध परम्परा-का विधान करती है । जिस आदमीको नैछिक ब्रह्मचर्यमें पक्की निष्ठा है और जो ऊचे शारीरिक-मानस लक्ष्योंके लिए बुद्धिपूर्वक संयमका पालन करता है उसके लिए सब प्रकारका सभोग वर्जित है । जो आदमी विवाह-बधनमें बध चुका है उसके लिए पर-स्त्री या पर-पुरुषका सग निषिद्ध है । अविवाहित स्त्री-पुरुषके अनियमित या स्वच्छद सभोगमें भी वेश्या-नामन या वेश्या-वृत्ति जैसे पतनकारी सबधका निषेध होगा, और प्राकृतिक रीतिसे कर्म करनेवालेको अप्राकृतिक बुराइयोंसे बचना चाहिए । अपनी काम-वासनाकी तृप्ति करनेवालेके लिए भी अति सभोग हर हालतमें दोष माना जायगा और कच्ची उम्रके युवक-युवतियोंको प्रौढ वयको पहुचने तक सभोग-सुखकी चाह दबा रखनी होगी । यही काम-नीति है ।

ऐसा आदमी तो शायद ही मिले जो इस सामान्य काम-नीतिको समझ न सकता हो और ऐसे भी बिरले ही होंगे जो दिमागपर जोर डालकर सोचे तो उसकी सचाईको अस्वीकार करे । हा, कुतर्कसे उसका विरोध करनेकी प्रवृत्ति अवश्य पाई जाती है, लोग यह मानते हैं कि चूंकि ब्रह्मचर्यका पालन कठिन है और बिरले ही उसे निभा सकते हैं इसलिए उसका उपदेश देना बेकार है । तर्ककी दृष्टिसे तो विवाहित स्त्री-पुरुषके पर-पुरुष या पर-स्त्री शरीर-संग न करने, पति-पत्निमें भी विषय-भोगकी अति न होने या

प्राकृतिक रीतिसे ही काम-वासनाकी तृप्ति करनेके विषयमे भी यही बात कही जा सकती है। वे एक आदर्शको अस्वीकार करते हैं तो आदर्श-मात्रको कर सकते हैं और हमे गन्दी आदतो और कामुकताके गढ़मे गिरनेकी सलाह दे सकते हैं। बुद्धि-विवेक हम एक ही राह बताता है—आदर्शरूपी ध्रुवतारे-का अनुसरण। यह ध्रुवतारा हमे रास्तेके गढोसे बचाता और इस योग्य बनाता है कि हम एक नियमका सहारा ले उसके बलसे विरोधी नियमपर विजय प्राप्त कर ले। इस प्रकार इस नीति-नियमका सोच-समझकर और इच्छापूर्वक अनुसरण करके मनुष्य जवानीकी अप्राकृतिक बुराइयोसे स्वाभाविक सयोगकी स्थितिको पहुच सकता है, भले ही वह अविवाहित, स्वच्छन्द हो। इस स्थितिसे और ऊचा उठकर वह एकनिष्ठ दाम्पत्य-जीवनके बधनमे बधेगा और अपने तथा अपने साथीके हितके लिए अपनी भोग-वासनापर उतना अकुश रखेगा जितना रख सकता है। यही नीति उसे ब्रह्मचर्यसे होनेवाले उच्चतर लाभोका अधिकारी बना सकती है, अति भोगकी अनेक बुराइयोके गढ़मे गिरनेसे तो निश्चय हीं बचा सकती है।

### सामाजिक काम-नीति

समाज व्यक्तियोके कार्य-कलापका विस्तार और उनका एक लडीमे गूथा जाना है। अत सामाजिक काम-नीति भी वैयक्तिक काम-नीतिसे ही उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दोमे यो कह सकते हैं कि समाजको वैयक्तिक सदाचारके नियमोको कुछ बढ़ाना और कुछ भर्यादित करना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण विवाहकी व्यवस्था है। विज्ञानके पडितोने विवाहके इतिहासपर बड़े-बड़े ग्रथ लिखे हैं और इस विषयके तथ्य तो इतने इकट्ठे कर दिये हैं कि उनका ढेर लग गया है। इसलिए ग्राज जो सुधार सुझाये जा रहे हैं उनकी चर्चा करनेके लिए उक्त विद्वानोकी रायोका निचोड़ दे देना भर काफी होगा।

प्राचीन कालमे मानव-वशमे माताका पद पितासे बड़ा था। सन्तानो-त्पादन-कार्यमे वहीं प्रकृतिका प्रधान कारपरदाज थी और है। उसीको लेकर, उसीको केन्द्र बनाकर कुटुम्बकी उत्पत्ति हुई। फलत एक जमानेमे

माताका राज विश्वकी व्यापक व्यवस्था थी। बहुपतित्व अर्थात् एक स्त्रीका अनेक पुरुषोंसे सम्बन्ध उस समय जायज माना जाता था। एशियाकी कुछ जगली जातियोंमें अब भी इस प्रथाके अवशेष पाये जाते हैं। इस प्रथासे और अशतः जातियो-कवीलोंके संघटनसे भी पतिके पदकी पैदाइश हुई। एक स्त्रीसे सम्बद्ध अनेक पुरुषोंमें से जो सबसे अधिक बलवान् और सरक्षण समर्थ होता था उसका पद-अधिकार औरोंसे कुछ बड़ा होने लगा। पतिका अग्रेजी पर्याय—‘हस्बैड’ विवाह-प्रथाका इतिहास अपने भीतर लिये हुए है। वह मूलतः Hasboundi है जिसके मानी हैं घरमें रहनेवाला। उसपर घरमें रहना फर्ज होता था। औरोपर नहीं होता था। धीरे-धीरे वह घरकी रखवाली करनेवाले घरका मालिक बन गया और पीछे कोई-कोई ‘गृहपति’ जातिका सरदार या राजा भी बन गया। माताके राज या स्त्रीराज्यमें जैसे बहुपतित्वकी प्रथा उपजी थी पिता या पुरुषके राजमें वैसे ही बहुपत्नीत्वका रिवाज पैदा हुआ और फैला।

अतः सामाजिक दृष्टिसे नहीं तो मानव-शास्त्रकी दृष्टिसे पुरुष स्वभावत अनेक पत्नियोंकी और स्त्री अनेक पतियोंकी कामना रखनेवाली है। पुरुष अपनी कामनाकी किरणे सब ओर छिटकाता और जो स्त्री तत्काल उसे सबसे अधिक आकृष्ट करती उसीपर उसे केन्द्रित करता है। स्त्री भी यही कहती है। पर मनुष्यके प्रकृति-प्रेरित, उसकी मनोरचनासे उद्भूत ग्रव्यवस्थित आवेगोपर थोड़ा-बहुत अंकुश न रखा गया तो मनुष्य-समाज टिक नहीं सकता, चाहे वह आदिम हो या आधुनिक। मनुष्यसे नीचेके सभी प्राणियोंमें ऐसे आवेगोंकी अतिशयता होती है। समाजको इन आवेगोंके लिए विवाहके सिवा और कोई उपयुक्त अकुश न मिला और अन्तमें एकनिष्ठ विवाह—एक स्त्री-पुरुषके साथ एक स्त्री-पुरुषके व्याह या पति-पत्नी सम्बन्ध—को ही अपनाना पड़ा। इसका विकल्प एक ही हो सकता है—स्वच्छन्दाचार और अन्ततः वर्तमान रूपमें समाजका पूर्ण विनाश। दोनों जीवन-प्रणालियोंका सर्व द्वारा आखोके सामने चल रहा है और हम उसे देख सकते हैं। वेश्या-वृत्ति, अनियमित और अवैध सम्बन्ध, व्यभिचार और तलाक रोज-व-रोज हमारे सामने इस बातका सबूत पेश

कर रहे हैं कि एकनिष्ठ विवाह आदिम प्रकारके स्त्री-पुरुष सम्बन्धोके ऊपर अपनी सत्ता अभी स्थापित नहीं कर सका है। कभी कर सकेगा ?

इस बीच हमे एक और उपायकी योग्यतापर विचार कर लेना होगा। वह है तो बहुत पुरानी चीज़, पर पहले वह लुक-छिपकर अपना काम करती थी, इवर थोड़े दिनोंसे बिना घूघट, बुरकेके सामने आने लगा है। उसका नाम है 'जनन-निरोध' (बर्थ-कट्रोल); और अर्थ है ऐसी दवाओं और बाह्य साधनोंका व्यवहार जो गर्भ-स्थिति न होने दे। गर्भ-धारणमें स्त्रीपर तो बोझ पड़ता ही है, पुरुषको भी खासकर भले स्वभावके पुरुषको, उसके कारण काफी अरसे तक सयम रखना पड़ता है। जनन-निरोध या गर्भ-निरोध संयमको अनावश्यक बना देता और इसका सुभीता कर देता है कि जबतक वासना या शरीर ही शिथिल न हो जाय तबतक हम मनमाना सभोग-मुख भोगते रहे। इसका असर विवाह-सम्बन्धके बाहर भी पड़ता है। यह अनियमित, अवैध और अफलजनक सभोगका दरवाजा खोल देता है, जो आचुनिक उद्योग-धर्वो, समाज-शास्त्र और राजनीति सबकी दृष्टिसे खतरोंसे भरी हुई बात है। यहा इन बातोंकी विस्तारसे चर्चा नहीं की जा सकती। इतना ही कहना काफी है कि गर्भ-निरोधके साधनोंसे विवाहित-अविवाहित दोनों तरहके स्त्री-पुरुषोंके लिए अति सभोगका सुभीता हो जाता है। और ऊपर मैंने शरीर-शास्त्रकी जो दलीले दी हैं वे सही हो तो इससे व्यक्ति और समाज दोनोंकी हानि होना अनिवार्य है।

### उपसंहार

किसान खेतमें जो बीज विखेरता है वे सभी उगते नहीं। वैसे ही यह निवव भी कुछ ऐसे लोगोंके हाथमें पड़ेगा जो इसे घृणाकी दृष्टिसे देखेंगे। कुछ तो अयोग्यता या निरे आलस्यसे इसे समझेंगे ही नहीं, कुछके लिए इसमें प्रकट किये हुए विचार विलकुल नये होंगे और उनके मानसमें वे विरोध या क्रोधकी भावना भी जगा सकते हैं। पर थोड़े-से-लोग ऐसे भी अवश्य

निकलेंगे जिन्हे वह सच्चा और कामका जान पड़े । मगर उनके मनमें भी शका उठेगी । उनमें जो सबसे भोले होंगे वे कहेंगे—“आपकी दलीलोंके अनुसार तो संभोग कभी होना ही नहीं चाहिए । तब तो दुनियामें जीवधारी रह ही न जायगे । इसलिए आपकी राय गलत होनी ही चाहिए ।” ऐसा जवाब यह है कि मेरे पास कोई ऐसा खतरनाक अताई नुसखा नहीं है । जनन-निरोध जन्म रोकनेका सबसे प्रभावकर उपाय है और सद्यम या ब्रह्मचर्यकी तुलनामें बहुत जल्दी दुनियाको आदमियोंसे खाली कर देगा । मैं जो बात चाहता हूँ वह तो बहुत सीधी है । अज्ञान और असंयत भोगके मुकाबलेमें दर्शन और विज्ञानकी कुछ सचाइयोंको खड़ा करके मैं अपने युगके स्त्री-पुरुष-सम्बन्धकी शुद्धिमें सहायता करना चाहता हूँ ।



7

V

✓

० २ ०

ब्रह्मचर्य-१



# ब्रह्मचर्य-१

: १ :

## ब्रह्मचर्य

हमारे व्रतों में तीसरा ब्रह्मचर्य-व्रत है। वास्तवमें देखनेपर तो दूसरे सभी व्रत एक सत्यके व्रतमेंसे ही उत्पन्न होते हैं और उसीके लिए उनका अस्तित्व है। जिस मनुष्यने सत्यको वरा है, उसीकी उपासना करता है, वह दूसरी किसी भी वस्तुकी आराधना करे तो व्यभिचारी बन जाता है। किर विकारकी आराधनाकी तो बात ही कहा उठ सकती है? जिसकी कुल प्रवृत्तिया सत्यके दर्शनके लिए है, वह सतानोत्पत्तिके काममें या घर-गिरस्ती चलानेके भगडेमें पड़ ही कैसे सकता है? भोग-विलास द्वारा किसीको सत्य प्राप्त होनेकी आज तक हमारे सामने एक भी मिसाल नहीं है।

अथवा अहिंसाके पालनको ले तो उसका पुरा पालन ब्रह्मचर्यके बिना असाध्य है। अहिंसा अर्थात् सर्वव्यापी प्रेम। जहा पुरुषने एक स्त्रीको या स्त्रीने एक पुरुषको अपना प्रेम सौंप दिया वहा उसके पास दूसरेके लिए क्या बच रहा? इसका अर्थ ही यह हुआ कि 'हम दो पहले और दूसरे सब बदको।' पतिव्रता स्त्री पुरुषके लिए और पत्नीव्रती पुरुष स्त्रीके लिए सर्वस्व होमनेको तैयार होगा। अत. यह स्पष्ट है कि उससे सर्वव्यापी प्रेमका पालन नहीं हो सकता। वह सारी सूष्टिको अपना कुटुम्ब नहीं बना सकता, क्योंकि उसके पास अपना माना हुआ एक कुटुम्ब मौजूद है या तैयार हो रहा है। उसकी जितनी वृद्धि, उतना ही सर्वव्यापी प्रेममें विक्षेप होता है। इसके उदाहरण हम सारे संसारमें देख रहे हैं। इसलिए -अहिंसा-

न्रतका पालन करनेवालेसे विवाह नहीं बन सकता, विवाहके बाहरके विकार—की तो बात ही क्या ?

फिर जो विवाह कर चुके हैं उनकी क्या गति होगी ? उन्हे सत्यकी प्राप्ति कभी न होगी ? वे कभी सर्वार्पण नहीं कर सकते ? हमने तो इसका रास्ता निंकाल ही रखा है—विवाहितका अविवाहितकी भाति हो जाना। इस दिशामें इससे बढ़कर मैंने दूसरी बात नहीं देखी। इस स्थितिका मजा जिसने चखा है वह गवाही दे सकता है। आज तो इस प्रयोगकी सफलता सिद्ध हुई कही जा सकती है। विवाहित स्त्री-पुरुष एक-दूसरेको भाई-बहन मानने लग जाय तो सारे झगड़ोंसे वे मुक्त हो जाते हैं। ससार-भरकी सारी स्त्रिया बहने हैं, माताए हैं, लड़किया हैं—यह विचार ही मनुष्यको एकदम ऊचे ले जानेवाला, बधनमेंसे मुक्ति देनेवाला हो जाता है। इसमें पति-पत्नी कुछ खोते नहीं, वरन् अपनी पूजीमें वृद्धि करते हैं, कुटुम्ब बढ़ाते हैं, विकार-रूपी मैल निकलनेसे प्रेम भी बढ़ता है। विकारोंके जानेसे एक-दूसरेकी सेवा अधिक अच्छी हो सकती है, एक-दूसरेके बीच कलहके अवसर कम होते हैं। जहा स्वार्थी एकाग्री प्रेम है, वहा कलहके लिए ज्यादा गुजाइश रहती है।

इस प्रधान विचारके समझ लेने और उसके हृदयमें वैठ जानेके बाद ब्रह्मचर्यसे होनेवाले शारीरिक लाभ, वीर्य-लाभ आदि बहुत गौण हो जाते हैं। जान-वूभकर भोग-विलासके लिए वीर्य खोना और शारीरको निचोड़ना कितनी बड़ी मूर्खता है ? वीर्यका उपयोग दोनोंकी शारीरिक और मानसिक शक्तिको बढ़ानेके लिए है। उसका विषय-भोगमें उपयोग करना यह उसका अति दुरुपयोग है। इस दुरुपयोगके कारण वह बहुतेरे रोगोंकी जड बन जाता है।

ऐसे ब्रह्मचर्यका पालन मन, वचन और कर्म तीनोंसे होना चाहिए। ब्रत-मात्रके विषयमें यही बात समझनी चाहिए। हम गीतामें पढ़ते हैं कि जो शरीरको तो वशमें रखता हुआ जान पड़ता है, पर मनसे विकारका पोषण किया करता है, वह मूढ़ मिथ्याचारी है। सबका यह अनुभव है कि मनको विकारी रहने देकर शरीरको दवानेकी कोशिश करनेमें हानि ही है। जहा

मन होता है वहा शरीर अतमे घिसटाये बिना नहीं रहता । यहा एक भेद नमम लेना जरूरी है । मनको विकारवश होने देना एक बात है; मनका अपने-आप, अनिच्छासे, बलात्कारसे विकारको प्राप्त हो जाना या होते रहना दूसरी बात है । इस विकारमे यदि हम सहायक न बने तो अतमे जीत ही है । हमारा प्रतिपलका यह अनुभव है कि शरीर कावूमे रहता है, पर मन नहीं रहता । इसलिए शरीरको तो तुरन्त ही बशमे करके मनको बगमे करनेका हम सतत प्रयत्न करते रहे तो हमने अपना कर्तव्य पालन कर लिया । हमारे, मनके अधीन होते ही, शरीर और मनमे विरोध खड़ा हो जाता है, मिथ्याचारका आरग्भ हो जाता है । पर जहा तक मनोविकारको दबाते ही रहते हैं वहा तक दोनों माय जानेवाले हैं, ऐसा कह सकते हैं ।

इस ब्रह्मचर्यका पालन बहुत कठिन, करीब-करीब असम्भव माना गया है । इनके बारणकी सोज करनेसे मालूम होता है कि ब्रह्मचर्यको सकुचित अर्थमें लिया गया है । जननेद्विय-विकारके निरोध-भरको ही ब्रह्मचर्यका पालन मान लिया गया है । मेरे ख्यालमे यह व्यात्या अधूरी और गम्भीर है । विषय-मानसा निरोध ही ब्रह्मचर्य है । निस्सदेह, जो अन्य इद्रियोको जहानता भटकने देतार एक ही इद्रियको रोकनेवा प्रयत्न करता है, वह निष्फल प्रयत्न बना है । कानमे विकारी बाते मुनना, आनसे विकार उत्पन्न गरनेयाएँ उन्नु देनना, जीभमे चिकारोत्तेजक वस्तुका न्याद लेना, हायगे

की—शोधमे चर्या, अर्थात् तत्सबधी आचार। इस मूल अर्थमेसे सर्वेन्द्रिय-सयम-रूपी विशेष अर्थ निकलता है। केवल जननेन्द्रिय-सयम-रूपी अघूरे अर्थको तो हमे भूल जाना चाहिए।

## ब्रह्मचर्यकी व्याख्या

(मादरण मुकामपर एक अभिनन्दन-पत्रका उत्तर देते हुए लोगोंके अनुरोधसे गाधीजीने ब्रह्मचर्यपर लम्बा प्रवचन किया । उसका सार यहा दिया जाता है ।—स०)

“आप चाहते हैं कि ब्रह्मचर्यके विषयपर कुछ कहूँ । कितने ही विषय ऐसे हैं जिनपर मैं ‘नवजीवन’ मे प्रसगोपान्त ही लिखता हूँ । और उनपर व्याख्यान तो शायद ही देता हूँ; क्योंकि यह विषय ही ऐसा है कि कहकर नहीं समझाया जा सकता । आप तो मामूली ब्रह्मचर्यके विषयमे सुनना चाहते हैं । ‘समस्त इन्द्रियोका संयम’, विस्तृत व्याख्या जिस ब्रह्मचर्यकी है, उसके विषयमे नहीं । इस साधारण ब्रह्मचर्यको भी शास्त्रकारोंने बड़ा कठिन बताया है । यह बात ६६ फीसदी सच है, १ फीसदी इसमे कमी है । इसका पालन इसलिए कठिन मालूम होता है कि हम, द्वासरी इन्द्रियोंको संयममे नहीं रखते । उनमे मुख्य है रसनेन्द्रिय । जो अपनी जिह्वाको कब्जेमे रख सकता है उसके लिए ब्रह्मचर्य सुगम हो जाता है । ग्राणि-शास्त्रके ज्ञाताओंका कथन है कि पशु जिस दर्जेतक ब्रह्मचर्यका पालन करता है उस दर्जेतक मनुष्य नहीं करता । यह सच है । इसका कारण देखनेपर मालूम होगा कि पशु अपनी जिह्वेन्द्रियपर पूरा-पूरा निग्रह रखते हैं—इच्छापूर्वक नहीं, स्वभावत् ही । केवल चारेपर अपनी गुजर करते हैं—सो भी महज पेट भरने लायक ही खाते हैं । वे ज्ञिन्दगीके लिए खाते हैं, खानेके लिए जीते नहीं हैं; पर हम तो इसके विलक्षुल विपरीत हैं । मां बच्चेको तरह-तरहके सुस्वादु भोजन कराती हैं । वह मानती है कि बालकके साथ प्रेम दिखानेका यही सर्वोत्तम रास्ता है । ऐसा करते हुए हम उन

चीजोंमें स्वाद डालते नहीं, बल्कि ले लेते हैं। स्वाद तो रहता है भूखमें। भूखके वक्त सूखी रोटी भी मीठी लगती है और विना भूखे आदमीको लड्डू भी फोके और अस्वादु मालूम होगे, पर हम तो अनेक चीजोंको खा-खाकर पेटको ठसाठस भरते हैं और फिर कहते हैं कि ब्रह्मचर्यका पालन नहीं हो पाता। जो आखे ईश्वरने हमें देखनेके लिए दी है उनको हम मलिन करते हैं और देखनेकी वस्तुओंको देखना नहीं सीखते। 'माताको क्यों गायत्री न पढ़ना चाहिए और वालकोको वह क्यों गायत्री सिखावे?' इसकी छान-वीन करनेकी अपेक्षा उसके तत्त्व—सूर्योपासनाको समझकर सूर्योपासना करावे तो क्या अच्छा हो। सूर्यकी उपासना तो सनातनी और आर्यसमाजी दोनों कर सकते हैं। यह तो मैंने स्थूल अर्थ आपके सामने उपस्थित किया है। इस उपासनाके मानी क्या है? अपना सिर ऊचा रखकर, सूर्य-नारायणके दर्शन करके, आखकी शुद्धि करना। गायत्रीके रचयिता ऋषि थे, द्रष्टा थे। उन्होंने कहा कि सूर्योदयमें जो नाटक है, जो सौन्दर्य है, जो लीला है वह और कही नहीं दिखाई दे सकती। ईश्वरके जैसा सुन्दर सूत्रधार अन्यत्र नहीं मिल सकता और आकाशसे बढ़कर भव्य रगभूमि कही नहीं मिल सकती। पर कौन माता आज वालककी आखे धोकर उसे आकाश-दर्शन कराती है? बल्कि माताके भावोंमें तो अनेक प्रपञ्च रहते हैं। बड़े-बड़े घरोंमें जो शिक्षा मिलती है उसके फलस्वरूप तो लड़का शायद बड़ा अधिकारी होगा, पर इस बातका कौन विचार करता है कि घरमें जाने-बेजाने जो शिक्षा बच्चोंको मिलती है उससे कितनी वाते वह ग्रहण कर लेता है। मा-वाप हमारे शरीरको ढकते हैं, सजाते हैं, पर इसमें कही शोभा वह सकती है? कपड़े वदनको ढकनेके लिए हैं, सर्दी-गर्मीसे रक्षा करनेके लिए हैं, सजानेके लिए नहीं। जाडेसे ठिठुरते हुए लड़केको जब हम अगीठीके पास धकेलेगे, अथवा मुहल्लेमें खेलने-कूदने में ज़देगे, अथवा खेतमें कामपर छोड़ देगे, तभी उसका शरीर वज्रकी तरह होगा। जिसने ब्रह्मचर्यका पालन किया है उसका शरीर वज्रकी तरह ज़स्त होना चाहिए। हम तो बच्चोंके शरीरका नाश कर डालते हैं। हम उसे जो घर में रखकर गरमाना चाहते हैं उससे तो उसकी चमड़ीमें इस तरहकी

गरमी आती है जिसे हम छाजनकी उपमा दे सकते हैं। हमने शरीरको दुलराकर उसे बिगाड़ डाला है।

यह तो हुई कपड़ेकी बात। फिर घरमें तरह-तरहकी बाते करके हम उनके मनपर बुरा प्रभाव डालते हैं। उसकी शादीकी बाते किया करते हैं, और इसी किस्मकी चीजें और दृश्य भी उसे दिखाये जाते हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि हम महज जगली ही क्यों न हो गये? मर्यादा तोड़नेके अनेक साधनोंके होते हुए भी मर्यादाकी रक्षा हो सकती है। ईश्वरने मनुष्यकी रचना इस तरहसे की है कि पतनके अनेक अवसर आते हुए भी वह बच जाता है। ऐसी उसकी लीला गहन है। यदि ब्रह्मचर्यके रास्तेसे ये विघ्न हम दूर कर दे तो उसका पालन बहुत आसान हो जाय।

ऐसी हालत होते हुए भी हम दुनियाके साथ शारीरिक मुकाबला करना चाहते हैं। उसके दो रास्ते हैं। एक आसुरी और दूसरा दैवी—आसुरी मार्ग है—शरीर-बल प्राप्त करनेके लिए हर किस्मके उपायोंसे काम लेना, हर तरहकी चीजे खाना, शारीरिक मुकाबले करना, गो-मास-खाना इत्यादि। मेरे लड़कपनमें मेरा एक मित्र मुझसे कहा करता था कि मासाहार हमें अवश्य करना चाहिए, नहीं तो अग्रेजोंकी तरह हट्टे-कट्टे हम न हो सकेंगे। जापानको भी जब दूसरे देशके साथ मुकाबला करनेका समय आया तब वहा गो-मास-भक्षणको स्थान मिला। सो यदि आसुरी प्रकारसे शरीरको तैयार करनेकी इच्छा हो तो इन चीजोंका सेवन करना होगा।

परन्तु यदि दैवी साधनसे शरीर तैयार करना हो तो ब्रह्मचर्य ही उसका एक उपाय है। जब मुझे कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहता है तब मुझे अपने-पर दया आती है। इस अभिनन्दन-पत्रमें मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा है। मो मुझे कहना चाहिए कि जिन्होंने इस अभिनन्दन-पत्रका मजमून तैयार किया है उन्हे पता नहीं है कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी किसका नाम है? और जिसके बालचच्चे हुए हैं उसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी कैसे कह सकते हैं? नैष्ठिक ब्रह्मचारीको न तो कभी बुखार आता है, न कभी सिर दर्द करता है, न कभी खासी होती है और न कभी अपेंडिसाइटिस होता है। डॉक्टर लोग

कहते हैं कि नारगीका बीज आत्मे रह जानेसे भी अपेडिसाइटिस होता है, परन्तु जिसका शरीर स्वच्छ और निरोगी होता है उसमे ये बीज टिक ही नहीं सकते। जब आते शिथिल पड़ जाती हैं तब वे ऐसी चीजोंको अपने-आप बाहर नहीं निकाल सकती। मेरी भी आते शिथिल हो गई होगी। इसीसे मैं ऐसी कोई चीज़ हज़म न कर सका हूँगा। बच्चे ऐसी अनेक चीजें खा जाते हैं। माता इसका कहा ध्यान रख सकती है? पर उसकी आत्मे इतनी शक्ति स्वाभाविक तौरपर ही होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझपर नैष्ठिक ब्रह्मचर्यके पालनका आरोपण करके कोई मिथ्याचारी न हो। नैष्ठिक ब्रह्मचर्यका तेज तो मुझसे अनेक गुना अधिक होना चाहिए। मैं आदर्श ब्रह्मचारी नहीं। हा, यह सच है कि मैं वैसा बनना चाहता हूँ। मैंने तो आपके सामने अपने अनुभवकी कुछ वूँदे पेश की है जो ब्रह्मचर्यकी सीमा बताते हैं। ब्रह्मचारी रहनेका अर्थ यह नहीं कि मैं स्त्रीको स्पर्श न करूँ, अपनी वहनका स्पर्श न करूँ, पर ब्रह्मचारी होनेका अर्थ यह है कि स्त्रीका स्पर्श करनेसे किसी प्रकारका विकार न उत्पन्न हो, जिस तरह कि कागजको स्पर्श करनेसे नहीं होता। मेरी वहन वीमार हो और उसकी सेवा करते हुए, उसका स्पर्श करते हुए ब्रह्मचर्यके कारण मुझे हिचकन पड़े तो वह ब्रह्मचर्य कौड़ीका है। जिस निर्विकार दशाका अनुभव जब हम किसी बड़ी सुन्दरी युवतीका स्पर्श करके कर सके तभी हम ब्रह्मचारी हैं। यदि आप यह चाहते हों कि बालक ऐसे ब्रह्मचर्यको प्राप्त करे तो इसका अभ्यास-क्रम आप नहीं बना सकते, मुझ जैसा अधूरा भी क्यों न हो, पर ब्रह्मचारी ही बना सकता है।

ब्रह्मचारी स्वाभाविक सन्यासी होता है। ब्रह्मचर्याश्रम सन्यासाश्रमसे भी बढ़कर है, पर उसे हमने गिरा दिया। इससे हमारा गृहस्थाश्रम भी विगड़ा है, वानप्रस्थाश्रम भी विगड़ा है और सन्यासका तो नाम भी नहीं रह गया है। ऐसी हमारी असहाय अवस्था भी ही गई है।

ऊपर जो आसुरी मार्ग बताया गया है कि उसका अनुकरण करके तो आप पाच सौ वर्षों तक भी पठानोका मुकावला न कर सकेंगे। दैवी-मार्गका अनुकरण यदि आज हो तो आज ही पठानोका मुकावला हो सकता

है; क्योंकि दैवी साधनसे आवश्यक मानसिक परिवर्त्तन एक क्षणमें हो सकता है, पर शारीरिक परिवर्त्तन करते हुए युग बीत जाते हैं। इस दैवी मार्गका अनुसरण तभी हमसे होगा जब हमारे पल्ले पूर्व-जन्मका पुण्य होगा, और माता-पिता हमारे लिए उचित सामग्री पैदा करेंगे।

हिन्दी नवजीवन,

२६ जनवरी १९२५

## एक अस्वाभाविक पिता

एक नवयुवकने मुझे एक पत्र भेजा है जिसका सार ही यहा दिया जा सकता है। वह निम्न प्रकार है-

‘मैं एक विवाहित पुरुष हूँ। मैं विदेश गया हुआ था। मेरा एक मित्र था, जिसपर मुझे और मेरे मा-वापको पूरा विश्वास था। मेरी अनुपस्थितिमें उसने मेरी पत्नीको फुसला लिया, जिससे अब वह गर्भवती भी हो गई है। अब मेरे पिता इस बातपर जोर देते हैं कि मेरी पत्नी गर्भको गिरा दे, नहीं तो वह कहते हैं, खानदानकी बदनामी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि यह तो ठीक नहीं होगा। बेचारी स्त्री पश्चात्तापके मारे मरी जा रही है। न तो उसे खानेकी सुध है, न पीनेकी। जब देखो तब रोती ही रहती है। क्या आप कृपा करके बतलायेंगे कि इस हालतमें मेरा क्या फर्ज है।’

यह पत्र मैंने वडी हिचकिचाहटके साथ प्रकाशित किया है। जैसा कि हरेक जानता है, समाज में ऐसी घटनाएं कभी-कदास ही नहीं होती। इसलिए संयमके साथ सार्वजनिक-रूपसे इस प्रश्नकी चर्चा करना मुझे असगत नहीं मालूम पड़ता।

मुझे तो दिनके प्रकाशकी तरह यह स्पष्ट मालूम पड़ता है कि गर्भ गिराना जुर्म होगा। इस बेचारी स्त्रीने जो असावधानी की है, वैसी असावधानी तो अनगिनत पति करते हैं, लेकिन उनको कभी कोई कुछ नहीं कहता। समाज उन्हे माफ ही नहीं करता, बल्कि उनकी निन्दा भी नहीं करता। स्त्री तो अपनी शर्म को उस तरह छिपा भी नहीं सकती, जिस तरह कि पुरुष अपने पापको सफलताके साथ छिपा सकता है।

यह स्त्री तो दयाकी पात्र है। पतिका यह पवित्र कर्तव्य होगा कि वह अपने पिताकी सलाहको न माने और बच्चेकी परवरिश अपने भरसक

पूरे लाड़-प्यारसे करे । वह अपनी पत्नीके साथ रहना जारी रखे या नहीं, यह एक टेढ़ा सवाल है । परिस्थितिया ऐसी भी हो सकती है जिनके कारण उसे उससे अलग होना पड़े; लेकिन उस हालतमें वह इस बातके लिए वाध्य होगा कि उसकी परवरिश तथा शिक्षाकी व्यवस्था करे और शुद्ध मनसे हो तो उसे ग्रहण करनेमें भी मुझे कोई गलती नहीं मालूम पड़ती । यही नहीं; बल्कि मैं तो ऐसी स्थितिकी भी कल्पना कर सकता हूँ जब पत्नीके अपनी गलतीके लिए पूरी तरह पश्चात्ताप करके उससे मुक्त हो जानेपर पति का यह पुनीत कर्तव्य होगा कि वह उसको फिरसे ग्रहण कर ले ।

यग इडिया,

३ जनवरी १९२६

## विद्यार्थियोंकी दशा

एक वहन, जिन्हे अपनी जिम्मेदारीका पूरा ख्याल है, लिखती है-

“जबतक हमारे बच्चे वीर्यकी रक्षा करना नहीं सीखते, तबतक हिन्दुस्तानको जैसे आदमियोंकी जरूरत है, वैसे कभी नहीं मिल सकते। हिन्दुस्तानमें कोई १६ वर्षों तक, लड़कोंके स्कूलोंका भार मुझपर रहा है। यह देखकर रुलाई आती है कि हमारे बहुतसे हिन्दू, मुसलमान, ईसाई लड़के स्कूलकी पढाई शुरू करते हैं जोशा, ताकत और उम्मीदोंसे भरकर, लेकिन खत्म करते हैं शरीरसे निकम्मे बनकर। गिनकर सैकड़ों बार मैंने देखा है कि इसके कारणका पता ठेठ वीर्य-नाश, अप्राकृतिक कर्म या वाल-विवाहमें ही मिलता है। अभी आज मेरे पास ४२ लड़कोंके नाम हैं। ये अप्राकृतिक कर्मके दोषी हैं और इनमेंसे एक भी १३ सालसे अधिक का नहीं है। शिक्षक और माता-पिता ऐसी हालतका होना गलत मानेंगे, लेकिन अगर सही तरीकोंसे काम लिया जाय तो व्याधिका पता तुरन्त ही लग जायगा और करीब-करीब हमेशा ही लड़के अपना गुनाह कवूल कर लेंगे। इनमेंसे अधिक लड़के कहते हैं कि वह ऐव उन्होंने स्याने आदमियों, कभी-कभी अपने सम्बन्धियोंसे ही सीखा है।”

यह कोई ख्याली तसवीर नहीं है। यह वह सचाई है, जिसे जानने वाले स्कूलोंके कितने-एक मास्टर दवा जाते हैं। मैं इसे पहलेसे जानता था। आज कोई आठ साल हुए, दिल्लीके किसी स्कूलमास्टरने मेरा ध्यान इस ओर दिलाया था। इसके इलाजके बारेमें अवतक खानगीमें ही मैं बातें करता पाया हूँ और चुप रहा हूँ। यह दोष सिर्फ हिन्दुस्तान-भरमें ही परिमित नहीं है, मगर वाल-विवाहके पापके कारण हमपर इसका और भी अधिक मारक प्रभाव पड़ता है। इस बहुत ही नाजुक और मुश्किल

सवालकी आम चर्चा करना जरूरी हो गया है; क्योंकि अबसे कुछ साल पहले जिस स्वच्छन्दतासे स्त्री-पुरुषके सम्बन्धकी बातोपर विचार करना गैर-मुमकिन था, आज उसके साथ हम प्रतिष्ठित समाचार-पत्रोंमें भी इस-पर बहस होते देखते हैं।

सभोगको देह और दिमागकी तन्दुरुस्तीके लिए फायदेमन्द, नैतिक, जरूरी और स्वाभाविक समझनेकी प्रथाने इस पापकी वृद्धि की है। हमारे सुशिक्षित पुरुषोंके गर्भ-निरोधक साधनोंके स्वच्छन्द व्यवहारके समर्थनने इस काम-वासनाके कीड़ोंकी वृद्धिके लिए समुचित वातावरण पैदा कर दिया है। कमसिन लड़कोंके नाजुक और सग्राहक दिमाग ऐसे नतीजे बहुत जल्द निकाल लेते हैं कि उनकी अधार्मिक इच्छाएं अच्छी और उचित हैं। इस मारक पापके प्रति माता-पिता और शिक्षक, बहुत ही बुरी, बल्कि पापके बराबर, उदासीनता और सहनशीलता दिखलाते हैं। मेरी समझमें, सामाजिक वातावरणको पूरा-पूरा शुद्ध बनाये विना इस गुनाह-को और कुछ नहीं रोक सकता, विषय-भोगके ख्यालोंसे भरे हुए वातावरणका अज्ञात और सूक्ष्म प्रभाव देशके विद्यार्थियोंके मनपर विना पड़े रह ही नहीं सकता। नागरिक जीवनकी परिस्थिति, साहित्य, नाटक, सिनेमा, घरकी रचना, कितने एक सामाजिक रिवाज, सबका एक ही असर होता है, वह है काम-वासनाकी वृद्धि। छोटे लड़कोंके लिए, जिन्हे अपनी इस पाशविक प्रवृत्तिका पता लग गया है, इसके जोरको रोकना गैर-मुमकिन है। ऊपरी इलाजोंसे काम नहीं चलनेका। यदि नई पीढ़ीके प्रति वे अपना कर्तव्य पूरा करना चाहते हैं तो बड़ोंको पहले अपनेसे ही यह सुधार शुरू करना होगा।

हरिजन सेवक,

३ अप्रैल १९३३

## बढ़ता हुआ दुराचार

सनातन धर्म कालेज, लाहौरके प्रिसिपल लिखते हैं

“इसके साथ मैं कटिंग और विज्ञप्तिया वगैरह भेज रहा हूँ, उन्हे देखनेकी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। इन कागजोंसे ही आपको सारी बात-का पता चल जायगा। यहा पजाबमें ‘युवक हितकारी सघ’ बहुत उपयोगी काम कर रहा है। विद्वत्-समाज एव अधिकारी-वर्गका ध्यान इसकी ओर आकृष्ट हुआ है, और बालकोके सुस्थृत माता-पिताओंकी भी दिल-चस्पी सघने प्राप्त की है। विहार के पण्डित सीतारामदासजी इस आन्दोलनके प्रणेता है, और इस आन्दोलनके आश्रयदाताओंमें यहाके अनेक प्रतिष्ठित सज्जनोंके नाम गिनाये जा सकते हैं।

“इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि कोमल वयके बालकोंको फसानेका यह दुराचार भारतके दूसरे भागोंकी अपेक्षा इधर पजाब और उत्तर पश्चिमी सीमाप्रान्तमें ज्यादा है।

“क्या आप कृपा कर ‘हरिजन’ में अथवा किसी दूसरे अखबारमें लेख या पत्र लिखकर इस वुराईकी तरफ देशका ध्यान आकर्षित करेंगे ?”

इस अत्यन्त नाजुक प्रश्नके सम्बन्धमें बहुत दिन हुए कि युवकसंघके मन्त्रीने मुझे लिखा था। उनका पत्र आनेपर मैंने हाँ० गोपीचन्दके साथ पत्र-व्यवहार शुरू किया, और उनसे यह मालूम हुआ कि सघके मन्त्रीने जो बाते अपने पत्रमें लिखी हैं, वे सब सच्ची हैं, लेकिन मुझे यह स्पष्ट नहीं सूझ रहा था कि इस प्रश्नकी क्या ‘हरिजन’ में या किसी दूसरे पत्रमें चर्चा करूँ। इस दुराचारका मुझे पता था, मगर मुझे इस बातका पता नहीं था कि अखबारोंमें इसकी चर्चा करनेसे कोई लाभ हो सकेगा या नहीं।

यह विश्वास अब भी नहीं है। किन्तु कालेजके प्रिंसिपल साहबने जो प्रार्थना की है उसकी मैं अवहेलना नहीं करना चाहता।

यह दुराचार नया नहीं है। यह बहुत दूर-दूरतक फैला हुआ है; चूंकि उसे गुप्त रखा जाता है इसलिए वह आसानीसे पकड़मे नहीं आ सकता। जहा विलासपूर्ण जीवन होगा वही यह दुराचार होगा। प्रिंसिपल साहबके बताये हुए किसेसे तो यह प्रगट होता है कि अध्यापक ही अपने विद्यार्थियोंको अप्ट करनेके दोषी हैं। वारी जब खुद ही खेतको चर जाय तो फिर किससे रखवारीकी आशा करे? बाइबिलमे कहा है—“नौन जब खुद अलौना हो जाय तब उसे कौन चीज नमकीन बना सकती है?”

यह प्रश्न ऐसा है कि इसे न तो कोई जाच-कमेटी ही हल कर सकती है, न सरकार ही। यह तो एक नैतिक सुधारका काम है। माता-पिताओंके दिलमे उनके उत्तरदायित्वका भाव पैदा करना चाहिए। विद्यार्थियोंको शुद्ध स्वच्छ रहन-सहनके निकट सर्गमे लाना चाहिए। सदाचार और निर्विकार जीवन ही सच्ची शिक्षाका आधार-स्तम्भ है, इस विचारका गम्भीरताके साथ प्रचार करना चाहिए। गिक्षण-स्थाओंके ट्रस्टियोंको अध्यापकोंके चुनावमे बहुत ही खबरदारी रखनी चाहिए और अध्यापकोंको चुननेके बाद भी यह ध्यान रखना चाहिए कि उनका आचरण ठीक है या नहीं? ये तो मैंने थोड़े-से उपाय बतलाये हैं। इन उपायोंके सहारे यह भयकर दुराचार निर्मूल न हो तो कम-से-कम कावूमे तो आ ही सकता है।

हरिजन सेवक,

३ मई १६३५

## नम्रताकी आवश्यकता

बगालमे कार्यकर्त्ताओंसे बातचीत करते हुए एक नवयुवकसे मेरा सावका पड़ा, जिसने कहा कि लोग मुझे इसलिए भी माने कि मैं ब्रह्मचारी हूँ। उसने यह बात इस तरह कही और ऐसे यकीनके साथ कही कि मैं देखता रह गया। मैंने मनमे कहा कि यह उन विषयोंकी बाते करता है जिनका ज्ञान इसे बहुत थोड़ा है। उसके साथियोंने उसकी बात-का खण्डन किया। और जब मैंने उससे जिरह करनी शुरू की तब तो खुद उसने भी कवूल किया कि हा, मेरा दावा नहीं टिक सकता। जो शास्त्रशारीरिक पाप चाहे न करता हो, पर मानसिक पाप ही करता हो, वह ब्रह्मचारी नहीं। जो व्यक्ति परम रूपवती रमणीको देखकर अविचल नहीं रह सकता वह ब्रह्मचारी नहीं। जो केवल आवश्यकताके वशीभूत होकर अपने शरीरको अपने वशमे रखता है, वह करता तो अच्छी बात है, पर वह ब्रह्मचारी नहीं। हमे अनुचित अप्रासाधिक प्रयोग करके पवित्र शब्दोंका मान घटाना न चाहिए। वास्तविक ब्रह्मचर्यका फल तो अद्भुत होता है और वह तो पहचाना भी जा सकता है। इस गुणका पालन करना कठिन है। प्रयत्न तो बहुतेरे लोग करते हैं, पर सफल विरले ही होते हैं। जो लोग गेरुए कपड़े पहनकर सन्यासियोंके वेशमे देशमे धूमते-फिरते हैं, वे अक्सर बाजारके मामूली आदमीसे ज्यादा ब्रह्मचारी नहीं होते। फर्क इतना ही है कि मामूली आदमी अक्सर उसकी डीग नहीं हाकता और इसलिए बेहतर होता है। वह इस बातपर सन्तुष्ट रहता है कि परमात्मा मेरी आजमाइशको, मेरे प्रलोभनोंको तथा मेरे विजयोत्सव और भगीरथ प्रयत्नके होते हुए भी, हो जानेवाले पतनको जानता है। यदि दुनिया उसके पतनको देखे और उससे उसे तोले तो भी वह सन्तुष्ट रहता

है। अपनी सफलताको वह कंजूसके धनकी तरह छिपाकर रखता है। वह इतना विनयी होता है कि उसे प्रकट नहीं करता। ऐसा मनुष्य उद्घारकी आशा रख सकता है; परन्तु वह आधा सन्यासी, जो कि संयमका ककहरा भी नहीं जानता, यह आशा नहीं रख सकता। वे सार्वजनिक कार्यकर्त्ता जो कि सन्यासीका वेष नहीं बनाते; पर जो अपने त्याग और ब्रह्मचर्यका ढिढोरा पीटते फिरते हैं और दोनोंको सस्ता बताते हैं तथा अपनेको और अपने सेवा-कार्यको वदनाम करते हैं, उनसे खतरा समझिए।

जब कि मैंने अपने सावरमती वाले आश्रमके लिए नियम बनाए तो उन्हे मित्रोंके पास सलाह और समालोचनाके लिए भेजा। एक प्रति स्वर्गीय सर गुरुदास बनर्जीको भी भेजी थी। उस प्रतिकी पहुँच लिखते हुए उन्होंने सलाह दी कि नियमोंमें उल्लिखित व्रतोंमें नम्रताका भी एक व्रत होना चाहिए। अपने पत्रमें उन्होंने कहा था कि आजकलके नवयुवकोंमें नम्रताका अभाव पाया जाता है। मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी सलाहके मूल्यको तो मानता हूँ और नम्रताकी आवश्यकताको भी सोलहो-आना मानता हूँ, पर एक व्रतमें उसको स्थान देना उसके गौरवको कम कर देना है। यह बात तो हमें गृहीत ही करके चलना चाहिए कि जो लोग अहिंसा, ब्रह्मचर्यका पालन करेंगे वे अवश्य ही नम्र रहेंगे। नम्र-हीन सत्य एक उद्धत हास्य-चित्र होगा। जो सत्यका पालन करना चाहता है वह जानता है कि वह कितनी कठिन बात है। दुनिया उसकी विजयपर तो तालिया बजायगी, पर वह उसके पतनका हाल बहुत कम जानती है। सत्य-परायण मनुष्य बड़ा आत्म-ताडन करने वाला होता है। उसे नम्र बननेकी आवश्यकता है। जो शब्द सारे ससारके साथ, यहातक कि उसके भी साथ जो उसे अपना शब्द कहता हो, प्रेम करना चाहता है वह जानता है कि केवल अपने वलपर ऐसा करना किस तरह असम्भव है। जबतक वह अपनेको एक क्षुद्र रज-कण न समझने लगेगा तबतक वह अहिंसाके तत्त्वको नहीं ग्रहण कर सकता। जिस प्रकार उसके प्रेमकी माना बढ़ती जाती है उसी प्रकार यदि उसकी नम्रताकी मात्रा न बढ़ी तो वह किसी कामका नहीं। जो मनुष्य अपनी आत्मोंमें तेज लाना चाहता है,

जो स्त्री-मात्रको अपनी सगी माता या बहन मानता है उसे तो रज-कणसे भी क्षुद्र होना पड़ेगा । उसे एक खाइके किनारे समझिए । जरा ही मुह इधर-उधर हुआ कि गिरा । वह अपने मनसे भी अपने गुणोकी काना-फूसी करनेका साहस नहीं कर सकता, क्योंकि वह नहीं जानता कि इसी अगले क्षणमें क्या होने वाला है? उसके लिए 'अभिमान विनाशके पहले जाता है और मगरुरी पतनके पहले ।' गीतामें सच कहा है—

विषया विनवर्त्तन्ते निराहारस्य देहिन ।  
रसवर्ज्यं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्त्तते ॥

और जबतक मनुष्यके मनमें अहभाव मौजूद है तबतक उसे ईश्वरके दर्शन नहीं हो सकते । यदि वह ईश्वरमें मिलना चाहता हो तो उसे शून्यवत् ही जानना चाहिए । इस सघर्ष-पूर्ण जगत्में कोन कहनेका साहस कर सकता है—“मैंने विजय प्राप्त की?” हम नहीं, ईश्वर हमें विजय प्राप्त कराता है ।

हमे इन गुणोका मूल्य ऐसा कम न कर देना चाहिए जिससे कि हम सब उनका दावा कर सके । जो बात भौतिक विषयमें सत्य है वही आध्यात्मिक विषयमें भी सत्य है । यदि एक सासारिक सग्राममें विजय पानेके लिए योरोपने पिछले युद्धमें, जो कि स्वयं ही एक नाशवान् वस्तु है, कितने ही करोड़ लोगोका वलिदान कर दिया, तब यदि आध्यात्मिक युद्धमें करोड़ो लोगोको इसके प्रयत्नमें मिट जाना पड़े, जिससे कि ससारके सामने एक पूर्ण उदाहरण रह जाय तो क्या आश्चर्य है? यह हमारे आधीन है कि हम असीम नम्रताके साथ इस बातका उद्योग करे ।

इन उच्च गुणोकी प्राप्ति ही उनके लिए परिश्रमका पुरस्कार है । जो उसपर व्यापार चलाता है वह अपनी आत्माका नाश करता है । सद्गुण कोई व्यापार करनेकी चीज़ नहीं है । मेरा सत्य, मेरी अहिंसा, मेरा ब्रह्मचर्य, ये मेरे और मेरे कर्त्तसि सम्बन्ध रखनेवाले विषय हैं । वे विक्रीकी चीजें नहीं हैं । जो युवक उनकी तिजारत करनेका साहस करेगा

वह अपना ही नाश कर वैठेगा । ससारके पास कोई बाट ऐसा नहीं है, कोई साधन नहीं है, जिससे कि इन बातोंकी तोल की जा सके । छान-बीन और विश्लेषण की वहा गुज़र नहीं । इसलिए हम कार्यकर्त्ताओंको चाहिए कि हम उन्हे केवल अपने शुद्धीकरणके लिए प्राप्त करे । हम दुनियासे कह दे कि वह हमारे कार्योंसे हमारी पहचान करे । जो सस्था या आश्रम लोगोंसे सहायता पानेका दावा करता हो, उसका लक्ष्य भौतिक-सासारिक होना चाहिए जैसे—कोई अस्पताल, कोई पाठशाला, कोई कताई और खादी-विभाग । सर्वसाधारणको इन कामोंकी योग्यता परखनेका अधिकार है और यदि वे उन्हे पसद करे तो उनकी सहायता करे । शर्तें स्पष्ट हैं । व्यवस्थापकोंमें नेक-नीयती और योग्यता होनी चाहिए । वह प्रामाणिक मनुष्य जो शिक्षा-शास्त्रसे अपरिच्छित हो, शिक्षकके रूपमें लोगोंसे सहायता पानेका दावा नहीं कर सकता । सार्वजनिक संस्थाओंका हिसाव-किताव ठीक-ठीक रखा जाना चाहिए, जिससे कि लोग जब चाहे तब देख-भाल सके । इन शर्तोंकी पूर्ति संचालकोंको करनी चाहिए । उनकी सच्चरित्रता लोगोंके आदर और आश्रयके लिए भारहृष्ट न होनी चाहिए ।

हरिजन सेवक,

२५ जून १९३५

## एक परित्याग

सन् १८६१ मे विलायतसे लौटनेके बाद मैंने अपने परिवारके बच्चोंको करीब-करीब अपनी निगरानीमे ले लिया, और उनके—बालक-बालिकाओं—के—कधोपर हाथ रखकर उनके साथ घूमनेकी, आदत डाल ली। ये मेरे भाइयोंके बच्चे थे। उनके बड़े हो जानेपर भी यह आदत जारी रही। ज्यो-ज्यो परिवार बढ़ता गया, त्यो-त्यो इस आदतकी मात्रा इतनी बढ़ी कि इसकी ओर लोगोंका ध्यान आकर्षित होने लगा।

जहातक मुझे याद है, मुझे कभी यह पता नहीं चला कि मैं इसमे कोई भूल कर रहा हूँ। कुछ वर्ष हुए कि सावरमतीमे एक आश्रमवासीने मुझसे कहा था कि ‘आप जब बड़ी-बड़ी उम्रकी लड़कियों और स्त्रियोंके कन्धोपर हाथ रखकर चलते हैं, तब इससे लोक-स्वीकृत सम्यताके विचारको चोट पहुँचती मालूम होती है।’ किन्तु आश्रमवासियोंके साथ चर्चा होनेके बाद यह चीज जारी ही रही। अभी हालमे मेरे दो साथी जब वर्धा आये तब उन्होंने कहा कि ‘आपकी यह आदत सम्भव है कि दूसरोंके लिए एक उदाहरण बन जाय, इसलिए आपको यह बन्द कर देनी चाहिए।’ उनकी यह दलील मुझे जची नहीं। तो भी उन मित्रोंकी चेतावनीकी मैं अवहेलना नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने पाच आश्रमवासियोंसे इसकी जाच करने और इसके सम्बन्धमे सलाह देनेके लिए कहा। इसपर विचार हो ही रहा था कि इस बीचमे एक निर्णयात्मक घटना घटी। मुझे किसीने बताया कि यूनिवर्सिटीका एक तेज विद्यार्थी अकेलेमे एक लड़कीके साथ, जो उसके प्रभाव मे थी, सभी तरहकी आजादीसे काम लेता था, और दलील यह दिया करता था कि वह उस लड़कीको सगी वहनकी तरह प्यार करता है, और इसीसे कुछ चेष्टाओंका

प्रदर्शन किये विना उससे रहा नहीं जाता। कोई उसपर अपवित्रताका जरा भी आरोपण करता तो वह नाराज हो जाता। वह नवयुवक क्या-क्या करता था उन सब बातोंको अगर यहां लिखूँ तो पाठक विना किसी हिच-किचाहटके यह कह देगे कि जिस आजादीसे वह काम लेता था, उसमें अवश्य ही गन्दी भावना थी। मैंने और दूसरे जिन लोगोंने इस सम्बन्धका पत्र-व्यवहार जब पढ़ा तब हम इस नतीजेपर पहुँचे कि या तो वह युवक विद्यार्थी परले सिरेका बना हुआ आदमी है, या फिर खुद अपने-आपको धोखा दे रहा है।

चाहे जो हो, इस अनुसन्धानने मुझे विचारमें डाल दिया। मुझे अपने उन दोनों साथियोंकी दी हुई चेतावनी याद आई और मैंने अपने दिलसे पूछा कि अगर मुझे यह मालूम हो कि वह नवयुवक अपने बचावमें मेरे व्यवहारकी दलील दे रहा है तो मुझे कैसा लगे? मैं यहा यह बतला दूँ कि यह लड़की, जो उस नवयुवककी चेष्टाओंका शिकार बन गई है, यद्यपि वह उसे विलकूल पवित्र और भाईके समान मानती है, तो भी वह उसकी उन चेष्टाओंको पसन्द नहीं करती, बल्कि यह आपत्ति भी करती है; पर उस बेचारीमें इतनी ताकत नहीं कि वह उस युवककी आपत्तिजनक चेष्टाओंको रोक सके। इस घटनाके कारण मेरे मनमें जो आत्म-परीक्षण मथन कर रहा था, उसका यह परिणाम हुआ कि उस पत्र-व्यवहारको पढ़नेके दो-तीन दिनके अन्दर मैंने अपनी उपर्युक्त प्रथाका परित्याग कर दिया, और गत १२वीं तारीखको मैंने वर्धके आश्रमवासियोंको अपना यह निश्चय सुना दिया। यह बात नहीं कि यह निर्णय करते समय मुझे कष्ट न हुआ हो। इस व्यवहारके बीच या इसके कारण कभी कोई अपवित्र विचार मेरे मनमें नहीं आया। मेरा आचरण कभी छिपा हुआ नहीं रहा है। मैं मानता हूँ कि मेरा आचरण पिताके जैसा रहा है, और जिन अनेक लड़-कियोंका मैं मार्ग-दर्शक और अभिभावक रहा हूँ, उन्होंने अपने मनकी बातें इतने विश्वासके साथ मेरे सामने रखी कि जितने विश्वासके साथ वे शायद और किसीके सामने न रखती। यद्यपि ऐसे ब्रह्मचर्यमें मेरा विश्वास नहीं, जिसमें स्त्री-पुरुषका परस्पर स्पर्श बचानेके लिए एक रक्षाकी दीवार

बनानेकी ज़रूरत पडे, और जो ब्रह्मचर्य जरासे प्रलोभनके आगे भग हो जाय तो भी जो स्वतन्त्रता मैंने ले रखी है, उसके खतरोसे मैं अनजान नहीं हूँ।

इसलिए जिस अनुसन्धानका मैंने ऊपर ज़िक्र किया है, उसने मुझे अपनी यह आदत छोड़ देनेके लिए सचेत कर्न दिया, फिर मेरा कन्धोपर हाथ रखकर चलनेका व्यवहार चाहे जितना पवित्र रहा हो। मेरे हरेक आचरण-को हजारो स्त्री-पुरुष खूब सूक्ष्मतासे देखते हैं, क्योंकि मैं जो प्रयोग कर रहा हूँ, उसमे सतत जागरूक रहनेकी आवश्यकता है। मुझे ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिनका बचाव मुझे दलीलोके सहारे करना पड़े। मेरे उदाहरणका कभी यह अर्थ नहीं था कि उसका चाहे जो अनुसरण करने लग जाय। इस नवयुवकका मामला बतौर एक चेतावनीके मेरे सामने आया और उससे मैं आगाह हो गया। मैंने इस आशासे यह निश्चय किया है कि मेरा यह त्याग उन लोगोको सही रास्ता सुझा देगा, जिन्होने या तो मेरे उदाहरणसे प्रभावित होकर गलती की है या यो ही। निर्दोष युवावस्था एक अनमोल निधि है। क्षणिक उत्तेजनाके पीछे, जिसे गलतीसे 'आनन्द' कहते हैं, इस निधिको यो ही वरवाद नहीं कर देना चाहिए। और इस चित्रमे चित्रित लड़कीके समान कमज़ोर मनवाली लड़कियोमे इतना बल तो होना ही चाहिए कि वे उन वदमाश या अपने कामोसे अनजान नवयुवकोकी हरकतोका—फिर वे उन्हे चाहे जितना निर्दोष जतलावे—साहसके साथ सामना कर संके।

हरिजन सेवक,

२७ सितम्बर १६३५

## सुधारकोंका कर्तव्य

लाहौरके सनातन धर्म कालेजके प्रिसिपलका निम्नलिखित पत्र में सहर्ष यहा प्रकाशित कर रहा हूँ ।

“बालकों पर जो अप्राकृतिक अत्याचार हो रहे हैं उनकी ओर मैं अधिक-से-अधिक जोर देकर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ ।

आपको यह तो मालूम ही होगा कि इनमें से बहुत ही थोड़े मामलोंकी पुलिसमें रपट लिखाई जाती है, या उन्हे अदालतमें ले जाते हैं । इधर कुछ-दिनोंसे पजाबमें ऐसे केस इतने ज्यादा होने लगे हैं कि जिनकी कोई हृदय नहीं । इस पत्रके साथ आपके अवलोकनार्थ अखबारोंकी कुछ कतरने भेज रहा हूँ । अदालतमें कभी-कभी जो एकाध मामले आते हैं, उनमेंसे अत्यन्त बीभत्ता किससे ही अखबारोंमें प्रकाशित होते हैं । इन्हे पढ़कर आपको यह पूरी तरहसे मालूम हो जायगा कि हमारे कोमल वयस्क बालक-बालिकाओंपर इस भयका किस कदर आतक छाया हुआ है । कुछ महीने पहले लाहौरमें गुण्डोंने दिन-दहाड़े कुछ स्कूलोंके फाटकोपरसे छोटे-छोटे बच्चोंको उठा ले जानेके साहसिक प्रयत्न किये थे । आज भी बालकोंके स्कूलमें जाते और आते वक्त खास इन्तजाम रखना पड़ता है । अदालतमें जो मामले गये हैं, उनकी रिपोर्टोंमें बालकोंके ऊपर किये गए जिन आकर्षणोंका वर्णन आया है अत्यन्त कूरता और साहसपूर्ण है । ऐसे राक्षसी काम विरले ही मनुष्य कर सकते हैं ।

साधारण जनता या तो इस विषयमें उदासीन है, या वह इस तरहकी लाचारी महसूस करती है कि इन अपराधोंको सगठित होकर कुचल देनेकी लोगोंमें आत्म-श्रद्धा नहीं ।

पजाब-सरकारके जारी किये गए सरकुलरकी जो नकल इसके साथ मैं

भेज रहा हूँ, उससे आपको यह पता चल जायगा कि जनता और सरकारी अफसरोंकी उदासीनताके कारण सरकार भी इस विषयमें अपनेको लाचार-सा अनुभव करती है ।

आपने 'यग इडिया' के ६ सितम्बर १९२६ के तथा २७ जून १९२६ के अकमे यह ठीक ही कहा था कि इस प्रकारके अप्राकृतिक व्यभिचारके अपराधोंके सम्बन्धमें सार्वजनिक चर्चा करनेका समय आगया है और इस विषयमें सारे देशमें लोकमत जागृत करनेके लिए अखबारों द्वारा इन जुर्माँ-का प्रकाशन ही एक-मात्र प्रभावोत्पादक उपाय है ।

मैं आपको अत्यन्त आदरके साथ यह बतलाना चाहता हूँ कि आजकी मोजूदा स्थितिमें कम-से-कम इतना तो हमें करना ही चाहिए । मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि इस दुराचारके विरुद्ध अखबारों द्वारा जोरदार आन्दोलन चलानेके लिए आप अपनी प्रभावशाली आवाज उठाकर दूसरे अखबारोंको रास्ता दिखाइए ।"

इस बुराईके खिलाफ हमें अविश्वान्त लडाई लड़नी चाहिए, इस विषयमें तो शका हो ही नहीं सकती । इस पत्रके साथ जो अत्यन्त धृणोत्पादक रिपोर्ट भेजी गई थी, उन्हें मैंने पढ़ डाला है । सनातन धर्म कालेजके आचार्यने मेरे जिन लेखोंका उल्लेख किया है, उनमें जिस किस्मके मामलोंकी मैंने चर्चा की थी, उससे ये मामले जुदे ही प्रकारके हैं । वे मामले अध्यापकोंकी अनीतिके थे, जिनमें उन्होंने बालकोंको फुसलाया था । और इन रिपोर्टोंमें अधिकतर जिन मामलोंका वर्णन आया है, उनमें तो गुण्डोंने कोमल वयके बालकों पर अप्राकृतिक व्यभिचार करके उनका खून किया है । अप्राकृतिक व्यभिचार और उनके बाद खून किये जानेके केस हालांकि और भी अधिक धृणा पैदा करनेवाले मालूम होते हैं, तो भी मेरा यह विश्वास है कि जिन मामलोंमें बालक जान-वूझकर अध्यापकोंकी विपय-वासनाके गिकार होते हैं, उनकी अपेक्षा इस प्रकारके मामलोंका इलाज करना सहज है । दोनोंके ही विपयमें सुधारकोंके सतत-जागृत रहने और इस वीभत्स कार्यके सम्बन्धमें लोगोंकी अन्तरात्मा जगानेकी आवश्यकता है । पजावमें चूंकि इस किस्मके अपराध बहुत अधिक होने लगे हैं, इसलिए वहांके

नेताओंका यह कर्तव्य है कि वे जाति और धर्मका भेद एक तरफ रखकर एक जगह इकट्ठे हो, और बालकोंको फुसलाकर फसाने वाले या उन्हे उठा ले जाकर उनके साथ अप्राकृतिक बलात्कार करके उनका खून करने वाले अपराधियोंके पजेसे इस पचनद प्रदेशके, कोमल वयस्क युवकोंको चचानेके उपायका आयोजन करे। अपराधियोंकी निदा करने वाले प्रस्ताव पास करनेसे कुछ भी होने-हवानेका नहीं। पाप-मात्र भिन्न-भिन्न प्रकारके रोग हैं और सुधारकोंको उन्हे ऐसा रोग समझकर ही उनका इलाज करना चाहिए।

इसका अर्थ यह नहीं कि पुलिस इन मामलोंको सार्वजनिक अपराध समझनेका अपना काम मुल्तवी रखेगी, किन्तु पुलिस जो कार्रवाई करती है, उसकी मशा इन सामाजिक अव्यवस्थाओंके मूल कारण ढूढ़कर उन्हे दूर करनेकी होती ही नहीं। यह तो सुधारकोंका खास अधिकार है। और अगर समाजमे सदाचारके विषयकी भावना और आग्रह न बढ़ा, तो अखबारोंमे दुनिया-भरके लेख लिखे जाय तो भी ऐसे अपराध और-और बढ़ते ही जायगे। इसका कारण यही है कि इस उलटे रास्तेपर जाने वाले लोगोंकी नैतिक भावना कुठित हो जाती है और वे अखबारोंको—खासकर उन भागोंको जिनमे ऐसे-ऐसे दुराचारोंके विरुद्ध जोशसे भरी हुई नसीहते होती है—शायद ही कभी पढ़ते हो। इसलिए मुझे भी यह एक ही प्रभावकारक मार्ग सूझ रहा है कि सनातन धर्म कालेजके प्रिन्सिपल (यदि वे उनमेंसे एक हों तो) जैसे कुछ उत्साही सुधारक दूसरे सुधारकोंको एकत्रित करे और इस बुराईको दूर करनेके लिए कुछ सामूहिक उपाय हाथमे ले।

हरिजन सेवक,  
२ नवम्बर १९३५

## उसकी कृपा बिना कुछ नहीं

डॉक्टरो और अपने-आप जेलर बनने वाले सरदार वल्लभभाई तथा जमनालालजी की कृपासे मैं फिर पाठकोके सम्पर्कमें आनेके काविल हो गया हूँ, हालाकि है यह परीक्षणके तौरपर और एक निश्चित सीमातक ही। इन लोगोने मेरी स्वतन्त्रतापर यह बन्धन लगा दिया है और मैंने उसे स्वीकार कर लिया है कि फिलहाल मैं 'हरिजन' में उससे अधिक किसी हालतमें नहीं लिखूगा जो कि मुझे बहुत जरूरी मालूम पड़े, और वह भी इतना ही कि जिसके लिखनेमें प्रति सप्ताह कुछ घटेसे अधिक समय न लगे। सिवा उनके कि जिनके साथ मैंने अभीसे लिखा-पढ़ी शुरू कर दी है, और किसीकी निजी समस्याओ या घरेलू कठिनाइयोके बारेमें मैं निजी पत्र-व्यवहार नहीं करूगा, और न तो मैं किसी सार्वजनिक कार्यक्रमको स्वीकार करूगा, न किसी सार्वजनिक सभामें भाषण दूगा या उपस्थित ही होऊगा। सोने, दिलबहलाव, मिहनत और भोजनके बारेमें भी निश्चित रूपसे निर्देशकर दिये गये हैं, लेकिन उनके वर्णनकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनसे पाठको-का कोई सम्बन्ध नहीं है। मुझे आशा है कि इन हिदायतोका पालन करनेमें 'हरिजन'के पाठक तथा सवाद-दाता लोग मेरे और महादेव भाईके साथ, जिन-के जिम्मे सब पत्र-व्यवहारको भुगतानेका काम होगा, पूरा सहयोग करेंगे।

मेरी बीमारीके मूल और उसके लिए किये जाने वाले उपायोकी कुछ बात पाठकोके लिए अवश्य रुचिकर होगी। जहातक मैंने अपने डॉक्टरको समझा है, मेरे शरीरका बहुत सावधानी और सिरदर्दीके साथ निरीक्षण करनेपर भी उन्हे मेरे शारीरिक अवयवोमें कोई खराकी नहीं मिली। उनकी रायमें बहुत सम्भवत 'प्रोटीन' और 'कारबोहाइड्रेट्स' की कमी, जो कि शक्कर और निगास्तेके द्वारा प्राप्त होती है, और बहुत दिनोसे

अपने रोजमर्कि सार्वजनिक काम-काजके अलावा लगातार लम्बे-लम्बे समयतक परेशान कर देनेवाली विविध निजी समस्याओंमें उलझे रहनेसे यह बीमारी हुई थी। जहातक मुझे याद पड़ता है पिछले बारह महीने या इससे भी अधिक समयसे मैं इस बातको बराबर कहता आ रहा था कि लगातार बढ़ते जानेवाले कामकी तादादमें अगर कमी न हुई तो मेरा बीमार पड़ जाना निश्चित है। इसलिए, जब बीमारी आई तो मेरे लिए वह नहीं बात नहीं थी। और बहुत सम्भव है कि दुनियामें इसका इतना ढिंडोरा ही न पिटता, अगर एक मित्रकी ज़खरतसे ज्यादा चिन्ता सामने न आती। जिन्होंने कि मेरे स्वास्थ्यको गिरता देखकर जमनालालजीको सनसनीदार रुक्का भेज दिया। वह, जमनालालजीने यह खबर पाते ही उन सब होशियार डॉक्टरोंको बुला लिया जो कि वर्धमें मिल सकते थे और विशेष सहायताके लिए नागपुर व वस्वई भी खबर भेज दी।

जिस दिन मैं बीमार पड़ा, उस दिन सबेरे ही मुझे उसकी चेतावनी मिल गई थी। जैसे ही सोकर उठा, मुझे अपनी गर्दनके पास एक खास तरहका दर्द मालूम पड़ा, लेकिन मैंने उसपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और किसीसे कुछ नहीं कहा। दिन-भर मैं अपना कार करता रहा। शामकी हवाखोरीके बहुत थकावट मालूम पड़ने लगी और मैं बहुत गम्भीर हो गया। मेरे स्नायु इससे पहले पखवाडेमें ऐसी समस्याओंके सोच-विचारमें पहले ही काफी ढीले पड़ चुके थे, जो कि मेरे लिए मानो स्वराज्यके सर्वप्रधान प्रश्नकी ही तरह महत्वपूर्ण थी।

मेरी बीमारीको अगर इतना तूल न दिया गया होता तो भी जो निश्चित चेतावनी प्रकृति मुझे दे रही थी, उसपर मुझे ध्यान देना पड़ता और मैंने अपनेको धोड़ा आराम देकर उस कठिनाईको हल करनेकी कोशिश की होती; लेकिन जो कुछ हो गया उसपर नजर डालनेसे मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि जो-कुछ हुआ वह ठीक ही हुआ। डॉक्टरोंने जो असाधारण सावधानी रखनेकी सलाह दी और उन्हींके समान असाधारण रूपसे उक्त दोनों जेलरोंने जो देख-भाल रखी उसके कारण मजबूरन मुझे

आराम करना पड़ा, जो वैसे मैं कभी न करता, और उससे मुझे आत्म-निरीक्षणका काफी समय मिल गया। इसलिए उससे मुझे स्वास्थ्यका लाभ ही नहीं हुआ, बल्कि आत्म-निरीक्षणसे मुझे यह भी मालूम हुआ कि गीताका जो अर्थ मैं समझा हूँ उसका पालन करनेमें मैं कितनी गलती कर रहा हूँ। मुझे पता लगा कि जो विविध समस्याएं हमारे सामने उपस्थित हैं, उनकी काफी गहराईमें मैं नहीं पहुँचा हूँ। यह स्पष्ट है कि उनमेंसे अनेकने मेरे हृदयपर असर डाला है और मैंने उन्हें, अपनी भावुकताको प्रेरित करके, अपने स्नायुओपर जोर डालने दिया है। दूसरे शब्दोंमें कह तो गीताके भक्तको उनके प्रति जैसा अनासक्त रहना चाहिए वैसा मेरा मन या शरीर नहीं रहा है। सचमुच मेरा यह विश्वास है कि जो व्यक्ति प्रकृतिके आदेशका पूर्णत अनुसरण करता है उसके मनमें बुढ़ापें का भाव कभी आना ही नहीं चाहिए। ऐसा व्यक्ति तो अपनेको सदा तरोताजा और नौजवान ही महसूस करेगा और जब उसके मरनेका समय आयगा तो उसी तरह मरेगा जैसे किसी मजबूत वृक्षके पत्ते गिरते हो। भीम पितामहने मृत्यु-शैय्यापर पड़े हुए भी युधिष्ठिरको जो उपदेश दिया, मेरी समझमें उसका यही अर्थ है। डॉक्टर लोग मुझे यह चेतावनी देते कभी नहीं थकते थे कि हमारे आस-पास जो घटनाएं हो रही हैं, उनसे मुझे उत्तेजित हर्गिज नहीं होना चाहिए। कोई दुखद या उत्तेजक घटना अथवा समाचार मेरे सामने न आये, इसकी भी खास तौरपर सावधानी रखी गई। यद्यपि मेरा ख्याल है कि मैं गीताका उतना बुरा अनुयायी नहीं हूँ, जैसा कि इस सावधानीकी कार्रवाईसे मालूम पड़ता है, लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि उनकी हिदायतोंमें सार अवग्य था, क्योंकि मगन-चाढ़ीसे महिलाश्रम जानेकी जमनालालजीकी वात मैंने कितनी अनिच्छासे कवूल की, यह मुझे मालूम है। जो भी हो, उन्हें यह विश्वास नहीं रहा कि अनासक्त-रूपसे मैं कोई काम कर सकता हूँ। मेरा वीमार पड़ जाना उनके लिए इस वातका बड़ा भारी प्रमाण था कि अनासवितर्की मेरी जो ख्याति है, वह थोथी है, और इसमें मुझे अपना दोष स्वीकार करना ही पड़ेगा।

लेकिन अभी तो इससे भी अधिक बुरा होनेको वाकी था। १८६६ से

मैं, जान-बूझ कर और निश्चय के साथ, वरावर ब्रह्मचर्य का पालन करनेकी कोशिश करता रहा हूँ। मेरी व्याख्याके अनुसार, इसमे न बेवल शरीर की, बल्कि मन और वचनकी शुद्धता भी शामिल है। और सिवा उस अपवादके, जिसे कि मानसिक स्वलन कहना चाहिए, अपने ३६ वर्षसे अधिक समयके सतत एव जागरूक प्रयत्नके बीच, मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी भी मेरे मनमे इस सम्बन्धमे ऐसी बेचैनी पैदा हुई हो, जैसी कि इस बीमारीके समय मुझे महसूस हुई। यहातक कि मुझे अपनेसे निराशा होने लगी, लेकिन जैसे ही मेरे मनमे ऐसी भावना उठी, मैंने अपने परिचारको और डॉक्टरोको उससे अवगत कर दिया, लेकिन वे मेरी कोई मदद नहीं कर सके। मैंने उनसे आशा भी नहीं की थी। अलवत्ता इस अनुभवके बाद मैंने उस आराममे छिलाई कर दी, जो कि मुझपर लादा गया था और अपने इस बुरे अनुभवको स्वीकार कर लेनेसे मुझे बड़ी मदद मिली। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो मेरे ऊपरसे बड़ा भारी बोझ हट गया और कोई हानि हो सकनेसे पहले ही मैं सम्हल गया; लेकिन गीताका उपदेश तो स्पष्ट और निश्चित है, जिसका मन एक बार ईश्वरमे लग जाय वह कोई पाप नहीं कर सकता। मैं उससे कितना दूर हूँ, यह तो वही जानता है। ईश्वरको धन्यवाद है कि अपने महात्मापनकी प्रसिद्धिसे मैं कभी धोखेमे नहीं पड़ा हूँ, लेकिन इस जबर्दस्तीके विश्वासने तो मुझे इतना विनम्र बना दिया है, जितना मैं पहले कभी नहीं था। इससे अपनी मर्यादाएँ और अपूर्णताएँ भली-भाति मेरे सामने आ गई हैं, लेकिन उनके लिए मैं उतना लज्जित नहीं हूँ जितना कि सर्वसाधारणसे उनको छिपानेमे होता। गीताके सन्देशमे सदाकी तरह आज मेरा वैसा ही विश्वास है। उस विश्वासको ऐसे सुन्दर रूपमे परिणत करनेके लिए कि जिससे गिरावटका अनुभव ही न हो, लगातार अथक प्रयत्नकी आवश्यकता है, लेकिन उसी गीतामे साथ-साथ असदिग्ध रूपसे यह भी कहा हुआ है कि ईश्वरीय अनुग्रहके बिना वह स्थिति ही प्राप्त नहीं हो सकती। अगर विधाताने इतनी गुजाइश न रखी होती तो हमारे हाथ-पैर ही फूल गये होते और हम अंकर्मण्य हो गये होते।

## सन्तति-निग्रह-१

मेरे एक साथीने, जो मेरे लेखोंको बड़े ध्यानके साथ पढ़ते रहते हैं, जब यह पढ़ा कि सन्तति-निग्रहके लिए सम्भवत मे उन दिनों सहवासकी वात स्वीकार कर लूगा जिनमे कि गर्भ रहनेकी सम्भावना नहीं होती, तो उन्हे बड़ी बेचैनी हुई। मैंने उन्हे यह समझानेकी कोशिश की कि कृत्रिम साधनोंसे सतति-निग्रह करनेकी वात मुझे जितनी खलती है उतनी यह नहीं खलती, फिर यह है भी अधिकतर विवाहित दम्पत्योंके ही लिए। आखिर वहस बढ़ते-बढ़ते इतनी गहराईपर चलती गई जिसकी हम दोनोंमेंसे किसीने आदा न की थी। मैंने देखा कि यह वात भी उन मित्रको कृत्रिम साधनोंसे सतति-निग्रह करने-जैसी ही बुरी प्रतीत हुई। इससे मुझे मालूम पड़ा कि यह मित्र स्मृतियोंके इस वन्धनको साधारण मनुष्योंके लिए व्यवहार-योग्य समझते हैं कि पति-पत्नीको भी तभी सहवास करना चाहिए, जबकि उन्हे सचमुच सन्तानोत्पत्तिकी इच्छा हो। इस नियमको जानता तो मैं पहलेसे था, लेकिन उसे इस रूपमें पहले कभी नहीं माना था, जिस रूपमें कि इस वातचीतके बाद मानने लगा हूँ। अभी तक तो, पिछले कितने ही सालोंसे, मैं इसे ऐसा पूर्ण आदर्श ही मानता आया हूँ, जिसपर ज्यो-का-त्यो अमल नहीं हो सकता। इसलिए मैं समझता था कि सन्तानोत्पत्तिकी खास इच्छाके बगैर भी विवाहित स्त्री-पुरुष जवतक एक दूसरेकी रजामन्दीसे सहवास करे तवतक वे वेवाहिक उद्देश्यकी पूर्ति करते हुए स्मृतियोंके आदेशका भग नहीं करते, लेकिन जिस नये रूपमें अब मैं स्मृतियोंकी वातको लेता हूँ वह मेरे लिए मानो एक इलहाम है। स्मृतियोंका जो यह कहना है कि जो विवाहित स्त्री-पुरुष इस आदेशका दृढ़ताके साथ पालन करे वे वैमे ही ब्रह्मचारी हैं जैसे

धर्मविवाहित रहकर सदाचारी जीवन व्यतीत करनेवाले होते हैं, उसे अब मैं इतनी अच्छी तरह समझ गया हूँ जैसे पहले कभी नहीं जानता था।

इस नये रूपमें, अपनी काम-वासनाको तृप्त करना नहीं; बल्कि सन्तानोत्पत्ति ही सहवासका एक-मात्र उद्देश्य है। साधारण काम-पूर्ति तो, विवाह-की इस दृष्टिसे, भोग ही माना जायगा। जिस आनन्दको अभी तक हम निर्दोष और वैध मानते आये हैं उसके लिए ऐसे शब्दका प्रयोग कठोर तो भालूम होगा, लेकिन प्रचलित प्रथाकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ; बल्कि उस विवाह-विज्ञानको ले रहा हूँ जिसे हिन्दू-ऋषियोंने बताया है। यह हो सकता है कि उन्होंने ठीक दृगसे न रखा हो या वह बिलकुल गलत ही हो; लेकिन मुझ-जैसे आदमीके लिए तो, जो स्मृतियोकी कई बातोंको अनुभवके आधार-भूत मानता है, उनके अर्थको पूरी तरह स्वीकार किये बगैर कोई चारा ही नहीं है। कुछ पुरानी बातोंको उनके पूरे अर्थोंमें ग्रहण करके प्रयोगमें लानेके अलावा और कोई ऐसा तरीका मैं नहीं जानता जिससे उनकी सचाई-का पता लगाया जा सके। फिर वह जाच कितनी ही कड़ी क्यों न प्रतीत हो और उससे निकलनेवाले निष्कर्ष कितने ही कठोर क्यों न लगे।

ऊपर मैंने जो-कुछ कहा है उसको देखते हुए, कृत्रिम साधनों या ऐसे दूसरे उपायोंसे सन्तति-निग्रह करना बड़ी भारी गलती है। अपनी जिम्मेदारीको पूरी तरह समझते हुए मैं यह लिख रहा हूँ। श्रीमती मार्गरेट सेगर और उनके अनुयायियोंके लिए मेरे मनमें बड़े आदरका भाव है। अपने उद्देश्यके लिए उनके अन्दर जो अदम्य उत्साह है उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। यह भी मैं जानता हूँ कि स्त्रियोंको अनचाहे वच्चोंकी सार-सम्भाल और परवरिश करनेके कारण जो कष्ट उठाना पड़ता है, उसके लिए उनके मनमें स्त्रियोंके प्रति बड़ी सहानुभूति है। साथ ही यह भी मैं जानता हूँ कि कृत्रिम सन्तति-निग्रहका अनेक उदार धर्मचार्यों, वैज्ञानिकों, विद्वानों और डॉक्टरोंने भी समर्थन किया है, जिनमें वहुतोंको तो मैं व्यक्तिगत रूपसे जानता और मानता भी हूँ; लेकिन इस सम्बन्धमें मेरी जो मान्यता है उसे अगर मैं पाठकों या कृत्रिम सन्तति-निग्रहके महान् समर्थकोंसे छिपाऊ तो मैं अपने ईश्वरके प्रति, जोकि सत्यके अलावा और कुछ नहीं है, सच्चा

सावित नहीं होऊगा, और अगर मैंने अपनी मान्यताको छिपाया तो यह निश्चित है कि अपनी गलतीको, अगर मेरी यह मान्यता गलत हो, मैं कभी नहीं जान सकूगा। अलावा इसके, उन अनेक स्त्री-पुरुषोंकी खार्तिर भी मैं यह जाहिर कर रहा हूँ जोकि सन्तति-निग्रह सहित अनेक नैतिक समस्याओंके बारेमें मेरे आदेश और मतको स्वीकार करते हैं।

सन्तति-निग्रह होना चाहिए, इस बातपर तो वे भी सहमत हैं जो इसके लिए कृत्रिम साधनोंका समर्थन करते हैं, और वे भी जो अन्य उपाय बतलाते हैं। आत्म-स्थमसे सन्तति-निग्रह करनेमें जो कठिनाई होती है, उससे इन्कार नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर मनुष्य-जातिको अपनी किस्मत जगानी है तो इसके सिवा इसकी पूर्तिका कोई और उपाय ही नहीं है, क्योंकि यह मेरा आन्तरिक विश्वास है कि कृत्रिम साधनोंसे सन्तति-निग्रहकी बात सबने मजूर कर ली तो मनुष्य-जातिका बड़ा भारी नैतिक पतन होगा। कृत्रिम सन्तति-निग्रहके समर्थक इसके विरुद्ध प्राय जो दलीलें पेश करते हैं उनके बावजूद मैं यह कहता हूँ।

मेरा विश्वास है कि मुझमे अन्ध-विश्वास कोई नहीं है। मैं यह नहीं मानता कि कोई बात इसीलिए सत्य है, क्योंकि वह प्राचीन है। न मैं यह मानता हूँ कि चूंकि वह प्राचीन है इसलिए उसे सन्दिग्ध समझा जाय। जीवनकी आधारभूत कई ऐसी बातें हैं जिन्हे हम यह समझकर यो ही नहीं छोड़ सकते कि उनपर अमल करना मुश्किल है।

इसमे शक नहीं कि आत्म-स्थमके द्वारा सन्तति-निग्रह है कठिन, लेकिन अभीतक ऐसा कोई नजर नहीं आया जिसने सजीदगीके साथ इसकी उपयोगितामें सन्देह किया हो या यह न माना हो कि कृत्रिम साधनोंकी बनिस्वत यह ऊचे दर्जेका है।

मैं समझता हूँ, जब हम सहवासको दृढ़तासे मर्यादित रखनेके शास्त्रोंके आदेशको पूर्णत स्वीकार कर ले, और उसको ही सबसे बड़े आनन्द-का साधन न मानें, तो यह ओक्षाकृत आसान भी हो जायगा। जननेन्द्रियोंका काम तो सिर्फ यही है कि विवाहित दम्पत्तिके द्वारा यथासम्भव सर्वोत्तम सन्तानोत्पत्ति करे। और यह तभी हो सकता है, और होना चाहिए, जबकि

स्त्री-पुरुष दोनों सहवासकी नहीं बल्कि सन्तानोत्पत्तिकी इच्छासे, जो कि ऐसें सहवासका परिणाम होता है, प्रेरित हो। अतएव सन्तानोत्पत्तिकी इच्छा-के बगैर सहवास करना अवैध समझा जाना चाहिए और उसपर नियन्त्रण लगाना चाहिए।

साधारण आदमियोपर ऐसा नियन्त्रण किया जा सकता है या नहीं, इसपर आगे विचार किया जायगा।

हरिजन सेवक,

१४ मार्च १९३६

११

## सन्तति-निग्रह—२

हमारे समाजकी आज ऐसी दशा है कि आत्म-संयमकी कोई प्रेरणा ही उससे नहीं मिलती। शुरूसे हमारा पालन-पोषण ही उससे विपरीत दिशामें होता है। माता-पिताकी मुख्य चिन्ता तो यही होती है कि, जैसे भी हो, अपनी सन्तानका व्याह कर दे जिससे चूहोंकी तरह वे बच्चे जनते रहे और अगर कही लड़की पैदा हो जाय तब तो जितनी भी कम उम्रमें हो सके, विना यह सोचे कि इससे उसका कितना नैतिक पतन होगा, उसका व्याह कर दिया जाता है। विवाहकी रस्म भी क्या है, मानो दावत और फिजूल-खर्चोंकी एक लम्बी सरदर्दी ही है। परिवारका जीवन भी वैसा ही होता है जैसा कि पहलेसे होता आया है, यानी भोगकी ओर बढ़ना ही होता है। छुट्टिया और त्यौहार भी इस तरह रखे गये हैं, जिनसे वैषयिक रहन-सहनकी ओर ही अधिक-से-अधिक प्रवृत्ति होती है। जो साहित्य एक तरहसे गले चपेटा जाता है उससे भी आमतौरपर विषयोन्मुख मनुष्योंको उसी ओर अग्रसर होनेका प्रोत्साहन मिलता है। और अत्यत आधुनिक साहित्य तो प्राय यही शिक्षा देता है कि विषय-भोग ही कर्तव्य है और पूर्ण संयम एक पाप है।

ऐसी हालतमें कोई आश्चर्य नहीं कि काम-पिपासाका नियन्त्रण विलकुल असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य हो गया है और अगर हम यह मानते हैं कि सन्तति-निग्रहका अत्यत वाचनीय और बुद्धिमत्तापूर्ण एव सर्वथा निर्दोष साधन आत्म-संयम ही है तो सामाजिक आदर्श और वातावरणको ही बदलना होगा। इस इच्छित उद्देश्यकी सिद्धिका एक-मात्र उपाय यही है कि जो व्यक्ति आत्म-संयमके साधनमें विश्वास रखते हैं वे दूसरोंको भी उससे अभावित करनेके लिए अपने अटूट विश्वासके साथ खुद ही इसका अमल शुरू कर दे। ऐसे लोगोंके लिए अपने अटूट विश्वासके साथ खुद ही इसका अमल शुरू कर दे। ऐसे समझता है, विवाहकी जिस धारणाकी मैंने

पिछले सप्ताह चर्चा की थी वह बहुत महत्व रखती है। उसे भली-भाति ग्रहण करनेका मतलब है अपनी मन स्थितिको विलकुल बदल देना अर्थात् पूर्ण मानसिक क्रान्ति। यह नहीं कि सिर्फ कुछ चुने हुए व्यक्ति ही ऐसा करे, बल्कि यहीं समस्त मानव-जातियोके लिए नियम हों जाना चाहिए, क्योंकि इसके भग्से मानव-प्राणियोका दर्जा घटता है और अनचाहे बच्चोंकी वृद्धि, सदा बढ़ती रहनेवाली बीमारियोकी शृखला और मनुष्यके नैतिक पतनके रूपमें उन्हे तुरन्त ही इसकी सजा मिल जाती है। इसमें शक नहीं कि कृत्रिम साधनों द्वारा सन्तति-निग्रहसे नव-जात शिशुओंकी सख्ता-वृद्धिपर किसी हृदयक अकुश रहता है, और साधारण स्थितिके मनुष्योंका थोड़ा बचाव हो जाता है, लेकिन व्यक्ति और समाजकी जो नैतिक हानि इससे होती है उसका पार नहीं, क्योंकि जो लोग भोगके लिए ही अपनी काम-वासनाकी तृप्ति करते हैं, उनके लिए जीवनका दृष्टिकोण ही विलकुल बदल जाता है। उनके लिए विवाह धार्मिक सम्बन्ध नहीं रहता, जिसका मतलब है उन सामाजिक आदर्शोंका विलकुल बदल जाना, जिन्हे अभीतक हम बहुमूल्य निधिके रूपमें मानते रहे हैं। निस्सन्देह जो लोग विवाहके पुराने आदर्शोंको अन्व-विश्वास मानते हैं, उनपर इस दलीलका ज्यादा असर न होगा। इसलिए मेरी यह दलील सिर्फ उन्हीं लोगोंके लिए है जो विवाहको एक सवित्र सवध मानते हैं और स्त्रीको पाश्विक आनन्द (भोग) का साधन नहीं, बल्कि सन्तानके धारण और सरक्षणका गुण रखनेवाली माताके रूपमें मानते हैं।

मैंने और मेरे साथी कार्यकर्त्ताओंने आत्म-स्थिति की दिशामें जो प्रयत्न किया है, उसके अनुभवसे इस विचारकी पुष्टि होती है, जिसे कि मैंने यहा उपस्थित किया है। विवाहकी प्राचीन धारणाके प्रखर प्रकाशमें होनेवाली सोजसे इसे बहुत ज्यादा बल प्राप्त हो गया है। मेरे लिए तो अब विवाहित-जीवनमें ब्रह्मचर्य विलकुल स्वाभाविक और अनिवार्य स्थिति बनकर स्वयं विवाहकी ही तरह एक मामूली बात हो गई है। सन्तति-निग्रहका और कोई उपाय व्यर्थ और अकल्पनीय मालूम पड़ता है। एक बार जहा स्त्री और पुरुषमें इस विचारने घर किया नहीं कि जननेन्द्रियोंका एक-मात्र

और महान् कार्य सन्तानोत्पत्ति ही है, सन्तानोत्पत्तिके अलावा और किसी उद्देश्यसे सहवास करनेको वे अपने रज-वीर्यकी दण्डनीय क्षति मानने लगेंगे और उसके फलस्वरूप स्त्री-पुरुषमे होनेवाली उत्तेजनाको अपनी मूल्यवान शक्तिकी वैसी ही दण्डनीय क्षति समझेंगे। हमारे लिए यह समझना बहुत मुश्किल बात नहीं है कि प्राचीन कालके वैज्ञानिकोंने वीर्य-रक्षाको क्यों इतना महत्त्व दिया है और क्यों इस बातपर उन्होंने इतना जोर दिया है कि हम समाजके कल्याणके लिए उसे शक्तिके सर्वोत्कृष्ट रूपमे परिणत करें। उन्होंने तो स्पष्टरूपसे इस बातकी घोषणा की है कि जो (स्त्री और पुरुष) अपनी काम-वासनापर पूर्ण नियन्त्रण कर ले वह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी प्रकारकी इतनी शक्ति प्राप्त कर लेता है जो और किसी उपायसे प्राप्त नहीं की जा सकती।

ऐसे महान् ब्रह्मचारियोंकी अधिक सख्त्या क्या, एक भी कोई हमें अपने वीचमे दिखाई नहीं पड़ता, इससे पाठकोंको घबराना नहीं चाहिए। अपने वीच जो ब्रह्मचारी आज हमें दिखाई देते हैं वे सचमुच बहुत अपूर्ण नमूने हैं। उनके लिए तो बहुत-से-बहुत यही कहा जा सकता है कि वे ऐसे जिज्ञासु हैं, जिन्होंने अपने गरीरका संयम कर लिया है, पर मनपर अभी संयम नहीं कर पाये हैं। ऐसे दृढ़ वे अभी नहीं हुए हैं कि उनपर प्रलोभनका कोई असर ही न हो, लेकिन यह इसलिए नहीं है कि ब्रह्मचर्यकी प्राप्ति बहुत दुर्लभ है, वलिक सामाजिक वातावरण ही उसके विपरीत है और जो लोग ईमानदारीके साथ यह प्रयत्न कर रहे हैं उनमेंसे अधिकाश अनजाने सिर्फ इसी संयमका यत्न करते हैं, जबकि इसमे सफल होनेके लिए उन सब विषयों-के संयमका यत्न किया जाना चाहिए, जिनके चंगुलमे मनुष्य फस सकता है। इस तरह किया जाय तो साधारण स्त्री-पुरुषोंके लिए भी वैसे ही प्रयत्नकी आवश्यकता है जैसा कि किसी भी विज्ञानमे निष्णात होनेके अभिलापी किसी विद्यार्थीको करना पड़ता है। यहा जिस रूपमे ब्रह्मचर्य लिया गया है, उस रूपमे जीवन-विज्ञानमे निष्णात होना ही वस्तुत उसका अर्थ भी है।

हरिजन सेवक,

२१ मार्च १९३६

## नवयुवकोंसे !

आजकल कही-कही नवयुवकोंकी यह आदत-सी पड़ गई है कि बड़े-बड़े जो-कुछ कहे वह नहीं मानना चाहिए । मैं यह तो नहीं कहना चाहता कि उसके ऐसा माननेका विलकुल कोई कारण ही नहीं है; लेकिन देशके युवकोंको इस बातसे आगाह जरूर करना चाहता हूँ कि बड़े-बड़े स्त्री-पुरुषों द्वारा कही हुई हरेक बातको सिर्फ़ इसी कारण माननेसे इन्कार न करे कि उसे बड़े-बूढ़ोंने कहा है । अक्सर बुद्धिकी बात बच्चों तकके मुहसे जैसे निकल जाती है, उसी तरह बहुधा बड़े-बूढ़ोंके मुहसे निकल जाती है । स्वर्णनियम तो यही है कि हरेक बातको बुद्धि और अनुभवकी कसौटीपर कसा जाय, फिर वह चाहे किसीकी कही या बताई हुई क्यों न हो । कृत्रिम साधनोंसे सन्तति-निग्रहकी बातपर मैं अब आता हूँ । हमारे अन्दर यह बात जमा दी गई है कि अपनी विषय-वासनाकी पूर्ति करना भी हमारा वैसा ही कर्तव्य है, जैसे वैध रूपमें लिये हुए कर्जको चुकाना हमारा कर्तव्य है, और अगर हम ऐसा न करे तो उससे हमारी बुद्धि कुण्ठित हो जायगी । इस विषयेच्छाको सन्तानोत्पत्तिकी इच्छासे पृथक् माना जाता है और सन्तति-निग्रहके लिए कृत्रिम-साधनोंके समर्थकोंका कहना है कि जवतक सहवास करने वाले स्त्री-पुरुषको बच्चे पैदा करनेकी इच्छा न हो तबतक गर्भ-धारण नहीं होने देना चाहिए । मैं बड़े साहसके साथ यह कहता हूँ कि यह ऐसा सिद्धान्त है, जिसका कही भी प्रचार करना बहुत खतरनाक है, और हिन्दुस्तान-जैसे देशके लिए तो, यहा मध्य-श्रेणीके पुरुष अपनी जनने-नियका दुरुपयोग करके अपना पुरुषत्व ही खो बैठे हैं, यह और भी बुरा है । अगर विषयेच्छाकी पूर्ति कर्तव्य हो, तब तो जिस अप्राकृतिक व्यभिचारके वारेमें कुछ समय पहले मैंने लिखा था उसे तथा कामपूर्तिके कुछ

अन्य उपायोको भी ग्रहण करना होगा । पाठकोको याद रखना चाहिए कि वडे-वडे आदमी भी ऐसे काम पसन्द करते मालूम पड़ रहे हैं जिन्हे आम तौरपर वैष्यिक पतन माना जाता है । सम्भव है कि इस बातसे पाठकोको कुछ ठेस लगे, लेकिन अगर किसी तरह इसपर प्रतिष्ठाकी छाप लग जाय तो बालक-बालिकाओंमें अप्राकृतिक व्यभिचारका रोग बुरी तरह फैल जायगा । मेरे लिए तो कृत्रिम साधनोंके उपयोगसे कोई खास फर्क नहीं है, जिन्हे लोगोंने अभीनक अपनी विषयेच्छा-पूर्तिके लिए अपनाया है, और जिनसे ऐसे कुपरिणाम आये हैं कि बहुत कम लोग उनसे परिचित हैं । स्कूली लड़के-लड़कियोंमें गुप्त व्यभिचारने क्या तूफान मचाया है, यह मैं जानता हूँ । विज्ञानके नामपर सन्तति-निग्रहके कृत्रिम साधनोंके प्रवेश और प्रख्यात सामाजिक नेताओंके नामसे उनके छपानेसे स्थिति आज और भी पेचीदा हो गई है और सामाजिक जीवनकी शुद्धताके लिए सुधारकोका काम बहुत-कुछ सम्भव-सा हो गया है । पाठकोको यह बताकर मैं अपने-पर किये गए किसी विश्वासको भग नहीं कर रहा हूँ कि स्कूल-कालिजोंमें ऐसी अविवाहित जवान लड़किया भी है, जो अपनी पढाईके साथ-साथ कृत्रिम सन्तति-निग्रहके साहित्य व मासिक पत्रोंको वडे चावसे पढ़ती रहती है और कृत्रिम साधनोंको अपने साथ रखती है । इन साधनोंको विवाहिता स्त्रियोतक ही सीमित रखना असम्भव है । और, विवाहकी पवित्रता तो तभी लोप हो जाती है, जबकि उसके स्वाभाविक परिणाम सन्तानोत्पत्तिको छोटकर महज अपनी पाश्विक विषय-वासनाकी पूर्ति ही उसका सबसे बड़ा उपयोग मान लिया जाता है ।

मुझे इसमें कोई सदेह नहीं कि जो विद्वान् स्त्री-पुरुष सन्तति-निग्रहके कृत्रिम साधनोंके पक्षमें बड़ी लगनके साथ प्रचार-कार्य कर रहे हैं, वे इस झूठे विश्वासके साथ कि इससे उन वेचारी स्त्रियोंकी रक्षा होती है, जिन्हे अपनी इच्छाके विरुद्ध वच्चोंका भार सम्भालना पड़ता है, देशके युवकोंकी ऐसी हानि कर रहे हैं, जिसकी कभी पूर्ति ही नहीं हो सकती । जिन्हे अपने वच्चोंकी सख्त्या सीमित करनेकी ज़रूरत है, उन्तक तो आसानी से वे पहुँच भी नहीं सकेंगे, क्योंकि हमारे यहांकी गरीब स्त्रियोंको पश्चिमी

स्त्रियोंकी भाति ज्ञान या शिक्षण कहा प्राप्त है ? यह भी निःचय है कि मध्य-श्रेणीकी स्त्रियोंकी ओरसे भी यह प्रचार-कार्य नहीं हो रहा है; क्योंकि इस ज्ञानकी उन्हें उतनी जरूरत ही नहीं है, जितनी कि गरीब लोगोंको है।

उग प्रचार-कार्यसे सबसे बड़ी जो हानि हो रही है, वह तो पुराने आदर्शोंको छोड़कर उनकी जगह एक ऐसे आदर्शोंको अपनाना है, जो अगर अमलमें लाया गया तो जातिका नैतिक तथा भारीरिक सर्वनाश निश्चित है। प्राचीन ग्रास्त्रोंने व्यर्थ वीर्य-नाशकों जो भयावह वताया है, वह कुछ अज्ञान-जनित अन्ध-विश्वास नहीं है। कोई किनान अपने पासके सबसे बढ़िया वीजको वजर जमीनमें दोखे, या बढ़िया खादसे चूंब उपजाऊ बने हुए किंगी खेतके गालिको इस शर्तपर बढ़िया वीज मिले कि उसके लिए उनकी उपज करना ही सम्भव न हो तो उसे हम क्या कहेंगे ? परमेश्वरने गृष्ण करके पुरुषको तो बहुत बढ़िया वीज दिया है और स्त्रीको ऐसा बढ़िया खेत दिया है कि जिसमें बढ़िया इस भू-मङ्गलमें कोई मिल ही नहीं सकता। ऐसी हालतमें मनुष्य अपनी बहुमूल्य सम्पत्तिको व्यर्थ जाने दे तो यह उसकी दण्डनीय मूर्जता है। उन्हें तो चाहिए कि अपने पासके बढ़िया-बढ़िया हीरे-नवाहरात अथवा अन्य मूल्यवान वस्तुओंकी दृ जितनी देना-भाल रखता हो, उन्हें भी ज्यादा उसकी नार-महाल करे।

उनके दिमागमें ऐसी विचार-धारा भर देता है, जो मेरे ख्यालमें, गलत है। भारतके नौजवान स्त्री-पुरुषोंका भविष्य उनके अपने ही हाथोंमें है। उन्हे चाहिए कि इस भूठे प्रचारसे सावधान हो जाय और जो बहुमूल्य वस्तु परमेश्वरने उन्हे दी है, उसकी रक्षा करे, और जब वे उसका उपयोग करना चाहे तो सिर्फ उसी उद्देश्यसे करे कि जिसके लिए वह उन्हे दिया गया है।

हरिजन सेवक,

२८ मार्च १९३६

## कृत्रिम साधनोंसे सन्तति-निग्रह

एक सज्जन लिखते हैं :

“हालमे ‘हरिजन’मे श्रीमती सेंगर और महात्मा गांधीकी मुलाकातका जो विवरण प्रकाशित हुआ है उसके बारेमे मैं कुछ कहना चाहता हूँ।

“इस बातचीतमे जिस खास बातकी ओर ध्यान नहीं दिया गया मालूम पड़ता है वह यह है कि मनुष्य अन्ततोगत्वा कलाकार और उत्पादक है। कम-से-कम आवश्यकताओंकी पूर्तिपर ही वह सतोष नहीं करता; बल्कि सुन्दरता, रग-विरगापन और आकर्षण भी उसके लिए आवश्यक होता है। मुहम्मद साहबने कहा है कि ‘अगर तेरे पास एक ही पैसा हो तो उससे रोटी खरीद ले; लेकिन अगर दो हो तो एकसे रोटी खरीद और एकसे फूल।’ इसमे एक महान् भनोवैज्ञानिक सत्य निहित है—वह यह कि मनुष्य स्वभावतः कलाकार है, इसलिए हम उसे ऐसे कामोंके लिए भी प्रयत्नशील पाते हैं, जो महज उसके शरीर-धारणके लिए आवश्यक नहीं है। उसने तो अपनी आवश्यकताएँ कलाका रूप दे रखा है और उन कलाओंकी खातिर मनो खून बहाया है। मनुष्यकी उत्पादक-बुद्धि नई-नई कठिनाइयों और समस्याओंको पैदा करके उनका तैल निकालनेके लिए उसे प्रेरित करती रहती है। रूसो, रस्किन, टॉलस्टाय, थोरो और गांधी उसे जैसा ‘सरल-सादा’ बनाना चाहते हैं वैसा बन नहीं सकता। युद्ध भी उसके लिए एक आवश्यक चीज है; और उसे भी उसने एक महान् कलाके रूपमे परिणत कर दिया है।

“उसके मस्तिष्कको अपील करनेके लिए प्रकृतिका उदाहरण व्यर्थ है, क्योंकि वह तो उसके जीवनसे ही बिलकुल मेल नहीं खाती है। ‘प्रकृति उसकी शिक्षिका नहीं बन सकती।’ जो लोग प्रकृतिके नामपर अपील करते हैं वे यह भूल करते हैं कि प्रकृतिमे केवल पर्वत तथा उपत्यकाएँ और कुसुम-

क्यारिया ही नहीं है, बल्कि वाढ़, भभावात और भूकम्प भी है। कद्वर निराकारवादी नीत्सेका कहना है कि कलाकारकी दृष्टिसे प्रकृति कोई आदर्ग नहीं है। वह तो अत्युक्ति तथा विश्वतीकरणसे काम लेती है और वहुत-सी चीजोंको छोड़ जाती है। प्रकृति तो एक आकस्मिक घटना है। 'प्रकृतिसे अध्ययन करना' कोई अच्छा चिह्न नहीं है, क्योंकि इन नगण्य चीजोंके लिए धूलमें लोटना अच्छे कलाकारके योग्य नहीं है। भिन्न प्रकारकी वृद्धिके कार्यको, कला-विरोधी मामूली वातोंको, देखनेके लिए यह आवश्यक है कि हम यह जाने कि हम क्या है? हम यह जानते हैं कि जगली जानवर अपने शरीरको बनाये रखनेकी आवश्यकतावश कच्चा मास खाते हैं, स्वाद-वश नहीं। यह भी जानते हैं कि प्रकृतिमें तो पशुओंसे समागमकी क्रृतुए होती है। क्रृतुओंके अतिरिक्त कभी मैथुन होता ही नहीं, लेकिन उसी फिलासफरके अनुसार यह तो अच्छे कलाकारके योग्य नहीं है। जो मनुष्य स्वभावत, अच्छा कलाकार है इसलिए जब सन्तानोत्पत्तिकी आवश्यकता न रहे तब मैथुन-कार्यको बन्द कर देना या केवल सन्तानोत्पत्तिकी स्पष्ट डच्छासे प्रेरित होकर ही मैथुन करना, इतनी प्राकृतिक, इतनी मामूली, इतनी हिसाब-किताबकी-सी बात है कि हमारे फिलासफरके कथनानुसार वह उसकी कला-प्रेमी प्रकृतिको अपील नहीं कर सकता। इसलिए वह तो स्त्री-पुरुषके प्रेमको एक बिलकुल दूसरे पहलूसे देखता है—ऐसे पहलूमें जिसका सन्तान-वृद्धिसे कोई सम्बन्ध नहीं। यह बात हेवलॉक एलिस और मेरी स्टोप्स-जैसे आप्त पुरुषोंके कथनोंसे स्पष्ट होती है। यह इच्छा यद्यपि आत्मासे उत्पन्न होती है, पर वह शारीरिक सम्भोगके बिना अपूर्ण रह जाती है। यह उस समयतक रहेगा जबतक हम इस अशको केवल आत्मामें पूरा नहीं कर सकते और उसके लिए शारीरयत्रकी आवश्यवता समझते हैं। ऐसे ही सहवासके परिणामका सामना करना बिलकुल दूसरी समस्या है। यही सन्तान-निग्रहके आन्दोलनका काम आ जाता है, पर यह काम अगर स्वयं आत्माकी ही पुन व्यवस्था पर छोड़ दिया जाय और वाह्य अनुग्रासन द्वारा—आत्म-संयमके माने इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है—तो हमें यह आशा नहीं होती कि उससे जिन उद्देश्योंकी पूर्ति होनी चाहिए।

उन सवको वह सिद्ध कर सकेगा । न इससे विना सुदृढ़ मनोवैज्ञानिक आधारके सन्तति-निग्रह ही हो सकता है ।

“अपनी बातको समाप्त करनेसे पहले मैं यह और कहूगा कि आत्म-सयम या ब्रह्मचर्यका महत्व मैं किसी प्रकार कभी नहीं करना चाहता । वैष्यिक नियन्त्रणको पूर्णतापर ले जानेवाली कलाके रूपमे मैं हमेशा उसकी सराहना करूगा; लेकिन जैसे अन्य कलाओंकी सम्पूर्णता हमारे जीवनमे, (और नीत्सेके अनुसार) हमारे सारे जीवनमे, कोई हस्तक्षेप नहीं करती, वैसे ही ब्रह्मचर्यके आदर्शकों मैं दूसरी बातोपर प्रभुत्व पानेका सहारा नहीं बनने दूगा—जनसख्या-वृद्धि-जैसी समस्याओंके हल करनेका साधन तो वह और भी कम है । हमने इसका कैसे हौवा बना डाला है । युद्धकालीन वच्चोंके बारेमे तो हम जानते ही हैं । जिन सैनिकोंने अपना खून बहाकर अपने देशवासियोंके लिए समरागणमे विजय प्राप्त की, क्या हम इरीलिए उन्हे इसका श्रेय न देंगे कि उन्होंने रणक्षेत्रमे भी बच्चे पैदा कर डाले ? नहीं, कोई ऐसा नहीं करेगा । मैं समझता हूँ कि इन बातोंको मद्देनजर रखकर ही शास्त्रों (प्रश्नोपनिषद्)मे यह कहा गया है कि ‘ब्रह्मचर्यमेव तद्यद्रात्रौ रत्या सयुज्यते’ अर्थात् केवल रात्रिमे ही.. (याने दिनके असाधारण समयको छोड़कर) सहवास किया जाय तो वह ब्रह्मचर्य ही जैसा है । यहा साधारण वैष्यिक जीवनको भी ब्रह्मचर्यके ही समान बताया गया है, उसमे इतनी कठोरता तो जीवनके विविध रूपोंमे उलट-फेर करनेके फलस्वरूप ही आई है ।”

जो भी कोई ऐसी चीज हो, जिसमे कोरा शब्दाङ्गम्वर, गालीगलौज या आरोप-आक्षेप न हो उसे मैं सहर्ष प्रकाशित करूगा, जिससे पाठकोंके सामने समस्याके दोनों पहलू आ जाय, और वे अपने आप किसी निर्णयपर पहच सके । इसलिए इस पत्रको मैं बड़ी खुशीके साथ प्रकाशित करता हूँ । खुद मैं भी यह जाननेके लिए उत्सुक हूँ कि जिस बातको विज्ञान-सिद्ध और हितकारी होनेका दावा किया जाता है तथा अनेक प्रमुख व्यक्ति जिसका समर्थन करते हैं, उसका उज्ज्वल पक्ष देखनेकी कोशिश करनेपर भी मुझे वह क्यों इतनी खलती है ?

लेकिन मेरे सन्तोषकी कोई ऐसी वात सिद्ध नहीं होती, जिससे मुझे इसका विश्वास हो जाय कि विवाहित जीवनमें मैथुन स्वय कोई अच्छाई है और उसे करनेवालोंको उससे कोई लाभ होता है। हाँ, अपने खुदके तथा दूसरे अनेक अपने मित्रोंके अनुभवके आधारपर इससे विपरीत वात मैं ज़रूर कह सकता हूँ। हमसे किसीने भी मैथुन द्वारा कोई मानसिक, आध्यात्मिक या शारीरिक उन्नति की हो, यह मैं नहीं जानता। क्षणिक उत्तेजन और सन्तोष तो उससे अवश्य मिला, लेकिन उसके बाद ही थकावट भी जरूर हुई और जैसे ही उस थकावटका असर मिटा नहीं कि मैथुनकी इच्छा तुरन्त ही फिर जागृत हो गई। हालांकि मैं सदासे जागरूक रहा हूँ, फिर भी अच्छी तरह मुझे याद है कि इस विकारसे मेरे कामोंमें बड़ी वाधा पड़ी है। इस कमजोरीको समझकर ही मैंने आत्म-संयमका रास्ता पकड़ा, और इसमें सन्देह नहीं कि तुलनात्मक रूपसे काफी लम्बे-लम्बे समयतक मैं जो वीमारीसे बचा रहता हूँ और शारीरिक एवं मानसिक रूपसे जो इतना अधिक और विचित्र प्रकारका काम कर सकता हूँ कि जिसे देखनेवालोंने अद्भुत बतलाया है, उसका कारण मेरा यह आत्म-संयम या ब्रह्मचर्य-पालन ही है।

मुझे भय है कि उक्त सज्जनने जो-कुछ पढ़ा उसका उन्होंने गलत अर्थ लगाया है। मनुष्य कलाकार और उत्पादक है इसमें तो कोई शक नहीं, सुन्दरता और रंग-विरंगापन भी उसे चाहिए ही, लेकिन मनुष्यकी कलात्मक और उत्पादक प्रवृत्तिने अपने सर्वोत्तम रूपमें उसे यहीं सिखाया है कि वह आत्म-संयममें कलाका और अनुत्पादक (जो सन्तानोत्पत्तिके लिए न हो) ऐसे सहवासमें अ-सुन्दरताका दर्शन करे। उसमें कलात्मकताकी जो भावना है, उसने उसे विवेकपूर्वक यह जाननेकी शिक्षा दी है कि विविध रंगोंका चाहे-जैसा मिश्रण सौन्दर्यका चिह्न नहीं है, और न हर तरहका आनन्द ही अपने-आपमें कोई अच्छाई है। कलाकी ओर उसकी जो दृष्टि है उसने उसे यह सिखाया है कि वह उपयोगितामें ही आनन्दकी खोज करे, याने वही आनन्दोपभोग करे, जो हितकर हो। इस प्रकार अपने विकासके प्रारम्भिक कालमें ही उसने यह जान लिया था कि खानेके लिए ही उसे

खाना नहीं खाना चाहिए, जैसा कि हममेंसे कुछ लोग अभी भी करते हैं; बल्कि जीवन टिका रहे इसलिए खाना चाहिए। बादमें उसने यह भी जाना कि जीवित रहनेके लिए ही उसे जीवित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने सहजीवियों और उनके द्वारा उस प्रभुकी सेवाके लिए उसे जीना चाहिए, जिसने उसे तथा उन सबको बनाया या पैदा किया है। इसी प्रकार जब उसने विषय-सहवास या मैथुनजनित आनन्दकी बात पर विचार किया तो उसे मालूम पड़ा कि अन्य प्रत्येक इन्द्रियकी भाँति जननेद्रियका भी उपयोग दुरुपयोग होता है और इसका उचित कार्य याने सदुपयोग इसीमें है कि केवल प्रजनन या सन्तानोत्पत्तिके ही लिए सहवास किया जाय इसके सिवा और किसी प्रयोजनसे किया जानेवाला सहवास अ-सुन्दर है और ऐसा करनेवाला व्यक्ति और उसकी नस्लके लिए उसके बहुत भयकर परिणाम हो सकते हैं। मैं समझता हूँ, अब इस दलीलको और आगे बढ़ानेकी कोई ज़रूरत नहीं।

उक्त सज्जनका यह कहना ठीक है कि मनुष्य आवश्यकतासे प्रेरित होकर कलाकी रचना करता है। इस प्रकार आवश्यकता न केवल आविष्कारकी जननी है, बल्कि कलाकी भी जननी है। इसलिए जिस कलाका आधार आवश्यकता नहीं है, उससे हमे सावधान रहना चाहिए।

साथ ही, अपनी हरेक इच्छाको हमे आवश्यकताका नाम नहीं देना चाहिए। मनुष्यकी स्थिति तो एक प्रकारसे प्रयोगात्मक है। इस बीच आसुरी और दैवी दोनों प्रकारकी शक्तिया अपने खेल खेलती है। किसी भी समय वह प्रलोभनका शिकार हो सकता है। अत प्रलोभनसे लड़ते हुए, उनका शिकार न बननेके रूपमें उसे अपना पुरुषार्थ सिद्ध करना है। जो अपने माने हुए बाहरी दुश्मनोंसे तो लड़ता है, किन्तु अपने अन्दरके विविध शत्रुओंके आगे अगुली भी नहीं उठा सकता या उन्हे अपना मित्र समझनेकी गलती करता है, वह योद्धा नहीं है। “उसे युद्ध तो करना ही चाहिए”—लेकिन उक्त सज्जनका यह कहना गलत है “कि उसे भी उसने (मनुष्यने) एक महान् कलाके ही रूपमें परिणत कर दिया है।” क्योंकि युद्धकी कला तो हमने अभी शायद ही सीखी हो। हमने तो भूठे युद्धको

उसी तरह सच्चा मान लिया है, जैसे हमारे पूर्व पुरुषोंने बलिदानका गलत अर्थ लगाकर बजाय अपनी दुर्वासिनाओंके, बेचारे निर्दोष पशुओंका बलिदान शुरू कर दिया। अबीसीनियाकी सीमामें आज जो-कुछ हो रहा है, उसमें निश्चय ही न तो कोई सौन्दर्य है और न कोई कला। उक्त सज्जनने उदाहरणके लिए जो नाम चुने हैं, वे भी (अपने) दुर्भाग्यसे ठीक नहीं चुने, क्योंकि रूसों, रस्किन, थोरो और टॉलस्टाय तो अपने समयमें प्रथम श्रेणीके कलाकार थे और उनके नाम हममेंसे अनेकोंके मरकर भुला दिये जानेके बाद भी वैसे ही अमर रहेगे।

‘प्रकृति’ शब्दका उक्त सज्जनने जो उपयोग किया है, वह भी ठीक नहीं किया मालूम पड़ता है। प्रकृतिका अनुसरण या अध्ययन करनेके लिए जब मनुष्योंको प्रेरित किया जाता है तो उनसे यह नहीं कहा जाता कि वे जगली कीड़े-मकोड़ों या शेरकी तरह काम करने लगे, बल्कि यह अभिप्राय होता है कि मनुष्यकी प्रकृतिका उसके सर्वोत्तम रूपमें अध्ययन किया जाय। मेरे ख्यालसे वह सर्वोत्तम रूप मनुष्यकी नई सृष्टि पैदा करनेकी प्रकृति है, या जो-कुछ भी वह हो, उसीके अध्ययनके लिए कहा जाता है, लेकिन शायद इस बातको जाननेके लिए काफी प्रयत्नकी आवश्यकता है। पुराने लोगोंके उदाहरण देना आजकल ठीक नहीं है। उक्त सज्जनसे मेरा कहना है कि नीत्से या प्रश्नोपनिषद्‌को बीचमे घुसेड़ना व्यर्थ है। मेरे लिए तो इस बारेमें अब उद्धरणोंकी कोई जरूरत नहीं रही है। देराना यह है कि जिस बारेमें हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें तर्क क्या कहता है? प्रश्न यह है कि हम जो यह कहते हैं कि जननेद्वियका सदुपयोग केवल इसीमें है कि प्रजनन या सन्तानोत्पत्तिके लिए ही उसका उपयोग किया जाय और उसका अन्य कोई उपयोग दुरुपयोग ही है, यह बात ठीक है या नहीं? अगर यह ठीक है, तो फिर दुरुपयोगको रोककर सदुपयोग पर जानेमें कितनी ही कठिनाई व्यों न हो, उससे वैज्ञानिक शोधकको घबराना नहीं चाहिए।

हरिजन सेवक,

४ अप्रैल १९३६

## सुधारक बहनोंसे

एक बहनसे गम्भीरतापूर्वक मेरी जो बातचीत हुई उससे मुझे भय होता है कि कृत्रिम सन्तति-निरोध-सम्बन्धी मेरी स्थितिको अभीतक लोगोने काफी अच्छी तरह नहीं समझा । कृत्रिम सन्तति-निरोधके साधनोका मैं जो विरोध करता हूँ वह इस कारण नहीं कि वे हमारे यहा पश्चिमसे आये हैं । कुछ पश्चिमी चीजे तो हमारे लिए वैसी ही उपयोगी हैं जैसी कि वे पश्चिमके लिए हैं और कृतज्ञताके साथ मैं उनका प्रयोग करता हूँ । अतएव कृत्रिम सन्तति-निरोधके साधनोंसे मेरा विरोध तो केवल उनके गुण-दोषकी दृष्टिसे ही है ।

मैं यह मानता हूँ कि कृत्रिम सन्तति-निग्रहके साधनोका प्रतिपादन करनेवालोंमे जो सबसे अधिक बुद्धिमान् हैं वे उन्हे उन स्थियोतक ही मर्यादित रखना चाहते हैं जो सन्तानोत्पत्तिसे वचते हुए अपनी और अपने पतियोकी विषय-वासनाको तृप्त करना चाहती हैं, लेकिन मेरे ख्यालमे, मानव-प्राणियोंमे यह इच्छा अस्वाभाविक है और इसको तृप्त करना मानव-कुटुम्बकी आध्यात्मिक गतिके लिए घातक है । इसके खिलाफ अन्य वातोंके साथ अक्सर पेन के लार्ड डासनकी यह राय पेश की जाती है

“विषय-सम्बन्धी प्रेम ससारकी एक प्रचड और प्रधान शक्ति है । हमारे अन्दर यह भावना इतनी तीव्र, मौलिक और बलवती होती है कि हमें इसके प्रभावको तथ्य-रूपमे स्वीकार करना ही होगा, आप इसका दमन नहीं कर सकते । आप चाहे तो इसे अच्छे रूपमे परिणत कर सकते हैं, किन्तु इसके प्रवाहको रोक नहीं सकते । और यदि इसके प्रवाहका लोत अपर्याप्त या जल्दरतसे ज्यादा प्रतिवन्ध-युक्त हुआ तो यह अनियमित

स्त्रेतोर्से निकल पड़ेगा । आत्म-सयममे हानिकी सम्भावना रहती है । और यदि किसी जातिमे विवाह होनेमे कहिनाई होती हो या बहुत देरमे जाकर विवाह होते हों तो उसका अनिवार्य परिणाम यह होगा कि अनुचित सम्बन्धोंकी वृद्धि हो जायगी । इस बातको तो सभी मानते हैं कि शारीरिक सहवास तभी होना चाहिए जब मन और आत्मा भी उसके अनुकूल हो और इस बातपर भी सब सहमत हैं कि सन्तानोत्पत्ति ही उसका प्रधान उद्देश्य है; लेकिन क्या यह सच नहीं है कि वारम्बार हम जो सम्भोग करते हैं वह हमारे प्रेमका शारीरिक प्रदर्शन ही होता है, जिसमे सन्तानोत्पत्तिका कोई विचार या इरादा नहीं होता । तो क्या हम सब गलत ही करते आ रहे हैं ? या, यह बात है कि धर्मका हमारे वास्तविक जीवनसे आवश्यक सम्पर्क नहीं है, जिसके कारण उसके और सर्वसाधारणके बीच खाई पड़ गई है ? जबतक किसी सत्ता या शासकका, और धर्माधिकारियोंको भी मैं इन्हीमे शुमार करता हूँ, रुख नौजवानोंके प्रति अधिक स्पष्ट, अधिक साहसपूर्ण और वास्तविकताके अधिक अनुकूल न होगा तबतक उनकी वफादारी कभी प्राप्त नहीं होगी ।

“फिर सन्तानोत्पत्तिके अलावा भी विषय-प्रेमका अपना प्रयोजन है । विवाहित जीवनमे स्वस्थ और सुखी रहनेके लिए यह अनिवार्य है । वैषयिक सहवास यदि परमेश्वरकी देन है तो उसके उपयोगका ज्ञान भी प्राप्त करनेके लायक है । अपने क्षेत्रमे यह इस तरह पैदा किया जाना चाहिए जिससे न केवल एक की; बल्कि सम्भोग करने वाले स्त्री-पुरुष दोनोंकी शारीरिक तृप्ति हो । इस तरह एक-दूसरेको जो शारीरिक आनन्द प्राप्त होगा उससे उन दोनोंमे एक स्थायी बन्धन स्थापित होगा, उससे उनका विवाह-सम्बन्ध स्थिर होगा । अत्यधिक विषय-प्रेमसे उतने विवाह असफल नहीं होते जितने कि अपर्याप्त और बेढगे वैषयिक प्रेमसे होते हैं । काम-वासना अच्छी चीज है, ऐसे अधिकाश व्यक्ति, जो किसी भी रूपमे अच्छे हैं, काम-भावना रखनेमे समर्थ है । काम-भावना-विहीन विषय-प्रेम तो विलकूल बेजान चीज है । दूसरी ओर ऐयाशी पेटूपनके समान एक शारीरिक अति है । अब चूंकि ‘प्रार्थना-पुस्तक’ के परिवर्द्धन पर विचार हो रहा है,

मैं यह बड़े आदरके साथ सुभाना चाहता हूँ कि उसके विवाह-विधानम् यह और जोड़ दिया जाय कि 'स्त्री और पुरुषके पारस्परिक प्रेमकी सम्पूर्ण अभिव्यक्ति ही विवाहका उद्देश्य है' ।

"अब मैं यह सब छोड़कर सन्तति-निग्रहके सबसे जरूरी प्रश्न पर आता हूँ । सन्तति-निग्रह स्थायी होनेके लिए आया है । वह तो अब जम चुका है .. और अच्छा हो या बुरा, उसे हमको स्वीकार करना ही होगा । इन्कार करनेसे उसका अन्त नहीं होगा । जिन कारणोंसे प्रेरित होकर अभिभावक लोग सन्तति-निग्रह करना चाहते हैं, उनमे कभी-कभी तो स्वार्थ होता है, लेकिन वे बहुधा आदरणीय और उचित ही होते हैं । विवाह करके अपनी सन्तानको जीवन-सघर्षके योग्य बनाना, मर्यादित आय, जीवन-निर्वाहका खर्च, विविध करोका बोझ—ये सब इसके लिए ज्ञोरदार कारण हैं । और फिर शिक्षितवर्गके अन्दर स्त्रिया अपने पतियोंके काम-धन्धों तथा सार्वजनिक जीवनमे भाग लेनेकी भी इच्छा करती है । यदि वे बार-बार गर्भवती होती रहे तो वे इच्छाए पूरी नहीं हो सकती । यदि सन्तति-निग्रहके कृत्रिम साधनोका सहारा न लिया जाय तो देरमे विवाह करनेका तरीका अस्तियार करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होनेपर उसके साथ अनुचित (गुप्त) रूपसे अपनी विषयेच्छा तृप्त करनेके विविध दुष्परिणाम सामने आयगे । एक ओर तो हम ऐसे अनुचित सम्बन्धोकी बुराई करे और दूसरी ओर विवाहके मार्गमे वाधाएं उपस्थित करे तो उससे कोई लाभ न होगा । बहुत-से लोग कहते हैं 'सम्भव है कि सन्तति-निग्रह करना ठीक हो सकता है वह तो स्वेच्छापूर्ण सयम ही है'; लेकिन ऐसा सयम या तो व्यर्थ होगा या यदि उसका कोई असर पड़ा तो वह अव्यावहारिक और स्वास्थ्य व सुखके लिए हानिकर होगा ।' परिवारके लिए, मान लो, हम चार बच्चोंकी मर्यादा बना ले, तो यह विवाहित स्त्री-पुरुषके लिए एक तरहका सयम ही होगा, जो देर-देरमे सतानोत्पत्ति होनेके कारण ब्रह्मचर्यके समान ही माना जायगा । और जब हम इस बातपर ध्यान दे कि आर्थिक कठिनाईके कारण विवाहित जीवनके प्रारम्भिक वर्षोंमे बहुत कठोर सयम करना पड़ेगा, जब कि विषयेच्छा बहुत प्रवल रहती है, तो मैं

कहता हूँ कि वह इच्छा इतनी तीव्र होगी कि अधिकाश व्यक्तियोंके लिए उसका दमन करना असभव होगा और यदि उसे जर्वर्डस्ती दबानेका यत्न किया तो स्वास्थ्य और सुखपर उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा और नैतिकताके लिए भी वह बहुत खतरनाक होगा । यह तो विलकुल अस्वाभाविक वात है । यह तो वही वात हुई कि प्यासे आदमीके पास पानी रखकर उससे कहा जाय कि खबरदार, इसे पीना मत । नहीं, स्यम द्वारा सन्तति-निग्रहसे कोई लाभ न होगा और यदि इसका असर हुआ भी तो वह विनाशक होगा ।

“यह तो अस्वाभाविक और मूलत अनैतिक वात कही जाती है । सम्यताका तो काम ही यह है कि प्राकृतिक शक्तियोंको वशमे करके उन्हे इस तरह परिणत कर लिया जाय कि मनुष्य अपनी इच्छानुसार उनका उपयोग कर सके । वच्चा आसानीसे पैदा करनेके लिए जब पहले-पहल औजारो (Anaesthetics) का प्रयोग शुरू हुआ तो यही शोर मचाया गया था कि ऐसा करना अस्वाभाविक और अधार्मिक काम है, ज्योंकि प्रसव-पीड़ा सहनेके लिए ही तो भगवान्‌ने स्त्रियोंको बनाया है । यही वात कृत्रिम साधनोंसे सन्तति-निग्रह करनेकी है, उसमे भी इससे अधिक कोई अस्वाभाविकता नहीं है । उनका प्रयोग तो अच्छा ही है, अलवत्ता दुरुपयोग नहीं करना चाहिए । अतमे क्या मैं यह प्रार्थना करूँ कि धर्माधिकारी लोग इस प्रश्नका विचार करते समय इन पुरातन परम्पराओंकी परवाह नहीं करेंगे जो व्यर्थ-सी हो गई है, वल्कि ऐसे ही अन्य कुछ प्रबन्धोंकी तरह, नथे मसारकी आवश्यकताओं और आधुनिक ज्ञानके प्रकाशमे ही इस प्रश्नपर विचार करेंगे ?”

यह कितने बड़े डॉक्टर हैं इससे इन्कार नहीं किया जा सकता, लेकिन डॉक्टरके रूपमे उनका जो बड़प्पन है, उसके लिए काफी आदरका भाव रखते हुए भी मैं इस वातपर सन्देह करनेका साहस करता हूँ कि उनका यह कथन कहातक ठीक है, खासकर उस हालतमे जबकि यह उन स्त्री-पुरुषोंके अनुभवके विपरीत है, जिन्होंने आत्म-स्यमका जीवन विताया है, किन्तु उससे उनकी कोई नैतिक या शारीरिक हानि नहीं हुई । वस्तुत वात यह है कि डॉक्टर लोग आमतौरपर उन्हीं लोगोंके सम्पर्कमे आते हैं

जो स्वास्थ्यके नियमोंकी अवहेलना करके कोई-न-कोई बीमारी मोल ले लेते हैं। इसलिए बीमारीके अच्छा होनेके लिए क्या करना चाहिए, यह तो वे अक्सर सफलताके साथ बता देते हैं, लेकिन यह बात वे हमेशा नहीं जानते कि स्वस्थ स्त्री-पुरुष किसी खास दिशामे क्या कर सकते हैं? अतएव विवाहित स्त्री-पुरुषों पर सयमके जो असर पड़नेकी बात लार्ड डासन कहते हैं उसे अत्यन्त सावधानीके साथ ग्रहण करना चाहिए। इसमें सन्देह नहीं कि विवाहित स्त्री-पुरुष अपनी विषय-तृप्तिको स्वतः कोई बुराई नहीं मानते, उनकी प्रवृत्ति उसे वैध माननेकी ही है, लेकिन आवृत्तिक युगमे तो कोई बात स्वयसिद्ध नहीं मानी जाती और हरेक चीजकी बारीकीसे छान-बीन की जाती है। अत यह मानना सरासर गलती होगी कि चूंकि अवतक हम विवाहित जीवनमें विषय-भोग करते रहे हैं इसलिए ऐसा करना ठीक ही है या स्वास्थ्यके लिए उसकी आवश्यकता है। बहुत-सी पुरानी प्रथाओंको हम छोड़ चुके हैं और उसके परिणाम अच्छे ही हुए हैं। तब इस खास प्रथाको ही उन स्त्री-पुरुषोंके अनुभवकी क्षौटी पर क्यों न कसा जाय, जो विवाहित होते हुए भी एक-दूसरेकी सहमतिसे सयमका जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उससे नैतिक तथा शारीरिक दोनों तरहका लाभ उठा रहे हैं?

लेकिन मैं तो, इसके अलावा, विशेष आधारपर भी भारतमें सन्तति-निप्रहके कृत्रिम साधनोंका विरोधी हूँ। भारतमें नवयुवक यह नहीं जानते कि विषय-दमन क्या है? इसमें उनका कोई दोष नहीं है। छोटी उम्रमें ही उनका विवाह हो जाता है, यह यहांकी प्रथा है, और विवाहित जीवनमें सयम रखनेको उनसे कोई नहीं कहता। माता-पिता तो अपने नाती-पोते देखनेको उत्सुक रहते हैं। वे चारी वाल-पत्नियोंसे उसके आस-पास वाले यहीं आशा करते हैं कि जितनी जल्दी हो वे पुत्रवती हो जाय। ऐसे बातावरणमें सन्तति-विरोधक कृत्रिम साधनोंसे तो कठिनाइया थोर बढ़ेगी ही। जिन वेचारी लड़कियोंसे यह आशा की जाती है कि वे अपने पत्नियोंकी इच्छा-पूर्ति करेंगी, उन्हें अब यह और सिखाया जायगा कि वच्चे पेटा तो न करे, पर विषय-भोग किये जायं, इसीमें उनका भला है। और इस दुहरे

उद्देश्यकी सिद्धिके लिए उन्हे सन्तति-निरोधके कृत्रिम साधनोका सहारा लेना होगा । । ।

मैं तो विवाहित बहनोके लिए इस विद्याको बहुत घातक समझता हूँ । मैं यह नहीं मानता कि पुरुषकी तरह स्त्रीकी काम-वासना भी अदम्य होती है । मेरी समझमे, पुरुषकी अपेक्षा स्त्रीके लिए आत्म-संयम करना ज्यादा आसान है । हमारे देशमे जरूरत वस इसी बातकी है कि स्त्री अपने पति तकसे 'न' कह सके, ऐसी सुशिक्षा स्त्रियोको मिलनी चाहिए । स्त्रियोको हमे यह सिखा देना चाहिए कि वे अपने पतियोके हाथकी कठपुतली या औजार-मात्र बन जाय, यह उनके कर्तव्यका अग नहीं है । और कर्तव्यकी ही तरह उनके अधिकार भी हैं । जो लोग सीताको रामकी आज्ञानु-वर्त्तनी दासीके रूपमे ही देखते हैं वे इस बातको महसूस नहीं करते कि उनमे स्वाधीनताकी भावना कितनी थी और राम हरेक बातमे उनका कितना खयाल रखते थे । भारतकी स्त्रियोमे सन्तति-निरोधके कृत्रिम साधन अख्तियार करनेके लिए कहना तो विलकुल उल्टी बात है । सबसे पहले तो उन्हे मानसिक दासतासे मुक्त करना चाहिए, उन्हे अपने शरीरकी पवित्रताकी शिक्षा देकर राष्ट्र और मानवताकी सेवामे कितना गौरव है, इस बातकी शिक्षा देनी चाहिए । यह सोच लेना ठीक नहीं है कि भारतकी स्त्रियोका तो उद्धार ही नहीं हो सकता, और इसलिए सन्तानोत्पत्तिमे स्कावट डालकर अपने रहे-सहे स्वास्थ्यकी रक्खाके लिए उन्हे सिर्फ सन्तति-नियंत्रके कृत्रिम साधन ही सिखा देने चाहिए ।

जो बहने सचमुच उन स्त्रियोके दुखसे दुखी है, जिन्हे इच्छा हो या न हो फिर भी वच्चोके भ्रमेलेमे पड़ना पड़ता है, उन्हे अधीर नहीं होना चाहिए । वे जो-कुछ चाहती हैं, वह एकदम तो कृत्रिम सन्तति-निरोधके साधनोके पक्षमे आन्दोलनसे भी नहीं होनेवाला है । हरेक उपायके लिए सवाल तो शिक्षाका ही है । इसलिए मेरा कहना यही है कि वह हो अच्छे ढंगकी ।

हरिजन सेवक,  
२ मई १९३६

## फिर वही संयमका विषय

एक सज्जन लिखते हैं :

“इन दिनों आपने ब्रह्मचर्यपर जो लेख लिखे हैं, उनसे लोगोंमें खलबली-सी मच गई है। जिनकी आपके विचारोंके साथ सहानुभूति है उन्हे भी लम्बे असेंटक संयम रख सकना मुश्किल पड़ रहा है। उनकी यह दलील है कि आप अपना ही अनुभव और अभ्यास सारी मानव-जातिपर लागू कर रहे हैं; परन्तु आपने खुद भी तो कबूल किया है कि आप पूरे ब्रह्मचारी-की शर्तें पूरी नहीं कर सकते; क्योंकि आप स्वयं विकारसे खाली नहीं हैं और चूंकि आप यह भी मानते हैं कि दम्पतिको सतानकी सख्ता सीमित रखनेकी ज़रूरत है, इसलिए अधिकाश मनुष्योंके लिए तो एक यही व्यावहारिक उपाय है कि वे सतति-निरोधके कृत्रिम साधन काममें लावे।”

मैं अपनी मर्यादाएं स्वीकार कर चुका हूँ। इस विवादमें तो ये ही मेरे गुण हैं। कारण, मेरी मर्यादाओंसे यह स्पष्ट हो जाता है कि मैं भी अधिकाश मनुष्योंकी भाति दुनयवी आदमी हूँ और असाधारण गुणवान् होनेका मेरा दावा भी नहीं है। मेरे संयमका हेतु भी बिलकुल मामूली था। मैं तो देश या मनुष्य-समाजकी सेवाके ख्यालसे सन्तान-वृद्धि रोकना चाहता था। देश या समाजकी सेवाकी बात दूरकी है। इसकी अपेक्षा बड़े कुटुम्बका पालन न कर सकना सतति-नियमनके लिए अधिक प्रबल कारण होना चाहिए। वर्तमान दृष्टिकोणसे इस पैतीस वर्षके संयममें मुझे सफलता मिली है। फिर भी मेरा विकार नष्ट नहीं हुआ है और उसके विषयमें मुझे आज भी जागरूक रहनेकी ज़रूरत है। इससे भली-भाति सिद्ध है कि मैं बहुत-कुछ साधारण मनुष्य हूँ। इसलिए मेरा कहना

है कि जो वात मेरे लिए सम्भव हुई है वही दूसरे किसी भी प्रयत्नशील मनुष्यके लिए सभव हो सकती है।

कृत्रिम उपायोके समर्थकोके साथ मेरा झगड़ा इस वातपर है कि वे यह मान वैठे हैं कि मामूली मनुष्य संयम रख ही नहीं सकता। कुछ लोग तो यहातक कहते हैं कि यदि वह समर्थ हो भी तो उसे संयम नहीं रखना चाहिए। ये लोग अपने क्षेत्रमें कितने भी बड़े आदमी हो, मैं अत्यन्त विनम्रता किन्तु विश्वासके साथ कहूँगा कि उन्हे इस वातका अनुभव नहीं है कि संयमसे क्या-क्या हो सकता है। उन्हे मानवीय आत्माके मर्यादित करनेका कोई हक नहीं है। ऐसे मामलोमें मेरे जैसे एक आदमीकी निश्चित गवाही भी, यदि वह विश्वस्त हो, तो न केवल अधिक मूल्यवान है, बल्कि निर्णायिक भी है। सिर्फ इसी वजहसे कि मुझे लोग 'महात्मा' समझते हैं, मेरी गवाहीको निकम्मी करार दे देना गम्भीर खोजकी दृष्टिसे उचित नहीं है।

परन्तु एक वहनकी दलील और भी जोरदार है। उनके कहनेका मतलब यह है—“हम कृत्रिम उपायोके समर्थक लोग तो हाल हीमें सामने आये हैं। मैदान आप संयमके समर्थकोके हाथमें पीढ़ियोसे, शायद हजारों वर्षोंसे, रहा है, तो आप लोगोने क्या कर दिखाया? क्या दुनियाने संयमका सवक सीख लिया है? वच्चोके भारसे लदे हुए परिवारोकी दुर्दशा रोकनेके लिए आप लोगोने क्या किया है? आहत माताओंकी पुकारको आप लोगोने सुना है? आइए, अब भी मैदान आप लोगोके लिए खाली है। आप संयमका समर्थन करते रहिए, हमें इसकी चिन्ता नहीं है, और अगर आप पतियोकी जवर्दस्तीमें स्त्रियोको बचा सकें तो हम आपकी सफलता भी चाहेंगे, मगर आप हमारे तरीकोकी निन्दा क्यों करते हैं? हम तो मनुष्यकी साधारण कमजोरियों और आदतोके लिए गुजाइश रखकर चलते हैं और हम जो उपाय करते हैं अगर उनका ठीक-ठीक प्रयोग किया जाय, तो वे करीब-करीब अचूक सावित होते हैं।”

इस व्यगमें स्त्री-हृदयकी पीड़ा भरी हुई है। जो कुटुम्ब वच्चोकी बढ़ती हुई सख्याके मारे सदा दरिद्र रहते हैं, उनके लिए इस बहनका

हृदय दयासे भर गया है। यह सभी जानते हैं कि मानवीय दुखकी पुकार पत्थरके दिलोको भी पिघला देती है। भला यह पुकार उच्चात्मा बहनोको प्रभावित किये बिना कैसे रह सकती है? पर अगर हम भावावेशमे बह जाय और डूबतेकी तरह किसी भी तिनकेका सहारा ढूँढ़ने लगे तो ऐसी पुकार हमे आसानीसे गुमराह भी कर सकती है।

हम ऐसे जमानेमे रह रहे हैं, जिसमे विचार और उनके महत्व बहुत जल्दी-जल्दी बदल रहे हैं। धीरे-धीरे होनेवाले परिणामोंसे हमको सतोष नहीं होता। हमे अपने इन सजातीय, बल्कि केवल अपने ही देशकी भलाईसे तसल्ली नहीं होती। हमे सारे मानव-समाजका ख्याल होता है, मानवताकी उद्देश्य-सिद्धिमे यह कम सफलता नहीं है।

परन्तु मानवीय दुखोका इलाज धीरज छोड़नेसे नहीं होगा और सब पुरानी बातोको सिर्फ पुरानी होनेकी वजहसे छोड़ देनेसे होगा। हमने पूर्व जन्ममे भी वे ही स्वप्न देखे थे जो आज हमे उत्साहसे अनुप्राणित कर रहे हैं। शायद उन स्वप्नोमे इतनी स्पष्टता न रही हो। यह भी सभव है कि एक ही प्रकारके दुखोका जो उपाय उन्होने बताया वह हमारे मानसके आशातीत रूपमे विशाल हो जानेपर लागू हो। और मेरा दावा तो निश्चित अनुभवके आधार पर यह है कि जिस तरह सत्य और अहिंसा मुट्ठी-भर लोगोके लिए ही नहीं है, बल्कि सारे मनुष्य-समाजके लिए रोजमर्राकि कामकी चीजे हैं, ठीक उसी तरह सयम थोड़े-से महात्माओं-के लिए नहीं, बल्कि सब मनुष्योंके लिए है। और जिस तरह बहुत-से आदमियोंके भूठे और हिसक होनेपर भी मनुष्य-समाजको अपना आदर्श नीचा नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार बहुतसे या अधिकाश लोग भी सयम-का सदेश स्वीकार न कर सके तो इस विषयमे भी हमे अपना आदर्श नीचा नहीं करना चाहिए।

वुद्धिमान् न्यायाधीश वह है जो विकट मामला सामने होनेपर भी गलत फैसला नहीं करता। लोगोकी नजरोमे वह अपनेको कठोर हृदय बन जाने देगा; क्योंकि वह जानता है कि कानूनको विगड़ देनेमे सच्ची दया नहीं है। हमे नाशवान शरीर या इन्द्रियोकी दुर्बलताको भीतर

विराजमान अविनाशी आत्माकी दुर्बलता नहीं समझ लेना चाहिए। हमे तो आत्माके नियमानुसार शरीरको साधना चाहिए। मेरी विनम्र सम्मतिमें ये नियम थोड़े-से और अटल हैं और इन्हे सभी मनुष्य समझ और पाल सकते हैं। इन नियमोंको पालनेमें कम-ज्यादा सफलता मिल सकती है, पर ये लागू तो सभीपर होते हैं। अगर हममें श्रद्धा है तो उसे सिर्फ इसीलिए नहीं छोड़ देना चाहिए कि मनुष्य-समाजको अपने ध्येयकी प्राप्तिमें या उसके निकट पहुचनेमें लाखों बरस लगेंगे। ‘जवाहरलाल’ की भाषामें, हमारी विचार-सरणी ठीक होनी चाहिए।

परन्तु उस वहनकी चुनौतीका जवाब देना तो बाकी ही रह गया। स्यमवादी हाथ-पर-हाथ धरे नहीं बैठे हैं। उनका प्रचार-कार्य जारी है। जैसे कृत्रिम साधनोंसे उनके साधन भिन्न हैं, वैसे ही उनका प्रचारका तरीका अलग है, और होना चाहिए। स्यमवादियोंको चिकित्सालयोंकी ज़रूरत नहीं है, वे अपने उपायोंका विज्ञापन भी नहीं कर सकते, क्योंकि यह कोई बैचने या दे देनेकी चीज़े तो हैं नहीं। कृत्रिम साधनोंकी टीका करना और उनके उपयोगसे लोगोंको सचेत करते रहना इस प्रचार-कार्यका ही अग है। उनके कार्यका रचनात्मक पक्ष तो सदा रहा ही है, किन्तु वह तो स्वभावत ही अदृश्य होता है। स्यमका समर्थन कभी वन्द नहीं किया गया है और इसका सबसे कारगर तरीका आचरणीय है। स्यमका सफल अभ्यास करनेवाले सच्चे लोग जितने ज्यादा होंगे उतना ही यह प्रचार-कार्य अधिक कारगर होगा।

हरिजन सेवक,

३० मई १९३६

## संयम द्वारा सन्तति-निग्रह

निम्नलिखित पत्र मेरे पास बहुत दिनों पड़ा रहा :

“आजकल सारी दुनियामें सन्तति-निग्रहका समर्थन हो रहा है। हिन्दुस्तान भी उससे बाहर नहीं। आपके संयम-सम्बन्धी लेखकोंमेंने पढ़ा है। संयममें मेरा विश्वास है।

अहमदाबादमें थोड़े दिन पहले एक सन्तति-निग्रह-समिति स्थापित हुई है। ये लोग दवा, टिकिया, ट्यूब वगैरहका समर्थन करके स्त्रियोंको हमेशाके लिए सभोगवती करना चाहते हैं।

मुझे आश्चर्य होता है कि जीवनके अखोरी किनारे पर बैठे हुए लोग किसलिए प्रजाको निचोड़ डालनेकी हिमायत करते हैं !

इसके बजाय सन्तति-नियमन-समिति स्थापित की होती तो ? आप गुजरात पधार रहे हैं, इसलिए मेरी ऊपरकी प्रार्थना ध्यानमें रखकर गुजरातके नारी-तेजको प्रकाश दीजिएगा।

आजके डॉक्टर और वैद्य मानते हैं कि रोगियोंको संयमका पाठ सिखानेसे उनकी कमाई मारी जायगी और उन्हे भूखो मरना पड़ेगा।

इस प्रकारके सन्तति-निग्रहसे समाज बहुत गहरे और अधेरे स्फट्डमें चला जायगा। उसे अगर ऊपर और प्रकाशमें रहना है तो संयमको अपनाये बिना छुटकारा नहीं। वगैर संयमके मनुष्य कभी ऊचा नहीं चढ़ सकेगा। इससे तो जितना व्यभिचार आज है, उससे भी अधिक बढ़ेगा। और फिर रोगका तो पूछना ही क्या ?”

इस बीचमें मैं अहमदाबाद हो आया हूँ। उपर्युक्त विषयपर तो मुझे वहा अपने विचार प्रकट करनेका अवसर मिला नहीं; पर लेखक-के इस कथनको मैं अवश्य मानता हूँ कि सन्तति-निग्रहका नियमन केवल

सयमसे ही सिद्ध किया जाय। दूसरी रीतिसे नियमन करनेमें अनेक दोष उत्पन्न होनेकी सम्भावना है। जहा इस नियमने घर कर लिया है, वहा दोष साफ दिखाई दे रहे हैं। इसमे कोई आश्चर्य नहीं, जो सयम-रहित नियमनके समर्थक इन दोषोंको नहीं देख सकते, क्योंकि सयम-रहित नियमनने नीतिके नामसे प्रवेश किया है।

अहमदावादमे जो समिति बनाई गई है उसके हेतुके विषयमे यह कहना ज्यादती है कि लेखकने जैसा लिखा है वह वैसा ही है, पर उसका हेतु चाहे जैसा हो, तो भी उसकी प्रवृत्तिका परिणाम तो अवश्य विषय-भोग बढ़ानेमें ही आना है। पानीको उडेले तो वह नीचे ही जायगा, इसी तरह विषय-भोग बढ़ानेवाली युक्तिया रची जायगी तो उनसे वह भोग बढेगा ही।

इसी प्रकार डॉक्टर और वैद्य सयमका पाठ सिखाय तो उनकी कमाई मारी जायगी, इससे वे सयम नहीं सिखाते, ऐसा मानना भी ज्यादती है। सयमका पाठ सिखाना डॉक्टर-वैद्योंने अपना क्षेत्र आजतक माना नहीं, मगर डॉक्टर और वैद्य इस तरफ ढलते जा रहे हैं, इस बातके चिह्न जरूर नज़र आते हैं। उनका क्षेत्र व्याधियोंके कारण शोधने और रोग मिटानेका है। अगर वे व्याधियोंके कारणोंमे असयम-स्वच्छदताको अग्रस्थान न देंगे तो यह कहना चाहिए कि उनका दिवाला निकलनेका समय आ गया है। ज्यो-ज्यो जन-समाजकी समझ-शक्ति बढ़ती जाती है, त्यो-त्यो उसे, अगर रोग जड़-मूलसे नष्ट न हुआ तो सन्तोष होनेका नहीं और जबतक जन-समाज सयमकी ओर नहीं ढलेगा, व्याधियोंको रोकनके नियमोंका पालन नहीं करेगा, तबतक आरोग्यकी रक्षा करना अशक्य है। यह इतना स्पष्ट है कि अन्तमे इसपर सभी कोई ध्यान देंगे, और प्रामाणिक डॉक्टर सयमके मार्ग पर अधिक-से-अधिक जोर देंगे। सयम-रहित निग्रह भोग बढ़ानेमें अधिक-से-अधिक हाथ बटायगा, इस विषयमे मुझे तो शका नहीं। इसलिए अहमदावादकी समिति अधिक गहरे उत्तरकर असयमके भयकर परिणामोपर विचार करके स्त्रियोंको सयमकी सरलता और आवश्यकताका ज्ञान करानेमें अपने समयका उपयोग करे, तो आवश्यक परिणाम प्राप्त हो सकेगा, ऐसा मेरा नम्र अभिप्राय है। (हरिजन सेवक, १२.६.३६)

## भ्रष्टताकी और

एक युवकने लिखा है :

“ससारका काया-कल्प करनेके लिए आप चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य सदाचारी हो जाय, पर मेरी समझमे ठीक-ठीक नहीं आ रहा है। आखिर इस सच्चरित्रतासे आपका क्या अभिप्राय है? यह केवल स्त्री-पुरुषतक ही सीमित है या आपका मतलब मनुष्यके समस्त व्यवहारोंसे है? मुझे तो शक है कि आपका मतलब केवल स्त्री-पुरुषोंके सम्बन्ध तक ही सीमित है, क्योंकि आप अपने पूजीपति और जमीदार दोस्तोंको तो कभी-कभी यह बतानेका कष्ट नहीं करते कि वे कैसे अन्याय-पूर्वक मज़दूरों और किसानों-का पेट काट-काटकर अपनी जेव भरते रहते हैं। वहा बेचारे युवक और युवतियोंकी चारित्रिक गलतियों पर उनकी निन्दा और ताड़ना करते हुए आप कभी थकते ही नहीं; और सदा उनके सामने ब्रह्मचर्य-क्रतका आदर्श उपस्थित करते रहते हैं। आपका यह दावा है कि आप भारतीय युवकोंके हृदयकी जानते हैं। मैं किसीका प्रतिनिधि होनेका दावा नहीं करता; पर एक युवककी हैसियतसे ही मैं कहता हूँ कि आपका यह दावा गलत है। मालूम होता है, आपको पता ही नहीं कि आजकलके मध्यम-वर्गके युवक-को किन परिस्थितियोंमें से गुजरना पड़ता है। बेकारीकी यह भयकर चिंता, आदमीको पीस डालनेवाली वे सामाजिक रुद्धिया और परम्पराए, और सहशिक्षाका यह प्रलोभनकारी विघातक वातावरण, इनके बीच वह बेचारा आन्दोलित होता रहता है। नवीनता और प्राचीनताका यह सघर्ष उसकी सारी शक्तियोंको चूर-चूर कर रहा है और वह हार कर लाचार हो रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि इन बेचारोंको योड़ी रहस्यकी नज़रसे देखिए, दवा कीजिए। उन्हे छृपया अपने नन्यासाश्रमके नीति-

जास्त्रकी कसौटी पर न कसिये । मेरा तो ख्याल है कि अगर दोनोंकी मर्जी हो और परस्पर प्रेम हो तो स्त्री-पुरुष, चाहे वे पति-पत्नी न भी हो तो भी आखिर जो चाहे कर सकते हैं । मेरी रायमें तो वह सदाचार ही होगा । और जबसे सन्तति-नियमनके कृत्रिम साधनोंका आविष्कार हुआ है, सयोग-व्यवस्थाकी दृष्टिसे विवाह-प्रथाका नैतिक आधार तो छिन्न-भिन्न हो गया है । अब तो केवल बच्चोंके पालन-पोषण और रक्षा-भरके लिए उसका उपयोग रह गया है । ये बातें सुनकर शायद आपके दिलको चोट पहुंचेंगी, पर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आजकलके युवकोंको भला-बुरा कहनेसे पहले कृपया अपनी तरुणाईको न भूलियेगा । आप खुद क्या कम कामी थे । कितना विषय-भोग करते थे ? मैथुनके प्रति आपकी घृणा शायद आपकी इस अतिका ही परिणाम है । इसलिए अब आप ऐसे सन्यासी बन रहे हैं और इसमें आपको पाप-ही-पाप नज़र आता है । अगर तुलना ही करने लगे तो मेरा तो ख्याल है कि आजकलके कई युवक इस विषयमें ज़रूर आपसे बेहतर सावित होंगे ।”

इस तरहके अनेक पत्र मेरे पास आते हैं । इस युवकसे मेरा परिचय हुए लगभग तीन महीने हुए होंगे, पर इतने थोड़े समयमें ही जहातक मुझे पता है, इसके अन्दर कई परिवर्तन हो चुके हैं । अब भी वह एक गम्भीर परिस्थितिमेंसे ही गुज़र रहा है । ऊपरका उद्धरण तो उसके एक लम्बे पत्रका अश है । उसके और भी पत्र मेरे पास है, जिन्हे अगर मैं चाहूँ तो प्रकाशित कर सकता हूँ, और उसे प्रसन्नता ही होगी, पर मैंने ऊपर जो अश दिया है वह कितने ही युवकोंके विचारों और प्रवृत्तियोंको प्रगट करता है ।

बेशक युवक और युवतियोंसे मुझे अवश्य सहानुभूति है । अपनी जवानीके दिनोंकी भी मुझे अच्छी तरह याद है । मुझे तो देशके युवकोंपर श्रद्धा है, इसीलिए तो उनकी समस्याओंपर विचार करते हुए मैं कभी थकता नहीं ।

मेरे लिए तो नीति, सदाचार और धर्म एक ही बात है । आदमी अगर पूरी तरहसे सदाचारी हो, पर धार्मिक न हो, तो उसका जीवन बालू-

पर खड़े किये गये मकानकी तरह समझिए। इसी तरह भ्रष्ट चरित्रका धर्मचिरण भी दूसरोंको दिखाने-भरके लिए और साम्प्रदायिक उपद्रवोंका कारण होता है। नीतिमें सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य भी आ जाता है। मनुष्य-जातिने आजतक सदाचारके जितने नियमोंका पालन किया है वे सब इन तीन सर्व-प्रधान गुणोंसे सम्बन्धित या प्राप्त हो सकते हैं। और अहिंसा तथा ब्रह्मचर्य सत्यसे प्राप्त हो सकते हैं, जो मेरे लिए प्रत्यक्ष ईश्वर ही है।

सयम-हीन स्त्री या पुरुष तो गया-बीता समझिए। इन्द्रियोंको निरंकुश छोड़ देने वालेका जीवन कर्णधार-हीन नावके समान है, जो निश्चय ही पहली चट्ठानसे ही टकराकर चूर-चूर हो जायगी। इसलिए मैं सदैव-से सयम और ब्रह्मचर्यपर इतना जोर दे रहा हूँ। पत्र-प्रेषकके इस कथनमें यहातक तो ज़रूर सत्य है कि इन सन्तति-निरोधक साधनोंने स्त्री-पुरुषोंकी सम्बन्ध-विषयक समाजकी कल्पनाओंको काफी बदल दिया है, पर अगर संयोगको नीति-युक्त बनानेके लिए स्त्री-पुरुषकी—चाहे वे पति-पत्नी हो या न भी हो—केवल पारस्परिक अनुमति ही का होता काफी हो, तब तो इसी युक्तिके अनुसार समान लिंग वाले दो व्यक्तियोंके बीचका सम्बन्ध भी नीतियुक्त बन जायगा और सयोग-व्यवस्था-सम्बन्धी सारी मर्यादा ही नष्ट हो जायगी। और तब तो निस्सदेह देशके युवकोंके भाग्यमें सिवा पराभव और दुर्दशाके और कुछ है ही नहीं। हिन्दुस्तानमें ऐसे कई पुरुष और स्त्रिया हैं, जो विषय-वासनामें बुरी तरह फ़से हुए हैं, पर अगर उससे मुक्त हो सके तो वे बहुत खुश हों। विषय-वासना सासारके किसी भी नशेसे अधिक मादक है। यह आशा करना बेकार है कि सन्तति-निरोधक साधनोंका व्यवहार सन्तति-नियमन तक ही सीमित रहेगा। हमारे जीवनके शुद्ध, सम्य रहनेकी तभीतक आशा की जा सकती है, जबतक कि सयोगसे प्रजननका निश्चित सम्बन्ध है। यह मान लेनेपर अप्राकृतिक मैथुन तो विलकुल उड़ जाता है, और कुछ हृदतक पर-स्त्री-गमनपर भी नियन्त्रण हो जाता है। संयोगको उसके स्वाभाविक परिणामसे अलग करनेका अवश्यस्थावी परिणाम यही होगा कि समाजसे स्त्री-पुरुषकी

सयोग-सम्बन्धी सारी मर्यादा उठ जायगी और अगर सद्भाग्यसे अप्राकृतिक व्यभिचारको प्रत्यक्ष प्रोत्साहन न भी मिला तो भी समाजमे निर्गुण व्यभिचार फैले बिना नहीं रहेगा।

सयोग-समस्या पर विचार करते समय अपना व्यक्तिगत अनुभव कहना भी अनुचित न होगा। जिन पाठकोने मेरी 'आत्म-कथा' नहीं पढ़ी है, वे मेरी विषय-लोलुपत्ताके विषयमे कही इस पत्र-प्रेषककी तरह अपने विचार न बना ले। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं चाहे कितना ही विपयी रहा होऊँ, मेरी विषय-वृत्ति अपनी पत्नीतक ही सीमिति थी। फिर मैं एक बहुत बड़े परिवारमे रहता था, जिससे रातके कुछ घटोको छोड़कर हमे एकात कभी मिलता ही न था। दूसरे तेर्झस वर्षकी अवस्थामे ही मैं इतना समझने लायक हो गया था कि महज भोगके लिए सयोग करना निरी ब्रह्मकूफी है और सन् १८८६ मे, यानी जब मैं तीस सालका था, पूर्ण ब्रह्मचर्यकी प्रतिज्ञा लेनेका मैं निश्चय कर चुका था। मुझे सन्यासी कहना गलत होगा। मेरे जीवनके नियमात्मक आदर्श तो सारी मानवता-के लिए ग्रहण करने योग्य है। मैंने उन्हें धीरे-धीरे, ज्यो-ज्यो मेरा जीवन-विकास होता गया, प्राप्त किया है। हरेक कदम मैंने पूरी तरह सोच-समझकर गहरे मननके बाद रखा है। ब्रह्मचर्य और अहिंसा दोनों मेरे व्यक्तिगत अनुभवसे मुझे प्राप्त हुए हैं, और अपने सार्वजनिक कर्तव्योको पूरा करनेके लिए उनका पालन नितान्त आवश्यक था। दक्षिण अफ्रीकामे एक गृहस्थ, एक वैरिस्टर, एक समाज-सुधारक अयवा एक राजनीतिज्ञकी हैसियतसे मुझे जन-समूहसे पृथक् जीवन व्यतीत करना पड़ा है। उस जीवनमे अपने उपर्युक्त कर्तव्योके पालनार्थ मेरे लिए यह जरूरी हो गया है कि मैं कठोर सयमका पालन करूँ तथा अपने देश-भाइयो और यूरोप-निवासियोके साथ मनुष्यकी हैसियतसे व्यवहार करते हुए सत्य और अहिंसा-का उतनी ही कडाईसे पालन करूँ।

मैं एक मामूली आदमी हूँ। मुझमे जरा भी विवेक नहीं, और योग्यता तो मामूलीसे कम है। मेरे इस अहिंसा और ब्रह्मचर्यके व्रतके पालनमे भी कोई व्यार्ड देने लायक बात नहीं, क्योंकि ये तो वर्षोंके निरन्तर प्रयाससे

मेरे लिए साध्य हुआ है। हर पुरुष और स्त्री साध्य कर सकते हैं, वशर्ते कि वे भी उसी प्रयास, आशा और श्रद्धासे चले। श्रद्धाहीन कार्य अतल खाइकी थाह लेनेका प्रयत्न करनेकी तरह है।

हरिजन सेवक,

३ अक्टूबर १६३६

१८

## कैसी नाशकारी चीज़ है !

डॉ० सोखे और डॉ० मगलदासके बीच हाल हीमे जो उस वारह-मासी विषय अर्थात् सन्तति-निरोधपर वाद-विवाद हुआ था, उससे मुझे परमादरणीय डॉ० अन्सारीके मतको प्रकट करनेकी हिम्मत हो रही है, जो डॉ० मगलदासके समर्थनमे है। करीबन एक सालकी बात है। मैंने स्वर्गीय डॉ० साहबको लिखा था कि वैद्यककी दृष्टिसे आप इस विवाद-ग्रस्त विषयमे मेरे मतका समर्थन कर सकते हैं या नहीं ? मुझे यह जानकर आश्चर्य और खुशी हुई कि उन्होने मेरा समर्थन किया। पिछली बार जब मैं दिल्ली गया था, तब इस विषयमे उनसे मेरी रू-बरू बातचीत हुई थी और मेरे अनुरोध करने पर उन्होने अपने निजी तथा अपने अन्य च्यवसाय-वन्धुओंके अनुभवके आधारपर सप्रमाण अको सहित यह सिद्ध करनेके लिए कि, इन कृत्रिम साधनोंका उपयोग करनेवालोंको कितनी जवर्दस्त हानि पहुच रही है, एक लेख-माला लिखनेका बचन दिया था। उन्होने तो उन मनुष्योंकी दयनीय अवस्थाका हूँ-बहूँ वर्णन सुनाया था जो यह जानते हुए कि उनकी पत्निया और अन्य स्त्रिया सन्तति-निरोधके कृत्रिम साधनोंको काममे ला रही है, उनसे कुछ दिन सम्भोगके स्वाभाविक परिणामके भयसे मुक्त होनेपर वे अर्मर्यादित भोग-विलासपर टूट पड़े। नित्य नई-नई औरतोंसे मिलनेकी उन्हे अदम्य लालसा होने लगी और आखिर पागल हो गए। आह ! डॉक्टर साहब अपनी उस लेखमाला-को शुरू करने ही वाले थे कि चल वसे ।

कहा जाता है कि वर्नांडशाने भी यही कहा है कि सन्तति-निरोधक साधनोंका उपयोग करनेवाले स्त्री-पुरुषोंका सम्भोग तो प्रकृति-विरुद्ध

वीर्य-नाशसे किसी प्रकार कम नहीं है। एक क्षण-भर सोचनेसे पता चल जायगा कि उनका कथन कितना यथार्थ है।

इस बुरी टेवके शिकार बनकर धीरे-धीरे अपने पौरुषसे हाथ धो लेनेवाले विद्यार्थियोंके करुणा-जनक पत्र तो मुझे करीब-करीब रोज मिलते हैं। कभी-कभी शिक्षकोंके भी खत मिलते हैं। ‘हरिजन-सेवक’ में लाहौरके सनातनधर्म कालेजके आचार्यका जो पत्रव्यवहार प्रकाशित हुआ था, वह भी पाठकोंको पता होगा, जिसमें उन्होंने उन शिक्षकोंके विरुद्ध बड़ी बुरी तरह शिकायत की थी, जो अपने विद्यार्थियोंके साथ अप्राकृतिक व्यभिचार करते थे। इससे उनके शरीर और चरित्रकी जो दुर्गति हुई थी उसका भी जिक्र आचार्यजीने अपने पत्रमें किया था। इन उदाहरणोंसे तो मैं यही नतीजा निकालता हूँ कि अगर पति-पत्नीके बीचमें भी मैथुनके स्वाभाविक परिणामके भयसे मुक्त होनेकी सभावनाको लेकर सभोग होगा, तो उसका भी वही घातक परिणाम होगा, जो प्रकृति-विरुद्ध मैथुन-से निश्चित रूपसे होता है।

निस्सन्देह कृत्रिम साधनोंके बहुत-से हिमायती परोपकारकी भावनासे ही प्रेरित होकर इन चीजोंका अन्धाधुन्ध प्रचार कर रहे हैं; पर यह परोपकार अस्थायी है। मैं इन भले आदमियोंसे अनुरोध करता हूँ कि इसके परिणामोंका तो ख्याल करे। वे गरीब लोग कभी पर्याप्त मात्रामें इनका उपयोग नहीं कर सकेंगे, जिनके यह उपकारी पुरुष पहुँचाना चाहते हैं। और जिन्हे इनका उपयोग नहीं करना चाहिए वे ज़रूर इनका उपयोग करेंगे, और अपने साथियोंका नाश करेंगे, पर अगर यह पूरी तरहसे सिद्ध हो जाता कि शारीरिक या नैतिक आरोग्यकी दृष्टिसे यह चीज़ लाभदायक है, तो यह भी सह लिया जाता। इनके और भावी मुधारकोंके लिए छॅ० अन्तारीकी राय—अगर उसके विषयमें मेरे शब्दोंको कोई प्रामाण्य माने—एक गम्भीर चेतावनी है।

हरिजन सेवक,

१२ अगस्त १९३६

१६

## अश्लील विज्ञापन

एक मासिक पत्रमें प्रकाशित एक अत्यन्त वीभत्स पुस्तकके विज्ञापनकी कतरन एक वहनने मुझे भेजी है और लिखा है :

' . के पृष्ठों पर नज़र डालते हुए यह विज्ञापन मेरे देखनेमें आया । मैं नहीं जानती कि यह मासिक पत्र आपके पास जाता है या नहीं । आपके पास यह जाता भी हो तो भी मेरे ख्यालमें इसकी तरफ नज़र डालनेका आपको कभी समय नहीं मिलता होगा । पहले भी एक बार मैंने आपसे 'अश्लील विज्ञापनों' के बारेमें बात की थी । मेरी यह बड़ी ही इच्छा है कि इस विषयमें आप किसी समय कुछ लिखें । जिस पुस्तकका यह विज्ञापन है उस किस्मकी पुस्तकोंकी आज बाजारमें बाढ़-सी आ रही है, यह विलकुल सच्ची बात है, पर . जैसे जवाबदार पत्रोंके लिए क्या यह उचित है कि वे ऐसी गन्दी पुस्तकोंकी विक्रीको प्रोत्साहन दे ? इन चीजोंसे मेरा स्त्री-हृदय इतना अधिक दुखता है कि मैं सिवा आपके और किसीको लिख नहीं सकती । ईश्वरने स्त्रीको एक विशेष उद्देश्यके लिए जो वस्तु दी है उसका विज्ञापन लम्पट्टाको उत्तेजन देनेके लिए किया जाय, यह चीज इतनी हीन है कि इसके प्रति घृणा गब्दोंसे प्रकट नहीं की जा सकती । मैं चाहती हूँ कि इस सम्बन्धमें भारतके प्रमुख अखबारों और मासिक-पत्रोंकी क्या जवाबदारी है, इसके बारेमें आप लिखें । आपके पास आलोचनाके लिए भेज सकूँ, ऐसी यह कोई पहली ही कतरन नहीं है ।'

इस विज्ञापनमें से कुछ भी अश मैं यहा उद्धृत करना नहीं चाहता । बाढ़कोमें सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि जिस पुस्तकका यह विज्ञापन है उसमें के व्यजित लेखोंका वर्णन करनेमें जितनी अश्लील भाषाका उपयोग किया जा सकता है उतना किया गया है । इस पुस्तकका नाम 'स्त्रीके शरीरका

'सांन्दर्य' है; और विज्ञापन देनेवाली फर्म पाठकोंसे कहती है कि जो यह पुस्तक खरीदेगा उसे 'नववधूके लिए नया ज्ञान' और 'सम्भोग अथवा सभोगीको कैसे रिकाया जाय?' नामक यह दो पुस्तके और मुफ्त दी जायगी ।

इस किस्मकी पुस्तकोंका विज्ञापन करने वालोंको मैं किसी तरह रोक सकता हूँ या पत्र-सम्पादकों और प्रकाशकोंसे उनके अखबारों द्वारा मुनाफा उठानेका इरादा मैं छुड़वा सकता हूँ, ऐसी आशा अगर यह बहन रखती है तो वह व्यर्थ है । ऐसी अश्लील पुस्तकों या विज्ञापनोंके प्रकाशकोंसे मैं चाहे जितनी अपील करूँ उससे कोई मतलब निकलनेका नहीं; किन्तु मैं इस पत्र लिखनेवाली बहनसे और ऐसी ही दूसरी विदुषी बहनोंसे इतना कहना चाहता हूँ कि वे वाहर मैदानमें आय और जो काम खास करके उनका है, और जिसके लिए उनमें खास योग्यता है, उस कामको वे शुरू कर दे । अक्सर देखनेमें आया कि किसी मनुष्यको खराब नाम दे दिया जाता है और कुछ समय बाद वह स्त्री या पुरुष ऐसा लमाननेगता है कि वह खुद खराब है । स्त्रीको 'अबला' कहना उसे बदनाम करना है । मैं नहीं जानता कि स्त्री किस प्रकार अबला है । ऐसा कहनेका अर्थ अगर यह हो कि स्त्रीमें पुरुषकी जैसी पागविक वृत्ति नहीं है या उतनी मात्रामें नहीं है जितनी कि पुरुषमें होती है, तो यह आरोप माना जा सकता है, पर यह चीज तो स्त्रीको पुरुषकी अपेक्षा पुनीत बनानेवाली है, और स्त्री पुरुषकी अपेक्षा पुनीत तो है ही । वह अगर आघात करनेमें निर्वल है तो कष्ट सहन करनेमें बलवान् है । मैंने स्त्रीको त्याग और अहिंसाकी मूर्ति कहा है । अपने शील या सतीत्वकी रक्षाके लिए पुरुषपर निर्भर न रहना उसे सीखना है । पुरुषने स्त्रीके सतीत्वकी रक्षा की हो ऐसा एक भी उदाहरण मुझे मालूम नहीं । वह ऐसा करना चाहे तो भी नहीं कर सकता । निश्चय ही रामने सीताके या पाचों पाण्डवोंने द्रोपदीके शीलकी रक्षा नहीं की । इन दोनों सतियोंने अपने सतीत्वके बलसे ही अपने शीलकी रक्षा की । कोई भी मनुष्य वर्गेर अपनी सम्मतिके अपनी इज्जत-आवर्ण नहीं खोता । कोई नर-पशु किसी स्त्रीको वेहोश करके उसकी लाज लूट ले तो इससे

उस स्त्रीके शील या सतीत्वका लोप नहीं होगा, इसी तरह कोई दुष्टा स्त्री किसी पुरुषको जड़ बना देनेवाली दवा खिला दे और उससे अपना मन चाहा कराये तो इससे उस पुरुषके शील या चारित्र्यका नाश नहीं होता।

आश्चर्य तो यह है कि पुरुषोंके सौन्दर्यकी प्रशंसामें पुस्तके विलकुल नहीं लिखी गई। तो फिर पुरुषकी विषय-वासना उत्तेजित करनेके लिए ही साहित्य हमेशा क्यों तैयार होता रहे? यह बात तो नहीं कि पुरुषने स्त्रीको जिन विशेषणोंसे भूषित किया है उन विशेषणोंको सार्थक करना उसे पसन्द है? स्त्रीको क्या यह अच्छा लगता होगा कि उसके शरीरके मौन्दर्यका पुरुष अपनी भोग-लालसाके लिए दुरुपयोग करे? पुरुषके आगे अपनी देहकी सुन्दरता दिखाना क्या उसे पसन्द होगा? यदि हाँ, तो किस-लिए? मैं चाहता हूँ कि ये प्रश्न सुशिक्षित बहने खुद अपने दिलसे पूछे। ऐसे विज्ञापनों और ऐसे साहित्यसे उनका दिल दुखता हो तो उन्हे इन चीजोंके लिए अविराम युद्ध चलाना चाहिए, और एक क्षणमें वे इन चीजोंको बन्द करा देंगी। स्त्रीमें जिस प्रकार बुरा करनेकी, लोकेका नाश करनेकी शक्ति है, उसी प्रकार भला करनेकी लोक-हित साधन करनेकी शक्ति भी उसमें सोई हुई पड़ी है। यह भान अगर स्त्रीको हो जाय तो कितना अच्छा हो। अगर वह यह विचार छोड़ दे कि वह खुद अपना तथा पुरुषका—फिर चाहे वह उसका पिता हो, पुत्र हो या पति हो—जन्म सुधार सकती है, और दोनोंके ही लिए इस ससारको अधिक सुखमय बना सकती है। राष्ट्र-राष्ट्रके बीचके पागलपन भरे युद्धोंसे और इससे भी ज्यादा पागलपन-भरे समाज-नीतिकी नीवके विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्धोंसे अगर समाजको अपना सहार नहीं होने देना है, तो स्त्रीको पुरुषकी तरह नहीं, जैसे कि कुछ स्त्रिया करती है, वल्कि स्त्रीकी तरह अपना योग देना ही होगा। अधिकाशत विना किसी कारणके ही मानव-प्राणियोंके सहार करनेकी जो शक्ति पुरुषमें है उस शक्तिमें उसकी हमसरी करनेसे स्त्री मानव-जातिको सुधार नहीं सकती। पुरुषकी जिस भूलसे पुरुषके साथ-साथ स्त्रीका भी विनाश होनेवाला है उस भूलमेंसे पुरुषको बचाना उसका परम कर्तव्य है, यह स्त्रीको समझ लेना चाहिए। यह वाहियात

विज्ञापन तो सिर्फ यही वताता है कि हवाका रुख किस तरफ है। इसमें  
वेशमिके साथ स्त्रीका अनुचित लाभ उठाया गया है। 'दुनियाकी जगली  
जातियोंकी स्त्रियोंके शरीर-सौन्दर्य' को भी इसने नहीं छोड़ा।

हरिजन सेवक,

२१ नवम्बर १९३६

## काम-शास्त्र

गुजरात विद्यापीठसे हाल ही पारगत-पदवी प्राप्त श्री मगनभाई देसाईंके ७ अक्तूबरके पत्रसे नीचे लिखा अश यहा देता हू—

“इस बारवे ‘हरिजन’ मे आपका लेख पढ़कर मेरे मनमे विचार आया कि मै भी एक प्रश्न चर्चकि लिए आपके सामने पेश करू। इस विषयमे आपने अवतक शायद ही कुछ कहा है। वह है बालकोको और खास करके विद्यार्थियोको काम-विज्ञान सिखाना। आप तो जानते ही हैं कि श्री गुजरातमे इस विषयके बडे हासी है। खुद मुझे तो इस बातमे हमेशा अन्देशा ही रहा है, बल्कि मेरातो मत है कि वे इस विषयके अधिकारी भी नही हैं। परिणाम तो इस विषयकी अनिष्टता ही प्रकट होती जाती है। वे तो शायद ऐसा ही मानते दिखाई देते हैं कि काम-विज्ञानके न जानने से ही शिक्षा और समाजमे यह विगाड हुआ है। नवीन मानस-शास्त्र भी बताता है कि यही सुप्त काम-भाव मानव-प्रवृत्तिका उद्भव-स्थान है। ‘काम एष क्रोध एष’—इसके आगे ये लोग जाते ही नही। हमारा एक दिन मुझसे कहता था—‘तो आपको यह कहा मालूम है कि हरेकके अन्दर काम नामक राक्षस रहता है ? और इसके फलस्वरूप उसकी नीति-भावना जाग्रत होनेके बदले उलटी जड होती हुई दिखाई दी। इस तरह गुजरातमे आजकल काम-विज्ञानके शिक्षणके नामपर बहुत-कुछ हो रहा है। इस विषयपर पुस्तके भी लिखी गई है। सस्करण-पर-सस्करण छपते हैं और हजारोकी मर्ख्यामे ये विकती है। कितने ही साप्ताहिक इस विषयके निकलते हैं और उनकी विक्री भी खूब होती है। खैर यह तो जैसा समाज होता है वैसा उसे परोसनेवाले मिल ही जाते हैं, किन्तु इससे सुधारककी दशा और भी अटपटी हो जाती है।

“इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसकी शिक्षाके विषयमें सार्वजनिक रूपसे चर्चा करें। शिक्षाके लिए काम-शास्त्रके गिरणकी आवश्यकता है! कौन उसकी शिक्षा देनेका और कौन उसे पानेका अधिकारी है? मामूली भूगोल-गणितकी तरह क्या सबको उसकी शिक्षादी जानी चाहिए? उसकी क्या मर्यादा है और हमारे रागोरेशेमें पैठे हुए इस शत्रुकी मर्यादा इससे उलटी दिशामें बाधना उचित है या इस तरह उसे शुभ नामका गौरव देनेकी तरफ? ऐसे अनेक तरहके सवाल मनमें उठते हैं। आगा है कि आप इस विषयपर अवश्य रोशनी डालेगे।”

इस पत्रको इतने दिनतक मैंने इसी आशासे रख छोड़ा था कि किसी दिन मैं इसमें उठाये गये प्रश्नोपर कुछ लिखूँगा। इस बीच मैं बारहवीं गुजराती-साहित्य-परिषद्का प्रमुख बनकर वापस सेगाव आ पहुँचा। विद्यापीठमें चार दिन जो रहा तो गुजराती भाई-बहनोंके सम्पर्कमें आने-से पुरानी स्मृतिया ताजी हो आई। उक्त पत्रके लेखक भी मिले। उन्होंने मुझसे पूछा भी, “मेरे उस पत्रका क्या हुआ?” “मेरे साथ-साथ वह सफर कर रहा है। मैं उसके बारेमें जरूर लिखूँगा।” यह जवाब देकर मैंने मगन भाईको कुछ तसल्ली दी थी।

अब उनके असली विषयपर आता हूँ। क्या गुजरातमें और वया दूसरे प्रान्तोमें, सब जगह कामदेव मामूलके माफिक विजय प्राप्त कर रहे हैं? आजकलकी उनकी विजयमें एक विशेषता यह है कि उनके शरणागत नर-नारीगण उनको धर्म मानते दिखाई देते हैं। जब कोई गुलाम अपनी बेड़ीको शृंगार समझकर पुलकित होता है, तब कहना चाहिए कि उसके सरदारकी पूरी विजय हो गई! इस तरह कामदेवकी विजय देखते हुए भी मुझे इतना विश्वास है कि यह विजय क्षणिक है, तुच्छ है और अन्तमें डक-कटे विच्छूकी तरह निस्तेज हो जाने वाली है। ऐसा होनेके पहले पुरुषार्थकी तो आवश्यकता है ही। यहा मेरा यह आशय नहीं है कि अन्त-में तो कामदेवकी हार होने ही वाली है, इसलिए हम भुस्त या ग्राफिल बनाने दैठे रहे। कामपर विजय प्राप्त करना स्त्री-पुरुषोंका परम कर्तव्य है। उस-पर विजाय प्राप्त किये विना स्वराज्य असम्भव है, स्वराज्य विना स्वराज्

अथवा राम-राज होगा ही कहासे ? स्वराज-विहीन स्वराज खिलौनेके आमकी तरह समझना चाहिए । देखनेमे बड़ा सुदर, पर जब उसे खोला तो अन्दर 'पोल-ही-पोल । कामपर विजय प्राप्त किये बिना कोई सेवक हरिजनकी, कौमी ऐक्यकी, खादीकी, गौ-माताकी, ग्रामवासीकी सेवा कभी नहीं कर सकता । इस सेवाके लिए बौद्धिक सामग्री वस होनेकी नहीं । आत्म-बलके बिना ऐसी मर्हान् सेवा असम्भव है । और आत्मबल प्रभुके प्रसादके बिना अशक्य है । कामीको प्रभुका प्रसाद मिला हो—ऐसा अवतक देखा नहीं गया ।

तो मगन भाईने यह सवाल पूछा है कि हमारे शिक्षा-क्रममे कामशास्त्र-के लिए स्थान है या नहीं, यदि है तो कितना ? कामशास्त्र दो प्रकारका होता है—एक तो है कामपर विजय प्राप्त करनेवाला, उसके लिए तो शिक्षण-क्रममे स्थान होना ही चाहिए । दूसरा है, कामको उत्तेजन देनेवाला शास्त्र । यह सर्वथा त्याज्य है । सब धर्मोंने कामको शत्रु माना है । क्रोधका नम्बर दूसरा है । गीता तो कहती है—कामसे ही क्रोधकी उत्पत्ति होती है । यहा कामका व्यापक अर्थ लिया गया है । हमारे विषय-से सम्बन्ध रखनेवाला 'काम' शब्द प्रचलित अर्थमे इस्तैमाल किया गया है ।

ऐसा होते हुए भी यह प्रश्न बाकी रहता है कि बालक-वालिकाओंको गुह्येन्द्रियोंका और उनके व्यापारका ज्ञान दिया जाय या नहीं ? मैं समझता हूँ कि यह ज्ञान एक हृदतक आवश्यक है । आज कितने ही बालक बालिकाएं शुद्ध ज्ञानके अभावमे अशुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं और वे इन्द्रियोंका वहुत दुरुपयोग करते हुए पाये जाते हैं । आख होते हुए भी हम नहीं देखते । इस तरह हम कामपर विजय नहीं पा सकते । बालक-बालिकाओंको उन इन्द्रियोंके उपयोगका ज्ञान देनेकी आवश्यकता मैं मानता हूँ । मेरे हाथ-नीचे जो बालक-बालिकाएं रही हैं उन्हे मैंने ऐसा ज्ञान देनेका प्रयत्न भी किया है, परन्तु यह शिक्षण और ही दृष्टिसे दिया जाता है । इन इन्द्रियोंका ज्ञान देते हुए सर्यमकी शिक्षा दी जाती है । कामपर कैसे विजय प्राप्त होती है यह सिखाया जाता है । यह शिक्षण देते हुए भी मनुष्य

और पशुके बीचका भेद बताना आवश्यक हो जाता है। मनुष्य वह है जिसे हृदय और बुद्धि है। यह उसका धात्वर्थ है। हृदयको जाग्रत् करनेका अर्थ है—सारासार-विवेक सिखाना। यह सिखाते हुए कामपर विजय प्राप्त करना बताया जाता है।

तो अब इस शास्त्रकी शिक्षा कौन दे ? जिस प्रकार खगोल-शास्त्र-की शिक्षा वही दे सकता है जो उसमे पारगत हो, उसी तरह कामके जीतने-का शास्त्र भी वही सिखा सकता है, जिसने कामपर विजय प्राप्त कर ली हो। उसकी भाषामे सस्कारिता होगी, बल होगा, जीवन होगा, जिस उच्चारणके पीछे अनुभव-ज्ञान नहीं है, वह जड़वत् है, वह किसीको स्पर्श नहीं कर सकता। जिसको अनुभव-ज्ञान है, उसका कथन उगे बिना नहीं रह सकता।

आजकल हमारा बाह्याचार, हमारा वाचन, हमारा विचार-क्षेत्र सब कामकी विजय सूचित कर रहे हैं। हमे उसके पाशसे मुक्त होनेका प्रयत्न करना है। यह काम अवश्य ही विकट है; मगर परवाह नहीं। अगर इने-गिने ही गुजराती हो, जिन्होने शिक्षण-शास्त्रका अनुभव प्राप्त किया हो और जो कामपर विजय प्राप्त करनेके धर्मको मानते हो, उनकी श्रद्धा यदि अचल रहेगी, वे जाग्रत् रहेगे और सतत प्रत्यन करते रहेगे तो गुजरातके बालक-बालिकाएं शुद्ध ज्ञान प्राप्त करेगे और कामके जालसे मुक्ति प्राप्त करेगे और जो उसमे न फसे होंगे वे बच जायेंगे।

हरिजन सेवक,

२८ नवम्बर १९३६

२१

## अश्लील विज्ञापनोंको कैसे रोका जाय

अश्लील विज्ञापन-सम्बन्धी मेरा लेख देखकर एक सज्जन लिखते हैं—

‘जो अखबार, आपने लिखा, वैसी अश्लील चीजोंके इश्तिहार देते हैं उनके नाम जाहिर करके आप अश्लील विज्ञापनका प्रकाशन रोकनेके लिए बहुत-कुछ कर सकते हैं।’

इन सज्जनने जिस सेसरशिपकी मुझे सलाह दी है उसका भार मैं नहीं ले सकता, लेकिन इससे अच्छा एक उपाय मैं सुझा सकता हूँ। जनताको अगर यह अश्लीलता अखरती हो, तो जिन अखबारों या मासिक-पत्रोंमें आपत्तिजनक विज्ञापन निकले उनके ग्राहक यह कर सकते हैं कि उन अखबारोंका ध्यान इस ओर आकर्षित करे और अगर फिर भी वे ऐसा करनेसे वाज़ न आये तो उन्हें खरीदना बन्द कर दे। पाठकोंको यह जानकर खुशी होगी कि जिस वहनने मुझे अश्लील विज्ञापनोंकी शिकायत भेजी थी, उसने इस दोषके भागी मासिक-पत्रके सम्पादकको भी इस वारेमें लिखा था, जिसपर उन्होंने इस भूलके लिए खेद-प्रकाश करते हुए उसे आगेसे न छापनेका वादा किया है।

यह कहते हुए भी मुझे खुशी होती है कि मैंने इस वारेमें ‘जो-कुछ लिखा, उसका कुछ अन्य पत्रोंने भी समर्थन किया है। ‘निस्पृह’ (नागपुर) के सम्पादक लिखते हैं

“अश्लील विज्ञापनोंके वारेमें ‘हरिजन’ मे आपने जो लेख लिखा है उसे मैंने वहुत सावधानीके साथ पढ़ा। यही नहीं, बल्कि मैंने उसका अविकल अनुवाद भी ‘निस्पृह’ मे दिया है और एक छोटी-सी सम्पादकीय टिप्पणी भी उसपर मैंने लिखी है।

मैं बतौर नमूनेके एक विज्ञापन इस पत्रके साथ भेज रहा हू, जो अश्लील न होते हुए भी एक तरहसे अनैतिक तो है ही । इस विज्ञापनमें साफ भूठ है । आमतौर पर गाव वाले ही ऐसे विज्ञापनोंके चक्करमें फसते हैं । मैं ऐसे विज्ञापन लेनेसे इन्कार करता रहा हू और इस विज्ञापनदाताको भी यही लिख रहा हू । जैसे अखबारमें निकलने वाली समस्त पाठ्य-सामग्री पर सम्पादककी निगाह रहना जरूरी है, उसी तरह विज्ञापनोपर नज़र रखना भी उसका कर्तव्य है । और कोई सम्पादक अपने अखबारका ऐसे लोगों द्वारा उपयोग नहीं होने दे सकता, जो भोले-भाले देहातियोंकी आखोमें धूल भोक्कर उन्हे ठगना चाहते हैं ।

हरिजन सेवक,

१६ दिसम्बर १९३६

## ब्रह्मचर्यका अर्थ

एक सज्जन लिखते हैं :

“आपके विचारोको पढ़कर मैं बहुत समयसे यह मानता आया हूँ कि सन्तति-निरोधके लिए ब्रह्मचर्य ही एक-मात्र सर्वश्रेष्ठ उपाय है, सभोग केवल सन्तानेच्छासे प्रेरित होकर होना चाहिए, बिना सन्तानेच्छाका भोग पाप है, इन वातोको सोचते हैं तो कई प्रश्न उपस्थित होते हैं । सभोग सन्तानके लिए किया जाय यह ठीक है, पर एक-दो बारके भोगसे सन्तान न हो, तो ? ऐसे समयको मर्यादापूर्वक किस सीमाके अन्दर रहना चाहिए ? एक-दो बारके सभोगसे सन्तान चाहे न हो, पर आशा कहा पिण्ड छोड़ती है ? इस प्रकार वीर्यका बहुत कुछ अपव्यय अनचाहे भी हो सकता है । ऐसे व्यक्तिको क्या यह कहा जाय कि ईश्वरकी इच्छा विरुद्ध होनेके कारण उसे भोगका त्याग कर देना चाहिए । ऐसे भोगके लिए तो बहुत आध्यात्मिकताकी आवश्यकता है । प्राय ऐसा भी देखनेमें आया है कि सन्तान सारी उम्र न होकर उत्तरावस्थामें हुई है, इसलिए आशाका त्याग करना कठिन है । यह कठिनाई तब और भी बढ़ जाती है, जब दोनों स्त्री-पुरुष रोगसे मुक्त हो ।”

यह कठिनाई अवश्य है, लेकिन ऐसी वाते मुश्किल तो हुआ ही करती है । मनुष्य अपनी उन्नति वगैर कठिनाईके कैसे कर सकता है ? हिमालयपर चढ़नेके लिए जैसे-जैसे मनुष्य आगे बढ़ता है, कठिनाई बढ़ती ही जाती है, यहातक कि हिमालयके सबसे ऊचे शिखरपर आजतक कोई पहुच नहीं सका है । इस प्रयत्नमें कई मनुष्योंने मृत्युकी भेट की है । हर साल चढ़ाई करने-वाले नये-नये पुरुषार्थी तैयार होते हैं और निष्फल भी होते हैं, फिर भी इस प्रयासको वे छोड़ते नहीं । विषयेन्द्रियका दमन हिमालय पहाड़पर चढ़नेसे तो कठिन है ही, लेकिन उसका परिणाम भी कितना ऊचा है । हिमालयपर

चढ़नेवाला कुछ कीर्ति पायगा, क्षणिक सुख पायगा, इन्द्रिय-जीत मनुष्य आत्मानन्द पायगा और उसका आनन्द दिन-प्रति-दिन बढ़ता जायगा । ब्रह्मचर्य-शास्त्रमे तो ऐसा नियम माना गया है कि पुरुष-वीर्य कभी निष्फल होता ही नहीं और होना ही नहीं चाहिए । और जैसा पुरुषके लिए, ऐसा ही स्त्रीके लिए भी, इसमे कोई आश्चर्यकी बात नहीं । जब मनुष्य अथवा स्त्री निर्विकार होते हैं, तब वीर्यहानि असम्भावित हो जाती है और भोगेच्छाका सर्वथा नाश हो जाता है । जब पति-पत्नी सन्तानकी इच्छा करते हैं तो, तभी एक-दूसरेका मिलन होता है । यही अर्थ गृहस्थाश्रमीके ब्रह्मचर्यका है अर्थात्—स्त्री-पुरुषका मिलन सिर्फ सन्तानोत्पत्तिके लिए ही उचित है, भोग-तृप्तिके लिए कभी नहीं । यह हुई कानूनी बात अथवा आदर्शकी बात । यदि हम इस आदर्शको स्वीकार करे तो हम समझ सकते हैं कि भोगेच्छाकी तृप्ति अनुचित है और हमे उसका यथोचित त्याग करना चाहिए । यह ठीक है कि आज कोई इस नियमका पालन नहीं करते । आदर्शकी बात करते हुए हम शक्तिका खयाल नहीं कर सकते; लेकिन आजकल भोग-तृप्तिको आदर्श बताया जाता है । ऐसा आदर्श कभी हो नहीं सकता, यह स्वयसिद्ध है । यदि भोग आदर्श है तो उसे मर्यादित नहीं होना चाहिए । अमर्यादित भोगसे नाश नहीं होता, यह सभी स्वीकार करते हैं । त्याग ही आदर्श हो सकता है और प्राचीनकालसे रहा है । मेरा कुछ ऐसा विश्वास बन गया है कि ब्रह्मचर्यके नियमोको हम जानते नहीं हैं, इसलिए बड़ी आपत्ति पैदा हुई है, और ब्रह्मचर्य-पालनमे अनावश्यक कठिनाई महसूस करते हैं । अब जो आपत्ति मुझे पत्र-लेखकने वतलाई है, वह आपत्ति ही नहीं रहती है; क्योंकि सन्ततिके ही कारण तो एक ही बार मिलन हो सकता है, अगर वह निष्फल गया तो दोबारा उन स्त्री-पुरुषोका मिलन होना ही नहीं चाहिए । इस नियमको जाननेके बाद इतना ही कहा जा सकता है कि जवतक स्त्रीने गर्भ-धारण नहीं किया तवतक, प्रत्येक ऋतुकालके बाद, प्रतिमास एक बार स्त्री-पुरुषका मिलन क्षतव्य हो सकता है, और यह मिलन भोग-तृप्तिके लिए न माना जाय । मेरा यह अनुभव है कि जो मनुष्य वचनसे और कार्यसे विकार-रहित होता है, उसे

सानसिक अथवा शारीरिक व्याधिका किसी प्रकार डर नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि ऐसे निर्विकार व्यक्ति व्याधियोंसे भी मुक्त होते हैं और इसमें कोई आश्चर्यकी वात नहीं है। जिस वीर्यसे मनुष्य-जैसा प्राणी पैदा हो सकता है, उसके अविच्छिन्न सग्रहसे अमोघ शक्ति पैदा होनी ही चाहिए। यह वात शास्त्रोमें तो कही गई है, लेकिन हरेक मनुष्य इसे अपने लिए यत्नसे सिद्ध कर सकता है। और जो नियम पुरुषोंके लिए है वह स्त्रियोंके लिए भी है। आपत्ति सिर्फ यह है कि मनुष्य मनसे विकारमय रहते हुए शरीरसे विकार-रहित होनेकी व्यर्थ आशा करता है और अन्तमें मन और शरीर दोनोंको क्षीण करता हुआ गीताकी भाषामें मूढ़ात्मा और मिथ्याचारी बनता है।

हरिजन सेवक,

१३ मार्च १९३७

## श्रराय-रोदन

“अभी हाल हीमे सन्तति-नियमनकी प्रचारिका मिसेज़ सेगरके साथ आपकी मुलाकात पर एक समालोचना मैंने पढ़ी है। इसका मुझपर इतना गहरा असर हुआ कि आपके दृष्टि-विन्दुपर सन्तोष और पसन्दगी जाहिर करनेके लिए मैं आपको यह पत्र लिखने बैठा हू। आपकी हिम्मतके लिए ईश्वर सदा आपका कल्याण करे।

“पिछले तीस सालसे मैं लड़कोंको पढ़ानेका काम करता हू। मैंने हमेशा उन्हे देह-दमन और निस्वार्थ जीवन वितानेके लिए तालीम दी है। जब मिसेज़ सेगर हमारे आस-पास प्रचार-कार्य कर रही थी, तब हाईस्कूलके लड़के-लड़किया उनकी दी हुई सूचनाओंका उपयोग करने लग गये थे और परिणामका डर धूर हो जानेसे उनमे खूब व्यभिचार चल पड़ा था। अगर मिसेज़ सेगरकी शिक्षा कही व्यापक हो गई तो सारा समाज विषय-सेवनके पीछे पड़ जायगा, और गुद्ध प्रेमका दुनियासे नामोनिशानतक मिट जायगा। मैं मानता हू कि जनताको उच्च आदर्शोंकी शिक्षा देनेमे सदिया लग जायगी; पर यह काम शुरू करनेके लिए अनुकूल-से-अनुकूल समय अभी है। मुझे डर है कि मिसेज़ सेगर विषयको ही प्रेम समझ बैठी है, पर यह भूल है, क्योंकि प्रेम एक आध्यात्मिक वस्तु है, विषय-सेवन-से इसकी उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती।

“डॉ० ऐलेक्सिस केरल भी आपके साय इस वातमे सहमत है कि तबम कभी हानिकारक सिद्ध नहीं होता, सिवाय उन लोगोंके जो दूसरी तरह अपने विषयोंको उत्तेजित करते हों और पहलेसे ही अपने मनपर काढ़ लो चुके हों। मिसेज़ नेगरका यह व्यान कि अधिकारा डॉ०क्टर यह मानते हैं कि ब्रह्मचर्य-पालनसे हानि होती है, विलक्षुल गलत है। मैं तो देखता

हू कि यहा कई बडे-बडे डॉक्टर अमेरिकन सोश्यल हाइजीन (सामाजिक आरोग्य-शास्त्र) के विज्ञान-शास्त्री व्रह्यचर्य-पालनको लाभदायक मानते हैं।

“आप एक बडा नेक काम कर रहे हैं। मैं आपके जीवन-स्वामके तमाम चढाव-उत्तारोका बहुत रस्पूर्वक अध्ययन करता रहा हू। आप जगत्‌मे उन इने-गिने व्यक्तियोमेसे हैं, जिन्होने स्त्री-पुरुष-सम्बन्धके प्रश्नपर इस तरह उच्च आध्यात्मिक दृष्टि-विन्दुसे विचार किया है। मैं आपको यह जताना चाहता हू कि महासमरके इस पार भी आपके आदर्शोंके साथ सहानुभूति रखनेवाला आपका एक साथी यहापर है।

“इस नेक कामको जारी रखे, ताकि नवयुवक-वर्ग सच्ची बातको जान ले; क्योंकि भविष्य इसी वर्गके हाथोमे है।”

“अपने विद्यार्थियोके साथ अपने सवादमेसे मैं छोटा-सा उद्धरण यहा देना चाहता हू—‘निर्माण करो, हमेशा निर्माण करो। निर्माण-प्रवृत्ति-मेसे तुम्हे श्रेय मिलेगा, उन्नति मिलेगी, उत्साह मिलेगा, उल्लास मिलेगा, पर अगर तुम अपनी निर्माणशक्तिको आज विषय-तृप्तिका साधन बना लोगे, तो तुम अपनी रचना-शक्तिपर अत्याचार करोगे और तुम्हारे आध्यात्मिक बलका नाश हो जायगा। रचना-प्रवृत्ति—शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक—का नाम जीवन है, यही आनन्द है। अगर तुम प्रजोत्पत्तिके हेतुके बिना या सन्ततिका निरोध करके विषय-सेवन द्वारा सिर्फ इन्द्रिय-सुख प्राप्त करनेका प्रयत्न करोगे तो तुम प्रकृतिके नियम-का भग और अपनी आध्यात्मिक शक्तियोका हनन करोगे। इसका परिणाम क्या होगा? अनिवार विषयाग्नि धधक उठेगी और आखिर निराशा तथा असफलतामे अन्त होगा। इससे तो हम कभी उन उच्च गुणोका विकास नहीं कर पायगे, जिनके बलपर हम उस नवीन मानव-समाजकी रचना कर सके जिसमे कि दिव्यात्मा स्त्री-पुरुष हो।”

“मैं जानता हू कि यह सब पूर्वकालके नवियोके अरण्य-रोदन-जैसी बात है, पर मेरा पक्का विश्वास है कि वही सच्चा रास्ता है और मुझसे अधिक कुछ चाहे न भी बन पडे, मैं कम-से-कम उगली दिखाकर तो अपना समाधान कर लू।”

नतति-नियमनके कृत्रिम साधनोंका निषेध करनेवाले जो पत्र मुझे कभी-नभी अमेरिकाने मिलते रहते हैं, उन्हींमें से यह भी एक है। पर गुदूर पश्चिमसे हर हफ्ते हिन्दुस्तानमें जो नामाजिक नाहिन्य आता रहता है, उसके तो पठनेमें दिल्पर विलकूल जुदा ही बनर पड़ता है। यही मालूम होता है, मानो अमेरिकामें तो निजा वेदपूर्णोंके लोटी भी उन आधार-नियक नाधनोंका विरोध नहीं करते हैं, जो मनुष्यको उन आधा-पश्चिमानोंमें भूमिति प्रदान करते हैं, जो अवतरु गरीबको गुलाम बनाकर अन्यायके अर्थ-ध्रेष्ठ ऐहिक नुस्खेमें मनुष्यको वचित करके उनके शरीरको निरक्षण घरा देनेकी शिक्षा देना चला जा रहा है। यह नाहिन्य भी उन्होंनी ही अधिक नगा पैदा करता है, जितना कि वह वर्म, जिनसी वज्र शिक्षा देना है और जिसे उसके साधारण परिणामके उत्तरों द्वचलर करनेमें प्रोत्तान देता है। पश्चिमने आनेवाले केवल उन पत्रोंमें मैं 'इंजिन' के पठानेमें

प्रति भूठी और निरी भावुक सहानुभूतिके अलावा और कुछ नहीं होता । और इस मामलेमें व्यक्तिगत अनुभववाली दलीलमें तो उतनी ही बुद्धि है, जितनी कि एक शराबीके किसी कार्यमें होती है और सहानुभूतिवाली दलील एक धोखेकी टट्टी है, जिसके अन्दर पैर भी रखना खतरनाक है । अनचाहे वच्चोके तथा मातृत्वके कष्ट तो कल्याणकारी प्रकृति द्वारा नियोजित सजाए और हिदायते हैं । सयम और इन्द्रिय-नियमके कानूनकी जो परवा नहीं करेगा, वह तो एक तरहसे अपनी खुद-कुशी ही कर लेगा । यह जीवन तो एक परीक्षा है । अगर हम इन्द्रियोका नियमन नहीं कर सकते, तो हम असफलताको न्यौता देते हैं । कायरोकी तरह हम युद्धसे मुह मोड़कर जीवनके एकमात्र आनन्दसे अपने-आपको वचित करते हैं ।

हरिजन सेवक,  
२७ मार्च १९३७

## ब्रह्मचर्यपर नया प्रकाश

अब एक नई बात आप लोगोंसे कहना चाहता हूँ। सोचा था कि विनोवा सुनायें; पर अब समय है तो स्वयं मैं कहता हूँ। मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि अच्छी बात सबके साथ बाट लेता हूँ। बातका आरम्भ तो बहुत वर्षों पुराना है। मैं जुलू-युद्धमें गया था। देखो, ईश्वरका खेल इसी तरह चलता है। मेरा निश्चय हो गया कि जिसको जगत्की सेवा करनी है, उसके लिए ब्रह्मचर्य पालन करना आवश्यक है। विवाहित दम्पतिको भी ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहिए। इससे मेरा मतलब यह था कि उन्हें प्रजोत्पादन-क्रियामें नहीं पड़ना चाहिए। मैं यह समझता था कि जो प्रजोत्पादन करते हैं, वे ब्रह्मचारी नहीं हो सकते। इसलिए मैंने ब्रह्मचर्यका आदर्श छगनलाल आदिके सामने रखा। उस वक्त तो मैं विलकुल जवान था। और जवान तो सबकुछ कर सकता है। मैं आपसे कह दूँ कि आप सब ब्रह्मचारी बने तो क्या वह होनेवाली बात है? वह तो एक आदर्श है, इसलिए मैं तो विवाह भी करा देता हूँ। एक आदर्श देते हुए भी यह तो जानता ही हूँ कि ये लोग भोग भी करेंगे। प्रजोत्पादन और ब्रह्मचर्य एक-दूसरेके विरोधी हैं, ऐसा मेरा ख्याल रहा।

पर उस दिन विनोवा मेरे पास एक उलझन लेकर आये। एक शास्त्र-वचन है, जिसकी कीमत मैं पहले नहीं जानता था। उस वचनने मेरे दिलपर एक नया प्रभाव डाल दिया। उसका विचार करते-करते मैं विलकुल थक गया, उसमें तन्मय हो गया। अब भी मैं उसीसे भरा हूँ। ब्रह्मचर्यका जो अर्थ शास्त्रोमें बताया है, वह अति शुद्ध है। नैषिंगिक ब्रह्मचारी वह है, जिसने जन्मसे ही ब्रह्मचर्यका पालन किया हो। स्वप्नमें भी जिसका वीर्य-स्खलन न हुआ हो, लेकिन मैं नहीं जानता था

कि प्रजोत्पत्तिके हेतु जो सम्भोग करता है उसे नैछिक ब्रह्मचारी क्यों माना गया है । कल यह बुलन्द बात मेरी समझमे आगई । जो दम्पति गृहस्थाश्रममे रहते हुए केवल प्रजोत्पत्तिके हेतु ही परस्पर सयोग और एकान्त करते हैं, वे ठीक ब्रह्मचारी ही हैं । आज हम जिसे विवाह कहते हैं, वह विवाह नहीं, वह भ्रष्टाचार है । यद्यपि मैं कहता था कि प्रजोत्पत्तिके लिए विवाह है, फिर भी यह मानता था कि इसका मतलब सिर्फ यही है कि दोनोंको प्रजोत्पत्तिसे डर न मालूम हो, उसके परिणामको टालनेका प्रयत्न न हो और भोगमे दोनोंकी सहमति हो । मैं नहीं जानता कि उसका इससे भी अधिक कोई मतलब होगा, पर यह भी शुद्ध विवाह कब कहा जाय ? दम्पति प्रजोत्पत्ति तभी करे जब जरूरत हो, और जब उसकी जरूरत हो तभी एकान्त भी करें । अर्थात् सम्भोग प्रजोत्पादनको कर्तव्य समझकर तथा उसके लिए ही हो । इसके अतिरिक्त कभी एकान्त न करे । यदि एक पुरुष इस प्रकार हेतुपूर्वक सम्भोगको छोड़कर स्थिर वीर्य हो तो वह नैछिक ब्रह्मचारीके बराबर है । सोचिए, ऐसा एकान्तवास<sup>०</sup> जीवनमे कितनी बार हो सकता है ? वीर्यवान् नीरोग स्त्री-पुरुषोंके लिए तो जीवनमे एक ही बार ऐसा अवसर हो सकता है । ऐसे व्यक्ति क्यों नैछिक ब्रह्मचारीके समान न माने जाय ? जो बात मैं पहले थोड़ी-थोड़ी समझता था' वह आज सूर्यकी तरह स्पष्ट हो गई है । जो विवाहित है, इसे ध्यानमें रखे । पहले भी मैंने यह बात बताई थी, पर उस समय मेरी इतनी श्रद्धा नहीं थी । उसे मैं अव्यावहारिक समझता था । आज व्यावहारिक समझता हूँ । पशु-जीवनमे दूसरी बात हो सकती है, लेकिन मनुष्यके विवाहित जीवनका यह नियम होना चाहिए कि कोई भी पति-पत्नी विना आवश्यकताके प्रजोत्पत्ति न करे और विना प्रजोत्पादनके सम्भोग न करे ।

हरिजन सेवक,

३ अप्रैल १९३७

२५

## आश्चर्यजनक, अगर सच है !

खासाहब अब्दुलगफ़ारख़ा और मैं सवेरे और शाम जब धूमने जाते हैं तो हमारी बात-चीत अक्सर ऐसे विषयों पर हुआ करती है, जो सभीके हितके होते हैं। खासाहब सरहदी इलाकोमें, यहातक कि काबुल और उसके भी आगे काफी धूमे हैं, और सरहदी कबीलोंके बारेमें उनको बड़ी अच्छी जानकारी है। इसलिए वह अवसर वहाके सीधे-सादे लोगोंकी आदतों और रस्म-रिवाजोंके बारेमें मुझे बतलाया करते हैं। वह मुझे बताते हैं कि इन लोगोंकी मुख्य खुराक, जो इस सम्यताकी हवासे अबतक अछूते ही हैं, मक्का और जौ की रोटी और मसूर है। बक्तन-फवक्तन वे छाँच भी ले लिया करते हैं। वे गोश्त खाते हैं, पर बहुत कम। मैंने समझा कि उनकी मशहूर दिलेरीका एक-मात्र कारण उनका खुली हवामें रहना और वहाका अच्छा शक्तिवर्द्धक जलवायु ही है। 'नहीं, सिर्फ यही बात नहीं है' खासाहबने उसी बदत कहा, 'उनमें जो ताकत व दिलेरी है उसका भेद तो हमें उनके सयमी जीवनमें मिलता है। शादी वे, मर्द व औरते दोनों ही, पूरी जवानीकी उम्रमें जाकर करते हैं। वेवफाई, व्यभिचार या अविवाहित प्रेमको तो वे जानते ही नहीं।' शादीसे पहले सहवास करनेकी सजा वहा मौत है। इस तरहका गुनाह करनेवालेकी जान लेनेका उन्हें हक्क है।'

अगर यह सयम या इन्द्रिय-निश्रह वहा इतना व्यापक है, जैसा कि खासाहब बतलाते हैं, तो इससे हमें हिन्दुस्तानमें एक ऐसा सबक मिलता है, जो हमें हृदयगम कर लेना चाहिए। मैंने खासाहबके आगे यह विचार रखा कि उन लोगोंके कदावर और दिलेर होनेका एक बहुत बड़ा सबब अगर उनका सयसी जीवन है, तो मन और शरीरके बीच पूरा सहयोग होना

ही चाहिए, क्योंकि अगर मन विषय-तृप्तिके पीछे पड़ा रहा और शरीर-ने निय्रह किया, तो इससे प्राण-शक्तिका इतना भयकर नाश होगा कि शरीरमें कुछ भी नहीं बच रहेगा। खासाहव मान गये कि यह अनुमान ठीक है। उन्होंने कहा कि जहातक मैं इसकी जाच कर सका हूँ, मुझे लगता है कि वे लोग सयमके इतने ज्यादा आदी हो गये हैं कि नौजवान मर्दों और औरतोंका शादीसे पहले विषय-तृप्ति करनेका कभी मन ही नहीं होता। खासाहवने मुझसे यह भी कहा कि उन इलाकोंकी औरतें कभी पर्दा नहीं करती, वहा भूठी लज्जा नहीं है, औरते निडर हैं, चाहे जहा आजादीसे घूमती हैं और अपनी सम्भाल खुद कर सकती हैं, अपनी इज्जत-आवरू बचा सकती हैं, किसी मर्दसे वे अपनी रक्षा नहीं कराना चाहती, उन्हे जरूरत भी नहीं। तो भी खासाहव यह मानते हैं कि उनका यह सयम बुद्धि या जीती-जागती श्रद्धापर आधार नहीं रखता, इसलिए जब ये पहाड़ोंके रहनेवाले लोग सभ्य या नजाकतकी जिन्दगीके सम्पर्कमें आते हैं, तो उनका वह सयम टूट जाता है। सम्यताके सम्पर्कमें आकर जब वे अपनी पुरानी वात छोड़ देते हैं, तो उन्हे इसके लिए कोई सजा नहीं मिलती और उनकी बेवफाई और व्यवहारको पब्लिक कम या ज्यादा उपेक्षाकी नजरसे देखती है। इससे ऐसे विचार सामने आ जाते हैं, जिनकी मुझे फिलहाल चर्चा नहीं करनी चाहिए। यह लिखनेका तो अभी मेरा यह मतलब है कि खासाहवकी तरह जो लोग इन फिरकोंके आदमियोंके बारेमें जानकारी रखते हों, और उनके कथनका समर्थन करते हों, उनसे इसपर और भी रोशनी डलवाई जाय, और मैदानोंमें रहनेवाले नौजवानों और युवतियोंको बतलाया जाय कि सयमका पालन, अगर वह इन पहाड़ी फिरकोंके लिए सचमुच स्वाभाविक चीज है, जैसा कि खासाहवका ख्याल है, तो हम लोगोंके लिए भी उसे उतना ही स्वाभाविक होना चाहिए— अगर अच्छे-अच्छे विचारोंको हम अपने विचार-जगत्‌में वसा ले, और यो ही घुस आनेवाले वाधक विचारों या विषय-विकारोंको जगह न दे। दरअसल, अगर सद्विचार काफी बड़ी सख्त्यामें हमारे मनमें बस जाय, तो वाधक विचार वहा ठहर ही नहीं सकते। अवश्य इसमें साहसकी जरूरत

है। आत्म-सयम कायर आदमीको कभी हासिल नहीं होता। आत्म-सयम तो प्रार्थना और उपवास-रूपी जागरूकता और निरन्तर प्रयत्नका सुन्दर फल है। अर्थ-हीन स्तोत्रपाठ प्रार्थना नहीं है, न शरीरको भूखो मारना उपवास है, प्रार्थना तो उसी हृदयसे निकलती है जिसे कि ईश्वरका श्रद्धा-पूर्वक ज्ञान है; और उपवासका अर्थ है बुरे या हानिकारक विचार, कर्म या आहारसे परहेज रखना। मन विविध प्रकारके व्यजनोकी ओर दौड़ रहा है और शरीरको भूखो मारा जा रहा है, तो ऐसा उपवास तो निरर्थक व्रत-उपवाससे भी बुरा है।

हरिजन सेवक,

१० अप्रैल १९३७

: २६ :

## सन्तति-निरोध

प्रश्न—दरिद्र औरतोंकी सन्तान-वृद्धि रोकनेके लिए क्या उपाय करना चाहिए ?

उत्तर—हमारा तो कर्तव्य यही है कि उन्हे सयमका धर्म ही समझाये । कृत्रिम उपाय तो मर जाने जैसी वात है । और मैं नहीं समझता कि देहाती स्त्रिया उन्हे अपनायगी । उनके बच्चोंके लिए दूध प्राप्त करनेकी चेष्टा करनी चाहिए ।

प्रश्न—सन्तति-निरोधके लिए स्त्रिया तो सयम करना चाहे, पर पुरुष बलात्कार करे, तब क्या किया जाय ?

उत्तर—यह तो सच्चे स्त्री-धर्मका सवाल है । सतियोंको मैं पूजता हूँ, पर उन्हे कुएमे नहीं गिराना चाहता । स्त्रीका सच्चा धर्म तो द्रोपदीने वताया है । पति अगर गिरता है तो स्त्री न गिरे । स्त्रीके सयममे वाधा डालना शुद्ध व्यभिचार है । यदि वह बलात्कार करने आवे तो उसे थप्पड मारकर भी सीधा करना उसका धर्म है । व्यभिचारी पतिके लिए वह दरवाजा बन्द कर दे । अधर्मी पतिकी पत्नी बननेसे उसे इन्कार करना चाहिए । हमे स्त्रियोंके अन्दर यह हिम्मत पैदा कर देनी चाहिए ।

प्रश्न—मध्यम-वर्गकी स्त्रियोंका सतति-निरोधके विषयमे क्या कर्तव्य है ?

उत्तर—मध्यम-वर्गकी हो या वादशाही-वर्गकी हो, भोग भोगना हमारे हाथमे है; लेकिन परिणामके वादशाह हम नहीं बन सकते । सिद्धि होगी या नहीं, यह शका करना हमारा काम नहीं है । हमारा काम तो सिर्फ यही होगा कि सत्य-धर्म सिखाए । मध्यम-थ्रेणीकी स्त्रिया नये-नये

उपाय काममे लाए तो हमे मना करना चाहिए । सयम ही एक-मात्र उपाय हो सकता है ।

प्रश्न—पतिको उपदेश जैसा कठिन रोग हो तब स्त्री क्या करे ?

उत्तर—उस हालतमे सन्तति-निरोधके उपायोंसे भी स्त्रीका वचाव नहीं हो सकता । ऐसे पतिको कलीव ही समझकर उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, इसके लिए स्त्रिया इतनी विद्या सीख ले, जिससे वे स्वाव-लम्बी बन जाय ।

गाधी-सेवा-सघ, द्वितीय अधिवेशन

१० अप्रैल १९३७

## विवाहकी मर्यादा

श्री हरिभाऊ उपाध्याय लिखते हैं ।

‘हरिजन सेवक’ के इसी अकमे ‘धर्म-सकट’ नामक आपका लेख पढ़ा । उसमे आपने लिखा है कि उक्त प्रकारके (अर्थात् मामा-भाजीके सम्बन्ध जैसे) सम्बन्धका प्रतिबन्ध सर्वमान्य नहीं है । ऐसे प्रतिबन्ध रुद्धियोसे बने हैं । यह देखनेमे नहीं आता कि ये प्रतिबन्ध किसी धार्मिक या तात्त्विक निर्णयसे बने हैं ।”

मेरा अनुमान यह है कि ये प्रतिबन्ध शायद सन्तानोत्पत्तिकी दृष्टिसे लगाये गये हैं । इस शास्त्रके ज्ञाता ऐसा मानते हैं कि विजातीय तत्त्वोके मिश्रणसे सन्तति अच्छी होती है । इसलिए सगोत्र और सपिष्ठ कन्याओका पाणिग्रहण नहीं किया जाता ।

यदि यह माना जाय कि यह केवल रुद्धि है तो फिर सगी और चचेरी वहनोके सम्बन्धपर भी कैसे आपत्ति उठाई जा सकती है ? यदि विवाहका हेतु सन्तानोत्पत्ति ही है और सन्तानोत्पादनके ही लिए दम्पतिका सयोग करना योग्य है तो फिर वर-कन्याके चुनावके औचित्यकी कसौटी सु-प्रजननकी क्षमता ही होनी चाहिए । क्या और कसौटिया गौण समझी जाय ? यदि हा, तो किस क्रमसे, यह प्रश्न सहज उठता है । मेरी रायमे वह इस प्रकार होना चाहिए—

- (१) पारस्परिक आकर्षण और प्रेम ।
- (२) सुप्रजननकी क्षमता ।
- (३) कौटुम्बिक और व्यावहारिक सुविधा ।
- (४) समाज और देशकी सेवा ।

(५) आध्यात्मिक उन्नति ।

आपका इस सम्बन्धमें क्या मत है ?

हिन्दू-शास्त्रोंमें पुत्रोत्पत्तिपर जोर दिया गया है । सधवाओंको आशीर्वाद दिया जाता है, “अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव ।” आप जो यह प्रतिपादन करते हैं कि दम्पति सतानके लिए सयोग करे तो इसका क्या यही अर्थ है कि सिर्फ एक ही सतान उत्पन्न करे, फिर वह लड़का हो या लड़की ? वग-वर्धनकी इच्छाके साथ ही ‘पुत्रसे नाम चलता है’ यह इच्छा-भी जुड़ी हुई मालूम होती है । केवल लड़कीसे इस इच्छाका कैसे समाधान हो सकता है ? बल्कि अभीतक समाजमें ‘लड़कीके जन्म’ का उतना स्वागत नहीं होता, जितना कि लड़केके जन्मका होता है । इसलिए यदि इन इच्छाओंको सामाजिक माना जाय तो फिर एक लड़का और एक लड़की—इस तरह दों सतति पैदा करनेकी छूट देना क्या अनुचित होगा ?

केवल सतानोत्पादनके लिए सयोग करनेवाले दम्पति ब्रह्मचारीवत् ही समझे जाने चाहिए—यह ठीक है—यह भी सही है कि सयत जीवनमें एक ही बार सयोगसे गर्भ रह जाता है । पहली बातकी पुण्यमें एक कथा प्रचलित है—

विशिष्टकी कुटियाके सामने एक नदी बहती थी । दूसरे किनारे विश्वामित्र तप करते थे । विशिष्ट गृहस्थ थे । जब भोजन पक जाता, तो पहले अरुन्धती थाल परोसकर विश्वामित्रको सिलाने जाती, बादको विशिष्टके घरपर सब लोग भोजन करते । यह नित्य-क्रम था । एक रोज वारिग्न हुई और नदीमें बाढ़ आ गई । अरुन्धती उस पार न जा सकी । उसने विशिष्टसे इसका उपाय पूछा । उन्होंने कहा—‘जाओ, नदीसे कहना, मैं सदा निराहारी विश्वामित्रको भोजन देने जा रही हूँ, मुझे रास्ता दे दो ।’ अरुन्धतीने इसी ग्रकार नदीसे कहा—और उसने रास्ता दे दिया । तब अरुन्धतीके मनमें दड़ा आश्चर्य हुआ कि विश्वामित्र रोज तो खाना खाते हैं, फिर निराहारी कैसे हुए ? जब विश्वामित्र खाना खा चुके, तब अरुन्धतीने उनसे पूछा—‘मैं बापत्त कैसे जाऊं, नदीमें तो बाट हूँ ?’ विश्वामित्रने उल्टकर

पूछा—‘तो आई कैसे?’ उत्तरमें अरुन्धतीने वशिष्ठका पूर्वोक्त नुसखा बतलाया। तब विश्वामित्रने कहा—‘अच्छा तुम नदीसे कहना, सदा ब्रह्मचारी वशिष्ठके यहाँ लौट रही हूँ। नदी, मुझे रास्ता दे दो।’ अरुन्धती-ने ऐसा ही किया और उसे रास्ता मिल गया। अब तो उसके अचरजका ठिकाना न रहा। वशिष्ठके सौ पुत्रोंकी तो वह स्वयं ही माता थी। उसने वशिष्ठसे इसका रहस्य पूछा कि विश्वामित्रको सदा निराहारी और आपको सदा ब्रह्मचारी कैसे मानूँ? वशिष्ठने बताया—“जो केवल गरीर-रक्षणके लिए ही ईश्वरार्पण-बुद्धिसे भोजन करता है, वह नित्य भोजन करते हुए भी निराहारी ही है, और जो केवल स्व-धर्म पालनके लिए अनासक्ति-पूर्वक सन्तानोत्पादन करता है, वह सयोग करते हुए भी ब्रह्मचारी ही है।”

परन्तु इसमें और मेरी समझमें तो शायद हिन्दू-शास्त्रमें भी केवल एक सत्तति—फिर वह कन्या हो या पुत्र—का विधान नहीं है। अतएव यदि आपको एक पुत्र और एक पुत्रीका नियम मान्य हो, तो मैं समझता हूँ, वहुतेरे दम्पत्तियोंको समाधान हो जाना चाहिए। अन्यथा मुझे तो ऐसा लगता है कि विना विवाह किये एक बार ब्रह्मचारी रह जाना शक्य हो सकता है; परन्तु विवाह करनेपर केवल सन्तानोत्पादनके लिए, और फिर भी प्रथम सततिके ही लिए सयोग करके फिर आजन्म सयमसे रहना उससे कही कठिन है। मेरा तो ऐसा मत बनता जा रहा है कि ‘काम’ मनुष्यमें स्वाभाविक प्रेरणा है। उसमें सयम सु-स्स्कारका सूचक है। ‘सततिके लिए सयोग’ का नियम बना देनेसे सु-स्स्कार या धर्मकी तरफ मनुष्यकी गति होती है, इसलिए यह बाछनीय है। सतानोत्पत्तिके ही लिए सयोग करनेवाले सयमी-का आदर करूँगा, कामेच्छाकी तृप्ति करनेवालेको भोगी कहूँगा, पर उसे पतित नहीं मानना चाहता, न ऐसा बातावरण ही पैदा करना ठीक होगा कि पतित समझकर लोग उसका तिरस्कार करें। इस विचारमें मेरी कही गलती हो, तो बतावे।”

विवाहमें जो मर्यादा वाधी गई है, उसका शास्त्रीय कारण मैं नहीं जानता। रुढिको ही, जो मर्यादाकी वृद्धिके लिए बनाई जाती है, नैतिक कारण माननेमें कोई आपत्ति नहीं है। सतान-हितकी दृष्टिसे ही अगर

भाई-बहनके सम्बन्धका प्रतिबन्ध योग्य है, तो चचेरी वहन इत्यादिपर भी प्रतिबन्ध होता चाहिए, लेकिन भाई-बहनके सम्बन्ध या ऐसे सम्बन्धके अतिरिक्त कोई प्रतिबन्ध धर्ममें नहीं माना जाता। इसलिए रुद्धिका जो प्रतिबन्ध जिस समाजमें हो, उसका अनुसरण उचित मालूम देता है। नैतिक विवाहके लिए जो पाच मर्यादाएं हरिभाऊजीने रखी हैं, उनका क्रम बदलना चाहिए। पारस्परिक प्रेम और आकर्षणको अन्तिम स्थान देना चाहिए। अगर उसे प्रथम स्थान दिया जाय, तो दूसरी सब गतें उसके आश्रयमें जानेसे निरर्थक बन सकती हैं। इसलिए उक्त क्रममें आध्यात्मिक उन्नतिको प्रथम स्थान देना चाहिए। समाज और देश-सेवाको दूसरा स्थान दिया जाय। कीटुम्बिक और व्यावहारिक मुविधाको तीव्ररा। पारस्परिक आकर्षण और प्रेमको चौथा। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस जगह इन प्रथम तीन शर्तोंका अभाव हो, वहा पारस्परिक प्रेमको स्थान नहीं मिल सकता। अगर प्रेमको प्रथम स्थान दिया जाय तो वह सर्वोपरि बनकर दूसरोंकी अवगणना कर सकता है, और करता है, ऐसा आजकलके व्यवहारमें देखनेमें आता है। प्राचीन और अवर्चीन नवल कथाओंमें भी यह पाया जाता है। इसलिए यह कहना होता कि उपर्युक्त तीन शर्तोंका पालन होते हुए भी जहा पारस्परिक आकर्षण नहीं है वहा विवाह त्याज्य है। सुप्रपननकी क्षमतामें गत न माना जाय, क्योंकि यही एक वस्तु विवाहकी गत नहीं।

हिन्दू-नान्दमें पुरुषत्तिपर अवन्य जोर दिया गया है। यह उस कालके निए ठीक था, जब समाजमें नन्द-नुद्धको अनिदार्य स्थान मिला हुआ था, जार पुरुष-वर्गकी दर्जी शास्त्रवक्ता थी। उनी कारणमें एकमें अधिक पत्नियोंकी भी इजाजत भी झींग अधिक पुरोगे अधिक दर नाना पाया था। एमिल दृष्टिने देखे तो एक ही नन्ति 'धर्मज' या 'धर्मजा' है। मैं पूर्ण भौति पुरीते दीन भेद नहीं नहाता हूँ, दोनों एक नमाम स्वागत-के दोस्त हैं।

लिङ्ग, विवाहमित्रा दुर्जान नार-नारमें अच्छा है। उसे व्यक्ति नार लात लात माननेकी जावनद नहीं नहीं। उसने इन्हा ही नार मित्रालय पायी है। नारालंतारिये ही जैसे यिला हात नारोंसे व्यवहारकर

विरोधी नहीं है। कामाग्निकी तृप्तिके कारण किया हुआ सयोग त्याज्य है। उसे निन्द्य माननेकी आवश्यकता नहीं। असख्य स्त्री-पुरुषोंका मिलन भोगके ही कारण होता है, और होता रहेगा। उससे जो दुष्परिणाम होते रहते हैं, उन्हे भोगना पड़ेगा। जो मनुष्य अपने जीवनको धार्मिक बनाना चाहता है, जो जीव-मात्रकी सेवाको आदर्श समझकर ससार-यात्रा समाप्त करना चाहता है, उसके लिए ही ब्रह्मचर्यकी मर्यादाका विचार किया जा सकता है। और ऐसी मर्यादा आवश्यक भी है।

हरिजन सेवक,

१५ अप्रैल १९३७

## एक युवककी कठिनाई

नदयुवकोके लिए मैंने 'हरिजन' मे जो लेख लिखा था, उसपर एक नवयुवक, जिसने अपना नाम गुप्त ही रखा है, अपने मनमे उठे एक प्रश्नका उत्तर चाहता है। यो गुमनाम पत्रोपर कोई ध्यान न देना ही सबसे अच्छा नियम है; लेकिन जब कोई सारयुक्त वात पूछी जाय, जैसी कि इसमे पूछी गई है, तो कभी-कभी मैं इस नियमको तोड़ भी देता हूँ।

पत्र हिन्दीमे है और कुछ लम्बा है। उसका सारांश यह है—

"आपके लेखोको पढ़कर मुझे सन्देह होता है कि आप युवकोके स्वभावको कहातक समझते हैं। जो वात आपके लिए सम्भव हो गई है वह सब युवकोके लिए सम्भव नहीं है। मेरा विवाह हो चुका है। इतनेपर भी मैं स्वयं तो सयम कर सकता हूँ; लेकिन मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। वच्चे पैदा हो, यह तो वह नहीं चाहती; लेकिन विषयोपभोग करना चाहती है। ऐसी हालतमे, मैं क्या करूँ? क्या यह मेरा फर्ज नहीं है कि मैं उसकी भोगेच्छाको तृप्त करूँ? दूसरे जरियेसे वह अपनी इच्छा पूरी करे, इतनी उदारता तो मुझमे नहीं है। फिर अखवारोमे जो पढ़ता रहा हूँ, उससे मालूम पड़ता है कि विवाह-सम्बन्ध कराने और नव-दम्पत्योको आजीर्वाद देनेमे भी आपको कोई आपत्ति नहीं है। यह तो आप अवश्य जानते होंगे, या आपको जानना चाहिए कि वे सब उस ऊचे उद्देश्यसे ही नहीं होते जिसका कि आपने उल्लेख किया है!"

पत्र-लेखकका कहना ठीक है। विवाहके लिए उम्र, आर्थिक स्थिति आदिकी एक कसौटी मैंने बना रखी है। उसको पूरा करके जो विवाह होते हैं, मैं उनकी मगल-कामना करता हूँ। इतने विवाहोमे मैं शुभ-कामना करता हूँ, इससे सम्भवत् यही प्रकट होता है कि देशके युवकोको इस हृद

तक मैं जानता हूँ कि यदि वे मेरा पथ-प्रदर्शन चाहे तो मैं बैसा कर सकता हूँ।

इस भाईका मामला मानो इस तरहका एक नमूना है जिसके कारण यह सहानुभूतिका पात्र है, लेकिन सयोगका एक-मात्र उद्देश्य प्रजनन ही है, यह मेरे लिए एक प्रकारसे नई खोज है। इस नियमको जानता तो मैं पहलेसे था, लेकिन जितना चाहिए उतना महत्व इसे मैंने पहले कभी नहीं दिया था। अभीतक मैं इसे पवित्र इच्छा-मात्र समझता था। लेकिन अब तो मैं इसे विवाहित जीवनका ऐसा मौलिक विधान मानता हूँ कि यदि इसके महत्वको पूरी तरह मान लिया गया तो इसका पालन कठिन नहीं है। जब समाजमे इस नियमको उपयुक्त स्थान मिल जायगा तभी मेरा उद्देश्य 'सिद्ध होगा, क्योंकि मेरे लिए तो यह जाज्वल्यमान विधान है। जब हम इसको भग करते हैं, तो उसके दण्डस्वरूप बहुत-कुछ भुगतना पड़ता है। पत्र-प्रेषक युक्त यदि इसके उस महत्वको समझ जाय, जिसका कि अनुसान नहीं लगाया जा सकता है और यदि उसे अपनेमे विश्वास एवं अपनी पत्नीके लिए प्रेम हो, तो वह अपनी पत्नीको भी अपने विचारोका बना लेगा। उसका यह कहना कि मैं स्वयं सयम कर सकता हूँ क्या सच है? क्या उसने अपनी पाश्विक वासनाओंको जन-सेवा जैसी किसी ऊँची भावनामे परिणत कर लिया है? क्या स्वभावत वह ऐसी कोई वात नहीं करता, जिससे उसकी पत्नीकी विषय-भावनाको प्रोत्साहन मिले? उसे जानना चाहिए कि हिन्दू-शास्त्रानुसार आठ तरहके सहवास माने गए हैं, जिनमे सकेतो द्वारा विषय-प्रवृत्तिको प्रेरित करना भी शामिल है। क्या वह इससे मुक्त है? यदि वह ऐसा हो और सच्चे दिलसे यह चाहता हो कि उसकी पत्नीमे भी विषय-वासना न रहे तो वह उसे शुद्धतम प्रेमसे सरावोर करे, उसे यह नियम समझावे, सन्तानोत्पत्तिकी इच्छाके बगैर सहवास करनेसे शारीरिक हानि होती है वह उसे समझावे और वीर्य-रक्षा-का महत्व बतलावे। अलादा इसके उसे चाहिए कि अपनी पत्नीको अच्छे कामोंकी ओर प्रवृत्त करके उनमे उसे लगाये रखे और उसकी विषय-वृत्तिको शात करनेके लिए उसके भोजन, व्यायाम आदिको नियमित करनेका यत्न

करे। और उस सत्रसे बढ़कर यदि वह वर्म-प्रवृत्तिका व्यक्ति है, तो अपने उस जीवित विद्वासको वह अपनी महत्वारी पत्नीमें भी पैदा करलेकी कांगिश करे, क्योंकि मुझे यह बात कहती होगी कि ऋग्वेद-ऋतका तब-तक पालन नहीं हो सकता जबतक कि उच्चरमें, जो कि जीता-जागता मत्य है, जटूट विद्वास न हो। आजकल तो यह एक फैलन-सा बन गया है कि जीवनमें उच्चरका कोई स्थान नहीं नमभा जाता और नच्चे उच्चरमें अद्विग आस्था रखनेकी आवश्यकताके दिना ही नवोच्च जीवनतः पहुँचनेपर योर दिया जाता है। मैं अपनी यह अनसर्वता दबूऱ्ह करता हूँ कि जो अपनेसे उनीं किनी ईक्षी-जक्षितमें विद्वान् नहीं रखने, या उन्हाँने जरना नहीं नमभते, उन्हे मैं यह बात समझा नहीं सकता। पर मेरा अपना अनुभव नो मुझे इनी ज्ञानपर ले जाना है कि जिसके नियनानुभार नारे विद्वता नचालन होता है, उस शास्त्र नियममें जनल विद्वारा रखे विना पूर्णतम जीवन नम्भव नहीं है। इन विद्वासने विहीन व्यक्ति तो समृद्धमें पल्ल ला पड़नेवाली उम दूऱ्हके नमान है, जो नष्ट होकर ही रहती है, परन्तु जो दूर नमृद्धमें ही रहती है वह उनकी गोरख-वृद्धिमें योग देनी है और हमे शाग-प्रद यात् पहुँचानेगा नम्भन उसे प्राप्त होता है।

हनिष्ठ संस्कार

२४ अप्रैल १९३७

१ : २६ :

## विद्यार्थियोंके लिए

“‘हरिजन’ के पिछले एक अकमे आपने ‘एक युवककी कठिनाई’ शीर्षक एक लेख लिखा है, जिसके सम्बन्धमें नम्रता-पूर्वक आपको यह लिख रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपने उस विद्यार्थीके साथ न्याय नहीं किया। यह प्रश्न आसानीसे हल होनेवाला नहीं। उसके सवालका आपने जो जवाब दिया है, वह सदिग्द और सामान्य रायका है। आपने विद्यार्थियोंसे यह कहा है कि वे भूठी प्रतिष्ठाका खयाल छोड़कर साधारण मज़दूरोंकी तरह बन जाय। यह सब सिद्धातकी बाते आदमीको कुछ रास्ता नहीं सुझाती और न आप-जैसे वहुत ही व्यावहारिक आदमीको/शोभा देती है। इस प्रश्नपर आप अधिक विस्तारके साथ विचार करनेकी कृपा करे और नीचे मैं जो उदाहरण दे रहा हूँ, उसमे क्या रास्ता निकाला जाय, इसका तफसील-वार व्यावहारिक और व्यापक उत्तर दे।

मैं लखनऊ-यूनिवर्सिटीमे एम० ए० का विद्यार्थी हूँ। प्राचीन भारतीय इतिहास मेरा विषय है। मेरी उम्र करीबन २१ सालकी है। मैं विद्याका प्रेमी हूँ और मेरी यह इच्छा है कि जीवनमें जितनी भी विद्या प्राप्त कर सकूँ, करूँ। आपका बताया हुआ जीवनका आदर्श भी मुझे प्रिय है। एकाध महीनेमें मैं एम० ए० फाइनलकी परीक्षा दे दूगा और मेरी पढ़ाई पूरी हो जायगी। इसके बाद मुझे ‘जीवनमें प्रवेश’ करना पड़ेगा।

मुझे अपनी पत्नीके अलांवा ४ भाइयो, (मुझसे सब छोटे हैं, और एककी शादी भी हो चुकी है) २ बहनों और माता-पिताका पोषण करना है। हमारे पास कोई पूजीका साधन नहीं है। जमीन है, पर वहुत ही थोड़ी।

अपने भाई-बहनोंकी शिक्षाके लिए क्या करूँ? फिर बहनोंकी शादी

भी तो जल्दी करनी है। इस सवके अलावा घर-भरके लिए अन्न और वस्त्र कहासे लाकर जुटाऊगा?

मुझे मौज व टीमटामसे रहनेका मोह नहीं है। मैं और मेरे आश्रित-जन अच्छा निरोगी जीवन विता सकें, और वक्त-जरूरतका काम अच्छी तरह चलता जाय, तो इतनेसे मुझे सतोष है। दोनो समय स्वास्थ्यकर आहार और ठीक-ठीक कपड़े मिलते जाय, वस इतना ही मेरे सामने सवाल है।

पैसेके बारेमे मैं ईमानदारीके साथ रहना चाहता हूँ। भारी सूद लेकर या शरीर बेचकर मुझे रोजी नहीं कमानी है। देश-सेवा करनेकी भी मुझे इच्छा है। अपने इस लेखमे आपने जो शर्तें रखी हैं, इन्हे पूरा करनेके लिए मैं तैयार हूँ।

पर मुझे यह नहीं सूझ रहा है कि मैं क्या करूँ? शुरुआत कहा और कैसे की जाय? शिक्षा मुझे केवल किताबी और अव्यावहारिक मिली है। कभी-कभी मैं सूत कातनेका विचार करता हूँ; पर कातना सीखे कैसे, और उस सूतका क्या होगा, इसका भी मुझे पता नहीं।

जिन परिस्थितियोंमे मैं पढ़ा हूँ, उनमे आप मुझे क्या सन्तति-नियमनके कृत्रिम साधन काममे लानेकी सलाह देगे? सयम और ब्रह्मचर्यमे मेरा विश्वास है, पर बहुचारी वननेमे मुझे अभी कुछ समय लगेगा। मुझे भय है कि पूर्ण संयमकी सिद्धि प्राप्त होनेके पूर्व यदि मैं कृत्रिम साधनोंका उपयोग नहीं करूँगा, तो मेरी स्त्रीके कई वच्चे पैदा हो जायगे और इस तरह वैठे ठाले मैं आर्थिक वरचादी मोल ले लूँगा। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि अपनी स्त्रीसे, उसके स्वाभाविक भावना-विकासमे, कई सयमका पालन कराना विलकूल ही उचित नहीं। आज्ञिरकार सावारण स्त्री-पुरुषोंके जीवनमे विषय-भोगके लिए तो स्थान है ही। मैं उसमे अपवाद-रूप नहीं हूँ। और मेरी स्त्रीको, आपके 'ब्रह्मचर्य', 'विषय-नेवनके खतरे' जादि विषयोंके महत्त्वपूर्ण लेख पढ़ने व समझनेका मौका नहीं मिला, इसलिए वह इत्से भी कम तैयार है।

मुझे अफसोस है कि पत्र ज्यादा लम्बा हो गया है; पर मैं क्षेपमें

लिखकर इतनी स्पष्टताके साथ अपने विचार जाहिर नहीं कर सकता था।

इस पत्रका आपको जो उपयोग करना हो वह आप खुशीसे कर सकते हैं।”

यह पत्र मुझे फरवरीके अन्तमे मिला था, पर जवाब इसका मैं अब लिख सका हूँ। इसमे ऐसे महत्वके प्रश्न उठाये गये हैं कि हर एक-की चचकि लिए इस अखबारके दो-दो कालम चाहिए, पर मैं सक्षेपमे ही जवाब दूँगा।

इस विद्यार्थीने जो कठिनाइया बताई है, वे देखनेमे गम्भीर मालूम होती हैं; पर वे उसकी खुदकी पैदा की हुई हैं। इन कठिनाइयोके नाम निर्देश भरसे ही जान लेना चाहिए कि इस विद्यार्थीकी और अपने देशकी शिक्षा-पद्धतिकी स्थिति कितनी खोटी है। यह पद्धति शिक्षाको केवल वाजारू, बेचकर पैसा पैदा करनेकी चीज बना देती है। मेरी दृष्टिसे शिक्षाका उद्देश्य बहुत ऊचा और पवित्र है। यह विद्यार्थी अगर अपनेको करोड़ो आदमियोमें से एक माने, तो वह देखेगा कि वह अपनी डिग्रीमे जो आशा रखता है, वह करोड़ो युवक और युवतियोसे पूरी नहीं हो सकती। अपने पत्रमे उसने जिन सम्बन्धियोका जिक्र किया है उनकी परवरिशके लिए वह क्यों जवाबदार बने? बड़ी उम्रके आदमी अच्छे मजबूत शरीरके हो, तो वे अपनी आजीविकाके लिए मेहनत-मजूरी क्यों न करे? एक उद्योगी मधुमक्खीके पीछे—भले ही वह नर हो—बहुत-सी आलसी मधु-मक्खियोका रखना गलत तरीका है।

इस विद्यार्थीकी उलझनका इलाज, उसने जो बहुत-सी चीजे सीखी हैं, उनके भूल जानेमे है। उसे शिक्षा-सम्बन्धी अपने विचार बदल देने चाहिए। अपनी वहनोको वह ऐसी शिक्षा क्यों दे, जिसपर इतना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़े? वे कोई उद्योग-धन्धा वैज्ञानिक रीतिसे सीखकर अपनी वुद्धिका विकास कर सकती है। जिस क्षण वे शरीरके विकासके साथ-साथ मनका विकास कर लेगी, अगर वे ऐसा करेगी, उसी क्षण वे अपनेको समाजका शोपण करने वाली नहीं, किन्तु सेविकाये समझना।

सीखेगी, तो उनके हृदयका अर्थात् आत्माका भी विकास होगा। और वे अपने भाईके साथ आजीविकाके लिए काम करनेमें समान हिस्सा लेगी।

पत्र लिखनेवाले विद्यार्थीने अपनी बहनोंके व्याहका उल्लेख किया है। उसकी भी यहा चर्चा कर लू। शादी 'जल्दी' होगी ऐसा लिखनेका क्या अर्थ है, यह में नहीं जानता। २० सालकी उम्र न हो जाय, तबतक उनकी जादी करनेकी ज़रूरत ही नहीं और अगर वह अपने जीवनका सारा क्रम बदल लेगा तो वह अपनी बहनोंको अपना-अपना वर खुद ढूढ़ लेने देगा; और विवाह-सम्प्रकारमें ५० रुपयेसे अधिक खर्च होना ही नहीं चाहिए। मैं ऐसे कितने ही विवाहोंमें उपस्थित रहा हू, और उनमें उन लड़कियोंके पति या उनके बड़े-बूढ़े खासी अच्छी स्थितिके ग्रेजुएट थे।

कातना कहा और कैसे सीखा जा सकता है, उसे इसका भी पता नहीं। उसकी यह लाचारी देखकर करूणा आती है। लखनऊमें वह प्रयत्न-पूर्वक तलाश करे, तो कातना सिखाने-वाले उसे वहा कई युवक मिल सकते हैं; पर उसे अकेला कातना सीख कर बैठे रहनेकी ज़रूरत नहीं, हालांकि सूत कातना भी पूरे समयका धन्धा होता जा रहा है, और वह ग्राम-वृत्ति वाले स्त्री-पुरुषोंको पर्याप्त आजीविका दे सकनेवाला उद्योग बनता जा रहा है। मुझे आगा है कि मैंने जो कहा है, उसके बाद वाकीका सब यह विद्यार्थी खुद समझ लेगा।

अब सत्तति-नियमनके कृत्रिम साधनोंके सम्बन्धमें यहा भी उसकी कठिनाई काल्पनिक ही है। यह विद्यार्थी अपनी स्त्रीकी बुद्धिको जिस तरह आक रहा है, वह ठीक नहीं। मुझे तो जरा भी शका नहीं कि अगर वह साधारण स्त्रियोंकी तरह है, तो पतिके समझके अनुकूल वह सहल हो जायगी। विद्यार्थी खुद अपने मनसे पूछकर देखे कि उसके मनमें पर्याप्त समझ है या नहीं? मेरे पास जितने प्रमाण हैं, वे तो सब यहीं बताते हैं कि समझ-शक्तिका अभाव स्त्रीकी अपेक्षा पुरुषमें ही अधिक होता है; पर इस विद्यार्थीको अपनी समझ रखनेकी शक्ति कम समझकर उसे हिसाव-मेंसे निकाल देनेकी ज़रूरत नहीं। उसे बड़े कुटुम्बकी सम्भावनाका मर्दनीगीके साथ सामना करना चाहिए, और उस परिवारके पालन-पोषण

करनेका अच्छेसे-अच्छा ज़रिया ढूढ़ लेना चाहिए। उसे जानना चाहिए कि करोड़ो आदमियोंको इन कृत्रिम साधनोंका पता ही नहीं, इन साधनोंको काममे लानेवालोंकी सख्त्या तो बहुत-बहुत होगी तो कुछेक हजार ही होगी। उन करोड़ोंको इस बातका भय नहीं होता कि वच्चोंका पालन किस तरह करेगे, यद्यपि वच्चे वे सब मात्रापकी इच्छासे नहीं होते। मैं चाहता हूँ कि मनुष्य अपने कर्मके परिणामका सामना करनेसे इन्कार न करे। ऐसा करना कायरता है। जो लोग कृत्रिम साधनोंको काममे लाते हैं, वे सयमका गुण नहीं सीख सकते। उन्हे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कृत्रिम साधनोंके साथ भोगा हुआ भोग वच्चोंका आना तो रोकेगा, पर पुरुष और स्त्री दोनोंकी—स्त्रीकी अपेक्षा पुरुषकी अधिक—जीवन-शक्तिको वह चूँस लेगा। आसुरी वृत्तिके खिलाफ युद्ध करनेसे इन्कार करना नामर्दी है। पत्र-लेखक अगर अनचाहे वच्चोंको रोकना चाहता है, तो उसके सामने एक-मात्र अचूक और सम्मानित मार्ग यही है कि उसे सयम-पालन करनेका निश्चय कर लेना चाहिए। सौ बार भी उसके प्रयत्न निष्फल जाय तो भी क्या सच्चा आनन्द तो युद्ध करनेमें है, उसका परिणाम तो ईश्वरकी कृपासे ही आता है।

हरिजन सेवक,

२४ अप्रैल १९३७

## विवाह-संस्कार

[गाधी-सेवा-सघके हुदलीमे हुए तृतीय अधिवेशनमे गाधीजीकी पोती तथा श्री महादेव देसाईकी वहनका विवाह हुआ था ।

अपने स्वभावके विपरीत, गाधीजी ने उस दिन सबकी उपस्थितिमे वर-वधुओंसे जो कहना था वह नहीं कहा; बल्कि खानगी तौरपर उन्हे उपदेश दिया । किन्तु गाधीजीके वे विचार सभी दम्पत्तियोंके लिए हितकर हैं, अत मैं उन विचारोंको नीचे सारांश रूपमे देनेका, जहातक मुझसे हो सकेगा, प्रयत्न करता हूँ ।

—म० द०]

“तुम्हे यह जानना ही चाहिए कि मैं इन सस्कारोंमे उसी हृदतक विश्वास करता हूँ, जहातक कि ये हमारे अन्दर कर्तव्य-पालनकी भावनाको जगाते हैं । जबसे मैंने अपने सम्बन्धमे विचार करना शुरू किया, तभी-से मेरी यह मनोवृत्ति है । तुमने जिन मत्रोंका उच्चारण किया, तभीसे मेरी यह मनोवृत्ति है । तुमने जिन मत्रोंका उच्चारण किया है और जिन प्रतिज्ञाओंको लिया है, वे सब-की-सब सस्कृतमे थी; पर तुम्हारे लिए उन सबका अनुवाद कर दिया गया था । सस्कृतका हमने इसलिए आश्रय लिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सस्कृत शब्दोंमे शक्ति है, जिसके प्रभावके नीचे आना मनुष्य पसन्द ही करेगा ।

“विवाह-सस्कारके समय पतिने जो इच्छाए प्रकट की थी, उनमे एक यह भी है कि वधु अच्छे निरोगी पुत्रकी जननी बने । इस कामनासे मुझे आधात नहीं पहुँचा । इसके भाने यह नहीं है कि सत्तान पैदा करना लाजिमी है; पर इसका अर्थ यह है कि यदि सत्तानकी आवश्यकता है, तो युद्ध वर्म-भावनासे विवाह करना चाही है । जिसे सत्तानकी चर्वत नहीं, उसे

विवाह करनेकी कोई आवश्यकता ही नहीं। विषय-भोगकी तृप्तिके लिए कियाहुआ विवाह विवाह नहीं वह तो व्यभिचार है। इसलिए आजके विवाह-सस्कारोंका अर्थ यह है कि जब स्त्री-पुरुष दोनोंकी ही सन्ततिके लिए स्पष्ट इच्छा हो, केवल तभी उन्हे सम्भोगकी अनुमति मिलती है। यह सारी ही कल्पना पवित्र है। इसलिए इस कामको प्रार्थनापूर्वक ही करना होगा। कामोत्तेजना और विषय-सुखकी प्राप्तिके लिए साधारणतया स्त्री-पुरुषमें जो प्रेमासक्ति देखनेमें आती है, उसका इस पवित्र कल्पनामें नाम भी नहीं। अगर दूसरी सन्तान नहीं चाहिए, तो स्त्री-पुरुषका ऐसा सम्भोग जीवनमें केवल एक ही बार होगा। जो दम्पति चारित्र्य और शरीरसे स्वस्थ नहीं हैं, उन्हे सम्भोग करनेकी कोई आवश्यकता नहीं, और अगर वे ऐसा करते हैं तो वह 'व्यभिचार' है। अगर तुमने यह सीखा हो कि विवाह विषय-तृप्तिके लिए है तो तुम्हे यह चीज भूल जानी चाहिए। यह तो एक वहम है। तुम्हारा सारा ही सस्कार पवित्र अग्निकी साक्षीमें हुआ है। तुम्हारे अन्दर जो भी काम-वासना हो उसे वह पवित्र अग्नि भस्म कर दे।

"एक और वहमसे तुम्हे अलग रखनेके लिए मैं तुमसे कहूँगा। यह वहम दुनियामें आजकल जोरोंसे फैलता जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि इन्द्रिय-निग्रह और सयम गलत तरीके हैं, और विषय-वासनाकी अवाध तृप्ति और स्वच्छन्द प्रेम सबसे अधिक प्राकृतिक वस्तु है। इससे अधिक विनाशकारी वहम कभी सुननेमें नहीं आया। हो सकता है कि तुम आदर्शतक न पहुँच सको, तुम्हारा शरीर अशक्त हो; पर इससे आदर्शको नीचा न कर देना, अधर्मको धर्म न बना लेना। अपनी आत्म-निर्वलताके क्षणोंमें मेरा यह कहना याद रखना। इस पवित्र अवसरकी स्मृति तुम्हे डावाडोल न होने दे, और तुम्हे इन्द्रिय-निग्रहकी ओर ले जाय। विवाह-का अर्थ ही इन्द्रिय-निग्रह और काम-वासनाका दमन है। अगर विवाह-का कोई दूसरा अर्थ है तो वह स्वार्पण नहीं, किन्तु सन्तति-प्राप्तिको छोड़कर किसी दूसरे प्रयोजनसे किया हुआ विवाह विवाह नहीं है। विवाहने तुम्हे मैत्री और समानताके स्वर्ण-सूत्रसे वाध दिया है। पतिको अगर स्वामी कहा गया है तो पत्नीको 'स्वामिनी'। एक-दूसरेके दोनों सहायक है, जीवनके

समस्त कार्य और कर्तव्य पूरे करनेमें वे एक-दूसरेका सहयोग करने वाले हैं। लड़को ! तुमसे मैं यह कहूगा कि अगर ईश्वरने तुम्हें अच्छी बुद्धि और उज्ज्वल भावनाएं बहुशी हैं तो तुम अपनी पत्नियोमें भी इन सद्गुणोंका प्रवेश करो। उनके तुम सच्चे शिक्षक और मार्ग-दर्शक बनना, उन्हे मदद देना और उन्हे मार्ग दिखाना; पर कभी उनके बाधक न बनना, न उन्हे गलत रास्ते पर ले जाना। तुम्हारे बीचमें विचार, वचन और कर्मका पूर्ण सामंजस्य हो, तुम अपने हृदयकी बात एक-दूसरेसे न छिपाओ, तुम एकात्म बन जाओ।

“मिथ्याचारी या दम्भी न बनना। जिस कामका करना तुम्हारे लिए असम्भव हो, उसे पूरा करनेके निष्फल प्रयत्नोमें अपना स्वास्थ्य न गिरा बैठना। इन्द्रिय-निग्रहसे कभी किसीका स्वास्थ्य नष्ट नहीं होता। जिससे मनुष्यका स्वास्थ्य नष्ट होता है, वह निग्रह नहीं किन्तु बाह्य अवरोध है। सच्चे आत्म-निग्रही व्यक्तिकी शक्ति तो दिन-दिन बढ़ती है और शान्तिके बह अधिकाधिक समीप पहुचता जाता है। आत्म-निग्रहकी सबसे पहली सीढ़ी विचारोंका निग्रह है। अपनी मर्यादाको समझ लो, और जितना हो सके उतना ही करो। मैंने तो तुम्हारे सामने आदर्श रख दिया है—एक समकोण खीच दिया है। अपनी शक्तिके अनुसार जितना तुमसे हो सके उतना प्रयत्न इस आदर्शतक पहुचनेका करना। पर अगर तुम असफल हो जाओ तो दुख या शर्मका कोई कारण नहीं। मैंने तो तुम्हे सिर्फ यह बतलाया है कि यज्ञोपवीत-स्स्कारकी तरह विवाह भी एक स्वार्पण-स्स्कार है, एक नया जन्म धारण करना है। मैंने तुमसे जो कहा है, उससे भयभीत न होना, और न कोई दुर्बलता महसूस करना। हमेशा विचार, वचन और कर्मकी पूर्ण एकताको अंपना लक्ष्य बनाये रहना। विचारमें जितनी सामर्थ्य है, उतनी और किसी वस्तुमें नहीं। कर्म वचनका अनुसरण करता है और वचन विचारका। ससार एक महान् प्रवल विचारका ही परिणाम है, और जहा विचार प्रवल और पवित्र है वहा परिणाम भी हमेशा प्रवल और पवित्र होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम एक उच्चादर्शका अभेद्य कवच धारण करके जाओ, और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हे

कोई भी प्रश्न भूमि हानि नहीं पहुचा सकेगा, कोई भी अपवित्रता तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकेगी।

“जिन विधियोंको तुम्हे समझाया गया है, उन्हे याद रखना। ‘मधु-पर्क’ की सीधी-सादी दीखनेवाली विधियोंको ही ले लो। इसका अभिप्राय यह है कि सारा संस्कार मधुसे परिपूर्ण है, जरूरत सिर्फ यह है कि जब वाकी सब लोग उसमे से अपना हिस्सा ले ले, तब तुम उसे ग्रहण करो। अर्थात् त्यागसे ही आनन्द मिलता है।”

“लेकिन,” एक वरने पूछा, “अगर सन्तानोत्पत्तिकी इच्छा न हो, तो क्या विवाह ही नहीं करना चाहिए?”

“निश्चय ही नहीं”, गाधीजीने कहा, “आध्यात्मिक विवाहोंमे मेरा विश्वास नहीं है। कई ऐसे उदाहरण जरूर मिलते हैं कि जिनमे पुरुषोंने शारीरिक सम्भोगका कोई खयाल न कर सिर्फ स्त्रियोकी रक्षा करनेके विचारसे ही विवाह किये, लेकिन यह निश्चय है कि ऐसे उदाहरण बहुत कम विरले ही हैं। पवित्र वैवाहिक जीवनके बारेमे मैंने जो-कुछ लिखा है, वह सब तुम्हे जरूर पढ़ लेना चाहिए। मुझपर तो, मैंने महाभारतमे जो कुछ पढ़ा है, दिन-पर-दिन उसका ज्यादह-से-ज्यादह असर पड़ता जा रहा है। उसमे व्यासके नियोग करनेका वर्णन है। उसमे व्यासको सुन्दर नहीं बताया है, बल्कि वह तो इससे विपरीत थे। उनकी शक्ल-सूरतका उसमे जो वर्णन आया है, उससे मालूम पड़ता है कि देखनेमे वह बड़े कुरूप थे, प्रेम-प्रदर्शनके लिए कोई हाव-भाव भी उन्होंने नहीं बताये? बल्कि सम्भोगसे पहले अपने सारे शरीर पर उन्होंने घी चुपड़ लिया था। उन्होंने सम्भोग किया वह विषय-वासनाकी पूर्तिके लिए नहीं, बल्कि सन्तानोत्पत्तिके लिए किया था। सन्तानकी इच्छा बिलकुल स्वाभाविक है, और जब एक बार यह इच्छा पूर्ण हो जाय, तो फिर सम्भोग नहीं करना चाहिए।

मनुने पहली सन्ततिको धर्मज अर्थात् धर्म-भावनासे उत्पन्न बताया है और उसके बाद पैदा होनेवालेको कामज अर्थात् कामवृत्तिके फल-स्वरूप पैदा होनेवाला कहा है। सार-रूपमे वैपर्यिक सम्बन्धोंका यही विधान है। और ‘विधान ही ईश्वर है और विधान या नियमका पालन ही ईश्वर-

## ब्रह्मचर्य—१ : विवाह-संस्कार

की आज्ञाको मानना है।' यह याद रखो कि तीन बार लिया गया है कि 'किसी भी रूपमे मै इस विधानका भग नहीं अगर मुठी-भर स्त्री-पुरुष ही हमे ऐसे मिल जायं, जो इस विधानसे बन्धनेको तैयार हो तो बलवान और सच्चे स्त्री-पुरुषोकी एक जाति-की-जाति पैदा हो जायगी।"

हरिजन सेवक,  
२४ अप्रैल १९३७

: ३१ :

## धर्म-संकट

एक सज्जन लिखते हैं

“करीब ढाई साल हुए, हमारे शहरमें एक घटना हो गई थी जो इस प्रकार है—

एक वैश्य गृहस्थकी १६ वरसकी एक कुमारी कन्या थी। लड़कीका मामा, जिसकी उम्र लगभग २१ वर्षकी थी, स्थानीय कालेजमें पढ़ता था। यह तो मालूम नहीं कि कबसे इन दोनों मामा और भाजीमें प्रेम था, पर जब वात खुल गई तो उन दोनोंने आत्म-हत्या कर ली। लड़की तो फौरन ही जहर खानेके बाद मर गई, पर लड़का दो रोज बाद अस्पतालमें मरा। लड़कीको गर्भ भी था। इस बातकी शुरू-शुरूमें तो खूब चर्चा चली। यहातक कि अभागे मा-वापको शहरमें रहना भारी हो गया, पर वक्तके साथ-साथ यह बात भी दब गई और लोग भूलने लगे। कभी-कभी जब ऐसी मिलती-जुलती बात सुननेको मिलती है, तब पुरानी बातोंकी भी चर्चा होती है और यह वाकया भी दोहरा दिया जाता है, पर उस जमानेमें, जब करीब-करीब सभी लड़कीको और लड़केको भी बुरा-भला कहं रहे थे, मैंने यह राय अर्ज़ की थी कि ऐसी हालतमें समाजको विवाह कर लेनेकी इजाजत दे देनी चाहिए। इस बातसे समाजमें खूब बवण्डर उठा। आपकी इसपर क्या राय है ?”

मैंने स्थानका और लेखकका नाम नहीं दिया है, क्योंकि लेखक नहीं चाहते कि उनका अथवा उनके गहरका नाम प्रकाशित किया जाय। तो भी इस प्रश्नपर जाहिर चर्चा आवश्यक है। मेरी तो यह राय है कि ऐसे सम्बन्ध जिस समाजमें त्याज्य माने जाते हैं, वहा विवाहका रूप यकायक नहीं ले सकते, लेकिन किसीकी स्वतन्त्रतापर समाज या सम्बन्धी

आक्रमण क्यों करे ? ये मामा और भाजी सयानी उम्रके थे, अपना हित-अनहित समझ सकते थे । उन्हे पति-पत्नीके सम्बन्धसे रोकनेका किसीको हक नहीं था । समाज भले ही इस सम्बन्धको अस्वीकार करता; पर उन्हे आत्म-हत्या करनेतक जाने देना तो बहुत बड़ा अत्याचार था ।

उक्त प्रकारके सम्बन्धका प्रतिबन्ध सर्वमान्य नहीं है । ईसाई, मुसलमान, पारसी इत्यादि कौमोमे ऐसे सम्बन्ध त्याज्य नहीं माने जाते हैं—हिन्दुओमे भी प्रत्येक वर्णमे त्याज्य नहीं है । उसी वर्णमे भिन्न प्रान्तमे भिन्न प्रथा है । दक्षिणमे उच्च माने जाने वाले ब्राह्मणोमे ऐसे सम्बन्ध त्याज्य नहीं, बल्कि स्तुत्य भी माने जाते हैं । मतलब यह है कि ऐसे प्रतिबन्ध रुद्धियोसे बने हैं । यह देखनेमे नहीं आता कि ये प्रतिबन्ध किसी धार्मिक या तात्त्विक निर्णयसे बने हैं ।

लेकिन समाजके सब प्रतिबन्धोको नवयुवक-वर्ग छिन्न-भिन्न करके फैक दे, यह भी नहीं होना चाहिए । इसलिए मेरा यह अभिप्राय है कि किसी समाजमे रुद्धिका त्याग करवानेके लिए लोक-मत तैयार करानेकी आवश्यकता है । इस बीचमे व्यक्तियोको धैर्य रखना चाहिए । धैर्य न रख सके तो वहिष्कारादिको सहन करना चाहिए ।

दूसरी ओर समाजका यह कर्तव्य है कि जो लोग समाज-बन्धन तोड़े, उनके साथ निर्दयताका वर्तवि न किया जाय । वहिष्कारादि भी अहिसक होने चाहिए ।

उक्त आत्म-हत्याओका दोष, जिस समाजमे वे हुई, उसपर अवश्य है, ऐसा ऊपरके पत्रसे सिद्ध होता है ।

हरिजन सेवक,

१ मई १९३७

३२

## अप्राकृतिक व्यभिचार

कुछ साल पहले बिहार-सरकारने अपने शिक्षा-विभागमें पाठशाला-ओमे होने वाले अप्राकृतिक व्यभिचारके सम्बन्धमें जाच करवाई थी। जाच-समितिने इस वुराईको शिक्षकों तकमें पाया था, जो अपनी अस्वाभाविक वासनाकी तृप्तिके कारण विद्यार्थियोंके प्रति अपने पदका दुरुपयोग करते हैं। शिक्षा-विभागके डाइरेक्टरने एक सरकुलर द्वारा शिक्षकोंमें पाई जानेवाली ऐसी वुराईका प्रतिकार करनेका हुक्म निकाला था। सरकुलरका जो परिणाम हुआ होगा—अगर कोई हुआ हो—वह अवश्य ही जानने लायक होगा।

मेरे पास इस सम्बन्धमें भिन्न-भिन्न प्रान्तोंसे साहित्य भी आया है, जिसमें इस और ऐसी वुराईयोंकी तरफ मेरा ध्यान खीचा गया है और कहा गया है कि यह प्राय भारत-भरके तमाम सार्वजनिक और प्राइवेट मदरसोंमें फैल गया है और वरावर बढ़ रहा है।

यह वुराई यद्यपि अस्वभाविक है तथापि इसकी विरासत हम अनन्त कालसे भोगते आ रहे हैं। तमाम छुपी वुराईयोंका इलाज ढूढ़ निकालना एक कठिनतम् काम है। यह और भी कठिन वन जाता है, जब इसका असर बालकोंके सरक्षकपर भी पड़ता है—और शिक्षक बालकोंके सरक्षक हैं ही। प्रश्न होता है कि ‘अगर प्राण-दाता ही प्राणहारक हो जाय तो फिर प्राण कैसे बचे?’ मेरी रायमें जो वुराईया प्रगट हो चुकती है, उनके सम्बन्धमें विभागकी ओरसे वाजान्ता कार्रवाई करना ही इस वुराईके प्रतिकारके लिए काफी न होगा। सर्वसाधारणके मतको इस सम्बन्धमें सुगठित और सुस्कृत बनाना इसका एक-मात्र उपाय है, लेकिन इस देशके कई मामलोंमें प्रभावशाली लोकमत जैसी कोई बात है ही नहीं।

राजनैतिक जीवनमें असहायता या बेबसीकी जिस भावनाका एकच्छवि राज्य है उसने देशके जीवनके सब क्षेत्रोंपर अपना असर डाल रखा है। अतएव जो बुराईया हमारी आखोके सामने होती रहती है, उन्हे भी हम डाल जाते हैं।

जो शिक्षा-प्रणाली साहित्यिक योग्यतापर ही एकान्त जोर देती है, वह इस बुराईको रोकनेके लिए अनुपयोगी ही नहीं है; बल्कि उससे उलटे बुराईको उत्तेजना ही मिलती है। जो बालक सार्वजनिक शालाओंमें दाखिल होनेसे पहले निर्दोष थे, शालाके पाठ्य-क्रमके समाप्त होते-होते वे ही दूषित, स्त्रैण और नार्मद बनते देखे गये हैं। विहार-समितिने 'बालकोंके मनपर धार्मिक प्रतिष्ठाके सस्कार जमाने' की सिफारिश की है, लेकिन विल्लीके गलेमें घटी कौन बाधे? अकेले शिक्षक ही धर्मके प्रति आदर-भावना पैदा कर सकते हैं; लेकिन वे स्वयं इससे शून्य हैं। अतएव प्रश्न शिक्षकोंके योग्य चुनावका प्रतीत होता है; मगर शिक्षकोंके योग्य चुनावका अर्थ होता है, या तो अबसे कहीं अधिक वेतन या फिर शिक्षणके ध्येयका काया-पलट—याने शिक्षाको पवित्र कर्तव्य मानकर शिक्षकोंका उसके प्रति जीवन अर्पण कर देना। रोमन कैथालिकोंमें यह प्रथा आज भी विद्यमान है। पहला उपाय तो हमारे-जैसे गरीब देश के लिए स्पष्ट ही असम्भव है। मेरे विचारमें हमारे लिए दूसरा मार्ग ही सुगम है; लेकिन वह भी उसकी शासन-प्रणालीके आधीन रहकर सम्भव नहीं, जिसमें हर एक चीजकी कीमत आकी जाती है, और जो दुनिया-भरमें ज्यादा-से-ज्यादा होती है।

अपने बालकोंकी नैतिक सुधारणाके प्रति माता-पिताओंकी लापवहीके कारण इस बुराईको रोकना और कठिन हो जाता है। वे तो बच्चोंको स्कूल भेजकर अपने कर्तव्यकी इति-श्री मान लेते हैं। इस तरह हमारे सामनेका काम बहुत ही विषाद-पूर्ण है; लेकिन यह सोचकर आशा भी होती है कि तमाम बुराईयोंका एक रामबाण उपाय है और वह है—आत्म-शुद्धि। बुराईकी प्रचण्डतासे घबरा जानेके बदले हममेंसे हर एकको पूरे-पूरे प्रयत्न-पूर्वक अपने आस-पासके वातावरणका सूक्ष्म निरीक्षण करते

रहना चाहिए और अपने-आपको ऐसे निरीक्षणका प्रथम और मुख्य केन्द्र मानना चाहिए। हमें यह कहकर सन्तोष नहीं कर लेना चाहिए कि हममें दूसरों की-सी बुराई नहीं है। अस्वाभाविक दुराचार कोई स्वतन्त्र अस्तित्वकी चीज़ नहीं है। वह तो एक ही रोगका भयकर लक्षण है। अगर हममें अपवित्रता भरी है, अगर हम विषयकी दृष्टिसे पतित हैं, तो हमें आत्मसुधार करना चाहिए और फिर पडोसियोंके सुधारकी आशा रखनी चाहिए। आजकल तो हम दूसरोंके दोषोंके निरीक्षणमें बहुत पटु हो गए हैं और अपने-आपको अत्यन्त निर्दोष समझते हैं। परिणाम दुराचारका प्रसार होता है। जो इस बातके सत्यको महसूस करते हैं वे इससे छूटे और उन्हें पता चलेगा कि यद्यपि सुधार और उन्नति कभी आसान नहीं होते तथापि वे बहुत कुछ सम्भवनीय हैं।

हरिजन सेवक,  
२७ मई १९३७

## सम्भोगकी मर्यादा

बंगलौरसे एक सज्जन लिखते हैं

“आप कहते हैं कि विवाहित दम्पतिको एकमात्र तभी सम्भोग करना चाहिए जब दोनों बच्चा पैदा करना चाहे, पर मेहरबानी करके यह तो बतलाइये कि बच्चा पैदा करनेकी इच्छा किसीको क्यों हो ? बहुत-से लोग मा-बाप बननेकी जिम्मेदारीको पूरी तरह महसूस किये बगैरही सन्तानोत्पत्ति-की इच्छा करते हैं और दूसरे, बहुत-से अच्छी तरह यह जानते हुए भी कि वे मा-बाप होनेकी जिम्मेदारियोको निवाहनेमे असमर्थ हैं, बच्चोकी हविस रखते हैं । बहुत-से ऐसे लोग भी बच्चे पैदा करना चाहते हैं जो शारीरिक और मानसिक दृष्टिसे सन्तानोत्पत्तिके अयोग्य हैं । क्या आप यह नहीं सोचते कि इन लोगोके लिए प्रजनन करना गलती है ?

बच्चा पैदा करनेकी इच्छाका उद्देश्य क्या है, यह मैं जानता चाहता हूँ । बहुत-से लोग इसलिए बच्चोकी इच्छा करते हैं कि वे उनकी सम्पत्तिके वारिस बने और उनके जीवनकी नीरसताको मिटाकर सरस बनाये । कुछ लोग इसलिए भी पुत्रकी इच्छा करते हैं कि ऐसा न हुआ तो मरनेपर वे स्वर्गमे न जा सकेंगे । क्या इन सबका बच्चेकी इच्छा करना गलती नहीं है ?”

किसी बातके कारणोकी खोज करना तो ठीक है; लेकिन हमेशा ही उन्हे पा लेना सम्भव नहीं है । सन्तानकी इच्छा विश्व-व्यापी है; लेकिन अपने वशजोके द्वारा अपनेको कायम रखनेकी इच्छा अगर काफी और सन्तोषजनक कारण नहीं है तो इसका कोई दूसरा सन्तोषजनक कारण मैं नहीं जानता । भगव सन्तानोत्पत्तिकी इच्छाका जो कारण मैंने बतलाया है वह अगर काफी सन्तोषजनक न मालूम हो तो भी जिस बातका मैं प्रतिपादन

कर रहा हूँ, उसमे कोई दोष नहीं आता, क्योंकि यह इच्छा तो है ही। मुझे तो यह स्वाभाविक ही मालूम पड़ती है। मैं पैदा हुआ, इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। मेरे लिए यह कोई गैर-कानूनी बात नहीं है कि मुझमे जो भी सर्वोत्तम गुण हो उन्हे मैं दूसरेमे मूर्त्तरूपमे उतरे हुए देखूँ। कुछ भी हो, जबतक खुद प्रजननमे ही मुझे कोई बुराई न मालूम दे और जबतक मैं यह न देख लूँ कि खाली आनन्दके लिए सम्भोग करना भी ठीक ही है, तबतक मुझे इस बातपर कायम रहना चाहिए कि सम्भोग तभी ठीक है जब कि वह सन्तानोत्पत्तिकी इच्छासे किया जाय। मैं समझता हूँ कि स्मृतिकार इस बारेमे इतने स्पष्ट थे कि मनुने पहले पैदा हुए बच्चोंको ही धर्म्य (धर्मसे पैदा हुए) बतलाया है और बादमे पैदा हुए बच्चोंको काम्य (काम-वासनासे पैदा हुए) बतलाया है। इस विषयमे यथासम्भव अनासवत भावसे मैं जितना अधिक सोचता हूँ उतना ही अधिक मुझे इस बातका पक्का विश्वास होता जाता है कि इस बारेमे मेरी जो स्थिति है और जिसपर मैं कायम हूँ वही सही है। मुझे यह स्पष्टतर होता जा रहा है कि इस विषयके साथ जुड़ी हुई अनावश्यक गोपनीयताके कारण इस विषयमे हमारा अज्ञान ही सारी कठिनाईकी जड़ है। हमारे विचार स्पष्ट नहीं हैं। परिणामोका सामना करनेसे हम डरते हैं। अधूरे उपायोंको हम सम्पूर्ण या अन्तिम मानकर अपनाते हैं और इस प्रकार उन्हे आचरणके लिए बहुत कठिन बना लेते हैं। मगर हमारे विचार स्पष्ट हो, हम क्या चाहते हैं इस बातका हमें निश्चय हो तो हमारी वाणी और हमारे आचरण दृढ़ होंगे।

इस प्रकार, अगर मुझे इस बातका निश्चय हो कि भोजनका हरेक ग्रास शरीरको बनाने और कायम रखनेके ही लिए है तो स्वादकी खातिर मैं कभी खाना न चाहूँगा। यही नहीं, बल्कि मैं यह भी महसूस करूँगा कि अगर भूख या शरीरको कायम रखनेकी दृष्टिके अलावा कोई चीज सुस्वाद होनेके ही कारण खाना चाहूँ तो वह रोगकी निशानी होगी, इसलिए मुझे उसको वाजिव और स्वास्थ्यप्रद इच्छा समझकर उसकी पूर्ति करनेके बजाय अपनी इस वीमारीको दूर करनेकी ही फिक्र करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर मुझे इस बातका निश्चय हो कि प्रजननकी निर्विवाद इच्छाके बगैर

सम्भोग करना गैर-कानूनी और शरीर, मन तथा आत्माके लिए विनाशक है, तो इस इच्छाका दमन करना निष्चय ही आसान हो जायगा—उससे कहीं आसान, जबकि मेरे मनमें यह निष्चय न हो कि खाली इच्छाकी पूर्ति करना कानून-सम्मत और हितकर है या नहीं। अगर मुझे ऐसी इच्छाके गैर-कानूनीपन या अर्नाचित्यका स्पष्ट रूपसे भान हो तो मैं उसे एक तरहकी बीमारी समझूँगा और अपनी पूरी शक्तिके साथ उसके आक्रमणोंका मुकाबला करूँगा। ऐसे मुकाबलेके लिए तब मैं अपनेको अधिक शक्तिगाली महमून करूँगा। जो लोग यह दावा करते हैं कि हमें यह वान पसन्द तो नहीं है, लेकिन हम असहाय हैं, वे गलती पर ही नहीं हैं, बल्कि भृंगी हैं और इसलिए प्रतिरोधमें वे कमजोर रहते और हार जाते हैं। अगर ऐसे सब लोग आत्म-निरीक्षण करे तो उन्हें मान्यम होगा कि उनके विचार उन्हें धोखा देते हैं। उनके विचारोंमें वासनाकी इच्छा होती है, और उनकी वाणी उनके विचारोंको गलत स्पष्ट करती है। दूसरी ओर यदि उनकी वाणी उनके विचारोंकी सच्ची दोतक हो तो कमजोरी-जैसी कोई वात नहीं हो जाती। हार तो हो सकती है, पर कमजोरी हरणिज नहीं।

उन नज्जननें अस्वस्य माता-पिताओं द्वारा किये जानेवाले प्रजननपर जो आपत्ति की है वह दिलकूल ठीक है। उन्हें प्रजननकी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर वे यह वहे कि सम्भोग हम प्रजननके लिए ही करते हैं तो वे अपनेको और नजारको धोखा देते हैं। किसी भी विषयपर विचार इनमें नजारिया हमेंगा नहारा लेना पड़ता है। सम्भोगके आनन्दको छिपाने-के लिए प्रजननकी इच्छाका दहाना हरिज न लेना चाहिए।

त्रिजनन नेपाल.

३८ दिसंबर १९३३

३४

## अहिंसा और ब्रह्मचर्य

एक काग्रेस-नेताने वातचीतके सिलसिलेमे उस दिन मुझसे कहा— “यह क्या बात है कि काग्रेस अब नैतिकताकी दृष्टिसे वैसी नहीं रही जैसी कि वह १९२० से १९२५ तक थी? तबसे तो इसकी बहुत नैतिक अव-नति हो गई है। अब तो इसके नव्वे फीसदी सदस्य काग्रेसके अनुशासनका पालन नहीं करते। क्या आप इस हालतको सुधारनेके लिए कुछ नहीं कर सकते?”

यह प्रश्न उपयुक्त और सामयिक है। मैं यह कहकर अपनी जिम्मेदारीसे हट नहीं सकता कि अब मैं काग्रेसमे नहीं हूँ। मैं तो और अच्छी तरह इसकी सेवा करनेके लिए ही इससे बाहर हुआ हूँ। काग्रेसकी नीतिपर अब भी मैं अपना प्रभाव डाल रहा हूँ, यह मैं जानता हूँ। और १९२० में काग्रेसका जो विधान बना था, उसे बनानेवालेकी हैसियतसे उस गिरावटके लिए मुझे अपनेको जिम्मेदार मानना ही चाहिए, जिससे कि बचा जा सकता है।

काग्रेसने आरम्भिक कठिनाइयोके बीच सन् १९२० मे काम शुरू किया था। सत्य और अहिंसापर बतौर ध्येयके बहुत कम लोग विश्वास करते थे। अधिकाश सदस्योंने इन्हे नीतिके तौरपर ही स्वीकार किया। वह अनिवार्य था। मैंने आशा की थी कि नई नीतिसे काग्रेसको काम करते हुए देखकर उनमेसे अनेक इन्हे अपने ध्येयके रूपमे स्वीकार कर लेंगे; लेकिन ऐसा कुछ ही लोगोंने किया, बहुतोंने नहीं। शुरूआतमे तो सबसे बड़े नेताओंमे भारी परिवर्त्तन देखनेमे आया। स्वर्गीय पडित मोतीलाल नेहरू और देशबन्धुदासके जो पत्र ‘यग इडिया’ मे उद्घृत किये गए थे, उन्हें पाठक भूले नहीं होंगे। सयम, सादगी और अपने आपको कुर्वाने

कर देनेके जीवनमें उन्हें एक नये आनन्द और एक नई आगामा अनुभव हुआ था । अलीबन्धु तो करीब-करीब फकीर ही बन गये थे । जगह-जगह दीन करते हुए, इन भाइयोमे होनेवाली तब्दीलीको मैं आनन्दके साथ देखता था । और जो बात इन चार नेताओंके विषयमें भी है, वही और भी ऐसे बहुतोंके बारेमें कही जा सकती है, जिनके कि मैं नाम गिना मरना हूँ । इन नेताओंके उत्साहका लोगोपर भी अनर पड़ा ।

लेकिन यह प्रत्यक्ष परिवर्तन 'एक मालमें स्वराज्य' के आकर्षणकी बजहने पा । इसकी पूतिके लिए मैंने जो गते रखाई थी, उनपर विसीने ध्यान नहीं दिया । रवाजा अद्वृलमजीद साहबने तो यहातक कह डाला कि नेत्याग्रह-भेनाके, जैनी कि काश्रेन उम नमय बन गई थी और अभी भी है, (यदि काश्रेमवादी भत्याग्रहके अर्थको महनूम करे) सेनापतिकी है नियन्त्रण मुझे उम बातका निश्चय कर लेना चाहिए था कि मैं जो गते लगा रहा हूँ, वे ऐसी हैं जो पूरी हो जायगी । गायद उनका कहना ठीक ही था । सिर्फ वह जान-चक्षु मेरे पास नहीं था । सामूहिक रप्में और राजनीतिक उद्देश्यमें अहिंसा उपर्योग यद मेरे लिए भी एक प्रयोग ही था । इनलिए मैं गवर्न-पुर्वक

लेकिन अहिंसाकी योजनामे जर्वर्दस्तीका कोई काम नहीं है। उसमे तो इसी बातपर निर्भर रहना पड़ता है कि लोगोंकी वुद्धि और हृदयतक—उसमे भी वुद्धिकी अपेक्षा हृदयपर ही ज्यादा—पहुँचनेकी क्षमता प्राप्त की जाय।

इसका अभिप्राय हुआ कि सत्याग्रह-सेनापतिके शब्दमे ताकत होनी चाहिए—वह ताकत नहीं जो असीमित अस्त्र-शस्त्रोंसे प्राप्त होती है, बल्कि वह जो जीवनकी शुद्धता, दृढ़ जागरूकता और सतत आचरणसे प्राप्त होती है। यह ब्रह्मचर्यका पालन किये वगैर असम्भव है। इसका इतना सम्पूर्ण होना आवश्यक है, जितना कि मनुष्यके लिए सम्भव है। ब्रह्मचर्यका अर्थ यहा खाली दैहिक आत्मसंयम या निग्रह ही नहीं है। इसका तो इससे कही अधिक अर्थ है। इसका मतलब है सभी इन्द्रियोंपर पूर्ण नियमन। इस प्रकार अशुद्ध विचार भी ब्रह्मचर्यका भग है और यही हाल क्रोधका है। सारी शक्ति उस वीर्य-शक्तिकी रक्षा और ऊर्ध्वगतिसे प्राप्त होती है, जिससे कि जीवनका निर्माण होता है। अगर इस वीर्य-शक्तिको नष्ट होने देनेके बजाय, सचय किया जाय, तो यह सर्वोत्तम सृजन-शक्तिके रूपमे परिणत हो जाती है। बुरे या अस्त-व्यस्त, अव्यवस्थित, अवाछनीय विचारोंसे भी इस शक्तिका बराबर और अज्ञात रूपसे क्षय होता रहता है और चूंकि विचार ही सारी वाणी और क्रियाओंका मूल होता है इसलिए वे भी इसीका अनुसरण करती हैं। इसीलिए पूर्णत नियन्त्रित विचार खुद ही सर्वोच्च प्रकारकी शक्ति है। और स्वत क्रियाशील वन सकता है। मूकरूपमे की जानेवाली हार्दिक प्रार्थनाका मुझे तो यही अर्थ मालूम पड़ता है। अगर मनुष्य ईश्वरकी मूर्तिका उपासक है, तो उसे अपने मर्यादित क्षेत्रके अन्दर किसी बातकी इच्छा भर करनेकी देर है। जैसा वह चाहता है वैसा ही वह वन जाता है। जिस तरह चूने वाले नलमे भाप रखनेसे कोई शक्ति पैदा नहीं होती, उसी प्रकार जो अपनी शक्तिका किसी भी रूपमे क्षय होने देता है, उसमे इस शक्तिका होना असम्भव है। प्रजोत्पत्तिके निश्चित उद्देश्यसे न किया जाने वाला काम-सम्बन्ध इस शक्ति-क्षयका एक बहुत बड़ा नमूना है, इसलिए उसकी खास

तौरसे निन्दा की गई है, वह ठीक ही है, लेकिन जिसे अहिंसात्मक कार्यके लिए मनुष्य-जातिके विशाल समूहोंको संगठित करना है, उसे तो, इन्द्रियोंके जिस पूर्ण निग्रहका मैने ऊपर वर्णन किया है, उसको प्रयत्नपूर्वक प्राप्त करना ही चाहिए।

ईश्वरकी असीम कृपाके बगैर यह सम्पूर्ण इन्द्रिय-निग्रह सम्भव नहीं है। गीताके दूसरे अध्यायमें एक श्लोक है—

“विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः,  
रसवर्ज रसोप्यस्य पर दृष्ट्वा निवर्तते ।”

अर्थात्—जबतक उपवास किये जाते हैं, तबतक इन्द्रिया विषयोंकी ओर नहीं दौड़ती, पर अकेले उपवाससे रस सूख नहीं जाते। उपवास छोड़ते ही वे और बढ़ भी सकते हैं। इसको वशमें करनेके लिए तो ईश्वर-का प्रसाद आवश्यक है। यह नियमन यात्रिक या अस्थायी नहीं है। एक बार प्राप्त हो जानेके बाद यह कभी नष्ट नहीं होता। उस हालतमें वीर्य-शक्ति इस तरह सुरक्षित रहती है कि अगणित रास्तोंमें से किसीमें होकर उसके निकलनेकी सम्भावना ही नहीं रहती।

कहा गया है कि ऐसा ब्रह्मचर्य यदि किसी तरह प्राप्त किया जा सकता हो तो कन्दराओंमें रहनेवाले ही कर सकते होंगे। ब्रह्मचारीको तो, कहते हैं, स्त्रियोंका स्वर्ग तो क्या, उसका दर्शन भी कभी नहीं करना चाहिए। निस्सन्देह किसी ब्रह्मचारीको काम-वासनासे किसी स्त्रीको न तो छूना चाहिए, न देखना चाहिए और न उसके विषयमें कुछ कहना या सोचना चाहिए, लेकिन ब्रह्मचर्य-विषयक पुस्तकोंमें हमें यह जो वर्णन मिलता है उसमें इसके महत्वपूर्ण अव्यय ‘कामवासना-पूर्वक’ का उल्लेख नहीं मिलता। इस छूटकी वजह यह मालूम पड़ती है कि ऐसे मामलोंमें मनुष्य निष्पक्षरूपसे निर्णय नहीं कर सकता और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि कब तो उसपर ऐसे सम्पर्कका असर पड़ा और कब नहीं। काम-विकार अक्सर अनजाने ही उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए दुनियामें आजादीसे सबके साथ हिलने-मिलनेपर ब्रह्मचर्यका पालन यद्यपि कठिन है, लेकिन

अगर ससारसे नाता तोड़ लेनेपर ही यह प्राप्त हो सकता हो तो उसका कोई विशेष मूल्य ही नहीं है।

जैसे भी हो मैंने तो तीस वर्षसे भी अधिक समयसे प्रवृत्तियोंके बीच रहते हुए ब्रह्मचर्यका खासी सफलताके साथ पालन किया है। ब्रह्मचर्यका जीवन वितानेका निश्चय कर लेनेके बाद, अपनी पत्नीके साथ व्यवहारको छोड़कर मेरे बाह्य आचरणमें कोई अन्तर नहीं पड़ा। दक्षिण अफ्रिकामें भारतीयोंके बीच मुझे जो काम करना पड़ा, उसमें मैं स्त्रियोंके साथ आजादी-के साथ हिलता-मिलता था। ट्रासवाल और नेटालमें शायद ही कोई ऐसी भारतीय स्त्री हो जिसे मैं न जानता होऊँ। मेरे लिए तो इतनी सारी स्त्रिया वहने और बेटिया ही थी। मेरा ब्रह्मचर्य पुस्तकीय नहीं है। मैंने तो अपने तथा उन लोगोंके लिए जो कि मेरे कहनेपर इस प्रयोगमें शामिल हुए हैं, अपने ही नियम बनाये हैं और अगर मैंने इसके लिए निर्दिष्ट निषेधोंका अनुसरण नहीं किया है, तो धार्मिक साहित्यमें स्त्रियोंको जो सारी बुराई और प्रलोभनका द्वार बताया गया है, उसे मैं इतना भी नहीं मानता। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि मुझमें जो भी अच्छाई हो वह सब मेरी माकी बदौलत है। इसलिए स्त्रियोंको मैंने कभी इस तरह नहीं देखा कि काम-वासनाकी तृप्तिके लिए ही वे बनाई गई हैं, बल्कि हमेशा उसी श्रद्धाके साथ देखा है जो कि मैं अपनी माताके प्रति रखता हूँ। पुरुष ही प्रलोभन देनेवाला और आक्रमण करने वाला है। स्त्रीके स्पर्शसे वह अपवित्र नहीं होता; बल्कि अक्सर वह खुद ही उसका स्पर्श करने लायक पवित्र नहीं होता। लेकिन हालमें मेरे मनमें सन्देह जरूर उठा है कि स्त्री या पुरुष-के सम्पर्कमें आनेके लिए ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणीको किस तरहकी मर्यादाओंका पालन करना चाहिए। मैंने जो मर्यादाएं रखी हैं वे मुझे पर्याप्त नहीं मालूम पड़ती, लेकिन वे क्या होनी चाहिए, यह मैं नहीं जानता। मैं तो प्रयोग कर रहा हूँ। इस बातका मैंने कभी दावा नहीं किया कि मैं अपनी परिभाषाके अनुसार पूरा ब्रह्मचारी बन गया हूँ। अब भी मैं अपने विचारोंपर उतना नियन्त्रण नहीं रख सकता हूँ जितने नियन्त्रणकी अपनी अर्हिसाकी शोधोंके लिए मुझे आवश्यकता है, लेकिन अगर मेरी अहिसा

ऐसी हो जिसका दूसरोपर असर पड़े और वह उनमें फैले, तो मुझे अपने विचारोपर और अधिक नियन्त्रण करना ही चाहिए। इस लेखके आरम्भिक वाक्यमें नेतृत्वकी जिस प्रत्यक्ष असफलताका उल्लेख किया गया है, उसका कारण शायद कही-न-कही किसी कमीका रह जाना ही है।

अहिंसामें मेरा विश्वास हमेशाकी तरह दृढ़ है। मुझे इस बातका पूरा विश्वास है कि इससे न केवल हमारे देशकी सारी आवश्यकताओंकी पूर्ति होनी चाहिए, बल्कि अगर ठीक तरहसे इसका पालन किया जाय तो यह उस खून-खराबीको भी रोक सकती है, जो हिन्दुस्तानके बाहर हो रही है और सारे पश्चिमी सासारमें जिसके व्याप्त हो जानेका अन्देशा है।

मेरी आकाशा तो मर्यादित है। परमेश्वरने मुझे इतनी शक्ति नहीं दी है, जो अहिंसाके पथपर सारी दुनियाकी रहनुमाई करूँ; लेकिन मैंने यह कल्पना ज़रूर की है कि हिन्दुस्तानकी अनेक खराबियोंके निवारणार्थ अहिंसाका प्रयोग करनेके लिए उसने मुझे अपना औजार बनाया है। इस दिशामें अभीतक जो प्रगति हो चुकी है, वह महान् है; लेकिन अभी बहुत-कुछ करना बाकी है। इतनेपर भी मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए आम तौरपर काग्रेसवादियोंकी जो सहानुभूति आवश्यक है उसे उक्सानेकी शक्ति मुझमें नहीं रही है। जो अपने औजारोंको ही बुरा बतलाता रहता है वह कोई अच्छा बढ़ी नहीं है। यह तो 'नाच न आवे, आगन टेढ़ा' की मसल होगी। इसी तरह विंगड़े हुए कामोंके लिए अपने आदमियोंको दोष देनेवाला सेनापति भी अच्छा नहीं कहा जा सकता; पर मैं यह जानता हूँ कि मैं बुरा सेनापति नहीं हूँ। अपनी मर्यादाओंको जाननेकी जितनी बुद्धि मुझमें मौजूद है अगर कभी उसका मेरे अन्दरसे दिवाला निकल जाय तो ईश्वर मुझे इतनी शक्ति देगा कि मैं उसकी स्पष्ट घोषणा कर दूँगा।

उसकी कृपासे मैं कोई आधी सदीसे जो काम कर रहा हूँ अगर उसके लिए मेरी और ज़रूरत न रही, तो शायद वह मुझे उठा लेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे करनेको अभी काफी काम है। जो अन्धकार मेरे ऊपर

छा गया मालूम पड़ता है वह नष्ट हो जायगा, और स्पष्टतया अहिसात्मक साधनोंसे भारत अपने लक्ष्यतक पहुच जायगा—फिर इसके लिए चाहे डाढ़ी-कूचसे भी ज्यादा उग्र लडाई लड़नी पड़े या उसके बगैर ही ऐसा हो जाय। मैं ईश्वरसे उस प्रकाशकी याचना कर रहा हूँ जो अन्धकारका नाश कर देगा। अहिसामे जिनकी जीवित श्रद्धा हो उन्हे इसमे मेरा साथ देना चाहिए।

हरिजन सेवक,

२३ जुलाई १९३८

## विद्यार्थियोंके लिए लज्जाजनक

पजावके एक कालेजकी लड़कीका एक अत्यन्त हृदयस्पर्शी पत्र करीबन दो महीनेसे मेरी फायलमे पढ़ा हुआ है। इस लड़कीके प्रश्नका जवाब जो अभीतक नहीं दिया इसमे समयके अभावका तो केवल एक बहाना था। किसी-न-किसी तरह इस कामसे अपनेको मैं बचा रहा था, हालांकि मैं यह जानता था कि इस प्रश्नका क्या जवाब देना चाहिए। इस बीचमे मुझे एक और पत्र मिला। यह पत्र एक ऐसी बहनका लिखा हुआ है, जो बहुत अनुभव रखती है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कालेजकी इस लड़कीकी जो यह बहुत वास्तविक कठिनाई है, उसका मुकाबला करना मेरा कर्तव्य है, और इसकी अब मैं और अधिक दिनोतक उपेक्षा नहीं कर सकता। पत्र उसने शुद्ध हिन्दुस्तानीमे लिखा है, जिसका एक भाग मैं नीचे उद्धृत कर रहा हूँ।

“लड़कियों और वयस्क स्त्रियोंके सामने, उनकी इच्छाके विरुद्ध ऐसे अवसर आ जाया करते हैं, जब कि उन्हे अकेली जानेकी हिम्मत करनी पड़ती है—या तो उन्हे एक ही शहरमे एक जगहसे दूसरी जगह जाना होता है या एक शहरसे दूसरे शहरको। और जब वे इस तरह अकेली होती हैं, तब गन्दी मनोवृत्ति वाले लोग उन्हे तग किया करते हैं। वे उस वक्त अनुचित और अश्लील भाषातकका प्रयोग करते हैं। और अगर भय उन्हे रोकता नहीं है, तो इससे भी आगे बढ़नेमे उन्हे कोई हिचकिचाहट नहीं होती। मैं यह जानना चाहती हूँ कि ऐसे मौकोपर अहिंसा क्या काम दे सकती है? हिसाका उपयोग तो है ही। अगर किसी लड़की या स्त्रीमे काफी हिम्मत हो तो उसके पास जो भी साधन होगे वह उन्हे काममे लायगी और एक बार बदमाशोंको सबक सिखा देगी। वे कम-

से-कम हगामा तो मचा सकती है जिससे कि लोगोंका ध्यान आकर्षित हो जाय और गुण्डे वहांसे भाग जाय। लेकिन मैं यह जानती हूँ कि इसके परिणाम-स्वरूप विपत्ति सिर्फ टल जायगी, यह कोई स्थायी इलाज नहीं है। अशिष्ट व्यवहार करने वाले लोगोंका अगर आपको पता है तो मुझे विश्वास है कि उन्हें अगर समझाया जाय, तो वे आपकी प्रेम और नम्रताकी बाते सुनेंगे। पर उस आदमीके लिए आप क्या कहेंगे, जो साइकिलपर चढ़ा हुआ किसी लड़की या स्त्रीको देखकर, जिसके साथ कि कोई मर्द साथी नहीं है, गदी भाषाका प्रयोग करता है? उसे दलील देकर समझानेका आपको मौका नहीं है। आपके उससे फिर मिलनेकी कोई सम्भावना नहीं। हो सकता है, आप उसे पहचाने भी नहीं। आप उसका पता भी नहीं जानते। ऐसी परिस्थितिमें वह बेचारी लड़की या स्त्री क्या करे? मैं अपना ही उदाहरण देकर आपको अपना अनुभव बताती हूँ। २६ अक्तूबरकी रात-की बात है। मैं अपनी एक सहेली के साथ ७-३० बजे के करीब एक खास कामसे जा रही थी। उस वक्त किसी मर्द साथीको साथ ले जाना नामुम-किन था, और काम इतना ज़रूरी था कि टाला नहीं जा सकता था। रास्तेमें एक सिख युवक साइकिलपर जा रहा था। वह कुछ गुनगुनाता जाता था। जबतक कि हम सुन सके उसने गुनगुनाना जारी रखा। हमें यह मालूम था कि वह हमें लक्ष करके ही गुनगुना रहा है। हमें उसकी यह हरकत बहुत नागवार मालूम हुई। सड़कपर कोई चहल-पहल नहीं थी। हमारे चद कदम जानेसे पहले वह लौट पड़ा। हम उसे फौरन पहचान गये, हालांकि वह अब भी हमसे खासे फासलेपर था। उसने हमारी तरफ साइकिल घुमाई। ईश्वर जाने, उसका इरादा उत्तरनेका था, या यूँ ही हमारे पाससे सिर्फ गुज़रनेका। हमें ऐसा लगा कि हम खतरेमें हैं। हमें अपनी शारीरिक वहांदुरीमें विश्वास नहीं था। मैं एक औसत लड़कीके मुकाबले शरीरसे कमज़ोर हूँ, लेकिन मेरे हाथमें एक बड़ी-सी किताब थी। यकायक किसी तरह मेरे अन्दर हिम्मत आगई। साइकिलकी तरफ मैंने उस किताबको जोरसे मारा और चिल्लाकर कहा, “चुहलवाजी करनेकी तू फिर हिम्मत करेगा?” वह मुश्किलसे अपनेको सभाल सका,

और साइकिलकी रफ्तार बढ़ाकर वहासे रफू-चक्कर हो गया। अब अगर मैंने उसकी साइकिलकी तरफ किताब जोरसे न मारी होती तो वह अन्त-तक इसी तरह अपनी गन्दी भापासे हमें तग करता जाता। यह तो मामूली; बल्कि नगण्य-सी घटना है; पर मैं चाहती हूँ कि आप लाहौर आते और हम हत-भागिनी लड़कियोंकी मुसीबतोंकी दास्तान खुद अपने कानों सुनते। आप निश्चय ही इस समस्याका ठीक-ठीक हल ढूढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप मुझे यह बताये कि ऊपर जिन परिस्थितियोंका मैंने वर्णन किया है उनमें लड़किया अहिंसाके सिद्धान्तका प्रयोग किस तरह कर सकती है, और कैसे अपने आपको बचा सकती है? दूसरे स्त्रियोंको अपमानित करनेकी जिन युवकोंको यह बहुत बुरी आदत पढ़ गई है, उसको सुधारनेका क्या उपाय है? आप यह उपाय न मुझाइयेगा कि हमें उस नई पीढ़ीके आनेतक इन्तजार करना चाहिए और तब-तक हम इस अपमानको चुपचाप वदायत करती रहें, जिस- पीढ़ीने कि बचपनसे ही स्त्रियोंके साथ भद्रोचित व्यवहार करनेकी शिक्षा पाई होगी। सरकारकी या तो इस सामाजिक बुराईका मुकाबला करनेकी इच्छा नहीं या ऐसा करनेमें वह असमर्थ है। और हमारे बड़े-बड़े नेताओंके पास ऐसे प्रश्नोंके लिए बक्त नहीं। कुछ जब यह सुनते हैं कि किसी लड़कीने अशिष्टताने पेश आनेवाले नवयुवकोंकी जच्छी तरहसे मरम्मत कर दी है, तो कहते हैं, “जावाह, ऐसा ही सब लड़कियोंको करना चाहिए।” कभी-कभी किसी नेताको हम विद्यार्थियोंके ऐसे दुर्व्यवहारके खिलाफ छटादार भाषण करते हुए पाते हैं, मगर ऐसा कोई नज़र नहीं आता, जो इस गम्भीर नमस्याद्वारा हर निकालनेमें निरन्तर प्रयत्नर्थील हो। आपको यह जानकार कप्ट और आज्ञाय होगा कि दीवाली और ऐसे ही दूनरे त्याहारी पर अखबारोंमें इस किसी चेतावनी नोटिसे निकाय करती है कि नोनी देसनेतक-के लिए ऑस्ट्रोंको धरोने वाहर नहीं निश्चलना चाहिए। उसी तरह एक दातनें आप जान नहीं हैं कि दुनियाके इन हिस्सोंने हम किस कादर मुनीदतोंमें

एक दूसरी पजाबी लड़कीको मैंने यह पत्र पढ़नेके लिए दिया था । उसने भी अपने कालेज-जीवनके निजी अनुभवके आधारपर इस घटनाका समर्थन किया । उसने मुझे बताया कि मेरे सवाददाताने जो-कुछ लिखा है, वहुत-सी लड़कियोंका अनुभव वैसा ही होता है ।

एक और अनुभवी महिलाने लखनऊकी अपनी विद्यार्थिनी मित्रोंके अनुभव लिखे हैं । सिनेमा-थियेटरोंमें उनकी पिछली लाइनमें वैठे हुए लड़के उन्हे दिक करते हैं, उनके लिए ऐसी भाषाका प्रयोग करते हैं, जिसे मैं अश्लीलके सिवा और कोई नाम नहीं दे सकता । उन लड़कियोंके साथ किये जानेवाले भद्रे मजाक भी पत्र-लेखिकाने मुझे लिखे हैं, लेकिन मैं उन्हे यहा उद्धृत नहीं कर सकता ।

अगर सिर्फ तात्कालिक निजी रक्षाका सवाल हो तो इसमें सन्देह नहीं कि उस लड़कीने, जो अपनेको शारीरिक दृष्टिसे कमज़ोर बताती है, जो इलाज—साइकिलके सवारपर जोरसे किताब मारकर—किया, वह विलकुल ठीक है । यह बहुत पुराना इलाज है । मैं 'हरिजन' में पहले भी लिख चुका हूँ कि यदि कोई व्यक्ति जर्वर्डस्टी करने पर उतारू होना चाहता है तो उसके रास्तेमें शारीरिक कमज़ोरी भी रुकावट नहीं डालती, भले ही उसके मुकाबलेमें शारीरिक दृष्टिसे कोई बहुत बलवान विरोधी हो । और हम यह भली-भाति जानते हैं कि आजकल तो जिसमानी ताकत इस्तैमाल करनेके इतने ज्यादा तरीके ईजाद हो चुके हैं कि एक छोटी, लेकिन काफी समझदार लड़की किसीकी हत्या और विनाशतक कर सकती है । जिस परिस्थितिका जिक्र पत्र-लेखिकाने किया है, वैसी परिस्थितियोंमें लड़कियोंको आत्म-रक्षाके तरीके सिखानेका रिवाज आजकल बढ़ रहा है, लेकिन वह लड़की यह भी ख़ूब समझती है कि भले ही वह उस क्षण आत्म-रक्षाके हथियारके तौरपर अपने हाथकी किताब मारकर बच गई हो, लेकिन इस बढ़ती हुई बुराईका यह कोई असली इलाज नहीं है । भद्रे अश्लील मजाकके कारण बहुत घबराने या डर जानेकी जरूरत नहीं, लेकिन इनकी ओरसे आख मूद लेना भी ठीक नहीं । ऐसे सब मामले भी अखवारोंमें छप जाने चाहिए । इस बुराईका भडाफोड करनेमें किसीका

झुठा लिहाज नहीं करना चाहिए। इस सार्वजनिक बुराईके लिए प्रवल लोक-मत जैसा कोई अच्छा इलाज नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि इन वातोंको जनता उदासीनतासे देखती है; लेकिन सिर्फ जनताको ही क्यों दोष दिया जाय? उनके सामने ऐसी गुस्ताखीके मामलें भी तो आने नाहिए। चोरीके मामलों तकके लिए उन्हें पता लगाकर छापा जाता है, तब कहीं जाकर चोरी कम होती है। इस तरह जबतक ऐसे मामले भी दवाये जाते रहेगे, इस बुराईका इलाज नहीं हो सकता। पाप और बुराई भी अपने शिकारके लिए अन्धकार चाहते हैं। जब उनपर रोशनी पड़ती है, वे खुद-वखुद खत्म हो जाते हैं।

लेकिन मुझे यह भी डर है कि आजकलकी लड़कीको भी तो अनेकों की दृष्टिमें आकर्षक बनना प्रिय है। वह अति साहसको पसन्द करती है। आजकलकी लड़की वर्षा या धूपसे बचनेके उद्देश्यसे नहीं, बल्कि लोगोंका ध्यान अपनी ओर खीचनेके लिए तरह-तरहके भड़कीले कपड़े पहनती हैं। वह अपनेको रगकर कुदरतको भी मात करना और असाधारण मुन्दर दिखाना चाहती है। ऐसी लड़कियोंके लिए कोई अहिंसात्मक मार्ग नहीं है। मैं इन पृष्ठोंमें बहुत बार लिख चुका हूँ कि हमारे हृदयमें अहिंसाकी भावनाके विकासके लिए भी कुछ निश्चित नियम होते हैं। अहिंसाकी भावना बहुत महान् प्रयत्न है। विचार और जीवनके तरीकेमें वह क्रान्ति उत्पन्न कर देता है। यदि मेरी पत्र-लेखिका और उस तरहकेसे विचार रखने वाली लड़किया ऊपर बताये गये तरीकेसे अपने जीवनको विलकुल ही बदल डाले तो उन्हें जल्दी ही यह अनुभव होने लगेगा कि उनके दम्पकमें आनेवाले नौजवान उनका आदर करना तथा उनकी उपस्थितिमें भद्रोचित व्यवहार करना सीखने लगे हैं; लेकिन यदि उन्हें मालूम होने लगे कि उनकी लाज और धर्मपर हमला होनेका खतरा है, तो उनमें उस पश्च मनुष्यके आगे आत्म-समर्पण करनेके बजाय मर जानेतकका साहस होना चाहिए। कहा जाता है कि कभी-कभी लड़कीको इस तरह वाबकर या मुहमें कपड़ा ठेकर विवश कर दिया जाता है कि वह आसानीसे मर भी नहीं सकती, ऐसे कि मैंने सलाह दी है; लेकिन मैं फिर भी जोरोंके साथ

कहता हूँ कि जिस लड़कीमें मुकाबलेका दृढ़ सकल्प है, वह उसे असहाय बनानेके लिए बाधे गये सब सम्बन्धोको तोड़ सकती है। दृढ़ सकल्प उसे मरनेकी शक्ति दे सकता है।

लेकिन यह साहस और यह दिलेरी उन्हीके लिए सम्भव है, जिन्होने इसका अभ्यास कर लिया है। जिसका अहिसापर दृढ़ विश्वास नहीं है, उन्हे रक्षाके साधारण तरीके सीखकर कायर युवकोके अश्लील व्यवहारसे अपना वचाव करना चाहिए।

पर वडा सवाल तो यह है कि युवक साधारण शिष्टाचार भी क्यों छोड़ दे, जिससे भली लड़कियोको हमेशा उनसे सताये जानेका डर लगता रहे? मुझे यह जानकर दुख होता है कि ज्यादातर नौजवानोमें वहादुरीका जरा भी मादा नहीं रहा, लेकिन उनमें एक वर्गके नाते नामवर होनेकी डाह पैदा होनी चाहिए। उन्हे अपने साथियोमें होनेवाली प्रत्येक ऐसी वारदात-की जाच करनी चाहिए। उन्हे हर एक स्त्रीका अपनी मा और वहनकी तरह आदर करना सीखना चाहिए। यदि वे शिष्टाचार नहीं सीखते, तो उनकी बाकी सारी लिखाई-पढ़ाई फिजूल है।

और क्या यह प्रोफेसरो और स्कूल-मास्टरोका फर्ज नहीं है कि लोगोके सामने जैसे अपने विद्यार्थियोकी पढ़ाईके लिए जिम्मेवार होते हैं उसी तरह उनके शिष्टाचार और सदाचाके लिए भी उनको पूरी तसल्ली दे?

हरिजन सेवक,

३१ दिसम्बर १९३८

## आजकलकी लड़कियां

ग्यारह लड़कियोंकी ओरसे लिखा हुआ एक पत्र मुझे मिला है, जिनके नाम और पते भी मुझे भेजे गए हैं। उनमें ऐसे हेर-फेर करके जिससे उसके मतलबमें तो कोई तबदीली न हो; पर वह पढ़नेमें अधिक अच्छा हो जाय, मैं उसे यहा देता हू—

“एक लड़कीकी ‘आत्म-रक्षा कैसे करे?’ शीर्षक शिकायतपर जो ३१ दिसम्बर १९३८ के ‘हरिजन’ में प्रकाशित हुई, आपने जो टीका-टिप्पणी की वह विशेष ध्यान देने लायक है। आधुनिक यानी आजकलकी लड़कीने आपको इस हृदतक उत्तेजित कर दिया मालूम पड़ता है कि अन्तमें आपने उसे अनेकोंकी दृष्टिमें आकर्षक बननेकी शौकीन बतला डाला है। इससे स्त्रियों के प्रति आपके जिस विचारका पता लगता है वह बहुत स्फूर्तिदायक नहीं है।

इन दिनों जब कि पुरुषोंकी मदद करने और जीवनके भारमें वरावरीका हिस्सा लेनेके लिए स्त्रिया बन्द दरवाजोंसे बाहर आ रही है, यह नि.सन्देह आश्चर्यकी ही बात है कि पुरुषोंद्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किये जानेपर अभी भी उन्हें ही दोष दिया जाता है। इस बातसे इन्कार नहीं किया जा सकता कि ऐसे उदाहरण दिये जा सकते हैं जिनमें दोनोंका कनूर वरावर हो। कुछ लड़किया ऐसी भी हो सकती हैं जिन्हें अनेकोंकी दृष्टिमें आकर्षक बनना प्रिय हो; लेकिन उस हालतमें यह भी मानना ही पड़ेगा कि ऐसे पुरुष भी हैं जो ऐसी लड़कियोंकी टोहमें गली-सड़कोंमें फिरने रहते हैं। और यह तो हर्गिज नहीं माना जा सकता या मानना चाहिए कि आजकल की सभी लड़किया इस तरह अनेकोंकी दृष्टिमें आकर्षक बननेकी शौकीन हैं या आजकलके नवयुदक सब उनकी टोहमें फिरनेवाले ही हैं। आप न्यूद

आजकलकी काफी लड़कियोंके सम्पर्कमें आये हैं और उनके निश्चय, वलिदान एवं स्त्रियोचित अन्य गुणोंका आपपर जरूर असर पड़ा होगा।

आपको पत्र लिखने वालीने जैसे बद्धलन आदमियोंका जिक्र किया है उनके खिलाफ लोक-मत तैयार करनेका जहातक सवाल है, यह करना लड़कियोंका काम नहीं है। यह काम हम भूठी शर्मके लिहाज्जसे नहीं, वल्कि उसके असरके लिहाजसे कहती है।

लेकिन ससार-भरमें जिसकी इज्जत है ऐसे आदमीके द्वारा ऐसी वात कही जानेसे एक बार फिर उसी पुरानी और लज्जाजनक लोकोवितकी पैरवी की जाती मालूम पड़ती है कि 'स्त्री नरकका द्वार है।'

इस कथनसे यह न समझिये कि आजकलकी लड़किया आपकी इज्जत नहीं करती। नवयुवकोंकी तरह वे भी आपका सम्मान करती हैं। उन्हे तो सबसे बड़ी यही शिकायत है कि उन्हे नफरत या दयाकी दृष्टिसे क्यों देखा जाय। उनके तौर-तरीके अगर सचमुच दोषपूर्ण हो तो वे उन्हे सुधारनेके लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी मलामत करनेसे पहले उनके दोषको अच्छी तरह सिद्ध कर देना चाहिए। इस सम्बन्धमें वे न तो स्त्रियोंके प्रति शिष्टताकी भूठी भावनाकी छायाका ही सहारा लेना चाहती है, न वे न्यायाधीश द्वारा मनमाने तौरपर अपनी निन्दाकी जानेको चुपचाप वर्दान्त करनेके लिए ही तैयार हैं। सचाईका सामना तो करना ही चाहिए, आजकलकी लड़कीमें, जिसे कि आपके कथनानुसार अनेकोंकी दृष्टिमें आकर्षक बनना प्रिय है, उसका मुकाबला करने जितना साहस पर्यात रूपमें विद्यमान है।'

मुझे पत्र भेजनेवालियोंको शायद यह पता नहीं है कि चालीस वरससे ज्यादा हुए तब दक्षिण अफ्रीकामें मैंने भारतीय स्त्रियोंकी सेवाका कार्य करना शुरू किया था, जबकि इनमेंसे किसीका शायद जन्म न हुआ होगा। मैं तो ऐसा कुछ लिख ही नहीं सकता जो नारीत्वके लिए अपमानजनक हो। स्त्रियोंके लिए इज्जतकी सम्भावना मेरे अन्दर इतनी ज्यादा है कि मैं उनकी बुराईका विचार ही नहीं कर सकता। स्त्रिया तो, जैसा कि अग्रेजीमें उन्हे कहा गया है, हमारा सुन्दरार्द्ध है। फिर मैंने जो लेख

लेखा वह विद्यार्थियोंकी निर्लज्जता पर प्रकाश डालनेके लिए था, लड़कियोंकी कमजोरीका ढोल पीटनेके लिए नहीं। अलबत्ता रोगका नेदान बतलानेके लिए, अगर मुझे उसका ठीक इलाज बतलाना हो तो, मुझे उन सब वातोंका उल्लेख करना लाजिमी था, जो रोगकी तहसे हो।

आधुनिक या आजकलकी लड़कीका एक खास अर्थ है। इसलिए अपनी वात कुछ ही तक सीमित रखनेका सवाल नहीं था। यह याद रहेंके अग्रेजी शिक्षा पाने वाली सभी लड़किया आधुनिक नहीं हैं। मैं ऐसी लड़कियोंको जानता हूँ, जिन्हे 'आधुनिक लड़की' की भावनाने स्पर्शतक नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसी जरूर हैं जो आधुनिक लड़किया बन गई हैं। मैंने जो कुछ लिखा वह भारतकी विद्यार्थिनियोंको यह चेतावनी देनेके ही लिए था कि वे आधुनिक लड़कियोंकी नकल करके उस समस्याको और जटिल न बनाए जो पहले ही भारी खतरा हो रही है, क्योंकि जिस समय मुझे यह पत्र मिला, उसी समय मुझे आनंद्रसे भी एक विद्यार्थिनीका पत्र मिला था, जिसमें आनंद्रके विद्यार्थियोंके व्यवहारकी कड़ी शिकायत की गई थी और उसका जो वर्णन उसने किया था वह लाहौरकी लड़की द्वारा वर्णित व्यवहारसे भी बुरा था। आनंद्रकी वह लड़की कहती है कि उसकी साथिन लड़किया सादा पोशाक पहननेपर भी नहीं बच पाती, लेकिन उनमें इतना साहस नहीं है कि वे उन लड़कोंके जगलीपनका भडाफोड़ कर दे जो कि जिस स्थामे पढ़ते हैं उसके लिए कलक-रूप है। आनंद्र-प्रूनिवर्सिटीके अधिकारियोंका ध्यान मैं इस शिकायतकी ओर आकर्षित करता हूँ।

पत्र भेजनेवाली इन ग्यारह लड़कियोंमें इस बातके लिए निमन्त्रित करता हूँ कि वे विद्यार्थियोंके जगली व्यवहारके खिलाफ जहाद बोल दे। ईश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद अपने-आप करते हैं। लड़कियोंको पुरुषके जगली व्यवहारसे अपनी रक्षा करनेकी कला तो सीख ही लेनी चाहिए।

हरिजन सेवक,

१८ फरवरी १९३६

# परिशिष्ट

: १ :

## सन्तति-निरोधको हिमायतिन

दरिद्रनारायणकी सेवामे अपना सब-कुछ समर्पण कर देनेवाले बूढे किसानसे सर्वथा विपरीत, इंग्लैण्डकी एक श्रीमती हाड-मार्टिन है, जो कृत्रिम सन्तति-निरोधकी जबर्दस्त प्रचारिका है और भारतके गरीबोकी मददके लिए अपना सन्देश लिकर भारत पधारी है। गाधीजीके पास वह इस इरादेसे आई है कि या तो उन्हे अपने विचारोका बना ले या खुद उनके विचारोपर आ जाय। निस्सन्देह, वह हिन्दुस्तानमे पहली ही बार आई है और यहा के गरीबोकी हालत अभी उन्होने मुश्किलसे ही देखी होगी, इस-लिए ब्रिटेनकी गन्दी वस्तियोके अपने अनुभवकी ही उन्होने चर्चा की और उन 'अबलाओ' का बड़ा पक्ष लिया, जिन्हे कि सगक्त पुरुषके आगे भुक्ना पड़ता है।

लेकिन इस पहली ही दलीलपर गाधीजीने उन्हे आडे हाथो लिया। 'कोई स्त्री अबला नही है।' गाधीजी ने कहा, "कमजोर-से-कमजोर स्त्री भी पुरुषसे ज्यादा बल रखती है और अगर आप भारतके गावोमे चले तो मैं यह बात आपको दिखला देनेके लिए पूरी तरह तैयार हूँ। वहा प्रत्येक स्त्री आपसे यही कहेगी कि उसकी इच्छा न हो तो माईका जाया कोई ऐसा लाल नहीं जो उसपर बलात्कार कर सके। यह बात अपनी पत्नीके साथ-के खुद अपने अनुभवसे मैं कह सकता हूँ, और यह याद रखिए कि मेरा उदाहरण कोई विरला ही नहीं है। सच तो यह है कि भुक्नेके बजाय मर जानेकी भावना मौजूद हो तो कोई राक्षस भी स्त्रीको अपनी दुष्ट चेष्टा-

के लिए मजबूर नहीं कर सकता। यह तो परस्परकी रजामन्दीकी वात है। स्त्री-पुरुष दोनोंमें ही पशुत्व और देवत्वका सम्मिश्रण है, और अगर हम उनमेंसे पशुत्वको दूर कर सके तो यह श्रेष्ठ और हितकर ही होगा।”

“लेकिन”, श्रीमती हाड़-मार्टिनने पूछा, “अगर पुरुष अधिक वच्चोंसे वचनेके लिए अपनी पत्नीको छोड़कर पर-स्त्रीके पास जाय तो वेचारी पत्नी क्या करे?”

“यह तो आप अपनी वाते बदल रही है, लेकिन यह याद रखिए कि अगर आप अपनी दलीलको निभ्रान्ति न रखेगी तो आप जरूर गलत परिणाम-पर पहुंचेगी। व्यर्थकी कल्पनाएं करके पुरुषको पुरुषसे कुछ और तथा स्त्रीको स्त्रीसे अन्यथा बनानेकी कोशिश न कीजिए। आपके सन्देशका आधार क्या है, यह तो मुझे समझ लेने दीजिए। जब मैंने यह कहा कि सन्तति-निरोधका आपका प्रचार काफी फैल चुका है, तब इस विनोदके पीछे कुछ गम्भीरता थी, क्योंकि मुझे यह मालूम है कि ऐसे भी कुछ स्त्री-पुरुष हैं जो समझते हैं कि सन्तति-निरोधमें ही हमारी मुक्ति है। इसलिए मैं आपसे इसका आधार समझ लेना चाहता हूँ।”

“मैं इसमें सासारकी मुक्ति नहीं देखती”, श्रीमती हाड़-मार्टिनने कहा, “मैं तो सिर्फ यही कहती हूँ कि सन्तति-निरोधका कोई रूप अस्तियार किये बगैर प्रजाकी मुक्ति नहीं है। आप ऐसा एक तरीकेसे करेंगे, मैं दूसरे तरीकेसे करूँगी। आपके तरीकेका भी मैं प्रतिपादन करती हूँ, लेकिन सभी हालतोंमें नहीं। आप तो, मालूम होता है, एक सुन्दर वस्तुको ऐसा समझते हैं मानो वह कोई आपत्तिजनक चीज हो, पर यह याद रखिए कि दो व्यक्ति जब नये जीवनका निर्माण करने जाते हैं तो वे पशुत्वसे ऊपर उठकर देवत्वके अत्यन्त निकट होते हैं। इस क्रियामें कोई वात ऐसी है जो बड़ी सुन्दर है।”

“यहाँ भी आप भ्रममें हैं”, गाधीजीने कहा, “नये जीवनका निर्माण देवत्वके अत्यन्त निकट है, इस वातको नैं मानता हूँ। मैं जो-कुछ चाहता हूँ वह तो यही है कि यह दैवी व्यप्तिमें ही किया जाय, मतलब यह कि पुन्न-स्त्री नये जीवनका निर्माण करने यानी सन्तानोत्तिके त्रिवा बाँर किसी

इच्छासे सम्भोग न करे ? लेकिन अगर वे खाली काम-वासना शान्त करने-के लिए ही सम्भोग करे तब तो वे शैतानियतके ही बहुत नज़दीक होते हैं । दुर्भाग्यवश, मनुष्य इस वातको भूल जाता है कि वह देवत्वके निकटतम् है, वह अपने अन्दर विद्यमान पशु-वासनाके पीछे भटकने लगता है और पशुसे भी बदतर बन जाता है ।”

“लेकिन पशुत्वकी आपको क्यों निन्दा करनी चाहिए ?”

“मैं निन्दा नहीं करता । पशु तो, उसके लिए कुदरतने जो नियम बनाये हैं, उनका पालन करता है । सिह अपने क्षेत्रमें एक श्रेष्ठ प्राणी है और मुझको खा जानेका उसे पूरा अधिकार है, लेकिन मेरी यह विशेषता नहीं है कि मैं पजे बढ़ाकर आपके ऊपर झपटू । मैं ऐसा करूं तो अपनेको हीन बनाकर पशुसे भी बदतर बन जाऊगा ।”

“मुझे अफसोस है,” श्रीमती हाड़-मार्टिनने कहा, “मैंने अपने भाव ठीक तरह व्यक्त नहीं किये । इस वातको मैं स्वीकार करती हूं कि अधिकाश मामलोमें इससे उनकी मुक्ति नहीं होगी, लेकिन यह ऐसी वात जरूर है जिससे जीवन ऊचा बनेगा । मेरी वात आप समझ गये होगे, हालांकि मुझे शक है कि मैं अपनी वात विलकुल स्पष्ट नहीं कर पाई हूं ।”

“नहीं-नहीं, मैं आपकी अव्यवस्थिताका कोई वेजा फायदा नहीं उठाना चाहता । हा, यह जरूर चाहता हूं कि मेरा दृष्टिकोण आप समझ ले । ग्रलतफहमियोपर न चलिए । उपरि-मार्ग और अधो-मार्गमेंसे कोई एक आदमीको जरूर चुनना होगा, लेकिन उसमें पशुत्वका अश होनेके कारण वह उपरि-मार्गके बदले अधो-मार्ग उसके सामने सुन्दर आवरणसे परिवेष्टित हो । सद्गणके परदेमें पाप सामने आने पर मनुष्य आसानीसे उसका शिकार हो जाता है, और मेरी स्टोप्स तथा दूसरे (कृत्रिम सन्तति-निरोधके हिमायती) यहीं कर रहे हैं । मैं अगर विलासताका प्रचार करना चाहूं तो, मैं जानता हूं, मनुष्य आसानीसे उसे ग्रहण कर लेगे । मैं जानता हूं कि आप जैसे लोग अगर निस्स्वार्थ भावसे उत्साहके साथ अपने सिद्धान्तके प्रचारमें लगे रहे तो ज़ाहिरा तौर पर शायद आपको विजय भी मिल जाय, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि ऐसा करके आप निश्चित रूपसे मृत्युके

मार्गपर पहुँचेगे—इसमे शक नहीं कि ऐसा आप करेगे इस वातको विलकुल न जानते हुए कि आप कितनी शारारत कर रहे हैं। अधो-मार्गकी प्रवृत्ति ही ऐसी है कि उसके लिए किसी समर्थन या दलीलकी ज़रूरत नहीं होती। यह तो हमारे अन्दर मौजूद ही है, और अगर हम इस पर रोक लगाकर इसे नियन्त्रित न रखे तो रोग और महामारीका खतरा है।”

श्रीमती हाड़-मार्टिनने जो अवतक देवत्व और शैतानियतके बीच भेदको स्वीकार करती मालूम पड़ती थी, कहा कि ऐसा कोई भेद नहीं है और लोग समझते हैं उससे कहीं ज्यादा वे परस्पर-सम्बद्ध हैं। सन्तति-निरोधकी सारी फिलासफीके पीछे दरअसल यही वात है, और सन्तति-निरोधके हिमायती यह भूल जाते हैं कि यही उनका रामवाण इलाज है।

“तो आप ऐसा समझती हैं कि देव और पगु एक ही चीज़ हैं? क्या आप सूर्यमे विश्वास करती हैं? अगर करती हैं तो क्या आप यह नहीं सोचती कि छायामे भी आपको विश्वास करना ही चाहिए?” गाधीजीने पूछा।

“आप छायाको शैतान क्यों कहते हैं?”

“आप चाहे तो उसे ईश्वरेतर कह सकती हैं।”

“मैं यह नहीं समझती कि छायामे ‘ईश्वरेतर’ नहीं हैं। जीवन तो सर्वत्र है।”

“जीवनका प्रभाव जैसी भी कोई चीज़ है। क्या आप जानती हैं कि हिन्दू लोग अपने-अपने प्रियतमो तकके शरीरको उनकी जीवन-ज्योति-के बुझते ही जल्द-से-जल्द जलाकर भस्म कर देते हैं? यह ठीक है कि समस्त जीवनमे मूलभूत एकता है; लेकिन विभिन्नता भी है। हमारा काम है कि उस विभिन्नतामे प्रवेश करके उसके अन्दर समाविष्ट एकताका पता लगाये; लेकिन बुद्धिके द्वारा नहीं, जैसा कि आप प्रयत्न करनेकी कोणिश कर रही हैं। जहाँ सत्य है, वहा असत्य भी ज़रूर होना चाहिए; इसी तरह जहा प्रकाश है, वहा छाया भी ज़रूर होगी। जवतक आप तर्क और बुद्धि ही नहीं, वल्कि नरीरका भी सर्वथा उत्सर्ग न कर दे तवतक आप इस व्यापक ज्ञानकी अनुभूति नहीं कर सकती।”

श्रीमती हाड़-मार्टिन भौचककी रह गई । उनकी मुलाकातका समय बीता जा रहा था, लेकिन गाधीजीने कहा, “नहीं, मैं आपको और समय देनेके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए आपको वर्धा आकर मेरे पास ठहरना होगा । मैं भी आपसे कम उत्साही नहीं हूँ, इसलिए जबतक आप मुझे अपने विचारोका न बना ले या खुद मेरे विचारो पर न आ जाय तबतक आपको हिन्दुस्तानसे नहीं जाना चाहिए ।”

यह आनन्दप्रद वार्ता सुनते हुए, जो दूसरे कार्य-क्रमोके कारण यही रोकनी पड़ी, मुझे असीसीके सन्त फ्रासिसके इन महान शब्दोका स्मरण हो आया—“प्रकाशने देखा और अन्धकार लुप्त हो गया । प्रकाशने कहा, “मैं वहा जाऊगा ?” शान्तिने दृष्टि फेंकी और युद्ध भाग गया, शान्तिने कहा, “मैं वहा जाऊगी ।” प्रेम उदित हुआ और घृणा उड़ गई । प्रेमने कहा, “मैं वहा जाऊगा ।” और यह वात सूर्य-प्रकाशकी भाति सर्वत्र फैलकर हमारे अंतरमें प्रवेश कर गई ।

—महादेव देसाई

## पाप और सन्तति-निग्रह

गाधीजीके ध्यानमें सारे दिन ग्राम और ग्रामवासी ही रहते हैं और स्वप्न भी उन्हे इसी विषयके आते हैं। स्वामी योगानन्द नामके एक संन्यासी सोलह वरस अमेरिकामें रहकर अभी-अभी स्वदेश वापस आये हैं। गत सप्ताह रात्री जाते हुए गाधीजीसे मिलनेके लिए वे यहा उत्तर पड़े और दो दिन ठहरे। उनके साथ गाधीजीका जो खासा लम्बा सम्बाद हुआ। उसमें भी उनके इस ग्राम-चिन्तनकी काफी स्पष्ट भलक दिखाई देती थी। स्वामी योगानन्द केवल धर्मप्रचारके लिए अमेरिका गये थे और उनके कहे अनुसार उन्होने आचरण और उपदेशके द्वारा भारतवर्षका आध्यात्मिक सन्देश संसारको देनेका ही सब जगह प्रयत्न किया। उनका यह दृढ़ विश्वास है कि “भारतवर्षके बलिदानसे ही जगत्‌का उद्धार होगा।”

गाधीजीके साथ उन्हे पाप, सन्तति-निग्रह इन दो विषयों पर चर्चा करनी थी। अमेरिकाके जीवनकी काली वाजू उन्होने अच्छी तरह देखी थी और अमेरिकाके युवकों और युवतियोंके विलासितामय जीवनकी एक-एक बात पर प्रकाश डालनेवाली पुस्तकके लेखक जज लिंडसेके साथ उनका वहा काफी निकटका परिचय था।

गाधीजीने कहा, “दुनियामें पाप क्यों है” इस प्रश्नका उत्तर देना कठिन है। मैं तो एक ग्रामवासी जो जबाब देगा वही दे सकता हूँ। जगत्‌में प्रकाश है तो अन्धकार भी है। इसी तरह जहा पुण्य है वहा पाप होगा ही। किन्तु पाप और पुण्य तो हमारी मानवी दृष्टिसे हैं। ईश्वरके आगे तो पाप और पुण्य जैसी कोई चीज ही नहीं। ईश्वर तो पाप और पुण्य दोनोंसे ही परे है। हम नरीब ग्रामवासी उसकी लीलाका मनुष्यकी वाणी-में चर्णन करते हैं; पर हमारी भाषा ईश्वरकी भाषा नहीं है।

“वेदान्त कहता है कि यह जगत् माया रूप है। यह निरूपण भी मनुष्यकी तोतली वाणीका है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं इन वातोमें पड़ता ही नहीं। ईश्वरके घरके गूढ़-से-गूढ़ भेद जाननेका भी मुझे अवसर मिले तो भी मैं उन्हें जाननेकी हासी न भरू। कारण यह है कि मुझे यह पता नहीं कि मैं वह सब जानकर क्या करूँगा! हमारे आत्म-विकासके लिए इतना ही जानना काफी है कि मनुष्य जो कुछ अच्छा काम करता है ईश्वर निरन्तर उसके साथ रहता है। यह भी ग्रामवासीका निरूपण है।”

“ईश्वर सर्वशक्तिमान् तो है ही, तो वह हमें पापसे मुक्त क्यों नहीं कर देता?” स्वामीजी ने पूछा।

“मैं इस प्रश्नकी भी उधेड़-बुनमें नहीं पड़ना चाहता। ईश्वर और हम बराबर नहीं हैं। बराबरीवाले ही एक-दूसरेसे ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, छोटे-बड़े नहीं। गाववाले यह नहीं पूछते कि शहरवाले अमुक काम क्यों करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर हमने वैसा किया तो हमारा सर्वनाश तो निश्चित ही है।”

“आपके कहनेका आशय मैं अच्छी तरह समझता हूँ। आपने यह बड़ी जोरदार दलील दी है। पर ईश्वरको किसने बनाया?” स्वामी-जीने पूछा।

“ईश्वर यदि सर्वशक्तिमान् है तो अपना सिरजनहार उसे स्वयं ही होना चाहिए।”

“ईश्वर स्वतत्र सत्तावान् है या लोक-तत्रमें विश्वास करनेवाला? आपका क्या विचार है?”

“मैं इन वातोपर विलकुल विचार नहीं करता। मुझे ईश्वरकी सत्ता-में तो हिस्सा लेना नहीं, इसलिए ये प्रश्न मेरे लिए विचारणीय नहीं है। मैं तो, मेरे आगे जो कर्तव्य है, उसे करके ही सतोष मानता हूँ। जगत्-की उत्पत्ति कैसे हुई, और क्यों हुई, इन सब प्रश्नोकी चिन्तामें मैं क्यों पड़ूँ?”

“ईश्वरने हमें बुद्धि तो दी है?”

“बुद्धि तो जरूर दी है, पर वह बुद्धि हमें यह समझनेमें सहायता

देती है कि जिन वातोका हम ओर-छोर नहीं निकाल सकते उनमें हमें मायापञ्ची नहीं करनी चाहिए। मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि सच्चे ग्रामवासीमें अद्भुत व्यावहारिक बुद्धि होती है और इससे वह कभी इन पहेलियोकी उलझनमें नहीं पड़ता।”

“अब मैं एक दूसरा ही प्रश्न पूछता हूँ। क्या आप यह मानते हैं कि पुण्यात्मा होनेकी अपेक्षा पापी होना सहल है, अथवा ऊपर चढ़नेकी अपेक्षा नीचे गिरना आसान है।”

“ऊपरसे तो ऐसा मालूम होता है, पर असल वात यह है कि पापी होनेकी अपेक्षा पुण्यात्मा होना सहल है। कवियोने कहा है सही कि नरकका मार्ग आसान है, पर मैं ऐसा नहीं मानता। मैं यह भी नहीं मानता कि ससारमें अच्छे आदमियोंकी अपेक्षा पापी लोग अधिक हैं। अगर ऐसा है तो ईश्वर स्वयं पापकी मूर्ति बन जायगा, पर वह तो अहिंसा और प्रेमका साकार रूप है।”

“क्या मैं आपकी अहिंसाकी परिभाषा जान सकता हूँ?”

“ससारमें किसी भी प्राणीको मन, वचन और कर्मसे हानि न पहुचाना अहिंसा है।”

गाधीजीकी इस व्याख्यासे अहिंसाके सम्बन्धमें काफी लम्बी चर्चा हुई, पर उस चर्चाको मैं छोड़ देता हूँ। ‘हरिजन’ और ‘यगद्विया’ में न जाने कितनी बार इस विषय पर चर्चा हो चुकी है।

“अब मैं दूसरे विषय पर आता हूँ,” स्वामीजीने कहा, “क्या आप सत्तति-निगहके मुकावलेमें सयमको अधिक पस्त द करते हैं?”

“मेरा यह विवाह है कि किसी छत्रिम रीतिसे या पञ्चममें प्रचलित मोजूदा रीतियोंमें सत्तति-निग्रह करना आत्म-धात है। मैंने यहा जो ‘आत्म-धात’ वद्वारा प्रयोग किया है उसका अर्थ यह नहीं है कि प्रजाका नमूल नान हो जायगा। ‘आत्म-धात’ वद्वारोंमें इन्हें ऊचे अर्थमें लेता हूँ। मेरा आगव यह है कि सत्तति-निग्रहकी ये रीतिया मनुष्योंको पवृ-ने नदनर बना देनी है। यह जनीतिका मार्ग है।”

“पर हम यह कहा नहीं बदृन्द रहे दि ननुष्य अतिरेकके नाय नन्तान

पैदा करता ही चला जाय ? मैं एक ऐसे आदमीको जानता हूँ, जो नित्य एक सेर दूध लेता था और उसमे पानी मिला देता था, ताकि उसे अपने तमाम वच्चोको बाट सके । वच्चोकी सख्त्या हर साल बढ़ती ही जाती थी । क्या इसमे आप पाप नहीं मानते ?”

“इतने वच्चे पैदा करना कि उनका पालन-पोषण न हो सके यह पाप तो है ही, पर मैं यह मानता हूँ कि अपने कर्मके फलसे छुटकारा पानेकी कोशिश करना तो उससे भी बड़ा पाप है । इससे तो मनुष्यत्व ही नष्ट हो जाता है ।”

“तब लोगोको यह सत्य बतानेका सबसे अच्छा व्यावहारिक मार्ग क्या है ।”

“सबसे अच्छा व्यावहारिक मार्ग यह है कि हम सबका जीवन बितावे । उपदेशसे आचरण ऊचा है ।”

“मगर पश्चिमके लोग हमसे पूछते हैं कि तुम लोग अपनेको पश्चिम-के लोगोसे अधिक आध्यात्मिक मानते हो, फिर भी हम लोगोके मुकाबलेमे तुम्हारे यहा बालकोकी मृत्यु अधिक सख्त्यामे क्यों होती है ? महात्माजी, आप मानते हैं कि मनुष्य अधिक सख्त्यामे सतान पैदा करे ?”

“मैं तो यह मानने वाला हूँ कि सन्तान बिलकुल पैदा न की जाय ।”

“तब तो सारी प्रजाका नाश हो जायगा ।”

“नाश नहीं होगा, प्रजाका और भी सुन्दर रूपान्तर हो जायगा । पर यह कभी होनेका नहीं, क्योंकि हमे अपने पूर्वजोसे यह विषय-वृत्ति-का उत्तराधिकार युगानयुगसे मिला हुआ है । युगोकी इस पुरानी आदतको कावूमे लानेके लिए बहुत बड़े प्रयत्नकी जरूरत है, तो भी वह प्रयत्न सीधा-सादा है । पूर्ण त्याग, पूर्ण ब्रह्मचर्य ही आदर्श स्थिति है । जिससे यह न हो सके वह खुशीसे विवाह कर ले, पर विवाहित जीवनमे भी वह सबके से रहे ।”

“जन-साधारणको सबका जीवनकी बात सिखानेकी क्या आपके पास कोई व्यावहारिक रीति है ?”

“जैसा कि एक क्षण पहले मैं कह चुका हूँ, हमे पूर्ण सबकी साधना

करनी चाहिए और जन-साधारणके बीच जाकर सयममय जीवन विताना चाहिए। भोग-विलास छोड़कर ब्रह्मचर्यके साथ अगर कोई मनुष्य रहे तो उसके आचरणका प्रभाव अवश्य ही जनता पर पड़ेगा।, ब्रह्मचर्य और अस्वाद व्रतके बीच अविच्छिन्न सम्बन्ध है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहता है, वह अपने प्रत्येक कार्यमें सयमसे काम लेगा और सदा नम्र बनकर रहेगा।”

स्वामीजीने कहा, “मैं समझ गया। जन-साधारणको सयमके आनन्दका पता नहीं और हमें यह चीज उसे सिखानी है, पर मैंने पश्चिम-के लोगोंकी जिस दलीलके बारेमें आपसे कहा है, उस पर आपका क्या मत है ?”

“मैं यह नहीं मानता कि हम लोगोंमें पश्चिमके लोगोंकी अपेक्षा आध्यात्मिकता अधिक है। अगर ऐसा होता तो आज हमारा इतना अध-पतन न हो गया होता। किन्तु इस बातसे कि पश्चिमके लोगोंकी उम्र औसतन हम लोगोंकी उम्रसे ज्यादा लम्बी होती है, यह साबित नहीं होता कि पश्चिममें आध्यात्मिकता है। जिसमें अध्यात्म-वृत्ति होती है, उसकी आयु अधिक लम्बी होनी चाहिए, यह बात नहीं है, बल्कि उसका जीवन अधिक अच्छा, अधिक शुद्ध होना चाहिए।”

—महादेव देसाई

## श्रीमती सेगर और सन्तति-निरोध

श्रीमती मार्गरेट सेगर अभी थोड़े ही समय पहले गाधीजीसे वर्धमे मिली थी। गाधीजीने उन्हे अच्छी तरह समय दिया था। भारतवर्ष छोड़नेके पहले उन्होने 'इलस्ट्रेटेड वीकली'मे एक लेख लिखा है, जिसमे यह दिखाया गया है कि गाधीजीके साथ उनकी जो बात-चीत हुई उससे उन्हे कितना थोड़ा लाभ प्राप्त हुआ है। गाधीजीसे वह मार्गदर्शन प्राप्त करनेके लिए आई थी। "अगणित लोग आपको पूजते हैं, आपकी आज्ञा पर चलते हैं, फिर उनसे आप इस सम्बन्धमे क्यों नहीं कहते? उनके लिए आप कोई ऐसा मन्त्र क्यों नहीं देते कि जिससे वे सन्मार्ग पर चलना सीखे?"—यह वे चाहती थी। "देशके लाखों स्त्री-पुरुषोंका हित आपने किया है तो फिर इस विषयमे भी आप कुछ कीजिए।" यह उनकी माग थी। पहले दिन अच्छी तरह बात करनेके बाद जब वे तृप्त नहीं हुईं तो दूसरे दिन भी उन्होने उतनी देर तक बातें की। अब वे अपने लेखमे यह लिखती हैं कि गाधीजीको तो भारतकी महिलाओंका कुछ पता नहीं, क्योंकि उन्होने तो सारी बात-चीतमे दो ऐसी बेहूदी बातें की कि जिनसे उनका अज्ञान प्रकट हो गया। गाधीजीने इस बात-चीतमे अपनी आत्मा निचोड़ दी थी, अपनी आत्म-कथाके कितने ही प्रकरण हृदयगम भाषामे बताये थे, किन्तु उन सबका निष्कर्ष इस महिलाने यह निकाला कि गाधीजीको स्त्रियोंकी मनोवृत्तिका कुछ ज्ञान ही नहीं।

गाधीजीसे श्रीमती सेगर स्त्रियोंके लिए एक उद्घारक मन्त्र लेना चाहती थी, और वह मन्त्र उन्हे मिला, पर वह तो असलमे यह चाहती थी कि उनके अपने मन्त्र पर गाधीजी मोहर लगा दे। इसलिए वह सुवर्ण मन्त्र उन्हे दो कौड़ीका मालूम हुआ। उन्हे भले ही वह दो कौड़ीका मालूम हुआ हो,

पर भारतकी स्त्रियोंको वह मन्त्र देना जरूरी है, उन्हें वह कौड़ी मोलका मालूम नहीं पड़ेगा। गांधीजीने तो उनसे बार-बार विनय करके यह भी कहा था कि मुझसे आपको एक ही बात मिल सकती है। मेरे और आपके तत्त्व-ज्ञानमें जमीन-आसमानका अन्तर है। इन सब बातोंको उस समय तो उन्होंने अच्छा महत्त्व दिया, पर खुद उन्होंने जो लेख प्रकाशित कराया है, उसमें उन्हें जरा भी महत्त्व नहीं दिया।

गांधीजीने तो पीड़ित स्त्रियोंके लिए यह सुवर्ण मन्त्र दिया था कि—“मैंने तो अपनी स्त्रीके गजसे ही तमाम स्त्रियोंका माप निकाला है। दक्षिण अफिकामे अनेक बहनोंसे मैं मिला—यूरोपीय और भारतीय दोनोंसे ही। भारतीय स्त्रियोंसे तो मैं सभीसे मिल चुका था, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि उनसे मैंने काम लिया था। सभीसे मैं तो डोडी पीट-पीट कर कहता था कि तुम अपने शरीरकी—आत्माकी तरह शरीरकी भी—स्वामिनी हो, तुम्हे किसीके वशमें होकर नहीं बरतना है, तुम्हारी इच्छाके विरुद्ध तुम्हारे माता-पिता या तुम्हारा पति तुमसे कुछ नहीं करा सकता, लेकिन बहुत-सी बहनें अपने पतिसे ‘ना’ नहीं कह सकती। इसमें उनका दोष नहीं। पुरुषोंने उन्हें गिराया है, पुरुषोंने उनके पतनके लिए अनेक तरहके जाल रचे हैं, और उन्हें बाधनेकी जजीरको भी उन्होंने सोनेकी जजीर-का नाम दे रखा है। इसलिए वे बेचारी पुरुषकी ओर आकर्षित हो गई हैं। मगर मेरे पास तो एक ही सुवर्ण-मार्ग है, वह यह कि वे पुरुषोंका प्रतिरोध करें। यह वे उन्हें साफ-साफ बतला दे कि उनकी इच्छाके विरुद्ध पुरुष उनके ऊपर सन्ततिका भार नहीं ढाल सकते। इस प्रकारका प्रतिरोध करानेमें अपने जीवनके शेष वर्ष यदि मैं खर्च कर सकूँ तो फिर सन्तति-निग्रह-जैसी बातका कोई प्रश्न नहीं रहता। पुरुष यदि पशु-वृत्ति लेकर उनके पास जावे तो वे स्पष्ट रूपसे ‘ना’ कह दें। यह शक्ति अगर उनमें आ जाय तो फिर कुछ भी करनेकी जरूरत नहीं। यहा हिन्दुस्तानमें तो सन्तति-निग्रहका प्रश्न ही नहीं रहेगा। सभी पुरुष तो पशु हैं नहीं। मैंने ही तो अपने निजी सम्पर्कमें आई हुई अनेक स्त्रियोंको यह प्रतिरोधकी कला सिखाई है। असल प्रश्न तो यह है कि अनेक स्त्रिया यह प्रतिरोध करना

ही नहीं चाहती । . . . मेरा तो यह विश्वास है कि ६६ प्रतिशत स्त्रिया विना किसी कटुताके अपने प्रेमसे ही पतियोसे यह प्रार्थना कर सकती है कि हमारे ऊपर आप बलात्कार न करे । यह चीज़ असलमे उन्हे सिखाई नहीं गई, न माता-पिताने हीं सिखाई, न समाज-सुधारकोने हीं । तो भी कुछ पिता ऐसे देखे हैं कि जिन्होने अपने दामादसे यह बात की है, और कुछ अच्छे पति भी देखनेमे आये हैं कि जिन्होने अपनी स्त्रीकी रक्षा की है । मेरी तो सौ बातकी एक बात है कि स्त्रियोको प्रतिरोधका जो जन्म-सिद्ध अधिकार है, उसका उन्हे निर्वाध रीतिसे उपयोग करना चाहिए ।”

मगर यह बात श्रीमती सेगरको बेहूदी-सी मालूम हुई । गाधीजीके आगे तो उन्होने नहीं कहा, पर अपने लेखमे वे कहती हैं कि इस सारी बातसे गाधीजीका अज्ञान ही प्रकट होता है, क्योंकि स्त्रियोमे इस तरहका प्रतिरोध करनेकी शक्ति नहीं । आज स्त्रिया यह प्रतिरोध नहीं करती, यह तो गाधी जी भी खुद मानते हैं, पर उनका कहना यह है कि प्रत्येक शुद्ध सुधारकका यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह स्त्रियोको इस तरहका प्रतिरोध करनेकी शिक्षा दे । क्रोध, द्वेष और हिंसाकी दावागिन महात्मा ईसाके जमानेमे भी सुलग रही थी, किन्तु उन्होने उपदेश दिया प्रेमका, अहिंसाका । उस उपदेशका पालन आज भी कम ही होता है, पर इससे यह कोई नहीं कहता कि महात्मा ईसाको मानव-समाजका ज्ञान न था ।

श्रीमती सेगर बम्बईकी चालियोमे कुछ स्त्रियोसे मिलकर आई थी, और कहती थी कि उन स्त्रियोके साथ बात करने पर उन्हे ऐसा लगा कि उन स्त्रियोको यदि सन्तति-निग्रहके साधन प्राप्त हो जाय तो उन्हे बड़ी खुशी हो । ईश्वर जाने, वे वहा किस चालीमे गई थी, और उनका दुभाषिया कौन था । मगर गाधीजीने तो उनसे यह कहा कि “हिन्दुस्तानके गावोमे आप जाय तो आपके सन्तति-निग्रहके इन उपायोकी वे लोग बात भी सहन नहीं करेंगी । आज इनीगिनी पढ़ी-लिखी स्त्रियोको आप भले ही वहका सके, पर इससे आप यह न मान ले कि हिन्दुस्तानकी स्त्रियोकी ऐसी ही मनोवृत्ति है ।”

लेकिन श्रीमती सेगरको ऐसा मालूम हुआ कि इस प्रतिरोधसे तो

गार्हस्थ्य जीवनमें कलह बढ़ेगा, स्त्रिया अप्रिय हो जायगी, पति-पत्नीके विवाहित जीवनकी सुगन्ध और सुन्दरता नष्ट हो जायगी । वात तो यह थी कि इस प्रतिरोधसे यह सब होगा, यह बात नहीं, पर विना शरीर-सम्बन्धका विवाहित जीवन ही शुष्क हो जाता है, ऐसा वे मानती हैं । इसलिए शरीर-सम्बन्धके विरुद्ध यह विद्रोहकी सलाह ही उनके गले नहीं उतरती । अमेरिकाके कुछ उदाहरण उन्होंने गाधीजीके आगे रखवे और बतलाया कि “देखिए, इन पति-पत्नियोंका जीवन अलग-अलग रहनेसे कष्टकमय हो गया था; पर उन्होंने सन्तति-निग्रह करना सीखा और इससे वे लोग विवाहित जीवनका आनन्द भी उठा सके और उनका जीवन भी सुखी हुआ ।” गाधीजीने कहा, “मैं आपको पचासों उदाहरण दूसरे प्रकारके दें सकता हूँ । शुद्ध सथमी जीवनसे कभी दुखकी उत्पत्ति नहीं हुई; किन्तु आत्म-स्थम तो एक खरी वस्तु है । आत्म-स्थम रखने वाला व्यक्ति अपने जीवनमात्रको जबतक स्थित नहीं करता तबतक उसमे वह सफल हो ही नहीं सकता । मेरा तो यह अटल विश्वास है कि आपने जो उदाहरण दिये हैं वे तो स्थम-हीन, बाह्य त्याग करके अन्तरसे विषयका सेवन करने वालोंके उदाहरण हैं । उन्हे यदि मैं सन्तति-निग्रहके उपायोंकी सिफारिश करूँ तो उनका जीवन तो और भी गन्दा हो जाय ।

कुवारे स्त्री-पुरुषोंके लिए तो यह साधन नरकका द्वार खोल देगे । इस विषयमे गाधीजीको शंका ही नहीं थी । उन्होंने अपने अनुभव भी सुनाये, मगर श्रीमती सेगरकी वर्धकी बातचीतसे यह जान पड़ा कि वे कुवारे पुरुषोंके लिए इन उपायोंकी सिफारिश नहीं कर रही हैं । उन्होंने तो इतना पूछा कि “विवाहितोंके लिए भी क्या आप इन साधनोंकी अनुमति नहीं देते ?” गांधीजीने कहा, “नहीं, विवाहितोंका भी यह साधन सत्यानाश करेगे ।” श्रीमती सेगरने अपने लेखमे जो दलील इसके विरुद्ध रखी है, वह दलील उन्होंने बातचीतमें नहीं दी थी । वे लिखती हैं—“यदि सन्तति-निग्रहके साधनसे ही मनुष्य अत्यन्त विषयी अथवा व्यभिचारी बनते हों, तब तो गर्भाधानके बादके नौ मासमे भी अतिशय विषय और व्यभिचारके लिए क्या गुजाइश नहीं रहती ?” दलीलकी खातिर तो यह

दलील की जा सकती है, पर मालूम होता है कि श्रीमती सेगरने इस बातका विचार नहीं किया कि स्त्री-जातिके लिए ही, यह दलील कितनी अपमानजनक है। बहुत ही दबाई हुई अथवा एकाध अत्यन्त विषयान्व स्त्रीको छोड़कर क्या कोई गर्भवती स्त्री अपने पतिके भी विषय-वासनाके वश होती है ?”

मगर बात असलमे यह थी कि श्रीमती सेगर और गाधीजीकी मनो-वृत्तियोमे पृथ्वी-आकाशका अन्तर था। बातचीतमे विषयेच्छा और प्रेम-की चर्चा चली। गाधीजीने कहा कि विषयेच्छा और प्रेम ये दोनों अलग-अलग चीजे हैं। श्रीमती सेगरने भी यही बात कही। गाधीजीने अपने अनुभवका प्रकाश डालकर कहा कि “मनुष्य अपने मनको चाहे जितना धोखा दे, पर विषय विषय है, और प्रेम प्रेम है। काम-रहित प्रेम मनुष्यको ऊचा उठाता है, और काम-वासना वाला सम्बन्ध मनुष्यको नीचे गिराता है।” गाधीजीने सन्तानोत्पत्तिके लिए किये हुए धर्म्य सम्बन्धका अपवाद कर दिया। उन्होने दृष्टान्त देकर समझाया कि “शरीर-निर्वाहके लिए हम जो कुछ खाते हैं, वह आहार नहीं, अस्वाद नहीं, किन्तु स्वाद है और विहार है। हलवा या पकवान या शराब मनुष्य भूख या प्यास वुझानेके लिए नहीं खाता-पीता, किन्तु केवल अपनी विषय-लोलुप्ताके वश होकर ही इन चीजोंको खाता-पीता है। इसी तरह शुद्ध सन्तानोत्पत्तिके लिए पति-पत्नी जब इकट्ठे होते हैं तब उस सम्बन्धको प्रेम-सम्बन्ध कहते हैं, सन्तानोत्पत्तिकी इच्छाके बिना जब वह इकट्ठे होते हैं तो वह प्रेम नहीं, भोग है।”

श्रीमती सेगरने कहा, “यह उपमा ही मुझे स्वीकार्य नहीं।”

गाधीजी—“आपको यह क्यों स्वीकार्य हो ? आप तो सन्तानेच्छारहित सम्बन्धको आत्माकी भूख मानती हैं, इसलिए मेरी बात क्यों आपके गले उतरे ?”

श्रीमती सेगर—“हा, मैं उसे आत्माकी भूख मानती हूँ। मुख्य बात यह है कि वह भूख किस तरह तृप्ति की जाय ? तृप्तिके परिणाम-स्वरूप सन्तान हो या न हो, यह गौण बात है। अनेक बच्चे बिना इच्छाके ही उत्पन्न होते हैं और शुद्ध सन्तानोत्पत्तिके लिए तो कौन दम्पति इकट्ठे होते

होंगे ? यदि शुद्ध सन्तानोत्पत्तिके लिए ही इकट्ठे हो तो पति-पत्नीको जीवनमें तीन-चार बार ही विषयेच्छाको तृप्त करके सन्तोष मानना पड़े । और यह तो ठीक बात नहीं कि सन्तानेच्छासे जो सम्बन्ध किया जाय, वह शुद्ध प्रेम है और सन्तानेच्छा-रहित सम्बन्ध विषय-सम्बन्ध है ।”

गाधीजी—“मैं यह अनुभवकी बात कहता हूँ कि मैंने अमुक सन्ताने होनेके बाद अपने विवाहित जीवनमें शरीर-सम्बन्ध बन्द कर दिया । सन्तानेच्छारहित सभी सम्बन्ध विषय-सम्बन्ध हैं, ऐसा आप कहना चाहें तो मैं यह कबूल कर सकता हूँ । मेरा तो एक अनुभव आईना-सा स्पष्ट है कि मैं जब-जब शरीर-सम्बन्ध करता था, तब-तब हमारे जीवनमें मुख एवं शान्ति और विशुद्ध आनन्द नहीं होता था । एक आकर्षण या सही, किन्तु ज्यो-ज्यो हमारे जीवनमें—मेरेमें—सब्यम बढ़ता गया, त्यो-त्यो हमारा जीवन अधिक उन्नत होता गया । जबतक विषयेच्छा थी, तबतक सेवा-शक्ति शून्यवत् थी । विषयेच्छा पर चोट की कि तुरन्त सेवा-शक्ति उत्पन्न हुई । काम नष्ट हुआ और प्रेमका साम्राज्य जमा ।” गाधीजीने अपने जीवनके एक अन्य आकर्षणकी भी बात की । उस आकर्षणसे ईश्वरने उन्हे किस तरह बचाया, यह भी उन्होने बतलाया, पर ये तमाम अनुभवकी बातें श्रीमती सेगरको अप्रस्तुत मालूम हुईं । शायद न मानने योग्य मालूम हुई हो तो कोई अचरज नहीं, क्योंकि अपने लेखमें वे कहती हैं कि “काग्रेसके मुट्ठी-भर आदर्शवादी कार्यकर्त्ता अपनी विषयेच्छाको दबाकर सेवागतिमें भले ही परिणत कर सके हो, पर उन इन-गिने व्यक्तियोंको छोड़कर उन्हे तो हम लोगोंकी बाते करनी थी ।” पर जहाँ तक मेरा ख्याल है, गाधीजीने तो काग्रेस या कागेसके कार्यकर्त्ताओंका सारी बातचीतमें कोई हवाला ही नहीं दिया था । परं श्रीमती नेगर यह भूल जाती है कि तमाम नैतिक उन्नति “मुट्ठी-भर जादर्शवादियों” के आचरणकी वदौलत ही हुर्र है । भच बात तो यह है कि गाधीजीने बतौर स्वप्न-द्रष्टा-के बात नहीं की थी । गाधीजी खुद एक नीति-गिक्षक हैं और श्रीमती सेगर भी नीति-गिक्षिका हैं, वे स्वयं एक नमाज-नेबज हैं और श्रीमती नेगर भी तमाज-नेबिजा है, वह मानव ही नारा नवाद चला था, और

यह होते हुए भी व्यवहारकी भूमिका पर खड़े होकर ही उन्होंने उनसे बातें की थीं। उन्होंने कहा, “नहीं, बतौर नीति-रक्षकके मेरा और आपका कर्तव्य तो यह है कि इस सन्तति-निग्रहको छोड़कर अन्य उपायोंका आयोजन करे। जीवनमें कठिन पहेलिया तो आयगी ही, पर वे किसी मनचाहे अनुकूल साधनसे हल नहीं की जा सकती। इन सन्तति-निग्रहके साधनोंको अधर्म्य समझकर आप चलेगी तभी आपको अन्य साधन सूझेंगे। तीन-चार बच्चे पैदा हो जानेके बाद मा-बापको अपनी विषय-वासना शान्त कर देनी चाहिए, इस प्रकारकी शिक्षा हम क्यों न दे, इस तरहका कानून हम क्यों न बनावें? विषय-भोग खूब तो भोग लिया, चार-चार बच्चे हो जानेके बाद भोग-वासनाको अब क्यों न रोका जाय? बच्चे मर जाय और बादको जरूरत हो तो सन्तान उत्पन्न करनेकी गरजसे पति-पत्नी फिरसे इकट्ठे हो सकते हैं। आप ऐसा करेगी तो विवाह-बन्धनको आप उच्चे दरजे पर ले जायगी। सन्तति-निग्रहकी सलाह मुझसे कोई स्त्री लेने आये तो मैं उससे यही कहूँगा कि ‘यह सलाह, बहन, तुम्हें मेरे पास मिलनेकी नहीं, और किसीके पास जाओ।’ पर आप तो सन्तति-निग्रह-के धर्मका आज प्रचार कर रही हैं। मैं आपसे यह कहूँगा कि इससे आप लोगोंको नरकमें ले जाकर पटकेगी, क्योंकि उनसे आप यह तो कहेगी नहीं कि ‘वस, अब इससे आगे नहीं।’ इसमें आप कोई मर्यादा तो रख नहीं सकेगी।”

वर्धमें जो बातचीत हुई उसमें तो श्रीमती सेगरने इतने अधिक मित्रभावसे, इतनी अधिक जिज्ञासा-वृत्तिसे बर्ताव किया कि कुछ पूछिये नहीं। गांधीजीसे उन्होंने कहा था, “पर आप कोई उपाय भी बतलाइए। सयम मैं भी चाहती हूँ, सयम मुझे अप्रिय नहीं, पर शक्य सयमका ही पालन हो सकता है न?” सत्य-शोधककी नम्रतासे गांधीजीने कहा, “निर्वल मनुष्योंके लिए एक उपाय दिखाई देता है। वह उपाय हाल हीमें एक मित्र-की भेजी हुई पुस्तकमें देखा है। उसमें यह सलाह दी है कि ऋष्टुकालके बाद अमुक दिनोंको छोड़कर विषय-सेवन किया जाय। इस तरह भी मनुष्यको महीनेमें १०-१२ दिन मिल जाते हैं और सन्तानोत्पादनसे वह

बच सकता है। इस उपायमे बाकीके दिन तो सयम पालनेमे ही जायगे, इसलिए मैं इस उपायको सहन कर सकता हूँ।”

पर यह उपाय श्रीमती सेगरको तो नीरस ही मालूम हुआ होगा; क्योंकि इस उपायका उन्होने न तो अपने लेखमे ही कही उल्लेख किया है, न अपने भाषणोमे ही। इस उपायकी ही बात करे तो सन्तति-निग्रहके साधन बेचनेवाले भीख मागने लगे और तीसो दिन जिन्हे भोग-वासना सताती हो, उन बेचारोंकी क्या हालत हो ?

फिर श्रीमती सेगर तो ऐसे दुखियोकी दुख-भजक ठहरी। ऐसे दुखियोका मोक्ष-साधन सन्तति-निग्रहके सिवा और क्या हो सकता है। मैं यह कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। श्रीमती सेगरने अमेरिकामे सर्वधर्म-परिषद्के आगे जो भाषण दिया था, उसमे उन्होने सन्तति-निग्रहको मोक्ष-साधनका रूप दिया है। उस भाषणमे उन्होने न तो सयमकी बात की है; न केवल विवाहित दम्पत्तियोकी। वहा तो उन्होने बात की है उस अमेरिका की—जहा हर साल २० लाख भ्रूण-हत्याए होती है। इतनी बाल हत्याएं रोकनेके लिए सन्तति-निग्रहके साधनोके सिवा दूसरा उपाय ही क्या !! पर अभी जरा और आगे बढ़े तो कुछ दूसरी ही बात मालूम होगी, और वह यह कि इन विदेशी प्रचारिकाओंकी चढाई भारतकी स्त्रियोके हितार्थ नहीं, किन्तु दूसरे ही हेतुसे हो रही है। अमेरिकाके उस भाषणमे ही उन्होने स्पष्ट रीतिसे कहा था कि—“जापानकी आबादी कितनी बढ़ रही है ! वहा तो जन-वृद्धिकी मात्रा पहले ही बड़ी-बड़ी थी, और अब तो वह उसे भी पार कर रही है। इसी तरह अगर यह बढ़ती गई तो इन एशियाके राष्ट्रोंका त्रास पृथ्वी कैसे सहन कर सकेगी ? राष्ट्रसंघको इसके विरुद्ध कोई जबर्दस्त प्रतिवन्ध सहना ही होगा। अपनी इतनी बड़ी प्रजाके लिए खानेकी तगी होनेसे जापानको और भी देशोंकी जरूरत होगी, और भी मण्डिया चाहनी पड़ेगी, इसीसे वह पवित्र सधियोको भग कर रहा है और विश्व-व्यापी युद्धका बीज बो रहा है।” जापान आज जिस अप्रिय रीतिसे पेश आ रहा है, उसे देखते हुए तो जापानका यह उदाहरण चतुराईसे भरा हुआ उदाहरण है; पर श्रीमती सेगरको तो इस डरका भयकर

स्वप्न दवा रहा है कि सन्तति-निग्रह न करने वाले एशियाई राष्ट्र यूरोपीय प्रजाके लिए खतरनाक हो सकते हैं। ऐसे जन-हितैषियोकी चढाईसे हम जितनी ही जल्दी सजग हो जाय उतना ही अच्छा।

—महादेव देसाई

## श्रीमती सेगरका पत्र

श्रीमती सेगरने मुझे निम्नलिखित पत्र भेजा है—

“अपने लेख (‘विदेशियोंके नये-नये हमले’) मेरे और गाधीजीके बीच हुई वातचीत देते हुए आप कहते हैं कि ‘इलस्ट्रेटेड वीकली’ के अपने लेखमे मैंने उस वातचीतका सिर्फ एक ही पहलू रखा है। आपकी यह वात विलकुल ठीक है। उस लेखमे दरअसल, उसी पर मैं विचार भी करना चाहती थी।

“मुझे यह भी वता देना चाहिए कि उस लेखको छपनेके लिए भेजनेसे पहले मैंने आपकी और गाधीजीकी एक प्रिय और वफादार मित्र म्यूरियल लेस्टरको पढ़कर सुना दिया था और जिसे आप ‘परदेकी ओटमे दुर्भाव’ कहते हैं वह वात उन्होंने ही सुझाई थी। कृपया इस वातका यकीन रखें कि जो वहांदुर स्त्री-पुरुष हिन्दुस्तानकी आजादीके लिए प्रयत्न कर रहे हैं उन सबके प्रति मेरे मनमे अत्यधिक श्रद्धा और सम्मानका ही भाव है। मैंने अभी तक जो-कुछ किया है उस पर आप नजर ठाले तो हिन्दुस्तानमे आजादी प्राप्त करनेके लिए किये जानेवाले प्रयत्नोंकी मदद करनेकी गरजसे १६१७ मे जो पहला दल अमेरिकामे संगठित हुआ था, उनमे मेरा भी नाम आपको मिलेगा।

“एक और दात भी आपके लेखमे ऐसी है जिनमे, मैं नमस्ती हूँ, आप गलती पर हूँ। वह यह कि आप उनमे यह जाहिर चर्चने मालूम पड़ते हैं कि हमारी वातचीतमे गाधीजीने (क्रतु-कालके बाद कुछ दिनोंको छोड़कर) ऐसे दिनोंमे नमामगमके उपायको न्यौजार कर दिया है जिनमे गर्म रहनेकी नमादता प्राप्त नहीं होती। मेरे चूकानमे आप बाहर रिये हुए दृष्टवानों द्वारे तो उसा यह बयन जारी रियेगा,

‘यह बात मुझे उतनी नहीं खलती जितनी कि दूसरी खलती है।’ हालाकि मैंने और निश्चित बात कहनेका आग्रह किया, लेकिन इससे आगे उन्होने कुछ नहीं कहा। ऐसी हालतमे आपने सार्वजनिक रूपसे जो कथन उनका बताया है, मेरे ख्यालमे वह आपने ठीक नहीं किया। और अन्तमे आपने प्रचारकोके ‘व्यापार’ की जो बात लिखी है, मैं नहीं समझती कि उसमे गाधीजी आपसे सहमत होगे। वह वाक्य और जिस भावनाका वह सूचक है वह, आप-जैसे व्यक्तिके लायक नहीं है, जिसने कि नि स्वार्थ भावसे जन-सेवाका कार्य किया है।

“सन्तति-निग्रहके कार्यकर्ता जिस बातको मानव-स्वतन्त्रता एवं प्रगतिके लिए मनुष्य-मात्रका मौलिक स्वत्व मानते हैं, उसके लिए नि स्वार्थ भावसे और विना किसी परिश्रमके उन्होने सग्राम किया है और अब भी कर रहे हैं। फिर जो अपना विरोधी हो उसके बारेमे यो ही कोई ऐसी बात कह देना सर्वथा अनुचित, असौजन्यपूर्ण और असत्य है, जो दरअसल बिलकुल बेवुनियाद हो।”

इसमे जहा तक ‘परदेकी ओटमे दुर्भाव’ से सम्बन्ध है, मैं प्रसन्नता-से और कृतज्ञता-पूर्वक अपनी भूल स्वीकार करता हूँ, लेकिन यह मानना होगा कि जिस शोखी और तुनकमिजाजीके लहजेमे वह लेख लिखा हुआ है, उससे यही भाव टपकता है, हालाकि अब मैं यह मान लेना हूँ कि उनका ऐसा भाव नहीं था।

दूसरी गलतीके बारेमे, श्रीमती सेगरको यह याद रखना चाहिए कि उन्होने तो ‘बातचीतके सिर्फ एक पहलूको ही’ लिया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं नहीं समझता कि यह कहकर कि ऋतु-कालके बाद-के कुछ दिनोको छोड़कर ऐसे दिनोमे समागमकी बात गाधीजी सहन कर लेगे, जिनमे गर्भ रहनेकी सम्भावना प्राय नहीं होती, क्योंकि इसमे आत्म-संयमकी थोड़ी-बहुत भावना तो है, मैंने उन्हे किसी ऐसी स्थितिमे डाल दिया है जो उन्हे पसन्द नहीं है। मैं तो सिर्फ यही बताना चाहता था कि अपने विरोधीकी बातको भी, जहा तक सम्भव हो, किस तत्परताके साथ गाधीजी स्वीकार कर लेते हैं। उन्होने जिस कारण यह कहा कि

‘यह वात मुझे इतनी नहीं खलती जितनी कि दूसरी खलती है,’ वह इस विषयमें बड़ी मुद्रेकी वात है, क्योंकि श्रीमती सेगरके उपाय (कृत्रिम सन्तति-निग्रह) से जहा महीनेके सभी दिनोमें विपय-भोगमें प्रवृत्त होनेकी छुट्टी मिल जाती है वहा इस विशेष उपायसे किसी हदतक तो आत्म-स्यम होता ही है।

‘व्यापार’ वाली वात, मैं समझता हूँ, श्रीमती सेगरको बहुत बुरी लगी है, लेकिन खुद श्रीमती सेगरपर मैंने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया है, न मेरा ऐसा कोई इरादा ही था, क्योंकि मुझे मालूम है, उन्होंने अपने उद्देश्यके लिए बड़ी वहांदुरी और निस्स्वार्थ भावसे लडाई लड़ी है, मगर यह वात विलकुल गलत भी नहीं है कि सन्तति-निग्रहके लिए आजकल जो प्रचार हो रहा है वह तथा सन्तति-निग्रहके प्राय सभी उत्साही समर्थकोंके यहा विक्रीके लिए इस सम्बन्धका जो आकर्पक साहित्य या औजार आदि होते हैं वह सब मिलाकर बहुत भद्दा है। इन सबसे उस उद्देश्यको तो हानि ही पहुँचती है जिसके लिए कि श्रीमती सेगर निस्स्वार्थ भावसे इतना उद्योग कर रही है।

—महादेव देसाई

## स्त्रियोंको स्वर्गकी देवियां न बनाइए<sup>१</sup>

गाधीजी उस विषयपर आये, जिस विषयपर कि विषय-समितिमे उन्होने अपने विचार प्रकट किये थे। वायु-मण्डल अनुकूल नहीं था, इसलिए उस विषयपर वे कोई प्रस्ताव नहीं ले सके। 'ज्योति-सध' नामक आन्दोलनकी सचालिका वहनोने उन्हे एक पत्र लिखा था। इसी-को लेकर उन्होने कुछ कहा। इस पत्रके साथ एक प्रस्ताव भी था, जिसमे उन्होने उस वृत्तिकी निन्दा की, जो आज-कल स्त्रियोंका चित्रण करनेके विषयमे वर्तमान साहित्यमे चल पड़ी है। गाधीजीको लगा कि उनकी शिकायतमे काफी बल है और उन्होने कहा, "इस आरोपमे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आजकलके लेखक स्त्रियोंका विलकूल झूठा चित्रण करते हैं। जिस अनुचित भावुकताके साथ स्त्रियोंका चरित्र-चित्रण किया जाता है, उनके शरीर-सौन्दर्यका जैसा भद्वा और असभ्यतापूर्ण वर्णन किया जाता है, उसे देखकर इन कितनी बहनोंको घृणा होने लग गई है। क्या उनका सारा सौन्दर्य और बल केवल शारीरिक सुन्दरताही मे है? पुरुषोंकी लालसा-भरी विकारी आखोंकी तृप्ति करनेकी क्षमतामे ही है? इस पत्रकी लेखिकाए पूछती है और उनका पूछना विलकूल न्याय है कि क्यों हमारा हमेशा इस तरह वर्णन किया जाता है, मानो हम कमज़ोर और दबू औरते हो, जिनका कर्तव्य केवल यही है कि घरके तमाम हलके-से-हलके काम करती रहे और जिनके एकमात्र देवता उनके पति है! जैसी वे हैं वैसी ही उन्हे क्यों नहीं बताया जाता? वे कहती हैं, 'न तो हम स्वर्गकी अप्सराए हैं, न गुडिया हैं, और न विकार और दुर्बलताओंकी गठरी ही है।' पुरुषोंकी

---

<sup>१</sup>गुजरात साहित्य-परिषद्की कार्यवाहीका अन्न

भाति हम भी तो मानव-प्राणी ही है। जैसे वे हैं वैनी ही हम भी हैं। हमसे भी आजादीली वही जाग है। मेरा दावा है कि उन्हें और उनके दिलको मैं काफी अच्छी तरह जानता हूँ। दक्षिण अफ्रिका में एक नमय मेरे जान-पास न्यिया-न्ती-रिया थी। मर्द सब उनके जोलोंमें चले गये थे। धात्रमगे कोई ६० न्यिया थी। और मैं उन सब लड़कियों और नियोंग पिना और भार्ड दन गया था। जापको मुनक्कर लारचर्चयं होगा कि मेरे पास रहते हुए उनका जानिया बल बढ़ता ही गया, यहातक कि लक्ष्मीमें वे सब लरन्चन्नुद जैत चली गईं।

अभावमे ज़रा हिन्दीकी कल्पना तो कीजिए। आजकलके साहित्यमे  
स्त्रियोके विषयमे जो-कुछ मिलता है, ऐसी बाते आपको तुलसीकृत रामा-  
यणमे मिलती है ?”

: ३ :

ब्रह्मचर्य-२



# ब्रह्मचर्य-२

: १ :

## ब्रह्मचर्य

ब्रह्मचर्यकी जो व्याख्या मैंने की है, वह अब भी कायम है। अर्थात्, जो मनुष्य मनसे भी विकारी होता है, समझना चाहिए कि उसका ब्रह्मचर्य स्वलित हो गया है। जो विचारमें निर्विकार नहीं, वह पूर्ण ब्रह्मचारी कभी नहीं माना जा सकता। चूंकि अपनी इस व्याख्यातक मैं नहीं पहुँच सका, इसलिए अपनेको मैं आदर्श ब्रह्मचारी नहीं मानता। पर अपने आदर्शसे दूर होते हुए भी, मैं यह मानता हूँ कि जब मैंने इस व्रतका आरभ किया तब मैं जहापर था, उससे आगे बढ़ गया हूँ। विचारकी निर्विकारता तबतक कभी आती ही नहीं, जबतक कि 'पर' का दर्शन नहीं होता। जब विचारके ऊपर पूरा काबू हो जाता है, तब पुरुष स्त्रीको और स्त्री पुरुषको अपनेमें लय कर लेती है। इस प्रकारके ब्रह्मचारीके अस्तित्वमें मेरा विश्वास है, पर ऐसा कोई ब्रह्मचारी मेरे देखनेमें नहीं आया। ऐसा ब्रह्मचारी बननेका मेरा महान प्रयास जारी अवश्य है। जबतक यह ब्रह्मचर्य प्राप्त नहीं हो जाता, मनुष्य उतनी अहिंसातक, जितनी कि उसके लिए शक्य है, पहुँच नहीं सकता।

ब्रह्मचर्यके लिए आवश्यक मानी जानेवाली बाड़को मैंने हमेशाके लिए आवश्यक नहीं माना है। जिसे किसी बाह्य रक्षाकी ज़रूरत है वह पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं। इसके विपरीत, जो बाड़को तोड़नेके ढोगसे प्रलोभनोकी खोजमें रहता है, वह ब्रह्मचारी नहीं, कितु मिथ्याचारी है।

ऐसे निर्भय ब्रह्मचर्यका पालन कैसे हो ? मेरे पास इसका कोई अचूक

उपाय नहीं, क्योंकि मैं पूर्ण दशाको नहीं पहुचा हूँ। पर मैंने अपने लिए जिस वस्तुको आवश्यक माना है, वह यह है :

विचारोंको खाली न रहने देनेकी खातिर निरतर उन्हे शुभ चित्तमें लगाये रहना चाहिए। रामनामका इकतारा तो चौबीसों घटे, सोते हुए भी, श्वासकी तरह स्वाभाविक रीतिसे, चलता रहना चाहिए। वाचन हो तो सदा शुभ, और विचार किया जाय, तो अपने कार्यका ही। कार्य पारमार्थिक होना चाहिए। विवाहितोंको एक-दूसरेके साथ एकात्म-सेवन नहीं करना चाहिए, एक कोठरीमें एक चारपाईपर नहीं सोना चाहिए। यदि एक दूसरेको देखनेसे विकार पैदा होता हो, तो अलग-अलग रहना चाहिए। यदि साथ-साथ बाते करनेमें विकार पैदा होता हो, तो बाते नहीं करनी चाहिए। स्त्रीमात्रको देखकर जिसके मनमें विकार पैदा होता हो, वह ब्रह्मचर्य-पालनका विचार छोड़कर अपनी स्त्रीके साथ मर्यादापूर्वक व्यवहार रखे, जो विवाहित न हो, उसे विवाहका विचार करना चाहिए। किसीको सामर्थ्यके बाहर जानेका आग्रह नहीं रखना चाहिए। सामर्थ्यसे बाहर प्रयत्न करके गिरनेवालोंके अनेक उदाहरण भेरी नजरके सामने आते रहते हैं।

जो मनुष्य कानसे बीभत्स या अश्लील बातें सुननेमें रस लेते हैं, आखसे सूत्रीकी तरफ देखनेमें रस लेते हैं, वे सब ब्रह्मचर्यका भग करते हैं। अनेक विद्यार्थी और शिक्षक ब्रह्मचर्य-पालनमें जो हताश हो जाते हैं, इसका कारण यह है कि वे श्रवण, दर्शन, वाचन, भाषण आदि की मर्यादा नहीं जानते, और मुझसे पूछते हैं, “हम किस तरह ब्रह्मचर्यका पालन करे ?” प्रयत्न वे जरा भी नहीं करते। जो पुरुष स्त्रीके चाहे जिस अगका सविकार स्पर्श करता है, उसने ब्रह्मचर्यका भग किया है, ऐसा समझना चाहिए। जो ऊपरी मर्यादा-का ठीक-ठीक पालन करता है, उसके लिए ब्रह्मचर्य सुलभ हो जाता है।

आलसी मनुष्य कभी ब्रह्मचर्यका पालन नहीं कर सकता। वीर्य-सग्रह करनेवालेमें एक अमोघ शक्ति पैदा होती है। उसे अपने शरीर और मनको निरतर कार्यरत रखना ही चाहिए। अतः हरेक साधकको ऐसा सेवा-कार्य खोज लेना चाहिए कि जिससे उसे विषय-सेवन करनेके लिए रचमात्र भी समय न मिले।

साधकको अपने आहारपर पूरा काबू रखना चाहिए। वह जो कुछ खाये, वह केवल औषधिरूपमें शरीर-रक्षाके लिए, स्वादके लिए कदापि नहीं। इसलिए मादक पदार्थ, मसाले वगैरा उसे खाने ही नहीं चाहिए। ब्रह्मचारी मिताहारी नहीं, किन्तु अल्पाहारी होना चाहिए। सब अपनी मर्यादा बाँध लें।

उपवासादिके लिए ब्रह्मचर्य-पालनमें अवश्य स्थान है। पर आवश्यकतासे अधिक महत्त्व देकर जो उपवास करता और उससे अपनेको कृतकृत्य हुआ मानता है, वह भारी गलती करता है। निराहारीके विषय उस बीचमें क्षीण भले ही हो जाये, पर उसका रस नष्ट नहीं होता। शरीरको नीरोगी रखनेमें उपवास बहुत सहायक है। अल्पाहारी भी भूल कर सकता है, इसलिए प्रसगोपात्त उपवास करनेमें लाभ ही है।

‘क्षणिक रसके लिए मैं क्यों तेजहीन होऊँ ? जिस वीर्यमें प्रजोत्पत्तिकी शक्ति भरी हुई है, उसका पतन क्यों होने दूँ, और इस तरह ईश्वरकी दी हुई बस्त्रीसका दुरुपयोग करके मैं ईश्वरका चोर क्यों बनूँ ? जिस वीर्यका सग्रह कर मैं वीर्यवान् बन सकता हूँ, उसका पतन करके वीर्यहीन क्यों बनूँ ?’ इस विचारका मनन यदि साधक नित्य करे, और रोज ईश्वर-कृपाकी याचना करे, तो सभवत। वह इस जन्ममें ही वीर्यपर काबू प्राप्त कर ब्रह्मचारी बन सकता है। इसी आशाको लेकर मैं जी रहा हूँ।

‘हरिजन-सेवक’,

२८-१०-३६

## ब्रह्मचर्यका स्पष्टीकरण

मोण्टाना (अमरीका) से कुमारी मैबल ई० सिम्पसनने 'हरिजन' के सम्पादकको लिखा है ।

"मैं आपके पत्रकी प्रशंसा करती हूँ । यह ठीक है कि आकारमें यह बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें जो कुछ रहता है उससे इस अभावकी पूर्ति हो जाती है । गाधीजीने सन्तति-निग्रहके विषयमें सदाकी तरह स्पष्टतापूर्वक जो लेख लिखा है, वह मुझे बहुत पसन्द आया । अगर वह बीस वरस पहले, जब कि सन्तति-निग्रहसे धृणा की जाती थी, और अब जब कि इसका बहुत जोर है, अमरीका आते तो वह यह जान जाते कि नैतिक दृष्टिसे यह कितना पतन-कारक है । लेकिन वह किसीको इस बातका विश्वास नहीं करा सकेगे, क्योंकि यह मनुष्यको नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिसे भी 'चितृत कर देता है, जिससे इस पथपर चलनेवालोंके लिए उच्च नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिसे बुद्धिपूर्वक किसी बातका निर्णय करना असम्भव हो जाता है । इस सम्बन्धमें हिन्दुस्तानने अगर पश्चिमका अनुकरण किया तो निश्चय हीं वह अपने दो अत्यन्त अमूल्य और सुन्दर रत्नोंको खो देगा—एक तो छोटे बच्चोंके प्रति प्रेम, और दूसरा माता-पिताके प्रति श्रद्धा । अमरीकाने इन दोनोंको गँवा दिया है—और, इनका उसे कुछ पता भी नहीं । क्या आप ब्रह्मचर्यके अर्थका स्पष्टीकरण कर सकते हैं? मुझसे इसके बारेमें पूछा गया है । हालांकि मेरे मनमें इसकी कुछ कल्पना तो हैं, लेकिन वह इतनी निश्चित नहीं है कि मैं दूसरोंको समझानेका प्रयत्न करूँ ।"

पाठक और पाठिकाएं इस साक्षीका जो-कुछ मूल्य आके वह आक सकते हैं । भगव भी कहता हूँ कि सन्तति-निग्रहके कृत्रिम साधनोंका प्रयोग

करनेके विरुद्ध ऐसी साक्षी उन लोगोकी साक्षीसे कही ज्यादा महत्वपूर्ण है जो इनके प्रयोगसे फायदा उठानेका दावा करते हैं। इसका कारण स्पष्ट है। इससे बच्चोकी उत्पत्ति रुकती है, इस रूपमे तो इसके फायदेसे कोई इत्कार नहीं करता। कहा सिर्फ यह जाता है कि इसके प्रयोगसे जो नैतिक हानि होती है वह बेहिसाब है। कुमारी सिम्पसनने हमे ऐसी हानिका माप बताया है।

अब रही ब्रह्मचर्यके अर्थकी बात। सो उसका मूलार्थ इस प्रकार बताया जा सकता है—वह आचरण कि जिससे कोई व्यक्ति ब्रह्म या परमात्माके सम्पर्कमे आता है।

इस आचरणमे सब इन्द्रियोका सम्पूर्ण सयम शामिल है। इस शब्दका यही सच्चा और सुसगत अर्थ है।

वैसे आम तौरपर इसका अर्थ सिर्फ जननेन्द्रियका शारीरिक संयम ही लगाया जाने लगा है। इस सकीर्ण अर्थने ब्रह्मचर्यको हलका करके उसके आचरणको प्राय. बिलकुल असभव कर दिया है। जननेन्द्रियपर तबतक सयम नहीं हो सकता जबतक कि सभी इन्द्रियोका उपयुक्त सयम न हो। क्योंकि वे सब अन्योन्याश्रित हैं। मन भी इन्द्रियोमे ही शामिल है। जबतक मनपर सयम न हो, खाली शारीरिक सयम चाहे कुछ समयके लिए प्राप्त भी हो जाय, पर उससे कुछ हो नहीं सकता।

‘हरिजन सेवक’,

२०-६-३६

## लड़कीको क्या चाहिए

एक महिला लिखती है

“आपका ‘ऐसी मुसीबत जिससे बच सकते हैं’ शीर्षक लेख मुझे अधूरा-सा लगता है। माता-पिता अपनी लड़कियोंकी शादी करनेका क्यों आग्रह रखते हैं और फिर उसके लिए ऐसी अकथनीय मुसीबते क्यों उठाते हैं? अगर वे अपनी लड़कियोंको भी लड़कोंकी तरह ऐसी शिक्षा देने लग जाय जिससे कि वे भी स्वतंत्रतापूर्वक अपनी आजीविका कमाने लगे तो उन्हे लड़कियोंके लिए वर तलाश करनेमें इतना कष्ट और चिन्ताएं न करनी पड़े। मेरा अपना तो यह अनुभव है कि जब लड़कियोंको अपनी मानसिक उन्नति करनेका अवकाश मिल जाता है और वे इज्जत-के साथ अपना भरण-पोषण करने लायक हो जाती हैं, तब अगर वे शादी करना चाहती हैं तो उन्हे अपने लायक वर तलाशनेमें कोई कठिनाई नहीं उठानी पड़ती। मेरे कहनेका कोई यह अर्थ न लगाए कि लड़कियोंको आजकलकी तथोक्त उच्च शिक्षा देनेकी मैं सिफारिश कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि वह तो हजारों लड़कियोंके लिए अप्राप्य ही है। मेरा तो मतलब यह है कि लड़कियोंको उपयोगी ज्ञानके साथ-साथ किसी ऐसे धन्येकी शिक्षा भी दी जाय जिससे उन्हे यह पूरा विश्वास हो जाय कि वे अपने माता-पिता या पतिकी निरी आश्रिता बनकर नहीं रहेगी, बल्कि अगर मौका आया तो ससारमें अपने पैरोपर भी खड़ी रह सकती है। हा, मैं तो ऐसी भी कुछ लड़कियोंको जानती हूँ, जो पति-द्वारा छोड़ दिये जानेपर आज फिर अपने पतियोंके साथ सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही हैं, क्योंकि परित्यक्ताकी दशामें उन्हे सद्भाग्यसे स्वाश्रयी बनने तथा अन्य उपयोगी

शिक्षा पानेका अवसर मिल गया था । विवाहयोग्य कन्याओंके माता-पिताओंकी कठिनाइयोंका विचार करते समय, आप सवालके इस पहलू-पर भी जोर दे तो बड़ा अच्छा हो ।”

पत्र-भेजनेवाली महिलाने जो भाव प्रकट किये हैं, उनका मैं हृदयसे समर्थन करता हूँ । मुझे तो एक ऐसे पिताके मामलेपर विचार करना था, जिसने अपने-आपको बड़ी मुसीबतमें डाल लिया था—इसलिए नहीं कि उनकी लड़की अयोग्य थी, बल्कि इसलिए कि वे और शायद उनकी लड़की भी वरका चुनाव अपनी जातिके छोटेनें से दायरेमें ही करना चाहते थे । इस मामलेमें तो लड़कीका सुयोग्य होना ही एक विघ्न साबित हो रहा था । अगर लड़की निरक्षर होती तो हर किसी युवकके अनुकूल अपनेको बना लेती । पर चूँकि खुद सुशिक्षिता थी, इसलिए स्वभावत् उसके लिए उन्हें ही सुयोग्य वरकी भी जरूरत थी । समाजमें दुर्भाग्यवश, किसी लड़कीसे शादी करनेके लिए कीमतके बतौर रूपये मागना नीचता और निश्चित रूपसे बुराई नहीं मानते । कालेजकी अग्रेजी शिक्षाको खामखा इतना अधिक कृत्रिम महत्व प्रदान कर दिया गया है । उसमें तो न जाने कितने पाप छिपे रहते हैं । जिन वर्गोंके युवकोंमें लड़कियोंसे शादी करनेके प्रस्ताव मजूर करनेपर कीमते मागी जाती है, वडा अच्छा होता अगर उनमें सुयोग्यताकी परिभाषा बनानेमें कुछ अधिक अकलसे काम लिया जाता । ऐसा होता तो लड़कियोंके लिए वर ढूँढनेकी चिन्ता अगर पूरी तरह न भी दूर होती तो कम-से-कम काफी घट जाती । इसलिए पाठकोंसे मैं सिफारिश करूँगा कि वे इन पत्र-प्रेषक महिलाके विचारोंपर ज़रूर गौर करें । पर साथ ही, जातपातकी इन महान् हानिकर बाड़ोंको भी तोड़नेकी उन्हें मैं जोरोंसे सलाह दूँगा । ये बाडे तोड़नेपर चुनावके लिए एक विशाल क्षेत्र खुल जायगा और यह पैसे ठहरानेकी बुराई बहुत हृदतक अपने-आप कम हो जायगी ।

‘हरिजन सेवक’,

: ४ :

## चरित्र-बल आवश्यक है

अच्छी तरह हरिजन-सेवा करनेके लिए, यही नहीं बल्कि गरीब, अनाथ, असहायोकी सब तरहकी सेवाके लिए यह ज़रूरी है कि लोक-सेवक-का अपना चरित्र शुद्ध और पवित्र हो। चरित्रबल अगर न हो, तो ऊची-से-ऊची बौद्धिक और व्यवस्था-सम्बन्धी योग्यताकी भी कोई कीमत नहीं। वह तो उलटे अडचन भी बन सकती है, जबकि शुद्ध चरित्रके साथ-साथ ऐसी सेवाका प्रेम भी हो तो उससे आवश्यक बौद्धिक और व्यवस्था-सम्बन्धी योग्यता भी निश्चय ही बढ़ जायगी या पैदा हो जायगी। हरिजन-सेवामे लगे हुए दो अच्छे प्रसिद्ध कार्यकर्त्ताओंकी शोचनीय चरित्र-हीनताके दो अत्यन्त दुःखद उदाहरण मेरे सामने आये हैं, जिनपरसे कि मैं यह बात कह रहा हूँ। इन दोनोंको जो लोग जानते थे वे सब इन्हे शुद्धचरित्रका और सदेहसे परे भानते थे। लेकिन इन दोनोंने ऐसा आचरण किया है, जो, जिस पदपर ये आसीन थे, उसके बिलकुल अनुपयुक्त है। इसमे कोई शक नहीं कि वे अपने हृदयके अधेरे कोनेमें जहरीले सापकी तरह छिपी हुई विषय-वासनाके शिकार हुए हैं। लेकिन हम तो मर्यालोकके साधारण जीव ठहरे, दूसरोंके मनमे क्या है यह हम नहीं जान सकते। हम तो मनुष्योंको सिर्फ उनके उन कामोंसे ही जान सकते हैं, और हमें उन्हींपरसे उनके वारेमें कुछ निर्णय करना चाहिए, जिन्हे कि हम देख और पूरा कर सकते हैं। ये दो मामले तो ऐसे हुए हैं कि उनके लिए हरिजन-सेवक-सघके कार्य-कर्त्ता वने रहना असम्भव हो गया है। यह कोई सज्जा नहीं है; लेकिन उनके खुदके लिए भी न सही, तो भी हरिजन-सेवक-सघ और उसके उद्देश्य-की रक्षाके लिए उनका उससे हट जाना ज़रूरी है। मैं यह बात बड़ी अच्छी

तरह कह सकता हूँ कि सधकों उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनेकी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वे कार्यकर्त्ता सधसे, बल्कि मैं आशा करता हूँ कि सार्वजनिक प्रवृत्तिसे, खुद ही हट जायगे। यह ठीक है कि सेवा करनेकी किसीको मनाही नहीं है। जिस आदमीका भयंकर रूपसे नैतिक पतन हो गया हो, अगर फिर भी वह सावधान हो जाय, तो वह जहा भी चाहे सेवा कर सकता है। खुद उसका सुधर जाना ही कुछ कम बात नहीं है, वह भी समाजकी एक सेवा ही होगी। लेकिन ऐसी सेवा, जो खुद-ब-खुद होती है और प्रायः गुप्त रूपसे की जाती है, उससे बिलकुल भिन्न है, जो किसी सस्थामे रहकर उसकी सब सुविधाओंका उपयोग करते हुए की जाती है। ऐसे सार्वजनिक जीवनमे फिरसे प्रवेश पानेके लिए तो यह बहुत जरूरी है कि सर्वसाधारणका पूरा विश्वास फिरसे प्राप्त किया जाय।

आजकलके सार्वजनिक जीवनमे एक ऐसी प्रवृत्ति है कि जबतक कोई सार्वजनिक कार्यकर्त्ता अपने जिम्मेके किसी व्यवस्थाकार्यको अच्छी तरह पूरा करता है, उसके चरित्रके सम्बन्धमे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। कहा यह जाता है कि चरित्रपर ध्यान देना हरेकका अपना निजी काम है, हमें उसमे दखल देनेकी कोई जरूरत नहीं, हालांकि मैं जानता हूँ कि यह बात अक्सर कही जाती है, लेकिन इस विचारको ग्रहण करना तो दूर, मैं इसे ठीक भी कभी नहीं समझ सका हूँ। जिन सस्थाओंने व्यक्तियोंके निजी चरित्रको विशेष महत्व नहीं दिया, उनमे उससे कैसे-कैसे भयकर परिणाम सामने आये, इसका मुझे पता है। बाबूजूद इसके पाठकोंको यह जान लेना जरूरी है कि इस समय मैं जो बात कह रहा हूँ वह सिर्फ हरिजन-सेवक-सध जैसी उन सस्थाओंके ही बारेमे कह रहा हूँ, जो करोड़ों मूँक लोगोंके हितकी सरक्षक बनना चाहती है। मगर मुझे इसमे कोई शक नहीं है कि ऐसी किसी भी सेवाके लिए शुद्ध और निष्कलंक चरित्रका होना अनिवार्य रूपसे आवश्यक है। हरिजनसेवा अथवा खादी या ग्रामोद्योगके काममे लगे हुए कार्यकर्त्ताओंके लिए तो उन बिलकुल सीधे-सादे, निर्दोष और अज्ञान स्त्री-पुरुषोंके सम्पर्कमे आना बहुत जरूरी है, जो बौद्धिक दृष्टिसे संभवतः बच्चोंके समान होगे। अगर उनमे चरित्रबल

न होगा तो अन्तमे जाकर ज़रूर उनका पतन होगा और उसके फलस्वरूप जिस उद्देश्यके लिए वे काम कर रहे हैं, उसे उस कार्यक्षेत्रमें और भी धूल गेगा, जिसमें कि सर्वसाधारण उनसे परिचित है। ऐसे मामलोके अनुसार से प्रेरित होकर ही मैं यह बात लिख रहा हूँ। यह प्रसन्नताकी बात है। ऐसी सेवामें जितने लोग लगे हुए हैं उनकी सख्ताके लिहाजसे ऐसे इन दुक्कहें ही हैं। लेकिन बीच-बीचमें ऐसे मामले प्रायः होते रहते हैं। इसमें जो सम्भाए और कार्यकर्ता ऐसे सेवा-कार्योंमें लगे हुए हैं, उन्हें सार्वजनिक रूपमें सावधान करने और चेतावनी देनेकी ज़रूरत है। कार्यकर्ता इसके लिए जितने भी अधिक सतर्क और सावधान रहे उतना ही कम

‘हरिजन सेवक’,

७०११-३६

## एक ही शत्रु

मनुष्यमात्रका एक ही शत्रु है, एक ही मित्र है; और वह है आप खुद ही। यह मेरा वचन नहीं, सर्वशास्त्रोंका है। जब मनुष्य अपने-आपको धोखा देता है, तब वह आप अपना शत्रु बन जाता है। जब वह अपने अतरमे रहनेवाले परमेश्वरकी गोदमे अपने-आपको छोड़ देता है, तब वह खुद अपना मित्र बन जाता है। यह लिखनेका प्रयोजन है चरित्रपतनके बे दोनों मामले, जिनका कि मैंने उल्लेख किया है और मेरी दृष्टिमे आनेवाले इसी प्रकारके और भी छोटे-मोटे किस्से। इन मामलोमे मैं ज्यो-ज्यों गहरा उत्तरता जाता हूँ, त्यो-त्यो देखता हूँ कि उन व्यक्तियोने अपने-आपको धोखा दे रखा है। मेरी जाच-पड़तालका परिणाम क्या आता है, यह तो आगे मालूम होगा।

दोष तो हम सभी करते हैं। लेकिन जब हम दोषमे से निर्दोषता सिद्ध करनेका प्रयत्न करते हैं, तब हम और अधिक नीचे गिर जाते हैं।

एक पुरुषको दो स्त्रिया भाईके समान समझती है, तपस्वीके रूपमे, शुद्ध सेवकके रूपमे उसे देखती है, शिक्षक या गुरु मानती है; उन्हीके साथ उसका पतन होता है, और पीछे उनमे से एकके साथ वह शादी कर लेता है। इसे मैं अपना व्यभिचार छिपानेकी युक्ति मानता हूँ। इस प्रकारके सम्बन्धको विवाहका नाम देना विवाहकी मानो फजीहत करना है। मैं जानता हूँ कि आजकल ऐसा बहुत जगह हो रहा है। पापका गुणाकार होनेसे उसकी वृद्धि होती है, वह कुछ पुण्यरूप नहीं कहा जा सकता। सारा जगत् पाप करता है इसलिए वह रुढ़ भले ही हो जाय, पर अगर पाप होगा तो वह पाप ही रहेगा, ऐसा नियम पाप समझे जानेवाले सभी कृत्योंको लागू नहीं होगा, यह मैं जानता हूँ। मेरी दृष्टिमे तो जो वस्तु

परपरासे पाप मानी जा रही है और जिसे आज समाज पाप मानता है, उस प्रकारके ये किसे हैं।

शिक्षकोंके अपनी शिष्याओंके साथ गुप्त सम्बन्ध हो जाय, और पीछे उन सम्बन्धोंमें से किसी एकको विवह का रूप दे दिया जाय, तो इससे ऐसा सम्बन्ध पवित्र नहीं बन सकता। जिस प्रकार सगे भाई-बहनके बीचमें पति-पत्नीका सम्बन्ध सभव नहीं, उसी प्रकार शिक्षक और शिष्याके बीच होना चाहिए, यह मेरा दृढ़ अभिश्राय है। अगर इस सुवर्ण नियमका पूर्ण पालन न हो, तो परिणाम यह होगा कि शिक्षण-स्थान टूट जायगी; कोई लड़की शिक्षकोंसे सुरक्षित न रह सकेगी। शिक्षकका पद ऐसा है कि लड़किया और लड़के उसके नीचे निरतर रहते हैं, शिक्षकके बचनको वेदका बचन मानते हैं। अतः शिक्षक जो स्वतन्त्रता लेता है, उसके विषयमें उन्हे कोई शका नहीं होती। इसलिए जहा शरीरसे भिन्न आत्माका सम्मान है, वहा इस प्रकारके सम्बन्ध असह्य समझे जाते हैं, और समझे जाने चाहिए। जब ऐसा कोई सम्बन्ध 'हरिजन-सेवक-सघ' जैसी स्थामें हो जाय, तब उससे होनेवाला बुरा असर बहुत दूरतक पहुंचता है और उस कार्यको हानि पहुंचाता है।

कुछ लोगोंको प्रकट रूपमें पाप स्वीकार करते सकोच होता है, कुछको स्वीकार करते हुए फिरक होती है। धर्म तो पुकार-पुकार कर कहता है अपने किये हुए राईके समान दिखनेवाले दोपोको पर्वतके समान देखो। यदि हृदयसे उन्हे पूर्णतः स्वीकार करोगे, तो जैसे मैला कपड़ा मैल दूर हो जानेसे ही शुद्ध होता और शुद्ध दीखता है, उसी तरह तुम भी शुद्ध हो जाओगे और दिखोगे। और तुम्हारा प्रकट स्वीकार और पश्चात्ताप भविष्यमें पापसे बचनेमें ढालरूप सिद्ध होगा।

'हरिजन सेवक',

५-१२-३६

## दृश्य तथा अदृश्य दोष

एक खादीसेवक लिखते हैं :

“आप कार्यकर्त्ताओंके सदाचारपर बहुत ज़ोर देते आ रहे हैं। आपने अधिकतर कामवासनासे बचनेको ही बहुत महत्व दिया है, जो कि ठीक भी है। जब कभी इस विषयमे किसी कार्यकर्त्ताकी गिरावटका उदाहरण आपके सामने आया है, आपके हृदयको सख्त चोट लगी है और आपने उसका उल्लेख ‘हरिजन’ मे भी किया है। लेकिन क्या सदाचारका अर्थ केवल परस्त्रीके प्रति कामवासना न रखना ही है? क्या भूठ बोलना, ईर्ष्या व द्वेष रखना सदाचारके विरुद्ध नहीं है? चूंकि हमारा समाज भी इन बातोंको इतनी धृणासे नहीं देखता, जितनी धृणासे वह परस्त्रीके साथ सबधको देखता है; इसलिए शायद आप भी इन बातोंपर अधिक ज़ोर नहीं देते। पर ये बुराइया उससे कम नहीं, बल्कि बाज हालातमे तो ये कहीं अधिक हानिकारक होती हैं।

“वैसे तो पापोकी तुलना ही क्या! परन्तु हमारे आजकलके समाजमे तो इन चीजोंको अधिक बुरी निगाहसे नहीं देखा जाता। जब एक जिम्मेदार मुख्य कार्यकर्त्ता एक दिनमे चार-पाँच सफेद भूठ बोले और किसीपर भूठे इल्जाम लगाये, तो क्या हृदय विदीर्ण नहीं हो जाता? क्या इससे अपनेको व समाजको वह हानि नहीं पहुँचाता?”

प्रश्न यह अच्छा है। दोषोमे ऊँच-नीचकी भावना नहीं होनी चाहिए। जहाँतक मेरा संबंध है, मैं तो असत्यको सब पापोकी जड़ मानता हूँ और जिस सम्बन्धमे भूठको वर्दान्त किया जाता है, वह सम्बन्ध कभी समाज-सेवा नहीं कर सकती; न उसकी हस्ती भी ज्यादा दिनो-

तक रह सकती है। लेकिन मनुष्य भूठका प्रयोग जब करता है, तब उस भूठपर अनेक प्रकारके रग चढ़ते हैं। वह एक प्रकारका व्यभिचार है। भूठके ही रूपमें भूठ शायद ही प्रकट होता है। व्यभिचारी तीन दोष करता है। भूठका दोष तो करता ही है, क्योंकि उसके पापको छुपाता है। व्यभिचारको दोष मानता ही है और दूसरे व्यक्तिका भी पतन करता है।

जितने और दोषोंका वर्णन लेखकने किया है, वे सब गुणवाचक हैं। इनको हम न देख सकते हैं, न शीघ्र पकड़ सकते हैं। जब वे मूर्तिमत होते हैं, अर्थात् कार्यमें परिणत होते हैं, तभी उनका विवेचन हो सकता है, उनके दूर करनेका उपाय भी तभी सभावित होता है। एक मनुष्य किसीसे द्वेष करता है। उसका कोई परिणाम जबतक नहीं आता, तबतक न उसकी कोई टीका की जाती है न द्वेषी मनुष्यका सुधार किया जा सकता है। लेकिन जब द्वेषवश कोई किसीको हानि पहुचाता है, तब उसकी टीका हो सकती है और वह दड़के योग्य भी बनता है। वात यह है कि समाजमें और कानूनमें भी व्यभिचार काफी वर्दाश्त किया जाता है, अगरचे व्यभिचारसे समाजको हानि अधिक पहुचती है। चोरको सख्त सजा मिलती है और चोर वेचारा समाजसे बहिष्कृत हो जाता है। और व्यभिचारी सफेदपोश सब जगह देखनेमें आते हैं, उन्हें दड़ तो मिलता ही नहीं। कानून उनकी उपेक्षा करता है। मेरा विश्वास है कि करोड़ोंकी सेवा करनेवाली संस्थामें जैसे चोरोंको, गुड़ोंको स्थान होना ही नहीं चाहिए, ठीक इसी तरह व्यभिचारियोंको भी नहीं होना चाहिए।

‘हरिजन सेवक’,

२७-२-३७

## एक युवककी दुविधा

एक विद्यार्थी पूछता है :

“मैट्रिक पास या कालेजमे पढ़नेवाला युवक अगर दुर्भाग्यसे दो-तीन बच्चोंका पिता हो गया हो, तो उसे अपनी आजीविका प्राप्त करनेके लिए क्या करना चाहिए ? और उसकी इच्छाके विरुद्ध पच्चीस वरस पहले ही उसकी शादी करदी जाय तो उसे, उस हालतमे, क्या करना चाहिए ?”

मुझे तो सीधे-से-सीधा जवाब यह सूझता है कि जो विद्यार्थी अपनी स्त्री और बच्चोंका पोषण करनेके लिए क्या करना चाहिए, यह न जानता हो, अथवा जो अपनी इच्छाके विरुद्ध शादी करता हो, उसकी पढाई व्यर्थ है। लेकिन इस विद्यार्थीके लिए तो वह भूतकालका इतिहास-मात्र है। इस विद्यार्थीको तो ऐसे उत्तरकी जरूरत है, जो उसको सहायक हो सके। उसने यह नहीं बताया कि उसकी जरूरते कितनी है ? वह अगर मैट्रिक पास है तो अपनी कीमत ज्यादा न आके और साधारण मजदूरोंकी श्रेणीमे अपनेको रखेगा तो उसे अपनी आजीविका प्राप्त करनेमे कोई कठिनाई नहीं आवेगी। उसकी बुद्धि उसके हाथ-पैरको मदद करेगी, और इस कारण जिन मजदूरोंको अपनी बुद्धिका विकास करनेका मौका नहीं मिला है, उनकी अपेक्षा वह अच्छा काम कर सकेगा। इसका यह अर्थ नहीं है कि जो मजदूर अग्रेजी नहीं पढ़ा वह मूर्ख होता है। दुर्भाग्यसे मजदूरोंको उनकी बुद्धिके विकासमे कभी मदद नहीं दी गई, और जो स्कूलोंमे पढ़ते हैं, उनकीं बुद्धि कुछ तो विकसित होती ही है, यद्यपि उनके सामने जो विध्न-वाधाए आतीं हैं वे इस जगतके दूसरे किसीं भागमे देखनेको नहीं मिलती। इस मानसिक विकासका वातावरण स्कूल-कालेजमे पैदा हुए झूठी प्रतिष्ठाके ख़्यालसे बराबर हो जाता है। इस कारण विद्यार्थी यह मानने लगते हैं कि कुर्सी-

मेजपर बैठकर ही वे आजीविका प्राप्त कर सकते हैं। अत इस प्रश्नकर्ताको तो शरीर-श्रमका गौरव समझकर इसी क्षेत्रमें से अपने परिवारके लिए आजीविका प्राप्त करनेका प्रयत्न करना चाहिए।

और फिर उसकी पत्ती भी अवकाशके समयका उपयोग करके परिवारकी आमदनीको क्यो न बढ़ावे? इसी प्रकार अगर लड़के भी कुछ काम करने जैसे हो तो उनको भी किसी उत्पादक काममें लगा देना चाहिए। पुस्तकोंके पढ़नेसे ही बुद्धिका विकास होता है, यह खयाल गलत है। इसको दिमागमें से निकालकर यह सच्चा खयाल मनमें जमाना चाहिए कि शास्त्रीय रीतिसे कारीगरका काम सीखनेसे मनका विकास सबसे जल्दी होता है। हाथको या औजारको किस प्रकार मोड़ना या घुमाना पड़ता है, यह कदम-कदमपर उम्मीदवारको जब सिखाया जाता है तब उसके मनके सच्चे विकासकी शुरुआत होती है। विद्यार्थी अगर साधारण मज़दूरोंकी श्रेणीमें अपनेको खड़ा कर ले तो उनकी बेकारीका प्रश्न बिना मेहनतके हल हो सकता है।

अपनी इच्छाके विरुद्ध विवाह करनके विषयमें तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अपनी इच्छाके खिलाफ जवरदस्ती किये जानेवाले विवाहका विरोध करने जितना सकल्प-बल तो विद्यार्थियोंको जरूर प्राप्त करना चाहिए। विद्यार्थियोंको अपने बलपर खड़ा रहने और अपनी इच्छाके विरुद्ध कोई भी बात—खासकर ब्याह-शादी—जवरदस्ती किय जानेके हरेक प्रयत्नका विरोध करनेकी कला सीखनी चाहिए।

‘हरिजन सेवक’,

२६-१०-३७

## साहित्यमें गंदगी

व्रावणकोरके एक हाईस्कूलके हेडमास्टर लिखते हैं :

“यह तो आप जानते ही है कि व्रावणकोरका राजनीतिक वातावरण इस समय बहुत दुखपूर्ण हो गया है। हाईस्कूल तकके छात्र हड्डताल कर रहे हैं और दूसरोंको स्कूलमें जानेसे रोक रहे हैं। इन लोगोंमें कुछ ऐसी भावना काम कर रही है कि आप विद्यार्थियोंकी, और छात्रोंकी हड्डतालके पक्षमें हैं। मैं यह पसद करूँगा कि इस विषयपर आप अपनी राय आम विद्यार्थियोंको लिखनेकी कृपा करें। इससे स्थिति साफ हो जायगी।”

मेरा ख्याल है कि विद्यार्थियों और छात्रोंकी हड्डतालोंके खिलाफ मैंने काफी मौकोपर लिखा है, बहुत ही कम प्रसग मैंने छोड़े होगे। मैं यह मानता हूँ कि विद्यार्थियोंका राजनीतिक प्रदर्शनों और दलगत राजनीतिमें हिस्सा लेना बिलकुल गलत चीज़ है। इस किस्मका जोश उनके गभीर अध्ययनमें हस्तक्षेप करता है, और उन्हे होनहार नागरिकोंके रूपमें काम करनेके अयोग्य बना देता है। अलवत्ता, एक चीज़ ऐसी जरूर है कि जिसके लिए विद्यार्थियों या छात्रोंका हड्डताल करना उनका फर्ज़ है। लाहौर-के ‘यूथ्स वेलफेयर असोसियेशन’ के अवैतनिक मत्रीका मुझे एक पत्र मिला है। इस पत्रमें अश्लीलता और कामुकतासे भरे काफी नमूने पाठ्य पुस्तकोंसे उद्धृत किये गए हैं, जिन्हे विभिन्न विश्वविद्यालयोंने अपने पाठ्यक्रमोंमें रखका है। यह ऐसे गदे अवतरण है कि पढ़नेमें घिन मालूम होती है। हालांकि यह पाठ्यक्रमकी पुस्तकोंमें से लिये गए हैं। मैंने जितना भी साहित्य पढ़ा है, उसमें इतनी गदगी कभी मेरी नज़रसे नहीं गुज़री। इन अवतरणोंको निष्पक्ष रीतिसे सस्तृत, फारसी और हिन्दीके कवियोंकी रचनाओंमें से लिया गया है। मेरा ध्यान इस ओर सबसे पहले वर्धकि महिला-आश्रमकी लड़कियोंने

आकर्षित किया था, और हालमे मेरी पुत्रवधूने, जोकि देहरादूनके कन्या-गुरुकुलमे पढ़ रही है, इन अश्लील कविताओंकी तरफ मेरा ध्यान खीचा है। उसकी कुछ पाठ्यपुस्तकोमे जैसी अश्लीलता भरी हुई है, वैसी कभी उसकी नजरसे नहीं गुजरी थी। उसने मेरी इसमे सहायता चाही। मैं हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके अधिकारियोंसे इस सबधमे लिखा-पढ़ी कर रहा हूँ। पर बड़ी-बड़ी स्थाएँ धीरे-धीरे हीं। कदम आगे रखती है। लेखको और प्रकाशकोका स्वार्थ सुधार नहीं होने देता, उनका एकाधिकार आड़े आ जाता है। साहित्यकी बेदी तो खास धूपकी अधिकारिणी है। मेरी पुत्रवधूने मुझे यह सुझाया और मैं तुरन्त उसके साथ सहमत हो गया कि वह अपनी परीक्षामे अनुत्तीर्ण होनेकी जोखिम ले लेगी, पर अश्लील और कामुकता-पूर्ण साहित्य नहीं पढ़ेगी। उसकी यह एक नर्म-सी हड्डताल है, पर है उसके लिए यह बिलकुल हितकर और पूरी प्रभावकारक। पर यह एसा प्रसग है जो विद्यार्थियों या छात्रों द्वारा की हुई हड्डतालको न सिर्फ उचित ही ठहराता है, बल्कि मेरी रायमे, उनका यह फर्ज हो जाता है कि ऐसा साहित्य अगर उनके ऊपर जबरन लादा जाय तो उसके खिलाफ वे विद्रोह भी करे।

किसीको चाहे जो पढ़नेकी स्वतंत्रता देना, यह एक बात है। पर यह बिलकुल अलग बात है कि युवा लड़के-लड़कियोंको ऐसे साहित्यका परिचय कराया जाय, जिससे निश्चय ही उनके काम-विकारोंको उत्तेजन मिलता हो, और ऐसी चीजोंके बारेमे वाहियात कुतूहल मनमे पैदा हो कि जिनका ज्ञान आगे चलकर उचित समयपर और ज़रूरी हदतक उन्हे ज़रूर हो जायगा। बुरा साहित्य तब कहीं अधिक हानि पहुँचाता है जबकि वह निर्दोष साहित्यके रूपमे हमारे सामने आता है और उसपर बड़े-बड़े विश्वविद्यालयोंके प्रकाशनकी छाप लगी होती है।

विद्यार्थियोंकी शातिपूर्ण हड्डताल एक ऐसा तरीका है, जिससे अत्यावश्यक सुधार जल्द-से-जल्द हो सकता है। ऐसी हड्डतालोंमे कोई शोरगुल या उपद्रव नहीं होना चाहिए। सिर्फ इतना काफी होगा कि जिन परीक्षाओंमे उत्तीर्ण होनेके लिए आपत्तिजनक साहित्यका अध्ययन आवश्यक हो, उनका

परीक्षार्थी वहिकार कर दे । अश्लीलताके विशुद्ध विद्रोह करना हरेक शुद्ध मनोवृत्तिवाले विद्यार्थीका कर्तव्य है ।

उक्त असोसियेशनने मुझे लिखा है कि मैं काग्रेसी मन्त्रियोंसे यह अपील करूँ कि वे पाठ्यक्रममें ऐसी पुस्तकों या उन अशोकों जो आपत्तिजनक हैं, हटवा देनेके लिए जो भी उपाय सभव हो, वह करे । मैं इस लेख द्वारा सहर्ष ऐसी अपील न केवल काग्रेसी मन्त्रियों, बल्कि सभी प्रातोके शिक्षा-मन्त्रियोंसे करता हूँ । निश्चय ही, विद्यार्थियोंकी बुद्धिके स्वस्थ विकासमें तो सभी एक-सी दिलचस्पी रखते हैं ।

‘हरिजन सेवक’,

१५-१०-३८

## आर्यसमाज और गन्दा साहित्य

कन्यागुरुकुल देहरादूनके श्री धर्मदेव शास्त्रीने और उनके बाद गुरुकुल कागड़ीके आचार्य अभयदेवने मुझे लिखा है कि मैंने अपने 'साहित्यमे गन्दगी' शीर्षक लेखमे जो अपनी पुत्रववृका उल्लेख किया है; जो कन्या गुरुकुलमे अध्ययन कर रही है और जिसने अपनी परीक्षामे की कुछ पाठ्य पुस्तकोकी गन्दगीके विषयमे लिखा था, उसका कही-कही यह अर्थ लगाया गया है कि आर्यसमाजके अधिकारी इस प्रकारके गन्दे साहित्यको प्रोत्साहन देते हैं। इन दोनों ही सज्जनोंने इसका जोरदार खड़न किया है। आचार्य अभयदेवने मुझे लिखा है कि गुरुकुल तो इस विषयमे इतना सतर्क रहा है कि कालिदास-जैसे महाकवियोकी रचनाओंके लिए भी उसका यह आग्रह है कि शकुन्तला जैसी प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियोंके ऐसे सस्करणोंका ही अध्ययन उसके विद्यार्थी करे, जिनमे से अश्लीलताके अश विलकुल निकाल दिये गए हो। यह तो बादकी बात है कि गुरुकुलने अपने विद्यार्थियोंको साहित्य-सम्मेलनकी परीक्षाओंमे वैठनेकी अनुमति दी। सम्मेलन ऐसी पुस्तकोंको अपने पाठ्यक्रममे रखना बर्दाश्त कर रहा है, जिनमे गन्दे साहित्यको स्थान मिला हुआ है। मैं समझता हूँ कि गुरुकुलके अधिकारियोंने सम्मेलनके प्रबन्धकोका ध्यान इस विषयकी ओर आकर्षित किया है और उनसे कहा है कि वे ऐसी पुस्तकोंको अपने पाठ्यक्रममे से निकल दे, जिनमे आपत्तिजनक अंश हो। मुझे आशा है कि जबतक वे परीक्षार्थियोंकी पाठ्य पुस्तकोंमे के गन्दे साहित्यके खिलाफ छेड़ी हुई इस लडाईमे सफलता प्राप्त न कर लेंगे, तबतक उन्हे सतोष न होगा।

'हरिजन सेवक'

१०

## मेरा जीवन

‘बबई क्रॉनिकल’में उसके इलाहाबाद-स्थित सवाददाता द्वारा प्रेषित नीचे लिखा वक्तव्य प्रकाशित हुआ है :

“गाधीजीके बारेमें कॉमन्स-सभामें जो बातें फैल रहीं हैं, उनके सम्बन्धमें बड़ी चौका देनेवाली खबरे प्रकाशमें आईं हैं। कहा जाता है कि अग्रेज इतिहासकार मि० एडवर्ड टॉमसनने, जो हालहीमें इलाहाबाद आये थे, इंग्लैण्डमें फैली हुई विचित्र मनोवृत्तिपर कुछ रोशनी डाली है। मि० टॉमसन यहा कुछ राजनैतिक नेताओंसे भी मिले थे, जिनसे उन्होंने गाधीजीके सम्बन्धमें कॉमन्स-सभामें फैली हुई इन तीन बातोंके सम्बन्धमें कहा बताते हैं—

“१. गाधीजी ब्रिटिश सरकारके साथ विला किसी शर्तके सहयोग करना चाहते थे।

“२. गाधीजी अब भी काग्रेसपर प्रभाव डाल सकते हैं।

“३. गाधीजीके कामुक जीवनके सम्बन्धमें कई कहानियां चली थीं। ख्याल यह था कि गाधीजी अब वह सत् पुरुष नहीं रहे हैं।

“मि० टॉमसनका ख्याल है कि गाधीजीके ‘कामुक जीवन’के सम्बन्धमें जो धारणाएँ बनी हैं, वे कुछ मराठी-पत्रोंके आधारपर हैं। उन्होंने, जहातक कि मुझे पता है, इसकी चर्चा सर तेजबहादुर सप्रूसे की, जिन्होंने इसका खड़न किया। बादमें, उन्होंने पड़ित जवाहरलाल नेहरू और श्री पी० एन० सप्रूसे भी यह चर्चा की। उन्होंने भी जोरोंके साथ इसका खड़न किया।

“ऐसा जान पड़ता है कि इंग्लैण्डसे रवाना होनेके पहले मि० टॉमसन कॉमन्स-सभाके कई सदस्योंसे मिले थे। इलाहाबादसे रवाना होनेके पहले मि० टॉमसनने नेहरूजीकी सलाहसे, एक पत्र कॉमन्स-सभाके सदस्य मि०

ग्रीनडडके पास भेज दिया था, और इस पत्रमें उन्होंने गाधीजीके वारेम फैली हुई कहानियोंको विलकुल निराधार बताया था।”

मिंटो टॉमसनने सेगाव आनेकी भी कृपा की थी। उन्होंने इस रिपोर्टको मूलत ठीक बताया।

तीसरे अभियोगके वारेमें कुछ स्पष्टीकरण जरूरी है। दो दिन पहले चार-पाच गुजराती भाइयोंने मेरे नाम एक चिट्ठी भेजी, उसके साथ एक समाचार-पत्र था, जिसका एकमात्र उद्देश्य यहीं जान पड़ता है कि वह मेरे चरित्रको उतना काला चित्रित करे जितना कि किसी मनुष्यका हो सकता है।

पत्रके शीर्षकके अनुसार उसका उद्देश्य ‘हिन्दुओंका सगठन’ करना है। मेरे खिलाफ जो इल्जाम लगाये गए हैं वे अधिकतर मेरे इकरारोंके आधार-पर ही हैं और उन्हें तोड़ा-मरोड़ा गया है। दूसरे कई इल्जामोंके साथ कामुकताका इल्जाम सबसे बड़ा है। कहा जाता है कि मेरा ‘ब्रह्मचर्य’ मेरी कामुकता छिपानेका एक साधन है। बेचारी डॉक्टर सुशीला नैयरको मेरी मालिश करने व भुझे औपचारिक स्नान करानेके अपराधपर जनताकी दृष्टिके सामने घसीटकर लाया गया है। ये दो बातें ऐसी हैं, जिनके लिए मेरे आस-पासके व्यक्तियोंमें वह सबसे अधिक योग्य हैं। उत्सुक व्यक्तियोंकी जानकारीके लिए यह बतला दू कि ये काम तनहाईमें कभी नहीं किये जाते। ये काम डेढ घण्टेंसे भी अधिक तक होते रहते हैं, और इनके बीच मैं प्रायः सो जाता हूँ, और महादेव, प्यारेलाल या दूसरे साथियोंके साथ काम भी करता रहता हूँ।

जहातक कि मुझे पता है, इन अभियोगोंका आरम्भ अस्पृश्यताके विरुद्ध चलाये गए मेरे आन्दोलनके साथ हुआ। यह उस समयकी बात है, जब कि अस्पृश्यता-निवारण कॉग्रेसके कार्यक्रममें शामिल था। मैंने इस विषयपर सभाओंमें बोलना आरम्भ किया था और हरिजनोंके सभाओं व आश्रमोंमें आनेपर जोर देने लगा था। उस समय कुछ सनातनी, जो मेरी सहायता करते और मुझसे मित्रता रखते थे, मुझसे अलहदा हो गए, और उन्होंने मुझे बदनाम करनेका एक आन्दोलन ही आरम्भ कर दिया। उसके बाद एक बहुत प्रभावशाली अग्रेज इस आन्दोलनमें शामिल हो गया।

उसने स्त्रियोंके साथ मेरी स्वतन्त्रतापर टीका-टिप्पणी की, और मेरे 'महात्मापन' को पापपूर्ण जीवन बताया। इस आन्दोलनमें एक-दो प्रसिद्ध हिन्दुस्तानी भी शामिल थे। गोलमेज कान्फेसके अवसरपर अमरीकन अखबारोंने मेरा बड़ा निर्दय मजाक उडाया था। मीराबेन, जो उस समय देखरेख करती थी, इन मजाकोंका लक्ष्य बनी। मि० टॉमसन उन सज्जनोंसे परिचित है, जो इन इल्जामोंके पीछे हैं, और जहातक मैं उनकी बात समझ सका, साबरमती-आश्रमकी सदस्या प्रेमाबहन कटकके नाम लिखी गई थी मेरी चिट्ठिया भी मेरे पतनको सिद्ध करनेके लिए काममें लाई गई है। प्रेमाबहन एक ग्रेजुएट महिला और योग्य कार्यकर्तृ है। वह ब्रह्मचर्य और इसी प्रकारके दूसरे विषयोंपर प्रश्न पूछा करती थी। मैं उन्हे पूरे जवाब भेजता था। उन्होंने यह सोचकर कि ये जवाब सर्वसाधारणके लिए भी उपयोगी होंगे, मेरी इजाजतसे उन्हे प्रकाशित कर दिया। मैं उन्हे बिलकुल निर्दोष और पवित्र मानता हूँ।

अभीतक मैंने इन इल्जामोंको नज़रन्दाज किया है; लेकिन मि० टॉमसन की बाते और गुजराती सवाददाताओंका आग्रह, जो कहते हैं कि उन्होंने इस तरहकी निन्दाके जो अश भेजे वे तो मेरे बारेमें जो कुछ कहा जा रहा है उसके नमूनेभर हैं, मुझे उनका खण्डन करनेके लिए बाध्य करते हैं। मेरे इस जीवनमें कोई गोपनीयता नहीं है। कमजोरियाँ मुझमें भी हैं ज़रूर। लेकिन अगर कामुकताकी ओर मेरा रुक्खान होता, तो मुझमें इतना साहस है कि मैं उसको कबूल कर लेता। जब मेरे अन्दर अपनी पत्नीतकके साथ विषय-सम्बन्ध रखनेकी अश्चि काफी बढ़ गई और इस सम्बन्धमें मैंने अपनी काफी परीक्षा कर ली तभी, और अच्छाईके साथ देश-सेवा करनेके लिए, मैंने १६०६ में ब्रह्मचर्यका व्रत लिया था। उसी दिनसे मेरा खुला जीवन शुरू हो गया है। सिर्फ उस अवसरको छोड़कर, जिसका कि मैंने 'यंग इण्डिया' और 'नवजीवन' के अपने लेखोंमें उल्लेख किया है, और कभी मैं अपनी पत्नी या अन्य स्त्रियोंके साथ दरवाजा बन्द करके सोया या रहा होऊँ, ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता। और वे राते मेरे लिए सचमुच काली राते थीं। लेकिन, जैसा कि मैंने बार-बार कहा है, अपने बावजूद ईश्वरने मुझे

बचाया है। मुझमे अगर कोई गुण हो तो मैं उसके श्रेयका अपने लिए कोई दावा नहीं करता। मेरे लिए तो सब गुणोंका दाता वही तारनहार प्रभु है और उसीने अपनी सेवाके लिए सदा मेरी रक्षा की है।

जिस दिनसे मैंने ब्रह्मचर्य शुरू किया, उसी दिनसे हमारी स्वतत्त्वताका आरम्भ हुआ है। मेरी पत्नी मेरे स्वामित्वके अधिकारसे मुक्त हो गई, और मैं अपनी उस वासना की दासतासे मुक्त हो गया, जिसकी पूर्ति उसे करनी पड़ती थी। जिस भावनामे मैं अपनी पत्नीके प्रति अनुरक्त था, उस भावनामे और किसी स्त्रीके प्रति मेरा आकर्षण नहीं रहा है। पतिके रूपमे उसके प्रति मैं बहुत वफादार था और अपनी माताके सामने किसी अन्य स्त्रीका दास न बननेकी मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उसके प्रति भी मैं वैसा ही वफादार था। लेकिन जिस तरह मेरे अन्दर ब्रह्मचर्यका उदय हुआ, उसके कारण अदम्य रूपसे स्त्रियोंको मैं मातृभावसे देखने लगा। स्त्रियाँ मेरे लिए इतनी पवित्र हो गई कि मैं उनके प्रति कामुकतापूर्ण प्रेमका खयाल ही नहीं कर सकता। इसलिए तत्काल हरेक स्त्री मेरे लिए बहन या बेटी-की तरह हो गई। फिनिक्समे मेरे आसपास काफी स्त्रियाँ रहती थीं। उनमेंसे कई तो मेरी रिश्तेदार ही थीं, जो मेरे कहनेसे दक्षिण अफ्रिका आई थीं। दूसरी मेरे साथियों या रिश्तेदारोंकी पत्नियाँ थीं। वेस्ट-परिवार तथा अन्य अंग्रेज भी इन्हींमे थे। वेस्ट-परिवारमे, वेस्ट, उनकी पत्नी और सास इतने व्यक्ति थे। उनकी सास उस छोटी-सी बस्तीकी बूढ़ी दादी बन गई थी।

जैसी कि मेरी आदत है, किसी नई और अच्छी वातको मैं अपनेतक ही सीमित नहीं रख सकता। इसलिए मैंने सभी वाशिन्डोको ब्रह्मचर्य ग्रहण करनेके लिए कहा। सभीने उसे पसन्द किया और कुछ यह ब्रत लेकर इस आदर्शके प्रति सच्चे भी रहे। पर मेरा ब्रह्मचर्य उसका पालन करनेके लिए बने हुए कट्टर नियमोंके वारेमे कुछ नहीं जानता। मैंने तो जब जैसी ज़रूरत देखी, उसके अनुसार अपने नियम बना लिये। लेकिन मेरा यह विश्वास कभी नहीं रहा कि ब्रह्मचर्यका उपयुक्त रूपमे पालन करनेके लिए स्त्रियोंके किसी भी तरह के सर्सर्गसे विलकुल बचना चाहिए। जो

सयम अपने विपरीत वर्गके सब संसर्गसे, फिर वह कितना ही निर्दोष क्यों न हो, बचनेके लिए कहे वह बलात् सयम है, जिसका कोई महत्व नहीं।

सलिए सेवा या कामकाजके लिए स्वाभाविक संसर्गोंपर कभी कोई प्रतिबन्ध नहीं रहा। और मुझे तो दक्षिण अफिकामे अग्रेज़ व हिन्दुस्तानी अनेक बहनोंका विश्वास प्राप्त था। और जब दक्षिण अफिकामे मैंने भारतीय बहनोंको निष्क्रिय प्रतिरोध-आन्दोलनमे भाग लेनेके लिए निमन्त्रित किया, तो मुझे लगा कि मैं भी उन्हींमेंसे एक हूँ। मुझे इस बातका पता चल गया कि स्त्री-जातिकी सेवाके लिए मैं खास तौरसे उपयुक्त हूँ। इस कहानीको (जोकि मेरे लिए वड़ी रोमाचकारी है) सक्षेपमे खत्म करनेके लिए मैं कहूँगा कि भारत लौटनेपर यहा भी जल्दी ही मैं भारतीय स्त्रियोंमे हिलमिल गया। मेरे लिए यह एक रुचिकार रहस्योद्घाटन था कि मैं उनके हृदयोतक किस आसानीसे पहुँच जाता हूँ। दक्षिण अफिकाकी तरह यहा भी मुसलमान स्त्रियोंने मुझसे कभी परदा नहीं किया। आश्रममे मैं स्त्रियोंसे घिरा हुआ सोता हूँ, क्योंकि मेरे साथ वे अपनेको हर तरह सुरक्षित महसूस करती हैं। मुझे यह भी याद दिला देनी चाहिए कि सेगाव-आश्रममे कोई पोशीदगी नहीं है।

अगर स्त्रियोंके प्रति मेरा कामुकतापूर्ण भुकाव होता तो, अपने जीवनके इस कालमे भी, मुझमे इतना साहस है कि मैंने कई पत्नियाँ रख ली होती। गुप्त या खुले स्वतंत्र प्रेममे मेरा विश्वास नहीं है। उन्मुक्त प्रेमको मैं तो कुत्तोंका प्रेम समझता हूँ। और गुप्त प्रेममे तो, इसके अलावा, कायरता भी है।

‘हरिजन सेवक’,

४-११-३६

११

## स्त्री-धर्म क्या है ?

एक बहुत पढ़ी-लिखी वहनका पत्र, कुछ हिस्से निकाल देनेके बाद, यहाँ देता हूँ ।

“आपने अहिंसा और सत्याग्रहके जरिए दुनियाको आत्माका गौरव दिखा दिया है । मनुष्यके पशु-स्वभावको जीतनेकी समस्या इन्हीं दो शब्दोंसे हल हो सकती है ।

“उद्योगके जरिये शिक्षा एक महान कल्पना ही नहीं है, बल्कि हम अपने बच्चोंको स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं तो शिक्षाका एकमात्र सही तरीका भी यही है । आपहीने यह बात कही है और एक ही वाक्यमें शिक्षाकी सारी विशाल समस्या हल कर दी है । उसकी तफसील तो हालात और तजरुबेसे ही तय हो सकती है ।

“मेरी अर्ज है कि स्त्रियोंका सवाल भी ज़रूर हल कर दे ।

“राजाजी कहते हैं कि हम स्त्रियोंका कोई सवाल ही नहीं है । शायद राजनैतिक मानेमें न हो । कदाचित्, धधेके बारेमें भी कानून द्वारा हमें निश्चिन्त बनाया जा सकता है, अर्थात् सभी पेशे औरत-मर्द सबके लिए समान रूपमें खुले कर दिये जा सकते हैं ।

“मगर फिर भी हम स्त्री हैं और स्त्रीके गुण-दोष पुरुषसे भिन्न हैं, इस बातमें अन्तर नहीं पड़ता । हमें अपने स्वभावके दोषोंको दूर करनेके लिए अहिंसा और सत्याग्रहके अलावा कुछ और सिद्धान्त भी चाहिए ।

“पुरुषकी तरह स्त्रीकी आत्मा भी ऊचा उठनेकी कोशिश करती है, मगर जैसे नरको अपनी आक्रमणकारी भावना, काम-वासना और दुख पहुँचानेकी पशु-वृत्ति आदिसे छुटकारा पानेके लिए अहिंसा और ब्रह्मचर्यकी ज़रूरत है, ठीक उसी तरह नारीको भी कुछ ऐसे उसूलोंकी आवश्यकता है,

जिनसे वह अपने स्वभावके दोष दूर कर सके, क्योंकि वे दोष पुरुषके दोषोंसे अलग तरहके हैं और आम तौरपर कहा जाता है कि वे प्रकृतिसे ही स्त्रीके साथ लगे हुए हैं। स्त्री होनेके कारण ही उसके जो स्वाभाविक गुण-दोष हैं, उसका जिस तरह लालन-पालन और गिक्षण होता है और उसके लिए जैसा वातावरण पेंदा हो जाता है वह सब उसके विरुद्ध पड़ता है। और ये चीजें, यानी उसका स्वभाव, उसकी तालीम, और उसका वायुमडल, उसके काममें हमेशा खलल डालते, उसका रास्ता रोकते और आमतौर-पर यह कहनेका मौका देते हैं कि 'आखिर तो औरत ही है।' जब मैं कहती हूँ कि स्त्री होना ही उसके गलेका हार हो गया है, तो मेरा मतलब यही है।

"मेरे ख्यालसे हमारी समस्या ठीक तौरपर हल हो जाय और अपने सुधारका सही तरीका हमारे हाथ लग जाय तो सहानुभूति और कोमलता आदि जो हमारे स्वाभाविक गुण हैं, उन्हें वाधक होनेके बजाय हम साधक बना सकती हैं। जैसा आपने पुरुषों और वच्चोंके वारेमें हल बताया है उसी तरह हमारा सुधार भी हमारे ही भीतरसे होना चाहिए।

"मैंने स्वभाव, गिक्षा और वातावरणकी बात कही हैं। अपनी बात साफ समझानेके लिए मैं एक मिसाल देती हूँ।

"कुदरतने औरतको कोमल, नरम-दिल, हमदर्द और वच्चोंकी मां बनाया है। इन चीजोंका असर उसपर अनजानमें भी बहुत होता है। इसलिए जब उसे कुछ करना पड़ता है तो वह वेहद भावुक हो जाती है। मर्दोंके सम्पर्कमें आनेपर वह बड़ी-बड़ी गलतिया कर बैठती है। जिस वक्त उसे सच्च रहना चाहिए उस वक्त उसका दिल पिघल जाता है। वह जल्दी ही खुश और नाराज हो जाती है, उसे आसानीसे अपनेपर गर्व हो जाता है और आम तौरपर भोलेपनके काम करती है।

"जब मैं आपसे मिलने आई तब, हालांकि उस मुलाकातकी मुँहें बड़ी उत्सुकता थी और पहली रात उनका विचार करते-करते मुँहें नीद भी नहीं आई थी, किर भी जब मैं आपके सामने गई और आपने मुँहें बैठ जानेको लहा तो मैं श्री देसाईकी लम्बी-चाँड़ी पीठकी बाड़में जा बैठी। वहांसे न मैं जापही बात सुन सकती थी और न आपका मुँह देख सकती थी। यह

मेरा कितना भोलापन था ! इतना ही नहीं, मैंने देख लिया कि मैं अपनी बात भी नहीं समझा सकती, मेरी ज्ञान ही नहीं चलती थी । इसकी वजह मैं यह समझती हूँ कि मेरे स्वभावपर भावुकता सवार रहती है और आसानीसे कावूके बाहर हो जाती है । अवश्य ही, यह खास दोष तो उचित तालीमसे निकल जाता, मगर मैं कह सकती हूँ कि सम्भव है, मैं और कोई ऐसा ही भोलेपनका काम कर बैठूँ ।

“मेरी एक सखीने मुझे वे उत्तर दिखाए थे जो उसन राष्ट्रीय योजना-उपसमितिकी स्त्रियोके कामके बारेकी प्रश्नावलीपर लिख भेजे थे । आप ज़रूर जानते होगे कि ये सवाल नम्बरसार होते हैं और कुछ इस तरह-के हैं : देशके जिस भागमे आप रहती हैं वहां किस हृदतक स्त्रियोको अपने हक्से सम्पत्ति रखने, हासिल करने, उत्तराधिकारमे मिलने, बेचने या दे डालनेका अधिकार है ? जिन अनेक काम-धघोमे अलग-अलग योग्यताकी स्त्रियोको लगानेकी ज़रूरत हो सकती है, उनके लिए स्त्रियोको उचित शिक्षा और तालीम देनेका क्या बन्दोबस्त और सुविधाए है ? व्यैरह-व्यैरह ।

“मेरी सखीने प्रश्नोका उत्तर न देकर यह लिखा है : ‘यह कहना ज़रा भी सच नहीं है कि प्राचीनकालमे स्त्रियोको शिक्षा जैसी कोई चीज़ मिलती ही न थी ।’ उसने यह भी लिखा है कि ‘वैदिक युगमे विवाह होनेपर पत्नीको कुटुम्बमे तुरन्त प्रतिष्ठाका स्थान दिया जाता था और वह अपने पतिके घरकी मालिकन बन जाती थी ।’ आदि, आदि । उसने मनुस्मृतिसे प्रमाण भी दिये हैं ।

“मैंने उससे पूछा कि जब सवाल आजके ज़मानेके बारेमे पूछे गए हैं तो पुरान रीति-स्वाजका हाल लिखनेकी क्या ज़रूरत थी ? वह यह सोचकर कि निबन्धके रूपमे उत्तर बढ़िया रहता है, कुछ मुह-ही-मुहमे कहती रही और फिर तेज़ होकर बोली, ‘श्रीमती... अमुकका जवाब तो मुझसे भी बुरा है ।’

“मेरी समझसे मेरी सखीकी यह भूल ठीक तालीम न मिलनेके कारण हुई है और तालीम उसे स्त्री होनेके कारण ही नहीं दी गई । यह तो एक मुहर्रिर भी जानता है कि जब कोई सवाल पूछा जाता है तो उसके जवाब-मे दूसरे ही विषयपर नहीं लिखना चाहिए ।

“मेरे खयालमें मुझे उदाहरण देते जाने और अपनी वात समझाते रहनेकी ज़रूरत नहीं है। आपको सब प्रकारकी स्त्रियोंका इतना विशाल अनुभव है कि आप जान गए होंगे कि मेरा यह कहना सही है या नहीं कि जिस अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्धान्तसे स्त्रिया सुधर सकती हैं वही उन्हे मालूम नहीं है।

“आपने मुझे ‘हरिजन’ पढ़नेकी सलाह दी थी। मैं शौकसे पढ़ती हूँ। मगर अबतक अन्तरात्माके लिए कोई सलाह मेरे देखनेमें नहीं आई। राष्ट्रीय आज्ञादीके लिए कातना और लड़ना तो उस तालीमके कुछ पहलू ही है। उनमें समस्याका सारा हल समाया हुआ नहीं दीखता, क्योंकि मैंने ऐसी स्त्रिया देखी है जो कातती और काग्रेसके आदर्शोंपर अमल करनेकी कोशिश तो ज़रूर करती है; लेकिन फिर भी वही बड़ी-बड़ी भूले कर बैठती है, जिनका कारण उनका स्त्री होना ही है।

“मैं पुरुषोंके जैसी नहीं बनना चाहती। लेकिन जैसे आपने पुरुषोंकी पशु-प्रकृतिके सुधारके लिए वर्हिसा सिखाई है, वैसे हमें भी वह पाठ पढ़ा दीजिए जिससे हमारा भोलेपनका दोष दूर हो जाय। कृपा करके बताइए, हम कैसे अपने स्वभावका सदुपयोग करें और अपनी वाधाओंको सुविधा बनालें।

“यह स्त्री होनेका भार हमेशा मेरे मनपर रहता है। जब कभी मैं किसीको नाक-भौं सिकोड़कर यह कहते सुनती हूँ कि ‘आखिर स्त्री है’ तो मेरी आत्मामें वेदना होती है (अगर आत्मामें भी वेदना हो सकती हो तो)। एक पुरुषसे मैंने इन वातोंकी चर्चा की तो वह मेरी हँसी उड़ाकर कहने लगा, ‘आपने हमारे मित्रके घर उस बच्चेको देखा था। वह गाड़ी बनाकर खेल रहा था और किटकिट करता जब खभेंके सामने पहुँचा तो उसके चौतरफ घूमनेके बजाय उसने अपने कन्धोंसे घक्का देकर उसे गिरानेकी कोशिश की। वह अपने बाल-स्वभावसे यह समझता था कि मैं इसे गिरा दूँगा। आपकी वातसे मुझे वह याद आता है। आप जो कहती हैं वह मनोवैज्ञानिक वात है। आप उसे समझने और सुलझानेका जो प्रयत्न करती हैं, उसपर मुझे हँसी आती है।’”

मैं तो यह समझकर खुश था कि सत्याग्रहकी खोजके साथ स्त्रियोके उद्धार-कार्यमें मेरी निश्चित सहायता शुरू हो गई है। मगर पत्र-लेखिकाकी यह राय है कि स्त्रियोको पुरुषोंसे अलग तरहका इलाज चाहिए। अगर ऐसी वात है तो मैं नहीं समझता कि कोई भी पुरुष सही हल निकाल सकेगा। वह कितनी ही कोशिश करे, असफल ही रहेगा, क्योंकि प्रकृतिने उसे स्त्रीसे भिन्न बनाया है। जिसके लगती हैं वहीं जानता है कि पीड़ा कहा हो रही है। इस कारण अन्तमें तो स्त्रियोको ही यह तय करनेका अधिकार है कि उन्हे क्या चाहिए। मेरीं अपनी राय तो यह है कि जैसे मूलमें स्त्रीं और पुरुष एक हैं, ठीक उसीं तरह उनकी समस्याका तत्व भी असलमें एक ही है। दोनोंमें एक ही आत्मा विराजमान है। दोनों एक ही प्रकारका जीवन विताते हैं। दोनोंकी एक ही भातिकी भावनाएँ हैं। दोनों एक दूसरेका पूरक हैं। एककी असली सहायताके बिना दूसरा जी नहीं सकता।

मगर किसी-न-किसी तरह अनन्त कालसे स्त्रीपर पुरुषने आधिपत्य रखा है। इस कारण स्त्रीमें अपनेको नीचा समझतेकी मनोवृत्ति आगई है। पुरुषने स्वार्थवश स्त्रीको यह सिखाया है कि वह उससे नीचे दर्जेकी है और स्त्रीने इस शिक्षाको सच्चा मान लिया है। मगर ज्ञानीं पुरुषोंने उसका दर्जा बराबरका ही माना है।

फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि एक जगह पहुँचकर दोनोंके काम अलग-अलग हो जाते हैं। जहा यह वात सही है कि मूलमें दोनों एक हैं, वहा यह भी उतना ही सच है कि दोनोंकी शरीर-रचना एक-दूसरेसे बहुत भिन्न है। इसलिए दोनोंका काम भी अलग-अलग ही होना चाहिए। मातृत्वका धर्म ऐसा है जिसे अधिकाश स्त्रिया सदा ही धारण करती रहेगी। मगर उसके लिए जिन गुणोंकी आवश्यकता है उनका पुरुषोंमें होना ज़रूरी नहीं है। वह सहनेवाली है, वह करनेवाला है। वह स्वभावसे घरकी मालिकन है, वह कमानेवाला है। वह कमाईकी रक्षा करती और बाटती है। वह हर मानेमें पालक है। मानवजातिके दुधमुहे वच्चोंको पाल-पोसकर बड़ा करनेकी कला उसीका विशेष धर्म और एकमात्र अधिकार है। वह सभाल न रखे तो मानवजाति नष्ट हो जाय।

मेरी रायमें इसमें स्त्री और पुरुष दोनोंका पतन है कि स्त्रीको घर छोड़कर घरकी रक्षाके लिए बन्दूक उठानेको कहा या समझाया जाय। यह तो फिरसे जगली बनना और नाशकी शुरुआत करना हुआ। जिस घोड़ेपर पुरुष सवार होता है उसीपर स्त्री भी चढ़नेकी कोशिश करती है तो वह दोनोंको गिराती है। पुरुष अपनी जीवन-संगिनीसे भय या प्रलोभन दिखाकर उसका खास काम छुड़ायगा, तो इसका पाप पुरुषके ही सिर होगा। वीरता जितनी वाहरी हमलेसे अपने घरको बचानेमें है, उतनी ही उसे भीतरसे स्वच्छ और व्यवस्थित रखनेमें है।

मैंने करोड़ों किसानोंको उनकीं स्वाभाविक हालतमें देखा है और छोटे-से सेगावमें रोज देखता हूँ, तो स्त्री और पुरुषके काम, कुदरती बटवारे-की तरफ मेरा ध्यान जोरके साथ गया है। स्त्रिया लुहार और बढ़ई नहीं है, मगर खेतोंमें स्त्री-पुरुष दोनों काम करते हैं। अलवत्ता, भारी काम पुरुष ही करते हैं। स्त्रिया घरोंकी देख-रेख और व्यवस्था रखती है। वे कुटुम्बके थोड़ेसे साधनोंमें कुछ वृद्धि जरूर करती हैं, मगर मुख्य कमाई पुरुष ही करता है।

कामके बटवारेकी बात मान लेनेके बाद, साधारण गुणों और संस्कृतिकी जरूरत करीब-करीब दोनोंके लिए एक-सी ही है।

व्यक्तिका सम्बन्ध ही या राष्ट्रका, स्त्री-पुरुषकी महान् समस्याको सुलझानेमें मैंने यह सहायता दी है कि जीवनके हर पहलूमें सत्य और अर्हसा-को स्वीकृतिके लिए पेश कर दिया। मैंने यह आशा बाध रखीं है कि इस काममें निर्विवाद रूपसे स्त्री ही अगुआ बनेगी और मानवीय विकासमें इस तरह अपना योग्य स्थान पाकर वह अपनेको नीचा समझनेकी वृत्ति छोड़ देगी। ऐसा करनेमें वह सफल हो सकी तो वह दृढ़तापूर्वक इस नई शिक्षाको माननेसे इन्कार कर देगी कि सब वातोंका फैसला और व्यवहार काम-वासनासे ही होता है। मुझे डर है कि मैंने कहीं यह बात जरा भद्दे ढगसे तो नहीं कह दी। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि मेरा अर्थ स्पष्ट है। मुझे मालूम नहीं कि जो लाखों पुरुष युद्धमें क्रियात्मक भाग ले रहे हैं उनके मनपर कामदेवका हीं भूत सवार है। न अपने खेतोंमें साथ-साथ काम करनेवाले

किसानोंको उसकी चिन्ता या भारही सता रहा है। मेरे कहनेका यह मतलब नहीं है कि जो कामवासना प्रकृतिने ही पुरुष और स्त्री दोनोंमें भर दी है उससे ये लोग मुक्त हैं। मगर इतना तो विलकुल निश्चित है कि उनके जीवनमें इस चीज़की उतनी प्रधानता नहीं है जितनी कि उन लोगोंके जीवनमें दिखाई देती है, जो आजकलके स्त्री-पुरुष-सम्बन्धी साहित्यमें डूबे हुए हैं। जब स्त्रीको या पुरुषको जीवनकी कठोर और भयकर सचाईका मुकाबला करना पड़ता है तो किसीको इन वातोंके लिए फुर्सत ही नहीं मिलती।

—मैंने इस अखबारमें राय दी है कि स्त्री अहिंसाकी मूर्त्ति है। अहिंसाका अर्थ है अनत प्रेम और उसका अर्थ है कष्ट सहनेकी अनत शक्ति। पुरुषकी माता, स्त्रीसे बढ़कर इस शक्तिका परिचय अधिक-से-अधिक मात्रामें और किससे मिलता है? नौ महीनेतक बच्चेको पेटमें रखकर, उसे अपना रक्त पिलाकर और इसमें जो कष्ट होता है उसीमें आनन्द मानकर वही तो यह परिचय देती है। प्रसूतिकी वेदनासे बढ़कर और कौन-सी पीड़ा हो सकती है? मगर वह सतानकी खुशीमें इसे भूल जाती है और फिर रोज-ब-रोज बच्चेको बड़ा करनेमें जो तकलीफे होती है, वह कौन बर्दाशत करता है? वह अपना यह प्रेम सारे मानव-समाजको दे डाले और भूल जाय कि वह कभी पुरुषके भोगविलासकी चीज़ भी हो सकती है, फिर देखे कि उसे पुरुषके बराबर, उसकी माता, जननी और मूक-पथप्रदर्शक बनकर खड़े होनेका गौरवपूर्ण दर्जा मिलता है या नहीं? युद्धमें फँसी हुई दुनिया आज शातिका अमृतपान करनेके लिए तड़प रही है। यह शाति-कला सिखानेका काम भगवानने स्त्रीको ही दिया है। वह सत्याग्रहमें अगुआ बन सकती है, क्योंकि उसके लिए पुस्तकोंसे मिलनेवाले ज्ञानकी जहरत नहीं होती। उसके लिए तो तगड़ा दिल चाहिए, जो कष्ट-सहन और श्रद्धासे बनता है।

सासून-अस्पतालमें मेरी मेहरबान दाईने बरसो पहले, जब मैं वहां चीमार पड़ा था, तब एक स्त्रीका किस्सा सुनाया था। उस स्त्रीको एक दुखदायी चीरा लगवाना था, मगर उसने वेहोशीकी दवा सूधनेसे इसलिए इन्कार कर दिया कि उसके पेटमें जो बच्चा था, उसकी जानकीं जोखिम न हो। उसके लिए वेहोशीकी दवा अपने बच्चेका प्रेम ही था। उसको

बचानेकी खातिर वह बड़े-बड़ा कष्ट सहनेको तैयार थी । स्त्रियोंमें ऐसी वीरागनाएं बहुत हो सकती हैं, इसलिए उन्हे कभी अपने स्त्रीत्वको नीचा नहीं समझना चाहिए और न पुरुष न होनेपर दुःख मानना चाहिए । अक्सर जब उस वीरागनाका ख्याल आता है तो मुझे स्त्रीके दर्जे पर ईर्ष्या होती है । क्या अच्छा हो कि वह भी इसे पहचाने । स्त्रीको पुरुष-जन्म पानेकी जितनी लालसा हो सकती है उतनी पुरुषको स्त्री-जन्म पानेकी हो सकती है ! मगर यह इच्छा व्यर्थ है । हमें तो भगवानने जिस योनिमें जन्म दिया है और प्रकृतिने हमारा जो धर्म निश्चित कर दिया है उसीमें सुखी रहना चाहिए ।

सेगाव,

१२-२-४०

१२

## पुरुष और स्त्रियाँ

प्रश्न—मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप पुरुष और स्त्री सत्याग्रहियोंका स्वच्छंदता-पूर्वक मिलना-जुलना और उनका एकसाथ काम करना पसन्द करेंगे, अथवा अलग इकाइयोंके रूपमें उनका सगठन करना और हरेकके कार्य-क्षेत्रकी स्पष्ट सीमा निर्धारित कर देना ज्यादा अच्छा होगा ? मेरा अनुभव तो यह है कि पहले ढंगसे निश्चित रूपसे पर्याप्त परिणाममें अनुशासनहीनता तथा भ्रष्टता पैदा होगी, और ऐसा हुआ भी है। अगर आप मुझसे सहमत हैं तो इस संभवनीय बुराईका मुकाबला करनेके लिए आप कौन-से नियम सुझाएंगे ?

उत्तर—मैं तो अलग इकाइया रखना ही पसन्द करूँगा। औरतोंके पास औरतोंके बीच करनेके लिए काफीसे ज्यादा काम है। हमारा स्त्री-वर्ग बुरी तरह उपेक्षित है और उनके बीच काम करनेके लिए विशुद्ध सच्चाईवाली सैकड़ों बुद्धिमतीं स्त्री कार्य-कर्तृयोंकी ज़रूरत है। सिद्धातकी दृष्टिसे भी मैं स्त्री-पुरुष दोनोंके अलग-अलग अपना काम करनमें विश्वास रखता हूँ। लेकिन इसके लिए कोई कठोर नियम नहीं बना सकता। दोनोंके बीचके सम्बन्धपर विवेकका नियन्त्रण होना चाहिए। दोनोंके बीच कोई अन्तराय न होना चाहिए। उनका परस्परका व्यवहार प्राकृतिक और स्वेच्छापूर्ण होना चाहिए।

‘हरिजन सेवक’,

१-६-४०

## एक विधवाकी कठिनाई

प्रश्न—मैं एक बंगाली ब्राह्मण विधवा हूँ। अपने रंडापेके दिनसे—इन २४ सालोंमें—अपने भोजनके बारेमें कठोर नियमोंका पालन करनेका मुझे अभ्यास है। अपने ही कुटुम्बके बीच भी मुझ विधवाका अपना अलग चौका है और बर्तन भी मेरे अलग हैं। मैं आपके सत्य और अहिंसाके आदर्शमें विश्वास रखती हूँ। १९३० से मैं आदतन खादी पहनती हूँ और नियमित रूपसे कातती हूँ। ढाकाके एक हरिजन गांवमें हमारे महिला-समाजने एक हरिजन स्कूल खोल रखा है। मैं वहाँ जाती और हरिजनोंमें शरीक होती हूँ; मैं अपनी मुसलमान बहनोंसे भी खुले तौरपर मिलती-जुलती हूँ, जिनके लिए मेरे हृदयमें शुभेच्छा है। लेकिन मैं हरिजनोंया दूसरे अ-ब्राह्मण जातियोंके साथ खानपी नहीं सकती।

क्या मेरी जैसी कदूर विधवाएं सत्याग्रहियो, निष्क्रिय या सक्रिय, में नहीं भरती हो सकतीं?

उत्तर—कांग्रेस-विधानकी दृष्टिसे भरती होनेका तुम्हे पूरा अधिकार है। तुम अपने अधिकारपर अमल भी कर सकती हो। किन्तु जब तुम मुझसे पूछती हो तो मैं तुम्हे भरती होनेसे विरत करूँगा। मैं जानता हूँ कि बंगाली विधवाएं कितनी वारीकीसे उन नियमोंका पालन करती हैं जिन्हे कि प्रथाने उनके लिए नियत कर रखा है। लेकिन जिन विधवाओंने अपनेको देशके कामके लिए समर्पित कर दिया है और वह भी अहिंसात्मक रीतिसे, उन्हे किसीके साथ खाने-पीनेमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। मैं इस बातमें विश्वास नहीं करता कि लोगोंके साथ खानेसे, फिर चाहे वह कोई भी क्यों न हो, आध्यात्मिक उन्नतिमें कोई बाधा पड़ती है। प्रधान चीज तो मनोभाव है। अगर कोई विधवा प्रत्येक कामको सेवाकी भावना-

से करती है, तो उसका भला ही होगा। कोई विधवा खान-पान तथा अन्य नियमोंका बड़ी सावधानीसे पालन करती है, फिर भी यदि वह पवित्र हृदयकी नहीं है, तो वह सच्ची विधवा नहीं है। इसे तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ कि किसी समाजका नियन्त्रण करनेके लिए जो नियम होते हैं, उनका दिखाऊ तौरपर पालन करके कितने ही पाखण्डी अपनेको छिपा लेते हैं। इसलिए मैं तुम्हे सलाह दूँगा कि अन्तर्जातीय भोज तथा ऐसी ही बातोपर जो बाधाए हैं, उन्हे आध्यात्मिक तथा राष्ट्रीय प्रगतिमे बाधक समझकर उनकी परवा मत करो और हृदयके सस्कारपर ही ध्यान लगाओ। सत्याग्रह-दलमे मैं आत्मतुष्ट आदमियोंको नहीं बल्कि उनको लेना पसन्द करूँगा, जिन्होंने अपने विवेकसे काम लिया है और जीवनका एक ऐसा मार्ग चुन लिया है जो उनके मस्तिष्क और हृदय दोनोंको श्रेयस्कर प्रतीत हुआ है।

‘हरिजन सेवक’,

१५-६-४०

## गृहस्थ आश्रम

एक बहनने, जो अच्छी कार्यकर्तृ है और जो अधिक अच्छी तरहसे देश-सेवा करनेके उद्देश्यसे अविवाहित रहना चाहती थी, अब अपनी पसंद-का साथी पाकर हाल हीमे विवाह कर लिया है। लेकिन उनका विचार है कि ऐसा करके उन्होने गलती की और जो ऊचा आदर्श अपने सामने रखा था उससे गिर गई। मैंने उनका यह भ्रम दूर करनेकी कोशिश की है। इसमे सदेह नहीं कि सेवाके लिए बालिकाओंका अविवाहित रहना अच्छी बात है। लेकिन लाखोंमे से एकाध ही ऐसा कर सकती है। जीवनमे विवाह एक स्वाभाविक चीज है और इसे किसी तरहकी गिरावट समझना भारी भूल है। जब आदमी किसी कामको पतन समझता है तो वह कितना ही प्रयास क्यों न करे, उससे ऊपर उठना अति कठिन हो जाता है। आदर्श यह है कि विवाहको पवित्र माना जाय और विवाहित अवस्थामे आत्म-स्थानसे जीवन बिताया जाय। हिन्दू धर्ममे चार आश्रमोंमेंसे एक आश्रम गृहस्थ है। वस्तुतः, अन्य तीन, इसपर आधारित हैं। परन्तु दुर्भाग्यसे आजकल विवाह भाव शारीरिक गठजोड़ माना जाता है। अन्य तीन आश्रम तो नामशेष हो गए हैं।

उपरोक्त बहन और अन्य बहनोंका, जो उन्हींकी तरह सोचती है, कर्तव्य है कि वे विवाहको घृणित न मानें, बल्कि उसे उसका उचित स्थान दे और उसकी पवित्रताको बनाये रखें। अगर वे आवश्यक आत्मस्थानसे काम लेगी तो वे अपने भीतर सेवा-शक्ति वढ़ती हुई पाएंगी। जो सेवा करना चाहती है, वे स्वभावत् अपने लिए वैसे ही विचारोंका जीवन-साथी चुनेंगी और उन दोनोंकी मिली-जुली सेवाओंसे देशको अधिक लाभ होगा।

यह दुखके साथ कहना पड़ता है कि साधारणत आजकल लड़कियोंको मातृत्वके कर्तव्य नहीं सिखाये जाते । लेकिन अगर विवाहित जीवन धर्मविधि है तो मातृत्व भी वैसा ही समझा जाना चाहिए । आदर्श मा बनना आसान चीज़ नहीं है । सन्तान-उत्पत्तिका कार्य पूरी जिम्मेदारीसे सभालनेकी ज़रूरत है । माताको यह पूरा ज्ञान होना चाहिए कि वच्चेके गर्भमे आनेसे लेकर उसके जन्मतक उसका क्या कर्तव्य है । और वह मा, जो देशको प्रतिभावान, स्वस्थ और सुस्थित वच्चे देती है, निश्चय ही देशकी सेवा करती है । वे वच्चे बड़े होकर सेवामे तत्पर रहेगे ।

सच तो यह है कि जिनकी आत्माए सेवाभावसे ओतप्रोत है, वे किसी भी दशामे क्यों न हो, सदा सेवा करते रहेगे । ऐसा जीवन वे कभी न अप-नाएंगे जो सेवामे रुकावटका कारण बने ।

सेगाव,  
३-३-४२

## भरोसेकी सहायता

आत्म-संयमके लिए एक भाईने तीन तरीके बताये हैं, जिनमे दो बाहरी और एक अन्दरूनी हैं। ‘अन्दरूनी’ मददके बारेमे वे यो लिखते हैं :

“तीसरी चीज़ जो आत्म-संयममे मदद करती है, ‘रामनाम’ है। इसमे कामवासनाको ईश्वर-दर्शनकी पवित्र इच्छामे बदल देनेकी बहुत बड़ी शक्ति है। वास्तवमे अनुभवसे मुझे लगता है कि करीब-करीब सभी मनुष्योमे जो कामवासना पाई जाती है, वह एक तरहकी ‘कुण्डलिनी शक्ति’ है, जो अपने-आप बढ़ती और विकसित होती रहती है। जिस तरह सृष्टिके शुरूसे ही इन्सान कुदरतके खिलाफ लड़ता आया है, उसी तरह अपनी ‘कुण्डलिनी’की इस स्वाभाविक गतिके खिलाफ भी उसे लड़ना चाहिए, और उसे नीचेकी तरफ न जाने देकर ऊपरकी ओर ले जाना चाहिए—ऊर्ध्वरेता बनना चाहिए। जहा एक बार ‘कुण्डलिनी’ का ऊपर चलना शुरू हुआ कि वह मस्तिष्ककी तरफ चलने लगती है और आदमी धीरे-धीरे ऊर्ध्वरेता बनकर स्वयं अपने-आपमे और अपने चारों तरफ दिखाई देनेवाले दूसरे आदमियोमे एक ही ईश्वरको देखने लगता है।” इसमे कोई शक नहीं कि ‘रामनाम’ सबसे ज्यादा भरोसेकी सहायता है। अगर दिलसे उसका जप किया जाय तो वह हरएक बुरे ख्यालको फौरन दूर कर सकता है, और जब बुरा ख्याल मिट गया तो उसका बुरा असर होना सभव नहीं। अगर मन कमज़ोर है तो वाहरकी सब सहायता बेकार है, और मन पवित्र है, तो वह सब अनावश्यक है। इसका यह मतलब कदापि नहीं समझना चाहिए कि एक पवित्र मनवाला आदमी सब तरहकी छूट लेते हुए भी बेदाग बचा रह सकता है। ऐसा आदमी खुद ही अपने साथ कोई छूट न लेगा। उसका सारा जीवन उसकी अन्दरूनी पवित्रताका

सच्चा सबूत होगा । गीतामें ठीक ही कहा है कि आदमीका मन ही उसे बनाता है और वही उसे विगड़ता भी है । मिल्टन जव यह कहता है कि 'इन्सानका मन ही सबकुछ है; वही स्वर्गको नरक और नरकको स्वर्ग बना देता है,' तो वह भी इसी विचारकी व्याख्या करता है ।

शिमला,

२-५-४६

## ब्याह और ब्रह्मचर्य

सूरतके पाटीदार आश्रमसे जिन भाईने श्री नरहरि परीखको 'हरिजनों और सर्वणोंके ब्याह' के बारेमे सवाल पूछा है, उन्हीने यह दूसरा सवाल भी उठाया है :

"शादी करना, और जबतक स्वराज न मिले, ब्रह्मचर्यका पालन करना, ये दोनों चीजें एक साथ बैठती नहीं हैं। अगर ब्रह्मचर्य ही रखना हो तो शादी करनेकी क्या ज़रूरत ? और अगर शादी करना हो, तो ब्रह्मचर्यको बीचमे क्यों लाया जाय ? इन्सान सभ्य प्राणी है। ब्याह-जैसा पवित्र रिवाज दाखल करके उसने समाजमे व्यवस्था और इन्साफ कायम करनेकी कोशिश की है। अगर शादीका रिवाज न होता, तो जातीय सवालपर घर, बाजार और गांवमे तरह-तरहके झगड़े खड़े होते रहते। शादी करनेके बाद कामवृत्तिकी बागडोर खुली छोड़ देनेको तो कोई नहीं कहता। उसमे सयमके लिए जगह है। और संयमसे ही गृहस्थाश्रमकी खूबसूरती बढ़ती है। शादीका पहला हेतु तो साथ रहकर एक-दूसरेको आगे बढ़ाना है। यह मानना ही पड़ेगा कि इसमे कामवृत्तिको मर्यादामे रखकर उसकी प्यास बुझाना मुख्य उद्देश्य रहा है। स्वराज न मिलनेतक नये ब्याहे जोड़ेसे ब्रह्मचर्य-पालनेकी प्रतिज्ञा कराना उनकी जिन्दगीमे झूठ और दिखावा दाखल करना है। इससे उनमे विकृति भी पैदा हो सकती है। जो मर्द-औरत अनोखे दरजेके होंगे, वे तो शादीके बन्धनमे पड़ेगे ही नहीं। शादी करनेवाले तो आम लोग ही होंगे। . . . अच्छा हुआ कि पतिने बादमे बापूजीको कह दिया कि वह पत्नीके माता बननेके हक्को छीन नहीं सकते। इससे बापूजीकी एक तरहसे इज्जत बच गई। नहीं तो इस तरह ब्रह्मचर्यकी बातसे झूठ और दिखावे या ढोगको मदद मिलनेके सिवा दूसरा नतीजा शायद ही निकलता।

“स्वराज मिलनेतक ब्रह्मचर्य पालनेकी प्रतिज्ञाका धर्म या भेद वापू समझावे, यह जरूरी है। मुझे तो यह एक हँसीकी वात लगती है।”

इस सवालमें यह मान लिया गया है कि व्याह करनेमें पहली चीज़ विषय-भोग है। यह दुखकी वात है। सचमुच तो व्याहका मतलब औरत और मर्दकी गाढ़ी-से-गाढ़ी मित्रता होना चाहिए, और है। उसमें विषय-भोगको तो जगह ही नहीं। जिस शादीमें विषय-भोगको जगह है, वह सच्ची शादी ही नहीं, सच्ची मित्रता ही नहीं। ऐसी शादिया मैंने देखी है, जहा शादीका हेतु सिर्फ एक-दूसरेका साथ और सेवा ही रहा है। यह सच है कि ऐसी शादिया मैंने इर्लैण्डमें ही देखी है। मेरी अपनी मिसाल यहा बेमौका न गिनी जाय, तो मैं कहूँगा कि भरी जवानीमें विषय-भोगको छोड़नेके बाद ही हम जिन्दगीका सच्चा रस लूट सके। तभी हमारी जोड़ी सचमुच खिली और हम साथ मिलकर हिन्दुस्तानकी और इन्सानकी सच्ची सेवा कर सके। यह वात मैं ‘मेरे सत्यके प्रयोगो’में लिख चुका हूँ। हमारा ब्रह्मचर्य अच्छी-से-अच्छी सेवा-भावनाओंसे पैदा हुआ था।

हजारो व्याह तो आम तौरपर जैसे हुआ करते हैं, हुआ करेंगे। उनमें विषय-भोग पहली चीज़ रहेगी। अनगिनत लोग स्वादकी खातिर खाते हैं। इससे स्वाद इन्सानका धर्म नहीं बन जाता। थोड़े ही लोग ऐसे हैं कि जो जिन्दा रहनेके लिए खाते हैं। वे ही खानेका धर्म जानते हैं। इसी तरह थोड़े ही लोग औरत और मर्दके पवित्र रिश्तेका स्वाद लेनेके लिए, ईश्वरको पहचाननेके लिए शादी करते हैं। सच्ची शादीका धर्म तो वही पहचानते हैं और पालते हैं।

मालूम होता है कि तेन्दुलकर और इन्दुमतीके व्याहके बारेमें पूरी वाते सवाल पूछनेवाले भाई नहीं जानते। उनके व्याहकी प्रतिज्ञामें दोनों-की इच्छाकी वात थी। प्रतिज्ञा हिन्दुस्तानीमें लिखी गई थी। अखबार-वालोंने अपना ही अग्रेजी तरजुमा छापा। इतनी वात पक्की है कि दोनों-की ब्रह्मचर्य पालनेकी इच्छा थी। वह शादी विषय-भोगकी खातिर नहीं थी। दोनों एक-दूसरेको बरसोंसे पहचानते थे। इन्दुमतीको घरके लोगोंकी इजाजत कड़ी कसौटीके बाद मिली थी। बादमें तेन्दुलकरकी कँद उनके

रास्ते में आई। दोनों के बड़ों की स्वाहिश थीं कि शादी आश्रम में हो तो अच्छा। इन्दुमती को आश्रम में आसरा मिला था। वहाँ उसे तसल्ली मिली थी। मैंने माना था कि दोनों में खूब सेवाभाव है। मैं समझता हूँ कि अभी भी ऐसा ही है। मैंने उनके लिए ब्रह्मचर्य स्वाभाविक चीज़ मानी थी।

यह सब होते हुए भी ब्रह्मचर्य में ढोगको जगह हो सकती है। इसमें कङ्गसूर ब्रह्मचर्य का नहीं, ढोगका है। एक अग्रेज़ कवि ने कहा है कि ढोंग अच्छे गुणों की तारीफ है। जहाँ सच्चे सिक्केकी कीमत है, वहाँ झूठा सिक्का सच्चे सिक्केकी छाया में रहेगा ही। जहाँ अच्छे गुणों की कदर है वहाँ अच्छे गुणों का दिखावा भी रहेगा। दिखावे के डर से अच्छे गुणों को छोड़ना, यह कैसी दुख और हैरानी की बात है।

पुना जाते हुए, रेलमें,

३०-६-४६

## बहनोंकी दुविधा

सवाल—जब बदमाश लोग किसी औरतपर हमला कर तो उसे क्या करना चाहिए ? वह भाग जाय या हिंसासे उनका सामना करे ? यानी वह भाग जानेके लिए डोंगिया तैयार रखे या हथियारोंसे अपना बचाव करनेको तैयार रहे ?

जवाब—इस सवालका मेरा जवाब बहुत सीधा-सादा है, क्योंकि मेरे ख्यालमे हिंसाकी कोई तैयारी नहीं हो सकती। अगर ऊची-ऊची किसकी हिम्मत बढ़ानी हो तो हमे अहिंसाके लिए ही सारी तैयारी करनी चाहिए। कायरताकी अपेक्षा हिंसाको हमेशा तरजीह देनेकी निगाहसे ही हिंसा बरदाश्त की जा सकती है। इसलिए मैं खतरेके समय भाग निकलनेके लिए डोंगिया तैयार न रखूँगा। अहिंसक आदमीके लिए खतरेका कोई समय होता ही नहीं। उसे तो मौतकी खामोश और शानदार तैयारी करनी होती है। इसीलिए कहीसे कोई मदद न मिलनेपर भी अहिंसक औरत या मर्द हँसते-हँसते मौतका सामना करेगा, क्योंकि सच्ची मदद तो भगवानसे ही मिलती है। मैं इसके सिवा दूसरी कोई बात सिखा नहीं सकता और जो मैं सिखाता हूँ उसीपर अमल करनेके लिए यहा आया हूँ। मैं नहीं जानता कि ऐसा कोई अवसर मुझे कभी मिलेगा या दिया, जायगा। जो औरते गुड़ोके हमला करनेपर बिना हथियारके उनका सामना नहीं कर सकती उन्हे हथियार रखनेकी सलाह देनेकी ज़रूरत नहीं। वे तो वैसा करेगी ही। हथियार रखने या न रखनेकी इस हमेशाकी पूछताछमे ज़रूर ही कोई-न-कोई दोष है। लोगोंको स्वाभाविक रूपसे आजाद रहना सीखना होगा। अगर वे मेरी इस खास नसीहतको याद रखते कि अहिंसासे ही सच्चा और कारगर मुकाबला किया जा सकता है तो वे इसीके अनुसार अपना व्यवहार बना लेंगे। और बिना सोचे-समझे ही क्यों न हो, मगर दुनिया यहीं तो करती रही है, क्योंकि दुनियाकी

हिम्मत ऊचे-ऊचे नमूनेकी, यानी अहिंसासे पैदा हुई हिम्मत नहीं है, इसलिए वह अपनेको अटम बमसे लैस रखनेकी हृदयक पहुंची है। जो लोग उसमे हिंसाकी व्यर्थताको नहीं देख पाते, वे कुदरती तौरपर अपनेको अच्छे-से-अच्छे हथियारोंसे लैस रखे बिना न रहेगे।

जबसे मैं दक्षिणी अफ्रीकासे लौटा हूँ तभीसे हिन्दुस्तानमे अहिंसाकी सोची-समझी शिक्षा बराबर दी जाती रही है और उसका जो नतीजा निकला है, सो हम देख चुके हैं।

**सवाल**—क्या किसी औरतको गुंडोंके सामने भुक्तनेके बजाय आत्महत्या करनेकी सलाह दी जा सकती है?

**जवाब**—इस सवालका ठीक-ठीक जवाब देनेकी ज़रूरत है। नोआ-खलीके लिए रवाना होनेके पहले मैंने दिल्लीमे इसका जवाब दिया था। कोई औरत आत्म-समर्पण करनेके बजाय निज्बय ही आत्महत्या करना ज्यादा पसद करेगी। दूसरे शब्दोमे, जिन्दगीकी मेरी योजनामे आत्म-समर्पणकी कोई जगह नहीं। लेकिन मुझसे यह पूछा गया था कि आत्महत्या या खुदकुशी कैसे की जाय? मैंने तुरंत जवाब दिया कि आत्महत्याके साधन सुझाना मेरा काम नहीं। और, ऐसी हालतोमे आत्महत्याकी स्वीकृति देनेके पीछे यह विश्वास था, और है कि जो आत्महत्या करनेके लिए भी तैयार है, उनमे ऐसे मानसिक विरोध और आत्माकी ऐसी पवित्रताके लिए वह ज़रूरी ताकत मौजूद है, जिसके सामने हमला करनेवाला अपने हथियार डाल देता है। मैं इस दलीलको आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि उसे आगे बढ़ानेकी गुजाइश नहीं है। मैं कबूल करता हूँ कि इसके लिए जिस पक्के सबूतकी ज़रूरत है, वह मिल नहीं रहा।

**सवाल**—अगर अपनी जान देने और हमला करनेवालेकी जान लेनेमें से किसी एकको चुननेका सवाल हो, तो आप क्या सलाह देंगे?

**जवाब**—जब अपनी जान देने या हमला करनेवालेकी जान लेनेमेंसे किसी एकको पसन्द करनेका सवाल हो तो बेशक, मैं पहली चीज़को पसंद करूँगा।

पालला,

१८

## मैंने कैसे शुरू किया ?

‘हरिजन’ के लिए जीवनके शाश्वत भागोपर चर्चा करना ठीक लगता है। उनमे एक ब्रह्मचर्य है। दुनिया मामूली चीजोंकी तरफ दौड़ती है। शाश्वत चीजोंके लिए उसके पास समय ही नहीं रहता। तो भी हम विचार करे तो देखेंगे कि दुनिया शाश्वत चीजोंपर ही निभती है।

ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं? जो हमें ब्रह्मकी तरफ ले जाय, वह ब्रह्मचर्य है। इसमे जननेन्द्रियका सयम आ जाता है। वह संयम मन, वाणी और कर्मसे होना चाहिए। अगर कोई मनसे भोग करे और वाणी व स्थूल कर्मपर कावू रखे तो यह ब्रह्मचर्यमे नहीं चलेगा। ‘मन चगा तो कठौतीमे गगा’। मनपर पूरा कावू हो जाय, तो वाणी और कर्मका सयम बहुत आसान हो जाता है। मेरी कल्पनाका ब्रह्मचारी स्वाभाविक रूपसे स्वस्थ होगा, उसका सिरतक नहीं ढुखेगा, वह स्वभावतः दीर्घजीवी होगा, उसकी बुद्धि तेज होगी, वह आलसी नहीं होगा, शारीरिक या बौद्धिक काम करनेसे थकेगा नहीं और उसकी बाहरी सुघड़ता सिर्फ दिखावा न होकर भीतरका प्रतिविम्ब होगी। ऐसे ब्रह्मचारीमे स्थितप्रज्ञके सब लक्षण देखनेमे आवेगे।

ऐसा ब्रह्मचारी हमे कही दिखाई न पड़े तो उसमे घबरानेकी कोई बात नहीं।

जो स्थिरवीर्य है, जो ऊर्ध्वरेता है, उनमे ऊपरके लक्षण देखनेमे आवे तो कौन बड़ी बात है? मनुष्यके इस वीर्यमे अपने जैसा जीव पैदा करनेकी ताकत है, उस वीर्यको ऊचे ले जाना ऐसी-वैसी बात नहीं हो सकती। जिस वीर्यके एक बूदमे इतनी ताकत है, उसके हजारों बूदोंकी ताकतका माप कौन लगा सकता है?

यहाँ एक ज़रूरी बातपर विचार कर लेना चाहिए। पातंजलि भगवानके पाच महाव्रतोमेसे किसी एकको लेकर उसकी साधना नहीं की जा सकती। यह हो सकता है कि सिर्फ सत्यके बारेमें ही, क्योंकि दूसरे चार तो सत्यमें छिपे हुए हैं, और इस युगके लिए तो पाचकी नहीं, ग्यारह व्रतोंकी ज़रूरत है। विनोदाने उन्हे मराठीमें सूत्ररूपमें रख दिया है :

अहिंसा सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह,  
शरीरश्रम, अस्वाद, सर्वत्र भयवर्जन।  
सर्वधर्मी, समानत्व, स्वदेशी, स्पर्शभावना,  
ही एकादश सेवावी नम्रत्व व्रतनिश्चये।

ये सब व्रत सत्यके पालनमेसे निकाले जा सकते हैं। मगर जीवन इतना सरल नहीं। एक सिद्धातमेसे अनेक उपसिद्धात निकाले जा सकते हैं। तो भी एक सबसे बड़े सिद्धान्तको समझनेके लिए अनेक उप-सिद्धान्त जानने पड़ते हैं।

यह भी समझना चाहिए कि सब व्रत समान हैं। एक टूटा कि सब टूटे। हमे आदत पड़ गई है कि सत्य और अहिंसा व्रत-भगको हम माफ़ कर सकते हैं। इन व्रतोंको तोड़नेवालेकी तरफ हम अगुली नहीं उठाते। अस्तेय और अपरिग्रह क्या हैं, सो तो हम समझते हीं नहीं। मगर माना हुआ ब्रह्मचर्यका व्रत टूटा तो तोड़नेवालेका बुरा हाल होता है। जिस समाजमें ऐसा होता है, उसमें कोई वडा दोष होना चाहिए। ब्रह्मचर्यका सकुचित अर्थ लेनेसे वह निस्तेज बनता है, उसका कुछ पालन नहीं होता, सच्ची कीमत नहीं आकी जाती और दम्भ बढ़ता है। कम-से-कम इस व्रतका पूरा स्थूल पालन भी अशक्य नहीं तो वहुत कठिन होता ही है। इसलिए सब व्रतोंको एकसाथ लेना चाहिए। ऐसा हो तभीं ब्रह्मचर्यकी व्याख्या सिद्ध की जा सकती है। आजकी भाषामें वही सच्चा ब्रह्मचारी है, जो एकादश व्रतका पालन मनसे, वाणीसे और कर्मसे करता है।

: १६ :

## ब्रह्मचर्यकी रक्षा

मैंने पिछले हफ्ते जिस ब्रह्मचर्यकी चर्चा की थी, उसके लिए कैसी रक्षा होनी चाहिए ? जवाब तो सीधा है। जिसे रक्षाकी जरूरत हो, वह ब्रह्मचर्य ही नहीं। मगर यह कहना आसान है। उसे समझना और उसपर अमल करना बहुत मुश्किल है।

इतना तो साफ है कि यह बात पूर्ण ब्रह्मचारीके लिए ही सच्ची है। लेकिन जो ब्रह्मचारी बननेकी कोशिश कर रहा है उसके लिए तो अनेक बन्धनोंकी ज़रूरत है। आमके छोटे पेड़को सुरक्षित रखनेके लिए उसके चारों तरफ बाड़ लगानी पड़ती है। छोटा बच्चा पहले माकी गोदमें सोता है, फिर पालनेमें और फिर चालन-गाड़ी लेकर चलता है। जब बड़ा होकर खुद चलने-फिरने लगता है तब सब सहारा छोड़ देता है। न छोड़े तो उसे नुकसान होता है। ब्रह्मचर्यपर भी यहीं चीज लागू होती है।

ब्रह्मचर्य एकादश व्रतोंमें से एक व्रत है। यह पिछले हफ्ते मैं कह चुका हूँ। इसपरसे यह कहा जा सकता है कि ब्रह्मचर्यकी मर्यादा या बाड़ एकादश व्रतोंका पालन है। मगर एकादश व्रतोंको कोई बाड़ न माने। बाड़ तो किसी खास हालतके लिए ही होती है। हालत बदली और बाड़ भी गई। मगर एकादशव्रतका पालन तो ब्रह्मचर्यका जरूरी हिस्सा है। उसके बिना ब्रह्मचर्य-पालन नहीं हो सकता।

आखिरमें ब्रह्मचर्य मनकी स्थिति है। बाहरी आचार या व्यवहार उसकी पहचान, उसकी निशानी है। जिस पुरुषके मनमें जरा भी विषय-वासना नहीं रही वह कभी विकारके बश नहीं होगा। वह किसी औरतको चाहे जिस हालतमें देखे, चाहे जिस रूप-रगमें देखे, तो भी उसके मनमें विकार पैदा नहीं होगा। यहीं स्त्रीके बारेमें भी समझना चाहिए।

भार जिसके मनमें विकार उठा ही करते हैं उसे तो सगी बहन या बेटी-को भी नहीं देखना चाहिए। मैंने अपने कुल मित्रोंको यह नियम पालनेकी सलाह दी थी। और जिन्होंने इसका पालन किया है उन्हे फायदा हुआ है। अपने बारेमें मेरा यह तजरुवा है कि जिन चीजोंको देखकर दक्षिणी अफ्रीकामें मेरे मनमें कभी विकार पैदा नहीं हुआ था, उन्हींसे दक्षिण अफ्रीकासे वापस आनेपर मेरे मनमें विकार पैदा हुआ। और, उसे शान्त करनेमें मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी।

यह बात सिर्फ जननेन्द्रियके बारेमें ही सच थी, ऐसा नहीं। इन्सानको शोभा न देनेवाले डरके बारेमें भी यहीं सच पड़ी और मैं शरमिन्दा हुआ। बचपनमें मैं स्वभावसे डरपोक था। दीयेके बिना मैं आरामसे सो नहीं सकता था। कमरेमें अकेले सोना अपनी बहादुरीकी निशानी समझता था। मुझे पता नहीं कि आज अगर मैं रास्ता भूल जाऊँ और काली रातमें घने जगलमें भटकता होऊँ तो मेरी क्या हालत हो ? मेरा राम मेरे पास है, यह ख्याल भी उस वक्त भूल जाऊँ तो ? अगर बचपनका डर मेरे मनमें से बिलकुल निकल न गया हो तो मैं मानता हूँ कि निर्जन जंगलमें निडर रहना जननेन्द्रियके सयमसे भी ज्यादा मुश्किल है। जिसकी यह हालत है, वह मेरी व्याख्याका ब्रह्मचारी तो नहीं ही गिना जायगा।

ब्रह्मचर्यकी जो मर्यादा हम लोगोंमें मानी जाती है उसके मुताविक ब्रह्मचारीको स्त्रियों, पशुओं और नपुंसकोंके बीच नहीं रहना चाहिए। ब्रह्मचारी अकेली स्त्री या स्त्रियोंकी टोलीको उपदेश न करे। स्त्रियोंके साथ, एक आसनपर न बैठे। स्त्रियोंके शरीरका कोई हिस्सा न देखे। दूध, दही, धीं वगैरा चिकनी चीजें न खाये। स्नान-लेपन न करे। यह सब मैंने दक्षिणी अफ्रीकामें पढ़ा था। वहा जननेन्द्रियका सयम करनेवाले पश्चिम-के स्त्री-पुरुषोंके बीचमें रहता था। मैं उन्हे इन सब मर्यादाओंको तोड़ते देखता था। खुद भी उनका पालन नहीं करता था। यहा आकार भी न कर सका। दूध, दही वगैरा मैं हठपूर्वक छोड़ता था। उसका कारण दूसरा था। इसमें मैं हारा। अभी भी अगर मुझे कोई ऐसी वनस्पति मिल जाय जो दूध-धीकी जरूरत पूरी कर सकेतो मैं फौरन दूध वगैरा प्राणिज चीजे

छोड़ दू और मेरी खुशीका पार न रहे । मगर यह तो दूसरी बात हुई ।

ब्रह्मचारी कभी निर्विर्य नहीं होता । वह रोज़ वीर्य पैदा करता है और उसे इकट्ठा करके रोज-रोज बढ़ाता जाता है । उसे कभी बुढ़ापा नहीं आता । उसकी बुद्धि कभी कुठित नहीं होती ।

मुझे लगता है कि जो ब्रह्मचारी बननेकी सच्ची कोशिश कर रहा है, उसे भी ऊपर बताई हुई मर्यादाओंकी ज़रूरत नहीं है । ब्रह्मचर्य जबरदस्तीसे यानी मनसे विरुद्ध जाकर पालनेकी चीज़ नहीं । वह जबरदस्तीसे नहीं पाला जा सकता । यहा तो मनको वशमें करनेकी बात है । जो जरूरत पड़नेपर भी स्त्रीको छूनेसे भागता है, वह ब्रह्मचारी बननेकी कोशिश ही नहीं करता ।

इस लेखका मतलब यह नहीं कि लोग मनमानी करे । इसमें तो सच्चा सयम पालनेकी बात बताई गई है । दंभ या ढोगके लिए यहा कोई जगह हो ही नहीं सकती ।

जो छुपे तौरसे विषय-सेवनके लिए इस लेखका इस्तेमाल करेगा, वह दभी और पापी ही गिना जायगा ।

ब्रह्मचारीको नकली बाड़ोसे भागना चाहिए । उसे अपने लिए अपनी मर्यादा बना लेनी है । जब उसकी ज़रूरत न रहे तब उसे तोड़ देना चाहिए । इस लेखका उद्देश्य तो यह है कि हम सच्चे ब्रह्मचर्यको पहचाने । उसकी कीमत जान ले और ऐसे कीमती ब्रह्मचर्यका पालन करे । इसमें देशसेवाका सच्चा ज्ञान रहा है । इससे देशसेवा करनेकी शक्ति भी बढ़ती है ।

नई दिल्ली,

८-६-४७

## ईश्वर कहाँ है और कौन है ?

ब्रह्मचर्य क्या है, यह बताते हुए मैंने लिखा था कि ब्रह्म यानी ईश्वर तक पहुँचनेका जो आचार होना चाहिए, वह ब्रह्मचर्य है । लेकिन इतना जान लेनेसे ईश्वरके रूपका पता नहीं चलता । अगर उसका ठीक पता चल जाय, तो हम ईश्वरकी तरफ जानेका ठीक रास्ता भी जान सकते हैं । ईश्वर मनुष्य नहीं है । इसलिए वह किसी मनुष्यमे उत्तरता है या अवतार लेता है, ऐसा कहे तो यह निरा सत्य नहीं है । एक तरहसे ईश्वर किसी खास मनुष्यमे उत्तरता है, ऐसा कहनेका भतलब सिर्फ इतना ही हो सकता है कि वह मनुष्य ईश्वरके ज्यादा निकट है । उसमे हमे ज्यादा ईश्वरपन दिखाई देता है । ईश्वर तो सब जगह विद्यमान है । वह सबमे मौजूद है, इसलिए हम सब ईश्वरके अवतार हैं । मगर ऐसा कहनेसे कोई भतलब हल नहीं होता । राम, कृष्ण इत्यादिको हम अवतार कहते हैं, क्योंकि उनमे लोगोने ईश्वरके गुण देखे । आखिर तो राम, कृष्ण आदि मनुष्यके कल्पना-जगतमे बसते हैं, और उसके कल्पित चित्र ही हैं । इतिहासमे ऐसे लोग हो गए था नहीं, इसके साथ इन कल्पनाकी तस्वीरोंका कोई संबंध नहीं । कई बार हम इतिहासके राम और कृष्णको ढूढ़ते-ढूढ़ते मुश्किलोमे पड़ जाते हैं और हमे कई तरहके तर्कोंका सहारा लेना पड़ता है ।

सच बात तो यह है कि ईश्वर एक शक्ति है, तत्त्व है, शुद्ध चैतन्य है, सब जगह मौजूद है । मगर हैरानीकी बात यह है कि ऐसा होते हुए भी सबको उसका सहारा या फ़ायदा नहीं मिलता, या यों कहे कि सब उसका सहारा पा नहीं सकते ।

बिजली एक बड़ी शक्ति है । मगर सब उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते । उसे पैदा करनेका अटल क्रानून है । उसके अनुसार काम किया जाय तभी

विजली पैदा की जा सकती है। विजली जड़ है, वेजान चीज़ है। उसके इस्तेमालका कायदा चेतन मनुष्य भेहनत करके जान सकता है। जिस चेतनामय बड़ी भारी शक्तिको हम ईश्वर कहते हैं, उसके प्रयोगका भी नियम तो है ही। लेकिन यह चीज़ विलकुल साफ़ है कि उस नियमको ढूढ़नेके लिए बहुत ज्यादा परिश्रमकी जरूरत है। उस नियमका नाम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्यको पालनेका सीधा रास्ता रामनाम है। यह मैं अपने अनुभवसे कह सकता हूँ। तुलसीदास-जैसे भक्त ऋषि-मुनियोंने वह रास्ता बताया ही है। मेरे अनुभवका कोई जरूरतसे ज्यादा मतलब न निकाले। रामनाम सब जगह मौजूद रहनेवाली रामवाण दवा है, यह शायद मैंने पहले-पहल उखलीकाचनमें ही साफ-साफ जाना था। जो उसका पूरा इस्तेमाल जानता है, उसे जगतमें कम-से-कम बाहरी काम करना पड़ता है। फिर भी उसका काम बड़े-से-बड़ा होता है।

इस तरह विचार करते हुए मैं कह सकता हूँ कि ब्रह्मचर्यकी रक्षाके जो नियम माने जाते हैं, वे तो खेल ही हैं। सच्ची और अमर-रक्षा तो रामनाम ही है। राम जब जीवसे उत्तरकर हृदयमें बढ़ जाता है, तभी उसका चमत्कार पूरा दिखाई देता है। यह अचूक साधन पानेके लिए एकादशान्नत तो है ही। मगर कभी साधन ऐसे होते हैं कि उनमेंसे कौनसा साधन और कौनसा साध्य है, यह फर्क करना मुश्किल हो जाता है। एकादश-व्रतोंमेंसे सत्यको ही ले, तो पूछा जा सकता है कि क्या सत्य साधन है और रामनाम साध्य ? था, राम साधन है और सत्य साध्य ?

मगर मैं सीधी बात पर आऊ। ब्रह्मचर्यका आज माना हुआ अर्थ ले तो वह यह है जननेन्द्रिय पर काबू पाना। इस संयमका सुनहला रास्ता और उसकी अमर-रक्षा रामनाम है। इस रामनामको सिद्ध करनेके कायदे या नियम तो है ही।

नई दिल्ली,  
१४-६-४७

१२९ :

## नाम-साधनाकी निशानियाँ

रामनाम जिसके हृदयसे निकलता है, उसकी पहचान क्या है ? अगर हम इतना न समझ ले, तो रामनामकी फजीहत हो सकती है। वैसे भी होती तो है ही। माला पहनकर और तिलक लगाकर रामनाम बडबडाने वाले बहुत मिलते हैं। कही मैं उनकी सख्याको बढ़ा तो नहीं रहा हूँ ? यह डर ऐसा वैसा नहीं है। आजकलके मिथ्याचारमें क्या करना चाहिए ? क्या चुप रहना ही ठीक नहीं ? हो सकता है। लेकिन बनावटी चुपसे कोई फायदा नहीं। जीते-जागते मौनके लिए तो बड़ी भारी साधनाकी ज़रूरत है। उसकी अनुपस्थितिमें हृदयगत रामनामकी पहचान क्या ? इसपर हम विचार करें।

एक वाक्यमें कहा जाय तो रामके भक्त और गीताके स्थितप्रज्ञमें कोई भेद नहीं। ज्यादा गहरे उतरे तो हम देखेंगे कि रामभक्त पंचग्रहभूतोंका सेवक होगा। वह प्रकृतिके कानूनपर चलेगा। इसलिए इसे किसी तरह-की बीमारी होगी ही नहीं। होगी भी तो वह उसे पच महाव्रतोंकी मददसे अच्छा कर लेगा। किसी भी उपायसे भौतिक दुःख दूर कर लेना आत्माका काम नहीं, शरीरका भले ही हो। इसलिए जो शरीरको ही आत्मा मानते हैं, जिनकी दृष्टिमें शरीरसे अलग शरीरधारी आत्मा जैसा कोई तत्त्व नहीं, वे तो शरीरको टिकाये रखने के लिए सारी दुनियामें भटकेंगे, लका जायंगे। इससे उल्टे जो यह मानता है कि आत्मा देहमें रहते हुए भी देहसे अलग है, हमेशा स्थिर रहनेवाला तत्त्व है। अनित्य शरीरमें वसता है, शरीरकी सभाल तो रखता है, पर शरीरके जानेसे घबराता नहीं, दुःखी नहीं होता और सहज ही उसे छोड़ देता है, वह देहधारी डाक्टर-वैद्योंके पीछे नहीं भटकता। वह खुद ही अपना डाक्टर बन जाता है। सब काम करते

हुए भी वह आत्माका ही स्थाल रखता है। वह मूर्छामिसे जाग हुए की तरह बर्तावि करता है।

ऐसा इन्सान हर सासके साथ रामनाम जपता रहता है। वह सोता है, तो भी उसका राम जागता है। खाते-पीते कुछ भी काम करते हुए राम तो उसके साथ ही रहेगा। इस साथीका खो जाना ही इन्सानकी सच्ची मृत्यु है।

इस रामको अपने पास रखनेके लिए या अपने-आपको रामके पास रखनेके लिए वह पचमहाभूतोंकी मदद लेकर सतोष मानेगा, यानी वह मिट्टी, हवा, पानी, सूरजकी रोशनी और आकाशका सहज और साफ और व्यवस्थित तरीकेसे इस्तेमाल करके जो पा सकेगा, उसमे सन्तोष मानेगा। यह उपयोग रामनामका पूरक नहीं, पर रामनामकी साधनाकी निशानी है। रामनामको इन मददगारोंकी ज़रूरत नहीं। लेकिन इसके बदले जो एकके बाद दूसरे वैद्य-हकीमोंके पीछे दौड़े और रामनामका दावा करे, उसकी बात कुछ जचती नहीं।

एक ज्ञानीने तो भेरी बात पढ़कर यह लिखा कि रामनाम ऐसा कीमिया है कि जो शरीरको बदल डालता है। वीर्यको इकट्ठा करना दबाकर रक्खे हुए धनके समान है। उसमेंसे अमोघ शक्ति पैदा करने-वाला तो रामनाम ही है। खाली सग्रह करनेसे तो घबराहट होती है। किसी भी समय उसका पतन हो सकता है। लेकिन जब रामनामके स्पर्शसे वह वीर्य गतिवान होता है, ऊर्ध्वगामी बनता है, तब उसका पतन असभव हो जाता है।

शरीरके पोषणके लिए शुद्ध खून ज़रूरी है। आत्माके पोषणके लिए शुद्ध वीर्य-शक्तिकी ज़रूरत है। इसे दिव्यशक्ति कह सकते हैं। यह शक्ति सारी इन्द्रियोंकी शिथिलताको मिटा सकती है। इसलिए कहा है कि रामनाम हृदयमे बैठ जाय, तो नई ज़िन्दगी शुरू होती है। यह कानून जवान, बूढ़े, मर्द, औरत सबपर लागू होता है।

पश्चिममे भी यह स्थाल पाया जाता है। 'क्रिश्चयन साइन्स' नामका सप्रदाय विलकुल यही नहीं तो करीब-करीब इसी तरहकी बात करता है।

मैं मानता हूँ कि हिन्दुस्तानको ऐसे सहारेकी जरूरत नहीं, क्योंकि हिन्दुस्तानमें तो यह दिव्य विद्या पुराने जमानेसे ही चली आ रही है।

हरिद्वार,

२१-६-४७

## एक उल्लंघन

विलायतमें अच्छी तरह शिक्षा पाये हुए एक हिन्दुस्तानी भाईके वहां से लिखे पत्रमेंसे कुछ हिस्सा नीचे देता हूँ ।

“स्त्री और पुरुषके सबधोके बारेमें मेरे मनकी हालत कुछ विचित्र-सी है । मैंने आपको लिखा ही है कि कुछ वन्धन और मर्यादाए मैं रखने ही वाला हूँ और रखी भी है । लेकिन जब सोचता हूँ तो अपनी हालत मुझे त्रिशकु जैसी दिखाई देती है । एक तरफसे लगता है कि स्त्री-पुरुषके सबधको ज्यादा कुदरती बनानेसे बुराई और पापाचार कम होगा । दूसरी तरफसे लगता है कि एक-दूसरेको छूनेसे बुराई पैदा हुए बिना रह नहीं सकती । यहांकी अदालतोमें जब भाई-वहन और बाप-बेटीके बारेमें मुकद्दमे आते हैं, तब भी ऐसा लगता है कि उन लोगोने एक-दूसरेका स्पर्श जब शुरू किया, तब उसमें दोष नहीं था । मुझे लगता है कि स्पर्श-मुखकी वजहसे आदमी बदमाश हो, तो एक महीने या एक हफ्तेमें और भला हो तो धीरे-धीरे १० बरसमें भी पापकी तरफ झुके बिना नहीं रह सकता । छुटपनमें जो तालीम पाई है उस परसे जो विचार बन गए हैं और आजकलके विचारोकी किताबें पढ़नेसे जो विचार आते हैं, उन दोनोंमें हमेशा भगडा चला करता है । यह भी स्थाल आता है कि स्पर्श-मात्र छोड़ देनेसे क्या काम चल सकेगा ? मैं अभी तक किसी निर्णय पर नहीं पहुँच पाया हूँ । लेकिन थोड़ेमें मेरी यही स्थिति है ।”

बहुतेरे नौजवान लड़के-लड़कियोंकी यही हालत होती है । उनके लिए सीधा रास्ता यही है : उन्हें स्पर्श मात्रका त्याग करना ही चाहिए । किताबोंमें लिखी हुई मर्यादाए उस समयमें होनेवाले अनुभवसे बनाई गई है । लेखकोंके लिए वे ज़रूरी भी थीं । साधकको अपने लिए उनमेंसे

## ब्रह्मचर्य—२ : एक उल्लङ्घन

कुछ मर्यादिए या दूसरीं कुछ नई मर्यादिए बना लेनी होगी। आत्मसाज्जलका वीचमे रखकर उसके आसपास एक दायरा खीचे तो मजिल तक पहुचनेके कई रास्ते दिखाई देग। उनमेसे जिसे जो आसान मालूम हो उस पर चले और मजिल पर पहुचे।

जिस साधकको अपने-आप पर भरोसा नहीं वह अगर दूसरोकी नक्ल करने लगे तो ज़रूर लेकर खायगा।

इतना सावधान कर देनेके बाद मैं कहूगा कि इगलैडकी अदालतोमे चलनेवाले मुकद्दमोमे से या उपन्यास पढकर ब्रह्मचर्यका रास्ता खोजना आकाश-कुसुम लाने जैसी बेकार कोशिश है। सच्चा इगलैड वहाकी अदालतोमे या उपन्यासमे नहीं। इन दोनोंका अपनी-अपनी जगह भले ही कुछ उपयोग हो मगर ब्रह्मचर्यकी साधना करनेवालोंको इन दोनोंको छूना भी नहीं चाहिए।

इगलैडके बड़े-बड़े साधकोंके दिलमे इस पत्र लिखनेवाले भाईकी तरह उलझने नहीं पैदा होती, क्योंकि वे सब यह जानते हैं कि उनका राम उनके दिलमे बसता है। वे न अपने-आपको धोखा देते हैं और न दूसरोंको। उनकी बहन उनके लिए बहन ही है और मा मा है। ऐसे साधकके लिए सारी स्त्रिया बहन या मा है। उसें कभी यह ख़्याल भी नहीं आता कि स्पर्श-मात्र बुरा है। उसमेसे दोष पैदा होनेका डर नहीं रहता। वह सारी स्त्रियोंमे उसी भगवान्को देखता है, जिसे वह अपनेमे पाता है।

ऐसे लोग हमने नहीं देखे, इसलिए यह मानना कि वे हो ही नहीं सकते, घमडकी निशानी है। इससे ब्रह्मचर्यकी महिमा घटती है। ईश्वरको हमने नहीं देखा या ईश्वरको जिसने देखा, ऐसा कोई आदमी हमे नहीं मिला है। इसलिए ईश्वर है ही नहीं यह माननेमे जितनी भूल है, उतनी ही ब्रह्मचर्यकी ताकतको अपने नापसे नापनेमे रही है।

२३ :

## पुराने विचारोंका बचाव

कुछ दिन पहले मैंने एक पत्रका कुछ हिस्सा 'हरिजन सेवक' मे दिया था। उस परसे पत्र लिखनेवाले भाई लिखते हैं :

"मेरे ग्यारह साल पहले के लिखे हुए खतपर आपने जो विचार बताये हैं, उनमें से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मगर उनपर चलनेकी हिम्मत मुझमे कम है। मनमे आता है कि सापकी बाबीमे हाथ डाला ही क्यो जाय? आप आदर्श पुरुषकी कल्पना जगतके सामने रखे, तो भी लोक-सग्रहकी दृष्टिसे यह अच्छा होगा कि आप लोगोंको मर्यादा और बन्धन रखनेकी सलाह दे। यह ज्यादा रक्षा होगी। स्त्री-पुरुषका भेद माननेकी जरूरत नही। यह स्त्री 'मेरी है' यह भाव मनसे निकाल देने चाहिए। विलकुल सात्विक भूमिकाका ही प्रचार करके हिन्दुस्तानकी कम्युनिस्ट पार्टीने अनजानमे हमारे समाजको जो नुकसान पहुँचाया है, वह सचमुच भयानक है। श्री किशोरलाल भाई तो यहातक कहते हैं कि स्त्रीके साथ एक चटाई पर भी न बैठना चाहिए। इसमे उनका पुराण-पथीपन दीखता हो तो भी उनकी बात सोचने लायक है।

"'यद्यदाचरते श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जन'—गीताकी यह चेतावनी भूली नही जा सकती। ऊचे दरजेको पहुँचे हुए लोगोंको यह डर मनमे रखना चाहिए कि मामूली शक्तिवाले बिना समझे उनकी सिर्फ नकल ही करेंगे। इसलिए उन्हे बधन रखकर अपने दरजेसे नीचेका ही आचरण करना चाहिए। मुझे लगता है, इसीमे समाजका भला है। हा, एक सचोट दलील आपके पक्षमे है। वह यह कि ऊचे दरजे तक पहुँच सकनेकी मिसाल जगतके सामने रखनेवाला कोई न हो, तो समाजकी श्रद्धाका लोप हो जाय। इन्सानके भीतर रहनेवाली भगवानकी ज्योति किसीको तो बतानी ही होगी। इसके

जवाबमें मैं इतना ही कहूँगा कि इस चीज़का फैसला जमाखर्चका हिसाब निकालकर बड़ोंको खुद करना होगा ।”

यह टीका मुझे अच्छी, लगती है। सबको अपनी कमज़ोरी पहचाननी चाहिए। जान-दूभकर उसे जो छिपाता है और बलवानकी नकल करने जाता है वह ठोकर खायगा ही। इसलिए मैंने तो कहा है कि हरेकको अपनी मर्यादा खुद बाधनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि किशोरलाल-भाई जिस चटाई पर स्त्री बैठी हो, उस पर बैठनेसे इन्कार करेगे। ऐसा हो तो मुझे ताज्जुब होगा। मैं तो ऐसी मर्यादाको समझ नहीं सकता। मैंने उनके मुहसे ऐसा कभी नहीं सुना।

स्त्रीकी निर्दोष सगतिकी तुलना सापके बिलसे करना मैं तो अज्ञान ही मानता हूँ। इसमे स्त्री-जातिका और पुरुषका अपमान है। क्या जवान लड़का अपनी माके पास नहीं बैठेगा? बहनके पास नहीं बैठेगा? रेलमे उसके साथ एक पटरी पर नहीं बैठेगा? ऐसे संगसे भी जिसका मन चंचल होता हो, उसकी हालत कितनी दयाजनक मानी जायगी?

यह मैं मानता हूँ कि लोक-सग्रहके लिए बहुत-कुछ छोड़ना चाहिए। भगर इसमे भी समझसे काम लेना होगा। यूरोपमे नगोका एक संघ है। उन्होंने मुझे इसमे खीचनेकी कोशिश की। मैंने साफ़ इन्कार कर दिया और कहा:

‘लोग इस तरहकी बात सहन नहीं कर सकते। जबतक उसके लिए ज़रूरी पवित्रता न हो तबतक ऐसी नुमायश नहीं की जा सकती।’ तात्त्विक दृष्टिसे मैं यह मानता हूँ कि स्त्री-पुरुष बिलकुल नंगे हो, तो भी उससे कुछ नुकसान न होना चाहिए। आदम और हीवा अपने निर्दोष जमानेमे नगे ही धूमते थे। जब उन्हे अपने नगेपनका ज्ञान हुआ, तब उन्होंने अपने अंग ढकने शुरू किये और वे स्वर्गसे निकाल दिये गए। हम गिरे हुए हैं। इसे भूलकर चलेगे तो नुकसान ही होगा। नंगोंकी मिसालको मैं लोक-संग्रहकी आवश्यकतामे गिनूँगा।

भगर लोक-सग्रह की दलील देकर मुझपर दवाव डाला गया कि मैं छुआछूत मिटानेकी बात छोड़ दू। लोक-सग्रहकी दृष्टिसे नी वरसकी लड़की-

## आत्म-संयम

की शादी करनेका रिवाज चालू रखनेकी बात कही गई है। लोक-सग्रहकी खातिर दरियापार जानेसे रोका जाता था। ऐसी और भी कई मिसालें दी जा सकती हैं। मगर घरके कुएमे हम तैरें, डूब न मरें।

वन्धन ऐसे तो नहीं होने चाहिए कि जिससे स्त्री-पुरुषका भेद हम भूल ही न सके। हमे याद रखना चाहिए कि हमारे अनेक कामोंमें इस फर्कोंके लिए कोई जगह नहीं है। दरअसल इस भेदको याद करनेका मौका एक ही होता है, वह तब जब काम सवारी करता है। जिन स्त्री-पुरुषोंपर सारे दिन ही काम सवार रहता है, उनके मन सड़े हुए हैं। मैं मानता हूँ कि ऐसे लोग लोक-कल्याण नहीं कर सकते। इन्सानकी हालत आमतौर पर ऐसी नहीं होती। करोड़ों देहाती अगर सारे दिन इसी चीज़का स्थायल किया करे, तो वे किसी भी शुभ कामके लायक नहीं रह सकते।

नई दिल्ली,  
१३-७-४७

## मुश्किलको समझना

पिछले दिनोंके मेरे भाषणोंको पढ़कर, जिनसे हिन्दुस्तानकी पिछली घटनाओंके कारण मुझे होनेवाले दुखका आभास मिलता है, एक अंग्रेज बहन लिखती है :

“क्या इस गहरे दुख, इन्सानके नरककी ओर लगातार बढ़ते जाने और वातावरणमें निराशाकी भावनाके फैलनेका यह मतलब है कि आपको १२५ बरससे भी ज्यादा अरसे तक जीना चाहिए ? मर जाना कितनी आसान बात है । . . . इन्सान रात-दिन नरककी तकलीफ महसूस करता है । . . .”

मैं जानता हूँ कि यह वहन मज्जाके बतौर मुझसे यह उम्मीद नहीं करती कि मुझे १२५ बरससे ज्यादा जीना चाहिए । वे भगवानमें जबर-दस्त भरोसा रखनेवाली एक बहादुर महिला है । जितने दिनों जीना मेरे भागमें बदा है, उसमें एक दिन भी बढ़ा लेनेका सवाल मेरे साथ नहीं है । एक भाग्यवादीके नाते मैं तो मानता हूँ कि भगवानकी इच्छाके बिना एक तिनका भी नहीं हिलता । अभी तक मैंने जो कुछ किया है और आगे भी करना चाहूगा, वह यह है कि मैं १२५ बरसकी जिन्दगी चाहता हूँ, बशर्ते कि वह जिन्दगी इन्सानकी ज्यादा-से-ज्यादा सेवा करनेमें लगे । मगर जबतक ऐसी इच्छाके साथ उसके अनुरूप ज़रूरी और सही आचरण न किया जाय, तबतक इससे कोई फायदा नहीं । गीतामें अर्जुनके सवाल पूछनेपर भगवान कृष्णने ‘स्थितप्रज्ञ’ का जो वर्णन किया है, उसका सर एडविन आरनाल्डने अंग्रेजीमें तरजुमा किया है । वह वर्णन यों है :

‘अर्जुन—हे केशव, जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है और जो भगवानके ध्यानमें लीन है, उसका क्या लक्षण है ? वह कैसे बोलता है, कैसे चलता है ? कैसे बैठता या रहता है ?

—हेअर्जुन, जब कोई मनुष्य अपने मनमें भरी हुई सारी वास-जाऊँको छोड़ देता है और अपनी आत्माके लिए आत्मामें ही पूरा सन्तोष पा जाता है, तो उसे स्थितप्रज्ञ कहते हैं।

‘जो दुख पानेसे घबराता नहीं और सुखकी इच्छा नहीं करता, काम, भय और क्रोध जिसके नष्ट हो गए हैं, उसे मुनि, साधु या स्थितधीं कहते हैं।

‘सब विषयोंसे जिसका मन हट गया है और भला-बुरा कुछ भी हुआ हो, उससे जिसे न खुशी है न दुख है, ऐसा आदमी स्थिर बुद्धिवाला होता है।

‘जैसे कछुआ अपने चारों पाव सिकोड़ लेता है, इसी तरह जो मनुष्य अपनी इन्द्रियोंको उनके विषय-भोगसे खीचकर अपने काबूमें कर लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है।

‘इन्द्रियोंको विषयोंसे अलग रखनेपर वे विषय तो नष्ट हो जाते हैं, मगर उनकी वासना वनी रहती है। वह भी ब्रह्मके दर्शन होने पर नष्ट हो जाती है।

‘हे अर्जुन, बुद्धिमान आदमीके अपनी इन्द्रियोंको दबानेकी कोशिश करते हुए भी ये बलवान् इन्द्रियाँ जबरन उसका मन अपनी तरफ खीच लेती हैं।

‘इसलिए मनुष्यको उन्हे वशमें करके अपना मन पूरी तरह मुझमें लगाना चाहिए, क्योंकि जिस पुरुषकी इन्द्रियाँ उसके वशमें होती हैं, उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है।

‘इन्द्रियोंके विषयोंका ध्यान करते-करते उनमें प्रीति पैदा हो जाती है, उस प्रीतिसे इच्छाको जोर मिलता है। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो गुस्सा आने लगता है और गुस्सेसे सम्मोह यानी बेवकूफी पैदा होती है, बेवकूफीसे स्मरणशक्ति घट जाती है। इसके घटनेसे बुद्धिका नाश होता है और जब बुद्धिका नाश हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति पूरी तरह वरबाद हो जाता है।

‘मगर प्रीति और द्वेष छोड़कर जिसने अपनी इन्द्रियोंको अपने वशमें कर लिया है उसके विषय-सेवन करनेपर भी उसे शान्ति ही मिलती है।

‘मनके प्रसन्न होनेसे सब दुःखोंका नाश हो जाता है और प्रसन्न मनवाले-की वुद्धि जल्द ही स्थिर होती है।

‘जिसका मन अपने वशमें नहीं है, उसे आत्मज्ञान नहीं होता और जिसे आत्मज्ञान नहीं, उसे शान्ति नहीं मिलती और जिसे शान्ति नहीं मिली, उसे सुख कैसे मिलेगा ?

‘जिसका मन इन्द्रियोंकी इच्छानुसार चलता है, उसकी वुद्धिको मन उसी तरह नष्ट कर देता है, जिस तरह समुद्रमें पड़ी हुई नावको तूफान नष्ट कर देता है।

‘इसलिए, हे अर्जुन, जो आदमी अपनी इन्द्रियोंको उनके विषयोंसे सब तरह खीचकर उन्हे अपने वशमें कर लेता है, उसकी वुद्धि स्थिर होती है।

‘अज्ञानी लोगोंके लिए जो रात है, उसमें योगी पुरुष जागता है और जिस अज्ञानरूपी अंधेरेमें, सब प्राणी जागते हैं, उसकी वुद्धि स्थिर होती है।

‘अज्ञानी लोगोंके लिए जो रात है, उसमें योगी पुरुष जागता है और जिस अज्ञानरूपी अंधेरेमें सब प्राणी जागते हैं, उसे योगी पुरुष रात समझता है।

‘जैसे लवाल्व भरे हुए समुद्रमें कई नदिया मिलती हैं, पर उसे अधान्त नहीं कर पाती उसी तरह जिस स्थिर वुद्धिवाले पुरुषमें सारे भोग किसी प्रकारका विकार पैदा किये बिना समा जाते हैं उसे ही पूरी शान्ति मिलती है, न कि भोगोंकी इच्छा रखनेवालेको।

‘जो व्यक्ति सारीं कामनाओंको छोड़कर, ममता और अहकारको दिलसे हटाकर और इच्छा-रहित होकर बरतता है, उसे शान्ति निलंती है।

‘हे अर्जुन, इस हालतको ‘ब्राह्मीस्थिति’ कहते हैं। उसके मिल जानेके बाद आदमी फिर मोहर्में नहीं पड़ता। और अगर इस हालतमें रहते हुए वह मर जाय, तो ‘ब्रह्मनिर्वाण’ पाता है।’

मैं स्वीकार करता हूँ कि इस स्थितिको पहुँचनेकी कोशिश करने पर भी मैं जनी उत्सै दहूत हूर हूँ। मैं जनुभव करता हूँ कि जब हमारे आनंदास इतना तूफान भजा हूँा है, तब उस स्थितिको प्राप्त करना कितना कठिन है !

## आत्म-संयम

द्वारा पत्रमें वह वहन लिखती है :

“खुशीकी बात सिर्फ इतनी नहीं है कि इन्सान चाहे थोड़े ही क्यों न हो इश्वरसे अलग रहनेमें अपनी स्वाभाविक कमज़ोरीको समझ गये हैं।”

इन वहनके पत्रके प्रारंभमें यह आदर्श वाक्य लिखा हुआ है :

“जो दिल नन्हे बच्चोंकी तरह इतने पवित्र है कि वे किसीसे दुर्मनी कर ही नहीं सकते, उन्हींमें इन्सानको आज़ाद करानेके उपाय भरे रहते हैं।”

यह बात कितनी सच है और साथ ही कितनी मुश्किल है !!

नई दिल्ली,

२२-७-४७

## एक विद्यार्थीकी उलझन

एक विद्यार्थीने अपने शिक्षकको एक पत्र लिखा था । उसका नीचेका हिस्सा शिक्षकने मेरी राय जाननेके लिए मेरे पास भेजा है । विद्यार्थीका पत्र अग्रेजीमे है । उसकी मातृभाषा क्या होगी, यह मैं नहीं जानता ।

“मुझे दो बातोंने धेर लिया है : एक तरफसे मेरे देश-प्रेमने और दूसरी तरफसे तेज विषय-वासनाने । इससे मुझमे विरोधी भावनाएँ पैदा होती हैं और मेरे निर्णय हिल जाते हैं । मुझे अपने देशका पहले नम्बरका सेवक बनना है । लेकिन साथ ही मुझे दुनियाका आनंद भी लेना है । मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि ईश्वरमे मेरी श्रद्धा नहीं है, हालांकि कितनी ही बार मुझे ईश्वरका डर मालूम होता है । सच पूछा जाय तो सारा जीवन ही एक समस्या है । मैं क्या जानूँ कि इस जीवनके बाद मेरा क्या होनेवाला है ? मैंने बहुत-सी जलती चिताएँ देखी हैं । आखिरी चिता मैंने अपनी मान ली है । जलती चिताके दृश्यने मुझपर भयंकर असर पैदा किया । क्या मेरे भी ऐसे ही हाल होंगे ? यह विचार भी मैं सहन नहीं कर सकता । किसी धायलको देखता हूँ तो मेरे सिरमे चक्कर आने लगता है । बादमे मेरी कल्पना काम करने लगती है और कहती है कि तेरे शरीर-का भी किसी दिन यहीं हाल होगा । मैं जानता हूँ कि किसी शरीरको इस हालतमे से मुक्ति नहीं मिलती । साथ ही, ऐसा लगता है कि मौतके बाद जीवन नहीं है, और इसलिए मुझे मौतका डर लगता है ।

“इस हालतमे मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं । या तो मैं इस उलझन-मे फँसकर जलता रहूँ या दुनियाके ऐश-आराममे लिपट कर दूसरी बातोंका ख्याल तक न करूँ । दूसरे किसीके सामने मैंने यह बात कबूल नहीं की,

“लेकिन आपके सामने कबूल करता हूँ कि मैंने तो दुनियाका आनंद लूटनेका रास्ता ही पकड़ा है।

“यह दुनिया ही सच्ची है और किसी भी कीमत पर उसका आनंद लूटना ही है। मेरी पत्नी अभी-अभी मरी है। मेरे मनमे उसके लिए प्रेम था। लेकिन मैं देखता हूँ कि उस प्रेमकी जड़मे उसका मरना नहीं था, बल्कि मेरा यह स्वार्थ था कि उसके मरनेसे मैं अकेला रह गया। मरनेके बाद तो कोई गुत्थी सुलझानेको रहती नहीं और जीवित आदमी-के लिए तो सारा जीवन ही एक गुत्थी है। शुद्ध प्रेममे मेरी श्रद्धा नहीं है। जिसे प्रेमके नामसे पहचाना जाता है वह प्रेम तो सिर्फ विषय-भोग-का होता है। अगर शुद्ध प्रेम जैसी कोई चीज़ होती तो अपनी पत्नीकी अपेक्षा अपने मा-वापसे मेरा आकर्षण ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन हालत तो इससे बिलकुल उलटी थी, मा-वापकी अपेक्षा पत्नीमे मेरा आकर्षण ज्यादा था। यह सच है कि मैं अपनी पत्नीके प्रति वफादार था। लेकिन उसे मैं यह गारन्टी नहीं दिला सकता था कि उसके मरनेके बाद भी उसकी तरफ मेरा प्रेम बना रहेगा। उसके मरनेके बाद मुझे जो दुःख होगा, वह तो उसके न रहनेसे पैदा होनेवाली मुसीबतोका दुःख होगा। आप इसे एक तरहकी बेरहमी कह सकते हैं। सो जैसा भी हो, लेकिन सच्ची हालत यही है। अब मेरहरबानी करके मुझे लिखिये और रास्ता बताइये।”

पत्रके इस हिस्सेमे तीन बातें आती हैं। एक, विषय-वासना और देश-प्रेमके बीच खड़ा होनेवाला विरोध, दूसरी, ईश्वरमे और मरनेके बाद भविष्यमे श्रद्धा, और तीसरी शुद्ध प्रेम और विषय-वासनाका द्वन्द्य-युद्ध।

पहली उलझन ठीक छगसे रखी गई मालूम होती है। उसका सार यह है कि विषय-भोगकी इच्छा सच्ची बात है और देश-प्रेम वहते प्रवाहमे खिच जानेके समान है। यहा देश-प्रेमका अर्थ होगा सत्ता पानेके प्रपञ्चमे पड़ना, ताकि उसके साथ विषय-वासना पूरी करनेका मेल बैठ सके। इस तरहके बहुतसे उदाहरण मिल सकते हैं। देश-प्रेमका मेरा अर्थ यह है कि प्रजाके गरीब लोगोके लिए भी हमारे दिलमे प्रेमकी आग जलती हो। यह आग विषय-वासना जैसी चीज़को हमेशा जला डालती है।

इसलिए मैं देश-प्रेम और विषय-वासनाके बीच कोई भगड़ा देखता ही नहीं। उलटे, यह प्रेम हमेशा विषय-वासनाको जीत लेता है। ऐसे विश्व-प्रेमको, जो वृत्ति तोड़ सके, उसे पोसनेका समय भी कहा बच सकता है? इसके खिलाफ जिस आदमीको विषय-वासनाने अपने वशमे कर लिया है, उसका तो नाश ही होता है।

ईश्वरके बारेमे और मरनेके बाद भविष्यके बारेमे अश्रद्धा भी ऊपर-की वासनामे ही पैदा होती है, क्योंकि यह वासना औरत और मर्दको जड़से हिला देती है। अनिश्चय उन्हे खा जाता है। विषय-वासनाके नाश हो जानेपर ही ईश्वर पर रहनेवाली श्रद्धा जीती है। दोनों चीज़े साथ-साथ नहीं रह सकती।

तीसरी उल्लङ्घनमे पहलीको ही दुहराया गया मालूम होता है। पति और पत्नीके बीच शुद्ध प्रेम हो, तो वह दूसरे सब प्रेमोकीं अपेक्षा आदमीको ईश्वरके ज्यादा पास ले जाता है। लेकिन जब पति-पत्नीके बीच के प्रेममे विषय-वासना मिल जाती है, तब वह मनुष्यको अपने भगवानसे दूर ले जाती है। इसमेसे एक सवाल पैदा होता है, अगर औरत और मर्द का भेद पैदा न हो, विषय-भोगकी इच्छा मर जाय तो शादीकी ज़रूरत ही क्या रह जाय!

अपने पत्रमे विद्यार्थीने ठीक ही स्वीकार किया है कि अपनी पत्नीकी तरफ उसका स्वार्थ-भरा प्रेम था। अगर वह प्रेम नि.स्वार्थ होता तो अपनी जीवन-सगिनीके मरनेके बाद विद्यार्थीका जीवन ज्यादा ऊचा उठता, क्योंकि साथीके मरनेके बाद उसकी यादमे से पिछड़े हुए लोगोकी सेवामे उस भाईकी लगन ज्यादा बड़ी होती।

नई दिल्ली,  
१२-१०-४७

१२६

## शंकाओंके जवाब

[ १९३२-३३ के बीच श्री मणिवहन, लेडी ठाकरसी और मीरावहनके साथ यरवदा जेलमे वापूसे मुलाकात करनेका मुझे सौभाग्य मिला था । मैं जब साबरमती वापस आ गया, तब वापूजीने नीचे लिखा बगैर तारीखका पत्र मेरे नाम भेजा । — पी० जी० मेष्यु ]

“फिरसे पढ़ा नहीं

“प्रिय मेष्यु,

“मुझे आपके तीन पत्र मिले । बुद्धिकी अपनी जगह तो है ही, लेकिन उसे हृदयकी जगह पर नहीं बैठना चाहिए । आप अपने जीवनके या किसी भी पहचानके बुद्धिशाली आदमीके जीवनके किन्हीं चौबीस घण्टोंको जाचकर देखेंगे, तो आपको मालूम होगा कि इस समयमे किये हुए करीब-करीब सभी काम भावनासे किये हुए होंगे, बुद्धिसे नहीं । इससे यह नसीहत मिलती है कि बुद्धिका एक बार विकास हो जानेके बाद वह अपने स्वभावके अनुसार अपने-आप ही काम करती है, और अगर हृदय शुद्ध हो, तो जो कुछ भी वहमभरा या अनीतिमय हो, उसे वह छोड़ देती है । बुद्धि एक चौकीदार है और अगर वह अपने दरवाजे पर सदा जाग्रत और अटल हालतमे रहे, तो कहा जा सकता है कि वह अपनी जगह पर है । और मेरा दावा है कि वह आश्रममे यह काम बजाती ही है । जीवन यानी कर्तव्य यानी कर्म, जब बुद्धिसे—तर्कसे कर्मोंको खत्म कर दिया जाता है, तब वह दूसरेकी जगह लेनेवाली बन जाती है और ऐसी बुद्धिको हटाना जरूरी है ।

“अब आपका दूसरा पत्र लेता हूँ । मैं यह नहीं कहता कि पीढ़ी-दर-पीढ़ी का धन्धा अखिलयार करना चाहिए । मेरा कहना तो यह है कि जिस तरह हमारे शरीरका रग और बहुतसी दूसरी बाते हमे विरासतमे मिलती

है, उसी तरह धन्धा भी मिलता है। जो कुदरतमें हो रहा है, मैंने वही बात कही है। अपनी खुदकी राय मैंने नहीं बताई है। पीढ़ी-दर-पीढ़ीसे चले आनेवाले स्वभावके कारण शक्तिका सग्रह होता है, और नीतिमान मनुष्यके लिए वह जरूरी है। लेकिन इस नियमका भतलब इतना ही है कि हम अपने नजदीकके तथा दूरके पूर्वजोंसे विरासतमें मिली हुई भौतिक और मानसिक वृत्तियोंके साथ जन्म लेते हैं। लेकिन ये वृत्तिया बदली जा सकती हैं। और जब वे नुकसानदेह हो या जब उनमें अपने स्वार्थके लिए नहीं, बल्कि दूसरोंकी सेवाके लिए परिवर्त्तन करनेकी जरूरत पैदा हो, तब उन्हें बदलना ही चाहिए।

“स्त्री और पुरुष दोनोंको चाहे जब भोगसे दूर रहनेका हक है। सभोग पूरी तरहसे दोनोंकी इच्छाका कांम होना चाहिए। इसलिए जब दोनोंमेंसे कोई एक जिन्दगी भरके लिए भोग छोड़ देनेका निश्चय करे, और यदि पति या पत्नी अपनी विषय-वासनाको काबूमें न रख सके तो उसे दूसरा साथी खोज लेनेकी स्वतत्रता है। लेकिन यह तो तभी हो सकता है, जब विवाह-वन्धनमें बधे हुए पति-पत्नीमें सच्चा प्रेम न हो, यानी दूसरे शब्दोंमें, विवाहके सच्चे अर्थमें उनका विवाह ही न हो। विवाह-सम्बन्ध तो स्त्री-पुरुषके बीच जीवन भरकी मित्रता है। इससे उसमें उन्हें शरीर-सम्बन्ध रखनेकी स्वतत्रता भले ही हो, लेकिन फिर भी उसमें पशु-वृत्तिको रोकनेकी ओर उनकी प्रवृत्ति बढ़ती ही रहती है। जब इस तरहकी मित्रता हो, तब राजी-खुशीसे शारीरिक तृप्ति न मिले, तो भी उससे लग्न-वन्धन नहीं टूटता। इसमें ऊचनीचका सवाल ही नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता कि जो एकके लिए ठीक है, वह सबके लिए ठीक होगा ही। लेकिन मैं इतना तो जानता हूँ कि ईश्वरके भक्तके पास पशु वासनाओंको तृप्ति करनेका समय ही नहीं रहता और इसलिए इस सबंधमें उसका सारा रस मिट जाता है। यदि ब्रह्मचर्यका यही अर्थ करे, तो वह इससे ज्यादा ऊँची स्थिति है।

“विवाह होने देने या उन्हें रोकनेका सवाल मेरे या और किसीके भी हाथमें नहीं है। मैं तो वस इतना ही कह सकता हूँ कि पसन्दगीके क्षेत्रको

‘सौमित्र रखनेमे ही समझदारी है। इसमे अपवाद इतना ही है कि दूसरी किसी तरहकी मित्रताके समान इसमे भी मर्यादा नहीं है। लेकिन इसमे जीवन भरमे सिर्फ एक ही मित्र हो सकता है। इसलिए यदि विवाहके क्षेत्रको मर्यादित कर दिया जाय, और वह जाने हुए क्षेत्रमे होनेपर भी बहुत ही परिचित सम्बन्धमे न किया जाय, तो यह शोध ज्यादा आसान होती है और उसमे जोखम भी कम रहता है।

“साधारण तौरसे जन धर्ममे भी आत्मधातको पाप माना जाता है। परन्तु जब मनुष्यको आत्मधात और अधोगतिके बीच चुनाव करनेका प्रसग आवे, तब यही कहा जा सकता है कि उस हालतमे उसके लिए आत्म-धात ही कर्तव्य रूप है। एक उदाहरण लीजिये। किसी पुरुषमे विकार इतना बढ़ जाय कि वह किसी स्त्रीकी आवरु लेनेपर उतारु हो जाय और अपने-आपको रोकनेमे असमर्थ हो, लेकिन यदि उस वक्त उसमे थोड़ी भी वुद्धि जाग्रत हो और वह अपनी स्थूल देहका अन्त कर दे, तो वह अपने-आपको इस नरकसे बचा सकता है।

“आश्रममे उपवासका कुछ दुरुपयोग जरूर हुआ है, लेकिन उसकी छूत अधिक फैलना सम्भव नहीं। क्योंकि उसका दुरुपयोग करना आसान नहीं है। भूख बड़ी बलवान होती है।

“यह कभी नहीं हो सकता कि किसी व्यक्तिमे अहिंसाका जरूरतसे ज्यादा विकास हुआ हो। लेकिन सामान्य जैनोने अनशनकी तरह ही अहिंसाकी भी विडम्बना कर रखी है। साधारण जैन तो अहिंसाका छिलका ही लेता है और अन्दरका गूदा छोड़ देता है। अहिंसा यानी सब जीवोके लिए अनन्त प्रेम। और इसलिए उसमे दूसरेको बचानेके लिए अपने जीवनकी कुरवानी करनेकी सदा तैयारी रहनी चाहिए।

“मुझे आशा है कि इससे आपको शान्ति मिलेगी। लेकिन जबतक सेवाके किसी स्थायी काममे आपको पूरा सन्तोष न मिले, तबतक सच्ची शान्ति मिलना सम्भव नहीं।”

‘हरिजन सेवक’,

१२-१२-४८

## ब्रह्मचर्य द्वारा मातृ-भावनाका साक्षात्कार

[ ब्रह्मचर्य पालनेकी इच्छा रखनेवाली एक लड़कीको हिन्दीमे लिखे पत्रका अशं । ]

ब्रह्मचर्य पालनेमे सबसे बड़ी चीज मातृ-भावनाका साक्षात्कार करना है । हम सब एक पिताके लड़के-लड़कियाँ हैं । उनमे विवाह कैसे ? खाना केवल औषधि रूप, स्वादके लिए नहीं । मनको और शरीरको सेवाकार्यमे रोके रखना । सत्यनारायणका मनन करना । बाल कटानेका धर्म स्पष्ट हो जाय, तो लोकलज्जा छोड़कर कटवाना । ईश्वर-भक्तिके लिए नित्य मनुष्य सेवामे लीन रहना । मनोविकार हमारे सच्चे शत्रु हैं, यह समझकर उनसे नित्य युद्ध करना । इसी युद्धका महाभारतमे वर्णन है ।

# मंडलद्वारा प्रकाशित प्राप्य साहित्य

## गांधीजी लिखित

- |                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| १. आत्मकथा (सपूर्ण)                 | ५)   |
| २. आत्मकथा (सक्षिप्त-हिन्दी) १।।।   |      |
| ३. आत्मकथा (सक्षिप्त-उर्दू) १।।।    |      |
| ४. प्रार्थना-प्रवचन (भाग १)         | ३)   |
| ५. प्रार्थना-प्रवचन (भाग २)         | २।।। |
| ६. गीता-माता                        | ४)   |
| ७. धर्म-नीति                        | २)   |
| ८. पद्धत अगस्तके बाद                | २)   |
| ९. द० अफ्रीकाका सत्याग्रह           | ३।।। |
| १०. मेरे समकालीन                    | ५)   |
| ११. आत्मसंयम                        |      |
| १२. अनासवित्योग                     | १।।। |
| १३. गीताकोध                         | १)   |
| १४. मगल-प्रभात                      | १।।) |
| १५. सर्वोदय                         | १।।) |
| १६. आश्रमवासियोंसे                  | १।।) |
| १७. ग्रामसेवा                       | १।।) |
| १८. नीति-धर्म                       | १।।) |
| १९. हिन्दूस्वराज्य                  | १।।। |
| २०. राष्ट्रवाणी                     | १)   |
| २१. बापूकी सीख                      | १)   |
| २२. आजका विचार                      | १।।) |
| २३. सत्यवीरकी कथा                   | १)   |
| २४. ब्रह्मचर्य (भाग १ व २) १), ३।।। |      |
| २५. अनीतिकी राह पर                  | १)   |
| २६. हृदय-मथनके पाच दिन              | १)   |
| २७. गांधी-शिक्षा (३ भाग) १।।।       |      |

## विनोबाजी लिखित

- |   |       |
|---|-------|
| २८. विनोबाके विचार (दोभाग) ३)                   |       |
| २९. गीता-प्रवचन                                 | १।।।) |
| ३०. जीवन और शिक्षण                              | २)    |
| ३१. शान्ति-यात्रा                               | १।।।) |
| ३२. स्थितप्रज्ञ-दर्शन                           | १)    |
| ३३. ईशावास्यवृत्ति                              | १।।।) |
| ३४. ईशावास्योपनिषद्                             | २)    |
| ३५. सर्वोदय-विचार                               | १।।।) |
| ३६. स्वराज्य-शास्त्र                            | १।।।) |
| ३७. भू-दान-यज्ञ                                 | १)    |
| ३८. गांधीजीको श्रद्धाजलि                        | १।।।) |
| ३९. राजघाटकी सनिधिमे                            | १।।।) |
| ४०. सर्वोदयका घोषणापत्र                         | १)    |
| ४१. विचार-पोथी                                  | १।।।) |
| ४२. जमानेकी माग                                 | २)    |
| नेहरूजी लिखित                                   |       |
| ४३. मेरी कहानी                                  | ५)    |
| ४४. हिन्दुस्तानकी समस्याएं                      | २)    |
| ४५. लडखडाती दुनिया                              | २)    |
| ४६. राष्ट्रपिता                                 | २)    |
| ४७. हिन्दुस्तानकी कहानी                         | १०)   |
| ४८. राजनीतिसे दूर                               | २।।)  |
| ४९. हमारी समस्याये (दोभाग) १)                   |       |
| ५०. विश्व-इतिहासकी झलक २।।)                     |       |
| अन्य लेखकोंकी                                   |       |
| ५१. गांधीजीकी देन<br>(डा० राजेन्द्रप्रसाद) १।।। |       |

५२. गांधी-मार्ग (डा० राजेद्रप्रसाद) =)	८१. जीवन-साधना(टाल्स्टाय) १।।
५३. गांधीकी कहानी(लुई फिशर) ४।।	८२. कलवारकी करतूत " ।।
५४. भारत विभाजनकी कहानी ए० के० (जाँनसन) ४।।	८३. बालकोंका विवेक " ॥।।
५५. महाभारत-कथा(राजाजी) ५।।	८४. हम करे क्या ? " ३।।
५६. कुञ्जा सुन्दरी (राजाजी) २।।	८५. हमारे जमानेकी गुलामी,, ॥।।
५७. शिशुपालन " ॥।।	८६. धर्म और सदाचार " १।।
५८. कारावास-कहानी (सु० नैयर) १०।।	८७. अधेरेमे उजाला " १।।
५९. बापूके चरणोमें २।।।	८८. वुराई कैसे मिटे " १।।
६०. वा० वापू और भाई ॥।।	८९. सामाजिक कुरीतिया " २।।
६१. गांधी-विचार-दोहन १।।।	९०. जीवन-सदेश(ख० जिन्नान) १।।
६२. अहिंसाकी शक्ति १।।।	९१. राजनीति प्रवेशिका १।।
६३. सर्वोदय-तत्त्व-दर्शन ७।।	९२. लोक-जीवन ३।।।
६४. सत्याग्रह-मीमांसा ३।।।	९३. अशोकके फूल (ह० द्विवेदी) ३।।
६५. बुद्धवाणी (वियोगी हरि) १।।	९४. कल्पवृक्ष (डा० अग्रवाल) २।।
६६. श्रद्धाकण " १।।	९५. पचदशी (स० यशपाल) १।।।
६७. अयोध्याकांड " १।।	९६. काम्रेसका इतिहास (३ भाग) ३।।।
६८. संत-सुधासार " १।।।	९७. सप्तदशी ३।।
६९. प्रार्थना " १।।	९८. रीढ़की हड्डी १।।।
७०. भागवत धर्म (ह० उपा०) ६।।।	९९. अमिट रेखाये (सत्यवती) ३।।
७१. श्रेयार्थी जमनालालजी " ६।।।	१००. आत्मोपदेश १।।
७२. स्वतन्त्रताकी ओर ४।।	१०१. तामिल वेद(तिरवत्तलुवर) १।।।
७३. बापूके धार्ममें " १।।	१०२. आत्म-रहस्य (रत्न० जैन) ३।।
७४. बापू (घन० विट्ठल) २।।	१०३. थेरी-नावाये १।।।
७५. स्प० और स्प०स्प " ॥।।।	१०४. बुद्ध और बाद्धनाथक १।।।
७६. डायरीजे पस्ते " १।।	१०५. जातव-कथा(आनन्द कौ०) २।।।
७७. ध्रुवोपाल्यान १।।	१०६. हमारे गावकी जहानी १।।।
७८. स्त्री और पुरुष (टाल्स्टाय) १।।	१०७. रामनीर्थ-नदेना (३ भाग) १।।।
७९. नैरी सुन्दित्ती जहानी " १।।।	१०८. रोटीफा नवाल (झोलाट०) ३।।
८०. प्रेमने रग्यान " १।।।	१०९. नवदुर्घोषे दी दाने १।।।

११३. मधुओका इलाज	॥)	१३६. कितनी जमीन ?	।।।
११४. काश्मीर पर हमला	२)	१४०. ऐसे थे सरदार	।।।
११५. पुरुषार्थ (डा०भगवान्दास)	६)	१४१. चैतन्य महाप्रभु	।।।
११६. कब्ज-कारण और निवारण	२)	१४२. कहावतोकी कहानिया	।।।
११७. भारतीय संस्कृति	३॥)	१४३. सरल व्यायाम	।।।
११८. मानवताके झरने	१॥)	१४४. द्वारका	।।।
११९. आधुनिक भारत	५)	१४५. बापूकी बातें	।।।
१२०. साहित्य और जीवन	२)	१४६. बाहुबली और नेमिनाथ	।।।
१२१. इगलेंडमे गाधीजी	२)	१४७. तन्दुरुस्ती हजार नियामत	।।।
१२२. खादी द्वारा ग्राम-विकास	॥॥)	१४८. बीमारी कैसे दूर करे ?	।।।
१२३. ग्राम सुधार	१)	१४९. माटीकी मूरत जागी	।।।
१२४. चारादाना	।)	१५०. गिरिघरकी कुड़लियाँ	।।।
१२५. राष्ट्रीयगीत	॥॥)	१५१. रहीमके दोहे	।।।
१२६. मनन	१)	१५२. दाढ़की वाणी	।।।
१२७. गाधी डायरी	२)	संस्कृत-साहित्य-सौरभ	
समाज-विकास-माला		१५३. कादम्बरी	।।।
१२८. बद्रीनाथ	।)	१५४. उत्तररामचरित	।।।
१२९. जगलकी सैर	।)	१५५. वेणी-संहार	।।।
१३०. भीष्म-पितामह	।)	१५६. शकुतला	।।।
१३१. शिवि और दधीचि	।)	१५७. मृच्छकटिक	।।।
१३२. विनोबा और भूदान	।)	१५८. मुद्राराक्षस	।।।
१३३. कबीरके बोल	।)	१५९. नलोदय	।।।
१३४. गाधीजीका विद्यार्थी जीवन	।)	१६०. नागानद	।।।
१३५. गगाजी	।)	१६१. रघुवश	।।।
१३६. गौतम बुद्ध	।)	१६२. मालविकाग्निमित्र	।।।
१३७. निषाद और शबरी	।)	१६३. स्वप्नवासवदत्ता	।।।
१३८. गाव सुखी, हम सुखी	।)	१६४. हर्ष-चरित	।।।
		१६५. किरातार्जुनीय	।।।

